Dr. C.V. Raman University
Kargi Road, Kota, BILASPUR, (C. G.),
Ph. : +07753-253801, +07753-253872
E-mail : info@cvru.ac.in | Website : www.cvru.ac.in

Comparative government and politics

Institute of Open and Distance Education

Faculty of Arts

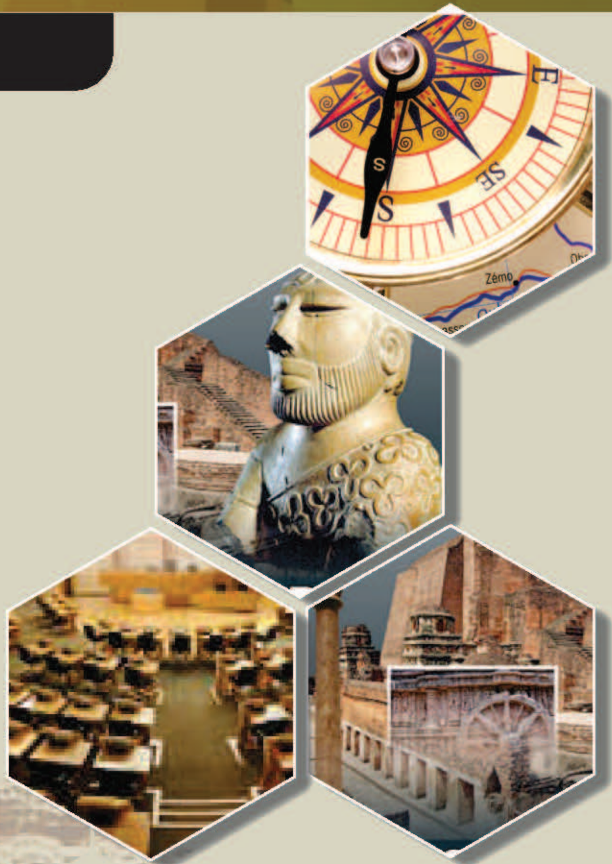

Comparative Government and Politics

4BA6

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Chhattisgarh, Bilaspur
A STATUTORY UNIVERSITY UNDER SECTION 2(F) OF THE UGC ACT

4BA6

Comparative Government and Politics

4BA6
Comparative Government and Politics

Credit- 4

Subject Expert Team

Dr Kajal Moitra, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh
Dr Mahesh Shukla, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh
Dr Reena Tiwari, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh
Dr Ram Ratan sahu, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh
Dr Anju Tiwari, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh
Dr. Sandhya Jaiswal , Dr. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh

---

Course Editor:

Dr Ramsiya Charmkar, Assistant Professor Department of Political Science Humanities and liberal arts, Rabindranath Tagore University, Bhopal, M.P.

Unit Written By:

---

1. Dr. Sandhya Jaiswal

(Professor, Dr. C. V. Raman University)

2. Dr. Renu Sharan

(Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University)

Warning: All rights reserved, No part of this publication may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Published by: Dr. C.V. Raman University Kargi Road, Kota, Bilaspur, (C. G.), Ph. +07753-253801,07753-253872 E-mail: info@cvru.ac.in, Website: www.cvru.ac.in

अनुक्रमणिका

ब्लॉक -I

इकाई - 1 ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ 1

इकाई - 2 ब्रिटिश कार्यपालिकाः सम्राट एवं राजमुकुट 22

इकाई - 3 ब्रिटिश कार्यपालिका: मन्त्रिमण्डल एवं प्रधानमंत्री 43

इकाई - 4 ब्रिटिश व्यवस्थापिकाः कॉमन सभा 69

इकाई - 5 ब्रिटिश व्यवस्थापिकाः लार्डसभा 87

ब्लॉक -II

इकाई - 6 ब्रिटिश न्यायपालिका 104

इकाई - 7 ब्रिटिशि राजनीतिक दल 120

इकाई - 8 अमरीकी संविधान की प्रमुख विशेषताएँ 133

इकाई - 9 अमेरिकी कार्यपालिका : राष्ट्रपति 152

इकाई - 10 अमेरिकी कार्यपालिका : राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल 177

ब्लॉक -III

इकाई - 11 अमेरिकी व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा 191

इकाई - 12 अमेरिकी व्यवस्थापिका : सीनेट 214

इकाई - 13 अमेरिका की संघीय न्यायपालिका 228

इकाई - 14 अमेरिकी दल प्रणाली 245

इकाई - 15 स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएँ 257

ब्लॉक -IV

इकाई - 16 स्विस कार्यपालिका : संघीय सरकार 271

इकाई - 17 स्विस व्यवस्थापिकाः संघीय संसद 291

इकाई - 18 स्विस न्यायपालिका संघीय सर्वोच्च न्यायालय 308

इकाई - 19 स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 318

इकाई - 20 जनवादी चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएँ 337

ब्लॉक - I

इकाई -1

ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

1.4 ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण

1.5 ब्रिटिश संविधान का महत्व

1.6 ब्रिटिश संविधान का स्वरूप

1.7 ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की सन्तान है

1.8 स्वप्रगति परीक्षण

1.9 सार संक्षेप

1.10 मुख्य शब्द

1.11 संदर्भ सूची

1.12 अभ्यास प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

ब्रिटिश संविधान (United Kingdom Constitution) की विशेषता यह है कि यह लिखित नहीं है, बल्कि यह परंपराओं, नियमों, प्रथाओं और न्यायिक व्याख्याओं का एक संग्रह है। चूंकि यह लिखित संविधान नहीं है, इसलिए इसकी प्रस्तावना जैसी कोई औपचारिक शुरुआत नहीं होती। इसके बजाय, ब्रिटिश संविधान का सार और उद्देश्य विभिन्न कानूनी दस्तावेजों, संसदीय प्रथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से समझा जाता है।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. ब्रिटिश संविधान की संरचना और इसकी विशेषताओं को समझ सकेंगे।

2. लिखित और अलिखित संविधान के बीच के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. संविधान की लचीली प्रकृति और इसके प्रभाव को पहचान सकेंगे।
4. संसदीय संप्रभुता और कार्यपालिका के अधिकारों को समझ सकेंगे।
5. कानून के शासन की अवधारणा और इसके ब्रिटिश संविधान में अनुप्रयोग का विश्लेषण कर सकेंगे।
6. ब्रिटिश संविधान में परंपराओं और प्रथाओं की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।
7. ब्रिटिश संविधान की मुख्य संस्थाओं, जैसे कि संसद, न्यायपालिका, और सम्राट की भूमिका का अध्ययन कर सकेंगे।
8. भारतीय संविधान और ब्रिटिश संविधान के बीच तुलना कर सकेंगे।

1.3 ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएँ [SALIENT FEATURES OF THE BRITISH CONSTITUTION]

ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है जिसकी अवस्थिति 50 उत्तरी अक्षांश और 60 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है । इसका क्षेत्रफल 244,108 वर्ग किमी. है जो अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का लगभग आधा है । आकार की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 75 वाँ है, जबकि जनसंख्या के घनत्व में इसका चौथा स्थान है । ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड, वेल्स तथा आयरलैण्ड के राज्य सम्मिलित हैं । इनमें इंग्लैण्ड ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य प्रदेश है तथा सदा से ही इस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु रहा है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है | जनसंख्या का केवल 11 प्रतिशत भाग कृषि या इससे संबंधित कार्यों में लगा हुआ है । अधिकांश आबादी नगरों में निवास करती है। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप बिटेन की अधिकांश जनसंख्या कोयला क्षेत्रों के पास वाले नये औद्योगिक नगरों में चली गई और ग्रामों की आबादी कम हो गई | ब्रिटेन का शासन विधान क्रमिक विकास का परिणाम है । उसकी जड़ें इतिहास में बड़ी गहरी हैं । फ्रास्स, रूस और चीन की तरह ब्रिटेन में कोई सफल हिंसात्मक राज्य क्रांति नहीं हुई इसलिए संविधान के विकास की श्रृंखला वहाँ कभी अकस्मात टूटी नहीं । अनेक विद्वानों के अनुसार ब्रिटिश संविधान के निरन्तर विकास का मूल कारण ब्रिटिश जाति का राष्ट्रीय चखि है । ब्रिटिश नागरिकों में "बुनियादी बातोंm के सम्बन्ध में मतैक्य' (Consensus) पाया जाता है और अनुदारवाद का स्वरूप इस भाँति का है जिसमें प्राचीन संस्थाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके उसे नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया जाता है ।

1.4 ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण [Evolution of the British Constitution : Main Stages]

ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है । इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया वरन् राजनीतिक तना की वृद्धि के साथ-साथ इसका विकास हुआ है । ब्रिटिश संविधान का धीरे-धीरे अबाध गति से विकास हुआ है | उसकी जड़ें सदियों के पुराने इतिहास में जमी हुई हैं । उसके विकास की गाथा का सार यही है कि निरंकुश राजतन्त्र को शान्तिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतन्त्र के रूप में रूपान्तरित कर दिया गया है। ऑग तथा जिंक ने लिखा है कि "इंग्लैण्ड की जनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रस्तर-बिन्दु राष्ट्रीय इतिहास के उस राज-मार्ग पर बिखरे हुए हैं जो भूतकाल में तेरह सौ या चौदह सौ वर्ष तक की लम्बाई में फैला हुआ है ।" शान्तिपूर्ण विकास ब्रिटिश संविधान की एक अनूठी विशेषता है । उसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, अपितु उसका वर्तमान सदैव भूत की नींव पर खड़ा रहा है ।

सी. एफ. स्ट्रांग लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान के विकास की कहानी परिवर्तित होने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक अविकल अनुकूलनों की गाथा है । यह दो प्रकार से, रूढ़ि तथा विधि के द्वारा हुआ है । इन दोनों तत्वों में सावधानी के साथ भेद करना चाहिए, हालाँकि इन दोनों को "सांविधानिक विधि के शीर्षक के अन्तर्गत साथ-साथ रखा जाता है । इनमें प्रथम तत्व पारिभाषिक दृष्टि से विधि नहीं है क्योंकि यह उन नियमों और आचारों से बना है, जो हमारे सांविधानिक जीवन में मजबूती के साथ जम तो गए हैं परन्तु जिन्हें न्यायालय सामने आने पर मान्य नहीं करेंगे । दूसरा तत्व वास्तविक विधि है जिसे लिखित और अलिखित रूप में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा | विधि का यह निकाय तीन तत्वों का बना हुआ है, यथा (i) लिखित अथवा सामान्य विधि (Common 1.49; (ii) संविधि (Statutes) तथा (iii) संघधियाँ (Treaties)

ब्रिटिश संविकेध वाि‍कनास के कुछ प्रमुख चरणों का विवेचन निम्न रूप से किया जा सकता है –

1. ऐंग्लो - सैक्शन काल - इंग्लैण्ड का इतिहास केल्ट, रोमन और सैक्सन जाति के आगमन से शुरू होता है । पाँचवीं शताब्दी में ऐंग्लो-सैक्सन लोगों का शासन स्थापित हुआ और यहीं से ब्रिटिश संविधान की नींव पड़ी । इस युग में राजतन्त्र और स्थानीय शासन की नींव पड़ी ।

राजपद का प्रादुर्भाव - प्रारम्भ में ऐंग्लो-सैक्शन जाति के विभिन् न गुटों नेअ लग-अलग राज्यों की स्थापना की । बाद में वेसेक्स के राजघराने की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और

अल्फ्रेड (871 ई) से लेकर नार्मन विजय (1066 ई.) तक पूरे इंग्लैण्ड पर इसी का शासन था | इन दिनों वंशानुगत राजतत्र की व्यवस्था नहीं थी | राजा का चयन विटनेजमॉट अर्थात् "बुद्धिमानों की सभा' द्वारा होता था । इस सभा में राजा के सम्बन्धी, गाँव के वयोवृद्ध लोग, चर्च के अधिकारी, सेना के कर्मचारी व महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मिलित होते थे । राजा सभा की बैठकों का सभापित होता था । इस सभा के पास काफी शक्तियाँ थीं । यह राजा को गद्दी से उतार सकती थी तथा नया राजा चुन सकती थी । शासन-प्रबन्ध में इसका पूरा अधिकार था । राजा के साथ वह कानून बनाती थी व कर लगाती थी । यह दीवानी तथा फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय का कार्य भी करती थी । इस प्रकार 'विटनेजमॉट' का बड़ा प्रभाव होता था | यह राजा पर नियन्त्रण रखती थी । इससे सीमित एवं वैधानिक राजतन्त्र के विचार का सु्त्रपात हुआ |

स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात - इस काल में स्थानीय स्वशासन का भी विकास हुआ । सारा देश "शायरों' में विभक्त था और शायर हण्डेड्स नाम के उप-प्रदेशों में विभक्त थे । हण्डरेड्स गाँव तथा शहरों में विभक्त थे । प्रत्येक हण्डरेड में एक स्थानीय सभा होती थी और प्रत्येक शायर में एक शायरमूट होता था | गाँवों में जनता एकत्रित होकर अपने आपस के मसलों पर विचार करती थी | इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी । न्याय कार्य शायरमूटों के प्रमुखों व बिशप लोगों के द्वारा किया जाता था | ब्लैकस्टोॉन ने लिखा है, "इंग्लैण्ड की स्वतत्रता उसकी स्वतंत्र स्वायत्त संस्थाओं की देन है । अपने पूर्वज सैक्शनों के समय से ही अंग्रेजों ने नागरिकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सीखा है ।"

2. नार्मन काल - सन् 1066 में नार्मन देश के विलियम ऑफ नार्मण्डी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर नार्मन राज्य की स्थापना की । नार्मनों ने ऐंग्लो-सैक्सन काल की स्थानीय संस्थाओं को समाप्त नहीं किया, अपितु आवश्यक परिवर्तन किया जिससे केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली बन सके | चर्च को भी राजकीय नियंत्रण में लाया गया । देश-भर में सामान्य कानून को लागू किया गया । इससे इंग्लैण्ड में केन्द्रीकृत शासन की स्थापना हुई ।

मैग्रम कौन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस - विलियम ने 'विटनेजमॉट' को समाप्त करके उसके स्थान पर 'मैग्रम कौन्सिलियम' की स्थापना की । इस समिति में बैरन, राज्य के उच्चाधिकारी, आर्च बिशप, अबोट आदि होते थे । इस समिति का कार्य राजकीय मालगुजारी को एकत्रित करना और उसका हिसाब रखना था | इस समिति की बैठक वर्ष में तीन बार होती थी । विलियम ने एक लघु परिषद् की भी स्थापना की जिसे क्यूरिया रेजिस कहा जाता है । जब मैग्रम कीन्सिलियम कार्यरत नहीं होती तब क्यूरिया

रेजिस राजा को शासन संचालन में सहायता पहुँचाती थी | कालान्तर में मैग्नम कौन्सिलियम से ब्रिटिश संसद् का आविर्भाव हुआ तथा क्यूरिया रेजिस से प्रिवी कौन्सिल, मंत्रिपरिषद तथा मन्त्रिमण्डल का विकास हुआ |

मैग्नाकार्टा - हैनरी द्वितीय ने बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया, किम्तु उसके अयोग्य उत्तराधिकारी रिचार्ड तथा जॉन की गलत नीतियों ने क्रान्ति की ज्वाला भड़का दी । जॉन बड़ा निर्दयी शासक था, जिससे उसके सहयोगी एवं मित्र उसके रोधी हो गए । बैरनों ने एक बहुत बड़ी माँग उसके सामने रखी । उन माँगों की अस्वीकृति का अर्थ गृहयुद्ध था | कुछ मय तक जॉन इन माँगों से बचने का प्रयत्न करता रहा। अन्त में उसने सन् 1215 में इन माँगों को स्वीकार कर लिया। उसे ग्नाकार्टा, जिसे "महान अधिकार-पत्र' कहा जाता है, पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी | यह अधिकार-पत्र ब्रिटेन का र्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है । इसके द्वारा यह निशिचत हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लगाएगा | इस अधिकार-पत्र से 'मर्यादित राजतन्त्र' या "वैधानिक शासन' की नींव पड़ी ।

संसद का उदय - मैग्गम कौन्सिलियम को ब्रिटिश संसद का प्रारम्भिक रूप कहा जाता है | सन् 1295 में एडवर्ड प्रथम को युद्ध संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी, अत: उसने 'मॉडल पार्लियामेण्ट' बुलाई जिसमें करीब 572 सदस्य थे | बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिकों ने राजा की प्रार्थना को एकत्र होकर सुना किन्तु बाद में प्रत्येक वर्ग उस पर विचार करने के लिए अलग-अलग हो गया । इस समय तीन वर्ग बन गए- बैरन, क्लर्जी और नाइट | चूँकि बैरन और क्लर्जी के हित समान थे, अत: उनका एक संगठन बन गया जिससे बाद में 'लार्डसभा' बनी | नाइटों तथा नगरजनों से आगे चलकर 'कॉमनसभा' बनी । इस प्रकार यह संयोग ही है कि ब्रिटिश संसद में दो सदन बन गए।

3. प्लाण्टेगनेट व लैंकास्ट्रियन वंशों का काल - प्लाण्टेगनेट वंश के शासन काल में संसद की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह राजाओं को भी पदच्युतत करने लगी । सन् 1327 में संसद ने एडवर्ड द्वितीय को सिंहासन से हटा दिया । रिचार्ड द्वितीय को भी संसद के सामने झुकना पड़ा | लैंकास्ट्रियन वंश के शासनकाल में राजा द्वारा मनोनीत मन्त्रियों के समूह के लिए "प्रिवी कौन्सिल' शब्द का प्रयोग किया गया । सन् 1401 में कॉमनसभा ने यह माँग की कि नए करों को लगाने से पहले राजा को जनता की शिकायतों की याचिकाओं को सुनना चाहिए और उनके निवारण का वचन देना चाहिए | सन् 1407 में कॉमनसभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार स्वयं ले लिया |

4. ट्यूडर काल - इस काल में संसद का महत्व घट गया । ट्यूडर राजाओं ने विपुल धनराशि एकत्रित कर ली और उन्हें संसद को बुलाने की आवश्यकता नहीं हुई | इस काल में राजकीय शक्ति पोप के नियन्त्रण से मुक्त हो गई ।

5. स्टुअर्ट काल -स्टुअर्ट राजाओं के शासनकाल में राजा व संसद सदा एक दूसरे के विरोध में रहे । अन्त में संसद की विजय हुई । ब्रिटेन में संसदीय लोकतन्त्र की आधारशिला इसी काल में रखी गई । इस काल में निम्नलिखित संवैधानिक परिवर्तन उल्लेखनीय हैं -

कैबिनेट का उदय - प्रिवी कौन्सिल एक बड़ी संस्था हो गई थी । इसीलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे *कबाल' (CABAL) कहा जाने लगा | इसी से बाद में त्रिमण्डल का उदय हुआ |

अधिकार-पत्र - गौरवपूर्ण क्रान्ति के पश्चात संसद 1689 ई. में चार्ल्स प्रथम से उस अधिकार याचना-पत्र (Petition of Rights) को मनवाने में सफल हुई जिसमें राजा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए गए थे | इसकी मुख्य बातें ये थीं कि -

(i) संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना राजा कोई नवीन कर नहीं लगा सकता था;

(ii) राजा को वर्ष में कम-से-कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी पड़ती थी;

(iii) संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता था ।

(iv) संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी ।

उत्तराधिकार अधिनियम - विलियम और मेरी के कोई सम्तान नहीं थी, अत: 1701 में 'उत्तराधिकार अधिनियम' पारित कर यह निश्चित हुआ कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना न तो विदेश जा सकता है और न ही युद्ध की घोषणा कर सकता है |

6. हैनोवर काल -

यहीं से संसदीय लोकतन्त्र का विकास प्रारम्भ हुआ जिसने बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ृध तक पूर्णता प्राप्त कर ली । इस काल के प्रमुख विकास -बिन्दु इस प्रकार हैं –

प्रधानमन्त्री - प्रारम्भ में मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता राजा किया करता था | जार्ज राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, अत: ने मत्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेना बन्द कर दिया । जार्ज राजा ने व्हिंग दल के प्रभावशाली नेता राबर्ट वालपोल को अपना मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया | वही मस्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता था | बाद में उसे नमन्त्री कहा जाने लगा |

राजनीतिक दलों का उदय - प्रतिनिधि सरकार में राजनीतिक दलों का उदय अवश्यम्भावी है । अठारहवीं शताब्दी तक किसी दल का उदय न हुआ | क्रामवेल के समय "कैवेलियर्स' तथा 'राउण्डहेडर्स चार्ल्स द्वितीय के काल में "कोर्ट' और "कण्ट्री', स्टुअर्ट युग में 'पिटिशनर्स' और "एमोरर्स' परस्पर विरोधी गुट थे | अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में मन्त्रिमण्डलात्मक प्रणाली के विकास के साथ दलों का भी विकास हुआ ।

कॉम्नसभा का प्रजातन्त्रीकरण - सन् 1832 के सुधार कानून द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ | सन् 1867 के सुधार कानून द्वारा कारीगरों व मजदूरों को भी मताधिकार प्रदान किया गया । सन् 1884 के सुधार कानून द्वारा खेतिहर मजदूरों को मताधिकार प्रदान किया गया । सन् 1928 में वयस्क मताधिकार का प्रचलन हुआ | इस प्रकार विभिन् न अधिनियमों द्वारा लोकतत्रीकरण हुआ | लार्डटसभा की शक्तियों को कम करना - ज्यों-ज्यों कॉमनसभा का लोकतम्त्रीकरण होता गया, लार्डसभा के अधिकारों में कमी आती गई । लार्ड्सभा वंशानुगत संस्था होने के कारण राष्ट्र का दर्पण नहीं हो सकती थी | सन् 1832 का सुधार अधिनियम लार्डसभा की इच्छा के विरुद्ध पारित हुआ था | सन् 1910 में लार्डसभा ने लॉयड जार्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार किया | इसके फलस्वरूप सन् 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा उसकी शक्तियाँ कम कर दी गईं |

1.5 ब्रिटिश संविधान का महत्व [Importance of the British Constitution]

संविधानों की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ब्रिटेन का संविधान दुनिया के समस्त संविधानों की जननी है । मुनरो ने लिखा है, "ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद् संसदों की जननी । अन्य देशों की विधान सभाओं की चाहे कोई भी संज्ञा हो, पर उनका उद्गम स्त्रोत एक ही है ।" एशिया, अफ्रीका आदि दूरस्थ प्रदेशों में फैले ब्रिटेन के उपनिवेशों के सम्बन्धों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था पर तथा ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का प्रभाव उन उपनिवेशों की व्यवस्था पर सदा पड़ता रहा ¢ | इसके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ ब्रिटेन का साम्राज्य रहा है और बाद में यदि वहाँ के लोगों को स्वतन्त्रता मिली तो वहाँ प्राय: ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संसदीय शासन-प्रणाली का विकास ही हुआ है । यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को "मातृ संविधान' (Mother Constitution) कहा जाता है |

इंग्लैण्ड वस्तुतः संसदीय लोकतन्त्र का मातृ देश रहा है | द्रिसदनीय संसद प्रणाली, कानून का शासन तथा लचीले संविधान के सिद्धान्त जैसे राजनीतिक विचारों का प्रयोग सबसे पहले तथा सफलता के साथ यहीं किया गया है । यही कारण है कि अंग्रेजी संविधान के अध्ययन को विश्व के विविध देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन की कुंजी कहा जाता है | हम भारतीय नागरिकों के लिए तो बिटिश संविधान का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक एवं लाभकारी है । हमारा संविधान तो मुख्य तौर से ब्रिटिश संविधान के अनुरूप ही बना हुआ है । ब्रिटिश संविधान के मर्म को समझे बिना भारतीय संविधान के स्वरूप का अध्ययन दुष्कर प्रतीत होता है |

1.6 ब्रिटिश संविधान का स्वरूप [Nature of the British Constitution]

यह अत्यन्त विवाद का विषय है कि अंग्रेजों के पास कोई संविधान है या नहीं ? फ्रांसीसी विचारक टॉकविल ने कहा था कि "इंग्लैण्ड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है ।" अमेरिका के थॉमस पेन ने_ इसी मत का समर्थन किया है । उनके मतानुसार, "किसी संविधान का वास्तविक कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जा सके और चूँकि इंग्लैण्ड ऐसा नहीं कर सकता, अतः उसका कोई संविधान नहीं है ।"

शॉमस पेन ने एक बार बर्क से पूछा, "क्या श्रीमान बर्क इंग्लैण्ड के संविधान को प्रस्तुत कर सकते हैं ? यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ संविधान नाम की कोई वस्तु नतो है और न कभी पहले थी ।"

जॉर्ज बर्नाड शॉ कहते हैं कि हमारा ब्रिटिश संविधान है परन्तु कोई भी नहीं जानता है कि यह क्या है; यह कहीं लिखा हुआ नहीं है और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वास्तविक, मूर्त, पढ़ा जा सकने योग्य प्रलेख है । मैं आपको उसका प्रत्येक वाक्य समझा सकता हूँ।

जो लोग यह कहते हैं कि इंग्लैण्ड में संविधान नहीं है, गलती पर हैं । यद्यपि इंग्लैण्ड में एक लिखित संविधान नहीं है परन्तु अलिखित संविधान अवश्य है | यह ठीक है कि इंग्लैण्ड में अमेरिका की भाँति संविधान बनाने के लिए कभी संविधान सभा नहीं बैठी, परन्तु ब्रिटिश संविधान निरन्तर विकास का फल B 1 मुनरो ने लिखा है कि "अंग्रेजी शब्द "कॉस्टीट्यूशन' लेटिन भाषा के शब्द 'कॉस्टीट्यूरे' से निकला है, जिसका अर्थ है, "स्थापित होना' । यदि कुछ नियम, उपनियम और रीति-रिवाज लोगों के द्वारा सरकार का आधार मान लिए जाएँ तो उनके पास एक संविधान हो जाता है । यह संविधान जब सरकार का आधार बन जाता है, तो फिर यह तर्क सारहीन हो जाता है कि यह

संविधानसभा द्वारा बना अथवा विकसित हुआ | यद्यपि संसार के अधिकतर संविधान संविधानसभा द्वारा बनाए गए हैं, किन्तु ब्रिटिश संविधान विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है ।"

वास्तव में कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता । भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति इंग्लैण्ड में भी संविधान है । अम्तर केवल इतना ही है कि इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित है जबकि अन्य सभी देशों के संविधान लिखित हैं । इंग्लैण्ड का विधान एक लिखित प्रलेख (Document) के रूप में नहीं पाया जाता, वह अनेक रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं में व्यक्त है । ब्रिटिश नागरिक अपने अलिखित संविधान के प्रति वैसी ही आस्था रखते हैं जैसी अन्य देशों के लोग अपने लिखित संविधानों के प्रति । ब्रिटिश संविधान किसी विशेष समय, किसी संविधानसभा द्वारा नहीं बनाया गया । उसका क्रमिक विकास हुआ है | इंग्लैण्ड का संविधान "संयोग और योजना की संतान है ।" मेथियोट ने ब्रिटिश संविधान को "जीवित सावयव" (Living organism) कहा है | ऐमरी के शब्दों में "ब्रिटिश संविधान औपचारिक विधि, पूर्वोदाहरण तथा परम्परा का मिश्रण है ।"

जैनिंग्स के मतानुसार, "यदि संविधान का अर्थ संस्थाएँ हैं और वह कागज नहीं जो उनका वर्णन कला है, तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है w विकास हुआ है- और वह कोई कागज नहीं है ।

ब्राइस के अनुसार, "इंग्लैण्ड का संविधान जनता की स्मृति में मौजूद है । हम यों भी कह सकते हैं कि इंग्लैण्ड का संविधान लिखित पूर्व-निर्देशनों, न्यायशास्त्रियों या राजनीतिज्ञों की व्याख्याओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, राज्य की विधियों पर प्रभाव डालने वाले समझौतों और विश्वासों तथा कुछ परिनियमों का समूह है। संक्षेप में, इंग्लैण्ड का संविधान बड़ी-बड़ी संवैधानिक घटनाओं, कानूनों, न्यायिक निर्णयों, कामन लॉ और रूढ़ियों में पाया जाता है ।"

मुनरो के अनुसार, "ब्रिटिश संविधान संस्थाओं, सिद्धान्तों तथा व्यवहारों का जटिल मिश्रण है । यह अधिकतर-पत्रों और विधियों, न्यायिक निर्णयों, प्रचलित नियमों, पूर्व-दृष्टान्तों;, आचरणों और रीति-रिवाजों का मिश्रण है । यह एक प्रलेख नहीं बल्कि सैकड़ों प्रलेखों का संग्रह है । यह एक स्रोत नहीं बल्कि सैकड़ों से बना है ।"

संविधान का अर्थ यदि हम एक औपचारिक अभिलेख से लें जिसे एक निश्चित समय में व निश्चित सभा ने बनाया हो, तो ब्रिटेन का. कोई संविधान नहीं है और यदि संविधान का तात्पर्य उन समस्त नियमों, सिद्धान्तों, अधिनियमों, अभिसमयों व परम्पराओं से लिया

जाये जिनके अनुसार देश. में राजनीतिक गतिविधियाँ जारी रहती हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में एक संविधान है ।

1.7 ब्रिटिश संविधान के स्रोत [Sources of the British Constitution]

लिखित संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है । उसे उस देश & संविधान का स्रोत | माना जा सकता है, परन्तु इंग्लैण्ड में संविधान बनाने के लिए कभी कोई संविधान सभा नहीं बुलायी गई अत: उसका कोई एक स्रोत नहीं है | उसके अनेक स्त्रोत हैं । मुनरो के शब्दों में "ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं है, सैकड़ों प्रलेख हैं 98 एक स्रोत से नहीं, बल्कि अनेक स्रोतों से निकाला गया है ।" ब्रिटिश संविधान अनेक परम्पराओं, परिनियमों, न्यायिक निर्णयों आदि से मिलकर बना है । इन्हें ही संविधान के तत्व एवं स्त्रोत कहा जाता है । ये दो प्रकार के हैं - लिखित और अलिखित |

लिखित स्रोत हैं - अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय, टीकाएँ आदि | अलिखित स्रोत हैं - सामान्य विधि और संवैधानिक परम्पराएँ या रूढ़ियाँ |

'ब्रिटिश संविधान के निम्नलिखित स्रोत हैं -

1. अधिकार-पत्र तथा युग-प्रवर्तक घटनाएँ - पहला स्रोत अधिकार-पत्र तथा अन्य युगान्तकारी घटनाएँ 1 जैसे-मैग्नाकार्टा (1215); अधिकारों की याचिका (1628) अधिकारों का बिल (1689); सैटलमेण्ट ऐक्ट (1701); संसदीय अधिनियम (1911 तथा 1949); भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (1947) आदि |

2. संसद द्वारा पास किए हुए अधिनियम - ब्रिटिश संसद् ने अनेक ऐक्ट बनाए हैं । ये ऐक्ट सरकार के अधिकार तथा शक्तियाँ निश्चित करते हैं । उदाहरण स्वरूप 1867, 1884, 1918 और 1929 में पास किए गए सुधार अधिनियम, एब्डीकेशन ऐक्ट, 1936 तथा मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन ऐक्ट, 1937 इस श्रेणी में आते हैं ।

3. न्यायिक निर्णय - न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा अनेक संविधानों तथा संसदीय कानूनों और अधिकार-पत्रों की व्याख्या की गई है और उनका क्षेत्र एवं परिसीमाएँ समझाई गई हैं) न्यायिक निर्णयों ने जनता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की स्थापना की है । उदाहरण के लिए जूरियों की स्वतन््रता की स्थापना सुप्रसिद्ध बुसेल केस के निर्णय द्वारा हुई थी | हावल के केस में न्यायाधीशों की स्वतत्रता ' की गारण्टी दी गई | डायसी ने सत्य ही कहा है कि "अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं है बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लाए गए अभियोगों का फल है ।" |

4. ब्रिटिश संविधान पर टीकाएँ - ब्रिटिश संविधान का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत ब्रिटिश संवैधानिक कानून पर लिखी गई टीकाएँ हैं। इनमें प्रमुख एन्सन द्वारा लिखित "लॉ एण्ड कस्टम ऑफ दि कॉन्स्टीट्यूशन', एस्कन के द्वारा लिखित "पार्लियामेण्ट्री प्रेक्टिस' एवं बेजहॉट द्वारा लिखित "इंग्लिश कॉन्स्टीट्यूशन' हैं।

5. सामान्य विधि - मुनरो के अनुसार, "सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जो संसद् के प्रयत्नों के बिना ही उत्पन्न हो गए और जिन्होंने समय के बीतने पर समस्त देश में मान्यता प्राप्त कर ली ।" साधारण कानून लोगों के रीति-रिवाजों पर आधारित हैं. और वे कभी भी सम्राट तथा उनकी संसद् द्वारा नहीं बनाए गए ।उन कानूनों को न्यायाधीशों ने समय-समय पर लागू किया है । न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा निरन्तर उनका विकास हुआ है इंग्लैण्ड के लोगों को भाषण देने, संस्थाएँ बनाने और जूरी के द्वारा फौजदारी मुकदमों को तय करवाने का अधिकार कॉमन लॉ पर ही आधारित है ।

6. परम्पराएँ अथवा रूढ़ियाँ - ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रूढ़ियाँ, प्रथाएँ या परिपाटियाँ हैं, जिन्होंने संविधान की कार्य-विधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है । यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इंग्लैण्ड की शासन व्यवस्था संवैधानिक अभिसमयों अथवा परम्पराओं पर ही आधारित है | इन्हें संविधान की आत्मा कहा जा सकता है । परम्पराएँ अलिखित होती हैं किन्तु इन्हें लिखित कानूनों के समान ही मान्यता प्राप्त होती है । ये रूढ़ियाँ (परम्पराएँ) संसद के द्वारा नहीं बनाई गईं बल्कि संयोगवश. ही उत्पन्न हो गई हैं । प्रमुख परम्पराएँ हैं - सप्राट् मत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, कॉमनसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमन्त्री बनेगा, कॉमनसभा का अध्यक्ष अपने

चुनाव के बाद राजनीति से अवकाश ले लेगा ।

1.8 ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ (Salient Features of the British Constitution)

ब्रिटिश संविधान अनूठा संविधान है । यह दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है । इसके अनूठेपन के बारे में अनेक उक्तियाँ प्रचलित हैं । डी टाक्लि के अनुसार "ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है ।" मुनरो के अनुसार "ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है ।" जैनिंग्ज के शब्दों में "ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं ।"इसके बारे में कहा जाता है कि "कोई बात जैसी दिखायी देती है, वैसी है नहीं; और जैसी है, वैसी दिखायी नहीं देती ।" ब्रिटिश शासन का निरालापन इस कथन

में झलकता है कि "ब्रिटेन का शासन सिद्धान्तत: निरंकुश, स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में एक लोकतन्त्रत्मक गणराज्य है ।"

ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. विकसित संविधान (Evolved Constitution) - ब्रिटेन का संविधान गत 1300 वर्षों के निरन्तर विकास का परिणाम है | यह समय और संयोग की सन्तान (A child of accident and design) हैं | जिस प्रकार कीचड़ में से एक सुन्दर कमल खिलता है, उसी प्रकार निरंकुश राजतन्त्र में से ब्रिटेन में एक प्रजातन्त्र विकसित हुआ है । AT ने ठीक ही कहा है कि, "ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट जीवधारी के समान है जिसमें निरन्तर तथा स्थायी विकास की क्षमता है ।" ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की विशिष्टता का वर्णन एन्सन ने काव्यमय शैली में किया है - "यह संविधान विभिन् न प्रकार की भवन-निर्माण सामग्री द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसमें समय-समय पर विभिन् न मालिकों ने अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार दालान, बरामदे, खम्भे, शयनकक्ष तथा अतिथिकक्ष आदि बना दिए हैं । इसके निर्माण में अनेकों हाथ है ।" मुनरो ने लिखा है, "यह कोई पूर्णत: प्राप्त वस्तु न होकर, विकासशील वस्तु है । यह बुद्धिपता और संयोग की सन्तान है, जिसका मार्गदर्शन, कहीं आकस्मिकता ने और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है ।" संविधान में विकास की एक अविच्छिन्न निरन्तरता पाई जाती है । इसका कारण ब्रिटिश जनता का विकासवादी स्वभाव है जो क्रान्ति की अपेक्षा विकास को अधिक पसन्द करता है ।

2. अलिखित संविधान (Unwritten Constitution) - ब्रिटेन के संविधान की कार्य-विधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं । यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह 'संविधानसभा' द्वारा नहीं बनाया गया और इसके रद नहीं लिखे गए हैं । इसी कारण डी टॉकविल ने कहा है, "इंग्लैण्ड में संविधान जैसी कोई चीज नहीं है ।"

ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतया नहीं, बल्कि अधिकांशत: अलिखित है | उसका कुछ भाग लिखित भी है, जैसे - मैग्नाकार्टा (1215); अधिकार याचना पत्र (1628); संसदीय अधिनियम (1911) इत्यादि | परन्तु संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है, वह अभिसमयों तथा सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है । इंग्लैण्ड का संविधान अंशत: अलिखित है और अंशत: लिखित; परन्तु अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक होने से संविधान अलिखित माना जाता है ।

3. एकात्पक संविधान (Unitary Constitution) - इंग्लैण्ड छोटे-छोटे प्रान्तों या राज्यों में बँ ँटा हुआ नहीं है । इसमें शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का प्रयोग नहीं होता ।

शासन,;व्यवस्था एकात्मक है । शासन की समस्त शक्तियाँ केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित है । सारे देश का शासन एक ही स्थान-देश की राजधानी से होता है । सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है । इंग्लैण्ड में संघात्मक राज्यों के समान दो प्रकार की सरकारें नहीं हैं । इंग्लैण्ड में राजनीतिक शक्तियों का इस दृष्टि से केन्द्रीयकरण है और केन्द्रीय सरकार ही शासन की समस्त शक्तियों का संचालन करती है | केन्द्रीय सरकार ने प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को भी दे दी हैं । केन्द्रीय सरकार उनको अपनी इच्छानुसार वापस भी ले सकती है ।

4. लचीला संविधान (Flexible Constitution) - ब्रिटिश संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान है | लचीला संविधान वह होता है जो सुपरिवर्तनीय हो, जिसमें सरलता से संशोधन किए जा सकें । अर्थात् इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है । जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है । इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत आदि देशों के संविधान न केवल लिखित हैं, वेक ठोर और अपरिवर्तनीय भी हैं । उनमें आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते । संशोधन विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही किए जा सकते हैं । ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान है । केवल बहुमत के द्वारा संसद संविधान के किसी भी अंश में संशोधन कर सकती है । संशोधन करने के लिए यह कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि संविधान संशोधित किया जा रहा है ।

सी. एफ. स्ट्रांग के अनुसार "ब्रिटिश संविधान की विशिष्ट शक्ति उसकी पुरातनता में उतनी नहीं है जितनी कि उसकी नमनीयता में है ।"

ब्रिटिश संविधान की इस विशिष्टता के कारण ही किसी महान संकट के बिना परिवर्तन और हिंसा के बिना विकास संभव हो सका है और इससे ही यहाँ का संविधान समाज के स्थायित्व को अभिव्यक्त करने वाली रूढ़िवादी भावना को कुंठित किए बिना अपने को आज के समाज की गत्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकता है |

5. पैतृक तथा सीमित(Hereditary and Limited Monarchy) - इंग्लैण्ड में पैतृक तथा सीमित राजतन्त्र की स्थापना हो गई है । सन् 1642 के गृहयुद्ध से पूर्व इंग्लैण्ड के सम्राटों की शक्ति निरंकुश थी और वे सब क्षेत्रों में स्वेच्छाचारी आचरण करते थे । गौरवपूर्ण क्रान्ति (1688) के बाद सप्राट् की शक्तियाँ सीमित हो गईं । अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके ा करते हैं, सम्राट के पास तो व्यवहार में

तीन शक्तियाँ हैं - सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार|

6. धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं (Non-Secular Constitution) - ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष | संविधान नहींहै । यह ठीक है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है; किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमन्त्री तक बन सकता है, परन्तु साथ ही ब्रिटेन में यह भी आवश्यक है कि उसका राजा अथवा रानी प्रोटैस्टेण्ट ईसाई हो ।

7. संसदीय शासन-प्रणाली (Parliamentary System) - ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि वहाँ संसदीय सरकार है अर्थात् संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती रहती है जब तक संसद का उस पर विश्वास रहता है । संसद का विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र दे देना होता है । वास्तव में संसदात्मक प्रणाली का जन्म इंग्लैण्ड में ही हुआ है | मुनरो के कथनानुसार "ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है । अन्य देशों की व्यवस्थापिका सभाओं को चाहे किन्हीं नामों से पुकारा जाये, परन्तु उनका पैतृक उद्गम या कुल एक ही है ।" संसार के अनेक देशों ने ग्रेट ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली का अनुसरण किया है, जैसे-फ्रान्स, भारत, आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड आदि|

8. संसद की सर्वोच्चता (Supermacy of the Parliament) — इंग्लैण्ड में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है । इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है । ब्रिटेन की संसद की शक्तियाँ अपरिमित हैं 1 हुग के अनुसार "संसद् जो चाहे कर सकती है और मनुष्यकृत कानून द्वारा जो परिणाम प्राप्य है, उन्हें प्राप्त कर सकती है ।" डायसी का कथन है कि, "कानून की दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की' प्रमुख विशेषता संसद् की सर्वोच्चता है - संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता ।" संसद् जो भी कानून बना देती है, वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता|

9. मिश्रित संविधान (Mixed Constitution) - बिटिश संविधान वस्तुत: एक मिश्रित संविधान है | इसमें राजतन्ॢर कुलीनतन्त्र और प्रजातन्त्र के तत्व हैं | ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा अथवा रानी है और यह राजतन्त्र वंशानुगत है । सिद्धान्तत: शासन की समस्त शक्तियाँ आज भी सम्राट के हाथों में हैं । उसी के नाम पर शासन चलाया जाता है । यदि राजा राजतन्त्र का प्रतीक है तो लार्डसभा कुलीनतन्त् की यादगार | इस सदन के अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं । यह सभा आज भी ब्रिटिश समाज के कुलीन तथा धनादइय वर्गों का ही विशिष्ट प्रतिनिधित्व करती

है । किन्तु वास्तविक शक्ति न तो राजा के पास है और न ही लार्डसभा के पास | वह तो लोकसदन तथा उसके प्रति उत्तरदायी

मत्रिमण्डल के पास है । इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक श्रेष्ठ लोकतन्त्र की व्यवस्था करता है | आँग ने सत्य कहा है - "ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धान्तिक रूप से निरंकुश राजतन्त्र है, रूप से सीमाबद्ध वैधानिक राजतन्त्र है और स्तविक रूप में प्रजातात्रिक गणराज्य है ।"

10. विधि का शासन (Rule of Law) - विधि अथवा कानून के शासन से साधारणत: यह समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं । पर कानून के शासन का अंग्रेजी संविधान में विशिष्ट अर्थ है । डायसी ने कानून के शासन के विषय में तीन मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है - (i) प्रथम, व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दण्ड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं । (ii) द्वितीय, कानूनी समानता अथवा सभी वर्ग के लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानूंन के अधीन होना है; (केवल राजा को छोड़कर क्योंकि वह पदेन कोई अपराध नहीं कर सकता) | (iii) तृतीय, लोगों के अधिकार व उनकी

स्वतन्त्रता के रूप का निरूपण स्वयं उन न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है, जो कानून के शासन व संविधान के अभिन् न अंग बन गए हैं | किन्तु आजकल कानून के शासन का हास हो रहा है | प्रशासनिक कानून तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के फलस्वरूप कानून का शासन पूर्णत: मृत हो चुका है |

11. सिद्धान्त और व्यवहार में ऊन्तर (Gap between Theory and Practice) - प्रो, मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की यह अद्‌भुत विशेषता है - "कि यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है ।" ऑग व जिंक का कहना है - "सभी शासनों में सिद्धान्त और व्यवहार में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, परन्तु जिस प्रकार यह अन्तर ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का ताना-बाना बना हुआ है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है ।" ब्रिटिश संविधान के सिद्धान्त और व्यवहार का यह अन्तर किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों में दिखाई देगा । सिद्धान्त: ब्रिटेन में निरंकुश राजतन्त्र है । शासन का सम्पूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा की मोहर लगाने पर होता है; परन्तु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | बेजहॉट का यह कथन उपयुक्त है - "यदि संसद्‌क े दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास भेज दें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे ।" मुनरो ने ठीक ही लिखा है, "राजा निरंकुश शक्ति का केवल प्रतीक बना हुआ है, यद्यपि शक्ति का सार

उसे प्राप्त नहीं है ।" सिद्धान्त और व्यवहार में दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर संसद् और मन्त्रिमण्डल के परस्पर सम्बन्ध में दृष्टिगोचर होता है । सिद्धान्ततः ब्रिटिश संसद् सर्वोच्च है । डी लोम ने कहा है - "ब्रिटिश संसद् पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है ।" परन्तु व्यवहार में कॉमनसभा तो केवल आलोचना का मंच है, क्योंकि मन्त्रिमण्डल संसद् का उत्पादन है लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादनकर्त्ताओं को भी समाप्त कर सकता है । सैद्धान्तिक रूप से इंग्लैण्ड में एकात्मक शासन-प्रणाली है, जिससे ऐसा आभास होता है मानों इंग्लैण्ड में सम्पूर्ण शासन सत्ता का केन्द्रीयकरण हो, परन्तु व्यवहार में वहाँ शक्ति का पर्याप्त विकेन्द्रीकरण है । स्थानीय स्तर पर वहाँ पूर्ण स्वशासन है ।_ सिद्धान्त रूप से सर्वोच्च न्यायिक शक्ति लार्डसभा के पास है, जबकि व्यवहार में इस शक्ति का वास लार्डसभा की एक उपसमिति के पास ही रहा है | इंग्लैण्ड में राजतन्त्र है, यह बात अंग्रेजी संविधान की अवास्तविकता है, क्योंकि वहाँ वास्तव में लोकतन्त्र है | सैद्धांतिक रूप में वहाँ राजा का प्रभुत्व है, जबकि वास्तव में वहाँ जनता सम्प्रभु है | ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैण्ड की शासन-व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति संसद् में, कार्यकारी शक्ति मस्त्रिमण्डल में व न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है, किन्तु व्यवहार में वहाँ की शासन शक्ति पूर्णतः केन्द्रीभूत है । रैम्जे म्योर के अनुसार वहाँ व्यवस्थापक व कार्यपालक शक्तियों का मिश्रण है । हेवार्ट के अनुसार व्यवस्थापन के विस्तार के कारण न्यायपालक शक्ति भी मस्त्रिमण्डल में केन्द्रित होती जा रही है । सिद्धान्त और व्यवहार के इसी अन्तर के कारण मुनरनोे लिखा है - "किसी पदाधिकारी नाम से कोई और पदाधिकारी कार्य करता है; संविधान के अनुसार कार्य किसी तरह होना चाहिए, परन्तु कार्य किसी और तरह से होता है ।"

1.8 "ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की सन्तान है" [The British Constitution is the Child of Wisdom and Chance]

स्ट्रेची ने लिखा है कि "ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की सन्तान है ।" यह सिद्धान्त और आचरणों, का एक समूह है, जिसका यथार्थ महत्व व अर्थ प्राचीन इतिहास एवं उन विचित्र आवश्यकताओं व विशिष्टें परिस्थितियों की माँगों के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है ।"

जिस प्रकार भारत या अमेरिका के संविधानों का योजनाबद्ध निर्माण हुआ, उस भाँति ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ । ब्रिटेन में विधि, वित्त, न्याय-कार्य, चुनाव आदि अधिकांश संवैधानिक महत्व की संस्थाएँ नंवीन वस्तुओं की तरह न आविष्कृत की गईं - और न संगठित की गईं । उदाहरणार्थ ब्रिटेन की द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और

मन्त्रिमण्डल को लिया जा सकता है । ब्रिटेन में इन संस्थाओं का गठन सोच-विचार कर नहीं किया गया था । सन् 1295 में राजा के द्वारा तीन अलग-अलग वर्गों के प्रतिनिधियों के कर-प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया था । इस कार्य से त्रिसदनात्मक संसद् का विकास 'होने की सम्भावना अधिक थी, किन्तु संयोगवश द्रिसदनात्मक संसद् का विकास हुआ | सामन्त धर्माधिकारियों के न्यस्त स्वार्थ एक समान थे जिससे वे एक.हो गए । इसी भाँति शायर के 'नाइट' ST के प्रतिनिधि दोनों री निर्वाचित होते थे और इससे'बैए क-दूसरे से मिल गए.इस प्रकार कॉमनसभा और लार्ड्सभा का विकास हुआँ।

ब्रिटेन में मच्त्रिमण्डल पद्धति भी संयोग का ही परिणाम है । सन् 1714 में पदासीन हैनोवर वंश के सप्राटू जार्ज प्रथम और जार्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे | इसके फलस्वरूप राजा के स्थान मस्रिमणष्डल का ही कोई सदस्य मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करने लगा । इस संयोग ने ब्रिटिश मत्रिमण्डल को राजकीय प्रभाव से मुक्त कर दिया तथा प्रधानमनत्री पद का विकास हुआ | ब्रिटिश संविधान की कतिपय संस्थाएँ बुद्धिमत्तापूर्वक किए गए प्रयासों का परिणाम कही जा सकती हैं । सन् 1688 की महान् क्रान्ति ने राजा को संसद् के अधीन कर दिया । राजा की शक्ति को भविष्य में भी सीमित बनाए रखने के लिए संसद ने 1689 में एक 'अधिकार विधेयक' को पारित किया । सन् 1832, 1867, 1884 तथा अन्य सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार को व्यापक किया गया और इससे कॉमनसभा का लोकतस्रीकरण हुआ | सन् 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा लार्डसभा की शक्तियाँ सीमित हुईं और अब 'संसद्क ी सम्प्रभुता' से अभिप्राय “'लोकसदन की सम्प्रभुता' से हो गया | इस प्रकार ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है । इस संविधान में विवेक की अपेक्षा संयोग का तत्व अधिक है । मसन्त्रिमण्डलात्मक शासन-व्यवस्था “संयोग' पर आधारित है जबकि लोकतान्त्रीकरण 'विवेक' पर । इस संविधान का पथ-निर्देशन कभी आकस्मिक घटनाओं ने किया है तो कभी उसके विकास में सचेतना, परिकल्पना का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा है ।

1.11 स्व-प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1 कौन-सा संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है: _

(अ) 30 अमेरिकी संविधान, (ब) फ्रेंच संविधान,

(स) बिटिश संविधान, (द) स्विस संविधान ।

2. ब्रिटेन में मैग्नाकार्टा कब स्वीकृत हुआ: |

(अ) 30 1215 (ब) 1911

(स) 1949 (द) 1832

3. "ब्रिटिशि संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी।" यह कथन किसका है:

(अ) जैनिंग्ज, (ब) बेजहाँट,

(स) लास्की, (द) मुनरो ।

4 "इंग्लैण्ड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है ।" यह कथन किसका है;

(अ) लार्ड ब्राइस, (ब) जैनिंग्ज,

(स) TR, (द) डी टाकविले |

s, मिम्नांकित में से कौन-सा ब्रिटिश संविधान का प्रमुख स्रोत है:

(अ) न्यायिक निर्णय, (ब) अभिसमय,

(स)टीकाएँ, (द) सामान्य विधि ।

6. ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है:

(अ) निर्मित संविधान, (ब) लचीला संविधान,

(स) संसद की सर्वोच्चता, (द) मिश्रित संविधान ।

7. ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है:

(अ) बहुल कार्यपालिका, (ब) न्यायिक पुनर्निरीक्षण,

(स) विधि का शासन, (द) शक्तिशाली द्वितीय सदन |

8. वह संविधान जिसमें राजतंत्र कुलीनतंत्र और लोकतंत्र के लक्षण पाये जाते हैं:

(अ) अमेरिकी संविधान, (ब) स्विस संविधान,

(स) फ्रेंच संविधान, (द) संविधान |.

उत्तर - 1. (स), 2. (अ), 3. (द) 4. (ब), 5. (ब), 6. (अ), 7. (स),, 8. (द) ,

1.9 सार संक्षेप

ब्रिटिश संविधान का सार इसकी लचीलापन और समय के साथ बदलने की क्षमता है। यह विभिन्न स्रोतों पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं:

1. वैधानिक कानून)Statute Law): संसद द्वारा पारित कानून।

2. सामान्य कानून)Common Law): न्यायालयों द्वारा विकसित कानून।

3. परंपराएं और प्रथाएं)Conventions): ऐतिहासिक रूप से विकसित असल नियम।

4. महत्वपूर्ण दस्तावेज)Key Documents): जैसे Magna Carta (1215), Bill of Rights (1689)।

1.10 मुख्य शब्द

ब्रिटिश संविधान को लिखित रूप में नहीं रखा गया है; यह अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि यह विभिन्न स्रोतों, परंपराओं, कानूनों और दस्तावेज़ों का संग्रह है। इसकी शब्दावली और प्रावधान निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों पर आधारित हैं:

1. संसदीय संप्रभुता)Parliamentary Sovereignty)

ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि संसद सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण है और कोई भी कानून बना सकती है या समाप्त कर सकती है।

संसद के बनाए कानूनों को अदालत या कोई अन्य संस्था चुनौती नहीं दे सकती।

2. आम कानून)Common Law)

यह न्यायिक निर्णयों और परंपराओं पर आधारित है। न्यायालय के फैसले ब्रिटिश संविधान का हिस्सा हैं और प्रासंगिक मामलों में मार्गदर्शन देते हैं।

3. कानूनी कानून)Statute Law)

संसद द्वारा पारित अधिनियम और विधेयक। ये ब्रिटिश संविधान के लिखित भाग को बनाते हैं, जैसे:

Magna Carta (1215)

Bill of Rights (1689)

Act of Settlement (1701)

Parliament Acts (1911, 1949)

4. परंपराएँ (Conventions)

लिखित नहीं, लेकिन समय के साथ विकसित हुए व्यवहार और प्रथाएँ। उदाहरण:

प्रधानमंत्री का संसद के प्रति उत्तरदायी होना।

राजारानी का संसद द/्वारा बनाए कानून को अनुमोदित करना।

5. महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज(Key Legal Documents)

संविधान के ऐतिहासिक विकास को दर्शाने वाले दस्तावेज, जैसे:

Magna Carta (1215)

Petition of Right (1628)

Habeas Corpus Act (1679)

6. यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय समझौत

1973 से 2020 तक, यूरोपीय संघ के कानूनों का ब्रिटिश संविधान पर प्रभाव था। Brexit के बाद अब यह सीमित हो गया है।

7. शाही अधिकार (Royal Prerogatives)

कुछ ऐतिहासिक अधिकार और शक्तियाँ, जो अब ज्यादातर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के माध्यम से उपयोग की जाती हैं।

ब्रिटिश संविधान की शब्दावली जटिल और बहुस्तरीय है, जिसमें कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक पहलू सम्मिलित हैं। इसका प्रमुख स्वरूप लचीला और समयानुकूल है, जो इसे आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बनाता है।

1.11 संदर्भ सूची

- सिंह, आर. (2017). *ब्रिटिश शासन प्रणाली: एक अध्ययन.* नई दिल्ली: प्रकाशन हाउस।
- शर्मा, पी. (2018). *लोकतंत्र और शासन प्रणाली.* जयपुर: नेशनल पब्लिशिंग।
- गुप्ता, ए. (2019). *ब्रिटिश कार्यपालिका का विश्लेषण.* पटना: यूनिवर्सल प्रकाशन।
- चौधरी, एस. (2020). *संसदीय शासन की विशेषताएँ.* लखनऊ: अदिति पब्लिकेशन।
- वर्मा, के. (2023). *ब्रिटिश प्रधानमन्त्री: भूमिका और शक्तियाँ.* दिल्ली: स्टर्लिंग प्रकाशन।

1.12 अभ्यास प्रश्न

1. "ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए |
2. "ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, न कि रचना का ।" समीक्षा कीजिए |

3. “ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है ।” क्या यह कथन सही है ?

4. “ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की सन्तान है ।” इस कथन का विश्लेषण कीजिए|

5. “ब्रिटिश संविधान में कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए|

6. “ब्रिटिश संविधान सिद्धान्ततः निरंकुश राजतन््र, स्वरूप में सीमित राजतन्त्र और व्यवहार में लोकतन््रात्मक गणतत्र है ।” इस कथन की विवेचना कीजिए|

1 विधि का शासन ।

2. सामान्य विधि ।

3. मैग्नाकार्टा ।

इकाई - 2

ब्रिटिश कार्यपालिकाः सम्राट एवं राजमुकुट

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 ब्रिटिश कार्यपालिका : सम्राट एवं राजमुकुट

2.4 ब्रिटिश कार्यपालिका : सम्राट एवं राजमुकुट

2.5 सम्राट तथा राजमुकुट में अन्तर

2.6 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

2.7 सार संक्षेप

2.8 मुख्य शब्द

2.9 संदर्भ ग्रन्थ

2.10 अभ्यास प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका)Executive) का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली में सम्राट)Monarch) और राजमुकुट)Crown) का प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक महत्व है।

1. सम्राट)The Monarch)

ब्रिटेन में सम्राट देश का संवैधानिक प्रमुख)Constitutional Head) होता है। वर्तमान में सम्राट की भूमिका प्रतीकात्मक और औपचारिक है, क्योंकि कार्यकारी शक्ति का वास्तविक उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद)Cabinet) द्वारा किया जाता है। सम्राट की सत्ता परंपराओं, संवैधानिक परंपराओं, और संसद द्वारा नियंत्रित होती है। सम्राट की औपचारिक भूमिकाएँ: संसद को बुलाना और भंग करनासंसद का सत्र आरंभ और : समाप्त करने का अधिकार सम्राट के पास होता है, लेकिन यह प्रधानमंत्री की सलाह पर निर्भर करता है। विधेयकों को स्वीकृति देना)Royal Assent): संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने के लिए सम्राट की स्वीकृति आवश्यक होती है। हालांकि, यह केवल औपचारिकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्तिसामान्यतः :, सम्राट वही

व्यक्ति नियुक्त करता है, जिसे संसद का समर्थन प्राप्त हो। सशस्त्र बलों का नेतृत्व : सम्राट सशस्त्र बलों का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन उनकी कमान प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पास होती है। विदेशी संबंधसम्राट अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर : और राजनयिक प्रतिनिधियों को मान्यता देता है।

2. राजमुकुट)The Crown) राजमुकुट ब्रिटिश शासन और कार्यकारी शक्ति का प्रतीक है। "राजमुकुटशब्द का उपयोग सरकार की संस्थागत शक्तियों को संदर्भित करने के " लिए किया जाता है। यह सम्राट की व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, बल्कि उन संवैधानिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं। राजमुकुट सरकार की निरंतरता और स्थायित्व का प्रतीक है। राजमुकुट के अंतर्गत शक्तियाँ: शाही विशेषाधिकार)Royal Prerogatives): अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करना। युद्ध की घोषणा और शांति समझौते करना। न्यायपालिका और सिविल सेवाओं की नियुक्ति। सरकार की संप्रभुता का प्रतीक: सरकारी संपत्ति, कराधान, और राष्ट्रीय हित के मामलों में निर्णय।

3. राजमुकुट और कार्यपालिका का संबंध: सम्राट और राजमुकुट का अस्तित्व ब्रिटिश सरकार की निरंतरता

सुनिश्चित करता है। यद्यपि शक्ति का वास्तविक उपयोग निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद)

द्वारा किया जाता है, पर सम्राट और राजमुकुट का सांकेतिक महत्व आज भी बना हुआ है।

4. सम्राट और लोकतंत्र: ब्रिटिश प्रणाली में सम्राट केवल है "राष्ट्र का प्रतीक", और कार्यपालिका, विधायिका, तथा न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रतीकात्मक आधार प्रदान करता है।"The Queen reigns but does not rule" यह वाक्य ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में सम्राट की स्थिति को परिभाषित करता है।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. ब्रिटिश कार्यपालिका की संरचना और भूमिका को समझ सकेंगे।
2. ब्रिटिश सम्राट की संवैधानिक स्थिति और उनके अधिकारों का विश्लेषण कर सकेंगे।

3. "राजमुकुट" की अवधारणा और इसकी कानूनी और राजनीतिक भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।
4. सम्राट और प्रधानमंत्री के बीच के संबंधों का अध्ययन कर सकेंगे।
5. ब्रिटिश कार्यपालिका में सम्राट की औपचारिक और वास्तविक शक्तियों को पहचान सकेंगे।
6. राजमुकुट और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच की कड़ी को समझ सकेंगे।
7. ब्रिटिश कार्यपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन का मूल्यांकन कर सकेंगे।
8. आधुनिक समय में ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट की प्रासंगिकता और भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे।

2.3 ब्रिटिश कार्यपालिका : सम्राट एवं राजमुकुट

"लोकतत्र के विकास के साथ- साथ 'राजमुकुट' की शक्तियाँ भी विस्तृत हुई हैं ।" - ऑग और जिंक इंग्लैण्ड में आज भी सम्राट विद्यमान है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतन्त्र है । ब्रिटिश इतिहास में एक ऐसा भी समय रहा है जब सम्राट वास्तविक शासक होता था, उसकी शक्तियाँ सीमित तथा निरंकुश थीं | वह राज भी करता था और शासन भी | उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अन्तर नहीं था । राजा ही राजमुकुटट के समस्त अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था, किन्तु आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं और राजा तथा राजमुकुट में अन्तर माना जाने लगा है । आज का राजा वास्तविक शासक नहीं हैं, वह शासन का केवल संवैधानिक प्रधान है | वह राज करता है, पर शासन नहीं । सम्राट की स्थिति एवं उसके अधिकारों में यह परिवर्तन एकाएक नहीं हुआ वरन् इतिहास के लम्बे काल के दौरान हुआ | 1688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति द्वारा सप्राट का पद संसद के अधीन कर दिया गया एवं राजा तथा मुकुट में भेद किया जाने लगा | अतएव आधुनिक समय में राजा के दो स्वरूप हो गए हैं - प्रथम, राजा व्यक्ति के रूप में और द्वितीय राजा संस्था के रूप में । पहले को 'राजा' या "सम्राट' और दूसरे को 'राजमुकुट' कहते हैं। |

2.4 वैधानिक सत्य, राजनीतिक असत्य [Constitutional Truth, Political Untruth]

मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। वे मूलतः एक सिंधी परिवार से थे। उनके पिता कर्मचन्द बहुत पहले सिंध से पंजाब आए थे। मोहन

राकेश नई कहानी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण कथाकार थे। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अँग्रेज़ी में एम. ए. थे। जीविका हेतु अध्यापन से जुड़े। कुछ वर्षो तक 'सारिका' के संपादक भी किए। 'आषाढ़ का एक दिन','आधे अधूरे' और 'लहरों के राजहंस' के महत्वपूर्ण नाटकों के रचनाकार हैं। 'संगीत नाटक अकादमी' से सम्मानित हैं। उनकी डायरी हिंदी में इस विधा की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। सर्वप्रथम कहानी के क्षेत्र में सफल लेखन के बाद नाट्य-लेखन में ख्याति के नए स्तंभ स्थापित किए। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का युग मोहन राकेश युग है, ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने हिंदी में हो रहे नाट्य-लेखन को रंगमंच पर प्रतिष्ठित किया। मोहन राकेश के नाटक पहली बार हिंदी को अखिल भारतीय स्तर ही नहीं प्रदान किया वरन् उसके सदियों के अलग-थलग प्रवाह को विश्व नाटक की एक सामान्य धारा की ओर भी मोड़ दिया। इब्राहीम अलकाजी, ओम शिवपुरी, अरविन्द गौड़, श्यामानंद जालान, राम गोपाल बजाज और दिनेश ठाकुर जैसे प्रमुख भारतीय निर्देशकों ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया।3 दिसम्बर 1972 को नई दिल्ली में उनका आकस्मिक निधन हुआ।

प्रमुख कृतियाँ

उपन्यास:

अँधेरे बंद कमरे 1961, अंतराल 1972, न आने वाला कल 1968 ,काँपता हुआ दरिया/अपूर्ण।

नाटक:

आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन (अधूरा, कमलेश्वर ने पूरा किया), सिपाही की मां, प्यालियाँ टूटती हैं, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद, हंः।

एकांकी:

अण्डे के छिल्के, बहुत बड़ा सवाल

कहानी संग्रह:

क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ।

निबंध संग्रह: परिवेश

अनुवाद: मृच्छकटिक, शाकुंतलम।

यात्रा वृतांत: आख़िरी चट्टान तक उपन्यास

स्वप्रगति परीक्षण

1- 'आधे-अधुरे' नाटक कब प्रकासित हुआ।

2- 'आधे-अधुरे' नाटक के रचयिता कौन है।

2.5 सम्राट तथा राजमुकुट में अन्तर [Distinction between King and Crown)

ग्लैडस्टन के अनुसार "अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से उतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, जितना महत्वपूर्ण राजा और राजमुकुट का भेद है ।" यथार्थ में राजा वह व्यक्ति होता है, जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रतीक राजमुकुट होता है, जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है । प्राचीन काल में यह अन्तर नहीं था । पर उस समय इसका कोई वैधानिक महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय राजा व राजमुकुट में कोई अन्तर नहीं था | राजा राजमुकुट था तथा राजमुकुट राजा था और राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं करता था | पर राजतन््र के लोकतन््रीकरण के फलस्वरूप राजा व राजमुकुट के भेद का बड़ा महत्व हो गया है । उसको बिना समझे अंग्रेजी संविधान को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता | दोनों का अन्तर निम्न प्रकार है-

1. राजमुकुट एक संस्था है तथा राजा एक व्यक्ति है- राजा तथा राजमुकुट में एक महान् अन्तर यह है कि राजा एक क्ति है और राजमुकुट एक संस्था है । निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में अब सीमित या वैधानिक राजतत्र स्थापित कर या गया है । इससे अभिप्राय यह है कि पहले जो शक्तियाँ और विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप में प्राप्त थे, वे अब "राजमुकुट' (crown) नाम की संस्था को हस्तान्तरित कर दिये गये) ऑग के कथनानुसार, "आजकल क्राउन एक संस्था, एक कृत्य (an institution, an office, a function) बन गयाहै ।" उनके ही शब्दों में, "क्राउन वह संस्था है जिसको 7 शनै: प्राय: वे सभी परमाधिकार और शक्तियाँ हस्तान्तरित कर दी गई हैं जो कभी व्यक्तिगत रूप में राजा की हुआ करती थीं ।" क्राउन रूपी संस्था में राजा (रानी), मत्री एवं संसद तीनों सम्मिलित हैं ।

2. राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर - व्यक्ति होने के कारण राजा मरता है परन्तु राजमुकुट अमर है । ब्लेकस्टोन ने लिखा है - "हैनरी, एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं लेकिन सप्राट इन सबसे अधिक जीवित रहता है ।" इसका यह अभिप्राय है कि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर सकता है परन्तु उसका पद, जिसे 'राजमुकुट' कहा जाता है, अमर है । इसी तरह इंग्लैण्ड में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि "सम्राट मर गया, सम्राट

चिरंजीव हो ।"इसका भी यह अर्थ है कि यद्यपि सप्राट व्यक्ति के रूप में मर गया है परन्तु उसका राजमुकुट सदा अमर रहे ।

राजमुकुट	**राजा**
1. राजमुकुट एक संस्था है	1. राजा एक व्यक्ति है
2. राजमुकुट अमर है	2. राजा नश्वर है
3. राजमुकुट सावयव है	3. राजा राजमुकुट का अंग है
4. राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं |	4. राजा केवल रस्मी प्रधान है
5. राजमुकुट सामूहिक है	5. राजा वैयक्तिक है

3. राजा मूर्तिमान है, राजमुकुट अमूर्त - राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है, राजमुकुट एक अमूर्त विचार या अवधारणा है | वह हमें दिखाई नहीं देता | वह एक अदृश्य संज्ञा है | मेथियोट के शब्दों में यदि कहा जाए तो राजमुकुट "व्यक्ति रूपी राजा से सर्वथा भिन्न एक अमूर्त वैधिक इकाई है ।"

4. राजा राजमुकुट का अंग है - राजा राजमुकुट का अवयवभूत अंग है। इसके अतिरिक्त मच्त्रिपरिषद् तथा संसद् मिलकर राजमुकुट का निर्माण करते हैं । राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा सामान्य जनसाधारण के प्रतिनिधियों द्वारा रता है ।

5. राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं, राजा केवल *रस्मी' प्रधान है - चार्ल्स पैट्रिक का कहना है कि राजमुकुट ब्रिटिश संविधान की ऐसी चूल है जिसके ऊपर सम्पूर्ण संविधान टिका हुआ है । राजमुकुट की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं । इन शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप में नहीं करता । यदि वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं ही करने लगे, तो वह नाम मात्र के "रस्मी' प्रधान होने के स्थान पर एक अत्यन्त शक्तिशाली शासक हो जाएगा |

6. राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मन्त्री उत्तरदायी हैं - राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अपने मन्त्रियों के परामर्श पर करता है | इसका परिणाम यह होता है कि चाहे तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा मच्त्रियों के परामर्श पर करे, अथवा मन्त्री इन शक्तियों का प्रयोग राजा की ओर से करें, राजा उनके लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता |

7. सम्राट वैयक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक - सप्राट का रूप वैयक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक | राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है | अत: राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग

करने वाले इस समूह में राजा, संसद, मखिमण्डल व लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं । वेड एवं फिलिप्स ने लिखा है - " 'राजमुकुट' शब्द से शासन की सम्पूर्ण शक्ति के योग का बोध होता है और वह कार्यपालिका का पर्यायवाची है । राजमुकुट की कुछ शक्तियों के प्रयोग में राजा से व्यक्तिगत विवेक से काम लेने के लिए कहा जा सकता है ।"

2.6 राजमुकुट से अभिप्राय

राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीहकै जिसे राजा राजपद पर आरूढ़ होते समय अपने मस्तक पर धारण करता है । आजकल राजमुकुट ने वैधानिक महत्व ग्रहण कर लिया 2 1 ऑग तथा जिंक के अनुसार, "राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका-शक्ति है तथा इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद् और मन्त्रिगण सम्मिलित हैं ।" नेविल कर्क के मतानुसार, "वैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे शक्तियाँ हैं जो किसी- किसी काल में थीं; उसके नाम से ही उसका पालन होता है । वास्तव में हुआ यह है कि राजा कि शक्तियाँ व्यक्ति से निकलकर अब उसके कार्यालय में आ गई है जिसे *राजमुकुट या क्राउन' कहते हैं ।हरमन फाइनर, के अनुसार "क्राउन राजनीतिक शक्तियों के असली केन्द्रों केऊ पर एक अलंकृत उपाधि है ।" प्रो. मुनरो ने क्राउन को "एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति कहा है जो न तो कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता ही है ।" संक्षेप में राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है जिससे अभिप्राय है राजा, मन्त्री तथा संसद् का सम्मिश्रण | यह वह संस्था है जिसको सम्राट की समस्त शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार धीरे-धीरे हस्तान्तरित हो गए हैं । सिडनी लो ने क्राउन को एक "सुविधाजनक कामचलाऊ उपकल्पना" (a convenient working hypothesis) कहा है | वेड और फिलिप्स के शब्दों में "क्राउन शब्द से शासन की शक्तियों के कुल योग का बोध होता है और यह कार्यपालिका का पर्यायवाची है ।"

राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत (Sources) -

राजमुकुट की शक्तियों के दो स्रोत हैं -

(1) परमाधिकार या विशेषाधिकार - क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत उसके परमाधिकार है । प्रारम्भ में राजा निरंकुश शासक होता था । वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छानुसार करता था, परन्तु धीरे-धीरे संसद ने इनमें से बहुत से अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया । कुछ अधिकार उपयोग में न आने से अपने आप समाप्त हो गए | अब जो बच रहे हैं, वे ही क्राउन के विशेषाधिकार हैं । डायसी के

अनुसार, “विशेषाधिकार विवेक या निरंकुश शक्ति के वे अवशेष अधिकार हैं जो किसी समय क्राउन के पास वैधानिक रूप में बचे रहते हैं ।” ऑग और जिंक के शब्दों में “विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, अपितु चिरभोगाधिकार द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रथाओं तथा न्यायिक निर्णयों द्वारा पुष्टिकृत किए जाते हैं और उस समय भी विद्यमान रहते हैं जब संसद् इतनी शक्ति प्राप्त कर लेती है कि वह उन्हें अपनी इच्छानुसार समाप्त या संशोधित कर सकती है ।”

क्राउन के प्रमुख विशेषाधिकारों के उदाहरण इस प्रकार हैं - (i) संसद्क ो आमंत्रित, स्थगित तथा भंग करना; (ii) म्त्रियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना; (iii) नये पीयर बनाना; (iv) युद्ध की घोषणा करना अथवा संधि करना; (v) अपराधियों को क्षमा प्रदान करना; (vi) निगमों को स्थापित करना आदि |

2. संविधि - सप्राट् की शक्तियों का दूसरा स्रोत वे कानून हैं, जिनके द्वारा समय-समय पर संसद् ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा की है, उनमें कटौती की है अथवा उन्हें सीमित या व्यापक बनाया है । इस स्रोत से क्राउन को मिली कुछ शक्तियाँ इस प्रकार हैं विभिन् न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार; स्थानीय अधिकारियों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार, आदि । प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप इस स्रोत की महत्ता और भी बढ़ गई है |

राजमुकुट की शक्तियाँ (Powers)—

राजमुकुट की वर्तमान शक्तियों को चार भागों में बाँटा जा सकता है –

A राजमुकुट की कार्यकारिणी शक्तियाँ - क्राउन इंग्लैण्ड की सर्वोच्च कार्यपालिका है । वह राज्याध्यक्ष है | देश का समस्त शासन उसी के नाम पर चलता है | उसके कार्यपालिका संबंधी अधिकार निम्नलिखित हैं:-

1. वह समस्त राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है ।

2 वह प्रधानमन््री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य की नियुक्ति करता है।

3. वह अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है |

4. वह न्यायाधीशों को छोड़ अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा सकता है ।

5. वह सेना का प्रधान माना जाता है । वह जल, थल तथा नभ सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करता है ।

6. वह शासन पर नियम्ंरण रखता है । देश का समस्त शासन उसी के नाम पर संचालित किया जाता है ।

7. इंग्लैण्ड के विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है ।

8. वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत आदि नियुक्त करता है ।

9. वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय-पत्रों को ग्रहण करता है |

10. 98 उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है |

11. . वह उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है ।

12, वह इंग्लैण्ड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण तथा उसका संचालन करताहै | देश का आय-व्यय भी उसी की ओरस े प्रस्तुत किया जात हैं।

13.वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखेख तथा नियंत्रण करता है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रशासन के क्षेत्र में क्राउन की शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक हैं।

आँग ने राजमुकुट की सामूहिक शक्ति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों से है और कहा है कि "ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासन की व्यापक शाखाओं व प्रशाखाओं का संचालन करता है, ब्रिटेन में राजमुकुकटे नाम से प्रसिद्ध सामूहिक शक्ति अपनी देखभाल व अपने नियन्त्रण में राष्ट्रीय कानूनों को लागू करती है, राष्ट्रीय करों को वसूल करती है और राष्ट्रीय व्यय का प्रबन्ध तथा अन्य अनेक ऐसे कार्य करती है, जिनका करना देश के शासन-कार्य के संचालन के लिए आवश्यक है ।"

B. राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ - राजमुकुट को व्यवस्थापन सम्बन्धी अनेक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं । वस्तुत: ये शक्तियाँ राजमुकुट व संसद् की सम्मिलित हैं । वैधानिक दृष्टि से इंग्लैण्ड में कानूनों का निर्माण राजा संसद करता है | राजमुकट संसद्क ो बुला सकता है और भंग भी कर सकता है | वह नए पीर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है । संसद् द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक है । सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है । राजमुकुट अध्यादेश निकाल सकता है । वह उपनिवेश के सम्बन्ध में घोषणाएँ करता है । राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक नियम तथा उपनियम बनाता है ।

3. राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ - राजमुकुट न्याय का स्रोत है | सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए गए हैं । सारा न्याय-कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है 1 राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है । राजमुकुट प्रिवी कौन्सिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों तथा कुछ डोमिनियमनों से आने वाली अपीलों को सुनता है | राजमुकुट क्षमा और दण्ड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है ।

4. राजमुकुट की धार्मिक शक्तियाँ - एंग्लिकन तथा प्रेसबिटेरियन चर्च राज्य के अवयव रूप में हैं । उनका नियन्त्रण राजमुकुट तथा संसद् द्वारा होता है | इंग्लैण्ड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह केण्टरबरी तथा यार्क आर्चबिशपों मिशनों तथा अन्य चर्चों के पदाधिकारियों को नियुक्त करता है । राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्यवाहियाँ होती हैं । सप्राट् चर्च के अन्तर्गत अनुशासन सम्बन्धी विषयों का सर्वोच्च अधिकारी है । धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी राजमुकुट की प्रिवी कौन्सिल के सम्मुख आती हैं ।

5. उपाधि सम्बन्धी शक्तियाँ - क्राउन को सम्मान का स्रोत (Fountain of Honour) माना जाता है | वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियाँ प्रदान करता है । ये उपाधियाँ वर्ष में दो बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती हैं ।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्राउन की शक्तियाँ एवं कार्य अत्यधिक विस्तृत हैं । प्राचीनकाल में ये समस्त कार्य सम्राट (८५०४) स्वयं करता था, किन्तु अब इनको 'राजमुकुट' (Crown) करता है | आज क्राउन की शक्तियों का प्रयोग मच्त्रियों तथा प्रिवी कौन्सिल द्वारा किया जाता है ।

2.7 राजमुकुट की शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग होता है?

राजमुकुट की शक्तियों & विवेचन से यह प्रतीत होता है कि मानों इंग्लैण्ड में आज भी

अधिकनायकत्व हो, किन्तु व्यवहार में स्थिति भिन्न है । राजमुकुट की जितनी भी शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग राजा नहीं करता है अपितु संसद् और मच्त्रिमण्डल ही करता है) इन सब शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम से, संसद् को विश्वास में लेकर, मस्त्रिमण्डल करता है | इस प्रकार व्यवहार में राजा, मत्री और संसद् तीनों मिलकर राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं । अत: यह कहना सर्वथा उचित है कि “यदि

राजा की शक्ति कम हुई तो राजमुकुट की शक्ति बढ़ी है ।”

2.8 शासन में राजा या रानी की वास्तविक स्थिति [Actual position of फिट King or Queen in the Government]

वह व्यक्ति जो ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस के स्वामी & रूप में रहता है और जिसके नाम से इंगलैण्ड में सारा शासन चलता है - वहाँ का राजा या रानी है । वह व्यक्ति है जो कभी भी मर सकता है । शासन तो केवल उसके नाम से होता है, वह स्वयं तो कुछ नहीं करता । वह राजमुकुट (क्राउन) से भिन्न है । राजा अथवा रानी ब्रिटेन के केवल नाममात्र के शासक हैं । उनके नाम से शासन चलता अवश्य है, परन्तु उनकी वास्तविक शक्तियां कुछ भी नहीं हैं । राजा अथवा रानी तो केवल स्वर्णिम शून्य है, मत्निपरिषद् की प्रत्येक सलाह मानने के लिए विवश | फाइनर के शब्दों में, "वह विशाल गगनचुम्बी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अन्दर राजनीतिक शक्ति का शुन्य है ।" राजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है.-

1. सप्राट कोई गलती नहीं कर सकता (The King cannot wrong) —

इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता । इस सूत्र के कई अर्थ निकलते हैं -

(i) राजा को उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं - राजा कोई गलती नहीं करता, इसका कारण यह है कि राजा को कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि वह कोई अपराध भी कर देता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है | वह न्यायालयों के क्षेत्र से उन्मुक्त है । उसे कानून से ऊपर माना गया है ।

(४) व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता - राजा कोई गलती नहीं करता क्योंकि व्यवहार में वह कोई कार्य नहीं करता | जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता वह गलती कर ही नहीं सकता | ब्रिटिश शासन प्रणाली में राजा ध्वज मात्र देश का प्रधान है | राजा से त्रुटि होने की आशंका नहीं है, इसी कारण एक बार चार्ल्स द्वितीय के शयनकक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिख दी थीं-__ "यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई; कभी कमअक्ली की बात नहीं करते हैं, और न करते हैं बुद्धि की बात कोई ।" इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने स्पष्ट स्वीकार किया - "यह नितान्त सत्य है क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती हैं, उसके कार्य उसके मच्नरियों के होते हैं ।"

(४) राजा के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति उत्तरदायी रहता है। - राजा के समस्त कार्यों के लिए कोई-न-कोई मनत्री अवश्य उत्तरदायी रहते हैं । लार्ड इशर के अनुसार,

“सप्राट के बहुत से परमाधिकार हैं, परन्तु जब इनको कार्यरूप में परिणत किया जाता है, तो केवल संसद् के प्रति उत्तरदायी T की सलाह पर उनका प्रयोग हो सकता है ।”

(४) राजा दूसरों को भी गलत काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता - सम्राट किसी भी व्यक्ति को गलती करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता | कोई भी अधिकारी अपने द्वारा किए गए किसी अवैध कृत्य के लिए सम्राट के आदेश की शरण नहीं ले सकता है । 'अर्ल ऑफ डेनबी' वाद में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया । एक पत्र लिखने के अपराध में डेनबी पर अभियोग लगाया गया तो उसने अपने बचाव में यह तर्क पेश किया कि उक्त पत्र सप्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अत: वह दोषी नहीं है । संसद् ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि अपने कार्यों के लिए o= ही उत्तरदायी है ।अर्थात मुकुट के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई व्यक्ति विधि की दृष्टि से उत्तरदायी है । मंत्रियों का उत्तरदायित्व इन तथ्यों से प्रकट होता है कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, न्यायालय किसी भी कार्य को मुकुट के द्वारा किये गये कार्य के रूप में मान्य नहीं करेगा और किसी भी कार्य को मुद्रांकित

करने वाला 7 € उसके लिए जवाबदार होता है ।

(v) राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है - इंग्लैण्ड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना जाता है | ऐसी स्थिति में यदि वह गलती कर भी ले तो उसे गलती नहीं माना जाता | राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है |

2. सम्राट स्वर्णिम b है (King 25 a magnificient Cipher) -

इंग्लैण्ड का राजा अब अपने देश की वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं लेता है । वह अब वैधानिक शासक अथवा राज्य का नाम मात्र का प्रधान रह गया है । वह राज्य का प्रतीक है | समस्त कार्य मत्त्रिमण्डल करता है । मत्ृरिमण्डल की इच्छा के बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता | राजा रबड़ की मोहर के समान है अथवा एक हस्ताक्षर करने वाली मशीन है । एक बार महारानी विक्टोरिया ने अपने प्रधानमन्त्री से पूछा - “यदि आपकी संसद यह निर्णय कर ले कि महारानी को फाँसी पर लटका दिया जाए तो क्या मुझे इस निर्णय पर भी हस्ताक्षर करने होंगे ? ” प्रधानमन्त्री का उत्तर था - “हाँ, महारानी | ” सप्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर लिखता है - “यह विशाल, गगनचुम्बी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अन्दर राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है ।” संक्षेप में व्यक्तिगत स्थिति में आज सम्राट नगण्य है, उसकी सिर्फ सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक महत्ता रह गई है ।

3. सम्राट राज करता है, शासन नहीं (King does not rule but govern) -

सम्राट राज करता है, शासन नहीं | इससे तात्पर्य है कि सप्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियन्त्रण का उपयोग नहीं करता | प्रशासन सम्बन्धी समस्त कार्य मन्त्रिमण्डल करता है क्योंकि वह संसद् के प्रति उत्तरदायी है | सप्राट राज्य का प्रधान मात्रह ै, वह कुछ औण्चारिक कार्य करता है । वह गरिमा और प्रतिष्ठा के, शानशौकत और वैभव के कार्य करता है । वह विभिन् न राष्ट्रीय औरअन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का गरिमामय उद्घाटन करता है | उसके राजप्रासाद में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी__ रहती है उसकी इसी गरिमा, इसी शान, इसी वैभव के कारण कहा जाता है - "इंग्लैण्ड में राजा राज करता है, परन्तु इसके आगे और कुछ नहीं, क्योंकि वह शासन नहीं करता | शासन तो मंत्रिपरिषद करती है ।"

s, सप्राट के विशेषाधिकार (Prerogatives) - शासन सम्बन्धी कार्य करने की स्वतंत्रता राजा को नहीं है, फिर भी अपने विशेषाधिकार के क्षेत्र में अपने विवेक द्वारा वह कुछ भी कर सकता है । राजा को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं -

(i) प्रधानमन्त्री व मन्त्रिमण्डल के चयन का विशेषाधिकार - प्रधानमन््री के चयन के सम्बन्ध में साधारणतया राजा विवेक से काम नहीं कर सकता | इस प्रथा के कारण कि प्रधानमत्री लोकसदन में बहुमत दल का नेता होगा, राजा का विशेषाधिकार नगण्य हो जाता है । फिर भी जब किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो, कोई सर्वमान्य नेता न हो, कई लोग प्रधानमन्त्री पद के प्रत्याशी हों तो राजा को स्वविवेक से काम करने का मौका मिल जाता है । जैसे 1804 में विक्टोरिया ने रोजबरी को प्रधानमस्री बनाया था ।उस समय इस पद के अनेक प्रत्याशी थे । सन् 1931 में आर्थर हण्डरसन के लोकसदन में बहुमत दल का नेता चुने जाने पर भी राजा ने मैकडोनल्ड को संयुक्त सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया था | लास्की ने इसे 'राजमहल की क्रान्ति' कहकर पुकारा था |

(४) लार्ड बनाने का विशेषाधिकार - यदि लार्डसभा लोकसदन द्वारा पारित विधेयक का विरोध करे तो प्रधानमत्री राजा से नवीन लार्ड नियुक्त करने को कह सकताहै | पर यदि वह ऐसा न करना चाहे तो प्रधानमन्त्री सेय ह कह सकता है कि विधेयक को मुद्दा बनाकर पुन; आम चुनाव करवाए जाएँ । सन् 1910 में जार्ज पंचम ने ऐसा ही किया था । सन् 1911 तथा 1949 के संसदीय कानून के पारित हो जाने

के कारण अब यह विशेषाधिकार महत्वपूर्ण नहीं रहा है ।

(४) लोकसदन के विघटन का विशेषाधिकार - यदि प्रधानमन्त्री राजा से लोकसदन को भंग करने की प्रार्थना करे तो राजा प्रधानमन्त्री की प्रार्थना पर कम-से-कम एक बार तो लोकसदन को भंग कर ही देता है । यह एक परम्परा है, किन्तु यदि अनुचित कारणों से प्रधानमत्री लोकसदन के विघटन का सुझाव दे तो राजा स्वविवेक का प्रयोग कर सकता

है | ARG के अनुसार, संवैधानिक प्रथा होने के कारण राजा को अपने सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग अपने मन्त्रियों के परामर्श से ही करना होगा ।

(v) विधेयक को वीटों करने का विशेषाधिकार - किसी विधेयक को पारित करने के बाद संसद् उसे राजा की सम्मति के लिए भेजती है । उस विधेयक पर स्वीकृति देना या न देना राजा का विशेषाधिकार ______माना जाता है, किन्तु ऐसी परम्परा पड़ गई है कि राजा वीटो नहीं करता | इस विशेषाधिकार का प्रयोग इंग्लैण्ड के संवैधानिक इतिहास में अंतिम बार सन् 1707 ई. में किया गया था, जब रानी W ने स्काटलैण्ड में क्षेत्रीय सेना स्थापित करने के उद्देश्य से रखे गए विधेयक को अस्वीकृत कर दिया था ।

इस प्रकार सन् 1707 से अब तक राजा ने कभी भी इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया । इस प्रकार सप्राट के विशेषाधिकार सैद्धान्तिक हैं । वास्तविक रूप में सभी विशेषाधिकारों से सम्बन्धित शक्ति का प्रयोग मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है ।

5. सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है (The King can influence) -

यह सच है कि राजा एक संवैधानिक प्रमुख है । वह राज करता है, पर शासन नहीं करता । जेनिंग्ज के शब्दों में "राजमुकुट क्षमता नहीं, महत्ता जोड़ देता है ।" फिर भी वह अस्थित्वविहीन नहीहै । राजा ने शक्तियाँ खो दी हैं किन्तु प्रभाव नहीं खोया है | ग्लैडस्टन के विचारानुसार, "सत्रहवीं शताब्दी में राज्य की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके द्वारा शक्ति के स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्थापना हुई है ।"

बेजहॉट ने भी लिखा है, "संवैधानिक राजतस्ृर में सम्राट के तीन अधिकार हैं - (1) परामर्श देने का अधिकार (Right to ७८ consulted); (2) प्रोत्साहित करने का अधिकार (Right to be encouraged); तथा (3) चेतावनी देने का-अधिकार (Right to ७८ warned); और एक समझदार राजा को इसके अतिरिक्त और किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है ।" (43) परामर्श देने का अधिकार - इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि At समय-समय पर राजा से सलाह लेते रहें | प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व राजा के विचारार्थ रखा जाए | इस अधिकार का उद्देश्य राजा को शासन संबंधी बातों से अवगत करना है |

(6) प्रोत्साहन प्रदान करने का अधिकार - इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि यदि मन्त्र अच्छा कार्य करे, तो राजा उन्हें शाबासी दे सके । यदि राजा शासन की किसी नीति को देश के लिए हितकर समझता है तो वह मंत्रियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करता है ।

(7) चेतावनी देने का अधिकार - इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद् के जो निर्णय राजा के सामने विचार के लिए रखे गए हैं, यदि उसकी राय में वे देश के लिए अहितकर € तो वह मंत्रियों को चेतावनी दे सके । वह मंत्रियों के सामाने प्रस्तावित नीति के सम्भावित दुष्परिणामों को रखता है और अपने सुझाव भी देता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह मंत्रियों का विरोध करता है अथवा कर सकता है | मंत्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे राजा की चेतावनी तथा मन्त्रणा को मानें अथवा न मानें । बेजहॉट के मतानुसार राजा मंत्रियों से कुछ इस प्रकार कहेगा, "मैं विरोध नहीं करता हूँ। विरोध करना मेरा कर्त्तव्य भी नहीं है, किन्तु देखिए मैं आपको चेतावनी दिए देता हूँ ।" इन अधिकारों के द्वारा राजा शासन का आलोचनात्मक परामर्शदाता तथा मित्र बन जाता है । ये अधिकार राजा को शासन पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं |

वस्तुस्थिति यह है कि राजा किसी प्रकार समय पड़ने पर मन्त्रिमण्डल की नीतियों व उसके कार्यों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है । रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम तथा जार्ज पंचम ने अपने व्यक्तित्व के कारण राजकार्य को कई बार प्रभावित किया | महारानी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया के राजपदों के प्रभाव में जो आकाश पाताल का अन्तर है, उसका कारण दोनों के व्यक्तित्व में अन्तर ही है | वर्तमान महारानी राजनीति के प्रति उदासीन है, परन्तु महारानी विक्टोरिया मंत्रियों की नियुक्ति तक में दखल रखती थीं | जार्ज पंचम ने ही 1931 में एक अल्पमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया था । बेजहाँट के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक राजा अपने जीवन के अन्तिम काल में यह सोचकर शांतिपूर्वक सो सकता है कि उसका प्रत्येक अच्छा परामर्श माना गया है, उसके द्वारा दिये गये प्रोत्साहन के सद्भाव निकले हैं तथा उनकी चेतावनियों पर ध्यान दिया गया है । जेनिंग्ज ने लिखा है - "क्राउन का प्रभाव उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उसे धारण करता है । क्राउन शोभा अधिक बढ़ाता है, उससे योग्यता नहीं बढ़ती है ।" इस सम्बन्ध में जार्ज षष्ठ की डायरी का (23 अगस्त, 1945) वृतान्त महत्वपूर्ण है - "मैंने उनसे (प्रधानमत्री ऐटली) पूछा कि विदेश सचिव कौन होगा? उन्होंने उत्तर

दिया - "ह्यू डाल्टन ।" मैंने अस्वीकार किया और कहा कि मेरी राय में बेविन को होना चाहिए, । उन्होंने (ऐटली) उत्तर दिया कि "वैसा ही होगा ।"

2.9 इंग्लैण्ड में राजपद का औचित्य या उपयोगिताएँ [Justification or Utilities of Monarchy]

संसार के विभिन् न देशों में जहाँ राजतन्त्र समाप्त हो चुका है, वहीं ब्रिटेनवासी ऊँचे स्वर में "सम्राट चिरंजीवी हो" के नारे लगाते हैं । राजतन्त्र की लोकप्रियता के सम्बन्ध में चर्चिल लिखते हैं, "हम सभी लोगों के हृदय में राजतन्त्र गहरा बैठा हुआ है और यह हम सभी को अत्यन्त प्रिय है ।" ब्रिटेन में राजपद के औचित्य के प्रमुख कारण हैं -

1. इंग्लैण्ड में राजतन्त्र लोकतन्त्र का समर्थक बन गया है - लास्की के शब्दों में, "राजतत्र को लोकतन्त्र के हाथों उसके प्रतीक के रूप में बेच दिया गया है और इस विक्रय के उपलक्ष्य में इतनी जोर की हर्षध्वनि हुई है कि दो-एक आवाजें भी सुनाई नहीं दीं ।" इंग्लैण्ड से निरंकुश राजतन्त्र का रूपान्तरण संवैधानिक राजतन्त्र में हुआ है | राजा ने इस रूपान्तरण का कभी विरोध नहीं किया, वरन् उसने उसे कार्य रूप देने में सहायता ही दी । इंग्लैण्ड के अधिकांश राजा इतने चतुर रहे कि उन्होंने हवा के रुख को

पहचाना और यह जान लिया कि लोकतन्त्र की शक्ति का विरोध सम्भव व श्रेयकर नहीं होगा । लार्ड ऐटली का मत था कि इंग्लैण्ड को इस प्रकार के सम्राट पाने का सौभाग्य है जो यह जानते हैं कि

लोकतन्त्रीय समाज में किस प्रकार कार्य करना चाहिए ।

2. राजा की राजनैतिक निष्पक्षता - इंग्लैण्ड में राजा किसी राजनैतिक दल का साथी नहीं है । विविध दल जब शक्ति प्राप्त करके सरकार बनाते हैं तो वह उनका समान रूप से स्वागत करता है । अन्तत: सब राजनैतिक दल उसका समान रूप से आदर करते हैं | जेनिंग्ज ने कहा है, "संविधान यह मानकर चलता है कि यदि राजा निष्पक्ष न भी हो तो भी उसे कम-से-कम व्यवहार तो ऐसा करना ही होगा, मानो वह निष्पक्ष है; यदि उसे किसी दल का निश्चित समर्थक होना है तो संविधान में राजाओं के विकल्प के लिए उसे उसी प्रकार व्यवस्था करनी होगी, जिस प्रकार उसमें सरकोरों के विकल्प की व्यवस्था

3. अंग्रेज जाति राजतत्र के पक्ष में है - एक लेखक के अनुसार, "जेम्स.प्रथम के राज्यकाल के बाद ब्रिटिश राजतनत्र कभी सुरक्षित नहीं था जितना कि आज है और न तो इतिहास में आज के जैसा उसे कभी सम्मान ही प्राप्त हुआ था ।" राजपद के सतत् अस्तित्व का कारण ब्रिटिश जनता की रूढ़िवादिता है । इंग्लैण्ड के लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी हैं । वे अपनी प्राचीन संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं तथा उनमें किसी प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन पसंद नहीं करते । वे अपनी सामाजिक एवं राजनैतिक

संस्थाओं में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल सुधार या संशोधन कर लेते हैं, किन्तु उन्हें समाप्त नहीं करते । इसका कारण उनका प्राचीन संस्थाओं के प्रति मोह है । इंग्लैण्ड में राजपद एक ऐतिहासिक विरासत है। यह संस्था वहाँ लगभग 1175 वर्षों से

चली आ रही है । लोगों के मन में राजतन्ृर के प्रति सदियों से कोमल भावनाएँ हैं । अतएव उसे समाप्त करने का वे सोच भी नहीं सकते | आज भी यह हाल है कि सम्राट की अस्वस्थता की खबर मिलते ही ब्रिटिश नागरिक बहुत बड़ी संख्या में राज महल के बाहर एकत्रित हो जाते हैं और उत्सुकता तथा बेचैनी के साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी समाचार पाने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं । संक्षेप में, राजा बिटिश जनता का हृदय सम्राट है, उसके प्रति उसकी अगाध आस्था असीमित प्यार है ।

'4. राजतन्त्र के पक्ष में जनमत का परिवर्तन - वर्तमान में जनमत राजतत्र के पक्ष में है । इसका एक कारण तो सम्राटों को व्यक्तित्व है | महारानी विक्टोरिया का शासनकाल सुदीर्घ और एकनिष्ठ था |

सन् 1870 के बाद देश उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानने लगा था और उन पर गर्व करने लगा था |

एडवर्ड सप्तम ने अपनी हँसमुख प्रकृति के कारण राजतन्त्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत योग दिया | वर्तमान साप्राज्ञी एलिजाबेथ की सुन्दरता एवम् उनके सद् गुणों ने ब्रिटिश जनमत को मोह लिया है । जेंक्स ने लिखा है कि "जनता के अधिकांश समूह की रुचि सम्रामटें होती है । इसका सबसे बड़ा प्रमाण वह भीड़ है जो जब कभी सम्राट के दर्शन पा सकने का अवसर मिलता है, एकत्रित हो जाती है ।" प्रिस्स ऑफ | वेल्स को एक भ्रमण में इतना हाथ मिलाना पड़ा कि उनका दाहिना हाथ सूज गया और बायाँ हाथ प्रयोग में लेना पड़ा ।

5. निष्पक्ष तथा निर्दलीय निर्णायक - राजपद दलबंदी से दूर रहता है तथा निर्दलीय निर्णायक के रूप में कार्य करता है। वह एक पंच (Umpire) हैं जिसका काम यह देखना है कि राजनीति का महान खेल नियमानुसार खेला जाए | मुनरो के अनुसार, "वह सारे साम्राज्य में एक व्यक्ति हैज ो दलबन्दी के झगड़ों से अलग रहता है । वह एक प्रकार से निर्णयकर्ता है जो यह देखता है कि राजनीति का खेल नियमों के अनुसार खेला जाए ।" बेजहॉट के अनुसार सम्राट अपने मन्त्रियों को सलाह, चेतावनी तथा प्रोत्साहन दे सकता है। वह एक साधारण परामर्शदाता के रूप में नहीं अपितु एक आलोचनात्मक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है ।

6. मंत्रिपरिषद् का स्थायी परामर्शदाता - वह अपने अनुभव तथा राजनीतिक ज्ञान के बल पर मंत्रिपरिषद् का मार्गदर्शन करता है । उसे "अत्यन्त प्रभावशली पैतृक परिषद" (Highly influential hereditary councillor) की संज्ञा प्रदान की गई है, वह मन्त्रिपरिषद् का "मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक' होता है । उसे "स्थायी मंत्री' माना जा सकता है । पील के शब्दों में, "दस वर्ष तक राज्य करने के पश्चात्_ राजा शासन यंत्र के

संचालन के विषय में देश के किसी भी o व्यक्ति सेअ धिक जानकारी रखता है ।" अपेक्षाकृत दीर्घकाल तक राजसिंहासन पर बैठने वाला राजा शासन कार्यों के संबंध में अपने मत्रियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत अनुभव तथा गहरा ज्ञान रखता है ।

7. संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता है - ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गई है । संसदीय शासन-प्रणाली के लिए एक संवैधानिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है । राजा उस आवश्यकता की पूर्ति करता है । ब्रिटेन में वह वर्षों से वैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है ।

वह राज करता है, शासन नहीं करता है | वास्तविक शक्तियाँ मत्रिमण्डल के पास हैं | राजा तो शासन का प्रतीक है ।

8. राजा उपयोगी है - व्यक्तिगत रूप से सप्राट् कुछ ऐसे कार्यों का सम्पादन करता है जिन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता । वह स्वयं विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, संसद के उद्‌घाटन के समय " सिंझसन-भाषण पढ़ता है । लार्ड चान्सलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आदि की नियुक्ति करता है । जब एक प्रधानमत्री अपना त्यागपत्र देता है, तो विरोधी दल के नेता के प्रधानमन्त्री बनने तक सारी कार्यपालिका-शक्ति अस्थायी रूप से सप्राट के हाथ में आ जाती है। एक बुद्धिमान सम्राटू आपस में लड़ने वाले विभिन् न दलीय नेताओं में समझौता करवा सकता है । कई बार सम्राट का प्रभाव निर्णायक

होता है । उदहारणस्वरूप, महारानी विक्टोरिया ने 1840 ई. में इंग्लैण्ड तथा फ्रांस में युद्ध होने से बचा लिया । सन् 1884 ई. में राजा ने अनुदार लार्डसभा और उदार लोकसदन में समझौता कराया ।

9. राजा राष्ट्र की आत्मा, उसकी एकता का प्रतीक है - राजा देश की एकता, सुद्दढ़ता औरसुरक्षा का प्रतीक माना जाता है | वह राष्ट्र की आत्मा की मुर्तिमान स्वरूप है | राजपद जनता को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्रदान करता है । राजा की छत्रछाया में रहकर ब्रिटिश नागरिक निश्चन्त हो जाते हैं । जैसा कि कहा गया है, "राजा के बकिंघम महल में रहते लोग अपने घरों में सुख की नींद सोते हैं ।" (With the King in Buckingham palace, people sleep more quietly in their beds).

10. आर्थिक औचित्य - बार्कर ने कहा है कि "राजतन्त्र पर व्यय राजनीतिक भावना तथा विचार के रूप में लौट आता है, जो समाज को द्दढ़ बनाते हैं । दि सिविल लिस्ट 1991-2000 के अनुसार साम्राज्ञी को £ 7,9000,000 वार्षिक प्रदान किया जाता है 1 1993 से साप्राज्ञी अपनी निजी आय पर आयकर देती है । इस प्रकार बजट का बहुत थोड़ा अंश साम्राज्ञी पर खर्च होता है, लेकिन उसकी तुलना में राजनीतिक चेतना के रूप में आय की मात्रा बहुत ज्यादहाै । बिटिश सम्राट आय का भी स्रोत है क्योंकि राजपरिवार से

सम्बन्धित उत्सवों, फिल् मों आदि से काफी आमदनी होती है | इसलिए व्यय के आधार पर राजतन्ॣर के विरुद्ध तर्क नहीं दिया जा सकता है ।"

11. अन्तर्राष्ट्रीय कारण - अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट का महत्व है । राजतन्त्र साम्राज्य के लिए औचित्य प्रदान करता, ब्रिटेनवासियों को सुदूर देशों को जीतने के लिए उत्साहित करता था । सप्राट् राष्ट्रमण्डल के देशों को एक सूत्र में जोड़ने वाली सुनहरी कड़ी है । विदेशों से मधुर सम्बन्ध बनाए रखने में राजाओं की सद्भावना-यात्राएँ महत्वपूर्ण रही € । बाल्डविन ने एक बार एडवर्ड अष्टम से कहा था कि "सम्राट ही हमारे बचे-खुचे साम्राज्य की अन्तिम कड़ी है ।" यदि इस कड़ी को तोड़ दिया जाए तो स्वतन्ॣर राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच कुछ भी सामान्य प्रतीक नहीं रहेगा ।

निष्कर्ष- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैण्ड में राजपद को बनाए रखने से अनेक लाभ हैं । यही कारण है कि ज्यों-ज्यों प्रजातन्त्र की प्रगति हो रही है, त्यों-त्यों वहाँ राजतत्र की जड़ें और भी मजबूत होती जा रही हैं । नागरिक इस संस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है । मेरीसन ने लिखा है, "संसार में कोई भी राजपद इतना सुरक्षित अथवा जनता द्वारा सम्मानित नहीं है जितना की हमारा ।"

लावेल लिखते हैं कि "यदि राजा, राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल है जो उस पर लटका हुआ है और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक अपितु अत्यन्त आवश्यक भाग है ।"__

2.11 सार संक्षेप

ब्रिटिश कार्यपालिका में सम्राट एक सांकेतिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक प्रशासनिक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। र"ाजमुकुटकानूनी " और संवैधानिक रूप से शासन की निरंतरता का प्रतीक है। यह कार्यपालिका की पारंपरिक और आधुनिक भूमिकाओं को समेटे हुए है। सम्राट का मुख्य कार्य संवैधानिक प्रथाओं के पालन को सुनिश्चित करना है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं।

2.8 मुख्य शब्द

अंतर्द्वद्व – मन में होने वाला आंतरिक संघर्ष या द्वंद्व। किसी विषय पर दो विरोधाभासी विचारों के बीच खड़ा होना।

शख्सियत – किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, खासकर उसके विशेष गुणों और उसकी सामाजिक पहचान को दर्शाने वाला शब्द।

ताज्जुब – किसी बात पर आश्चर्य या अचरज की भावना होना। जैसे, किसी अनोखी या अनपेक्षित बात पर हैरानी।

अनायास – बिना किसी पूर्व योजना या प्रयास के कुछ घट जाना। अचानक या अपने-आप होना।

आक्रोश – गहरी नाराज़गी या गुस्से का तीव्र भाव, जो किसी अन्याय, अपमान, या असंतोष की स्थिति में उत्पन्न होता है।

विश्वप्रपंच – विश्व में होने वाले सभी छल-कपट, धूर्तता और भ्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द। दुनिया के नाटक या धोखों का जिक्र।

उत्तरदायित्व – जिम्मेदारी या कर्तव्य, जिसे निभाने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कार्यों का दायित्व।

प्रतिष्ठित – किसी विशेष गुण या उपलब्धि के कारण सम्माननीय और आदरणीय होना। जैसे, समाज में उच्च स्थान प्राप्त व्यक्ति।

खुशामद – किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी तारीफ करना या मन बहलाने के लिए चापलूसी करना।

अनुरंजन – मन को भाने वाला या आनंद देने वाला कार्य। मनोरंजन करना या प्रसन्नता का अनुभव कराना।

2.9 संदर्भ ग्रंथ

1. Bogdanor, V. (2018). *The Monarchy and the Constitution*. Oxford University Press.
2. Bagehot, W. (2019). *The English Constitution*. Cambridge University Press (Revised Edition).
3. Loughlin, M. (2020). *Foundations of Public Law*. Oxford University Press.
4. Heffer, S. (2021). *The British Monarchy: Past, Present and Future*. HarperCollins UK.
5. Kumar, R. (2022). *Constitutional Monarchy in the Modern Era*. Vikas Publishing.
6. King, A. (2019). *The British Constitution: Continuity and Change*. Routledge.

7. O'Brien, P. (2020). *The Crown and the Constitution*. Palgrave Macmillan.
8. Barnett, H. (2023). *Constitutional & Administrative Law*. Routledge.
9. Dicey, A. V. (2017). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Liberty Fund (Revised Edition).
10. Lock, M. (2021). *The Role of the Monarchy in the UK's Constitutional Framework*. Bloomsbury Publishing.

2.9 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. 1- निम्नलिखित की व्यख्या कीजिए।

(अ) किसी माने में नहीं। मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ-बार-बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा।

(ब) मेरे पास अब बहुत साल नहीं हैं जीने को। पर जितने हैं, उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे कहने से जो कुछ हो सकता था इस घर का, हो चुका आज तक।

(स) यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता-फिरता बात करता है, वह आदमी ही होता है..।'

प्रश्न. 2- नाटक की विशेषताएँ एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए।

इकाई - 3

ब्रिटिश कार्यपालिका: मन्त्रिमण्डल एवं प्रधानमंत्री

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल

3.4 मन्त्रिमण्डल का उदय एवं विकास

3.5 मन्त्रिमण्डल का निर्माण और रचना

3.6 मन्त्रिमिण्डल का महत्व

3.7 मन्त्रिपरिषद्‌ तथा मन्त्रिमण्डल में अन्तर

3.8 मंत्रिमण्डल प्रणाली की विशेषताएँ

3.9 मन्त्रिमण्डल के कार्य एवं शक्तियाँ

3.10 मन्त्रिमण्डल के रूप

3.11 ब्रिटिश प्रधानमन्त्री

3.12 क्या ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को अधिनायक कहना उपयुक्त

3.13 ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की वास्तविक स्थिति

3.14 मन्त्रिमिण्डलीय अधिनायकत्व

3.15 मन्त्रिमण्डल की तानाशाही के कारण

3.16 मन्त्रिमण्डल तानाशाह नहीं है

3.17 सारांश

3.18 मुख्य शब्द

3.19 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

3.20 संदर्भ ग्रन्थ

3.21 अभ्यास प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

ब्रिटिश कार्यपालिका एक संसदीय प्रणाली के तहत काम करती है, जिसमें प्रधानमंत्री (Prime Minister) और मंत्रिमंडल (Cabinet) मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है, जिसमें कार्यपालिका को विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। ब्रिटेन में कार्यपालिका के कार्यों का आधार संविधान है, जो लिखित और अलिखित परंपराओं का मिश्रण है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से देश की नीतियों को निर्धारित करते हैं और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री, कार्यपालिका का प्रमुख और सरकार का मुखिया होता है, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न विभागों का प्रभार संभालते हैं।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. ब्रिटिश कार्यपालिका की संरचना और इसकी विशेषताओं को समझ सकेंगे।
2. ब्रिटिश मंत्रिमंडल की भूमिका, कार्यों और शक्तियों का अध्ययन कर सकेंगे।
3. ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद, उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
4. कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच संबंधों को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और कार्यपालिका की भूमिका में पारस्परिक संतुलन को समझ सकेंगे।
6. ब्रिटिश कार्यपालिका के ऐतिहासिक विकास और इसकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर सकेंगे।
7. ब्रिटिश कार्यपालिका के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से अन्य देशों की कार्यपालिका प्रणाली के साथ इसकी तुलना कर सकेंगे।
8. ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और उनकी राजनीतिक रणनीतियों को समझ सकेंगे।

3.3 ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल

"प्रतिमण्डल क्राउन के नाम पर प्रधानमत्री द्वारा नियुक्त किए हुए उन राजकीय परामर्शदाताओं की संस्था को कहा जा सकता है जिनको लोकसदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो ।" – मुनरो मन्त्रिमण्डल की जननी : प्रिवी परिषद्

[Mother the Cabinet: Privy Council]

विषय-प्रवेश - "प्रिवी परिषद' वह अभिकरण है जिसके द्वारा क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्य सम्पन्न होते हैं । इस प्राचीन संस्था से ही "मत्लिपरिषद' उत्पन्न हुई है। अठाहरवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक प्रिवी कौंसिल शासन के क्षेत्र में वास्तविक शक्ति रखती थी । वह एक विचार-विमर्श करने वाली संस्था थी, किन्तु धीरे-धीरे उसकी समस्त वास्तविक शक्तियाँ मस्ृरिमण्डल में हस्तान्तरित हो गईं | आज उसे शासन-तत्र में सम्मान का किन्तु केवल औपचारिक स्थान प्राप्त है । प्रिवी परिषद् का सतत् अस्तित्व अंग्रेजों की इस मनोवृत्ति का एक ज्वलन्त उदाहरण है कि वे अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवित रखना चाहते हैं, वे अपने अतीत से चिपके रहना चाहते हैं । प्रिवी परिषद्क ा विकास - प्राचीनकाल में राजा को शासन सम्बन्धी कार्यों में मन्त्रणा देने के लिए "क्यूरिया रेजिस' (Curia Regis) नाम की संस्था थी | उसका बड़ा महत्व था | कालान्तर में जब क्यूरिया रेजिस का कार्य बहुत बढ़ गया, तब उसकी दो शाखाएँ हो गईं | प्रशासकीय कार्य करने वाली शाखा 'प्रिवी परिषद् ' कहलाई |

प्रिवी परिषद् का संगठन - प्रिवी परिषद् के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है । वह बदलती रहती है । आजकल इसमें लगभग 320 सदस्य हैं । प्रिवी परिषद्म ें निम्न श्रेणियों के व्यक्ति सदस्य होते हैं

(1) वर्तमान मच्त्रिपरिषद् के सदस्य,

(2) समस्त भूतपूर्व मत्रिपरिषदों के सदस्य,

(3) लन्दन का बिशप,

(4). कैण्टरबरी तथा यार्क के आर्कबिशप,

(5) उच्च न्यायाधीश तथा सेवानिवृत न्यायाधीश,

(6) प्रसिद्ध पीयर,

(7) कॉमन्स सभा का अध्यक्ष,

(8). लार्ड सभा के विधि-सदस्य,

(9) उपनिवेशों के कतिपय विख्यात राजनीतिश्ञ,

(10) इंग्लैण्ड के विदेशों में स्थित राजदूत,

(11) उपनिवेशों के प्रधानमन्त्री,

(12) कुछ उच्च पदाधिकारी, इत्यादि | इनके अतिरिक्त विज्ञान, कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों के ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों को भी 'प्रिवी कौंसिलर' बना दिया जाता है ।

पदावधि - प्रिवी परिषद्क ी सदस्यता एक बार मिलने पर जीवनपर्यन्त चलती है । इसके सदस्यों को "महा माननीय' (Right Honourable) कहकर सम्बोधित किया जाता है ।

अधिवेशन - प्रिवी परिषद् के अधिवेशन निम्नलिखित विशेष अवसरों पर ही होते हैं -

(i) नए सम्राट के राज्याभिषिक के अवसर पर, और

(i) अन्य विशेष समारोहों के अवसर पर |

इन अवसरों को छोड़ पूरी परिषद् कभी नहीं बुलाई जाती | साधारणतया 4 या 5 सदस्य ही प्रिवी कौंसिल का पूरा काम चलाते हैं । अधिवेशन के लिए केवल 3 सदस्यों की TR (Quorum) हैं 1 प्रिवी कौंसिल के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए अधिकतर केवल मन्त्रिपरिषद् के सदस्य ही उपस्थित होते हैं । प्रिवी परिषद् की बैठकें राजमहल में होती हैं। पहले इनमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, . अब नहीं है । इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं -

(1) नई सरकार बनने पर मन्त्रियों को शपथ दिलाना |

(2) काउण्टियों के शैरिफों (Sheriffs) नामक अधिकारियों की नियुक्ति करना |

(3) जुर्माना तथा सजाओं को माफ करना |

(4) आज्ञप्तियाँ (Decrees) और अध्यादेश (Ordinances) जारी करना |

(5) अनुज्ञप्तियाँ (Licences) प्रदान करना आदि |

प्रिवी परिषद् का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य परिषद् - आदेशों (Orders-in-Council) को जारी करना है जिनका सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से होता है -

(i) संसद् को आमस्त्रति करना, उसे स्थगित अथवा विघटित करने के आदेश जारी करना |

(ii) स्थायी सिविल सेवा सम्बन्धी आदेश देना |

(iii) उपनिवेश सम्बन्धी आदेश निकालना ।

(iv) युद्ध सम्बन्धी आदेश जारी करना |

(v) नगरपालिका-निगमों तथा अन्य निकायों को आज्ञा-पत्र (2८5) प्रदान करना |

यहाँ यह स्मरणीय है कि वास्तव में इन आदेशों के संबंध में निर्णय मन्त्रिपरिषद् द्वारा लिए जाते हैं, किन्तु ये प्रिवी परिषद् के नाम से जारी किए जाते हैं । मन्त्रिपरिषद् के सदस्य ही प्रिवी परिषद् के सदस्य की हैसियत से उपरोक्त समस्त कार्य करते हैं ।

प्रिवी परिषद् का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य न्याय करना है | यह कार्य प्रिंवी परिषद्क ी न्याय-समिति द्वारा सम्पन्न किया जाता है । इस समिति में लार्ड चान्सलर, छह अन्य लार्ड, उपनिवेशों के कुछ न्यायाधीश और परिषद् के वे सब सदस्य होते हैं जो न्याय-विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं । यह समिति सन् 1833 में स्थापित की गई | पहले यह ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती थी ।

उपनिवेशों की अन्तिम अपील इसी समिति में होती थी, परन्तु उपनिवेशों के स्वतन््र हो जाने के कारण अब इन देशों के विवाद इस परिषद् के समक्ष नहीं आते । फिर भी यह ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायपालिका है | यह धार्मिक न्यायालयों (Ecclesiastical Courts) और नाविक-न्यायालयों (Admiralty Courts) से

अपीलें सुनती है । प्रिवी कौंसिल की समितियाँ - प्रिवी कौंसिल के कार्य उसकी अनेक समितियों द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं | इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति न्याय-समिति है । व्यापार-मण्डल, शिक्षा-मण्डल आदि आरम्भ में प्रिवी परिषद्क ी ही समितियाँ थीं । प्रिवी परिषद् विमर्शात्मक निकाय नहीं - वर्तमान समय में प्रिवी परिषद एक विमर्शात्मक निकाय नहीं है । उसकी शक्तियाँ मन्त्रिपरिषद् में चली गई हैं । ऑग तथा जिंक के शब्दों में, "अब प्रिवी परिषद् एक विमर्शात्मक अथवा परामर्शदायी निकाय नहीं है । उसके प्रारम्भिक दिनों के विमर्शात्मक कृत्य अधिकांशत: मस्त्रिपरिषद्मे ं हस्तान्तरित हो गए हैं ।" निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रिवी परिषद् के प्रशासकीय तथा परामर्शदायी कार्य उससे छीन लिए गए हैं, परन्तु उसकी न्याय-समिति आज भी लाभदायक एवं महत्वपूर्ण कार्य कर

रही है ।|

3.4 मन्त्रिमण्डल का उदय एवं विकास (Origin and Development of the Cabinet System)

वर्तमान ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल विकास का परिणाम है तथा परम्पराओं एवं अभिसमयों पर आधारित है । सिर्फ 1937 ई. में क्राउन के मत्री अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई । वर्तमान मच्त्रिमण्डल के बीज प्रिवी कौन्सिल में देखे जा सकते हैं

। विटनेजमॉट से मैग्नम कौन्सिलियम तथा क्यूरिया रेजिस संस्था का विकास हुआ | कालान्तर में क्यूरिया रेजिस से प्रिवी कौन्सिल और मन्त्रिमण्डल का उद्भव हुआ एवं मैग्नम कौन्सिलियम से संसद् का । 'कबाल' का उदय - प्रिवी कौन्सिल से मत्त्रिमण्डल का SR हुआ । वृहत् आकार के कारण प्रिवी कौन्सिल परामर्शदात्री समिति के योग्य न रह गई । अत: सम्राट् कुछ प्रमुख तथा निजी कौन्सिलरों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार-विमर्श करने लगा । इसी सीमित की परामर्शदात्री समिति को समयोपरान्त "कैबिनेट कहा जाने लगा |

चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मन्त्रिमण्डल का प्रारम्भिक काल कहा जा सकता है | चार्ल्स ने सम्पूर्ण प्रिवी कौन्सिल से परामर्श करना छोड़ दिया और वह कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा | सदस्यों की इस अनौपचारिक समिति को "कबाल' की संज्ञा दी गई क्योंकि इसके पाँच सदस्यों के नाम CABA.L. अक्षरों से प्रारम्भ होते थे | कबाल में मन्त्रिमण्डलात्मक पद्धति का मूल पाया जाता है | यह सामूहिक रूप से सप्राटू को परामर्श देती थी तथा संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती थी |संसद्के प्रति उत्तरदायित्व - चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद् ने मन्त्री स्ट्रेपर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्यवाही की कि उसने सप्राट्क ो ग लत परामर्श दिया है । इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनबी नाम के मन्त्री पर महाभियोग चलाया | इससे मस्त्रिमण्डल का संसद्क े प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धान्त की स्थापना हुई । एक-दलीय मन्त्रिमण्डल - विलियम तृतीय शुरू में दोनों दलों-हिग और टोरी से मन्त्री नियुक्त करता था, लेकिन इससे उत्पन्न असुविधा के कारण उसने सन् 1693-96 में अपने परामर्शदाता केवल हिग दल से ही लिए। सन् 1696 ई. में हिग जुण्टा नामक मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ, जो सर्वप्रथम एक दल से गठित किया गया था तथा संसद में बहुमत प्राप्त मन्त्रिमण्डल था । प्रधानमन्त्री का नेतृत्व - जार्ज प्रथम और जार्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं बोल सकते थे | इसलिए उन्होंने मस्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेना बन्द कर दिया । अत: मत्त्रिमण्डल को अपनी

बैठकों के लिए अध्यक्ष चुनना पड़ा और वालपोल नाम के मंत्री को, मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा । यद्यपि वालपोल बार-बार कहता रहा कि वह किसी भी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है तो भी उसे ही इंग्लैण्ड का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया । उसी ने 10, डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय बनाया | वालपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था, परन्तु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने पर उसने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया । इस प्रकार यह सिद्धान्त प्रचलित हो गयाकि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमण्डल को त्याग पत्र देना चाहिए |__

3.5 मन्त्रिमण्डल का निर्माण और रचना [Organisation of the Cabinet]

लोकसदन में बहुमत दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है । यह परम्परा है कि प्रधानमत्री कॉमनसभा का ही होगा | प्रधानमन्त्री अपनी इच्छा से मन्त्रिमण्डल का गठन करता है |

इस बारे में राजा का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं होता । उसे मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते समय यह देखना होता है कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों को, विशेषज्ञों को एवं प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान मिल जाए । उसे लार्डसभा से भी कुछ मन्त्री लेने पड़ते हैं । मत्लियों केल िए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों । यदि संसद्क े सदस्य नहीं हैं तो उन्हें शीघ्र हीब नना पड़ता है । सामान्यत:

मत्रिमण्डल में निम्न पद होते हैं -

(1) प्रधानमन्त्री, (2) चान्सलर ऑफ एक्सचेकर, (3) गृह विभाग का सचिव, (4) उपनिवेशों का सचिव, (5) विदेश विभाग का सचिव, (6) नभसेना का सचिव, (7) युद्ध सचिव, (8) जलसेना का लार्ड, (9) स्काटलैण्ड का सचिव, (10) व्यापारमण्डल का अध्यक्ष, (11) शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, (12) कृषि तथा मत्स्य विभाग का सचिव, (13) स्वास्थ्य विभाग का मस्त्री (14) यातायात विभाग का मस्त्री, (15) श्रम 54, (16) लार्ड प्रिवी सील, (17) पोस्टमास्टर जनरल, (18) लार्ड प्रेसिडेण्ट ऑफ कौन्सिल, (19) फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क्स एण्ड पेन्शन, (20) कोआर्डिनेशन का 54 |

3.6 मन्त्रिमिण्डल का महत्व [Importance of the Cabinet]

मत्रिमण्डल सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था का केन्द्र है । वह वास्तविक कार्यपालिका है । राजमुकुट की शक्तियाँ औपचारिक हैं और वास्तव में उनका प्रयोग मल्त्रिमण्डल द्वारा होता है | वस्तुत: सप्राट में जो शक्तियाँ निहित हैं, उन सबका प्रयोग मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किया जाता है । यही कारण है कि लावेल ने मल्त्रिमष्डल को राजनीतिक भवन की आधारशिला कहा है । रैमजे म्योर के अनुसार, “वह राज्य के

जहाज को चलाने चाला पहिया है, जिसका चालक प्रधानमन्त्री है ।” मेरियट ने तो उसे सम्पूर्ण शासनतन्त्र का केन्द्र माना हैऔ र कहा है कि “यह वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन की सम्पूर्ण मशीन घूमती हैं ।” बेजहाँट के शब्दों में, “यह एक संयोजन समिति है, जोड़ने वाला समास-चिह् है अथवा राज्य के व्यवस्थापन विभाग व कार्यपालक विभाग को जोड़ने वाला बकसुआ है ।” , मुनरो के अनुसार, “मन्त्रिमण्डल

ब्रिटिश संवैधानिक मशीन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है ।" ग्लैस्टोन के अनुसार "मल्रिमष्डल एक सूर्यपिण्ड है जिसके चारों ओर अन्य पिण्ड घूमते हैं और यह ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट ,लार्डसभा तथा कॉमनसभा को मिलाता है ।"

3.7 मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिमण्डल में अन्तर

मल्रिपरिषद् तथा मल्रिमण्डल में उनकी रचना तथा कार्यों की दृष्टि से बहुत अन्तर है 1 ऑग के अनुसार, "मत्रिपरिषद् एक वृहत् संस्था होती है, जबकि मल्त्रिमण्डल उसकी अपेक्षा एक छोटी संस्था है ।" संक्षेप में दोनों का अन्तर इस प्रकार है -

1. आकार में अन्तर - मन्त्रिपरिषद् एक बड़ी संस्था है, जिसमें 50-60 सदस्य होते हैं | इसमें मम्त्री, राज्य-मत्री, सचिव आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि मन्त्रिमण्डल एक छोटी संस्था है, जिसमें कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं ।

2. स्थिति में अन्तर - मंत्रिमष्डल एक महत्वपूर्ण संस्था है । शासन की नीति निर्धारण का कार्य यही करती है । आए दिन इसकी बैठकें होती रहती हैं । मन्त्रिपरिषद् की बैठक बहुत कम होती है और इसका कार्य प्रशासनिक है |

3. वेतन में अन्तर - मल्त्रिमण्डल स्तर के मंत्री तथा अन्य मल्त्रियों के वेतन में अन्तर रहता है । 1999-2000 के वर्ष में प्रधानमंत्री की £ 109,768, मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्री को £ 94,157 (लार्डसभा के कैबिनेट मंत्री को £ 70,608), लार्ड चांसलर को £ 160,011, राज्यमंत्री को £ 80,367 तथा संसदीय अवर सचिव को ¢ 72,327 वार्षिक वेतन दिया गया था ।

4. कार्य में अन्तर - मत्रिमण्डल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं । मन्त्रिपरिषद् के सदस्य उनके अधीनस्थ सहायता करने के लिए होते हैं ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य मन्त्रिपरिषदू का सदस्य रहता है, लेकिन मन्त्रिपरिषद के कुछ इने-गिने मत्री ही मन्त्रिमष्डल के सदस्य हो सकते ¢ | मत्रिमण्डल मस्त्रिपरिषद की कार्यकारिणी समिति के रूप में है । यह मन्त्रिपरिषद् का भीतरी चक्र है | मन्त्रिमण्डल के मच्त्रियों का स्तर मल्त्रिपरिषद के साधारण स्तर के मंत्रियों से ऊँचा होता है । इस अन्तर के बावजूद भी सामूहिक दायित्व में सभी लोग सम्मिलित होते हैं । सभी के पद राजनीतिक ही होते हैं ।

3.8 मंत्रिमण्डल प्रणाली की विशेषताएँ [Salient Features of the Cabinet System]

इंग्लैण्ड की मन्त्रिणष्डलात्मक प्रणाली की निम्नांकित विशेषताएँ हैं :

1. सप्राट मन्त्रिमिष्डल की बैठकों से बाहर है - ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि राजा मत्रिमण्डल की बैठकों से बाहर रहता है । वह मत्रिमण्डकील बैठकों में भाग नहीं लेता । राजा प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है । प्रधानमन्त्री द्वारा नियुक्त मत्त्रिमण्डल को राजा अपना मत्रिमण्डल नियुक्त कर देता है ।

(2) टोली की भावना - मत्रिमष्डल एक "टीम' के समान कार्य करताहै । यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है, तो पूरी कैबिनेट को उसका श्रेय मिलता है और उसकी प्रशंसा होती है । इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियाँ गलत साबित होती हैं, तो पूरे मत्त्रिमण्डल की निन् ्दा की जाती है । कॉमन सभा में "अविश्वास प्रस्ताव' पारित होने पर मन्त्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्याग-पत्र देना पड़ता है | इस प्रकार मत्रिपरिषद् एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है । इसलिए

ऐसा कहा जाता है कि मन्त्रीगण एक साथ तैरते अथवा डूबते हैं । इस सन्दर्भ में यह उचित ही प्रचलित है - प्रत्येक के लिए सब और सबके लिए प्रत्येक (Al for each and each for all) |

3. गोपनीयता - मन्त्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली की एक मेहत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता है ।

मीत्रमण्डल की बैठक में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने-अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें । पर उनके लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मन्त्रिमण्डकेल निर्णयों के अनुकूल हों | उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है ।

4. प्रधानमन्त्री का नेतृत्व - प्रधानमत्री मत्रिमण्डल का नेता होता है ।यद्यपि सभी मस्त्री समान-पदी हैं तथा उनके अधिकार भी समान हैं, फिर भी प्रधानमन्त्री का स्थान विशिष्ट होता है । वह सब मत्त्रियों में प्रमुख समझा जाता है ।अन्य B उसकी बात का सम्मान करते हैं | वह बराबर वालों में प्रथम होता है |

5. राजनीतिक सजातीयता - इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व और उसकी कार्यवाहियों की गोपनीयता इस कारण सम्भव है क्योंकि ब्रिटिश मत्रिमण्डल का आधार राजनीतिक दल हैं । साधारणत: सभी मन्त्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं । दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक-सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक-से उद्देश्य रहते हैं और जो सब समस्याओं पर एक-से दृष्टिकोण से विचार करते हैं

6. कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में घनिष्ठता - ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के सम्बन्ध की घनिष्ठता

है | मन्त्रिमण्डल की स्थिति संसद् की समिति की है और इस कारण यह संसद्के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी है । मत्रिमण्डल का प्रत्येक मन्त्री संसदूके किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होता है । अपने प्रत्येक कार्य के लिए_ वह संसद् के प्रति उत्तरदायी होता है | मत्रकेिवल मतभीण तक् अडपनेल पद पर रह सकता है, जब तक उसे लोकसदन का विश्वास प्राप्त रहे ।

7. मन्त्रिमण्डल का लोकसदन के विघटन का अधिकार - मन्त्रमण्डल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोकसदन को विघटित करा सकता है | अपने किसी कार्य के लिए यदि मत्रिमण्डल संसद् का विश्वास प्राप्त न कर सके या मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद् पारित न कर

सके और यदि मच्त्रिमण्डल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोकसदन को भंग कराके पुन: निर्वाचन करा सकता है ।

8. मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व - कैबिनेट प्रणाली की अन्तिम किन्तु महत्वपूर्ण विशेषता मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व है | यह उत्तरदायित्व तीन प्रकार का है -

(9) वैधानिक उत्तरदायित्व - वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ राजा के प्रति उत्तरदायित्व है । राजा इंग्लैण्ड का संवैधानिक प्रधान है । अत: मत्रिमण्डल अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है, किन्तु आजकल वैधानिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र है | सिद्धान्त में आज भी मत्लिमण्डल राजा के प्रति उत्तरदायी है, परन्तु व्यवहार में राजा केवल नाम मात्र का शासक है और उसे मल्तरिपरिषद् के परामर्श के अनुसार कार्य करना पड़ता है |

(10) अन्त: मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व - राजा के प्रति उत्तरदायी होने के अतिरिक्त मत्लिपरिषद् के सदस्य परस्पर एक-दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं । इसका आशय यह है कि मन्त्रिपरिषद् के समस्त सदस्य परस्पर सहयोग एवं स्वेच्छा के साथ, एकजुट होकर कार्य करें | मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास न कर उनके विभागों में अपनायी गई नीतियों का समर्थन करे ।

(11) संसद के प्रति उत्तरदायित्व अथवा राजनीतिक उत्तरदायित्व - अन्त में, मत्ृरिपरिषद संसद् के प्रति उत्तरदायी रहती है । यह राजनीतिक उत्तरदायित्व ही उसका वास्तविक उत्तरदायित्व है । संसद के प्रति मन्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्व को शासन कला एवं विज्ञान को बिटेन की मुख्य देन मानी जा सकती है । राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि यदि मत्लिपरिषद् कॉमन सभा का विश्वास खो देती है,

तो उसे त्याग-पत्र देना होगा | कोई भी मच्त्रिपरिषद् केवल तब तक ही शासन की बागडोर सम्भाल सकती है जब तक कि उसे संसद् का विश्वास प्राप्त हो । सन् 1911 तक मच्रिपरिषद् संसद् के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती थी, परन्तु 1911 और फिर 1949 के संसद् अधिनियमों द्वारा लार्ड सभा की शक्तियाँ

बहुत ही सीमित कर दी गई हैं । फलत: अब मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व वास्तव में केवल कॉमन सभा के प्रति ही रह गया है ।

यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि मत्त्रिपरिषद् का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है । यह संयुक्त एवं अविभाज्य होता है | इस सामूहिक उत्तरदायित्व का बड़ा संवैधानिक महत्व है | यह मन्त्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली का आधारभूत एवं केन्द्रीय सिद्धान्त है । क्विटिन हॉग के अनुसार, "सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश मत्ररिमण्डल पद्धति की कार्यविधि का मूल आधार है ।"सामूहिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय यह है

कि समूची मस्त्रिपरिषद् ृ एक इकाई के रूप में कार्य करती है । मत्रिमण्डल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे सभी मन्त्रियों के निर्णय माने जाते हैं । प्रत्येक मन्त्री उन निर्णयों का सार्वजिनक रूप से समर्थन करने और उनके क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य है । इस सम्बन्ध में लार्ड मॉ्लें ने कहा है, "साधारण नियम यह है कि किसी भी विभाग की महत्वपूर्ण नीति के प्रति सम्पूर्ण मत्विमण्डल वचनबद्ध रहता है और उसके सदस्य एक साथ ही अपने पद पर बने रहते हैं या उसे छोड़ते हैं ।"

मत्रिमण्डल के सदस्य "साथ जिएँगे, साथ मरेंगे' - इस सिद्धान्त का पालन करते हैं ।

3.9 मन्त्रिमण्डल के कार्य एवं शक्तियाँ [Functions and Powers of the Cabinet]

मस्त्रिपरिषद् इंगलैण्ड की वास्तविक कार्यपालिका है । इसके हाथ में ही शासन की समस्त सत्ता है । इसकी महत्ता पर विभिन् न विद्वानों ने विभिन् न शब्दों में प्रकाश डाला है -

रैम्जे म्यूर - मत्रिपरिषद "राज्य-रूपी जहाज का परिचालक-चक्र है ।" मेरियट - मत्तिपरिषद् "वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन-यन्त्र घूमता है ।"

लॉवेल - मन्त्रिपरिषद् "राजनीतिक महराब की आधारशिला है ।"

एल. एस. ऐमरी - मत्रिपरिषद् "शासन का केन्द्रीय निर्देशक यन्त्र" है ।

मस्त्रिपरिषद् "वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन-यत्र घूमता है ।" सिद्धान्त में म्त्रिपरिषद संसद् की एक परामर्शदायी समिति मात्र है जिसका कार्य शासन के सम्बन्ध

में राजा को सहायता एवं देना है किन्तु परम्पराओं ने उसकी स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया है । उसने अब वास्तविक कार्यपालिका का रूप धारण कर लिया है | राजतन्त्र केल ोकतन्त्रीकरण होने से राजा की शक्तियाँ धीरे-धीरे घटती गईं और मच्त्रिपरिषदू की बढ़ती गईं । अब मल्त्रिपरिषद् ही शासन के समस्त कार्यों को सम्पादित करती है | मस्त्रिगण सरकार की नीति निर्धारित करते हैं, वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन करते हैं, संसद् में विधेयक पेश करते हैं, वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करते हैं और इसी प्रकार शासन सम्बन्धी अन्य सभी कार्य करते हैं । मन्त्रिपरिषद् के कार्यों एवं शक्तियों की व्याख्या निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत की

जा सकती है -

(1) विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्य - यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में कानून बनाना संसद् का कार्य है, तथापि आजकल यह कार्य मन्त्रिपरिषद् द्वारा छीन लिया गया है । लॉवेल के शब्दों में, "यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वर्तमान समय में मस्त्रिपरिषद् ही संसद् की g=on एवं सम्मति से विधि-निर्माण का कार्य करती है ।" यह अक्षरश: सत्य है कि आजकल व्यवहार से विधायनी मामलों में मल्त्रिपरिषद् संसद को संचालित तथा निर्देशित करती है । वह संसद् का नेतृत्व करती है । मन्त्रपरिषद् ही

यह निश्चित करती है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, कब उसे स्थगित किया जाए और कब उसे भंग किया जाए | मस्त्रिपरिषद्ह ी राजा का उद्घाटन-भाषण तैयार करती है, जिसमें आगामी सत्र के लिए सरकार की सामान्य नीति और उसके कार्यक्रम की रूपरेखा दी रहती है । यद्यपि संसद् का कोई भी सदस्य उसमें विधेयक रख सकता है, परन्तु अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक सम्बन्धित मच्त्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं । केवल उन्हीं विधेयकों के संसद् द्वारा स्वीकृत या पारित होने की सम्भावना रहती है जिन्हें मन््रिपरिषद् का समर्थन प्राप्त हो । आधुनिक काल में संसदू का समस्त विधायनी कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् द्वारा ही निर्धारित किया जाता है । आज मत्रिपरिषद् विधायनी कार्य के मामले में संसद् पर पूर्णतया हावी हो गई है | कार्टर, रैने और हर्ज ने मत्रिमण्डल को "लघु व्यवस्थापिका' (Little Legislature) की संज्ञा दी है | लास्की ने मत व्यक्त किया है कि आज के युग में संसद् मस्त्रिपरिषद् के निर्णयों को "पंजीबद्ध करने वाली संस्था" मात्र है । एफ. U, आँग ने भी इससे मिलते-जुलते विचार

प्रस्तुत किए हैं - "मल्त्रिमणष्डलीय शासन-पद्धति वाले देशों की अधिकतम व्यवस्थापिकाओं के समान संसद प्राय: कभी भी पहल या सृजन नहीं करती, केवल (मन्त्रिपरिषद् की) नीति की समीक्षा करती है और सामान्यत: उसे स्वीकृत एवं पंजीबद्ध करती है ।"*

(2) कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य - मन्त्रिपरिषद् इंग्लैण्ड की वास्तविक कार्यपालिका 2

मस्त्रिपरिषद् आन्तरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति निर्धारित करती है । नीति-निर्धारण नि:सन्देह उसका एक महत्वपूर्ण कृत्य है | मस्त्रिपरिषद् विभिन् न विभागों की कार्यवाहियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है | सन् 1918 की 'शासन-यनत्र समिति" (Machinery of Government Committee)

के प्रतिवेदन में मत्त्रिपरिषद् के मुख्य निम्न कार्य बतलाए गए हैं -

संसद् के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीति को अन्तिम रूप प्रदान करना ।

संसद् द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखना

(पं) _ राज्य के विभिन् न विभागों के अधिकारियों में निरन्तर सामंजस्य बनाए रखना तथा उनकी शक्तियों को परिसीमित करना ।__ मन्त्रगिण विभिन् न विभागों के अध्यक्ष होते हैं । अपने विभागों का संचालन करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना उनका ही दायित्व होता है 1 मन्त्रिपरिषद् शासन के विभिन् न विभागों के कार्यों

में समन्वय स्थापित करती है और देखती है कि उनमें किसी प्रकार का विरोध न हो ।

आधुनिक काल में प्रत्यायोजित विधि-निर्माण के फलस्वरूप मन्त्रिमण्डल का कार्यक्षेत्र और भी बढ़ गया है । आजकल संसद कार्य-भार की अधिकता और विधेयकों क जटिल प्रकृति के कारण अनेक विधियों की केवल मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है और कार्यपालिका को अधिकृत कर देती है कि वह उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए । इस प्रदत्त अधिकार के कारण मस्त्रिपरिषद् की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

(3) वित्त सम्बन्धी कार्य - मन्त्रिपरिषद् को वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं । उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य-वित्त-मत्री सम्पूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है और उसे संसद् के समक्ष रखता है । आगामी वर्ष में किस मद पर कितना व्यय होगा और इस व्यय के लिए साधन कैसे जुटाए जाएँगे- यह सब वही तय करता है | कौन से नये कर लगाना, पुराने करों को समाप्त करना अथवा उनकी वर्तमान दरों को घटाना-बढ़ाना इत्यादि वित्त-मन्त्री का ही दायित्व है । वित्तीय क्षेत्र में मन्त्रिपरिषद्‌ को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे कि ऋण लेने की व्यवस्था

करना, यह निश्चित करना कि कौनसा धन और कौनसा व्यय आकस्मिक निधि से किया जाएगा, इत्यादि ।

(4) न्याय सम्बन्धी कार्य - मत्रिपरिषद् कुछ न्याय सम्बन्धी कार्य भी करती है । उसके एक सदस्य-लार्ड चान्सलर- की मत्रणानुसार सप्राट् प्रमुख न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । इसी प्रकार गृहमत्री के परामर्शानुसार वह क्षमा-दान करता है |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद् का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । विधायनी, कार्यपालिका तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में उसे महान् शक्तियाँ प्राप्त हैं । देश के समूचे प्रशासन पर उसका नियत्रण रहता है। लॉवेल ने मन्त्रिपरिषद् की केन्द्रीय स्थिति का सही वर्णन करने के लिए 9 क भीतर चक्र' की उपमा का प्रयोग किया है । उसके अनुसार "सरकार का शासन-यन्त्र चक्रों के भीतर चक्र वाला है, बाहरी घेरे में कॉमन्स सभा में बहुमत रखने वाला दल आता है, अगले घेरे में मन्त्रिपरिषद् आता

है जिसमें उस दल के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य होते हैं और सबसे छोटा घेरा मन्त्रिमण्डल का होता है जिसमें दल के वास्तविक नेता या नायक होते हैं ।" कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के गहरे सम्बन्ध को देखते हुए बेजहॉट ने कहा है कि "मत्रिपरिषद् वह कड़ी अथवा कब्जा है जो कार्यपालिका और

व्यवस्थापिका विभागों को जोड़ता है ।"

प्रधानमन्त्री के कार्यों व अधिकारों का विवेचन निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं -

1. मन्त्रिमण्डल का निर्माण - प्रधानमन्त्री सप्राट् की तरफ से मस्त्रिमण्डल के निर्माण में पूर्ण रूप क्े स्वतत्र है । मन्त्रिमण्डल की जो भी सूची सप्राट् को दे दी जाती है, उसी की स्वीकृति उसके द्वारा हो जाती है । प्रधानमस्री मंत्रिमण्डल बनाते समय अपने दल के मुख्य नेताओं का ध्यान रखता है और उनको मस्त्रिमण्डल में लेने का प्रयत्न करता है । उसे अपने देश के विभिन् न प्रदेशों का भी ध्यान रखना होता है और उनको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है । लास्की ने ठीक ही कहा है, "प्रधानमन्त्री वह केन्द्र हैज पर मन्त्रिमण्डल का जीवन व उसका अन्त निर्भर करता है ।"

2, मन्त्रिमण्डल का कार्य-संचालन - प्रधानमन्त्री को यह देखना पड़ता है कि मस्त्रिमण्डल का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे । कभी-कभी मच्त्रियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं । उनमें प्रधानमन्त्र को हस्तक्षेप करना पड़ता है | वह औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करके विविध मन्त्रियों के मतभेदों को दूर करता है । वह सबको एक सूत्र में बाँधकर उनमें परस्पर सहयोग बनाए रखता है |

3, मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता - प्रधानमत्री ही मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है | वह मत्रिमण्डल की बैठकों में कार्यसूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच तालमेल बिठाता है ।

4. मन्त्रमिष्डल का अन्त - मंत्रियों के मत्रित्व की समाप्ति तथा मन्त्रिमणष्डल के भंग करने के विषय में प्रधानमन्त्री की इच्छा का महत्व वस्तुत: पर्याप्त है । यदि प्रधानमत्री और किसी अन्य e के बीच में कोई मतभेद होता है तो ऐसी दशा में प्रधानमन्त्री उस 9 को मस्त्रिमण्डल छोड़ने के लिए बाध्यm कर सकता है । यदि प्रधानमन्त्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे, तो उसका तात्पर्य सम्पूर्ण मत्त्रिमण्डल का त्यागपत्र होता है |

5. सप्राटको परामर्श देना - प्रधानमत्री वह कड़ी है जो संसद् और सप्राट् तथा मन्त्रिमण्डल और राजा को जोड़ती है । वह प्रधानमन्त्री की हैसियत से संसद् तथा मन्त्रिमण्डल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है । देश में चलने वाली विभिन् न राजनीतिक गतिविधियों के सम्बन्ध में वह समय-समय पर राजा को अवगत कराता है | वे सब कार्य, जो राजा द्वारा किए जाते हैं, मुख्य रूप से प्रधानमन्त्री ही उनके सम्बन्ध में राजा को परामर्श देता है ।

6. लोकसदन का नेतृत्व - प्रधानमस्ुरी लोकसदन का नेता भी होता 8 | लोकसदन के नेता होने के कारण एवं अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमन्त्री लोकसदन को अपने नियन्त्रण में बनाए रखता है । प्रधानमन्त्री को अपने मच्त्रियों के साथ संसद् में सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और प्रशासन सम्बन्धी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद् का सीधा सामना करना पड़ता है । देश के प्रशासन व नीति के सम्बन्ध में संसद् व संसद् के बाहर प्रधानमन्त्री को ही घोषणाएँ करनी पड़ती हैं । संसद का नेता होने के कारण उसे लोकसदन को भंग करके उसका कराने का अधिकार है ।

7. शासन का संचालन - वास्तविक रूप से शासन-प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमन्त्री व उसके मच्तरिमण्डल द्वारा किया जाता है । वह शासन का मुखिया है । सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं | वह विविध मस्त्रालयों के कार्यों में सामंजस्य बनाए रखता है और उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करता है |_ 8. राष्ट्र का प्रतिनिधि - सभी अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों में, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व & सभी कार्यक्रमों में प्रधानमन्त्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है । वह सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है | विदेश में जाते समय तथा दूसरे देशों से सन्धि करते समय सारा देश उसके साथ होता है | वह देश का प्रतिनिधि तथा नेता है ।

9. दल का नेता - प्रधानमनत्री अपने दल का नेता होता है | जनता दल के नाम पर सदस्यों को तथा प्रधानमन्त्री अर्थात् दल के नेता के नाम पर दल को निर्वाचित करती है, अत: प्रधानमत्री न केवल सदन में ही दल का नेतृत्व करता है, वरन् देश-भर में दल की समस्त छोटी-बड़ी शाखाओं का नेतृत्व करता है | अनुदारवादी दल का नेता ही स्वयं दल होता है | वह दलीय संगठन पर तथा आय-व्यय पर नियत्रण रखता है। यदि कोई

उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसे चुनौती देता है, तो वह अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करके उस सदस्य को उचित दण्ड देता है । इसी प्रकार मजदूर दल के संसदीय दल के नेता को न केवल संसद्म ें ही दल का नेता स्वीकारा जाता है वरन् सम्पूर्ण देश में उसे दलीय नेता माना जाता है | दलीय सचेतक प्रधानमन्त्री के निर्देशन पर ही कार्य करते हैं तथा उन्हीं के माध्यम से वह संसद् में दल के अन्य सदस्यों को नियंत्रित करता है । महानिर्वाचन प्रधानमत्री का ही निर्वाचन होता है । द्वितीय महायुद्ध के बाद होने वाले आम चुनाव में जनता के समक्ष नारा दिया गया था | "चर्चिल या लास्की ?" इस दृष्टि से दल, प्रधानमत्री का ऋणी रहता है और प्राय: उसके मार्गदर्शन में कार्य करना पसन्द करता है |

10. नियुक्तियाँ - सम्राट समस्त उच्चस्तरीय नियुक्तियाँ प्रधानमत्री की सिफारिश से ही करते हैं । प्रधानमत्री की सिफारिश पर लार्डसभा में नए लार्ड नियुक्त किए जाते हैं । सभी उपाधियाँ प्रधानमत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा दी जाती हैं ।

11. संकटकालीन शक्तियाँ - ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । प्राय: व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है ।

संकट के समय प्रधानमन्त्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है । प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के समय लॉयड जार्ज तथा चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया ।

3.10 मन्त्रिमण्डल के रूप [Kinds of Cabinet]

मंत्रिमणष्डल के कई रूप हैं -

1. संयुक्त मन्त्रिमण्डल (Coalition Cabinet)- कभी-कभी कॉमनसभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं रहता है । अत: कॉमनसभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई दलों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ती है । इसके अतिरिक्त, असाधारण परिस्थितियों में विपत्ति का सामना करने के लिए सम्पूर्ण देश की एकता आवश्यक हो जाती है | अत: सभी दल मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाते तथा संयुक्त रूप से देश-रक्षा

में भाग लेते हैं । सन् 1931 में आर्थिक संकट तथा 1940-45 में युद्ध का सामना करने के लिए इंग्लैण्ड में संयुक्त मत्रिमण्डल बना था |

2. युद्ध मन्त्रिमणष्डल (War Cabinet)- युद्ध या किसी विपत्ति के समय जल्दी में निर्णय की आवश्यकता होती है । इसलिए शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण तथा शासन के निर्देशन के निमित्त कुछ मन्त्रियों की एक समिति बना दी जाती है; उन्हें प्राय; किसी

विभाग का अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाता है जिससे वे पूरा समय इन समस्याओं की और दे सकें । इसमें प्राय: 4.5 मन्त्री होते हैं । यह मत्रिमण्डल

अल्पकाल के लिए होता है | सन् 1916 में लॉयड जार्ज तथा 1940 में चर्चिल ने पाँच मत्रियों का "युद्ध मच्त्रिमष्डल' बनाया था | 3. आन्तरिक मन्त्रिमण्डल (Inner Cabinet)- चूँकि मन्त्रिमण्डल में 15-20 मन्त्र होते हैं; इसलिए, प्रधानमन्त्री सभी सदस्यों से परामर्श नहीं कर पाता है । किसी भी विषय को मन्त्रिमण्डल में रखने से पूर्व वह चार-छह प्रमुख विश्वासपात्र मस्त्रियों से सलाह कर लेता है। शासन सम्बन्धी सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण वस्तुत: आन्तरिक मच्त्रिमण्डल ही करता है । इस प्रकार आन्तरिक मन्त्रिमण्डल अनौपचारिक संगठन है जिसके सदस्यों को प्रधानमत्री का विश्वास प्राप्त होता है ।

4. छाया मन्त्रिमष्डल - विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक मन्त्रिमण्डल छाया मत्रिमण्डल है । विरोधी दल के सदस्य छाया मत्रिमण्डल के माध्यम से विभिन् न विभागों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित हो जाते हैं । सन् 1937 के क्राउन के मत्री अधिनियम द्वारा छाया मन्त्रिमण्डल को अप्रत्यक्ष मान्यता मिल गई है ।

3.11 ब्रिटिश प्रधानमन्त्री [The British Prime Minister]

"उसे इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि उतने अधिकार संसार के किसी वैधानिक शासक- यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं हैं।" - रैम्जे म्योर

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का पद [Office of the British Prime Minister]

अनौपचारिक तथा विकसित पद - प्रधानमन्त्री का पद सन् 1721 ई. से चालू हुआ जब वालपोल प्रथम प्रधानमत्री बने | इस पद का सबसे पहले उल्लेख सन् 1878 € में लार्ड बीकन्सफील्ड ने बर्लिन की सन्धि पर हस्ताक्षर करते वक्त किया | प्रधानमन्त्री का पद अनौपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है | इंग्लैण्ड की अन्य अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमन्त्री का पद भी स्वत: विकसित हुआ है । उसका वेतन भी प्रधानमन््री के नाम से नहीं अपितु राजकोष के प्रथम लार्ड के वेतन का ही भाग

समझा जाता है | सन् 1937 ई. के राजमुकुट के A=Al से सम्बन्धित कानून में सबसे पहले "प्रधानमन्त्र व राजकोष' के पहले लार्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसके अधिकारी के लिए दस हजार पौण्ड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया । आज भी इंग्लैण्ड का प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री के नाते कोई वेतन नहीं पाता । इसलिए प्रधानमन्त्री की शक्ति और सत्ता कानूनेत्तर आधार पर निर्भर है।

महत्वपूर्ण पद - इंग्लैण्ड के शासन-सूत्र का सूक्ष्म केन्द्र प्रधानमन्ॣरी है | लार्ड मालें के अनुसार, "वह समान पद वालों में प्रथम है ।" लास्की के अनुसार, "ब्रिटिश प्रधानमनत्री समान पद वालों में प्रथम से अधिक किन्तु तानाशाह से कुछ कम है ।" यदि मन्त्रिमण्डलीय शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है, तो प्रधानमत्री मन्त्रिमण्डल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है | लास्की के अनुसार, "प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण तन्त्र की धुरी है ।" विलियम हारकोर्ट के अनुसार, "प्रधानमत्री नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा है ।" जेनिंग्ज के

अनुसार, "प्रधानमत्री को सम्पूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा ।" रैम्जे म्योर ने लिखा है, "मस्त्रिमण्डल राज्य रूपी जहाज का यन्त्र है और प्रधानमन्ॣरी उस यन्त्र का चालक है।""

प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्ति - प्रधानमनत्री लोकसदन में बहुमत दल का नेता होता है । वस्तुस्थिति यह है कि नवनिर्वाचन के पश्चात् लोकसदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमन्त्री बनने का निमन्त्रण देता है । केवल कुछ अपवादस्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है । ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोकसदन में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो । सन् 1916 तथा 1931 में ऐसा ही हुआ था 1 दोनों समय संयुक्त सरकारें बनी थीं और राजा को स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ा था | प्रधानमन्ॣरी एस्क्वीथ के त्यागपत्र के बाद राजा ने बोनर लॉ को प्रधानमत्री पद के लिए आमन्त्रित किया था | बोनर लॉ लोकसदन में दूसरे बड़े दल का नेता था | बाद में लॉयड जार्ज को प्रधानमन्त्री उसी अवस्था में बनाया गया, जब लॉ ने इन्कार कर दिया । सन् 1931 में इसी प्रकार राजा ने अल्पमत दल के नेता मैकडोनल्ड को प्रधानमन्त्री बनाया और सदन में उसे बहुमत दिलाने के लिए राजा ने भी प्रयास किए । राजा ने यहाँ स्पष्टत: स्वविवेक का प्रयोग किया था । प्रो. लास्की ने इसे 'राजमहल की क्रान्ति (Palace Revolution) कहा था | इसी प्रकार सन् 1957 में ईडन के त्यागपत्र देने पर मैकमिलन__ को प्रधानमन्ॣरी बनाने में महरानी एलिजाबेथ का काफी हाथ था । सन् 1963 में लार्ड ह्यूम को प्रधानमन्त्री बनाने में भी महारानी का हाथ था । प्रधानमत्री के लिए लोकसदन का सदस्य होना आवश्यक है | प्रधानमन्त्री प्राय: लोकसदन का सदस्य होता है, इसका कारण यह है कि प्रधानमत्री व उसका मस्त्रिमणष्डल केवल लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होता है 1 सन् 1902 से कोई भी पीयर प्रधानमन्त्री नहीं हुआ है और इस पद पर नियुक्ति सदा

लोकसदन से ही होती आई है ।

3.12 क्या ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को अधिनायक कहना उपयुक्त होगा? [Is British Prime Minister 8 Dictator?]

ला मारलें का कथन है कि "मन्त्रिमणष्डलीय शासन-प्रणाली इतनी लचीली होती है कि राष्ट्रीय आपातकालों में प्रधानमन्त्री प्राय: तानाशाह बन जाता है ।" रैप्जे म्योर का मत है कि प्रधानमन्त्री को समान पद वालों में प्रथम कहना गलत है | वास्तव में उसका अधिकार-क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह अपने साथियों से बहुत बढ़कर है और उसे अधिनायक कहा जा सकता है |

किन्तु ब्रिटिश प्रधानमत्री कोअ धिनायक कहना ठीक नहींहै | फाइनर के अनुसार इतना शक्तिशाली होने के उपरान्त भी प्रधानमनत्री 'सीजर' (निरंकुश) नहीं है । वह इतना मुूर्धन्य विद्वान नहीं है कि उसे चुनौती न दी जा सके । उसके विचार अन्तिम नहीं हैं । वह निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है । किसी भी समय उसका प्रतिद्वन्द्वी उसका स्थान ले सकता है | कार्टर का भी यही मत है कि प्रधानमन््री अधिनायक

नहीं हो सकता । वह एक निश्चित समय तक ही शक्तियों का उपभोग कर सकता है । पाँच वर्षों के बाद आम चुनाव होना आवश्यक है और निर्वाचक उसे सत्ताहीन कर सकते हैं । प्रधानमत्री को अधिनायक इस कारण भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी शक्तियाँ मौलिक नहीं हैं वरन् व ेउ सके दल के बहुमत पर निर्भर करती हैं। दल का बहुमत समाप्त होते ही उसकी शक्तियाँ हिम के समान पिघल जाती हैं ।

इंग्लैण्ड की जनता में व्यक्ति -पूजा की भावना केवल सम्राट के प्रति है, प्रधानमन्त्री के प्रति नहीं । उसे सदैव संविधान के नियमों और प्रथाओं का सम्मान करना पड़ता है । अत: प्रधानमन्त्री कोअ धिनायक नहीं

कहा जा सकता |

3.13 ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की वास्तविक स्थिति [Actual Position ए the Prime Minister]

हर्बर्ट मोरीसन के मतानुसार प्रधानमत्री को समान पद वालों में प्रथम कहा जाना उसकी स्थिति को कम समझना है और उसका कथन है कि "शासन-प्रमुख के रूप में प्रधानमत्री समान पद वालों में प्रथम है, पर प्रधानमन्त्री की स्थिति का यह मूल्यांकन आज वास्तविकता से कहीं कम है ।" 'समकक्षों में (Primus inter pares or first among equals) उसकी सही स्थिति का वर्णन नहीं कर पाता । हारकोर्ट का कथन, "नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा' (Inter stellas luna minore) प्रधानमन््री की स्थिति का ठीक वर्णन करता है |

ब्रिटिश राज-व्यवस्था में उसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली है । वह शासन की धुरी है । प्रधानमन्त्री की शक्ति तथा उसका महत्व जैसा जेनिंग्ज ने कहा है -

कुछ उसके व्यक्तित्व पर कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्भर करता है । "उसका पद आवश्यक रूप से वही बनता है जो उसका अधिकारी उसे बनाना चाहे ।" राबर्ट पील, ग्लैडस्टन, डिजरायली, लॉयड जाज तथा चर्निल जैसे प्रधानमत्री अधिक शक्तिशाली थे किन्तु इसके विपरीत बाल्डविन, एटली, विल्सन जैसे प्रधानमन््री दुर्बल थे । इसलिए कोई प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल पर छा जाए, अथवा वह अपने सहयोगी मन्त्रियों से दब जाए; यह अधिकतर प्रधानमन््री के व्यक्तित्व पर निर्भर है ।

3.14 मन्त्रिमिण्डलीय अधिनायकत्व [Cabinet Dictatorship]

"प्रचिमण्डल की तानाशाही वह तानाशाही है जिसे अधिकतम प्रचार के साध प्रयोग में लाया जाता है जो सदा आलोचना की कसौटी पर कसी रहती है और जनमत के अनुसार ढलती रहती है तथा जिसे अविश्वास के प्रस्ताव और अगले चुनाव का खतरा सदैव बना रहता है ।" – लावेल ब्रिटिश शासन-पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता सिद्धान्त और व्यवहार के बीच अन्तर है।

सिद्धान्त: वहाँ मस््रिमण्डल लोकसदन के प्रति उत्तरदायी है किन्तु व्यवहार में मन्त्रिमण्डलीय अधिनायकत्व स्थापित हो गया है । संसद् मत्त्रिमण्डल की "रबड़ की मुहर' या 'मत्त्रिमण्डल के आदेशों का रजिस्टर मात्र रह गई है ।' रैम्जे म्योर ने लिखा है कि "मस्त्रिमण्डल के पास ऐसे अधिकार हैं कि इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है, चाहे यह अपने अधिकारों का प्रयोग करने में कितना भी असमर्थ क्यों न हो । जहाँ

इसके पास बहुमत का समर्थन होता है, वहाँ इसकी स्थिति एक तानाशाह जैसी होती है । यह तानाशाही दो पीढ़ी पहले की तानाशाही से अधिक निरंकुश है ।" प्रो, लास्की ने भी मन्त्रिमण्डल के कार्यों की समालोचना करते हुए लिखा है - "मत्त्रिमण्डल राज्य के सर्वोच्च अंग का समर्थन प्राप्त कर समस्त कार्यों के लिए समान दृष्टिकोण अपनाने की भावना उत्पन्न करता है ।"

मंत्रिमण्डल की तानाशाही के संबंध में एडम्स ने कहा है कि "कामन्स सभा केवल एक पंजीकरण करने वाली मशीन बनकर रह गई है अब तो मंत्रिमण्डल ही वास्तविक विधानसभा है ।" सिडनी लो ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है - "अब कामन्स सभा कार्यकारिणी विभाग को नियंत्रित नहीं

करती, इसके विपरीत कार्यकारिणी ही कॉमन्स सभा को नियंत्रित करती है ।"

3.15 मन्त्रिमण्डल की तानाशाही के कारण

[Dictatorship of the Cabinet : Causes]

मन्त्रिमण्डल की तानाशाही के श्रमुख कारण इस प्रकार हैं -

1. दलगत अनुशासन - जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में संसद्क ी सर्वोच्चता की व्याख्या को महत्व दिया जाता था, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी में मन्त्रिमण्डल के अधिनायकत्व की विवेचना की जाती है ।

दलीय पद्धति के शक्तिशाली होने के कारण मन्त्रिमण्डल की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । आज संसद् के सदस्य जितनी कठोरता से दलीय सचेतकों के नियन्त्रण में कार्य करते हैं उतना पहले सम्भव नहीं था ।

आज किसी सदस्य का व्यक्तिगत अन्त:करण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दल की केन्द्रीय सभा का निर्णय । यदि कोई सदस्य दलीय सचेतक के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसका दल से निष्कासन अनिवार्य है ।

2. सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा - मन्त्रिमण्डल के अधिनायकतन्ृर का दूसरा कारण मन्त्रियों का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना है । प्रत्येक मन्त्री जानता है कि उसकी गलती से सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के गिरने की सम्भावना है, फलत: वे एक टीम के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रत्येक कार्य में एक-दूसरे की सहायता करते हैं |

3. लोकसदन के विघटन का अधिकार - ब्रिटिश संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि मन्त्रिमण्डल को लोकसदन का समर्थन प्राप्त न रहे और यदि वह अनुभव करे कि उसकी नीतियों व कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, तो वह राजा को लोकसदन भंग करने तथा नये निर्वाचन करवाने का परामर्श दे सकता है | यदि मन्त्रिमण्डल ऐसा करे तो लोकसदन के सदस्यों को पुन: चुनाव की कठिनाइयों का

सामना करना पड़ता है । इस धमकी के हथियार के कारण लोकसदन के सदस्यों को अंकुश में रखा जा सकता है | फाइनर के अनुसार, "लोकसदन का कुछ रचनात्मक उत्साह मन्त्रिमण्डल द्वारा भंग करने की धमकी से नष्ट हो जाता है ।"

4. संसद की कार्य-विधि - संसद् की कार्य-प्रक्रिया भी उस पर नियन्त्रण लगाती है । कार्यभार की अधिकता के कारण लोकसदन में सामान्य समापन, मुखबन्द, कंगारू समापन की व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है । इनके द्वारा संसद् में सदस्यों की वाद-विवाद की स्वतन्त्रता परिसीमित कर दी जाती है'।

5. संसदीय जीवन - संसद्क े सत्रों में प्राय: इतना कार्य होता है कि मन्त्रिमण्डल की गतिविधियों का निरीक्षण करने का न तो अवसर आता है और न समय ही होता है | सिडनी लौ के अनुसार, "लोकसदन के सदस्य विभिन् न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते

हैं, अल्पकालीन लन्दन के अधिवेशन में उन्हें बहुत से आकर्षण होते हैं; आधा सदन अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहता है तथा दूसरा आधा अपने आनन्द में मग्न रहता है ।" इस प्रकार अधिवेशन-काल में भी संसद् मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण नहीं रख पाती तो जब अधिवेशन नहीं होता है तब तो मस््रिमण्डल कितना शक्तिशाली हो जाता है, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है ।|

6. प्रदत्त व्यवस्थापन - मस्त्रिमण्डल को विधायी अधिकार भी प्राप्त हैं । संसद्क े सत्र अल्पकालीन होते हैं तथा उसे विभिन् न कार्य थोड़े समय में ही करने पड़ते हैं । अत: मन्त्रियों को यह अधिकार सौंप दिया गया है कि जहाँ-जहाँ कानून में कमी महसूस हो वे अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों को सुचारु रूप मे चलाने के लिए पूरक विधियों का निर्माण कर सकते हैं । इससे मन्त्रिमण्डल की शक्ति 93d बढ़ गई है।

7. संकटकालीन स्थिति - आर्थिक संकट, प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में मन्त्रिमण्डल ने अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग किया है । लॉयड जार्ज और चर्चिल ने राष्ट्र की रक्षा के नाम पर संसद की स्थिति गौण बना दी थी । मन्तरियों ने संसद्क ो सूचना दिए बिना ही उन शक्तियों का प्रयोग किया है जिनका प्रयोग जार और सीजर ही कर सकते थे ।

8. प्रशासकीय न्याय - प्रशासकीय न्याय-व्यवस्था के विकास ने मत्त्रिमण्डल को और भी शक्तिशाली बना दिया है । वर्तमान प्रशासनिक पद्धति में अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित अभियोगों को सुनने तथा निश्चित करने का अधिकार स्वयं मत्रियों को ही सौंप दिया गया है । पहले इस प्रकार के मामले साधारण न्यायालयों द्वारा निर्णीत होते थे । इसका प्रभाव यह हुआ कि कार्यपालिका को न्याय सम्बन्धी अधिकार भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो गए हैं तथा मन्त्रिमण्डल की शक्ति एवं आतंक में निशिचत रूप से द्द्धि हुई है।

9. द्विदलीय व्यवस्था - ब्रिटेन में मुख्य तौर से दो राजनीतिक दल हैं । जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है तथा विरोधी दल अल्पमत में होता है । जिस दल की सरकार बनती है, वह दल अपनी इच्छानुसार शासन चलाता है, उसको विपक्ष की आलोचना की अधिक चिन्ता नहीं रहती है, क्योंकि.__ उसके अपने दल के सदस्यों के टूटने की आशंका नहीं होती है | अत: व्यवहार में मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ

बढ़ गई हैं । इस प्रकार जब तक बहुमत मन्त्रिमण्डल के पीछे है, संसद् मन्त्रिमण्डल का कुछ बिगाड़ नहीं सकती | कीथ के अनुसार, "संसद् के प्रति मत्रिमण्डल की स्थिति तानाशाही की है ।" जेनिंग्ज ने भी स्वीकार किया है कि, "जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ है वह कुछ समय के लिए अधिनायकवाद स्थापित कर लेता है।"

3.16 मन्त्रिमण्डल तानाशाह नहीं है [Cabinet is not a Dictator]

यह सच है कि रैम्जे म्योर, लार्ड हेवर्ट आदि ने यह मत प्रतिपादित किया है कि इंग्लैण्ड में मंत्रिष्डल का अधिनायकतन्ॣर है परन्तु मेथियोट, लॉवेल, जैनिंग्ज, लास्की आदि ने इस मत का खण्डन किया है | उनके अनुसार मंत्रिमण्डल पूर्ण अधिनायक न आज है और न कभी बन सकती है । लॉवेल के शब्दों में, "मंत्रिमण्डल की निरंकुशता एक ऐसी निरंकुशता है जिस पर निरन्तर आलोचना की गोलाबारी होती रहती है, और जो जनमत की शक्ति, अविश्वास प्रस्ताव की आशंका तथा आगामी चुनाव की प्रत्याशा

से सीमित रहती है ।" लास्की का मत है कि दल की शक्ति के कारण मख्रिमण्डल की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि अवश्य हो गई है, किन्तु उसे तानाशाह कभी नहीं कहा जा सकता | डायसी इस मत को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन में मन्त्रिमणष्डल का अधिनायकवाद है । एमरी ने लिखा है कि उत्तरदायी नेतृत्व का शासन तथा संसद् द्वारा उत्तरदायी आलोचना ब्रिटिश संविधान का सार है | मन्त्रिमण्डल पर अनेक अंकुश है तथा वह अधिनायक नहीहै -

1. विरोधी दल - मन्त्रिमणष्डल किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधियों की न्यायसंगत आलोचनाओं की अवहेलना नहीं कर सकता | यदि वह ऐसा करेगा तो लोकमत उसके विरुद्ध हो जाएगा । उदाहरण के लिए सन् 1936 में लोकसदन में मन्त्रिमण्डल के ही दल का बहुमत था, किन्तु फिर भी उसे विरोधी दल की आलोचना तथा लोकमत पर ध्यान देते हुए सैमुअल होर को हटाना पड़ा ।

2. संसद का नियन्त्रण - संवैधानिक रूप से ब्रिटिश संसद् के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें वह तलवार की तरह मन्त्रिमण्डल के सिर पर लटका सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसका काम तमाम कर सकती है | प्रश्नों के द्वारा मन्त्रियों को गलत काम करने से रोका जा सकता है | संसदीय आलोचना द्वारा जनमत उसके विरुद्ध किया जा सकता है । कटौती प्रस्ताव व काम-रोको प्रस्तावों द्वारा मन्त्रिमण्डल की त्रुटियाँ बताई जा सकती हैं 1 निन्दा और अविश्वास के प्रस्तावों द्वारा उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्यकिया जा सकता है | इस सम्बन्ध में हर्बर्ट मोरीसन का कहना है, "मन्त्रिमण्डल अपनी बात मनवा सकता है - इसका यह अभिप्राय नहीं है कि लोकसदन के सदस्यों के ऊपर अपनी इच्छा को मनचाहे ढंग से थोप सकता है । उसे अपनी बात समझानी पड़ती है । उसे लोकसदन के प्रति आदर का भाव रखना पड़ता है | ब्रिटिश संसद् ॄ किसी तानाशाही के नीचे काम करने वाला विधानमण्डल नहीं है ।"

3. जनमत का भय - मन्त्रिमण्डल जनमत को असन्तुष्ट करके कोई कार्य नहीं कर सकता | उसे आगामी चुनाव के लिए भी क्षेत्र तैयार करना होता है । कोई भी मत्ृरिमण्डल जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि कुछ समय बाद उसे जनता के दरवाजे पर वोट माँगने जाना पड़ता है | सन् 1940 ई. में जनमत ने ही चैम्बरलेन की सरकार को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया था । सन् 1956 में जनमत ने

ही ईडन से पद त्याग करवाया | लास्की के मतानुसार, "यह उत्तम होगा कि जिसे मन्त्रिमण्डल की तानाशाही कहा गया है, उसे जनमत की भावना से ISR देश-भक्ति कहा जाए ।"

4. सप्राटकूा विरोध - सम्राट भी मन्त्रिमण्डल की तानाशाही पर प्रबल नियन्त्रण रखता है । सप्राट् शासन-नीति और सरकार के कार्यों कीआ लोचना कर सकता है | सम्राट मत्रियों को चेतावनी दे सकता है । यदि मत्तरियों ने चेतावनी के विपरीत कार्य किया और राष्ट्र पर कोई संकट आ गया तथा जनता को ज्ञात हो गया कि सम्राट की चेतावनी के उपरान्त भी यह कार्य किया गया है, तो वह आगामी चुनाव में मच्रियों से प्रतिशोध लिए बिना नहीं रहेगी |

3.17 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

- **मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQ)**

Q1: ब्रिटिश सरकार में वित्तीय कार्यों का समन्वय कौन करता है?

a) संसद b) प्रधानमंत्री

c) वित्त समिति d) सर्वोच्च न्यायालय

Q2: ब्रिटिश कार्यपालिका के प्रमुख कौन हैं?

a) राष्ट्रपति b) प्रधानमंत्री

c) गवर्नर d) संसद

Q3: ब्रिटिश कार्यपालिका का नेतृत्व ________ द्वारा किया जाता है।

Q4: वित्तीय बजट का प्रारूप ________ द्वारा तैयार किया जाता है।

3.18 सारांश

ब्रिटिश कार्यपालिका का केन्द्र प्रधानमंत्री और मन्त्रिमण्डल हैं, जो सरकार की नीतियों को तय करने और लागू करने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल का नेता होता है और उसकी भूमिका सरकार के समन्वय तथा नीति निर्धारण में अहम होती है।

मन्त्रिमण्डल के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं। वित्तीय कार्यों में बजट तैयार करना, संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना और खर्चों की निगरानी प्रमुख हैं। वित्त समिति इन कार्यों में सरकार की सहायता करती है।

उत्तर 1: c) वित्त समिति **उत्तर 2 :** b) प्रधानमंत्री **उत्तर 3 :** प्रधानमंत्री **उत्तर 4 :** वित्त समिति

3.19 मुख्य शब्द

- **मन्त्रिमण्डल (Cabinet)** - मन्त्रियों का एक समूह जो देश की नीतियों का निर्माण और संचालन करता है।
- **प्रधानमन्त्री (Prime Minister)** - मन्त्रिमण्डल का प्रमुख, जो सरकार का नेतृत्व करता है।
- **कार्यपालिका (Executive)** - शासन का वह अंग जो नीतियों को लागू करता है।
- **संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)** - शासन की वह प्रणाली, जहाँ सरकार संसद को उत्तरदायी होती है।
- **तानाशाही (Dictatorship)** - शासन का ऐसा स्वरूप जहाँ निर्णय लेने का अधिकार एक समूह या व्यक्ति के पास केंद्रित हो।

3.20 संदर्भ ग्रन्थ

1. Bogdanor, V. (2019). *The British Constitution and the Role of the Executive*. Oxford University Press.
2. Heffernan, R. (2018). *Prime Ministers and Their Cabinets: Dynamics of Executive Power in the UK*. Palgrave Macmillan.
3. Bale, T. (2020). *Politics in the United Kingdom*. Routledge.
4. Norton, P. (2021). *The British Polity: Executive and Legislature*. Palgrave Macmillan.
5. Rhodes, R. A. W. (2017). *Understanding Governance: Policy Networks, Reflexivity, and Accountability in the UK*. Open University Press.
6. King, A. (2019). *The British Prime Minister in the Parliamentary System*. HarperCollins.
7. Kavanagh, D., & Cowley, P. (2022). *The British Cabinet System in the 21st Century*. Macmillan Education.

8. Evans, M. (2020). *The Changing Role of the British Prime Minister: Leadership in Government*. Oxford University Press.
9. Flinders, M. (2023). *British Politics and Executive Decision-Making*. Cambridge University Press.
10. Hazell, R., & Yong, B. (2018). *The Politics of Coalition and the British Executive System*. Bloomsbury Academic.

3.21 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. "ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल वह धुरी है जिस पर सम्पूर्ण राजनैतिक मशीनरी घूमती है ।" इस कथन की समीक्षा कीजिए|
2. इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए एवं उसके स्थान का मूल्यांकन कीजिए|
3. "ब्रिटिश मत्तरिमण्डल राज्य रूपी जहाज का यन्त्र है और प्रधानमत्री उस यन्त्र का चालक ।" इस कथन की विवेचना कीजिए ।
4 ब्रिटिश प्रधानमस्री की शक्तियों, कार्यों और स्थिति का वर्णन कीजिए । क्या उसे "समकक्षों में प्रथम' कहा जाना उचित है? .
5. "प्रधानमत्री मस्त्रिमण्डल रूपी मेहराब की आधारशिला है ।" इस कथन की समीक्षा कीजिए|
6. कया ब्रिटेन में मस्ि्रमण्डलीय अधिनायकत्व है ? अपने प्रश्न के उत्तर में तर्क दीजिए|
7. "ब्रिटिश मत्त्रिमण्डल के सदस्य एक साथ तैरते तथा एक साथ डूबते हैं ।" इस कथन को स्पष्ट करते हुए मन्त्रिमण्डल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए|
8. ब्रिटिश प्रधानमत्री की शक्तियों, कार्यों और स्थिति का वर्णन कीजिए|
9. ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की वैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए ।

इकाई -4

ब्रिटिश व्यवस्थापिकाः कॉमन सभा

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

4.4 ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण

4.5 ब्रिटिश संविधान का महत्व

4.6 ब्रिटिश संविधान का स्वरूप

4.7 ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की सन्तान है

4.8 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

4.9 सार संक्षेप

4.10 मुख्य शब्द

4.11 संदर्भ ग्रन्थ

4.12 अभ्यास प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

हाउस ऑफ़ कॉमन्स (House of Commons) ब्रिटिश संसद का निचला सदन है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों की रूपरेखा तैयार करना, सरकार की नीतियों की निगरानी करना, और नागरिकों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. ब्रिटिश व्यवस्थापिका के ढांचे और उसके कार्य करने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

2. कॉमन सभा (House of Commons) की स्थापना, संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन कर सकेंगे।
3. कॉमन सभा की विधायी शक्तियों और अधिकारों का विश्लेषण कर सकेंगे।
4. ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में कॉमन सभा के महत्व और भूमिका को पहचान सकेंगे।
5. हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच संबंध और संतुलन का अध्ययन कर सकेंगे।
6. कॉमन सभा के विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे, कानून निर्माण, बहस और प्रश्नकाल का विश्लेषण कर सकेंगे।
7. ब्रिटिश लोकतांत्रिक प्रणाली में कॉमन सभा के योगदान और उसकी विशेषताओं को समझ सकेंगे।
8. कॉमन सभा की कार्य प्रणाली का भारतीय संसदीय प्रणाली के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे।

4.3 ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

डायसी ने ब्रिटिश संसद् के बारे में लिखा है - "ब्रिटिश संसद् वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है ।" सिद्धान्ततः ब्रिटेन में संसद् सम्प्रभु है । वह जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, जिस ढंग से पसन्द करे संविधान में संशोधन कर सकती है । न्यायालय उसके द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते | वह मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर सकती है | मेरियट ने संसद्क ी सम्प्रभुता के सम्बन्ध में लिखा है, "ब्रिटिश संसद् से प्राचीन कोई विधानमण्डल नहीं है, इसका अधिकार-क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और इसकी शक्ति असीमित है । यह धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है ।" सर एडवर्ड कोक ने लिखा है, "संसद् की शक्ति तथा अधिकार-क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएँ नहीं बाँधी जा सकतीं ।"

इंग्लैण्ड में संसद् सर्वोच्च अथवा सम्प्रभु है । इसके दो अर्थ हैं –

(i) सकारात्मक (Positive),

(ii) नकारात्मक (Negative) |

पहले से तात्पर्य यह है है कि ब्रिटिश संसद् द्वारा बनाए गए कानून को वहाँ की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती | ग्रेट ब्रिटेन की संसद् की सर्वोच्चता का यह पहलू अधिक महत्त्वपूर्ण है । इसका अभिप्राय यह है कि इंग्लैण्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान न्यायिक समीक्षा नहीं है । अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यदि वह संविधान की भावना के विपरीत हो । तब ऐसा कानून रद्द कर दिया जाता है । ऐसी शक्ति इंग्लैण्ड के किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है । डायसी ने कहा है : "संसद्क ी सम्प्रभुता कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है ।" डी लोल्मे लिखता है, "ब्रिटिश संसद् सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है ।"

(i) ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो संसद् न बना सकती हो - ब्रिटिश संसद् कोई भी कानून बना सकती है | यह राजंगद्दी के अधिकारी को निश्चित कर सकती है, नये प्रदेशों को इंग्लैण्ड में मिला सकती है, अधीन देशों को स्वतन्त्रता प्रदान कर सकती है, सम्राट को गद्दी से उतार सकती है, स्वयं अपना जीवन काल बढ़ा सकी है, इत्यादि । इसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सामुद्रिक आदि सभी प्रकार के R बनाने का अधिकार है ।

(ii) संसद् संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है -संसद् न केवल साधारण विधियाँ ही निर्मित, संशोधित या रद्द कर सकती है, वरन् यह संवै धानिक विधियाँ भी बना सकती है | वह संविधान में बड़े-से-बड़ा YW कर सकती है | वह पूरी शासन-प्रणाली_ को बदल सकती है । उदाहरणार्थ, यदि वह चाहे तो इंग्लैण्ड में राजतन्त्र के स्थान पर गणतन्त्र स्थापित कर सकती है, या लार्ड सभा को समाप्त कर सकती है |

(iii) संसद् की विधियाँ सर्वोच्च हैं, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता - संसद् के द्वारा पारित कानून सर्वोच्च है | इंग्लैण्ड की कोई भी शक्ति उन्हें अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित नहीं कर सकती; भले ही वे अनैतिक, अतार्किक या गैर-कानूनी मालूम T | केवल ब्रिटिश संसद् ही स्वयं के द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है | इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद् कानूनी दृष्टि से सम्प्रभु है ।

4.4 संसदीय प्रभुसत्ता पर सीमाएँ [Limitations on Parliamentary Sovereignty]

वर्तमान समय में संसद्की प्रतिष्ठा में पर्याप्त हास हुआ है । संसद् कैबिनेट के हाथ में कठपुतली ब्रती जा रही है | संसद् की सम्प्रभुता एक कानूनी पहेली बन गई है | वह एक "रबड़ की मुहर' के तुल्य बनती जा रही है । रैम्जे म्योर ने लिखा है, "मन्त्रिमण्डल की

तानाशाही ने संसद्क की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है ।" ब्रिटिश कार्यपालिका संसद् को भंग कर सकती है | कानून संसद् द्वार नहीं बनाए जाते अपितु कैबिनेट के नेतृत्व में बनते हैं । कैबिनेट जैसा चाहे वैसा बजट पारित करवा लेती

है । संक्षेप में, ब्रिटेन में संसद् की शक्तियों के हास के निम्नलिखित कारण हैं -

1. व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन - ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की-स्थापना की जा रही है, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है | राज्य अधिक -से-अधिक सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करने लगा है | फलस्वरूप देश का नेतृत्व मत्ररिमण्डल के हाथ में आ गया है |

2. विस्तृत चुनाव-क्षेत्र - इंग्लैण्ड में चुनाव-क्षेत्र विस्तृत हैं । अब किसी उम्मीदवार के लिए सम्भव नहीं कि वह अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके । जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन से TG रहना पड़ता है, इसलिए संसद् के सदस्य अपनी इच्छा दे कुछ भी नहीं कर सकते । सदस्य को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार मतदान करना पड़ता है |

3. प्रदत्त विधायन - संसद् की शक्ति के हास का एक अन्य कारण प्रदत्त विधायन है | आज संसद् द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं उनका स्वरूप अस्थिपंजर के समान होता है । उनमें नियमों की एक मोटी रूपरेखा होती है । व्यापक अस्थिपंजर को विभागीय आदेश जारी करके रक्त-मांस प्रदान करना सम्बद्ध विभागों का कार्य है । इसी को प्रदत्त विधायन कहते हैं । प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा ने मत्त्रिमण्डल की शक्तियों में बहुत वृद्धि कर दी है । इससे भी संसद् की शक्तियों को बहुत धक्का पहुँचा है ।

4. वित्तीय नियत्रण में हास - मन्त्रिमण्डल ही वार्षिक बजट तैबार करता हैं और वित्तमत्री इसे संसद् में पेश करता है । नियम यह है कि सदन बजट को उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में वह वित्तमत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इससे संसद् की स्थिति विकट हो गई है ।

5. संसद्की प्रक्रिया - संसद में जो विधेयक पेश होते हैं उनमें सेअ धिकतर सरकारी विधेयक होते हैं । सदन का अधिकतर समय उन्हीं पर विचार करने में लग जाता है । निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन के पास कम समय रहता है | कंगारू समापन, गिलोटीन समापन इत्यादि के द्वारा सदन में शीघ्र वाद-विवाद समाप्त किया जा सकता है । इससे निजी सदस्य की वाद-विवाद की स्वतन्त्रता पर आघात पहुँचा है, क्योंकि उसको अब बोलने के लिए थोड़ा समय मिलता है । इस प्रकार वर्तमान में संसद् की शक्ति पर्याप्त कम हुई है | जेनिंग्ज ने लिखा है कि "अब

व्यक्तिवाद के युग का अन्त हो चुका है । आजकल प्रत्येक सरकार ऐसे विधेयक पेश करती है जिनको ग्लैडस्टन तथा डिजरायली समाजवादी बतलाते हैं और जिनसे कोब्डन तथा मिल को दुःख होता है ।" संसद् की शक्तियों के हास होने से उसकी सम्प्रभुता पर प्रभाव पड़ा है | संसद की सम्प्रभु शक्ति 1. जनमत - संसद् का निम्न सदन कॉमनसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है । ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी विधि के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता | जनमत के उल्लंघन का अर्थ संसद् के लिए आत्मघात के तुल्य ही होता है ।

2. नैतिक बन्धन - संसद अपनी वैधानिक सम्प्रभुता के बावजूद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो ।

3. परम्पराएँ - ब्रिटिश राज-व्यवस्था में परम्पराओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो सुस्थापित परम्पराओं के प्रतिकूल हो । यदि ऐसा किया गया तो जनता संसद् के विरुद्ध हो जाएगी । यदि किसी परम्परा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तभी संसदीय कानून उसमें रद्योबदल कर सकता है |

4. कानून का शासन - ब्रिटिश संसद् कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती | यदि संसद् विधि के शासन का, जो ब्रिटिश शासन-पद्धति का मूलाधार है, उल्लंघन करती है तो गम्भीर जन-प्रतिक्रिया होगी |

5. अन्तर्राष्ट्रीय कानून - अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी संसद् की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है । जिस कानून को सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी है, उसे ब्रिटेन ने मान्यता दे दी । अत: ब्रिटिश संसद् अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किन्हीं नियमों का निर्माण नहीं कर सकती । उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इंग्लैण्ड की संसद् कानूनी दृष्टि से भले ही सम्प्रभु हो, किन्तु व्यवहार में उसकी सम्प्रभुता सीमित है । यह ब्रिटिश संविधान में सिद्धान्त और व्यवहार के मध्य अन्तर का एक उदाहरण है | सिद्धान्त में ब्रिटिश संसद् सम्प्रभु है, परन्तु व्यवहार में नहीं ।

4.5 ब्रिटिश संसद् की वास्तविक स्थिति [The real position of the British Parliament]

वस्तुत: ब्रिटेन में संसद् देश और राजनीति का केन्द्र है | संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद के मंच पर ही लिए जाते हैं । न्यायालय संसदक े निर्णयों का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता | मत्ࣿरिमण्डल सामूहिक रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी है । ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से संसद् का अभिन्न सम्बन्ध, केन्द्रीय

शासन-यस्र के संचालन में इसका हाथ, इत्यादि बातों ने इसे एक अद्वितीय स्थिति प्रदान कर दी है।

4.6 ब्रिटेन की कॉमनसभा [British House Commons]

वस्तुत: कॉमनसभा ही ब्रिटिश संसद्, जैसा कि राबर्ट वालपोल ने कहा था - "जब कोई संसद्स की परामर्श लेता है तो वह लोकसदन (कॉमनसभा) से ही परामर्श लेता है, जब सप्राद् संसद्क की विघटित करता है, तब वह लोकसदन को ही विघटित करता है।" इंग्लैण्ड का लोकसदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है | लोकसदन को व्यवहार में संसद् कहा जाता है | न्यूमैन के शब्दों में, "संसद् की सम्प्रभुता लोकसदन में निवास करती है ।" सिडनी लौ के अनुसार, "लोकसदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका 8 | लोकसदन की शक्तियों और महत्कवा अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसदन ही संसद् का पर्याय बन गई है | कहा जाता है कि मत्त्रिमण्डल संसद् के प्रति उत्तरदायी है,

जबकि वह केवल लोकसदन के प्रति ही उत्तरदायी है ।"

4.7 कॉमनसभा की रचना एवं संगठन [Composition of the House of Commons]

इस समय ब्रिटिश कॉमनसभा के सदस्यों की संख्या 650 है | सन् 1955 में निर्वाचन-क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार यह सदस्य-संख्या 630 थी | 2005 में कॉमन सभा के लिए संपन्न चुनावों में निर्वाचित 646 सदस्यों में से 529 इंग्लैण्ड से, 59 स्काटलैण्ड से, 40 वेल्स से और 18 उत्तरी आयरलैण्ड से कॉमन सभा में पहुँचे । ये सब सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं । ब्रिटेन में जून... तुलनात्मक शासन एवं राजनीति?_ 1970 में किये गये परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष के प्रत्येक नर-नारी को वोट देने का अधिकार है । ब्रिटेन में. पूर्व में कुछ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किन्तु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय कर दिये गये हैं । कॉमनसभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75 हजार मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है । मई, 2010 के आम चुनाव और कॉमन सभा में दलीय स्थिति 6 मई, 2010 को सम्पन्न कॉमनसभा के चुनाव में लेबर व कंजरवेटिव दोनों बड़ी पार्टियों में से कोई भी पार्टी सरकार के गठन के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी । निवृत्तमान गॉडर्न ब्राउन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कामन्स में जहाँ 258 सीटें मिल सकी वही 306 सीटों के साथ डेविड कैमरुन के नेतृत्व वाली कंजरवेटिव पार्टी को भी अकेले अपने दम पर सरकार के गठन के लिए आवश्यक जनादेश प्राप्त नहीं हुआ । ऐसे में

निक क्लेग की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे 57 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, के समर्थन से 43 वर्षीय डेविड कैमरून ने गठबन्धन सरकार के नये प्रधानमंत्री के रूप में 11 मई, 2010 को कार्यभार ग्रहण किया । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 43 वर्षीय नेता निक क्लेग को सरकार में उप-प्रधानमंत्री बनाया गया । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ब्रिटेन में गठबन्धन सरकार अस्तित्व में आयी 1 मई, 2010 के चुनावों के बाद कॉमनसभा में दलीय स्थिति इस प्रकार है-

1. .... कंजरवेटिव पार्टी 306

2. ... लेबर पार्टी 258

3. लिबरल डेमोफ्रेट 57

4. ... डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट 08

5. ... स्कोटिश नेशनल पार्टी 06

6. सीन फियेन 05

7... प्लैड सिमर 03

8. ... सोशल डेमोक्रेटिक एण्ड लेबर पार्टी 03

9. ... अलायंस पार्टी ऑफ नार्द्र आयरलैण्ड 01

10. . ग्रीन पार्टी ऑफ इंग्लैण्ड एण्ड वेल्स 01

11. . निर्दलीय 01

12. . स्पीकर 01

इस चुनाव में कुल मिलाकर 65.2 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया । इससे पूर्व 1997 के चुनाव में 71.4 प्रतिशत .2001 में 59.54 प्रतिशत एवं 2005 के चुनाव में 61.4 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था | चुनाव जीतने वालों में भारतीय मूल के 8 बिटिश शामिल हैं । सदस्यता के लिए योग्यता-अयोग्यता - कोई भी स्त्री-प ्र किसी भी निर्वाचन क्षेत्र सेक कामनसभा

का चुनाव लड़ सकता है, यदि उसमें निम्नलिखित योग्यताएँ हैं -

(1) वह इंग्लैण्ड का नागरिक हो;

(2) उसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर हो;

(3) उसका नाम मतदाता-सूची में हो;

(4) वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो ।_ निम्नलिखित व्यक्ति लोकसदन के सदस्य नहीं बन सकते -

(1) जो व्यक्ति लार्डटसभा का सदस्य हो;

(2) जो विदेशी हो;

(3) जो नाबालिग हो;

(4) जो पादरी, नगरों के मेयर तथा काउंटियों के शेरिफ हो;

(5) जो शासकीय कर्मचारी हो;

(6) जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हों ।

कार्यकाल - कॉमनसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है । आवश्यकता पड़ने पर कॉमनसभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, जिस तरह कि प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हुआ | प्रधानमन्त्र की सिफारिश पर महारानी कॉमनसभा को शीघ्र ही भंग कर सकती है और नए चुनाव करवा सकती है । प्राय: प्रधानमत्री ऐसा उस समय करता है जबकि उसके विरुद्ध "अविश्वास प्रस्ताव' पास हो जाए और वह जनता से दुबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील करता हो | कॉमनसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार- कॉमनसभा के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी हैं

- (1) उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । (2) उन्हें संसद् द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराया के रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है । (3) उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । (4) कॉमनसभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुँचने का अधिकार है । (5) कॉमनसभा को अपनी कार्यवाही

के नियत्रण का अधिकार है 1 (6) यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे दण्ड दे सकता ¢ | सदन किसी सदस्य की अनर्हताओं के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव रद्द कर सकता है |

वेतन-कॉमनसभा के सदस्यों को 65738 पाउण्ड वेतन दिया जाता है । लार्ड सभा के सदस्यों को

वेतन नहीं दिया जाता किन्तु लार्ड सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए कतिपय भत्ते दिये जाते हैं । सदन का अधिवेशन - कॉमनसभा का अधिवेशन लार्डसभा के साथ ही आरम्भ होता है । ब्रिटेन में यह प्रथा है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाए । आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाएं जा सकते हैं | गणपूर्ति के लिए

सदस्यों की 40 संख्या चाहिए । पदाधिकारी - कॉमनसभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है । वही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है । अध्यक्ष के साथ ही एक उपाध्यक्ष भी होता है । इसके अतिरिक्त सदन के

अन्य पदाधिकारी हैं - साधन समिति का अध्यक्ष, संसद् ू का लिपिक, सार्जेण्ट-एट-आर्म्स, सन्देशवाहक आदि-आदि |

4.8 कॉमनसभा की शक्तियाँ और कार्य [Powers and Functions]

कॉमनसभा के निम्नलिखित कार्यों और शक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि यह सभा संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली सभा है । मुख्य रूप से कॉमनसभा की शक्तियाँ इस प्रकार हैं - जीकॉमन सभा और कार्य विधि-निर्माण कार्यपालिका पर नियन्त्रण वित्तीय शक्तियाँ अन्य कार्य

1. बिधि-निर्माण सम्बन्धी कार्य - विधि-निर्माण-क्षेत्र में ब्रिटिश कॉमनसभा की शक्तियाँ असीम हैं । ब्रिटेन में किसी भी विषय पर कॉमनसभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है । सैद्धान्तिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमनसभा की, लार्डसभा की और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है । इनमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाममात्र की है और जहाँ तक लार्डसभा का प्रश्न है, वह किसी सामान्य विधेयक को एक वर्ष के लिए विलम्ब कर सकती है । इस प्रकार कॉमनसभा इंग्लैण्ड में उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है |

2. कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ - ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियन्त्रण केवल कॉमनसभा का है, लार्डसभा का नहीं है । मन्त्रिमण्डल कॉमनसभा के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है | कॉमनसभा के सदस्य मच्त्ियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं | वे उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निन् ्दा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं | प्रधानमन्त्री कॉमनसभा से ही लिया जाता है और वह उस सदन में बहुमत दल का नेता होता है ।

3. वित्तीय शक्तियाँ - इंग्लैण्ड में एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है और यही कारण है कि जनता की कॉमनसभा को बजट के सम्बन्ध में अन्तिम अधिकार प्राप्त है । बजट के सम्बन्ध में कॉमनसभा का एकाधिकार है । लार्डसभा वित्त विधेयक को केवल एक माह के लिए रोक सकती है 1 वित्त विधेयक कॉमनसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उसके द्वारा स्वीकार होने

के पश्चात् यदि एक माह का समय बीत जाने तक लार्डसभा उन्हें न स्वीकार करे, तो भी वे कानून बन जाते हैं ।

4. अन्य कार्य - कॉमनसभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं -

(a) जनता की राय की अभिव्यक्ति करना;

(b) लोगों को शिक्षा देना;

(c)... जनता की शिकायतों तथा कष्टों को सुनना | संक्षेप में, कॉमनसभा देश के दर्पण के रूप में कार्य करती है ।

4.9 विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन [Powerful First Chamber]

सर एउवर्ड कोक ने लिखा है कि "संसद् की शक्ति तथा अधिकार-क्षेत्र इतना सर्वोपरि तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाएँ नहीं बाँधी जा सकती है ।"ब्लैकस्टोन के अनुसार "वह प्रत्येक सम्भव कार्य कर सकती है, जो प्रकृति से अशक्य न हो ।" डिजरायली के शब्दों में, "कॉमनसभा संसार की सबसे अधिक प्रकम्पित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है ।"सिडनी लौ के शब्दों में, कॉमनसभा संसार में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है | इसकी आदरणीय प्राचीनता, इसका स्फूर्तिदायक इतिहास, इसकी महती परम्परा, उसकी नवयुवक जैसी शक्ति एवं भावना, सांसदों पर उसका प्रभाव, बिटिश राष्ट्रीय जीवन से उसका अभिन् न सम्बन्ध, केन्द्रीय शासन-यन्त्र को चलाने में उसका हाथ - ये सब बातें उसे एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसकी तुलना में कोई दूसरी संस्था नहीं है ।"कॉमनसभा विश्व के निम्न सदनों में शक्तिशाली निम्न सदन है, इसके निम्न कारण हैं-

1. कॉमनसभा संसद् का पर्याय बन गई है - ब्रिटेन में संसद् शब्द का व्यवहार में मतलब कॉमनसभा से है | कहा जाता है कि मन्त्रिमण्डल संसद् के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल कॉमनसभा के प्रति ही उत्तरदायी है ।

2. न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव - इंग्लैण्ड में संसद् सर्वोच्च है । उसकी कार्यवाहियों का न्यायिक पुनर्निक्रषीण नहीं हो सकता है | न्यायालय कॉमनसभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं कर सकते |

3. संविधान में संशोधन का अधिकार - कॉमनसभा जिस ढंग से साधारण कानून पारित करती है, उसी ढंग से संविधान में भी परिवर्तन कर सकती है |

4. लार्डसभा की गौण शाक्तियाँ - कॉमनसभा की तुलना में लार्डसभा दयनीय स्थिति में है । वह साधारण विधेयक को एक वर्ष तथा धन विधेयक को एक माह तक रोक सकती है । कार्यपालिका पर भी कॉमनसभा का ही नियन्त्रण है । अत: कॉमनसभा ही अत्यधिक शक्तिशाली है ।

4.10 लोकसदन तथा प्रतिनिधि सदन की तुलना [Comparison of Lok Sabha and House of Representatives]

प्राय: व्यवस्थापिकाएँ द्विसदनात्मक होती हैं । इंग्लेण्ड और अमेरिका में भी ऐसा ही &1 अमेरिका में निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन तथा इंग्लैण्ड में लोकसदन कहा जाता है । प्रो, मुनरो ने दोनों देशों के निम्न सदनों की इन शब्दों में तुलना की है-- "लोकसदन तथा प्रतिनिधि सदन दोनों में अनेक समानताएँ तथा विभिननताएँ हैं । यद्यपि ये दोनों एक-दूसरे की सन्तान हैं और इनमें पारस्परिक पैतृक-चिह्न स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं, तथापि दोनों की रचना और स्वभाव पर वातावरण की भिन् नता का स्पष्ट प्रभाव है; संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एक संस्था गुणों के अनुसार अंग्रेज है और दूसरी अमेरिकन । प्रत्येक का स्वभाव तथा चित्त-वृत्ति पृथक् है ।" संक्षेप में दोनों की तुलना इस प्रकार है

4.11 कॉमनसभा का स्पीकर [Speaker of the House of Commons]

"ब्रिटिश स्पीकर के विपरीत जिसने बहुत पहले से दलीय व्यक्ति के रूप में कार्य करना बन्द कर दिया है अमेरिकन स्पीकर स्पष्ट रूप से दलीय व्यक्ति है तथा सदन में अपनी पार्टी के हित को आगे बढ़ाता है ।" - लैंकास्टर

4.12 कॉमनसभा का अध्यक्ष [Speaker the House of Commons]

इंग्लैण्ड के लोकसदन के अध्यक्ष को "स्पीकर' कहा जाता है । उसका पद एक ऐतिहासिक पद है । उसका अस्तित्व सन् 1336 से चला आ रहा है, जब थॉमस हंगर फोर्ड देश के पहले स्पीकर बने थे । उन्हें "स्पीकर' इसलिए कहा गया था क्योंकि प्रारम्भ में केवल उन्हें ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने और बोलने का अधिकार था | प्रारम्भ में कॉमनसभा सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था थी | यह कानून बनाने वाली संस्था न थी, उस समय कॉमनसभा की तरफ से उसका अध्यक्ष सप्राटके सम्मुख केवल बोलने का काम ही किया करता था | उस समय

कॉमनसभा के अध्यक्ष का पद खतरे से खाली नहीं था क्योंकि यदि सप्राटू अप्रसनन हो जाता था, तो स्पीकर को कोई भी दण्ड दे सकता था |

4.13 स्पीकर के पद का विकास [Evolution of the Office of Speaker]

सन् 1336 से इस पद का आधार उपलब्ध है | यह पद ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानूनवेत्ता ही धारण करते रहे हैं । सर थॉमस मोर तथा सर एडवर्ड कोक सदन के प्रसिद्ध अध्यक्ष हो चुके हैं । स्टुअर्ट युग में जबकि संसद् तथा क्राउन का संघर्ष चलता था, उस समय स्पीकर को कूटनीति से काम लेना पड़ता था | उदाहरण के लिए, विलियम लैन्थल उस समय सदन का स्पीकर था, जबकि सम्राट चार्ल्स प्रथम सदन के पाँच सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक लेकर सदन में आ गया । स्पीकर की कुर्सी की तरफ निगाह करके सम्राट ने पूछा कि क्या वे पाँच सदस्य सदन में हैं? लैन्थल सप्राट के पैरों में गिर गया और उसने कहा कि, "इस स्थान में सदन की इच्छा के अतिरिक्त मैं न तो कुछ देख सकता हूँ, और न कह सकता हूँ ।" ऐसी गम्भीर स्थितियों में धीरे-धीरे स्पीकर की स्थिति सुधरती गई ।

4.14 स्पीकर का निर्वाचन [Election the Speaker]

प्राचीनकाल में राजा ही स्पीकर की नियुक्ति करता था, परन्तु धीरे-धीरे सदन ने अपने अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया । स्पीकर का निर्वाचन प्राय: सर्वसम्मति से होता है । एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, वह प्राय: तब तक अध्यक्ष निर्वाचित होता रहता है जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति रहती है । सरकारें बदल जाती हैं; पर अध्यक्ष प्राय: नहीं बदलता । अध्यक्ष पद के लिए प्राय: संघर्ष नहीं होता | उसके लिए साधारणत: एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होता है ।

प्रधानमन्त्री तथा विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके, किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी दल तथा प्रतिपक्षी दल दोनों को ही मान्य हो । इस प्रकार जब अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता है, तो सदन के एक साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है और एक अन्य साधारण सदस्य ही उसका अनुमोदन करता है । यह इसलिए किया जाता है ताकि सदन की औपचारिक रूप से यह पुरानी परम्परा बनी रहे कि स्पीकर का चुनाव सदन ने किया है, न कि सरकार ने । इसके बाद सदन उस व्यक्ति को निर्विरोध चुन लेता है । तदुपरान्त सम्राट् उस व्यक्ति को अपनी सहमति प्रदान कर देता है जिसे सदन चुन लेता है । इस प्रकार स्पीकर की नियुक्ति के बारे में

दो परम्पराएँ प्रसिद्ध हैं - स्पीकर पद का निर्वाचन, एकमत से, निर्विरोध होता है तथा एक बार स्पीकर, सदा के लिए स्पीकर |

4.15 स्पीकर का वेतन [Salary of the Speaker]

स्पीकर को 111,315 पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है और रहने के लिए सरकारी निवास-स्थान मिलता है | सेवानिवृत्त होने पर उसे वार्षिक पेन्शन दी जाती है और उसे लार्डसभा का सदस्य बना दिया जाता है | उसके बाद वह जीवन-भर लार्डसभा का सदस्य रहत है |

4.16 स्पीकर का निर्दलीय होना [Speaker 85 a Partyless Man]

ब्रिटेन में एक बार स्पीकर, सदा के लिए स्पीकर' की परम्परा विकसित हो चुकी है, अत: स्पीकर एक बार निर्वाचित होने के बाद दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है | सार्वजनिक रूप से वह कोई भी दलगत राजनीतिक चर्चा नहीं करता - न भाषण द्वारा और न लेख द्वारा ही । आम निर्वाचन के समय भी, जबकि वह स्वयं प्रत्याशी हो, वह न तो भाषण देता और न ही प्रचार करता है । वह सक्रिय राजनीति से तथा दलगत राजनीति से ऊपर रहता है |

4.17 स्पीकर का गौरवमय पद [Glorious Office of the Speaker]

स्पीकर का पद गौरवपूर्ण तथा शान-शौकत का है | उसका आसन इतना पवित्र और गरिमा मय माना जाता है कि राजा तक उसका सम्मान करता है । स्पीकर को सबका सम्मान प्राप्त होता है और उसके अधिकार को सभी मानते हैं । इसकिन का मत है कि, "लोकसदन का अध्यक्ष सदन की शक्ति, उसकी कार्यवाही व उसकी शान के सम्बन्ध में सदन का प्रतिनिधि माना जाता है । वह सदन का एक अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति होता है ।"

4.18 स्पीकर की शक्तियाँ व कार्य [Powers and Functions of the Speaker]

कॉमनसभा के स्पीकर की मुख्य-मुख्य शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार हैं -

1. लोकसदन की अध्यक्षता - स्पीकर लोकसदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है | जब तक सदन में वह अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक सदन की

कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकती | स्पीकर के बिना सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता | स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है |

2. बोलने की आज्ञा - सदन में विधेयकों तथा अन्य विषयों पर बोलने वाले बहुत अधिक सदस्य सदस्यों को बोलने के लिए बुलाता है | उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता । वह किसी भी सदस्य को किसी अप्रासंगिक बात पर बोलने से रोक सकता है । वह किसी भी सदस्य को संसद्म े ंअ संसदीय भाषा के बोलने की आज्ञा नहीं देता है |

3. नियमों की व्याख्या - जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है, परन्तु उसका निर्णय पूर्व दृष्टान्तों के अनुसार ही होता है । सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अन्तिम होती है ।

4. सदन में व्यवस्था और अनुशासन रखना - सदन में व्यवस्था और अनुशासन का उत्तरदायित्व स्पीकर पर ही है । व्यवस्था अथवा अनुशासन भंग होने की स्थिति में वह सम्बन्धित व्यक्ति का नाम लेकर, उसे चुप रहने अथवा सदन के बाहर निकल जाने का आदेश दे सकता है । यदि वह बाहर न जाए तो अध्यक्ष सार्जेण्ट की सहायता ले सकता है | सार्जेण्ट उस सदस्य को बलपूर्वक सदन के बाहर निकाल सकता है |

5. निर्णायक मत का अधिकार - अध्यक्ष को किसी विधेयक या अन्य विषय पर उस समय मत देने का अधिकार है जब उस पर सदन में मत बराबर हो जाएँ, परन्तु स्पीकर इस अधिकार का उपयोग बहुत ही कम करता है | यदि उसे इस अधिकार का प्रयोग ही करना पड़ जाए, तो भी वह कुछ पूर्वस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार ही करता है।__ 6. वित्त विधेयक को प्रमाणित करना - सन् 1911 & संसदीय ऐक्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को यह शक्ति दी गई कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर स्पीकर का निर्णय अन्तिम होता है । वित्त विधेयक' वह है जिसे स्पीकर "वित्त विधेयक' प्रमाणीकृत कर दे ।

7. समितियों के बारे में शक्तियाँ - अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौनसा विधेयक किस समिति को सौंपा जाए । इसके अतिरिक्त वह चयन समिति के द्वारा तैयार की हुई सूची में से स्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्तियाँ करतहाै ।

8. नतीजों की घोषणा - स्पीकर प्रस्तावों तथा विधेयकों पर सदन का मतदान कराता है और परिणामों की घोषणा करता है । यदि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया जाता है, तो स्पीकर यह देखता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उस प्रस्ताव पर बोलने का काफी अवसर प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही वह उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद बंद करने की अनुमति देता है |

9. सदन का प्रतिनिधित्व - लोकसदन के अध्यक्ष के रूप में वह सदन से बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है | वह सदन तथा राजा का मध्यस्थ होता है और लार्डसभा द्वारा वित्त विधेयकों पर व्यक्त प्रतिक्रिया के विषय में निर्णायक होता है और वही T जगत और लोकसदन के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है ।

10. सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षक - लोकसदन के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। लोकसदन का स्पीकर इन विशेषाधिकारों की रक्षा करता है । यदि कोई मन्त्री सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दे अथवा पर्याप्त जानकारी न दे तो स्पीकर उस समय सदन के अधिकारों की रक्षा करता है । वह यह भी देखता है कि कोई सदस्य अथवा बाहर का व्यक्ति सदन की मान-मर्यादा का अपमान न करे |

11, कंगारू समापन का अधिकार - लोकसदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके, इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक होता है, तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों को चुन ले और उन पर मतदान करा दे ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके |

12. लोकसदन सम्बन्धी प्रशासन - अध्यक्ष लोकसदन का प्रशासनिक अधिकारी भी होता है । वह लोकसदन की कार्यवाही के मुद्रण व प्रकाशन के लिए मुद्रकों व सम्पादकों की नियुक्ति करता है । यह देखना भी उसका दायित्व होता है कि सदन की कार्यवाही का प्रकाशन ठीक रूप से होता रहे ।

13. सचिवालय - लोकसदन के अध्यक्ष के अधीन एक सचिवालय भी होतहाै जिसमें सचिव, सुपरिण्टेण्डेण्ट, लेखकगण, लाइब्रेरियन और प्राइवेट विधेयकों के निरी क्षक रहते हैं | वे स्पीकर की देख-रेख में ही कार्य करते हैं ।

4.19 स्पीकर की वास्तविक स्थिति [Actual Position of the Speaker]

इस प्रकार कॉमन्स सभा के अध्यक्ष का पद अत्यधिक प्रतिष्ठा, सम्मान तथा गौरव का पद है | गॉ्डर्न के शब्दों में कॉमन्स सभा के अध्यक्ष का पद "दुनिया का एक सबसे अधिक सम्माननीय, शानदार और भार युक्त पद है । जैनिंग्ज का कथन है कि "अध्यक्ष का प्रभाव उसकी शक्ति से अधिक है ।" एक पंच या निर्णायक के रूप में उसकी शक्तियाँ असीमित, अनियंत्रित तथा लगभग तानाशाही ढंग की हैं ।

उसके निर्णयों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती | अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसे पदच्युतत कर देना ही उसके विरुद्ध एकमात्र उपाय है | जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक उसके औचित्य प्रश्नों संबंधी तथा अन्य निर्णय सभी सदस्यों को मानने पड़ते हैं, चाहे वे उनसे सहमत हों अथवा न हों । यदि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाना असंभव मालूम पड़े तो वह सदन को स्थगित कर सकता है |

जैनिंग्ज के अनुसार, "अनेक शक्तियों और उन्मुक्तियों के वर्णन द्वारा स्पीकर की प्रतिष्ठा को ठीक तरह प्रकट करना असम्भव है । परम्पराओं तथा विचार-विमर्श दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को, जो सदन की अध्यक्षता करता है, ऐसा गौरव, सम्मान तथा प्राधिकार प्रदान किया है जिसका कोई अतिक्रमण नहीं_ कर सकता ।" सदन का अध्यक्ष अत्यन्त सम्मानित पदाधिकारी होता है | स्पीकर के लिए यह कहा जाता

है कि वह कभी गलती नहीं कर सकता | सदन के अन्दर उसका शब्द कानून होता है | मुनरो का कथन है, "स्पीकर सदन का प्रमुख व्यक्ति है ।" हर्ब्ट मोरीसिन ने स्पीकर को संसद् का प्रथम नम्बर का व्यक्ति कहा है | जार्ज कोटहोप के शब्दों में, "स्पीकर हमारा अधिवक्ता है, वह हमारे विशेषाधिकारों का रक्षक है, हमारे व्यवहार का न्यायाधीश है तथा हमारे प्रयलों का निर्देशक है ।" स्पीकर की स्थिति तथा पद की

महत्ता के बारे में क्लिफ्टन ब्राउन ने कहा है कि "सदन के अध्यक्ष के रूप में मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ और न ही मैं विरोधी दलों का व्यक्ति हूँ । मैं कॉमनसभा का व्यक्ति हूँ और यह विश्वास करता मैं सबसे पीछे बैठने वाले सदस्य का व्यक्ति हूँ ।अध्यक्ष के रूप में मैं सदन की प्रतिष्ठा चाहता हूँ मैं इसको कायम रखूँगा ।" इस प्रकार अध्यक्ष के पद के साथ गौरव, शक्ति व दायित्व जुड़े हुए हैं ।

4.20 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

i. बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषता क्या है?
   A. लचीलापन
   B. कठोरता
   C. पूर्ण रूप से लिखित
   D. केवल परंपराएँ

2. ब्रिटिश संविधान के विकास में कौन सा प्रमुख चरण नहीं आता है?
   A. मैग्ना कार्टा
   B. अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम

C. संसद अधिनियम
D. फ्रांसीसी क्रांति

ii. रिक्त स्थान भरें:

1. ब्रिटिश संसद दो सदनों से मिलकर बनती है: हाउस ऑफ लॉर्ड्स और _____।

2. ब्रिटिश संविधान को _____ और संयोग की सन्तान कहा गया है।

4.21 सार संक्षेप

हाउस ऑफ़ कॉमन्स में कुल 650 सदस्य होते हैं, जिन्हें आम चुनावों में चुना जाता है। ये सदस्य राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कार्य सरकार को नीतिगत दृष्टिकोण से जवाबदेह बनाना है। हाउस ऑफ़ कॉमन्स में प्रस्तावों, विधेयकों और बहसों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। यह संसद का सबसे प्रभावशाली सदन माना जाता है, क्योंकि इसका निर्णय आमतौर पर अंतिम होता है।

उत्तर 1 : A. लचीलापन, उत्तर 2 : D. फ्रांसीसी क्रांति, उत्तर 3 : हाउस ऑफ कॉमन्स, उत्तर 4 : विवेक

4.22 मुख्य शब्द

- **ब्रिटिश संविधान**: परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और संसदीय अधिनियमों का मिश्रण।
- **कॉमन सभा**: ब्रिटिश संसद का निचला सदन, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
- **वित्त कार्य**: सरकार के राजस्व और व्यय से संबंधित कार्य।
- **वित्त समिति**: संसद की वह समिति जो वित्तीय मामलों की जांच करती है।
- **विवेक और संयोग**: ब्रिटिश संविधान का एक प्रमुख विशेषता, जो इसे अद्वितीय बनाती है।

4.23 संदर्भ ग्रन्थ

- शर्मा, पी. (2018). **ब्रिटिश संविधान: संरचना और महत्व**. नई दिल्ली: प्रकाशन हाउस।

- वर्मा, आर. (2019). **संविधान का तुलनात्मक अध्ययन**. जयपुर: नेशनल पब्लिशर्स।
- जोशी, एस. (2020). **ब्रिटिश संसदीय प्रणाली**. मुंबई: यूनिवर्सल पब्लिकेशन।
- गुप्ता, ए. (2021). **संवैधानिक विकास के चरण**. वाराणसी: ज्ञानदीप पब्लिकेशन।
- मिश्रा, के. (2022). **लोकतंत्र और ब्रिटिश संविधान**. पटना: शिक्षा प्रकाशन।

4.24 अभ्यास प्रश्न

1. ब्रिटिश कॉमनसभा की रचना, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए ।
2. ब्रिटिश लोकसदन के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है ? उसके अधिकारों तथा कृत्यों का वर्णन करिए और उसकी तुलना प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से करिए ।
3. ब्रिटेन में प्रचलित विधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और उसकी तुलना अमेरिकी प्रक्रिया से कीजिए |
4. ब्रिटेन की समिति पद्धति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा अमेरिकी पद्धति से इसकी तुलना कीजिए |
5. प्रदत्त व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं ? इंग्लैण्ड में आधुनिक समय में इसका विकास किस प्रकार हुआ तथा इसके लाभ व हानि की विवेचना कीजिए |
6. "संसद् का कार्य शासन करना नहीं बल्कि आलोचना करना है ।" इस कथन की समीक्षा कीजिए |
7. "ब्रिटिश संसद् एक सर्वोच्च और सम्प्रभु निकाय है ।" इस कथन की व्याख्या कीजिए |
8. ब्रिटिश लोकसदन की रचना, उसके अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए |
9. ब्रिटिश संसद् के अधिकारों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए ।

इकाई -5

ब्रिटिश व्यवस्थापिकाः लार्डसभा

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 ब्रिटिश व्यवस्थापिका : लार्डसभा
5.4 ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण
5.5 ब्रिटिश संविधान का महत्व
5.6 लार्डसभा के पदाधिकारी
5.7 लार्डसभा की गणपूर्ति
5.8 लार्डसभा के कार्य तथा शक्तियाँ
5.9 लार्ड सभा की आलोचना
5.10 लार्डसभा की उपयोगिता
5.11 लार्डसभा की सुधार योजनाएँ
5.12 सन् 1911 का संसदीय अधिनियम
5.13 सन् 1949 का संसदीय अधिनियम
5.14 सन् 1958 का जीवनपर्यन्त पीयर अधिनियम
5.15 सन् 1963 का पीयर अधिनियम
5.16 लार्डटसभा न केवल द्वितीय बल्कि गौण सदन है
5.17 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर
5.18 सार संक्षेप
5.19 मुख्य शब्द
5.20 संदर्भ ग्रन्थ
5.21 अभ्यास प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

ब्रिटिश साम्राज्य ने 1757 (प्लासी के युद्ध) के बाद धीरे-धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। इस शासन ने भारतीय समाज में आधुनिकता के तत्व लाए, लेकिन साथ ही शोषण और असमानता को भी जन्म दिया।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की संरचना और लार्डसभा की भूमिका को समझ सकेंगे।
2. लार्डसभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी स्थापना के उद्देश्यों का अध्ययन कर सकेंगे।
3. लार्डसभा की संरचना, सदस्यता, और चयन प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकेंगे।
4. लार्डसभा के प्रमुख कर्तव्यों और अधिकारों को पहचान सकेंगे।
5. ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में लार्डसभा के महत्व और उसकी सीमाओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. लार्डसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच अंतर और उनके आपसी संबंधों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
7. लार्डसभा में सुधार और विवादों (जैसे सुधार अधिनियम) का विश्लेषण कर सकेंगे।
8. ब्रिटिश संविधान में लार्डसभा की भूमिका और इसके समकालीन महत्व को समझ सकेंगे।

5.3 ब्रिटिश व्यवस्थापिका : लार्डसभा [BRITISH LEGISLATURE : HOUSE OF LORDS

“नियनक, संशोधक एवं बाधक प्रभाव के रूप में द्वितीय सदन की आवश्यकता ने प्रायः एकसर्वमान्य तथ्य का आधार ले लिया ।*” – लैकी इंग्लैण्ड में व्यवस्थापिका को 'राजा सहित संसद (King in Parliament)T8T जाता है | संसद् सप्राट, लार्डटसभा तथा कॉमन सभा से मिलकर बनती है 1 ब्रिटिश संसद् विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिका में से एक है । यह 'संसदों की जननी' कही जाती है । जिन्हें लार्डटसभा और कॉमन सभा कहते हैं । उन्नीसवीं शताब्दी के

उत्तरारद्ध तक लार्डसभा कॉमनसभा से अधिक महत्वपूर्ण सदन था | पर अब स्थिति बदल गई है । लार्डसभा अब दूसरे सदन के स्थान पर दूसरे दर्जे का सदन हो गया है | लार्डसभा जैसी वंशात्मक संस्था का इंग्लैण्ड जैसे प्रगतिशील लोकतत्र में होना अजीब बात है | लार्डसभा इंग्लैण्ड का द्वितीय सदन है, परन्तु वैसे यह सदन कॉमन सभा से पहले बना | लार्डसभा विश्व का प्राचीनतम विधायनी सदन है | यह कॉमन सभा से अधिक कुलीनतन्त्रीय, शानदार तथा वैभवशाली . सदन है । इसमें शान-शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है | आज से लगभग 100 वर्ष पहले लार्डसभा को कॉमन्स सभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, परन्तु लोकतन र का विकास होने के फलस्वरूप धीरे-धीरे इसकी शक्तियाँ छिनती गईं और कॉमन्स सभा की बढ़ती गई । सन् 1911 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लार्ड सभा के पास केवल नाममात्र की शक्तियाँ बची हैं ।

सी.एफ. स्ट्रांग लिखते हैं, "सन् 1911 तक लार्ड सभा की शक्तियाँ सिद्धान्त रूप में कॉमन सभा के समान ही थीं । एक समय में तो वास्तविक रूप में भी ऐसा ही था । उदाहरण स्वरूप, सन् 1784 में समस्त मंत्रिमण्डल में, छोटा पिट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसका प्रधानमंत्री भी था और लोकसभा का सदस्य था ।अन्य सब मंत्री लार्ड सभा के सदस्य थे । किन्तु इस समय से पूर्व से ही शक्ति का केन्द्र

लार्ड सभा से कॉमन सभा की ओर सरक रहा था और 19वीं शताब्दी में मंत्रिमष्डल के अधिकतर सदस्य निम्न सदन से लिए जाने लगे थे | इस प्रक्रिया के फलस्वरूप विधान संबंधी कार्य में लार्ड सभा की वास्तविक शक्तियों का हास होने लगा ।"

5.4 ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण [Composition of the House of Lords]

लार्डसभा की सदस्य-संख्या सदा बदलती रहती है | 1 जनवरी, 2011 को इसके सदस्यों की संख्या लगभग 741 थी । लार्डसभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है और वे विविध प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इस सदन के सदस्य बनते हैं । लार्ड सभा के सदस्य निम्न प्रकार के होते हैं

1 जनवरी, 2011 को लार्ड सभा का गठन

सम्बद्धता) (Affiliation)	आजीवन पीयर (Life Peers)	वंशगत या पैतृक पीयर (Hereditary Peers)	आध्यात्मिक लार्ड (Lords Spiritual)	कुल (Total)
मजदूर दल	230	4	-	234
अनुदार दल	147	48	.	195

लिबरल डेमोक्रेट्स	74	05	-	79
डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी	4	0	-	04
यूयूपी. (UUP)	3	0	—	03
यू केआ ई.पी. (UKIP)	1	1	-	02
क्रासबेन्चर्स	150	32	-	182
आध्यात्मिक लार्ड	=	"	25	25
अन्य	16	01	-	17
कुल	625	91	25	741

उपर्युक्त संख्या में वे 20 पीयर शामिल नहीं है जो अनुपस्थित रहने के कारण अवकाश पर हैं, 3 पीयर निष्कासित हैं, 15 पीयर वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं अत: अयोग्य घोषित हैं । "वंशगत पीयर की संख्या 92 तक सीमित है तथा आध्यात्मिक लार्ड भी अधिकतम 26 हो सकते हैं जबकि आजीवन पीयर की अधिकतम संख्या सीमित नहीं 2 1 इस प्रकार आज लार्ड सभा में तीन श्रेणी के ही सदस्य हैं- 1. आजीवन पीयर, 2 वंशगत या पैतृक पीयर और 3. आध्यात्मिक लार्ड |

5.5 ब्रिटिश संविधान का महत्व
Importance of British Constitution

लार्डसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं -

(1) लार्डसभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतस्त्रता हैऔ र सदन में सरकार की कड़ी-से-कड़ी आलोचना करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है ।

(2) संसद् के अधिवेशन-काल में किसी सदस्य को बन्दी नहीं बनाया जा सकता है ।

(3) लार्डटसभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं । कॉमनसभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं है ।

(4) लार्डसभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि यदि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत न हों तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका में छपवा सकते हैं ।

(5) पीयर बनाने वाले विधेयक लार्डसभा में पेश होते हैं ।

(6) लार्डसभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है ।

(7) कॉमनसभा द्वारा चलाए हुए महाभियोगों की लार्डसभा जाँच करती है |

(8) कॉमनसभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब कर सकते हैं जब तक संसद् का अधिवेशन हो रहा हो; परन्तु लार्डसभा के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं ।

5.6 लार्डसभा के पदाधिकारी
Officers of the House of Lords

लार्डसभा का सभापतित्व लार्ड चान्सलर करता था | वह पदेन सदन की अध्यक्षता करता था | राजा की ओर से कुछ अन्य ऐसे पीयर लोगों की नियुक्ति भी होती जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते तथा जो उपाध्यक्ष कहलाते | सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपि, जेण्टिलमैन उशर ऑफ दी ब्लैक रोड एवं सारजेण्ट-एट-आर्म्स प्रमुख होते हैं । 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम के पारित होने के बाद "लार्ड स्पीकर के पद का सृजन किया गया है जिसके लिए सदन द्वारा किसी पीयर का निर्वाचन किया जायेगा और उसे ही क्राउन द्वारा मनोनीत किया जाएगा । इस पद पर 4 मई, 2006 को मजदूर दल के पीयर बारोनेस हैमन को निर्वाचित किया गया जो प्रथम "लार्ड स्पीकर' हैं | स्वराज पाल हाउस ऑफ लार्डस के डिप्टी स्पीकर बनने वाले भारतीय मूल की पहली हस्ती हैं |

5.7 लार्डसभा की गणपूर्ति
[quorum of the House of Lords]

लार्डसभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं | लार्डटसभा की गणपूर्ति तीन सदस्यों से हो

5.8 लार्डसभा के कार्य तथा शक्तियाँ
[Functions and Powers]

लार्डसभा के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार हैं –

1. परामर्श सम्बन्धी कार्य - जब कॉमनसभा का विघटन हो जाता है और मन्त्रिमण्डल अपना त्यागपत्र दे देता है तो सम्राट् या महारानी को परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है । ऐसी परिस्थिति में सप्राट् या महारानी लार्डसभा से किसी मामले पर परामर्श ले सकते हैं ।

2. विधायी शक्तियाँ - सन् 1911 ई. से पूर्व लार्डटसभा को अवित्तीय मामलों में काफी अधिकार थे । किसी भी साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक था, परन्तु 1911 तथा 1949 के अधिनियमों ने इस परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया है । सन् 1911 के अधिनियम द्वारा यह तय हो गया कि लार्डसभा साधारण विधेयक को केवल दो वर्ष के लिए विलम्बित कर सकेगी । इसका यह अर्थ था कि यदि कोई साधारण विधेयक कॉमनसभा द्वारा तीन लगातार अधिवेशनों में पास हो जाए और यदि उसे फिर अधिवेशन समाप्त होने के एक मास पूर्व उच्च सदन में भेज दिया जाए और यदि उसे उच्च सदन प्रत्येक अधिवेशन में अस्वीकार कर दे, तो वह प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर (यदि निम्न सदन इस सम्बन्ध में कोई विपरीत आज्ञा न दे) सम्राट्क े समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेगा |

सन् 1949 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह निश्चय किया गया कि चाहे किसी विधेयक को लार्डसभा अस्वीकार कर दे, परन्तु यदि वह विधेयक कॉमनसभा द्वारा दो अधिवेशनों में पास हो गया है और यदि कॉमनसभा के प्रथम अधिवेशन के दूसरे वाचन की तिथि तथा उस तिथि में जब दूसरी बार निम्न सदन ने इसको पास किया, एक वर्ष बीत गया हो तो वह विधेयक पारित समझा जाता है । इस प्रकार लार्डसभा की साधारण विधेयक को विलम्बित करने की शक्ति केवल एक वर्ष रह गई है ।

3. वित्तीय शक्तियाँ - धन विधेयक केवल कॉमनसभा में ही पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं । कॉमनसभा का स्पीकर ही यह निर्णय करता है कि कौनसा विधेयक धन विधेयक है । लार्डसभा धन विधेयक को एक मास से अधिक नहीं रोक सकती । एक मास से अधिक देरी करने पर विधेयक को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है । इस प्रकार लार्डसभा को धन विधेयकों पर केवल एक मास की देरी करने का ही अधिकार है

4, कार्यपालिका-शक्तियाँ - मन्त्रिमण्डल को केवल कॉमनसभा ही अपदस्थ कर सकती है, लार्डभसा नहीं क्योंकि मन्त्रिमणष्डल केवल कॉमनसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, परन्तु लार्डटसभा के सदस्यों को भी मन्त्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है । लार्डसभा अपने उच्च स्तर के वाद-विवाद से भी मन्त्रिमण्डल को प्रभावित करती है ।

5. न्यायिक शक्तियाँ- लार्डटसभा को न्यायिक क्षेत्र में कॉमन सभा की तुलना में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त रही हैं । अक्टूबर 2009 तक लार्डसभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी और यह कार्य 9 न्यायिक लार्डस द्वारा किया जाता था जिसकी अध्यक्षता लार्ड चान्सलर करते हैं | संवैधानिक_ सुधार अधिनियम 2005

के भाग-3 & तहत् ब्रिटेन में 1 अक्टूबर, 2009 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी है जिसे लार्ड सभा द्वारा किये जाने वाले न्यायिक कार्य हस्तान्तरित कर दिये गये हैं । लार्डटसभा को अब तक प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो गये हैं | लार्ड चान्सलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है, लार्ड चान्सलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गयी है ।

5.9 लार्ड सभा की आलोचना [Criticism of the House of Lords]

लार्डसभा के सम्बन्ध में विभिन् न लोगों & भिन्न-भिन्न मत हैं । कुछ लोगों की राय में लार्ड्सभा को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यधिक दोषपूर्ण संस्था है, परन्तु ऐसे भी लोग हैं जो लार्डसभा को एक उपयोगी संस्था मानते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं, परन्तु ये लोग उसे वर्तमान रूप में नहीं रखना चाहते | उनका कहना है कि लार्ड सभा का सुधार होना चाहिए ।

निम्नलिखित तर्कों के आधार पर लार्डसभा की आलोचना की जा सकती है -

1. लार्डसभा अप्रजातान्त्रिक है - लार्डटसभा अलोकतन्त्रीयता का प्रतीक है, क्योंकि उसकी सदस्यता का आधार वंशक्रमानुगत है, जो लोकतन्त्रीय प्रणाली के पूर्णत: विरुद्ध है । लार्डसभा की सदस्यता का आधार लोकतन्त्र के प्रमुख तत्व निर्वाचन तथा योग्यता न होकर-उत्तराधिकार व नामांकन हैं | इसके अतिरिक्त वह इस कारण भी अलोकतन्त्रीय है कि उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है ।

इसी कारण बिरेल ने कहा था कि "लार्डसभा अपने अतिरिक्त और किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती ।"

2. धनपतियों का गढ़ - रैम्जे म्योर ने इसे *धनपतियों का गढ़' कहा है | इसमें बड़े-बड़े उद्योगपतियों, कम्पनियों के संचालकों व व्यावसायियों की भरमार है । ये सब निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं । पूँजीपतियों के स्वार्थों का प्रभाव ही इस सदन में सर्वथा दृष्टिगोचर होता है ।

3. अनुदारवादियों का प्रभुत्व - सामन्ती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदा ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है । अनुदार दल की सरकार बनने पर यह कोई रुकावट नहीं डालता, परन्तु मजदूर दल या उदार दल सरकार बनने पर प्रगतिशील कानूनों के पास होने में रुकावट डालता है | मेरियट के शब्दों में, "जब रूढ़िवादी दल की सरकार होती है, तो लार्डसभा गूँगे कुत्ते की तरह व्यवहार करती है और अन्य अवसरों पर वह भेड़िये की तरह व्यवहार करती है ।" बालफोर के शब्दों में,

"लार्डसभा का कार्य केवल यह देखना है कि रूढ़िवादी दल का प्रभुत्व सदा बना रहे, चाहे उसकी सरकार हो या न हो ।"

4. प्रगतिशील कानूनों में बाधा - राउज़ के अनुसार, "इसके कार्यों के अध्ययन से पता चलता है कि लार्डसभा ने केवल अपनी रचना के कारण उन सरकारों के विरोधी कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाया है जो कि उदार अथवा प्रगतिशील थीं, अनेक अवसरों पर उसने अनुदारवादी सरकारों के उन कानूनों को मान्यता दी है जिनको उदार दल की ओर से आने पर रद्द कर दिया गया और उसके एक सदस्य के अनुसार, वह एक स्वतन्त्र सदन होने की अपेक्षा अनुदारवादी दल के एक अंग के नाते कार्य करता है ।"

लास्की के अनुसार, "लार्डसभा निष्पक्ष नहीं है जो कि अपने समय के लोकमत से स्वतत्र दृष्टिकोण अपनाती है | इसकी रचना दक्षिणपन्थी कार्यनीति का अधारभूत भाग है और इसी आशय से इसे रखा गया है ।"

5. सदस्यों की उदासीनता - लार्डसभा के अधिकांश सदस्य अपने विधायन कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं । अधिकांश सदस्य सदन की कार्यवाही में कोई रुचि नहीं रखते । सैकड़ों सदस्य ऐसे होते हैं जो लार्डसभा में जबान तक नहीं खोलते । एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने सभा-भवन में घुसने नहीं दिया था, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति भी लार्डसभा का कोई सदस्य है । बेजहॉट ने कहा है कि, "कुलीन जनों की अपने कर्तव्यों के प्रति वास्तविक उपेक्षा बड़ा भारी दोष है और उनकी

प्रत्यक्ष अवहेलना एक खतरनाक दोष है - एक सभा और विशेषकर कानूनों को दोहराने वाली असेम्बली, जो कि इकट्ठा नहीं होती और जो यह परवाह नहीं करती है कि किस तरह विधेयक दोहराए जाते हैं; राजनीतिक उपकरण में दोषपूर्ण है ।"__ 6. शक्तिहीन सदन - सन् 1911 तथा 1949 में संसदीय अधिनियमों के पास होने के पश्चात्

लार्डसभा अशक्त हो गई है । अब इसके पास धन विधेयकों को रोकने की केवल एक माह तक और साधारण विधेयकों को रोकने की शक्ति एक वर्ष तक रह गई है | इसलिए ऐसे शक्तिहीन सदन की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐबे सीज ने ठीक ही लिखा है - "यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं होता तो वह उपद्रवी हैऔ र यदि सहमत होता है, तो व्यर्थ है ।" जे. आर. क्लाइन्स के शब्दों में "मजदूर दल का मत है कि लार्डसभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता; यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।"

प्रो, लास्की ने लिखा है, "लार्डसभा सम्बन्धी सभी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान यही है कि देश में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो ।"

5.10 लार्डसभा की उपयोगिता [Utility of the House of Lords]

लार्ड्सभा में अनेक दोष होते हुए भी यह सदन पूर्णतया निरर्थक नहीं है । मजदूर दल में भी लार्डसभा की उपयोगिता मानने वाले सदस्य हैं । इसकी उपयोगिता के निम्न कारण हैं –

1. लोकसदन की निरंकुशता पर प्रतिबन्ध - लोकतन्त्र की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि व्यवस्थापन पर किसी एक संस्था या दल का एकाधिकार न होने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्थापिका द्विसदनीय हो और एक सदन के व्यवस्थापन कार्य की देखभाल दूसरा सदन करता रहे | यदि लार्डसभा नहीं रहेगी तो लोकसदन अधिनायक बन जाएगा, सत्तारूढ़ दल स्वर्छन्दतापूर्वक लोगों की स्वतन्त्रता व उसके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा | ब्रिटेन में न तो न्यायिक पुनर्विचार की व्यवस्था है, न ही लिखित संविधान द्वारा लोकसदन की शक्ति पर कोई मर्यादा है, अत: आवश्यक है कि लोकसदन की निरंकुशता पर कुछ बन्धन लगाए जाएँ |

2. पुनर्विचार सदन के रूप में - व्यवस्थापिका सभा के सदन के रूप में भी लार्डसभा कुछ लाभदायक कामों को पूरा करती है | सन् 1918 की "बाइस समिति' की रिपोर्ट के अनुसार लार्डसभा का यह मुख्य कार्य हो गया है कि वह कॉमनसभा द्वारा पारित विधेयकों का परीक्षण करे और उनके गुण और दोषों पर विचार करे । इसका कारण यह है कि कॉमनसभा के पास काम बहुत ज्यादा रहता है और समय कम है | सन् 1947 में लार्डसभा के पक्ष में बोलते हुए लार्ड सैलिसबरी ने कहा था, "आज तक जब कभी कोई भी विधेयक पिछले तीन वर्षों में, इस सदन (लार्डसभा) में विचारार्थ आया है, तो हमने सदैव ही उसको सुधारा है और उस पर पुनर्विचार किया है ।"

3. ऊँचे स्तर का वाद-विवाद् - लार्डसभा में बहुत ऊँचे स्तर का वाद-विवाद होता है, क्योंकि वहाँ अत्यन्त योग्य व्यक्ति महारानी के द्वारा प्रधानमनत्री की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त लार्डसभा की बैठकों में केवल वही सदस्य भाग लेते हैं जिनकी राजनीति में बहुत रुचि होती है । वे अपने वाद-विवाद के विषय को खूब तैयार करके आते हैं और बहुत प्रामाणिक तर्क देते हैं | इस सभा में अनेकों ऐसे सदस्य होते हैं जिन्होंने मन्त्रियों के रूप में, राजदूतों के रूप में, प्रशासकों के रूप में, व्यापारियों के रूप में अधिक अनुभव प्राप्त किया होता है | फाइनर के शब्दों में, "लार्डसभा सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है ।"

4 लोकसदन के कार्यभार को कम करना - वर्तमान में राज्य के कार्य-क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ सदन का भी कार्य भार बढ़ता जा रहा है । अकेले लोकसदन के लिए सम्पूर्ण

कार्य बोझ का उठाना सम्भव नहीं है | अनेक विभाग प्रतिवर्ष अनेकों ऐसे बिल पेश करते हैं जिनसे न तो विधान में कोई विशेष फेर-बदल होता है और न ही सरकार अथवा विरोधी दल की नीतियों को चुनौती मिलती है । ऐसे विधेयकों को सरलता के साथ लार्डसभा में पास किया जा सकता है तथा कॉमनसभा का बहुमूल्य समय बचाया जा सकता है |

5. लार्डसभा के सदस्य निर्भयतापूर्वक विचार प्रकट करते हैं - लार्डसभा के सदस्य अपने विचार निर्भयतापूर्वक प्रकट कर सकते हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध किसी दल से नहीं होता है और उन पर किसी दल के नेता का अंकुश नहीं होता है । कॉमनसभा के सदस्य अपने दलीय अनुशासन से बँधे हुए होते हैं। उन्हें अपने नेता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, इसलिए वे अपने विचार निर्भयतापूर्वक प्रकट कर सकते हैं ।

6. विलम्बकारी सदन के रूप में - लार्डसभा की विलम्बकारी सदन के रूप में भी पर्याप्त उपयोगिता है । सामान्यत: यह स्वीकार किया जाता है कि द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह विधेयक पारित करवाने में कुछ देर कर सके ताकि निम्न सदन जल्दबाजी में अथवा बिना जनमत जाने कोई विधेयक पास न कर दे | लाई सैलिसबरी के अनुसार, "लार्डसभा द्वारा विलम्ब कर देने से लोगों को किसी विधेयक पर ठण्डे दिल और दिमाग से सोचने का समय मिल सकेगा ।"

7. शञान्त वातावरण में विचार - लार्डसभा की एक अन्य उपयोगिता यह है कि इसमें वातावरण कॉमन सभा के वातावरण की अपेक्षा शान्त रहता है । अत: इसमें प्रस्तावित विधेयकों के गुण-दोषों पर अधिक अच्छी तरह विचार-विमर्श हो सकता है | कॉमन सभा में उम्र दलबन्दी के फलस्वरूप गरमागरम वाद-विवाद होता है | कॉमन सभा की इस गरमी को लार्डसभा में ठण्डा किया जा सकता है । ठीक ही कहा गया है कि "लार्ड सभा वह प्लेट है जिसमें कॉमन्स सभा की चाय ठण्डी की जाती है ।" '

5.11 लार्डसभा की सुधार योजनाएँ [Proposals for the Reformation]

लार्डसभा के स्वरूप में सुधार करने के लिए काफी समय से विचार-विमर्श चल रहा है, परन्तु मतैक्य न होने के कारण इसमें सुधार नहीं किया जा सका । अधिकांश विद्वान इसके संगठन में सुधार करने के पक्ष में हैं; इसकी सदस्य-संख्या सीमित करने तथा निर्वाचित सदस्य को स्थान दिलाना चाहते हैं। समय-समय पर रखी गई कुछ मुख्य सुधार योजनाओं का विवरण आगे दिया जा रहा है -

1. लार्ड रसल का प्रस्ताव - सन् 1869 में लार्ड रसल ने आजीवन पीयर बनाने का सुझाव दिया जिनकी संख्या अधिक-से-अधिक 28 हो, परन्तु इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया)

2. ला सैलिसबरी का प्रस्ताव - 1888 में लार्ड सैलिसबरी ने अवांछनीय सदस्यों को मतदान के अधिकार से वंचित करने तथा 50 नए आजीवन पीयर बनाने का प्रस्ताव रखा, परन्तु स्वीकार नहीं हुआ ।

3. लैण्ड सडाउन योजना - उसने सन् 1909 में लार्डटसभा की कुल संख्या 330 रखने का सुझाव दिया । इनमें से 100 सदस्य पीयरों के द्वारा निर्वाचित हों, 100 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त हों तथा 125 कॉमनसभा द्वारा प्रादेशिक आधार पर निर्वाचित हों तथा 5 सदस्य पादरियों द्वारा निर्वाचित हों ।

4. ब्राइस समिति के सुझाव - ब्राइस समिति के सुझाव थे - (a) पुनर्गठित लार्डसभा में 327 सदस्य हों, (७) इनमें से 246 निर्वाचित हों, 81 सदस्य कुलीन जनों द्वारा चुने जाएँ । (८) लार्डसभा के सदस्यों की अवधि 12 वर्ष हो, जिनमें एक-तिहाई सदस्य प्रति चार वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लें | 5. लार्ड जार्ज की योग्यता - सन् 1922 में लार्ड जार्ज के सुझाव थे - (a) कुल सदस्य-संख्या 350 हो, (७) राजकुल के पीयर, धार्मिक पीयर और अपील के लार्ड इस सदन के सदस्य बने रहें, (M) कुछ सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाएँ, (८) शेष सदस्य निर्वाचित हों, (त) निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष हो । यह योजना भी स्वीकृत नहीं हुई ।

6. लार्ड क् ्लैरण्डन योजना - सन् 1929 में रखी गई इस योजना के अनुसार कुल संख्या 330 हो,

जिनमें से 150 सदस्य लाडर्स द्वारा निर्वाचित किए जाएँ तथा 150 सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत हों ।

7. लार्ड क् ्लैरण्डन योजना - सन् 1929 में रखी गई इस योजना के अनुसार कुल संख्या 330 हो, जिनमें से 150 सदस्य @। द्वारा 12 वर्ष के लिए निर्वाचित हों, 150 सदस्य कॉमनसभा द्वारा निर्वाचित हों तथा शेष 30 सदस्य राजकुलों के पीयरों, धार्मिक पीयरों व लाडों में से हों । यह योजना भी असफल रही ।

8. सर्वदलीय सम्मेलन योजना (1949) किक T -

(i) वर्तमान वंशानुगत सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए ।

(i) व्यक्तिगत योग्यता तथा सार्वजनिक सेवा के आधार पर संसदीय लार्डस को मनोनीत किया जाए तथा इनमें अगर कुछ सदस्य अपने कार्य करने में उदासीनता दिखलाएँ तो उनके हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए |

(i) संसदीय लारडूस की नामदगी पुराने वंशानुगत लाड्स में से की जानी चाहिए ।

(iv) महिलाओं को भी लार्डसभा में स्थान दिया जाए ।

(v) लार्डसभा के द्वारा सदस्यों को वेतन दिया जाए ।

(vi) जो संसदीय लार्डर्स के वर्ग में न आएँ उन्हें कॉमनसभा में निर्वाचित होने तथा मतदान देने का अधिकार दिया जाए | यह योजना भी स्वीकृत नहीं हुई ।

9. हेरल्ड विल्सन के सुझाव - श्रमिक दल लार्डसभा में सुधार करने के लिए विशेष उत्सुक रहा है । सन् 1968 में प्रधानमन्त्री विल्सन ने लार्ड्सभा के सुधार हेतु कतिपय सुझाव इस प्रकार प्रस्तुत किए

- (8) लार्डसभा की सदस्यता का पैतृक अधिकार समाप्त होना चाहिए | (७) किसी भी राजनीतिक दल का लार्डसभा में स्थायी बहुमत न रहे । (८) साधारण विधेयक में देरी करने की इसकी शक्ति को और अधिक सीमित किया जाए तथा कॉमनसभा की इच्छा के विरुद्ध विधेयक को रोकने की शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए | इस बारे में कानून बनने की सम्भावना थी, किन्तु मजदूर दल की. चुनावों में

पराजय के कारण (जून 1970) कानून न बन सका |

5.12 सन् 1911 का संसदीय अधिनियम [Parliamentary Act of 1911]

परिस्थितियाँ - 1909 के सामान्य निर्वाचन में "उदार दल' को बहुमत प्राप्त हुआ और उसकीसरकार स्थापित हुई | वित्तमत्री लॉयड जार्ज ने भूमि-कर सम्बन्धी एक प्रस्ताव रखा । चूँकि भूमि-कर के ये प्रस्ताव लार्ड सभा के अधिकांश सदस्यों के लिए अरुचिकर थे, इसलिए लार्ड सभा ने लॉयड जार्ज के बजट को अस्वीकृत कर दिया | यह एक अभूतपूर्व घटना थी | वित्त-विधेयक की अस्वीकृति एक थी, जिसे उदार दल के प्रधानमन्त्री एस्क्विथ ने स्वीकार किया । उन्होंने जनता से अपील करने का निश्चय दिया । सन् 1910 में दुबारा आम-चुनाव हुए जिसमें उदार दल फिर विजयी हुआ । इसका तात्पर्य यह था कि जनता ने लॉयड जार्ज के भूमि-कर सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है । कॉमन्स सभा में उपरोक्त वित्तीय विधेयक दुबारा रखा गया और पास किया गया । इस बार जनता की इच्छा के सामने लार्ड सभा झुक गई और उसने चुपचाप वह विधेयक पास कर दिया | यह जनता, जनतन्त्र और जनप्रतिनिधित्व करने

वाली कॉमन्स सभा की जबरदस्त जीत थी, परन्तु इस ध्येय से कि लार्ड सभा भविष्य में वित्तीय विधेयकों को संशोधित या अस्वीकृत करने का दुस्साहस न कर सके, *'संसद अधिनियम, 1911' (The Parliament Act of 1911) पारित किया गया । उसके उपबन्ध निम्न प्रकार थे -__ () वित्तीय विधेयक - यदि कोई वित्तीय विधेयक सत्रावसान होने & कम-से-कम एक मास पूर्व लार्ड सभा के पास भेज दिया जाता है, तो उस माह के बीच यदि लार्ड सभा उसको स्वीकार न भी करे,

तब वह विधेयक, यदि कॉमन्स सभा उसके विरुद्ध न हो, सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त होने पर वह अधिनियम बन जाएगा |

(i) वित्तीय विधेयक की परिभाषा - जिस विधेयक का सम्बन्ध करारोपण, विनियोग, सार्वजनिक ऋण या अन्य वित्तीय विषयों से होगा, वह वित्तीय विधेयक माना जाएगा । संशयात्मक मामलों में, कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं; इस सम्बन्ध में स्पीकर का निर्णय अन्तिम होगा |

(i) साधारण विधेयक - यदि कोई साधारण विधेयक कॉमन्स सभा द्वारा लगातार तीन सत्रों में पास कर दिया गया हो और यदि कॉमन्स सभा के प्रथम और तृतीय सत्रों में उक्त विधेयक के द्वितीय वाचन के बीच दो वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो, तब वह विधेयक बिना लार्ड सभा की स्वीकृति के सम्राट की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा ।

(iv) कॉमन्स सभा का कार्यकाल - इस अधिनियम के अन्तर्गत कॉमन्स सभा का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया । इस अधिनियम के द्वारा कॉमन्स सभा की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई, इसलिए यह सोचा गया कि उसे जल्दी-जल्दी जनता का सामना करना चाहिए | अधिनियम का महत्व - यह अधिनियम अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसने लार्ड सभा की डैने कतर दी हैं । अब उसके अधिकार नगण्य हो गए हैं । अब यह सभा किसी साधारण अथवा वित्तीय विधेयक

को पारित होने से पूर्णत: रोक नहीं सकती । यह साधारण विधेयक में दो वर्ष और वित्तीय विधेयक में केवल एक माह का विलम्ब-भर लगा सकती है । ऑग के अनुसार, "संसद् अधिनियम ने सदियों से चली आ रही लार्ड सभा और कॉमन्स सभा की विधायनी शक्ति की समानता को समाप्त कर दिया ।" इंग्लैण्ड का द्वितीय सदन अब वास्तव में गौण सदन (Secondary Chamber) बन गया | मुनरो के शब्दों

में, "संसद् अधिनियम, 1911' ब्रिटिश संविधान में एक शताब्दी से भी अधिक अवधि में हुआ सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन है ।" यह अधिनियम इस बात का प्रत्यक्ष दृष्टान्त है कि इंग्लैण्ड में आजकल संविधान के अलिखित भाग को कम करके उसके लिखित

भाग को बढ़ाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है । इस अधिनियम ने लार्ड सभा की वैधानिक समानता को समाप्त कर उसे अधीनस्थ स्थिति प्रदान कर दी ।

किन्तु लास्की ने बताया है कि लार्ड सभा अभी भी जो शक्ति रखती है उसका चालाकी से प्रयोग कर वह कामन्स सभाके लिए काफी सिरदर्द पैदा कर सकती है 1 कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनकी उपादेयता अविलम्ब पारित किए जाने में ही है । ऐसे विधेयकों को दो वर्ष तक रोककर लार्ड सभा कॉमन्स सभा को तंग कर सकती है | इस कारण सी.एफ. स्ट्रांग ने कहा है कि "सन् 1911 के संसदीय अधिनियम के उपरान्त जो शक्तियाँ ब्रिटिश लार्ड सभा के पास शेष रह गई हैं वे कुछ परिस्थितियों में वास्तविक हो सकती हैं ।" उसके पूर्ण निषे धाधिकार न सही, किन्तु निलंबनकारी निषेधाधिकार अभी भी हैं । परन्तु यह निर्विवाद है कि "सन् 1911 के संसदीय अधिनियम के उपरांत लार्ड सभा अपने पूर्ण रूप की छाया मात्र रह गई है ।"

5.13 सन् 1949 का संसदीय अधिनियम [Parliamentary Act of 1949]

सन् 1911 के संसदीय अधिनियम के बावजूद भी लार्डसभा पूर्णतया अशक्त नहीं हुई और उसके द्वारा एक साधारण विधेयक को दो वर्ष के लिए विलम्बित किया जा सकता था | मजदूर दल को यह भय था कि लार्डसभा अपनी इस शक्ति का प्रयोग प्रगतिशील कानूनों का विरोध करने के लिए करेगी । अत: 1949 के संसदीय अधिनियम में यह निश्चित किया गया कि यदि कॉमनसभा में किसी विधेयक के प्रस्तावित होने के बाद एक वर्ष बीत गया है और लार्डसभा ने उसे दो बार अस्वीकृत कर दिया है, तो भी वह कानून बन जाएगा यदि कॉमन सभा ने दो लगातार सत्रों में उसे पास कर दिया है

5.14 सन् 1958 का जीवनपर्यन्त पीयर अधिनियम [Life Peerage Act, 1958]

जीवनपर्यन्त पीयर बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार राष्ट्र के योग्य एवं सम्मानीय व्यक्तियों को लार्डसभा में स्थान दे सके | इस अधिनियम के द्वारा खास तौर से तीन सुधार किए गए... प्रथम लार्डसभा में कुछ सीमित संख्या में जीवनपर्यन्त पीयर रखे गए । द्वितीय स्त्रियों को भी पीयर बनाया गया एवं तृतीय, लार्डसभा के सदस्यों को कुछ दैनिक भत्ता दिया जाने लगा

5.15 सन् 1963 का पीयर अधिनियम [Peerage Act of 1963]

सन् 1963 & पीयर अधिनियम & अन्तर्गत निम्नलिखित सुधार किए गए - प्रथम, पैतृक लार्ड अपने जीवन के लिए अपना लार्डपद त्याग सकते हैं, किन्तु उत्तराधिकारी को लार्डपद फिर से मिल सकता है | द्वितीय, स्कॉटलैण्ड के सभी पीयर लार्डसभा के सदस्य हो गये । तृतीय, आयरलैण्ड के पीयर कॉमनसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं । चतुर्थ, महिला लार्ड को भी ऐसे ही अधिकार प्राप्त हो सकेंगे |

5.16 लार्डटसभा न केवल द्वितीय बल्कि गौण सदन है [Not only a Second Chamber but a Secondary Chamber]

सन् 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियमों ने तो लार्डसभा को बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया । अब तो लार्डसभा कॉमनसभा के काम पर विचार करने वाली एक संस्था मात्र रह गई है । मन्त्रिमण्डल कॉमनसभा के प्रति उत्तरदायी है, लार्डसभा के प्रति नहीं । राज्य में लार्डसभा की स्थिति अत्यन्त घटिया दर्जे की 2 | यदि कॉमनसभा किसी विधेयक को पास करने का निश्चय कर ले तो लार्डसभा के लाख विरोध करने पर भी वह विधेयक पारित हो ही जाएगा । अडयिल और बाधक लार्डसभा के दिमाग को ठिकाने लाने के लिए यह धमकी बहुधा काफी होती है कि उसे पीयरों से भर दिया जाएगा । 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा लार्ड सभा के गठन एवं शक्तियों में परिवर्तन कर दिया गया है । अब इसके न्यायिक कार्यों का सम्पादन यू के. का उच्चतम न्यायालय करता है | इंग्लैण्ड के द्वितीय सदन की कमजोरी को बहुधा इस कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि लार्डसभा न केवल द्वितीय बल्कि गौण सदन है ।

5.17 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. लार्डसभा के सदस्य कौन होते हैं?
   a) चुनाव द्वारा चुने गए लोग
   b) शाही परिवार और उनकी नियुक्ति द्वारा
   c) संसद से चुने गए लोग
   d) आम जनता द्वारा चुने गए लोग
2. सन् 1911 का संसदीय अधिनियम किस उद्देश्य से लागू किया गया था?
   a) लार्डसभा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए
   b) हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों को बढ़ाने के लिए
   c) पेरिश चर्चों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए
   d) चुनावों के परिणामों को संशोधित करने के लिए

3. लार्डसभा को सन् 1911 के संसदीय अधिनियम के द्वारा _______ कर दिया गया था।
4. लार्डसभा में कुल _______ सदस्य होते हैं।

5.15 सार संक्षेप

लार्डसभा ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है, जो ऐतिहासिक रूप से शाही परिवार और अन्य उच्च वर्गों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसकी संरचना में पीयर, आर्कबिशप और बिशप शामिल हैं। लार्डसभा का कार्य मुख्य रूप से विधायी कार्यों में भाग लेना, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, और सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करना है। हालांकि, इसे आलोचना का सामना करना पड़ा है क्योंकि यह लोकतांत्रिक नहीं था। 1911, 1949 और 1958 के संसदीय अधिनियमों ने इसके अधिकारों को सीमित किया, और इसके सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

ब्रिटिश शासन ने भारत में आधुनिक बुनियादी ढांचे और संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति था। उनके शासन ने एक ओर शोषण और दमन किया, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष की भावना को प्रबल किया।

उत्तर 1: b) शाही परिवार और उनकी नियुक्ति द्वारा,
उत्तर 2: b) हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों को बढ़ाने के लिए,
उत्तर 3: सीमित
उत्तर 4: 750

5.19 मुख्य शब्द

- **लॉर्डसभा (House of Lords)**: ब्रिटिश संसद का ऊपरी सदन।
- **सदस्य (Members)**: लार्डसभा के सदस्य जो जीवनभर के लिए नियुक्त होते हैं।
- **संशोधन (Amendment)**: प्रस्तावित कानूनों में बदलाव करना।
- **समीक्षा (Review)**: कानूनों और अन्य विधायी प्रस्तावों की जांच करना।
- **विधायिका (Legislature)**: वह संस्था जो कानून बनाती है।

5.20 संदर्भ ग्रन्थ

1. Bogdanor, V. (2019). *The British Constitution: Principles and Evolution*. Oxford University Press.

2. Shell, D., & Beamish, A. (2021). *The House of Lords in British Politics*. Palgrave Macmillan.
3. Russell, M. (2017). *The Contemporary House of Lords: Westminster Bicameralism Revived*. Oxford University Press.
4. Norton, P. (2020). *Parliament in British Politics*. Manchester University Press.
5. Blackburn, R., & Kennon, A. (2018). *Griffith and Ryle on Parliament: Functions, Practice, and Procedures*. Sweet & Maxwell.
6. Larkin, P. (2022). *The House of Lords and the British Political System*. Routledge.
7. Bagehot, W. (2021). *The English Constitution (Modern Interpretations)*. HarperCollins.
8. Evans, P. (2019). *Essentials of the UK Parliament: Structure and Functionality*. Cambridge University Press.
9. Kelly, R. (2023). *Reforms and Challenges in the House of Lords*. Palgrave Studies in Political History.
10. Stevens, A. (2020). *The British Parliament: History and Role in the 21st Century*. Vani Prakashan.

5.14 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. लार्डसभा की रचना, शक्तियों और कृत्यों का वर्णन कीजिए तथा ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में इसकी उपयोगिता की परीक्षा कीजिए ।
2. "लार्डसभा का या तो अन्त होना चाहिए या सुधार ।" इस कथन की समीक्षा कीजिए |
3. "लार्डसभा केवल द्वितीय सदन ही नहीं, अपितु शक्तिहीन सदन है ।" इस कथन की विवेचना कीजिए |
4. लार्डसभा के संगठन, रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए ।

ब्लॉक - II

इकाई -6

ब्रिटिश न्यायपालिका

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 ब्रिटिश न्यायपालिका

6.4 विधि का शासन : डायसी के विचार

6.5 विधि का शासन : जेनिंग्र के विचार

6.6 ब्रिटिश न्याय व्यवस्था

6.7 ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

6.8 ब्रिटेन में नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय

6.9 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

6.10 सार संक्षेप

6.11 मुख्य शब्द

6.12संदर्भ ग्रन्थ

6.13 अभ्यास प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

ब्रिटिश साम्राज्य ने 1757 (प्लासी के युद्ध) के बाद धीरे-धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। इस शासन ने भारतीय समाज में आधुनिकता के तत्व लाए, लेकिन साथ ही शोषण और असमानता को भी जन्म दिया। ब्रिटिश न्यायपालिका और संविधान की संरचना को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल ब्रिटेन के कानून और न्याय व्यवस्था को दिशा प्रदान करता है, बल्कि वैश्विक संदर्भ में कई अन्य देशों के संविधान और न्यायिक प्रणालियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। इस इकाई में ब्रिटिश संविधान के

विकास, उसकी विशेषताओं, और न्यायपालिका के कार्यों पर चर्चा की जाएगी, ताकि आप इसकी गहरी समझ प्राप्त कर सकें।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. ब्रिटिश न्यायपालिका की संरचना और उसके ऐतिहासिक विकास को समझ सकेंगे।
2. ब्रिटिश न्यायपालिका के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली का अध्ययन कर सकेंगे।
3. ब्रिटिश न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के महत्व को समझ सकेंगे।
4. ब्रिटिश न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तरों (जैसे, सुप्रीम कोर्ट, अपीलीय न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट) को पहचान सकेंगे।
5. न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन और उनके संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे।
6. ब्रिटिश न्याय प्रणाली के प्रभाव को भारत सहित अन्य देशों की न्याय प्रणाली पर समझ सकेंगे।
7. ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका के अधिकार और दायित्वों को स्पष्ट कर सकेंगे।
8. ब्रिटिश न्याय प्रणाली में समानता, मानवाधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के उपायों का मूल्यांकन कर सकेंगे।

6.3 ब्रिटिश न्यायपालिका [BRITISH JUDICIARY]

'विधि का शासन ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है । यह उस लम्बे संघर्ष का परिणाम है जो ब्रिटिश जनता ने सैकड़ों वर्ष तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया | ब्रिटिश शासन प्रणाली में 'निरकुश प्रभुता' और स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है 1 वस्तुतः वहाँ विधि का शासन है प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है तथा न्यायपालिका स्वाधीन है 1 इंग्लैण्ड में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा विधि के शासन द्वारा ही होती है | बिटिश नागरिक उसे अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं का रक्षा कवच मानते हैं।

"विधि के शासन' की अवधारणा की व्याख्या करने वाले विद्वानों में डायसी, ऐन्सन, जेनिंग्ज तथा वेड एवं फिलिप्स के नाम उल्लेखनीय हैं | इन सबमें डायसी की व्याख्या

उत्कृष्टतम मानी जाती है क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में जितना सम्मान डायसी की रचना को मिला था उतना और किसी भी विद्वान की कृति को नहीं मिला ।

6.4 विधि का शासन : डायसी के विचार [Rule of Law : Views of Dicey]

डायसी के अनुसार, "विधि के शासन से हमारा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि हममें कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, परन्तु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है ।" विधि का शासन ब्रिटिश संविधान के मूल में स्थित है, यह इस कारण नहीं कि संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है, बल्कि इस कारण कि संविधान का क्रमिक विकास इसकी अविरल मान्यता के

आधार पर हुआ है | जैसा कि डायसी का कथन है, "वे नियम जो कि अन्य राज्यों में स्वाभाविकत: सांविधानिक संहिताओं के अंग होते हैं, अंग्रेजी भाषा भाषी राज्यों में व्यक्तियों के न्यायालयों द्वारा परिभाषित और प्रवर्तित अधिकारों के स्रोत न होकर उनके परिणाम होते हैं ।" डायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना "संविधान की विधि' (Law of the Constitution) में 'विधि के शासन' के तीन पक्षों पर प्रकाश डाला है:

1. बिना अपराध के दण्डित नहीं किया जाना - किसी व्यक्ति को तब तक दण्ड नहीं दिया जा सकता और न उसके शरीर या सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई जा सकती है, जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और यदि किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित न किया गया हो ।

2. कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहींहै - विधि के शासन का अर्थ "विधि के समक्ष समता' भी है । कोई भी व्यक्ति विधि से परे या उसके ऊपर नहींहै । डायसी के शब्दों में, "प्रधानमनत्री सेल ेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक सब व्यक्ति गैर-कानूनी कार्यों के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं जितना कोई अन्य नागरिक ।" अर्थात् 'अकिंचन से लेकर प्रधानमत्री तक' (From the pauper 10 the Prime Minister) एक ही कानून लागू होता है | केवल सप्राट् ही इसका अपवाद है क्योंकि प्राय: यह कहा जाता है कि "सप्राटू कभी कोई गलती नहीं करता ।' डायसी के अनुसार यह अपवाद भी इसलिए है, क्योंकि सप्राट् सदा मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है और मंत्रिगण देश के सामान्य कानूनों के अधीन हैं | डायसी को इस बात का बड़ा गर्व है कि इंग्लैण्ड में W की तरह "प्रशासनिक न्यायालय' स्थापित नहीं किये गये हैं । फ्रा्स के किसी सरकारी कर्मचारी ने यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो उसका निर्णय 'प्रशासकीय

विधि' के तहत "प्रशासकीय न्यायालयों में किया जाता है, जबकि इंग्लैण्ड में सभी मुकदमें एक ही तरह के न्यायालयों में चलाये जाते हैं ।

3. इंग्लैण्ड में संविधान के सामान्य सिद्धान्त न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं - विधि के शासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि "संविधान के मूल सिद्धान्त उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं जो न्यायालयों द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिये गये । न्यायालयों के सामने समय-समय पर ऐसे विवाद आये जिनमें प्रमुख मुद्दे ये थे - नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमें दायर कर सकते हैं, पुलिसमेन कब और क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं तथा किसी जन सभा की कार्यवाही किन परिस्थितियों में भंग की जा सकती है | न्यायालयों ने जो निर्णय दिये उनसे जन अधिकारों का स्वरूप स्पष्ट हुआ और साथ ही कुछ नये अधिकारों को मान्यता मिली | पहला सिद्धान्त नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं की रक्षा करता है । यही कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है । दूसरा सिद्धान्त देश में पूर्ण कानूनी समानता स्थापित करता है । सभी नागरिक चाहे वे साधारण व्यक्ति हों या सरकारी कर्मचारी, देश की साधारण विधि के अधीन हैं और उन पर लगाये गये आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालयों द्वारा ही होगी | यह पद्धति यूरोप के कुछ देशों, विशेषकर फ्रान्स में प्रचलित 'प्रशासकीय विधि' (Administrative Law) पद्धति का विलोम है; तीसरा सिद्धान्त इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत, ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारण्टी नहीं देता | फिर भी इंग्लैण्ड में नागरिकों कोअ धिकतम _ स्वतन्त्रता प्राप्त है | इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है । न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं | इस प्रकार "संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर परिणाम है ।"

6.5 विधि का शासन : जेनिंग्र के विचार [Rule of Law : Views of Ivor Jeanings]

कि उसने किसी कानून को भंग विधि & शासन' की अवधारणा का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए जेनिंग्ज ने डायसी की व्याख्या में कई त्रुटियाँ बतलायी हैं, जो इस प्रकार हैं :

डायसी की पहली मान्यता यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित न किया जाए जब तक न किया हो । इस संबंध में जेनिंग्ज का कहना है कि निरंकुश से निरंकुश

शासक भी अपनी शक्तियाँ कानूनों से ही प्राप्त करते हैं । लुई चौदहवें, नेपोलियन प्रथम, हिटलर और मुसोलिनी ने बहुत से अत्याचारी कानून बनाए और उनके तहत लोगों को दंडित किया । तो क्या इस आधार पर हम यह मानकर चल सकते हैं कि

उनके शासन काल में "कानून या विधि शासन' था | इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड में भी सरकार विवेकाधिकारों का उपयोग करती है । युद्धकाल में लोगों की सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है तथा शान्तिकाल में भी यह संभव है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी की भूमि हस्तगत कर ली जाए । डायसी की दूसरी मान्यता "विधि के समक्ष समता' है जिसका जेनिंग्ज ने खंडन किया है । उसका कहना है कि किन्हीं विशेष कारणों से नागरिकों के साथ पक्षपात किए जाने को हम बुरा नहीं मान सकते |

महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ विशेष सुविधाएँ जुटा सकती है । जहाँ तक के प्रशासनिक न्यायालयों का प्रश्न है, उनकी कार्यप्रणाली अन्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती | सी. के. एलन ने स्पष्ट लिखा है कि "फ्रान्स में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध साधारण नागरिकों को दिए गए उपचार इंग्लैण्ड की अपेक्षा अधिक सुगम, अधिक शीघ्रगामी और बहुत ज्यादा सस्ते हैं ।"

डायसी की तीसरी मान्यता - ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत न्यायालयों के निर्णय हैं - से भी जेनिंग्ज बिल्कुल सहमत नहीं है । उसने संविधान की कई ऐसी विशेषताएँ गिनाई जिनका न्यायिक निर्णयों से कोई संबंध नहीं है, जैसे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धान्त, सप्राट् और प्रधानमत्री के संबंध तथा राजसिंहासन के उत्तराधिकार का मामला | जहाँ तक संसद् की सर्वोच्चता का प्रश्न है, उसका निर्णय गृहयुद्ध की घटनाओं ने किया, न्यायालयों ने नहीं । इसी प्रकार उत्तराधिकार का मामला 1701 के 'ऐक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट' (Act of Settlement) नें तय किया, न्यायालय के किसी निर्णय ने नहीं । अत: डायसी का यह विचार तर्क संगत नहीं दिखता कि संवैधानिक सिद्धान्तों का जन्म न्यायिक निर्णयों से हुआ है | डायसी की मान्यताओं का खंडन करने के पश्चातू जेनिंग्ज ने 'विधि-शासन' & निम्नांकित तीन

अर्थ प्रतिपादित किए हैं :

(1) ऐसी सांविधानिक सरकार जो तानाशाही व्यवस्था से सर्वथा भिन्न हो : विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है - "ब्रिटिश शासन व्यवस्था का लोकतंत्रीय स्वरूप ।' नागरिकों की स्वतन्त्रता की सर्वोत्तम गारंटी यह है कि ब्रिटेन में एक निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव होते रहते हैं तथा नागरिकों को सरकार की आलोचना करने और राजनीतिक दलों की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त देश में स्वतंत्रता का वातावरण मौजूद है, समाचार-पत्रों पर सेंसरशिप

नहीं है तथा नागिरकों को शक की नजर से नहीं देखा जाता ।

(2) बराबर वालों के लिए एक से कानून - जेनिंग्ज के अनुसार "समता से अभिप्राय केवल यह है कि बराबर वालों के लिए एक से कानून हों और उन्हें समान रूप से लागू

किया जाये अर्थात् एक जैसे लोगों के साथ एक-सा व्यवहार किया जाए । किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष तरह के कानून जरूर बनाए जा सकते हैं परन्तु उस स्थिति में यह जरूरी है कि उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हों । बच्चों, बाल अपराधियों तथा विस्थापितों को कुछ विशेष सुविधाएँ दी जा सकती हैं ।"

(3) सरकार सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है - जेनिंग्ज के अनुसार डायसी 19वीं शताब्दी का एक उदार विचारक था । वह "अहस्तक्षेप नीति में विश्वास करता था तथा उसे निर्धनता और रोग निवारण की उतनी चिंता नहीं थी जितनी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की । यही कारण है कि वह सरकार की शक्तियों को शंका की नजर से देखता था और केवल वैयक्तिक स्वतन्त्रता की बात करता है, परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल. चुकी हैं | 'अहस्तक्षेपवाद' के स्थान पर "समाजवाद' और "'लोककल्याण' की चर्चा सुनने को मिलती है । अत: निर्धनता, अशिक्षा और रोग निवारण के लिए सरकार यदि विवेकाधिकारों का इस्तेमाल करें तो इन्हें कानून के शासन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता |

6.6 ब्रिटिश न्याय व्यवस्था [British Judicial System])

किसी भी शासन की कुशलता को आँकने की सबसे बड़ी कसौटी वहाँ की न्याय व्यवस्था है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था क्रमिक विकास का परिणाम है । आज भी वहाँ की न्याय प्रणाली पर सामंती युग की छाप देखने को मिलती है । अधिकांश कानूनों का स्रोत 'सामाजिक प्रथाएँ' हैं ।

6.7 ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ [Chief Characteristics of the British Judicial System]

इंग्लैण्ड अपनी स्वस्थ कानूनी व्यवस्था तथा उत्तम न्याय-प्रणाली के लिए विश्व-विख्यात है ।

ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

(1) विधि का शासन (९०८ of Law) - इंग्लैण्ड में विधि का शासन है 1 विधि अथवा

का शासन ब्रिटिश संविधान की एव प्रमुख विशेषता है । फ्रा्स या अन्य महाद्वीपीय कानून देशों के समान ब्रिटेन में प्रशासनिक कानून (Administrative Law) पद्धति नहीं है | इंग्लैण्ड में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी अथवा साधारण व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत है । प्रो,

डायसी ने कहा है : "हमारे यहाँ प्रधानमन्त्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर-संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपनी गैर-कानूनी कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार है ।" '

(2) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता (Independence of the Judiciary) - ब्रिटिश न्यायपालिका अपने कार्य में स्वतन्त्र है । उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं । न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है | न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है । इनकी नियुक्ति दलबन्दी से परे होती है । अधिकतर न्यायाधीश अनुभवी, सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से लिए जाते हैं । उनकी पदावधि सुरक्षित रहती है | उनकी नियुक्ति जीवनपर्यन्त के लिए की जाती है । वे अपने पदों पर सदाचरण तक बने रहते हैं | कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छानुसार पदच्युत नहीं कर सकती | किसी भी न्यायाधीश को केवल तब ही हटाया जां सकता है, जबकि संसद् के दोनों सदन इस सम्बन्ध में सिफारिश करें । न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है ताकि वे रिश्वत लेने के लोभ से बचे रहें । अन्त में,

उनके कार्यकाल में उनकी सेवा की शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें हानि हो। उपर्युक्त प्रावधानों के कारण न्यायाधीश निर्भीकता, स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के साथ न्याय-कार्य कर सकते हैं |

(3) जूरी पद्धति (Juri System) - ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक अन्य प्रमुख विशेषता जूरी है। जूरी पद्धति का अर्थ न्याय -व्यवस्था में साधारण नागरिकों को शामिल करना है | जूरी के सदस्य अपने अनुभव तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि तथाकथित अपराधी दोषी हैं या निर्दोष । इंग्लैण्ड में जूरियों का प्रयोग फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में किया जाता है)

जूरी की व्यवस्था से न्याय की निष्पक्षता और भी बढ़ती है, क्योंकि जूरी के सदस्य न केवल कार्यपालिका, बल्कि न्यायपालिका से भी स्वतंत्र रहते हैं | वे प्रत्येक मामले में स्वविवेकानुसार निर्णय देने के लिए पूर्णत: हैं ।

(4) संसद् की सर्वोच्चता (Supremacy of Parliament) — इंग्लैण्ड में संसद सर्वोच्च है । इसका आशय यह है कि अमेरिका और भारत के समान ब्रिटेन में न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा या पुनरक् षा(Judicial Review) की शक्ति नहीं है। ब्रिटिश न्यायालय संसद् द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते |

(5) असंहिताबद्ध कानून (Uncodified Laws) - ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ कानून का अधिकांश भाग संहिताबद्ध (codified) नहीं 8 | इंग्लैण्ड की न्याय-पद्धति कॉमन ला (Common Law) और स्वाभाविक न्याय

(Equity) पर आधारित है । ये संहिताबद्ध हैं, किन्तु इंग्लैण्ड का अधिकांश कानून असंहिताबद्ध है | कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि वहाँ संहिताबद्ध कानून का अस्तित्व ही नहीं है | संसद् द्वारा पारित अधिनियम (Statute Law) तथा प्रत्यायोजित विधि-निर्माण (Delegated Legislation) के अन्तर्गत निर्मित कानून संहिताबद्ध हैं ।

(6) एक-सी न्याय-पद्धति का अभाव (Lack of Uniformity in the Judicial System) – बिटिश न्यायिक प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि देश के विभिन् न प्रदेशों में अलग-अलग न्याय-पद्धति प्रचलित है 1 इंग्लैण्ड और वेल्स में तो एक-सी (uniform) पद्धति है, परन्तु स्कॉटलैण्ड में न्यायालयों का संगठन अलग प्रकार का है । उत्तरी आयरलैण्ड में, जो अभी भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, न्याय-पद्धति इन सबसे सर्वथा भिन्न हैं, किन्तु सन् 1863 से 1876 के बीच न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कानून पारित किए गए । उनके द्वारा न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया और देश के समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया गया । फलत: अब केवल "जस्टिस ऑफ पीस के न्यायालयों (Justice of Peace Courts) को छोड़कर प्राय: सभी न्यायालय एक सूत्र में बैंध गए हैं तथा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी वे कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं जो पहले थीं|

(7) निर्दोषिता की मान्यता (Presumption of innocence) - अंग्रेजी में कहावत है "कानून की अनभिज्ञता माफी का आधार नहीं बन सकती ।" (Ignorance of the law 15 no excuse) अर्थात् कोई भी अभियुक्त अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि वह यह नहीं जानता था कि अमुक कार्य एक दंडनीय अपराध है | न्यायालय यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों को न केवल जानता है, बल्कि समझता भी है | पर साथ ही न्यायालय "अभियुक्त की निर्दोषिता' में भी विश्वास रखते हैं। जब तक अभियुक्त पर लगाये गए आरोप सिद्ध न हो जाएँ, तब तक उसे निर्दोष समझा जाता है । ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धान्त यह है कि "चाहे दस अपराधियों को अपने किसी कुकृत्य का दंड न मिल पाए, पर एक भी निर्दोष व्यक्ति कभी दंडित न हो ।"

(8) निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श - प्राय: यह कहा जाता है कि न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुले हैं, किन्तु यह तभी संभव है जबकि हर व्यक्ति इतना सामर्थ्य रखता हो कि वह वकीलों की__ सेवाएँ हासिल कर सके | निर्धन लोगों & लिए "न्याय के समक्ष समता' का कोई मूल्य नहीं है । इसीलिए, 1949 के एक अधिनियम (Legal aid and advice Act) के तहत यह व्यवस्था की गई कि गरीब लोग निःशुल्क या मामूली शुल्क देकर वकीलों की सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे | "कानूनी सहायता योजना! "लॉ

सोसायटी' की देखरेख में चल रही है । इस सोसायटी को सरकारी कोष से एक निश्चित धनराशि इसी कार्य के लिए दी जाती है ।

(9) वकीलों की 38 व्यवस्था - ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता वकीलों की ट्रैध व्यवस्था है । प्रथम श्रेणी में विधि संबंधी परामर्श देने वाले अधिवक्ताओं (Lawyers) को रखा जा सकता है । इन्हें सोलिसिटर या एटार्नी भी कहा जाता है । द्वितीय श्रेणी में बैरिस्टर को रखा जा सकता है । ये सोलिसिटर द्वारा तैयार विषयों को न्यायालयों में उपस्थित करते हैं एवं वादी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं ।स सोलिसिटर अदालतों में भाग नहीं लेते । लार्ड हेल् ़साम ने दोनों में प्रमुख अन्तर इस प्रकार बतलाया है: "सोलिसिटर सारा दिन अपनी मेज पर बैठकर काम करता है, वह अपने स्टॉक से काम लेता है, अपने मुवक्किलों से साक्षात्कार करता है, पत्र लिखवाता है, बैरिस्टर स्वयं को मुक्त रखता हैं ताकि जब कोर्ट उसे बुलाए वह उसके समक्ष उपस्थित हो सके.....एक व्यवसाय का आदमी होता है, तो दूसरा काफी हद तक एक कलाकार और विद्वान होता है ।"

(10) न्याय व्यवस्था का वर्गीय झुकाव - एलेन बाल के अनुसार "मजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में से चुने जाते हैं और तद्नुसार वे उच्च मध्य वर्ग के और अनुदार पृष्ठभूमि के होते हैं ।" अधिकांश न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्होंने कभी यह नहीं जाना कि भूख व गरीबी क्या चीज है । इसीलिए लास्की कहते हैं कि "मजदूरों व आम लोगों से उन्हें सहानुभूति हो ही नहीं सकती ।" मार्क्सवादियों के अनुसार ब्रिटिश न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं जिससे निजी सम्पत्ति पर कोई आँच न आए ।

6.8 ब्रिटेन में नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय (Newly created Supreme Court in the U.K.)

ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है । सन् 1990 के दशक के प्रारम्भ से ही ब्रिटेन में यह विचार जोर पकड़ता जा रहा था कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है । ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि अन्तिम अपीलीय न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका से पृथक और स्वतंत्र नहीं था । वर्ष 2003 तक यह आम सहमति बनी कि लार्ड चांसलर और प्रिवी परिषद्क ी न्यायिक समिति वाली व्यवस्था समाप्त कर संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए । सन् 2005 में संसद में संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया जिसे 24 मार्च, 2005 को साप्राज्ञी की अनुमति प्राप्त हो गई 1 इस सुधार अधिनियम द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था

में एक नये युग का सूत्रपात हुआ | संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 के अनुसार न्यायपालिका को विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र कर दिया गया । अब लॉर्डसभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं रह गई | एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई जो विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र रखे गये । लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई । अब ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर की स्थिति लगभग वही है जो अन्य देशों में विधि और न्याय मंत्री की होती है ।

ब्रिटेन में न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ जब देश में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) औपचारिक रूप से कार्यशील हो गया 1 नव सृजित सर्वोच्च न्यायालय ने हाउस ऑफ लार्डस'के न्यायिक कार्यों को 1 अक्टूबर, 2009 से ग्रहण कर लिया । न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी ने 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन की उपस्थिति में किया |

सर्वोच्च न्यायालय का गठन- संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के खण्ड 23 में यह प्रावधान किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयरलैण्ड) के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होंगे । इन न्यायाधीशों की नियुक्ति साम्राज्ञी द्वारा जारी किये अधिकारपत्र से होगी । साम्राज्ञी को न्यायाधीशों की संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार है किन्तु वह ऐसा तभी कर सकती है जबकि संसद के दोनों सदनों में ऐसा कोई संकल्प पारित किया गया हो । इन न्यायाधीशों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है । मुख्य न्यायाधीश को "लाई चीफ जस्टिस' अथवा "इंग्लैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष' के रूप में संबोधित किया जाता हो |

न्यायाधीशों की योग्यताएँ.. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो निम्नांकित योग्यताएँ रखता हो- उसे किसी उच्च न्यायिक पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो अथवा वरिष्ठ न्यायालयों में वह कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिये अधिवक्ता रहा हो।

न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया- ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीशों के चयन हेतु एक लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है । न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री साम्राज्ञी से अनुशंसा करते हैं, किन्तु वे उसी व्यक्ति के लिए अनुशंसा कर सकते हैं जिसकी नियुक्ति हेतु लॉर्ड चांसलर ने ऐसा अनुरोध किया हो । लॉर्ड चांसलर को भी एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए ही ऐसा अनुरोध करने का अधिकार प्राप्त है।

लॉर्ड चांसलर को सर्वोच्च न्यायालय में चयन हेतु एक चयन आयोग स्थापित करना होता है जिसके निम्नांकित सदस्य होते हैं

1. सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष

2. सर्वोच्च न्यायालय का उपाध्यक्ष

3. निम्नांकित आयोगों में से एक सदस्य जिसे लॉर्ड चांसलर मनोनीत करे- (1) न्यायिक नियुक्ति आयोग, (2) स्कॉटलैण्ड न्यायिक नियुक्ति आयोग तथा ८. उत्तरी आयरलैण्ड न्यायिक नियुक्ति आयोग | इस चयन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष और उसके अभाव में उपाध्यक्ष करते हैं । चयन आयोग अपने गठन के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए किसी एक या किन्हीं व्यक्तियों के नाम की सिफारिश लॉर्ड चांसलर से करता है । आयोग को चयन प्रक्रिया के दौरान निम्नांकित पद्घारियों से अवश्य ही परामर्श लेना होता है-

1. वे वरिष्ठतम न्यायाधीश जोन तो आयोग के सदस्य हैं और न ही नियुक्ति की अपक्षा रखते हैं,

2. लॉर्डचांसलर,

3, स्काटलैण्ड का प्रथम मंत्री तथा

4. वेल्स में परिषद् प्रथम सचिव । इस प्रक्रिया के वहदर चचरय न आयोग अपनी रिपोर्ट लॉर्ड चांसलर को प्रेषित करता है । लॉर्ड चांसलर चयन आयोग द्वारा व्यक्ति की नियुक्ति पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देता है अथवा चयन आयोग को ऐसी अनुशंसा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है । चयन आयोग की अनुशंसा स्वीकृत किए

जाने पर लॉर्ड चांसलर यह अनुशंसा प्रधानमंत्री को प्रेषित करता है और अन्त में प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने हेतु साप्राज्ञी से अनुशंसा करता है । न्यायाधीशों का कार्यकाल. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 70 वर्ष की आयु तक है किन्तु इससे पूर्व भी वे त्यागपत्र दे सकते हैं । ऐसा त्यागपत्र उन्हें लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप में देना होता है |

न्यायाधीशों की पदच्युति- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सद् व्यवहार के आधार पर अपने पद पर सेवानिवृत्ति की आयु तक बने रह सकते हैं किन्तु उन्हें कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है । संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया है कि शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त करने का अधिकार लॉर्ड चांसलः की है 1 किन्तु ऐसा करने से पूर्व उसे निम्न शर्तों का पालन करना होता है- 1. किसी

न्यायाधीश को हटाते समय न्यायालय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है, 2. अध्यक्ष को हटाते समय उपाध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की समहमति लेनी होती है, 3. उपाध्यक्ष को हटाते समय अध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहमति लेनी होती है | न्यायाधीशों के वेतन भत्ते- न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण लॉर्ड चांसलर द्वारा किया जाता है । उन्हें यह वेतन यूनाइटेड किंगडम की संचित निधि से दिया जाता है । सेवानिवृत्ति के पश्चात् न्यायाधीशों के लिए पेंशन का भी प्रावधान है । वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष को 214,165 पौंड तथा उपाध्यक्ष एवं अन्य न्यायाधीशों को 206,857 पौंड वार्षिक वेतन दिया जाता है | सर्वोच्च न्यायालय का स्टाफ एवं कार्यालय. सर्वोच्च न्यायालय का अपना कार्यालय एवं स्टाफ है । लॉर्ड चांसलर सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष से परामर्श के बाद एक मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करता है जो अध्यक्ष के अधीन रहते हुए कार्यालय के दायित्वों का निर्वाह करता है तथा स्टाफ एवं कार्मिकों पर नियंत्रण रखता है । सर्वोच्च न्यायालय लन्दन के मिडिलसेक्स गिल्ड हाल में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया- सर्वोच्च न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई तभी हो सकती है जबकि सुनवाई के लिए पीठ का गठन इस प्रकार हो- 1. पीठ में न्यायाधीशों की संख्या विषम संख्या में हो, 2. पीठ में कम से कम तीन न्यायाशीश हों तथा 3. उनमें से आधे स्थायी न्यायाधीश हों । न्यायालय को अपना निर्णय सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से देना होता है। विशेष आयोग- संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दो न्यायिक आयोगों का प्रावधान किया गया है. 1. न्यायिक नियुक्ति आयोग और 2. न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन |

न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक सभापति व 14 अन्य आयुक्त होते हैं । आयोग के सदस्यों की नियुक्ति साप्राज्ञी द्वारा लॉर्ड चांसलर की अनुशंसा पर की जाती है । आयोग का प्रमुख कार्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुशंसा करना है । न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया तथा न्यायिक आचरण सम्बन्धी शिकायतों पर विचार करने एवं उनके निराकरण हेतु न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई है । ओम्बुड्समैन के पद नियुक्ति लॉर्ड चांसलर की अनुशंसा से साप्राज्ञी द्वारा की जाती है । न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों केआ चरण पर निगरानी रखने वाली यह संस्था सरकार और न्यायपालिका से स्वतंत्र किन्तु संवैधानिक मामलों के विभाग से संबद्ध है । ओम्बुड्समैन न्यायिक आचरण सम्बन्धी शिकायतों के सही पाये पाने पर दोषी को स्वयं दण्डित करने का अधिकार नहीं रखता अपितु लॉर्ड चांसलर और न्यायिक नियुक्ति आयोग को कार्यवाही की अनुशंसा करता है | सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार... सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है जो इस प्रकार है-

1. .... सर्वोच्च म्यायालय अंग्रेजी विधि, उत्तरी आयरिश विधि तथा स्काटिश सिविल विधि से सम्बन्धित सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय है ।

2. ... यह यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयरलैण्ड) में अन्तिम एवं सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है ।

3. .... यह इंग्लैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयरलैण्ड एवं स्काटलैण्ड में दीवानी/पारिवारिक वादों में अंतिम अपीलीय न्यायालय कार्य करता है |

4 यह इंग्लैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयरलैण्ड में फौजदारी वादों में अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है ।

5. ... प्रिवी कौसिल की न्यायिक समिति के राष्ट्रमण्डलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त शेष सारे अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं ।

6. लॉर्ड्सभा को प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं |

7. यह यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयरलैण्ड) का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है अर्थात् इस न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे और उनकी प्रमाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है ।__ लॉर्ड चीफ जस्टिस की विशिष्ट शक्तियाँ एवं कार्य- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लॉर्ड चीफ जस्टिस के साथ-साथ "इंग्लैण्ड और वैल्स के न्यायालयों का अध्यक्ष' भी बनाया गया है । इंग्लैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में उसे प्रमुख रूप से दो शक्तियाँ दी गई हैं-

1. .... इंग्लैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में वह वहाँ के सभी श्रेणी के सभी न्यायालयों का अध्यक्ष है । वह इनमें से किसी भी न्यायालय में बैठ सकता है, निर्देश दे सकता है और यह देख सकता है कि न्यायालय का कार्य नियमानुसार हो रहा है अथवा नहीं । संक्षेप में, वह इंग्लैण्ड और A9 की समस्त न्याय व्यवस्था का प्रधान है ।

2. इंग्लैण्ड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड चीफ जस्टिस वहाँ की न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त स्थितियों को मंत्रिमण्डल, लॉर्ड चांसलर और संसद को अवगत कराता है । सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति एवं भूमिका- संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च न्यायालय सरकार की समान शाखा नहीं है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त नहीं है । अर्थात् संसद द्वारा निर्मित विधियों को वह असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता |

इसके बावजूद संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक करते हुए एक स्वतंत्र निकाय का दर्जा दिया गया है

1 न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की गई है | सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम लॉर्ड चीफ जस्टिस फिलिप्स के अनुसार पूर्व की न्याय व्यवस्था लोगों में भ्रम उत्पनन करती थी जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद शक्तियों के पृथक्करण वाली व्यवस्था ब्रिटिश न्याय प्रणाली के प्रति भ्रम को दूर करते हुए गरिमा एवं निष्पक्षता का प्रतिपादन करेगी ।

6.9 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. ब्रिटिश संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है?
   a) लिखित संविधान
   b) परंपराएँ और कानूनी फैसले
   c) संविधान सभा
   d) किसी अन्य देश का संविधान
2. ब्रिटिश न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है?
   a) विधायिका को नियंत्रित करना
   b) न्यायिक निर्णय देना
   c) सरकारी नीतियों का निर्माण करना
   d) संविधान लिखना
3. ब्रिटिश संविधान के प्रमुख तत्वों में _______ और _______ शामिल हैं।
4. ब्रिटिश न्यायपालिका का उद्देश्य _______ प्रदान करना है।
5. ब्रिटिश संविधान का कोई _______ रूप नहीं है।

6.10 सार संक्षेप

ब्रिटिश संविधान का कोई लिखित रूप नहीं है, बल्कि यह परंपरा, कानून, और न्यायिक निर्णयों का मिश्रण है। ब्रिटिश न्यायपालिका का महत्व संविधान के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने और कानून के तहत समान न्याय देने में है। ब्रिटिश संविधान के विकास के विभिन्न चरण हैं, जैसे कि मॅगना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, और अन्य प्रमुख कानूनी दस्तावेज। यह संविधान विवेक और संयोग का परिणाम है, जिससे ब्रिटेन की राजनीतिक और कानूनी संरचना का निर्माण हुआ।

उत्तर 1: b) परंपराएँ और कानूनी फैसले

उत्तर 2: b) न्यायिक निर्णय देना

उत्तर 3: परंपराएँ, कानूनी फैसले

उत्तर 4: न्याय

उत्तर 5: लिखित

6.11 मुख्य शब्द

- **हाउस ऑफ लॉर्ड्स (House of Lords)**: ब्रिटिश संसद का एक अंग, जिसमें न्यायिक कार्य भी होता था, लेकिन अब यह केवल एक अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करता है।
- **सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)**: ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय, जो 2009 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से न्यायिक कार्यों को अलग करके स्थापित किया गया।
- **क्वीन की अदालत (Queen's Bench)**: ब्रिटिश न्यायपालिका का एक प्रमुख अदालत, जो सामान्य कानून से संबंधित मामलों का निपटान करता है।
- **जज (Judge)**: न्यायपालिका में कार्यरत न्यायधीश, जो मामले की सुनवाई और निर्णय लेते हैं।
- **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)**: प्रशासनिक कार्यों और कानूनों की संविधानिक वैधता की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है।
- **कॉमन लॉ (Common Law)**: ब्रिटेन में प्रचलित कानून की प्रणाली, जो न्यायिक निर्णयों से विकसित होती है।

6.12संदर्भ ग्रन्थ

1. Bogdanor, V. (2019). *The British Constitution: An Introduction*. Oxford University Press.
2. Loveland, I. (2021). *Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights in Britain*. Cambridge University Press.
3. Elliott, M., & Thomas, R. (2020). *Public Law*. Oxford University Press.
4. Tomkins, A. (2018). *The Role of the Judiciary in the British Legal System*. HarperCollins UK.
5. Fenwick, H. (2017). *Civil Liberties and Human Rights in Britain*. Routledge.

6. Slapper, G., & Kelly, D. (2022). *The English Legal System*. Routledge.
7. Griffith, J. A. G. (2020). *The Politics of the Judiciary*. Penguin Books.
8. Allen, C. (2019). *Law and Legal System of the United Kingdom*. Prentice Hall.
9. Rawlings, R. (2023). *Judicial Review in the UK: Principles and Practices*. Palgrave Macmillan.
10. Jackson, V. C., & Tushnet, M. (2021). *Comparative Constitutional Law: UK and Beyond*. Oxford University Press.

6.13 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. "विधि का शासन' अवधारणा का परीक्षण कीजिए |
2. ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए |
3. ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए |
4. ब्रिटेन में विधि के शासन तथा न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।
5. ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए |

इकाई -7

ब्रिटिशि राजनीतिक दल

[BRITISH POLITICAL PARTIES]

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 राजनीतिक दल से अभिप्राय

7.4 राजनीतिक दलों का महत्व

7.5 ब्रिटिश दल प्रणाली : ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

7.6 अनुदार दल

7.7 उदार दल

7.8 श्रमिक दल

7.9 ब्रिटिश और अमेरिकी दल प्रणाली की तुलना

7.10 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

7.11 सार संक्षेप

7.12 मुख्य शब्द

7.13 संदर्भ ग्रन्थ

7.14 अभ्यास प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

कंजरवेटिव पार्टी, जिसे "टोरी" के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश राजनीति की एक प्रमुख दक्षिणपंथी पार्टी है। यह पारंपरिक मूल्यों, मुक्त बाजार, और सीमित सरकारी हस्तक्षेप पर जोर देती है।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों (कंज़र्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स आदि) की संरचना और विचारधारा को समझ सकेंगे।
2. ब्रिटिश राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. ब्रिटेन के द्वि-दलीय प्रणाली (Two-Party System) और इसके प्रभावों को समझ सकेंगे।
4. ब्रिटिश राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का अध्ययन कर सकेंगे।
5. ब्रिटेन के राजनीतिक दलों और उनके नेतृत्व के ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ को पहचान सकेंगे।
6. ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में दलों और संसद के बीच के संबंधों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
7. ब्रिटिश चुनाव प्रणाली और राजनीतिक दलों के कार्य करने के तरीकों का विश्लेषण कर सकेंगे।
8. ब्रिटिश राजनीतिक दलों की वैश्विक राजनीति में भूमिका और प्रभाव का अध्ययन कर सकेंगे।

7.3 राजनीतिक दल से अभिप्राय Meaning of Political Party

राजनीतिक दल ऐसे लोगों की संस्था है जो, कुछ विशेष सिद्धान्तों पर जिनमें सबकी सहमति होती है, अपने संयुक्त प्रयलों द्वारा एकसाथ मिलकर राष्ट्रीय हितों को उन्नत करते हैं । सामान्यतया राजनीतिक दलों के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं -

(1) दल के सदस्यों में स्पष्ट सिद्धान्त तथा नीतियों के सम्बन्ध में सामान्य सहमति होनी चाहिए;

(2) उसके सदस्य मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हों;

(3) दल के पास सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार के लिए कोई ठोस कार्यक्रम होना चाहिए;

(4) दल के सदस्य शासन पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए प्रत्याशी हों;

(5) सार्वजनिक हित की भावना से प्रभावित हों;

(6) दल के पास अपने अनुशासन सम्बन्धी नियम हों ।

7.4 राजनीतिक दलों का महत्व [Comparison of British and American Party System]

लोकतन्त्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं । 'राजनीति' शब्द का उच्चारण करतेसमय हमें उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि झंकृत होती दिखाई पड़ती है | लोकतन्त्र, चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में, अकल्पनीय है, इसलिए उन्हें 'लोकतत्र का प्राण' कहा गया है । दि "दलों' को शासन का चतुर्थ अंग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।मुनरो के शब्दों, "लोकतन्त्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है ।" ब्राइस के अनुसार, "किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं दिखाया है कि राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतत्र कैसे चल सकता है?" आज कि संवैधानिक व्यवस्था का सार यही है कि सरकार और संसद् दोनों पर दल का प्रतिबन्ध रहता है | संसद् और कार्यपालिका, सरकार और व्यवस्थापिका केवल संवैधानिक आवरण है । वास्तव में शक्ति का उपभोग दल करते हैं | हूबर ने इसी कारण कहा है कि "लोकतन््र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं ।"

7.5 ब्रिटिश दल प्रणाली : ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि [British Party System : Historical Background]

जिस प्रकार ब्रिटिश संसद् को विश्व की समस्त सांसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकारब्रिटिश दल प्रणाली समस्त दलीय प्रणाली की जननी है | जैनिंग्ज ने तो इस सम्बन्ध में लिखा है, "ब्रिटिशशासन राजनीतिक दलों से ही प्रारम्भ होता है और राजनीतिक दलों में ही समाप्त होतहाै ।" लावेल के अनुसार, "ब्रिटिश शासन का एक नगर के समान निर्माण हुआ है जो स्वयं संगठित है और पार्टी उस निर्माण का अविभाज्य अंग है । इसलिए पार्टी नियमित राजनीतिक संस्था के बाहर के बजाय अन्दर कार्य करती है । वास्तव में जहाँ तक संसद् का सम्बन्ध है सरकार तथा पार्टी की मशीनरी केवल एक दूसरेसे सहमत ही नहीं होती, बल्कि वे एक वस्तु होती है ।" ब्रिटेन में दल प्रणाली के विकास के अंकुर उस समय देखे जा सकते हैं जब स्टुवर्ट काल में राजा' और जनता में प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ । इससे पूर्व 1455-1485 में 'वार ऑफ रोजेज' के समय भी देश में दो दल थे | एक दल का नाम था लैंकास्ट्रियिन और दूसरे का नाम था मारकिस्ट | स्टुवर्ट काल में यही दल राउण्डहैडर्स और कैवेलियर कहलाने लगे थे | इस समय तक दोनों दल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रयोग करते थे | सन् 1688 की क्रान्ति के बाद जब संसद् की मान्यता स्वीकार कर ली गई तब दलों का फिर से संगठन हुआ | दोनों दलों को हिंग तथा टोरी कहा जाने लगा । इस समय तक

दलों का प्रभाव स्पष्ट हो चुका था | टोरी दल ग्रामीण जनता के पक्ष में था, जबकि fgm दल व्यावसायिक क्षेत्रों की जनता का समर्थक था । उनके बीच धर्म-विभिन् नता भी थी । टोरी दल चर्च ऑफ इंग्लैण्ड का पक्षपाती था, जबकि ह्विंग दल डिसेण्टर्स का पक्षपाती था । इस प्रकार दोनों दलों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बातों में भिन् नता स्थापित हुई । बाद में टोरी दल "अनुदार दल' कहा जाने लगा और व्हिंग दल अपने को "उदार दल' कहने लगा । 19वीं शताब्दी में इन दोनों दलों के बीच संघर्ष रहा | बीसवीं शताब्दी में मजदूर दल का विकास हुआ, जिससे उदार दल का प्रभाव कम हो गया |

ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषताएँ

ब्रिटिश दल प्रणाली की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं :-

1. द्विदलीय प्रणाली - ब्रिटेन में मुख्य रूप से दो दल हैं । एक सरकार बनाता है तथा दूसरा विपक्ष में बैठता है 1 अन्य दलों का महत्व बहुत कम रह गया है | ब्रिटिश राजनीति में सदैव दो दलों की आवाज रही है ।

2. कठोर दलीय अनुशासन - ब्रिटेन में दलों का अनुशासन कठोर रहता है | कोई सदस्य दल के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता; वहाँ आसानी से दल-बदल भी नहीं होता | संसद् -सदस्य दल की आज्ञा का अनुसरण करते हैं ।

3. कठोर संगठन - ब्रिटेन में संगठन बड़ा कठोर, नियन्त्रति और केन्द्रित है । ऊपर से नीचे तक लिंक बना रहता है तथा दल की निम्न इकाइयों पर नियन्त्रण बना रहता है ।

4. सैद्धान्तिक मतभेद - ब्रिटेन के दोनों दलों में सैद्धान्तिक मतभेद पाया जाता है 1 अनुदार दलदक्षिणपन्थी तथा रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थक है, जबकि श्रमिक दल वामपन्थी तथा परिवर्तन में विश्वास करता है |

ब्रिटिशि राजनीतिक दल ——

वर्तमान समय में इंग्लैण्ड में तीन प्रमुख राजद्रीकियसे adand S

अनुदार दल, (2) उदार दल तथा (3) श्रमिदकल '

7.6 अनुदार दल [Conservative Party]

प्रारम्भ में यह दल टोरी दल कहलाता था; आजकल इसे अनुदार या रूढ़िवादी दल कहते हैं |यह दल परम्परागत समस्याओं, प्रथाओं व विचारधाराओं की रक्षा करने के पक्ष में है । यह धीरे-धीरे पारिवर्तन चाहता है | इस दल को धनिकों, जमींदारों, पादरियों, व्यापारियों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों आदि का समर्थन प्राप्त है ।

नीति एवं सिद्धान्त - अनुदार दल प्राचीन सामाजिक ढाँचे को यथासम्भव ज्यों-का-त्यों रखना चाहता है | यह पूँजीवाद तथा ब्रिटिश साप्राज्यवाद का पोषक है । यह दल औद्योगिक निगमों, बैंकों तथा शराब के व्यवसायियों के हितों का संरक्षण चाहता है | यह क्राउन, लार्डसभा, चर्च तथा गैर-सरकारी सम्पत्ति को बनाए रखना चाहता है । अनुदार दल सम्पत्ति पर "निजी स्वामित्व' (Private ownership of Property) चाहता है और इस नीति में विश्वास रखता है कि सरकार को आर्थिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | यह मुक्त व्यापार का समर्थन.करता है | यह दल उपनिवेशों को स्वतन्त्र करने के विरुद्ध था । इस दल के सामने मुख्य समस्या समाजवाद का मुकाबला करने की है । इस प्रश्न पर दल के वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी लोगों में मतभेद है । यद्यपि इस दल ने समाजवाद और नियोजन की निन् ्दा की है, किन्तु यह भी स्वीकार किया है कि कतिपय क्षेत्रों मेंस रकारी निवेश आवश्यक है । अनुदार दल ने राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का भले ही विरोध किया हो परन्तु जन कल्याणकारी योजनाओं में गहरी दिलचस्पी का परिचय दिया है । दल की मान्यता है कि सभी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जायें, सामूहिक बीमे को सफल बनाया जाए तथा लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ जुटाई जाएँ । 1992 के चुनाव घोषणा-पत्र में अनुदार दल ने इन मुद्दों पर विशेष बल दिया - मूल्यों में स्थिरता, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, आर्थिक उत्थान तथा बेरोजगारी से राहत | अनुदार दल '3T राष्ट्रवाद' या साम्राज्यवाद का समर्थक रहा है | दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासन की उसने सदा हिमायत की । 1979 के चुनाव अभियान के दौरान अनुदार दल ने अप्रवासियों के प्रति कड़े रुख का परिचय दिया |

संगठन - अनुदार दल के संगठन में प्रमुख अंग नेशनल यूनियन, दलीय संगठन सभापति, संसदीय दल और नेता, प्रान्तीय परिषदें, निर्वाचन-क्षेत्रों के संघ और अनेक परामर्शदात्री समितियाँ हैं । नेशनल यूनियन अनेक निर्वाचन-क्षेत्रीय संघों व बारह प्रान्तीय क्षेत्रों की परिषदों का संघ है | नेशनल यूनियन की एका कार्यकारिणी समिति है जो कि एक शासकीय निकाय है । अनुदार दल में दल का नेता अत्यधिक शक्तिशाली होता है | केन्द्रीय कार्यालय का अध्यक्ष दल का चेयरमैन होता | दल के नेता का चुनाव संसद् के दोनों सदनों के अनुसार दलीय सदस्यों, कार्यकारिणी समिति के सदस्य, संसद् के लिए अनुदारवादी उम्मीदवार तथा राष्ट्रीय यूनियन के समस्त सदस्यों के द्वारा किया जाता है । नेता पार्टी के चेयरमैन को नियुक्त करता है और पार्टी की नीति निर्धारित करता है । संसदीय दल का प्रबन्धक मुख्य सचेतक होता है, जिसकी नियुक्ति नेता द्वारा की जाती है । प्रतिवर्ष दल का सम्मेलन होता है जिसमें प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रीय संघ तीन प्रतिनिधि भेजता है |

1992 के आम चुनावों में अनुदार दल के जॉन मेजर ने आक्रामक चुनावी तेवर अपनाते हुए नारादिया कि "देश खतरे में है | क्योंकि श्रमिक दल ने स्काटलैण्ड को स्वशासन देने का वायदा किया था और एक तरफा निःशस्त्रीकरण की बात कही थी ।" अनुदार दल ने श्रमिक दल पर "देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़" करने का भी आरोप लगाया |

अप्रैल 1992 के चुनावों में अनुदार दल को पुन: सफलता मिली और मतदाताओं ने एक बार पुनः अनुदार दल के हाथों में देश की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया | इस बार अनुदार दल को 42.7 प्रतिशत मत मिले | पिछले हाउस ऑफ कामन्स में अनुदार को 367 स्थान मिले थे, परन्तु इस बार उसकी सीटों की संख्या घटकर 336 रह गई |

हाउस ऑफ कामन्स के मई 1997 के चुनावों में अनुदार दल को करारी हार का मुँह देखना पड़ा | 659 सदस्यीय कामनसभा में अनुदार दल को 165 सीटों के साथ 30.6 प्रतिशत वोट मिले । पार्टी के सभी घटकों का मानना है कि पार्टी की ऐसी हार के लिए यूरोप के मामले पर पार्टी नीति दोषी है । पार्टी के अलग-अलग घटक यूरोप के बारे में अलग-अलग नीतियों की पैरवी करते रहे और प्रधानमंत्री मेजर इस मुद्दे पर कभी आम सहमति विकसित नहीं कर पाये । मई 2005 में संपन्न कामनसभा के चुनावों में अनुदार दल को 198 सीटें प्राप्त हुईं | मई 2010 में सम्पन्न कॉमन सभा के चुनावों में अनुदार दल को 36.1 प्रतिशत वोटों के साथ 306 सीटें प्राप्त हुई |

संक्षेप में, अनुदार दल देश की परम्पराओं को बदली हुई दशाओं के अनुसार ढालना चाहती है ।

7.7 उदार दल [Liberal Party]

उदार दल बहुत पुराना है और उसका अनुदार दल के साथ अभ्युदय हुआ था । पहले इसको व्हिंग पार्टी कहा जाता था, परन्तु 1857 में वह "लिबरल पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध हो गई । उदार दल का प्रभाव अब घट गया है, परन्तु यह जरूरी नहीं कि यह दल समाप्त हो ही जाए | अप्रैल 1992 के कॉमन्स सभा के चुनावों में उदारवादी दल को 20 सीटें प्राप्त हुई जबकि पहले उसे 22 स्थान प्राप्त थे | उदारवादी दल को 18 प्रतिशत मत मिले । उदार दल प्रारम्भ से ही अनुदार दल का प्रतियोगी रहा है । इसने प्रारम्भ से ही जनता की सत्ता पर बल दिया और मताधिकार के विस्तार के लिए कार्य किया । वह क्राउन के विशेषाधिकारों तथा प्राचीन परम्पराओं के पक्ष में नहीं रहा । राज्यवाद का विरोधी होने के कारण उदारवादी दल ने आर्थिक क्षेत्र में स्वतत्र व्यापार और उद्योग का समर्थन किया । किन्तु बाद में दल & लोकप्रिय तत्वों ने सामाजिक सुधारों का समर्थन किया । उदारवादी दल जहाँ एक ओर पूँजीवाद का विरोधी है वहाँ दूसरी ओर राजकीय

समाजवाद की अति को भी पसन्द नहीं करता | इस दल के समर्थकों में अधिकांशत: साधारण आय वाले व्यक्ति और कुछ धनी निर्धन व्यक्ति भी हैं ।

उदार दल का कहना है कि कारखानों के प्रबंध में मजदूरों को हाथ बैंटाने का अधिकार मिलना चाहिए | आयात-निर्यात पर प्रतिबन्धों का वह विरोधी है । उदार दल ध व्यापार में विश्वास रखता है पर व्यावसायिक एकाधिकार के वह विरुद्ध है | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1905 से लेकर 1915 तक इंग्लैण्ड में लगातार उदार दल का शासन कायम रहा । उन दिनों उदार दलीय सरकार ने बहुत-सी सुधार योजनाएँ अपनाई । सरकार ने लघु किसानों के बीच भूमि वितरित की, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की योजना बनाई तथा स्कूलों में निर्धन बच्चों के लिए भोजन और औषधि की व्यवस्था की ।

श्रमिक दल की लोकप्रियता के कारण उदार दल का महत्व घट गया । यह अनुदार दल की अपेक्षा प्रगतिशील है किन्तु श्रमिक दल की सीमा तक बढ़ने के लिए तैयार नहीं । इसके अधिकांश सदस्यों ने अनुदार या श्रमिक दल स्वीकार कर लिया है 1 इसका कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है और यह पूँजीवाद तथा समाजवाद के मध्य का मार्ग अपनाता है |

1980 में जब श्रमिक दल का नेतृत्व वामपंथियों के हाथों में आ गया तो मध्यम मार्गियों ने 1981 में "सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी" की स्थापना की । इस दल ने 1983 और 1987 के आम चुनाव उदार दलके साथ गठबंधन के आधार पर लड़े, लेकिन इसे अपेक्षित सफलता प्राप्त न हो सकी । 1987 में इस दल का उदार दल में विलय हो गया । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मई 1997 के चुनावों में 1932 के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 45 सीटें जीतीं । मई 2005 में संपन्न कामन सभा के चुनावों में पार्टी के हिस्से में 62 सीटें आई | मई 2010 में सम्पन्न कॉमन सभा के चुनावों में उदार लोकतांत्रिक को 23.00 प्रतिशत मतों के साथ 57 सीटें प्राप्त हुई और अनुदार दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई |

उदार दल की आज भी मुख्य दलील यह है कि यदि सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपना ली जाए तो पार्लियामेंट में उसके दल की सदस्य-संख्या में वृद्धि हो जाएगी और उसके समर्थकों को उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा |

7.8 श्रमिक दल [Labour Party]

श्रमिक दल का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में हुआ | यह ट्रेड यूनियन आन्दोलन का परिणाम था | सन् 1899 में ट्रेड यूनियनों, समाजवादी प्रजातन्त्रात्मक संघ व अन्य समाजवादी संगठनों के सम्मेलन ने एक "श्रमिक प्रतिनिधि समिति' नियुक्त की, जिसने

सन् 1906 में "श्रमिक दल' का नाम धारण किया । सन् 1918 में दल के लिए एक संविधान बनाया गया जो अभी तक प्रचलित है । सन् 1923 के निर्वाचनों में श्रमिक दल को 191 स्थान प्राप्त हुए तथा सन् 1945 में संसद्म ें ं पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ । सन् 1950 में दल के सचिव मॉर्गन फिलिप्स ने "अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन' में स्पष्ट कहा कि "ब्रिटिश समाजवाद साम्यवादी ढंग का नहीं अपितु मेथोडिज्म की पद्धति पर आधारित है ।"

नीति एवं सिद्धान्त - श्रमिक दल ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहता है | यह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है | यह दलअपने सभी कार्यक्रमों को संवैधानिक ढंग से पूरा करना चाहता है । यह लार्डसभा को समाप्त करना चाहता है तथा ब्रिटेन के पूँजीवादी राज्य को समाजवादी बनाना चाहता है | यह विश्व-शान्ति का समर्थक है तथा शोषण का विरोध करता है । संक्षेप में श्रमिक दल के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं -

(1) यह दल लोकतन्त्रीय उपायों में विश्वास रखता है |

(2) यह दल आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करना चाहता है |

(3) यह दल शोषण का विरोधी है ।

(4) यह दल लार्डसभा का विरोधी 2

(5) यह दल साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है ।

(6) यह दल राज्यों के पारस्परिक सहयोग में विश्वास रखता है ।

(7) यह दल राज्य का विशेष विरोधी नहीं है क्योंकि राजतन्त्र ने लोकतन्त्रीय रूप धारण कर लिया है।

(8) यह "समाजवादी कॉमनवैल्थ' की स्थापना में विश्वास करता है ।

श्रमिक दल की विदेश नीति काफी उदार रही है । उसने "उग्र राष्ट्रवाद' और "साप्राज्यवाद' दोनों का विरोध किया है । दल में शान्तिवादियों की संख्या सदैव बहुत ज्यादा रही है । द्वितीय महायुद्ध से पूर्व श्रमिक दल की विदेश नीति के मुख्य मुद्दे ये थे - राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाया जाये, निःशस्त्रीकरण किया जाये तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाये । 1987 के चुनाव घोषणा-पत्र में दल ने 'आणविक निःशस्त्रीकरण' की घोषणा की संगठन - श्रमिक दल का संगठन संघीय क्ाधार पर किया गया है । इसमें श्रमिक संघ, समाजवादी सभाएँ जिनमें फेबियन सोसायटी, समाजवादी वकीलों की सोसायटी, श्रमिकों की राष्ट्रीय सभा आदि प्रमुख हैं ।

इस दल के संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर "श्रमिक दल सम्मेलन" है, जिसमें प्रत्येक निम्नतर इकाई अपने प्रतिनिधि भेजती है । यह प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर है | श्रमिक दल की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति होती है । इसी के द्वारा केन्द्रीय कार्यालय का संचालन होता है । इस समिति में 27 सदस्य होते हैं । संसद् के उम्मीदवारों का नामांकन होता है । संसद्क े सभी श्रमिक-दलीय सदस्य अपने संसदीय श्रमिक दल का निर्माण करते हैं तथा वे ही अपना नेता भी चुनते हैं । वह नेता ही निर्वाचन में दल वी. सफलता पर प्रधानमन्त्री बनता है । दल की नीति का निर्धारण करने वाला मुख्य अंग "वार्षिक सम्मेलन' है ।

1992 के आम चुनावों में श्रमिक दल ने एक तरफा नि:शस्त्रीकरण करने, स्काटलैण्ड के लिए स्वायत्तता, सार्वजनिक विनियोग में वृद्धि कर शिक्षा, यातायात और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार, आर्थिक मंदी को दूर करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने आदि के वायदे किये ।

कॉमन्स सभा के अप्रैल 1992 के चुनावों में श्रमिक दल ने अपनी सीटों में वृद्धि की । पहले उसे 227 स्थान प्राप्त थे, अब उसकी सीटों की संख्या 271 हो गई | उसे 35 प्रतिशत मत प्राप्त हुए । श्रमिक दल के इतिहास में मई 1997 के कॉमन सभा के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं । ये चुनाव इस माने में ऐतिहासिक हैं कि जिस प्रकार की विजय श्रमिक दल को इन चुनावों में मिली है, वैसी विजय ब्रिटेन के मतदाता ने कभी किसी दल को नहीं दी है । उसे 659 सदस्यीय कॉमन सभा में 43.17 प्रतिशत वोटों के साथ 419 स्थान प्राप्त हुए । श्रमिक दल की इस विजय के मुख्यतः तीन कारण माने जाते हैं : पहला अट्ठारह साल के टोरी शासन से लोग ऊब चुके थे तथा जॉन मेजर के निस्तेज नेतृत्व ने इस ऊब को और बढ़ा दिया था। दूसरा बड़ा कारण था श्रमिक दल का पूरी तौर पर विचारधारा-अन्तरण तथा उसका ताजगी भरा युवा नेतृत्व तथा तीसरा कारण था सामुदायिक हितों का श्रमिक दल द्वारा पोषण | नौजवान टोनी ब्लेयर ने श्रमिक दल की कमान संभाली और पार्टी के संविधान की धारा-4 जो उसे 'समाजवाद' के प्रति प्रतिबद्ध करती थी, बदलते विश्व परिप्रेक्ष्य में त्यागने की घोषणा की । फलत: ब्रिटेन के दोनों दलों की विचारधारा में कोई अन्तर नहीं रहा जब टोनी ब्लेयर ने घोषणा की कि वह वेल्स एवं स्कोट क्षेत्र के लिए *होमरूल' की व्यवस्था करेगा तो इन क्षेत्रों में श्रमिक दल के पक्ष में शानदार मतदान हुआ तथा अनुदार दल का सूपड़ा साफ हो गया | इसी प्रकार परम्परागत ब्रिटिश समाज पुरूष प्रधान है और अनुदार दल इस पुरुष प्रधानता का प्रतिनिधि है 1 टोनी ब्लेयर ने घोषणा की कि वे 20 प्रतिशत सीटें महिलाओं को देंगे, परिणामत: ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार 120 महिलाएँ चुनकर संसद में पहुँची अर्थात महिलाओं ने श्रमिक दल के पक्ष में जबर्दस्त मतदान किया । इसी प्रकार

ब्रिटेन में एशियाई समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है, लेकिन अनुदार दल इस समुदाय को ज्यादा महत्व नहीं देता; टोनी ब्लेयर ने एशियाई समुदाय के लोगों को भी अपने दल का टिकट दिया, परिणामत: पहली बार ब्रिटेन की संसद में छह भारतवंशी प्रतिनिधि चुनकर पहुँचे | मई 2005 में संपन्न कॉमनसभा के चुनावों में 356 सीटों पर श्रमिक दल विजयी रहा । पिछले 100 वर्षों में ब्रिटेन में पहली बार ऐसा हुआ है जब श्रमिक दल को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता प्राप्त हुई है । मई 2010 में सम्पन्न कॉमन सभा के चुनावों में श्रमिक दल को 29.00 प्रतिशत वोटों के साथ 258 सीटें प्राप्त हुई ।

7.9 ब्रिटिश और अमेरिकी दल प्रणाली की तुलना [Comparison of British and American Party System]

दोनों देशों के दल प्रणाली की तुलना निम्न ढंग से की जा सकती है –

	ब्रिटिश दल प्रणाली	अमेरिकी दल प्रणाली
1	ब्रिटेन में द्विदलीय प्रथा है	अमेशिका में दो दलों की ही प्रथा विकसित हुई है ।
2	ब्रिटेन में दलों का अनुशासन कठोर होता	अमेरिकी दलों में ब्रिटेन की भाँति कठोर संगठन व अनुशासन का अभाव है	
3	ब्रिटेन के दोनों दलों में सैद्धान्तिक मतभेद पाया जातहाै ।	अमेरिकी दलों में सेद्धान्तिक मतभेद न होकर वर्गीय मतभेद है । अमेरिका में दल हितों के गुट हैं; वे सिद्धान्तों के समूह नहीं है
4	बिटेन के दोनों दलों का कार्यक्रम एवं नीतियाँ निश्चित हैं ।	अमेरिकी राजनीतिक दलों में कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते । '
5	ब्रिटिश दल-व्यवस्था के संगठन का आधार केन्द्रीयकरण का सिद्धान्त है ।	अमेरिकी दलों का संगठन ढीला-ढाला है	केन्द्रीय संगठन और स्थानीय इकाइयों में लिंक कम रहता है ।

7.10 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. ब्रिटिश राजनीतिक दलों का सबसे पुराना दल कौन सा है?
   a) श्रमिक दल b) उदार दल
   c) अनुदार दल d) कोई नहीं
2. ब्रिटिश और अमेरिकी दल प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर क्या है?
   a) दलों की संख्या b) चुनावी प्रक्रिया
   c) विचारधारा d) सरकार की संरचना
3. ______ दल ब्रिटेन में पारंपरिक और रूढ़िवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है।
4. ______ दल समाजवादी विचारधारा का पालन करते हुए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

7.11 सार संक्षेप [Summry)

कंजरवेटिव पार्टी का ध्यान आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रीय रक्षा, और व्यक्तिगत अधिकारों पर केंद्रित है। यह व्यापार और निजी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देती है।ब्रिटिश राजनीतिक दलों का विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रारंभ में ब्रिटेन में दो प्रमुख दलों का अस्तित्व था अनुदार और उदार दल। समय के साथ - श्रमिक दल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। इन दलों का राजनीतिक प्रभाव ब्रिटिश शासन की नीतियों और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिटिश और अमेरिकी दल प्रणालियों के बीच संरचना और कार्यों में स्पष्ट अंतर पाए जाते हैं। इस इकाई का उद्देश्य इन दलों की संरचना, कार्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना है।

Answer 1: c) अनुदार दल,

Answer 2: a) दलों की संख्या,

Answer 3: अनुदार

Answer 4: श्रमिक

7.12 मुख्य शब्द

- **कंज़र्वेटिव पार्टी (Conservative Party)**: एक प्रमुख दाईं ओर झुका हुआ दल, जो परंपरावादी और बाजार-उन्मुख नीतियों का समर्थक है।
- **लेबर पार्टी (Labour Party)**: एक प्रमुख बाएं ओर झुका हुआ दल, जो समाजवादी और श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए काम करता है।
- **लिबरल डेमोक्रेट्स (Liberal Democrats)**: एक मध्य-दक्षिणपंथी दल जो नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, और पर्यावरणीय नीतियों पर जोर देता है।

- **यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी (UKIP)**: एक दक्षिणपंथी पार्टी, जो मुख्य रूप से ब्रेक्सिट और राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दों पर केंद्रित है।
- **ग्रीन पार्टी (Green Party)**: पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली पार्टी।
- **स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP)**: स्कॉटलैंड में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की समर्थक पार्टी।
- **वेल्श नॅशनल पार्टी (Plaid Cymru)**: वेल्स के लिए स्वायत्तता और संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर केंद्रित पार्टी।
- **डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (DUP)**: उत्तरी आयरलैंड में स्थित एक दक्षिणपंथी पार्टी जो यूनियनिज़्म और ईसाई विचारधारा को बढ़ावा देती है।

7.13 संदर्भ ग्रन्थ

- सिंह, देवेंद्र. (2020). *ब्रिटिश राजनीति और दल प्रणाली.* दिल्ली: विज्ञान प्रकाशन.
- शर्मा, रघुकांत. (2019). *ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक दल प्रणालियाँ: एक तुलनात्मक अध्ययन.* जयपुर: भारतीय प्रकाशन गृह.
- वर्मा, संदीप. (2021). *राजनीतिक दलों का इतिहास: ब्रिटेन और भारत की परिप्रेक्ष्य में.* मुंबई: सम्राट पब्लिकेशन.
- चौधरी, रवींद्र. (2022). *ब्रिटिश दल प्रणाली और उसकी भूमिका.* वाराणसी: साहित्य मंथन.
- श्रीवास्तव, प्रमोद. (2023). *ब्रिटिश राजनीतिक दलों का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव.* भोपाल: नीति प्रकाशन.

7.14 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. इंग्लैण्ड की दल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ बतलाइए; अमेरिका से उनकी तुलना कीजिए |
2. इंग्लैण्ड में राजनीतिक दलों के संगठन तथा कार्यक्रम का वर्णन कीजिए |
3. ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था के स्वरूप की विवेचना कीजिए ।

लघु उत्तरीय प्रश्न

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--

1. उदार दल ।

2. श्रमिक दल |
3. अनुदार दल ।

इकाई -8

अमरीकी संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

[SALIENT FEATURES OF THE AMERICAN CONSTITUTION]

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 सामान्य पृष्ठभूमि

8.4 अमेरिकी संविधान के विका के प्रमुख चरण

8.5 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का महत्व

8.6 सं.राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ

8.7 अमेरिका संविधान के स्त्रोत

8.8 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

8.9 सार संक्षेप

8.10 मुख्य शब्द

8.11 संदर्भ ग्रन्थ

8.12 अभ्यास प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

अमेरिकी संविधान 1787 में लागू हुआ और यह विश्व के सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसका उद्देश्य अमेरिकी संघ के शासन व्यवस्था को स्पष्ट करना था, ताकि उसके नागरिकों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा मिल सके। यह संविधान संघीय प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर काम करता है, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है।

अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना (Preamble) एक उद्घोषणा है जो संविधान के उद्देश्य और मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यह कहती है:

"We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America."

8.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझ सकेंगे।
2. संविधान की प्रारंभिक संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. अमेरिकी संघवाद और शक्तियों के विभाजन की अवधारणा को पहचान सकेंगे।
4. संविधान में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा का अध्ययन कर सकेंगे।
5. राष्ट्रपति प्रणाली और सरकार की अन्य शाखाओं की भूमिका और सीमाओं को समझ सकेंगे।
6. अमेरिकी संविधान के संशोधन प्रक्रिया और इसकी लचीलापन को स्पष्ट कर सकेंगे।
7. अमेरिकी संविधान की वैश्विक प्रभाव और अन्य देशों के संविधानों पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।
8. अमेरिकी संविधान की आलोचना और उसकी व्यवहारिकता के संदर्भ में चर्चा कर सकेंगे।

8.3 सामान्य पृष्ठभूमि [General Background]

अमेरिकी संविधान के विकास पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जीवन की परम्पराओं तथा आर्थिक, राजनीतिक तत्वों का गम्भीर प्रभाव पड़ा है | लार्ड ब्राइस के शब्दों में, "प्रत्येक देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा परम्परागत संस्थाओं का प्रभाव किसी राष्ट्र के राजनीतिक विकास पर ऐसा पड़ता है कि इससे उसकी शासन-व्यवस्था का निराला ही रूप बन जाता है ।" अमेरिका का संवैधानिक विकास भी इसका अपवाद नहीं है ।

भौगोलिक दृष्टि से सं. रा. अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित 2 1 उसका क्षेत्रफल 36, 15, 211 वर्गमील है । भौगोलिक दृष्टि से उसकी स्थिति अनूठी है । उसके पास बड़ा समुद्रतट है, प्राकृतिक साधनों के अपूर्व भण्डार हैं, खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, सोने की खानें हैं तथा उसे लोगों के भरण-पोषण की अधिक चिन्ता नहीं है । उसकी भौगोलिक स्थिति इसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है । इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर क्रमश: अटलांटिक महासागर तथा प्रशान्त महासागर हैं | उत्तर में कनाडा तथा दक्षिण में मेक्सिको जैसे दुर्बल राज्य हैं । इसी भौगोलिक विशिष्टता के कारण बाहा आक्रमण तथा आन्तरिक अशान्ति से अमेरिका सदैव सुरक्षित रहा । वहाँ के लोग निशिचंत होकर राजनीतिक जीवन में रुचि लेते रहे | इस प्रकार अमेरिकी लोकतन्त्र के विकास में भौगोलिक स्थिति का पर्याप्त सहयोग रहा है |

जनसंख्या की दृष्टि से भी अमेरिका एक विशाल देश रहा है । विश्व-राजनीति में अमेरिका के महत्व का कारण उसकी जनशक्ति भी है । प्रारम्भ में उसकी जनसंख्या का अधिकांश भाग इंग्लैण्ड से आए हुए लोगों का था| इन लोगों के प्रभाव के कारण ही अनेक उपनिवेशों में अंग्रेजी ढंग की शासन-व्यवस्था स्थापित हुई |

सामाजिक दृष्टि से अमेरिका विविध यूरोपीय नस्लों, भाषाओं तथा सम्प्रदायों के लोगों का देश कहा जा सकता है | इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रारम्भ में वहाँ सामाजिक प्रतिस्पर्धा और तनाव रहा । इससे विविध उपनिवेशों में शासन का विकास भी भिन्न-भिन्न ढंग से हुआ तथा रॉयल, प्रोप्राइटरी व चार्टर आदि विविध प्रकार के शासन के स्तर के उपनिवेश अस्तित्व में आए | कालान्तर में यह विविधता एकता में परिवर्तित हो गई और संघीय संविधान का निर्माण किया गया ।

भौतिक और शैक्षणिक दृष्टि से अमेरिकी लोगों का जीवन-स्तर पर्याप्त रूप से उन्नत रहा है | अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न रहे हैं । निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का जीवन स्तर भी घटिया नहीं रहा है । भौतिक और शैक्षणिक स्तर की उच्चता के कारण भी अमेरिकी संविधान का सुगम विकास हो पायहै ।

इस प्रकार विदेशी आक्रमणों से अमेरिका सदा सुरक्षित रहा, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता से अधिक आर्थिक समृद्धि आई तथा विशाल जलस्ोतों के कारण खाद्यानों की दृष्टि से आत्मनिर्भर देश बन गया | इससे राजनीतिक स्थिरता आई और शासन-विधान का अबाध गति से विकास होता गया ।_ बर्न्स तथा पैल्टासन ने लिखा है, "हमारी जन सरकार पिछली दो शताब्दियों & विभिन् न प्रयोगों का परिणाम है जो मानव के वैभव एवं उसके विकास में विश्वास करती है ।"

8.4 अमेरिकी संविधान के विका के प्रमुख चरण

[Evolution the American Constitution : Main Stages]

अमेरिका के वर्तमान संविधान का समुचित अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है । उसके संवैधानिक विकास को चार भागों में बाँटा जा सकता है -

(1) उपनिवेशीकरण |

(2) उपनिवेशों की स्वतन्त्रता ।

(3) राज्यमण्डल |

(4) नए संविधान का निर्माण ।

उपनिवेशीकरण [Colonization]

सन् 1492 में कोलम्बस ने अमेरिका के पश्चिमी तट का अन्वेषण किया | उन दिनों वहाँ भारतीय आदिम जातियों का निवास था । इंग्लैण्ड व यूरोप के देशों से लोग वहाँ जाकर बसने लगे और वे अलग-अलग उपनिवेशों का निर्माण करने लगे । यूरोप से लोगों के निर्गमन के दो मुख्य कारण थे -एक तो आर्थिक संकट था और उनके मन में आर्थिक सम्पन्नता की लालसा थी; दूसरा कारण, उस समयअनेक यूरोपीय देशों में धार्मिक अत्याचार होते थे । चार्ल्स प्रथम के समय में धार्मिक अत्याचार बहुतबढ़ गए थे और बहुत-से प्यूरिटन लोग अमेरिका चले गए । सन् 1690 में अमेरिका की जनसंख्या ढाई लाख से बढ़कर सन् 1775 में लगभग पच्चीस लाख हो गई |

अमेरिका में एक नई वर्णसंकर संस्कृति का उदय हुआ | अमेरिका कई संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया | यूरोप के विभिन् न देशों के लोग अपने साथ अपनी-अपनी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति तथा परम्परा भी ले गए जिससे इंग्लैण्ड व यूरोप की संस्कृति का मेल हुआ, किन्तु ये मेल इतना घनिष्ठ नहीं हो पाया और आज भी अमेरिका में वर्ग व जाति-भेद विद्यमान है ।

इंग्लैण्ड और यूरोप से आए हुए लोग व्यवस्थाप्रिय थे । अत: उनकी यह धारणा थी कि इंग्लैण्ड की मातृ सरकार से उपनिवेशों की स्थापना के लिए आज्ञा प्राप्त की जाए। सप्राटू ने उन्हें उपनिवेशस्थापित करने के लिए "प्रपत्रों' के रूप में विधिवत् आज्ञा प्रदान की । इससे अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना का दौर चला । इस आधार पर स्थापित उपनिवेशों के तीन वर्ग थे -

(i) अधिकारपत्र-प्राप्त उपनिवेश - ये उपनिवेश अधिकारपत्र-प्राप्त कम्पनियों द्वारा बसाए गए थे | ये ब्रिटिश शासन के नियन्त्रण में थे । ये मातृदेश की विधियों के प्रतिकूल

विधि निर्माण नहीं कर सकते थे । प्रतिवर्ष इनके गवर्नर का निर्वाचन होता था, जिसे सप्राटू औपचारिक स्वीकृति प्रदान करता था । व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का वार्षिक निर्वाचन होता था । रोड द्वीप और कनेक्टीकट इस वर्ग के उपनिवेश थे ।

(ii) स्वामी-प्रधान उपनिवेश - स्वामी-प्रधान उपनिवेश में स्वामी गवर्नरों की नियुक्ति करते थे तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन सम्राट द्वारा किया जाता था । गवर्नर को विधायिका के कार्यों पर ARy का अधिकार था|

(iii) शाही उपनिवेश - शाही उपनिवेशों की संख्या सर्वाधिक थी| ये उपनिवेश पूर्णत: ब्रिटिश सम्राट के नियन्त्रण में थे । सम्राट्क े प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर की नियुक्ति होती थी । उसकी सहायता के लिए एक परिषद् रहती थी जिसका निर्वाचन होता था और उसके द्वारा निर्मित विधियों की अन्तिम स्वीकृति क्राउन से मिलती थी ।

उपनिवेशों की स्वतन्त्रता [Independence]

विभिन् न प्रकार के उपनिवेशों पर इंग्लैण्ड का नाम मात्र का आधिपत्य था; किन्तु धीरे-धीरे उपनिवेशों में पूर्ण स्वतन्त्रता पर आधारित पूर्ण स्वशासन की इच्छा प्रबल होने लगी तथा इंग्लैण्ड का नाम मात्र का_ आधिपत्य भी खटकने लगा । उपनिवेशों को ब्रिटिश संसद् का हस्तक्षेप मान्य नहीं था । जब ब्रिटिश संसद् ने उपनिवेशों पर नए कर लगाए और व्यापार व प्रशासन सम्बन्धी कठोर नियम बनाए तो उपनिवेशों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया । उपनिवेशों का कहना था कि, "बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं लगाना चाहिए ।" सन् 1765 में ब्रिटिश संसद् ने 'मुद्रांक अधिनियम' पारित किया| इससे उपनिवेशों में गम्भीर प्रतिक्रिया हुई | जॉन एडम्स, जेफरसन आदि राष्ट्रवादियों ने "मानव स्वतन्त्रता, शासन शासितों की इच्छाओं का दर्पण' आदि सिद्धान्तों का प्रचार किया । सन् 1773 के "चाय अधिनियम' तथा 1774 के "मेसाचुसेट्स शासन अधिनियम' पारित होने पर उपनिवेशों में ज्वाला धधक उठी|

स्वाधीनता की भावना को मूर्त रूप देने के लिए "पत्र-व्यवहार समितियों' का गठन किया गया । इन्हीं समितियों के द्वारा उपनिवेशों का "संयुक्त गढ़' तैयार किया गया । इन समितियों ने ही 'महाद्वीपीय कांग्रेस' को चुना तथा उसके निर्णयों को लागू किया (इसी कारण इन्हें "विद्रोह का साधन' कहा जाता है ।

मेसाचुसेट्स के निवासियों के फलस्वरूप सन् 1774 में 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन फिलाडेल्फिया नगर में हुआ, जिसे "प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस' कहा जाता है । इस कांग्रेस ने दमनकारी कानूनों का विरोध किया तथा विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान किया 1 10 मई, 1775 में फिलाडेल्फिया में "दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस' हुई | इसमें इंग्लैण्ड से युद्ध का प्रस्ताव पेश किया गया तथा जार्ज वाशिंगटन को सर्वोच्च

सेनापति नियुक्त कर दिया गया । द्वितीय कांग्रेस में जा्जिया के शामिल होने से इस बार कुल राष्ट्रों की संख्या 13 हो गई । यह कांग्रिस मार्च 1781 तक "संयुक्त उपनिवेशों' की सरकार के आधिकारिक अंग के रूप में कार्य करती रही ।

जार्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में उपनिवेश अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े और 4 जुलाई, 1776 को उनकी ओर से वह उद्घोषणा की गई, जिसे स्वतन्त्रता की उद्घोषणा' कहा जाता है । सन् 1775 में ब्रिटिश सम्राट St ने घोषणा की कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है । ब्रिटेन और अमेरिकी उपनिवेशों में 6 वर्ष तक युद्ध चलता रहा । 19 अक्टूबर, 1781 को उपनिवेशों की विजय और ब्रिटिश सेनापति की पराजय हुई । लार्ड नार्थ की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा जार्ज तृतीय नेनवीन सरकार बनाई, जिसने अमेरिका की स्वतस्त्रता को मान्यता दे दी ।

राज्यमण्डल [Confederation]

इंग्लैण्ड के विरुद्ध स्वतन्त्रता के सक्रिय प्रयास हेतु विभिन् न राज्यों के मध्य तालमेल एवं समन्वय होना अनिवार्य था | परिणामस्वरूप सन् 1774 में 'प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस' नामक एक संस्था की स्थापना की गई | यद्यपि इसकी शक्तियों का कोई वैधानिक आधार नहीं था । 12 जून, 1776 को प्रत्येक उपनिवेश से एक-एक सदस्य लेकर एक नई समिति का निर्माण किया गया । इसने एक ऐसे राज्यमण्डल के संविधान पर विचार किया जिसके अन्तर्गत एक होकर सभी उपनिवेश स्वतत्रता-संग्राम चला सकें |

नवम्बर 1777 में 'महाद्वीपीय कांग्रेस' ने राज्यमण्डल व स्थायी संघ की निर्माण सम्बन्धी धाराओं को स्वीकार कर लिया । सन् 1781 में राज्यों ने उसकी पुष्टि कर दी । इस प्रकार अमेरिका के "संयुक्त राज्यों के प्रथम लिखित संविधान का निर्माण हुआ ।

राज्यमण्डल संविधान की धाराओं के अनुसार सब राज्य एक हुए तथा पारस्परिक सौहार्द्र के बन्धन में बैंध गए । फिर भी प्रत्येक राज्य ने अपनी प्रभुसत्ता व स्वाधीनता को बनाए रखा | राज्यमण्डल संविधान की प्रथम धारा के अनुसार संघ का नाम "संयुक्त राज्य अमेरिका' रखा गया | उन शक्तियों, अधिकार –क्षेत्रों व अधिकारों को छोड़कर, जिन्हें राज्यमण्डल को सौंपे गए थे, सब शक्तियाँ व अधिकार राज्यों को प्राप्त रहते थे | राज्यमण्डल को युद्ध की घोषणा करने, सन्धि करने, दौत्य सम्बन्धों की स्थापना करने, मुद्रा जारी करने, ऋण लेने, समुद्री सेना बनाने, डाकखाने की व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त था ।

फिर भी राज्यमण्डल की सरकार को कर लगाने तथा विविध राज्यों के बीच व्यापार का नियन्त्रण करने का अधिकार नहीं था । राज्यमण्डल में केन्द्रीय कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का भी प्रावधान नहीं था । राज्यमण्डल की यह व्यवस्था एक ढीले-ढाले

शिथिल संघ के समतुल्य ' थी । राज्यमण्डल संविधान की धाराएँ बालकूी रस्सी के समान थीं और उससे इसको एकता प्राप्त नहीं हो सकी | राज्यमण्डल की कतिपय प्रमुख दुर्बलताएँ इस प्रकार थीं -

(1) केन्द्र को कर लगाने का अधिकार नहीं था ।

(2) राज्यों ने केन्द्र को अपेक्षित आर्थिक सहायता न दी |

(3) बाहा और अन्तर्राज्यीय व्यापार के विषय में प्रत्येक राज्य अपने को एक अलग राष्ट्र समझता था।

(4) अनेक राज्यों ने बाहरी देशों सेअ लग बातचीत करना आरम्भ कर दिया |

(5) प्रत्येक राज्य अपना प्रशासन अपने राज्यों के हितों की साधना की दृष्टि से चलाता था ।

(6) सभी राज्य अपने को अपने में स्वतंत्र राष्ट्र समझते थे तथा राज्यमण्डल की सत्ता का अस्तित्व प्राय: अज्ञात-सा हो गया था |

इस प्रकार राज्यों के बीच ईर्ष्या, ट्रेष, संघर्ष तथा प्रतिशोध की भावनाएँ बढ़ रही थीं । ऐसी स्थिति में राज्यमण्डल की कांग्रेस ने सन् 1786 ई. में प्रस्ताव पारित करके कहा कि "अब ऐसी संकटपूर्ण स्थिति आ गई है जबकि संयुक्त राज्य के लोगों के लिए यह निश्चित करना आवश्यक है कि वे या तो राज्यमण्डल के शासन को," जो उन्हीं के द्वारा तथा उन्हीं के हित के लिए स्थापित किया गया है, सशक्त बनाएँ अथवा उसके अस्तित्व को ही मिटा देने के लिए प्रस्तुत हो जाएँ |

नए संविधान का निर्माण (New Constitution]

राज्यमण्डल में केन्द्रीय सरकार की दुर्बल स्थिति के कारण राज्य उसकी अवहेलना करने लगे | ऐसी भी स्थिति आ गई कि राज्यों में गृहयुद्ध छिड़ने का भय उत्पन्न हो गया । इसके फलस्वरूप केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिए आवाज उठी । वाशिंगटन, हैमिल्टन, तथा मेडीसन ने कहा कि केन्द्र को राज्यों से कम शक्तिशाली नहीं होना चाहिए | जार्ज वाशिंगटन के शब्दों में, एक राष्ट्र के रूप में हम अधिक दिनों तक तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक किसी स्थान पर हम एक ऐसी सत्ता की स्थापना न करें, जो उतनी ही शक्ति के साथ सम्पूर्ण संघ में कार्य करे जितनी शक्ति के साथ राज्यों की सरकारें विविध राज्यों में कार्य करती हैं ।"

हैमिल्टम और मेडीसन के प्रयासों के फलस्वरूप सभी राज्य इस बात पर सहमत हो गए कि फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया जाए | रोड द्वीप को छोड़कर सभी

राज्यों नेअ पने-अपने प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया में भेजा । 14 मई, 1787 ई. को सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें केवल 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । जार्ज वाशिंगटन ने सम्मेलन का सभापतित्व किया । इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यमण्डल के अनुच्छेदों को दुहराना तथा उनमें संशोधन का सुझाव देना था | केन्द्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि करना इस सम्मेलन का विशिष्ट उद्देश्य था | सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों में वाशिंगटन, मेडीसन, हैमिल्टन, एडमण्ड, बैंजामिन रैण्डल्फ, जैम्स विल्सन आदि प्रमुख थे । जेफरसन ने इसे 'देवपुत्रों की सभा' कहकर सम्बोधित किया ।

फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इसमें देश के विभिन् न विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व था । अत: विरोधी हितों का समन्वय करके संविधान का निर्माण करना एक समस्या बन गई । सम्मेलन में हुए विचार-विनिमय से यह स्पष्ट हो गया कि राज्यमण्डल के ढाँचे के संशोधन से कार्य नहीं चलेगा तथा पूर्णत: नए संविधान का निर्माण आवश्यक है । नए संविधान में स्वशासित राज्यों की शक्ति व शक्तिशाली केन्द्र की शक्ति 1 उचित समन्वय होना आवश्यक है | 17 सितम्बर 1787 को अमेरिका के संयुक्त राज्यों के नए संविधान के स्वरूप का निश्चय हुआ । सम्मेलन ने यह भी तय किया कि नए संविधान के लागू किए जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि 13 में से कम-से-कम 9 राज्यों के विधानमण्डल उसे अलग-अलग स्वीकार करें ।

जिस उत्साह से नया संविधान बनाया गया, उतने ही उत्साह से राज्यों द्वारा उसका पुष्टिकरण नहीं हुआ | संविधान के कतिपय अंशों को लेकर राज्यों में गम्भीर मतभेद चल पड़ा । ऐसा लगने लगा कि देश दो दलों में विभक्त हो गया है । एक दल उन लोगों का था जो संघ-विरोधी थे तथा दूसरा दल उन लोगों का था जो संघ के समर्थक थे । अंत में संघ के समर्थकों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि__ संविधान में अधिकार-पत्र की व्यवस्था होना आवश्यक है । 21 जून, 1788 ई. के दिन संविधान o राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा अनुसमर्थित हो गया और 4 मार्च, 1789 ई. को नया संविधान प्रवर्तन में आ गया ।

आज भी अमेरिका में यही संविधान प्रवर्तन में है । राज्यों की संख्या 13 से बढ़कर 50 हो गई है, तब भी यह संविधान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है ।

8.5 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का महत्व [Significance the Constitution of the U.S.A.]

ब्रिटिश संविधान के समान ही अमेरिकी संविधान भी विश्व के संविधानों में विशिष्ट स्थान रखता है । वह संसार का सबसे पुराना लिखित संविधान है । यह उसकी एक महान् उपलब्धि है कि सन् 1787 ई. में निर्मित संविधान कुल 27 संशोधनों के द्वारा आज की

परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सिद्ध हो रहा है । संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति के क्षेत्र में विभिन् न प्रयोग होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं । मुनरो के शब्दों में, "सौ वर्षो से भी अधिक से संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक परीक्षण की एक महान् प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है ।" विलसन के अनुसार अमेरिकी संविधान एक "जीता जागता तथा उर्वर" (Living and Fecund) संविधान है | ब्राइस के शब्दों में अमेरिकी संविधान का "जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में यह अपने पूर्ण यौवन पर आया और 20वीं शताब्दी में भी यह बढ़ता ही जा रहा है ।"

अमेरिका के संविधान की महत्ता निम्न प्रकार है :

1. पुराना लिखित संविधान - अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है । इसका निर्माण सन् 1787 में हुआ था 1 उस समय अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था और आज वह एक प्रमुख औद्योगिक देश हो गया है । फिर भी आज इतना प्राचीन संविधान ज्यों-का-त्यों जीवित है)

2. संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना - अमेरिका एक विशाल सफल संघ राज्य है । वहाँ पर अनेक राजनीतिक प्रयोग हुए हैं । भारतीयों के लिए तो अमेरिका के संविधान का और भी अधिक महत्व है । अमेरिका के नमूने पर ही भारत ने संघ व्यवस्था के सिद्धान्त को ग्रहण किया है । उसी आधार पर भारतमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गई है ।

3. राष्ट्रपति प्रणाली - राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका की अनुपम देन है । इस शासन-प्रणाली का आधार मॉंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित 'शक्ति-पृथक्करण' का सिद्धान्त है | देश की सम्पूर्ण कार्यपालिका-शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होती है । इससे शासन में स्थिरता रहती है ।

4. अमेरिका की सफलता का प्रतीक - आज अमेरिका विश्व का अग्रणी राष्ट्र है । आर्थिक और सैनिक दृष्टि सेउ सकी ख्याति चरम सीमा पर है । वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उसने अनूठी सफलताएँ अर्जित की हैं | उसकी सर्वतोन्मुखी उन्नति का कारण उसका शासन-विधान भी है ।

5. सतत् परिवर्तनशील संविधान - अमेरिकी संविधान के महत्व का एक कारण यह भी है कि यह लिखित होते हुए भी अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में समर्थ हुआ है |यह एक सतत् बदलता हुआ संविधान (A Continually changing organism)? |

6. शक्ति पृथक्करण - शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के प्रयोग की दृष्टि से भी अमेरिकी संविधान संविधानों की दुनिया में अद्वितीय स्थान रखता है । फ्रेन्व विचारक मॉण्टेस्क्यूने

य ह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्ति अलग-अलग व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के हाथों में रखी जानी चाहिए । अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धान्त को उचित मानते हुए अपने देश के संविधान में इसे अपनाया, यद्यपि ठीक उस रूप में नहीं जिसकी कल्पना सिद्धान्त के जनक ने की थी | इस सिद्धान्त को व्यक्तिगत स्वतत्रताओं का रक्षा कवच माना जाता है ।

इस प्रकार अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े देशों में भी लोकतत्र सफल हो सकता है । यदि ब्रिटेनवासी "विधि के शासन' सिद्धान्त के लिए गर्व कर सकते हैं तो अमेरिका-निवासी "न्यायिक पुनर्निरी क्षण' सिद्धान्त पर गर्व कर सकते हैं । ब्रोगन के शब्दों में, "इस संविधान के अन्तर्गत स्थापित शासन-पद्धति के द्वारा अमेरिकी राष्ट्र समृद्धशाली और सुदृढ़ बना है, उसने अपनी स्वतन्त्रता और सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा है और विश्व-इतिहास पर अमिट प्रभाव डाला है ।" सं.रा. अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ

8.6 सं.राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ [Salient Features of the U.S.Constitution]

सं.रा. अमेरिका का संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का सुन्दर समन्वय है। यह संविधान आन्तरिक गड़बड़ी व बाह्मा आक्रमणों के विरुद्ध ढाल बनकर रहा है | संविधान में व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण माना गया है तथा सभी संवैधानिक संस्थाओं का लोकतन्ीय आधार रखा गया है। मैक्स लर्नर के शब्दों में यह संविधान "ऐसे सिद्धान्तों का समूह है जो शाश्वत रूप से सत्य व सार्वभौमिक रूप में लागू होने वाले हैं ।" अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं -

1. लिखित तथा संझिप्त संविधान (Written and Brief Constitution) - अमेरिका का संविधान आधुनिक संविधानों में सबसे पुराना और लिखित संविधान है । इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं और पिछले 212 वर्षों में 27 संशोधन हुए हैं । यह संविधान अत्यन्त संक्षिप्त हैऔ र इसमें 40 से कम छपे हुए पृष्ठ हैं जो थोड़े समय में ही पढ़े जा सकते हैं । इसकी तुलना में भारत का संविधान बहुत लम्बा है । जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं । लार्ड ब्राइस के अनुसार, "अमेरिका का संविधान सब काट-छाँट के बाद भी संसार के समस्त संविधानों में सर्वश्रेष्ठ ।" 'जिक का मत है कि "संविधान की संक्षिप्तता एक वरदान है संविधान की संक्षिप्तता उत्तरदायित्व की अपेक्षा पूँजी है । स्थायित्व भी इसी का परिणाम है ।"*

2. लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास (Popular Sovereignty) - अमेरिका के संविधान-निर्माताओं का लोकतन्त्र में पूर्ण विश्वास था, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि "हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोत्तरी करने तथा अपने एवं अपनी सन्तति के लिए स्वतन्त्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को अपनाते हैं ।" इस प्रकार अमेरिका के संविधान में जनता की प्रभुता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है । इस संविधान का आधार जनसत्ता (Popular Sovereignty) 8 | राज्य की अंतिम शक्ति (Ultimate power) जनता के हाथों में B | जनता ही सम्प्रभु है | संविधान पूर्णत: जनतनत्रीय (Democratic) है | अमेरिका की स्वतस्त्रता की घोषणा (Declaration of Independence) में यह स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित किया गया है कि "सरकारें अपनी उचित शक्तियाँ जनता की अनुमति से ही प्राप्त करती हैं ।" स्वतन्त्रता की यह घोषणा अमेरिका के संविधान का आधार है । अब्राहम लिंकन के शब्दों में यदि कहा जाए तो अमेरिकी सरकार "जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार" (Government of the people, by the people and for the people) है !

3. गणतन्त्रात्मक शासन (Republican form of Goverment)- अमेरिका में गणतम्त्रीय शासन प्रणाली है | उससे अभिप्राय यह है कि यहाँ कोई पैतृक राजा नहीं है । राज्याध्यक्ष एवं शासन का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति (President) हैं जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है) इसी प्रकार राज्यों के शासनाध्यक्ष गवर्नर भी निर्वाचित हैं, न की वंशानुगत ।

4. संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution) - अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन हैं । अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, "यह संविधान और इसके अनुसार बनाए हुए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की हुई सभी संघधियाँ या जो भविष्य में की जाएँगी, देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे ।"

5. कठोर संविधान (Rigid Constitution) - अमेरिका का संविधान अत्यन्त कठोर है क्योंकि इसमें संशोधन की विधि अत्यन्त जटिल है । 212 वर्ष के लम्बे काल में केवल 27 संशोधन इस संविधान में हुए हैं । अमेरिका के संविधान में संशोधन विधि यह है कि कांग्रेस के दोनों सदन दो-तिहाई बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव पास करें और राज्यों के तीन-चथौाई विधानमण्डल उसका समर्थन करें । अमेरिका के संविधान में संशोधन की

दूसरी विधि यह है कि दो-तिहाई राज्यों के विधानमण्डल कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें । ऐसी प्रार्थना होने पर कांग्रेस एक कम्वेन्शन बुलाएगी । यह कन्वेन्शन संविधान में एक__ संशोधन का प्रस्ताव पास करेगी । यदि यह प्रस्ताव तीन-चौथाई राज्यों में कम्वेन्शन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए तो संविधान में संशोधन हो जाएगा । चूँकि दूसरा तरीका अधिक जटिल है, इसलिए 21वें संशोधन को छोड़कर शेष सभी संशोधनों के लिए पहला तरीका अपनाया गया है |

6. संघात्मक शासन-प्रणाली (Federal form of Government) - अमेरिका में संघात्मक शासन-प्रणाली है | संघात्मक शासन में मुख्य रूप से तीन तत्व होते हैं - (i) लिखित संविधान, (ii) शक्ति- विभाजन अर्थात् केन्द्र और राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति-विभाजन और (i) एक स्वतन्ृर एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ।

अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। इन राज्यों की न केवल अलग-अलग सरकारें हैं, बल्कि अलग-अलग संविधान भी हैं । संघात्मकता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों में है । संघ की व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण सदन - सीनेट का गठन ही संघात्मक आधार पर किया गया है ।

7. अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली (Presidential form of Government) - अमेरिका के संविधान-निर्माता देश में एक ऐसी शासन-व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातान्त्रिक भी हो और साथ ही सशक्त, स्थायी और मजबूत भी । इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली स्थापित की गई । देश की कार्यपालिका-शक्ति का वास राष्ट्रपति में रखा गया । साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि वह कांग्रेस (संसद) के प्रति उत्तरदायी नहीं है । कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकती । राष्ट्रपति चार वर्ष के लिए चुना जाता है । इन चार वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से हटाया नहीं जा सकता । उसी के नाम से देश का शासन चलता है और वही वास्तव में शासन चलाता भी है 1 इस प्रकार राष्ट्रपति पद में - राजा और प्रधानमन्त्री - दोनों की शक्तियों का समावेश है । ओर्थ तथा कुशमैन के शब्दों में, "अधिकांश अमेरिकियों के लिए वही शासन का प्रतीक है, क्योंकि वही एक पूर्णपेण' अमेरिकी पदाधिकारी है ।

8. न्यायिक सर्वोच्चता (Judicial Supremacy) - ब्रिटेन में संसद् सर्वोच्च है | इसके विपरीत सं.रा. अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धान्त लागू किया गया । ब्रिटेन में संसद् कोई भी कानून बना सकती है | वहाँ न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकते, परन्तु संररा. अमेरिका में कांग्रेस अथवा राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा पास किए हुए कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हों, वहाँ के संघीय न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किए जा सकते हैं; अर्थात् अमेरिका के न्यायालयों को कानून की वैधता के विषय

में विचार तथा निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है । न्याय विभाग की महत्ता इतनी अधिक है कि जेम्स बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय को "संविधान का सन्तुलन चक्र' (Balance Wheel of the Constitution) कहा है ।

9. शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त (Separation of Powers) — अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त है । तीन शताब्दी पूर्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक मॉटेस्क्यू ने यह मत प्रतिपादित किया था कि शासन कि निरंकुशता पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके तीनों कार्य - कार्यकारी, विधानांग तथा न्यायांग पृथक-पृथक् संस्थाओं द्वारा किए जाएँ । अमेरिका में ऐसा ही है । कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का वास राष्ट्रपति में है, व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्तियों का वास कांग्रेस में हैऔ र न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तियों का वास सर्वोच्च न्यायालय में है । हरमन फाइनर के शब्दों में - "अमेरिकी संविधान शक्ति-विभाजन का विवेकपूर्ण तथा वृहत् प्रयास है । यह आज के संसार में इस सिद्धान्त का अनुसरण करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है ।"

10. नियत्रण और सन्तुलन का सिद्धान्त (Checks and Balances) - यह ठीक है कि अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का आयोजन किया, परन्तु वे सरकार के तीनों अंगों को एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक् अथवा स्वतन्त्र न बना सके, क्योंकि ऐसा किया जाना न तो सम्भव ही था और न उचित ही । अत: उन्होंने शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के साथ-साथ सरकार के तीनों अंगों में सम्बन्ध भी स्थापित किए । इन सम्बन्धों को स्थिर करने में उन्होंने 'नियत्रण और सन्तुलन' के सिद्धान्त__ का पालन किया । इस सिद्धान्त के अनुसार शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर इस प्रकार नियन्त्रण रखता है कि शक्ति का एक शानदार सन्तुलन बन जाता है | उदाहरणार्थ, कांग्रेस (संसद) पर राष्ट्रपति भी नियन्त्रण रखता है और न्यायपालिका भी | राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को "वीटो' कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस का नियन्त्रण है । वह उस पर महाभियोग लगा सकती है । हैमिल्टन के शब्दों में, "शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरे को नियन्त्रित करे ।"

11. अधिकार-पत्र (3 of Rights)- अमेरिका के संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से समावेश किया गया है । नागरिकों को भाषण की स्वतन्त्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता शान्तिपूर्वक सभा करने तथा सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने के अधिकार सम्बन्धी स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं । प्रारम्भ में मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे ।

संविधान के प्रथम दस संशोधनों द्वारा नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं ।

12. दुहरी नागरिकता (Double Citizenship) - अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन को अपने राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है और संघ की भी । इस प्रकार वहाँ दुहरी नागरिकता है | संघ की नागरिकता के लिए नियम एकरूप हैं, किन्तु विभिन् न राज्यों की नागरिकता सम्बन्धी नियमों में विविधता है । संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का अनूठा संविधान है । अपनी संघीय व्यवस्था, नियंत्रण एवं संतुलन युक्त शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आदि विशेषताओं के कारण यह अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है । सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे-धीरे परिवर्तित होकर इसने अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों के पूर्णतया अनुकूल ढाल लिया है । ग्रिफिथ लिखता है,"इस कठोर संविधान ने व्यवहार में आश्चर्यजनक नमनीयता बताई है ।" मुनरो ने भी कहा है, "संविधान सन् 1787 की तिथि चिह्न रखते हुए भी शनैः-शनैः परिवर्तित, विकसित और नई परिस्थितियों के अनुकूल होता रहा है ।"

TS ब्राइस ने लिखा है, "अमेरिका का संविधान काफी काट-छाँट के पश्चात् भी विश्व के सभी संविधानों में उत्तम है । यह जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल है । यह बहुत सरल तथा संक्षिप्त है । समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी व्याख्या की जा सकती है ।" जेम्स बैक के शब्दों में, "उसमें जीवन-शक्ति, महान उद्देश्यों की उद्घोषणा और शासन की नैतिकता विद्यमान है । इसने राजनीतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, परन्तु इसके साथ-साथ जनता के मूल नैतिक अधिकारों की रक्षा की है | वास्तव में, इसमें लौकिकता और नैतिकता का अद्भुत सामंजस्य है ।"

8.7 अमेरिका संविधान के स्त्रोत [Sources of the U.S. Constitution]

फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख ही अमेरिकी संविधान नहीं है। यद्यपि अमेरिकी संविधान को निर्मित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि अमेरिकी संविधान का विकास नहीं हुआ | लाई ब्राइस के अनुसार, "जैसे राष्ट्र बदला है वैसे ही आवश्यक रूप से संविधान भी बदला है ।" संक्षेप में अमेरिकी संविधान के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं -

1. लिखित संविधान - फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान-प्रलेख अमेरिकी शासन-विधान का मूलभूत स्रोत है ।

2. संविधान संशोधन - संविधान संशोधनों ने लिखित संविधान पर आवश्यक चर्बी चढ़ाने का कार्य किया है | अमेरिकी संविधान को समय और परिस्थतियों के अनुकूल ढालने में संविधान संशो धनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । अब तक अमेरिकी संविधान में 27 संशोधन हो चुके हैं ।

3. कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम - अमेरिका के लघु संविधान को कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों से जीवन मिला है । कांग्रेस ने ऐसे अनेक अधिनियम पारित किए हैं जिनके आधार पर शासन के अंगों तथा उनकी कार्यपद्धति को निश्चित किया गया है । उदाहरणार्थ मूल संविधान में राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तथापि कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में विभिन् न कार्यपालिका का गठन किया गया ।

4. न्यायिक व्याख्याएँ - अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । जब कभी कांग्रेस द्वारा निर्मित अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती दी गई तो न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेदों के सन्दर्भ में उनकी जाँच की । न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या होने से संविधान का अर्थ ही बदल जाता है । प्रो. मुनरो के शब्दों में, "प्रत्येक सोमवार को सुबह जब सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय देता है, संविधान संशोधित हो जाता है ।" विल्सन के शब्दों में, "सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार की निरन्तर बैठने वाली संविधानसभा है जो संविधान के मूलभूत नियमों की व्याख्या कर उन्हें विकसित करती है ।"

5. परम्पराएँ - बीयर्ड के शब्दों में, " अमेरिकी संविधान के अन्तर्गत क्रान्तिकारी परिवर्तन संशो धनों तथा अधिनियमों द्वारा नहीं हुए हैं, अपितु रीति-रिवाजों और प्रथाओं से हुए हैं, जिसमें संविधान की आत्मा ही बदल गई है ।" अमेरिकी संविधान की मुख्य परम्पराएँ इस प्रकार हैं -

(i) राजनीतिक दल - लिखित संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है । संघ को "अधिक शक्तियाँ दी जाएँ या कम शक्तियाँ दी जाएँ" के विवादपूर्ण प्रश्न को लेकर हैमिल्टन और जेफरसन के दो दल बन गए | आज भी दोनों दल ज्यों-के-त्यों चले आ रोे हैं।

(ii) केबिनेट प्रणाली का अभ्युद्य - अमेरिकी संविधान में कैबिनेट का उल्लेख नहीं है । राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने कुछ सलाहकार नियुक्त किए | धीरे-धीरे उनकी सुचारु रूप से बैठकें होने लगीं और राष्ट्रपति उनकी सलाह से ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगे। आज भी वहाँ की कैबिनेट परम्परा पर ही आधारित है 1

(iii) सीनेट का शिष्टाचार - परम्परा के अनुसार सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की हुई केन्द्रीय नियुक्तियों को यह सोचकर स्वीकार कर लेती है कि राष्ट्रपति राज्यों कि नियुक्तियों में उनकी इच्छाओं का आदर करेगा |

(iv) राष्ट्रपति का चुनाव - राष्ट्रपति की चुनाव-पद्धति पूर्णतः परम्परा पर आधारित है | संविधान में 'राष्ट्रीय सम्मेलन' और "प्राथमिक चुनाव' की कोई व्यवस्था नहीं है । राष्ट्रीय सम्मेलन और प्राथमिक चुनाव की परम्पराओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष बना दिया है । इस प्रकार परम्पराएँ भी अमेरिकी संविधान का मुख्य स्रोत हैं । लिखित होते हुए भी परम्पराओं द्वारा उसका बराबर विकास होता रहा है ।

8.8 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख उद्देश्य _______ हैं।
   a) नागरिक अधिकारों की सुरक्षा
   b) राज्य की शक्ति का वितरण
   c) दोनों

2. अमेरिकी संविधान का प्रमुख स्त्रोत _______ है।
   a) ब्रिटिश संविधान
   b) मोंटेस्क्यू का सिद्धांत
   c) दोनों

3. अमेरिकी संविधान में _______ की संरचना को स्पष्ट किया गया है।
   a) न्यायपालिका
   b) कार्यपालिका
   c) दोनों

4. संविधान के विकास में सबसे पहला चरण था _______ ।
5. अमेरिकी संविधान के आधार पर _______ प्रणाली को लागू किया गया है।

8.9 सार संक्षेप

अमेरिकी संविधान का मुख्य उद्देश्य जनता के लिए एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र, और प्रगतिशील समाज की स्थापना करना है। इसकी संरचना संघीय प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। संविधान की स्थिरता और लचीलापन इसे एक

आदर्श और सफल संविधान बनाते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएँ उसके संघीय ढांचे, शक्ति के वितरण, और अधिकारों की सुरक्षा में निहित हैं। यह संविधान न केवल नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि यह राज्य और संघीय सरकारों के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित करता है। संविधान के विकास की प्रक्रिया में कई प्रमुख चरण आए, जिनसे यह समझा जा सकता है कि यह संविधान किस प्रकार समय के साथ विकसित हुआ। अमेरिकी संविधान आज भी लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Answer1: c) दोनों,
Answer2: b) मोंटेस्क्यू का सिद्धांत,
Answer3: c) दोनों,
Answer4: संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा,
Answer5: संघीय,

8.10 मुख्य शब्द

- **संघीयता (Federalism)** - अमेरिकी संविधान संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है।
- **प्रजातंत्र (Democracy)** - संविधान जनता द्वारा चुनी गई सरकार की प्रणाली को मान्यता देता है।
- **संविधानिक अधिकार (Constitutional Rights)** - नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी देता है (जैसे, स्वतंत्रता की अधिकारिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि)।
- **चेक और बैलेंस (Checks and Balances)** - अलग-अलग शाखाओं (कार्यकारी, न्यायिक, और विधायिका) के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था है।
- **विधानसभा की संरचना (Bicameral Legislature)** - अमेरिकी कांग्रेस दो सदनों में विभाजित है: प्रतिनिधि सभा और सीनेट।
- **संशोधन का अधिकार (Amendment Process)** - संविधान में परिवर्तन (संशोधन) की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।
- **विधिक संविधान (Written Constitution)** - यह एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें सरकार की संरचना और शक्तियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।

- **धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom)** - संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास के अधिकार की रक्षा करता है।
- **प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights)** - यह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

8.12 संदर्भ ग्रन्थ

- भारत, पी. (2017). *संविधान और शासन: एक विश्लेषण.* दिल्ली: प्रकाशन हाउस.
- कुमार, एन. (2020). *अमेरिकी संविधान: इतिहास और प्रभाव.* मुंबई: अभिव्यक्ति पब्लिकेशन.
- शर्मा, एस. (2021). *संविधान और संघीय प्रणाली.* नई दिल्ली: भारतीय प्रकाशक.

8.13 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की उत्पत्ति तथा विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. अमेरिकी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

3. सं.रा. अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

4. "अमेरिका का संविधान संघात्मक और उसकी कार्यपालिका अध्यक्षात्मक है।" संविधान की उपर्युक्त विशेषताओं का हवाला देकर इस कथन का स्पष्टीकरण और समर्थन कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

राज्यमण्डल ।

गणतंत्रात्मक शासन ।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ।

दुहरी नागरिकता ।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया ?

    (अ) 1767 में, (ब) 1789 में,

(स) 1877 में, (द) 1797 में।

2. विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है:

(अ) इंग्लैण्ड का, (ब) फ्रान्स का,

(स) स्विट्जरलैण्ड का, (द) अमेरिका का।

3. अमेरिकी संविधान के निर्माण हेतु सम्मेलन कहाँ बुलाया गया ?

(अ) वाशिंगटन में, (ब) फिलाडेल्फिया में,

(स) केलिफोर्निया में, (द) न्यूयार्क में।

4. अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं?

(अ) 26 (ब) 27

(स) 74 (द) 75।

इकाई -9

अमेरिकी कार्यपालिका : राष्ट्रपति

[AMERICAN EXECUTIVE: PRESIDENT]

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 राष्ट्रपति का पद

9.4 राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ

9.5 राष्ट्रपति कांग्रेस

9.6 अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति

9.7 क्या अमेरिकी राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है?

9.8 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

9.9 सार संक्षेप

9.10 मुख्य शब्द

9.11 संदर्भ ग्रन्थ

9.12 अभ्यास प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

"उन शक्तिशाली व्यक्तियों (जेफरसन, जैक्सन, लिकन, थयोडर रूजवैल्ट, विल्सन और फ्रेंकलिन रूजवैल्ट) ने, जिन्होंने इस पद को धारण किया, इस पद को अत्यन्त शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया है।"

- फानगूसन तथा मैक हैनरी

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 'राष्ट्रपति' के विषय में केवल इतना ही लिखा है: "कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी" (The executive power shall be vested in a President) I संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इन थोड़े से शब्दों में वर्णित राष्ट्रपति का पद आगे चलकर विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं

शक्तिशाली पदों में से एक होगा। ब्राइस के शब्दों में "आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में सबसे महान् है।" ऑग तथा रे का कहना है, "यूरोप के कुछ तानाशाहों को छोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक शक्तिशाली अध्यक्ष है।" मुनरो के अनुसार "अमेरिका का राष्ट्रपति पद अद्‌भुत संस्था है।" बेयर्ड के अनुसार "अमेरिका का राष्ट्रपति आधुनिक संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली सांविधानिक शासक है।"

9.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. अमेरिकी कार्यपालिका की संरचना और भूमिका को समझ सकेंगे।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. राष्ट्रपति के कार्यों, जैसे कानून निर्माण में भूमिका, विदेश नीति, और युद्ध शक्ति पर चर्चा कर सकेंगे।
4. अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच संबंधों का अध्ययन कर सकेंगे।
5. राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया (Electoral College) और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे।
6. अमेरिकी कार्यपालिका में राष्ट्रपति की भूमिका और कार्यों की तुलना अन्य देशों के कार्यकारी प्रमुखों से कर सकेंगे।
7. अमेरिकी राष्ट्रपति के समकालीन और ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से उनकी भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।
8. अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों और सीमाओं पर चर्चा कर सकेंगे।

9.3 राष्ट्रपति का पद [Importance of the Post of the U.S. President]

राष्ट्रपति पद का महत्व संविधान ने अमेरिका की कार्यपालिका-शक्ति राष्ट्रपति में निहित की है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है। राष्ट्रपति सरकार तथा राज्य दोनों का अध्यक्ष है। ग्रिफिथ ने राष्ट्रपति पद को अमेरिकी शासन की समस्त संस्थाओं में सबसे अधिक नाटकीय पद बताया है। ऑग के शब्दों में, "आज अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महान् शासक हो गया है।" प्रो. लास्की के शब्दों में, "ऐसी कोई विदेशी संस्था नहीं है जिसके साथ मूलतः अमेरिका के राष्ट्रपति की

तुलना की जा सके।" सिडनी हेमेन ने लिखा है कि "अमेरिकी राष्ट्रपति की सत्ता और महत्व में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और आज वह संघीय सत्ता का केन्द्र तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है। हेमेन के शब्दों में इस पद का महत्व विश्वव्यापी है। संकटकाल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर ही निहारती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का संकेत थियोडर रूजवैल्ट, वुडरो विल्सन, फ्रेंकलिन रूजवैल्ट, आइजनहावर तथा कैनेडी के शासन काल में मिलता है। मैक्स बैलाफ के शब्दों में -

"अमेरिका के राष्ट्रपति की यह अद्वितीय स्थिति इस बात से है कि वह एक साथ राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है और सरकार की शक्तियों को सम्भालना, लोकतन्त्रात्मक संविधानों में एक विचित्र और असाधारण मिश्रण है जो सं.रा. अमेरिका से परे संसार के केवल उन्हीं देशों में मिलता है जो

अमेरिकी आदर्श को अपनाते हैं।"

राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ- अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख है। केवल वही व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएँ हों-

(1) संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो;

(2) पैतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;

(3) कम-से-कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो।

इसके अतिरिक्त वे सब बातें तो हैं ही कि वह दिवालिया न हो, पागल न हो तथा किसी अपराध के सिलसिले में जेल न जा चुका हो।

राष्ट्रपति पद की अवधि- राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 2, भाग 1 में चार वर्ष निर्धारित किया गया है। सामान्यतः यह पद स्थायी है और इन चार वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त नहीं किया जा सकता। केवल इसके तीन अपवाद हो सकते हैं-

(1) वह स्वयं त्यागपत्र दे दे

(2) उसकी मृत्यु हो जाए; तथा

(3) उसके ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाए।

एक व्यक्ति केवल दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। पहले परम्परा द्वारा इस बन्धन का पालन होता था। परन्तु राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवैल्ट ने सन् 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परम्परा को तोड़ा। फलतः सन् 1951 में संविधान में 22वें संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद का निर्वाचन नहीं लड़ सकता।

राष्ट्रपति का वेतन तथा सुविधाएँ- अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति का वेतन या दूसरे भते निर्धारित करने का अधिकार है। वे उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। इस सम्बन्ध में जो भी परिवर्तन करने होते हैं वे नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण से पूर्व ही कर लिए जाते हैं। जनवरी 1969 में राष्ट्रपति निक्सन के पद सम्भालने की तिथि से उनका वार्षिक वेतन दो लाख डालर कांग्रेस ने एक कानून द्वारा तय कर दिया था। यह वार्षिक वेतन कर-मुक्त नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रपति को 4 लाख डॉलर वार्षिक वेतन तथा 50,000 डॉलर वार्षिक अन्य खर्चों के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वह 1,00,000 यात्रा 20,000 डालर मेहमानों पर पृथक् से खर्च कर सकता है। राष्ट्रपति को कई अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त हैं। वह सरकारी खर्वे पर विदेश यात्रा कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे अपने निजी उपयोग के लिए कार, वायुयान तथा समुद्री जहाज भी मिलता है। उसकी यात्रा, सरकारी भोजों तथा उनके सरकारी निवास-स्थान 'व्हाइट हाउस' के खर्चे के लिए बजट में अलग व्यवस्था की जाती है।

उन्मुक्तियाँ - राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते रहते हुए अनेक उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। उसे किसी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए देश के किसी भी न्यायालय में उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है।

राष्ट्रपति का उत्तराधिकार- राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि वह त्यागपत्र दे दे; उसकी हत्या कर दी जाए या महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाए तो उसका उत्तराधिकार संविधान के 25वें संशोधन द्वारा तय होगा। इस संशोधन के भाग प्रथम में लिखा है कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने, उसकी मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। दूसरे भाग में लिखा है कि जब कभी उपराष्ट्रपति के पद में रिक्तता होगी राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को मनोनीत करेगा जो कि कांग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पुष्टिकरण होने पर पद ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति निक्सन ने सन् 1973 में इसी प्रक्रिया से जेराल्ड फोर्ड को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया था। जब जेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति बन गए तो नेल्सन रॉकफेलर को उन्होंने उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने 1947 में एक सूची बनाई थी जिसके आधार पर

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद क्रम से निम्नलिखित पदाधिकारी सम्भाल सकेंगे प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, सीनेट का अध्यक्ष, परराष्ट्र मन्त्री, वित्त मन्त्री, युद्ध-मन्त्री, न्यायाधिपति, डाक-मन्त्री, नौसेना-मन्त्री, गृह-मन्त्री, वाणिज्य-मन्त्री और श्रम-मन्त्री, परन्तु व्यवहार में अभी तक यह पद उपराष्ट्रपति के बाद अन्य किसी व्यक्ति को नहीं गया है।

राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति- अमेरिका के राष्ट्रपति को 'महाभियोग' (Impeachment) द्वारा चार वर्ष के कार्यकाल से पूर्व किसी भी दिन पदच्युत् किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान में महाभियोग की व्यवस्था है। इसका अर्थ है देशद्रोह, घुसखोरी या अन्य गम्भीर अपराधों के कारण राज्य के किसी ऊँचे राजनीतिक पदाधिकारी पर कांग्रेस द्वारा चलाया गया मुकदमा। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है। उसकी सुनवाई सीनेट करती है। उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। दो-तिहाई बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, जो दोषी सिद्ध नहीं हो सके। राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई। 28 जुलाई, 1974 को प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने सिफारिश की कि 'वाटरगेट काण्ड' के आधार पर राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाए। फलतः महाभियोग की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व ही निक्सन ने 6 अगस्त, 1974 को पद त्याग दिया। 1987 में ईरान गेट कांड को लेकर राष्ट्रपति रीगन के विरुद्ध महाभियोग लगाने की आवाजें अवश्य उठीं, परन्तु महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। यदि किसी राष्ट्रपति ने घोर अपराध किया हो तो उसको हटाने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

राष्ट्रपति का चुनाव- राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिकी राजनीतिक जीवन की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना होती है। व्हाइट हाउस में रहने वाले राष्ट्रपति से लेकर गलियों के व्यक्ति तक इसमें बड़ी गहरी दिलचस्पी लेते हैं। इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार कार्य किया जाता है तथा करोड़ों डालर धन व्यय किया जाता है। संविधान-निर्माता चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हो, ताकि इस महत्वपूर्ण पद का निर्वाचन शान्त वातावरण में हुल्लड़ और राजनीतिक धाँधलेबाजी से दूर रहकर हो सके। इसीलिए निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी।

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के उस अल्पसंख्यक समूह के द्वारा हो, जिसके चयन की विधि राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ तय

करें। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के लिए निश्चित सीनेट के सदस्यों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी तथा इस प्रकार विविध राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर उस निर्वाचक मण्डल का निर्माण होगा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। इस निर्वाचक मण्डल का कार्य राष्ट्रपति को चुनने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रखा गया। निर्वाचक मण्डल के उतने ही सदस्य रखे गए जितने कि कांग्रेस के। तेईसवें संशोधन द्वारा कोलम्बिया जिले को भी तीन प्रतिनिधि निर्वाचक मण्डल के लिए चुनने का अधिकार दे दिया गया। इस तरह आजकल निर्वाचक मण्डल (Electoral College) में कुल 538 सदस्य हैं।

राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जिस शान्त वातावरण की संविधान-निर्माताओं ने कल्पना की थी, वह अब नहीं रहा है। इसलिए प्रो. लास्की ने लिखा है, "संविधान-निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि अपनायी थी, उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था परन्तु उनकी आशाओं में से इससे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई है।" राष्ट्रपति-निर्वाचन के सम्बन्ध में संविधान-निर्माताओं ने क्या व्यवस्था की थी और वास्तव में उसका वर्तमान रूप उससे किस प्रकार भिन्न हो गया है, इसके सम्बन्ध में ऑग तथा रे ने कहा है "लिखित मौलिक विधि को बिना स्पर्श किए कार्यरूप में संविधान में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, इसका उदाहरण इससे उत्तम कहीं नहीं मिल सकता है।"

राष्ट्रपति के चुनाव को निम्न शीर्षकों में समझा जा सकता है-

1. प्रत्याशियों का शयों का मनोनयन- अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का मनोनयन है। यह मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन में किया जाता है। इन अखिल देशीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव दल की प्रारम्भिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव कहीं राज्यों के सम्मेलनों में होता है, कहीं राज्य की प्रारम्भिक इकाइयों में होता है तथा कहीं राज्य की केन्द्रीय समितियों में होता है। इस प्रकार से निर्वाचित प्रत्येक दल का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए एक-एक प्रत्याशी मनोनीत करता है।

उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन में साधारणतया प्रथा यह है कि उसके लिए प्रायः वह व्यक्ति लिया जाता है, जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के निवास के राज्य से भिन्न राज्य का निवासी हो। प्रत्याशियों के चयन में सम्मेलन इस बात का भी ध्यान रखता है कि कौन-से ऐसे राज्य हैं जो मत संख्या की दृष्टि से बड़े हैं तथा जिनमें दूसरे राजनीतिक दल का भी पर्याप्त प्रभाव है।

2. चुनाव अभियान - राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्य दल के चुनाव-घोषणा-पत्र की रचना, नई राष्ट्रीय समिति की स्थापना और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के लिए दल के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रव्यापी चुनाव आन्दोलन होता है। यह प्रचार-युद्ध काफी जटिल तथा खर्चीला होता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने में राजनीतिक व्यवसायियों, सार्वजनिक सम्पर्क विशेषज्ञों और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से सहायता मिलती है। उम्मीदवार रेडियो, टेलीविजन का सहारा लेते है और उनके द्वारा अपनी नीति तथा कार्यक्रम का प्रचार करते हैं। समाचार-पत्र भी विभिन्न दलों का खूब प्रचार करते हैं। सन् 1968 के चुनाव में निक्सन ने एक करोड़ बीस लाख डालर से अधिक धन चुनाव अभियान में व्यय किया। सन् 1972 के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी निक्सन ने 62 करोड़ डालर तथा हारने वाले प्रत्याशी मैक्गवर्न ने 46 करोड़ डालर खर्च किए। सन् 1976 के चुनाव में उम्मीदवारों को 'फेडरल इलेक्शन केम्पियन ऐक्ट, 1974' के अनुसार खर्च करना पड़ा। इस ऐक्ट के अनुसार संघीय सरकार राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 21 करोड़ डालर की राशि प्रदान करती है तथा वह इससे अधिक खर्च नहीं कर सकता। जिम्मी कार्टर तथा जेराल्ड फोर्ड ने सरकारी अनुदान ग्रहण किया तथा इसी सीमा में खर्चा किया। इस अनुदान के साथ-साथ प्रत्येक प्रत्याशी को 11 करोड़ डालर की सहायता राष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व तथा 2 करोड़ डालर की सहायता राष्ट्रीय सम्मेलन में मनोनयन हेतु भी दिए जाने का प्रावधान है।

3. निर्वाचक मण्डल - इसके बाद निर्वाचक मण्डल के लिए दोनों दलों द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। इन उम्मीदवारों को अपने-अपने दल के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों को वोट देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। निर्वाचक मण्डल की सदस्य संख्या 538 है। निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का चुनाव मंतदाताओं के द्वारा होता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का चुनाव सूची-प्रणाली के आधार पर होता है अर्थात् मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं अपितु दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। अमेरिका में यह प्रथा स्थापित हो गई है कि जिस उम्मीदवार को भी मतदाताओं के बहुसंख्यक वोट प्राप्त हो जाते हैं, तो उस राज्य के निर्वाचक मण्डल के सारे स्थान उस उम्मीदवार को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रत्याशी निर्वाचकों में से बहुमत (270) स्थान प्राप्त कर लेता है, उसको यह विश्वास हो जाता है कि वह राष्ट्रपति बन जाएगा।

सन् 1972 में निक्सन को 538 निर्वाचक मतों में से 521 मत प्राप्त हुए, जबकि सीनेटर मैक्गवर्न को 17 मत। 50 राज्यों में से 49 राज्यों ने निक्सन के पक्ष में मतदान किया तथा केवल एक राज्य ने मैक्गवर्न के पक्ष में मतदान किया। सन् 1976 में जिम्मी कार्टर को 538 निर्वाचक मतों में से 297 मत प्राप्त हुए तथा जेराल्ड फोर्ड को 241 मत मिले।

23 राज्यों तथा कोलम्बिया जिले ने जिम्मी कार्टर के पक्ष में मतदान किया तथा 27 राज्यों ने फोर्ड के पक्ष में मतदान किया। जिम्मी कार्टर को 37,322,308 (51 प्रतिशत), जेराल्ड फोर्ड को 35,374,492 (48 प्रतिशत), मैकार्थी को 607, 289 (1 प्रतिशत) तथा मेडोक्स को 157, 241 (0 प्रतिशत) मत मिले।

3 नवम्बर 1992 को सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन में बिल क्लिटन (डेमोक्रेट) को कुल 538 निर्वाचक मतों में से 370 मत प्राप्त हुए जबकि निवर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन प्रत्याशी जार्ज बुश मात्र 168 निर्वाचक मत ही हासिन कर पाये। क्लिटन को जहाँ 370 निर्वाचक मत मिले वहीं लोकप्रिय मतों में उन्हें 44 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। द्वितीय स्थान पर रहने वाले बुश को लोकप्रिय मतों का 39 प्रतिशत और रास पैरो को 18 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इलास के उद्योगपति रास पैरो द्वारा अपनी निजी पूँजी में से 6 करोड़ डॉलर की राशि चुनाव प्रचार में फूंक देने के बावजूद उन्हें एक भी निर्वाचक मत नहीं मिल सका।

नवम्बर 1996 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए और बिल क्लिंटन चार वर्ष के लिए पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्वी रिपब्लिकन पार्टी के बॉब डोल को पराजित किया। क्लिटन को 31 राज्यों में 379 निर्वाचक मत प्राप्त हुए और बॉब डोल को 19 राज्यों में 159 मत प्राप्त हुए। फ्रेन्कलिन रुजवेल्ट के बाद श्री क्लिटन डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए।

राष्ट्रपति पद पर जार्ज डब्ल्यू बुश का निर्वाचन (नवम्बर 2000):

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिये सम्पन्न चुनावों (नवम्बर 2000) में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश के सुपुत्र विजयी घोषित किये गये। 27 नवम्बर, 2000 को फ्लोरिडा के रिपब्लिकन अधिकारी और राज्य सचिव कैथरीन हैरिस ने प्रमाणित किया कि बुश फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक प्रतिद्वन्द्वी अल गोर पर 537 मतों की बढ़त के साथ विजयी हुए हैं। फ्लोरिडा में राज्य सचिव ने एक समारोह में राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि टेक्सास के गवर्नर बुश को 29 लाख, 12 हजार, 790 मत मिले जबकि उपराष्ट्रपति अल गोर को 29 लाख, 12 हजार, 253 मत ही प्राप्त हुए। अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति के चयन में फ्लोरिडा के 25 निर्वाचक मतों की निर्णायक भूमिका रही है।

इस चुनाव ने अमेरिका की चुनाव प्रणाली की खामियाँ जटिलताएँ और सीमाएँ भी दुनिया के समक्ष उजागर कर दी। इसका हास्यास्पद आरंभ उस क्षण हुआ था जब नतीजों की अधिकृत घोषणा का इंतजार किये बगैर सिर्फ टेलीविजन के अनुमानित समाचार के आधार पर उपराष्ट्रपति अल गोर ने अपने प्रतिद्वन्द्वी जार्ज बुश को फोन पर

बधाई दे दी थी। फ्लोरिडा की मतगणना में अत्यन्त सूक्ष्म अंतर की वास्तविकता सामने आने पर गोर ने बुश को नींद से जगाया, दी हुई बधाई और पराजय की स्वीकारोक्ति वापस ली और बुश से कहा कि अभी मुकाबला जारी है। फ्लोरिडा का परिणाम आने के पहले तक गोर के पास कुल 538 निर्वाचक मतों में से 267 मत थे जबकि बुश के पास केवल 246। जीत के ज्यादा निकट गोर थे इसलिये गोर फ्लोरिडा के अति सूक्ष्म अंतर वाले परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते थे।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 13 दिसम्बर, 2000 के निर्णय से व्हाइट हाउस में अल गोर के प्रवेश के मार्ग को अंतिम रूप से बंद कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लोरिडा में पुनर्मतगणना के फैसले को बदलते हुए राष्ट्रपति पद के लिये अल गोर की संभावनाएँ समाप्त कर दी और रिपब्लिकन प्रत्याशी जार्ज बुश की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह मामला उन 43 हजार मतों की हाथ से पुनर्मतगणना का था जिनकी गणना कम्प्यूटर ने अस्वीकृत कर दी थी। यह माना जा रहा था कि यदि इन मतों की हाथ से गिनती की जाती है तो गोर चुनाव जीत सकते हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्मतगणना के मामले में फ्लोरिडा के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यह कहते हुए उलट दिया कि अब पुनर्मतगणना का समय ही नहीं बचा है क्योंकि राष्ट्रपति बिल क्लिटन के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिये 18 दिसंबर, 2000 को निर्वाचक मण्डल की बैठक हो रही है। फ्लोरिडा सर्वोच्च न्यायालय के हाथ से पुनर्मतगणना के आदेश को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया।

फ्लोरिडा के परिणाम की घोषणा के बाद अल गोर के पास निर्वाचक मण्डल के 267 और बुश के पास 271 मत रह गये। इस प्रकार बुश के पास जीत के लिये आवश्यक 270 मतों से एक मत अधिक हो गया। जार्ज बुश ने अपने को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मानते हुए कैबिनेट के गठन की तैयारी भी शुरू कर दी। नव निर्वाचित राष्ट्रपति बुश ने 20 जनवरी, 2001 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की।

इस राष्ट्रपति पद के चुनाव में अल गोर को कुल अमेरिकी मतदाताओं के बुश से अधिक मत प्राप्त हुए, परन्तु वे चुनाव हार गये। इससे पूर्व भी पिछले 200 वर्षों के अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी इतिहासकार आर्थर श्लीसिंगर के अनुसार चार बार ऐसा हो चुका है जिनमें से तीन बार अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी राष्ट्रपति नहीं बन सका चूँकि उसे निर्वाचक मण्डल में कम मत प्राप्त हुए थे।

राष्ट्रपति पद पर बराक हुसैन ओबामा का निर्वाचन (नवम्बर 2008)

अमेरिकी लोकतंत्र के सवा दो सौ वर्षों के इतिहास में एक नया अध्याय नवम्बर 2008 में उस समय अंकित हो गया जब पहली बार एक अश्वेत को देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति

पद हेतु चुन लिया गया। विश्व के इस सर्वाधिक शक्तिशाली पद के लिए 4 नवम्बर, 2008 को संपन्न चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के जॉन मैक्केन को भारी बहुमत से हराकर यह चुनाव जीता। राष्ट्रपति पद के लिए 'निर्वाचक मण्डल' के 538 वोटों में से 364 पर ओबामा ने कब्जा किया जबकि एरिजोना के सीनेटर मैक्केन 174 मत ही प्राप्त कर सके। 15 दिसम्बर, 2008 को निर्वाचक मण्डल ने औपचारिक तौर पर मतदान कर राष्ट्रपति को चुन लिया। कीनियाई पिता व अमेरिकी माता के 47 वर्षीय पुत्र ओबामा ने 20 जनवरी, 2009 को अमेरिकी के 44वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अमेरिका की चुनाव प्रणाली प्राचीन है तथा समूचे देश में उसके कई रूप हैं। भारत की भाँति अमेरिका में मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त नहीं है। संघीय व्यवस्था के स्वरूप तथा राज्यों को प्राप्त स्वायत्तता के कारण सभी पचास राज्यों के अपने अलग कायदे-कानून और पृथक चुनाव प्रणालियाँ हैं। साथ ही इन राज्यों में मतदान तथा मतगणना का एक निश्चित स्वरूप नहीं है।

4. निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव- निर्वाचक मण्डल के सदस्य दिसम्बर के दूसरे बुधवार को अपने-अपने राज्यों की राजधानियों में इकट्ठे होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए मत देते हैं। मतपत्रों को सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की उपस्थिति में खोला जाता है। सीनेट का अध्यक्ष मतों को गिनता है और परिणाम की औपचारिक घोषणा करता है। बीसवें संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है।

5. जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिले- यदि मतगणना का परिणाम ऐसा निकलता है, जिसमें किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य 'प्रतिनिधि सभा' करती है। वह उन तीन सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशियों में से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, जिनके नाम सीनेट का अध्यक्ष उसके पास भेजता है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव करती है, तब सभा के सदस्य राज्यवार मतदान करते हैं और उनके मत 'एक राज्य एक मत' के आधार पर गिने जाते हैं। 'एक राज्य एक मत' का निर्धारण उस समय विशेष के बहुसंख्यक दल के प्रतिनिधियों के मत से किया जाता है। इस प्रकार 50 राज्यों के कुल 50 मत होते हैं और 26 या 26 से अधिक मत पाने वाला उम्मीद्वार विजयी घोषित कर दिया जाता है। पर ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। अमेरिकी संविधान के इतिहास में अभी तक केवल दो बार राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने गए हैं- सन् 1801 में जैफरसन और सन् 1825 में एडम्स।

6. पद ग्रहण- अमेरिकी संविधान के बीसवें संशोधन के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। यदि शपथ के अवसर पर राष्ट्रपति किसी कारण अयोग्य ठहरा दिया जाए, तो जब तक राष्ट्रपति योग्य नहीं ठहरा दिया जाता है, उसके दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है।

निर्वाचन पद्धति की आलोचना- राष्ट्रपति-निर्वाचन की पद्धति की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जा सकती है -

1. अल्पमतप्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है- प्रचलित निर्वाचन पद्धति से विजयी प्रत्याशी ऐसा भी हो सकता है, जिसे सम्पूर्ण मतों का बहुमत न मिला हो और उसे योग में हारे हुए प्रत्याशी से भी कम मत मिले हों। ऐसी सम्भावना वस्तुतः इसलिए होती है कि प्रत्येक राज्य में जीतने वाले प्रत्याशी को उस राज्य के निर्वाचक मण्डल के सभी मत मिल जाते हैं और हारे हुए प्रत्याशी को जनता के कितने मत मिले, इसका महत्व नहीं रहता ।

मुनरो के अनुसार कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी चुनाव में निर्वाचकों का बहुमत तो प्राप्त हुआ हो, परन्तु मतदाताओं का नहीं। उदाहरणार्थ सन् 1876 में हेज को टिल्डन पर तथा सन् 1888 में हैरीसन को क्लीवलैण्ड पर इसी ढंग की विजय प्राप्त हुई थी।

2. निर्वाचक मण्डल निरर्थक बन गया है- अब निर्वाचक मण्डल का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि निर्वाचक मण्डल के सदस्य दलीय आधार पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए मतदान केवल औपचारिकता है। दलीय पद्धति ने वास्तव में चुनाव को प्रत्यक्ष बना दिया है। इसलिए जब निर्वाचक मण्डल के परिणाम का पता चल जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा ?

ऑग एवं रे के अनुसार संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष विधि का प्रावधान किया गया है, किन्तु व्यवहार में प्रायः प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हो रहा है। दल के कठोर अनुशासन के कारण किसी भी राज्य के निर्वाचक राष्ट्रपति को चुनने में अपना निजी और स्वतंत्र निर्णय नहीं देते; वे अपने दल विशेष के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने दल के उम्मीदवार को ही मत देने के लिए बचनबद्ध है और उसी के पक्ष में अपना मत डालते हैं। अतएव राष्ट्रपति का वास्तविक चयन विजयी दल के राष्ट्रीय सम्मेलन और उसका समर्थन करने वाले मतदाताओं के हाथों में चला गया है। बीयर्ड कहते हैं, "इस प्रकार संविधान निर्माताओं द्वारा सोची गई विमर्शात्मक गौरवमयी प्रक्रिया का स्थान प्रथम श्रेणी के प्रत्यक्ष या लोकप्रिय चुनाव ने ले लिया है।"

3. छोटे राज्यों की उपेक्षा- इस चुनाव-प्रणाली में यह दोष है कि यदि कोई प्रत्याशी 50 में से 12 बड़े राज्यों के निर्वाचक मत प्राप्त कर ले जो कि आधे से अधिक होते हैं, तो 38 अन्य राज्यों की उपेक्षा की जा सकती है।

4. प्रतिनिधि सदन द्वारा भिन्न निर्णय- जब निर्वाचक मण्डल के मतदान के परिणामस्वरूप किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो और ऐसी दशा में जब निर्वाचन का निर्णय प्रतिनिधि सभा द्वारा 'एक राज्य एक मत' के सिद्धान्त द्वारा किया जाए तो परिणाम उससे भिन्न भी हो सकता है।

5. निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की मतदान में स्वतन्त्रता- एक बार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचक मण्डल के लिए चुने जाने के बाद निर्वाचक मण्डल के सदस्य इस बात के लिए स्वतन्त्र हैं कि वे किसी भी प्रत्याशी को मत दें। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे उसी प्रत्याशी के लिए मत दें, जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में मतदाताओं ने उन्हें चुना हो। परिणामस्वरूप अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि किसी दल के निर्वाचक मण्डल के सदस्य ने किसी अन्य दल के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को मत दिया है। सन् 1960 में एक निर्वाचक ने, जो कि निक्सन की सूची पर चुना गया था, बीयर्ड के लिए अपना मत दिया।

निर्वाचन-पद्धति में सुधार के लिए सुझाव- उपर्युक्त आलोचनाओं के कारण राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं-

(1) पहला सुझाव यह है कि पूरे राष्ट्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाए तथा देश के सब नागरिक साधारण या पूर्ण बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति को चुनें।

(2) दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव मतदाताओं द्वारा हो और वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाए जो अधिकतर राज्यों में बहुमत प्राप्त कर ले। इसमें यह आपत्ति है कि छोटे राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव पर एक प्रकार से वीटो प्राप्त हो जाएगा।

(3) तीसरा सुझाव यह है कि चुनाव खर्च को कानून द्वारा सीमित किया जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए।

इस प्रकार चुनाव-प्रणाली में दोष है और उन्हें निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिए। अमेरिका में इस विषय पर पर्याप्त वाद-विवाद चलता रहा है, परन्तु अभी तक कांग्रेस द्वारा किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है।

9.4 राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ [Functions and Powers of the American President]

आज अमेरिका का राष्ट्रपति 'दुनिया का सबसे बड़ा शासक' (The greatest ruler of the world) माना जाता है। ब्रोगन ने कहा है कि "राष्ट्रपति सदैव चालक का कार्य करता है, या फिर बेक का, परन्तु वह कभी भी अतिरिक्त पहिया नहीं है।" इसी प्रकार सर हेनरी मेन लिखता है, "इंग्लैण्ड का सम्राट् राज्य करता है परन्तु शासन नहीं, फ्रान्स का राष्ट्रपति न तो राज्य करता है और न शासन, अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल शासन करता है अपितु राज्य भी करता है।"

बुडरो विल्सन के शब्दों में, "अमेरिका के संविधान-निर्माता राष्ट्रपति को वैधानिक कार्यपालिका तथा राष्ट्र के नेता के रूप में देखना चाहते थे, दलीय नेता के रूप में नहीं; परन्तु कुछ ऐसे प्रभावों ने जो, शासन-पद्धति में ही निहित हैं, उसे तीनों ही बना दिया है।" प्रो. मुनरो ने लि ने लिखा है कि, "जबसंविधान-निर्माताओं ने यह फैसला किया कि कार्य पालिका-शक्ति एक राष्ट्रपति के हाथ में होगी, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन ये नौ अक्षर (PRESIDENT) लोकतन्त्र में किसी अध्यक्ष के हाथ में इतनी महान् शक्तियाँ सौंप देंगे।" लैकास्टर के शब्दों में, "यद्यपि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के हाथ में अधिक शक्तियाँ इकट्ठी न हों, परन्तु वह विश्व के शक्तिशाली शासकों में से एक है।"

कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ [Executive Powers]

(a) कानूनों का क्रियान्वयन करना- राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कांग्रेस द्वारा निर्मित राष्ट्र के कानून पूरी तरह लागू हों। कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य वह अटॉनों-जनरल के द्वारा करता है। वह कानूनों के क्रियान्वयन के लिए विभागीय आदेश-निर्देश प्रसारित कर सकता है।

(b) प्रशासन का संचालन करना- शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखना एवं सम्पूर्ण प्रशासन के संचालन करने का उत्तदायित्व राष्ट्रपति का है। संविधान में कहा गया है, "अधिशासनिक शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में होगी।" संघीय सरकार के समस्त प्रशासन सम्बन्धी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होते हैं। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की माँग कर सकता है।

(c) नियुक्तियों से सम्बन्धित शक्ति- संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि कांग्रेस के निश्चयों व कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए वह आवश्यक नियुक्तियाँ करें।

मोटे रूप से राजकीय नियुक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं एक उच्चस्तरीय तथा दूसरी, निम्न स्तरीय नियुक्तियाँ। उच्चस्तरीय नियुक्तियाँ स्वयं राष्ट्रपति द्वारा तथा निम्नस्तरीय नियुक्तियाँ सरकार के विविध विभागों के अध्यक्षों द्वारा की जाती है।

उच्चस्तरीय नियुक्तियों में राष्ट्रपति कैबिनेट के सदस्य, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों आदि को नियुक्त करता है। सिद्धान्तः राष्ट्रपति को सीनेट के परामर्श एवं पूर्व स्वीकृति से नियुक्तियाँ करनी चाहिए परन्तु व्यवहार में वह नियुक्तियाँ पहले कर देता है; बाद में सीनेट उनकी पुष्टि करती है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट का अनुसमर्थन मिल ही जाता है, किन्तु ऐसे भी दृष्टान्त मिलते हैं जब सीनेट ने राष्ट्रपति की नामजदगियों (Nominations) को रद्द कर दिया। सन् 1925 ई. में सीनेट ने अटानीं जनरल के पद पर राष्ट्रपति कुलीज द्वार सी.बी. वारेन की नामजदगी को रद्द कर दिया था। इसी प्रकार सन् 1943 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा एडवर्ड जे. फ्लाइम के आस्ट्रेलिया में अमेरिकी राजदूत पद के मनोनयन का सीनेट ने अनुमोदन नहीं किया था।

वैसे ऐसे मौके कम ही आते हैं क्योंकि राष्ट्रपति 'सीनेट की सौजन्यता' (Senatorial Courtesy) नियम का पालन करता है। इसका आशय यह है कि किसी राज्य के संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से मन्त्रणा कर लेता है।

अन्तरिम नियुक्तियों की एक अन्य व्यवस्था है, जिसके कारण नियुक्तियों के क्षेत्र में राष्ट्रपति का अधिकार और भी बढ़ जाता है। जब सीनेट का अधिवेशन नहीं होता, उस समय राष्ट्रपति को अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर नियुक्तियाँ करे। यदि सीनेट उन नियुक्तियों को स्वीकार कर लेती है तो ये अन्तरिम न रहकर स्थायी हो जाती हैं और यदि वह उन्हें बिना स्वीकार किए अपनी बैठक समाप्त कर देती है, तो वे समाप्त हो जाती हैं।

(d) सेवा से पृथक् करने की शक्ति- नियुक्तियाँ करने में तो राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति के सम्बन्ध में संविधान ने उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगया है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेयर्स नामक विवाद में यह फैसला दिया है कि राष्ट्रपति की पदच्युति सम्बन्धी शक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

(e) कैबिनेट का नेतृत्व- राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से अपने मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति करता है। वह मन्त्रिमण्डल का स्वामी है। वह किसी भी मन्त्री को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित कर सकता है तथा किसी भी समय उसे हटा सकता है।

(f) सेना-प्रमुख के रूप में- संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 'युद्ध व शान्ति दोनों ही समय के लिए सेना का अध्यक्ष है। सेनाध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे

सब प्रकार की सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है। वहीं उच्च सैनिक, नौ सैनिक व वायु सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

विधि-निर्माण सम्बन्धी शक्तियाँ [Legislative Powers]

अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रशासक ही नहीं है, वरन् वह कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भाग लेता है। उसकी विधि-निर्माण शक्तियाँ निम्नलिखित हैं-

(a) राष्ट्रपति के सन्देश- संविधान में कहा गया है कि "समय-समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में जानकारी देंगे और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझें।" राष्ट्रपति इन सन्देशों में आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए कांग्रेस से अनुरोध कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए इन सन्देशों का कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है तथा प्रायः कांग्रेस इन सुझावों के आधार पर व्यवस्थापन करती है। अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस के सामने जितने विधेयक आते हैं उनमें से तीन-चौथाई विधेयक वे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चाहते हैं।

(b) राष्ट्रपति का 'वीटो'- राष्ट्रपति का 'निषेधाधिकार' (Veto) भी कानून निर्माण के ऊपर काफी असर रखता है। संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि कांग्रेस द्वारा पास किया गया प्रत्येक कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। जब कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई कानून राष्ट्रपति के सामने आता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है या उस पर निषेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति दो तरह के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति के सामने विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यदि वह उसके दस दिन के भीतर (जिसमें रविवार शामिल नहीं है) अपने आक्षेपों सहित उस विधेयक को वापस कर देता है तो वह 'विलम्ब का निषेधाधिकार' (Regular Veto or 'Delaying Veto' or 'Suspensive Veto') कहलाएगा। यह निषेधाधिकार निरपेक्ष नहीं है। यदि कांग्रेस के दोनों सदन इस विधेयक को पुनः दो-तिहाई बहुमत से पास कर दें, तो कांग्रेस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को व्यर्थ कर सकती है। राष्ट्रपति वाशिंगटन से लेकर कैनेडी के समय तक इस निषेधाधिकार का प्रयोग लगभग तेरह सौ बार किया जा चुका है। राष्ट्रपति का यह निषेधाधिकार सामान्य पुनरीक्षण शक्ति (Revising Power) के रूप में विकसित हुआ है। फाइनर ने इस शक्ति के संबंध में कहा है, "यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें कोई व्यय नहीं होता जिसका प्रयोग काफी सफलता से किया जा सकता है और जिस पर कोई दण्ड नहीं है।"

इसके अतिरिक्त विधेयकों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को एक अन्य प्रकार का भी वोटो प्राप्त है, जिसे 'पॉकेट वीरो' (Pocket Veto) कहा जाता है। अपने इस वीटो का प्रयोग उन विधेयकों के विषय में, जिन्हें वह कानून नहीं बनने देना चाहता, केवल उन दस दिनों में कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अन्त में होते हैं। यदि इस बीच (अर्थात् विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने के 10 दिन के भीतर) कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया हो या कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तो विधेयक समाप्त समझा जाता है। यह वीटो राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार (Pocket Veto) कहलाता है। यह अधिकार 1828 में प्रथम बार प्रयुक्त किया गया।

(c) आदेश - यद्यपि राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी नहीं कर सकता तथापि ऐसी प्रथा है कि वह प्रशासकीय आदेश जारी कर सकता है और उन आदेशों के माध्यम से कार्यपालिका के विविध विभागों में कार्य किए जाने के नियम बना सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रशासकीय आदेशों (Executive Decress) को कानूनों के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। प्रशासकीय आदेशों की प्रथा आज की समस्याओं की जटिलता एवं कांग्रेस पर कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण प्रारम्भ हुई। इस प्रदत्त शक्ति के फलस्वरूप राष्ट्रपति अब "यदि सिद्धान्त में नहीं तो वास्तव में अपने हक से ही कानून बनाने वाला (Legislator) बन गया है।"

(d) कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार- राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों को आमंत्रित कर सकता है, किन्तु ऐसा करने के लिए उसे यह सूचित करना होता है कि विशेष अधिवेशन के बुलाए जाने का क्या प्रयोजन है।

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers]

संविधान ने वित्तीय शक्तियों के सम्बन्ध में कांग्रेस को सत्तासम्पन्न बनाया था, परन्तु अब व्यवहार में राष्ट्रपति ही अधिक शक्तिशाली बन गया है। आय-व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है। वही बजट को कांग्रेस द्वारा पारित करवाता है। ऑग तथा रे ने लिखा है कि "बजट तथा अकाउंटिंग ऐक्ट, 1921 द्वारा राष्ट्रपति बजट का संचालक ही नहीं अपितु सरकार का वास्तविक सामान्य कारोबारी मैनेजर का पद धारण कर चुका है।" सन् 1946 के पूर्ण रोजगार अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी एक रिपोर्ट आर्थिक मामलों के बारे में कांग्रेस को भेजनी पड़ती है।

न्यायिक शक्तियाँ [Judicial Powers]

राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें महाभियोग लगाकर दंडित किया गया है, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। इस शक्ति के अधीन वह

अपराधी को पूर्ण क्षमा कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है तथा दंड को स्थगित कर सकता है।

वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन [Powers in relation to Foregin Affairs]

विदेश सम्बन्धी मामलों का संचालन व परराष्ट्र सम्बन्धों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश की ओर से बोलने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति है। अमेरिका की विदेश नीति व उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। उसे राजदूतों व विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। वही विदेशी राजदूतों की नियुक्ति को स्वीकृति देता है। वही विदेशों से विविध प्रकार के समझौते व सन्धियाँ करता है। वह किसी भी राजदूत को बर्खास्त कर सकता है। सन्धियों के करने में उसकी शक्ति पर यह प्रतिबन्ध अवश्य है कि उसके द्वारा की हुई सन्धियों का पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा आवश्यक है। कभी-कभी सीनेट सन्धियों को अस्वीकृत भी कर देती है। सन् 1919 में सीनेट ने राष्ट्रपति विलसन द्वारा की गई वार्साय की संधि को अस्वीकृत कर दिया था। पर सन्धि का प्रारूप तैयार करना, उसके विषय में सम्बन्धित राष्ट्र से वार्ता करना राष्ट्रपति का ही कार्य है। राष्ट्रपति सन्धियों के अतिरिक्त 'कार्यपालिका समझौते' (Executive Agreements) भी करता है, जिनके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, 1844 में टेक्सास को अमेरिकी संघ में सम्मिलित करने वाली संधि को जब सीनेट ने अस्वीकार किया तो अगले वर्ष टेक्सास को समझौते द्वारा संघ में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रपति विदेशों से आवश्यकतानुसार गुप्त समझौते भी कर सकता है। इस प्रकार न्यायमूर्ति मार्शल के शब्दों में, "बाह्य सम्बन्धों के विषय में राष्ट्रपति ही राष्ट्र का एकमात्र संचालक तथा विदेशी राष्ट्रों के लिए वह एकमात्र प्रतिनिधि है।"

दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति [President as a Party Leader]

अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दल का भी नेता होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरता है। दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अधिकार जमाता है।

संकटकालीन शक्तियाँ [Emergency Powers]

अमेरिकी संविधान में संकटकालीन शक्तियों का वर्णन नहीं है, किन्तु अमेरिका अनेक संकटों से गुजरा है, अतः कांग्रेस के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया। राष्ट्रपति लिंकन ने गृहयुद्ध के समय कहा कि उसका मुख्य कार्य विद्रोह को दबाना है। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बन्दी-प्रत्यक्षीकरण लेख को

स्थगित कर दिया। उन्होंने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया जो संविधान में नहीं दी गई थीं। कांग्रेस ने उन्हें सब कार्यों की अनुमति दे दी। इसी प्रकार राष्ट्रपति विल्सन, रुजवैल्ट, टूमैन आदि ने संकट के समय कांग्रेस को विश्वास में लेकर कुछ हद तक तानाशाही शक्तियों का प्रयोग किया।

राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति [President as a National Leader]

राष्ट्रपति पूरे देश का नेता है। सम्पूर्ण देश का नेता होने के कारण उसके पीछे देश के बहुमत की शक्ति होती है। विल्सन ने लिखा है, "समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है और उसे ध्यान रहता है कि अमेरिकी राष्ट्र का कोई अन्य राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है। केवल उसका उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत लेने दो और कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती, कई शक्तियों का संगठन उसे सरलता से नहीं हटा सकता।"

राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण

यद्यपि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सीमित शक्तियाँ दी गई है तथापि निम्नलिखित कारणों से उसकी शक्तियों में बहुत वृद्धि हो गई है-

1. संकटकालीन व्यवस्था- अमेरिका को गृहयुद्ध, प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध, आर्थिक मन्दी, कोरिया संकट, क्यूबा संकट, वियतनाम युद्ध तथा खाड़ी युद्ध के संकट से गुजरना पड़ा। इन संकटों पर विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रपतियों ने बहुत अधिक शक्तियों का प्रयोग किया और कांग्रेस ने भी उनका विरोध नहीं किया।

2. दलीय प्रथा का उदय- अमेरिका में दलीय प्रथा के उदय ने राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में सहयोग उत्पन्न कर दिया। अब राष्ट्रपति का दल उसकी नीतियों का समर्थन करता है जिससे उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई है।

3. परिपाटियाँ- राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत परम्पराएँ और परिपाटियाँ भी हैं। उदाहरणार्थ, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है, उनके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। किन्तु सीनेटोरियल शिष्टाचार (Senatorial Courtesy) की प्रथा के कारण सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार कर ही लेती है।

4. राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव- अब राष्ट्रपति का चुनाव व्यवहार में प्रत्यक्ष हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। राष्ट्रपति जनता से सीधी अपील करके जनमत तैयार कर लेता है। जब कांग्रेस राष्ट्रपति के पक्ष में शक्तिशाली जनमत देखती है तो वह उसकी बात को मान लेती है।

5. न्यायिक निर्णय- संविधान की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का है। इन व्याख्याओं के आधार पर ही निहित शक्ति का सिद्धान्त विकसित हुआ। इससे संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि से राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ी हैं। मुनरो के अनुसार न्यायिक निर्णयों ने राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करते हुए उसे अनेक निहित शक्तियाँ प्रदान की है। उदाहरणार्थ, मायर्स मुकदमे (The Myer's case) ने राष्ट्रपति की उन पदाधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति की पुष्टि की है जिन्हें वह नियुक्त करता है।

6. कांग्रेस के अधिनियम- कांग्रेस ने कानूनों द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। कांग्रेस ने 1933, 1941 तथा 1953 में अनेक अधिनियम पारित कर राष्ट्रपति को बहुत-सी शक्तियाँ दी है। इसी प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ी है।

9.5 राष्ट्रपति कांग्रेस [President and Congress]

अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित है। संविधान के अनुसार 'समस्त विधायिनी शक्तियाँ' कांग्रेस में निहित है और 'कार्यपालिका शक्तियाँ' राष्ट्रपति में। फिर भी राष्ट्रपति विधि-निर्माण में पहल करता है और आजकल राष्ट्रपति ही अधिकतर विधेयकों के लिए कांग्रेस को सुझाव देता है। इसलिए बहुत से लेखक उसे मुख्य कार्यपालक होने के साथ-साथ प्रधान विधायक (Chief Legislator) भी कहते हैं।

राष्ट्रपति व कांग्रेस : शक्ति पृथक्करण- अमेरिकी संविधान के ऊपरी अध्ययन से राष्ट्रपति और कांग्रेस एक दूसरे से बहुत दूर प्रतीत होते हैं। राष्ट्रपति न तो कांग्रेस का सदस्य होता है और न वह उसके प्रति किसी भी प्रकार उत्तरदायी होता है। उसे कांग्रेस का साधारण अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने अथवा कांग्रेस का विघटन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कांग्रेस भी राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती है।

राष्ट्रपति का कांग्रेस पर प्रभाव- शक्ति-पृथक्करण के बावजूद भी अमेरिकी संविधान में 'नियन्त्रण एवं सन्तुलन' के सिद्धान्त की व्यवस्था की गई है जिससे राष्ट्रपति कांग्रेस को न केवल प्रभावित करता है अपितु उस पर नियन्त्रण रखता है। वह कांग्रेस पर कई तरीकों से नियन्त्रण रखता है -

प्रथम - कांग्रेस के नियमित अधिवेशन के सम्बन्ध में उसे यह अधिकार है कि यदि कांग्रेस के दोनों सदन अधिवेशन के स्थान के प्रश्न पर सहमत न हों तो राष्ट्रपति उसे स्थगित कर सकता है।

द्वितीय - राष्ट्रपति को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार है।

तृतीय - राष्ट्रपति को समय-समय पर संघ सरकार की दशा के सम्बन्ध में कांग्रेस को सन्देश भेजने का अधिकार है।

चतुर्थ - राष्ट्रपति को कार्यपालिका-आदेशों के रूप में विभिन्न प्रकार के नियम तथा उपनियम बनाने का अधिकार है।

पंचम- वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति कांग्रेस का नेतृत्व करता है। वह राष्ट्रीय वित्त के सम्बन्ध में कांग्रेस को पूरी सूचना देता है।

षष्ठ - कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर वह 'निषेधाधिकार' (Veto) का प्रयोग करता है। हैमिल्टन के अनुसार, "वीटो अनुचित विधियों के निर्माण के विरुद्ध ढाल का काम करेगा।" वह किसी भी विधेयक को एक संदेश के साथ कांग्रेस को लौटा देता है। इस विधेयक को कांग्रेस दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से पुनः पारित कर सकती है। यह वीटो विधेयक को एकदम समाप्त नहीं कर देता बल्कि निलम्बित (suspend) करता है और कांग्रेस को उस पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करता है। इसी प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन के अन्तिम दस दिनों में जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता वे उसकी पॉकेट में ही रह जाते हैं। वीटो के इस अप्रत्यक्ष रूप को 'पॉकेट वीटो' कहते हैं।

सप्तम - राष्ट्रपति वीटो की धमकी देकर भी कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है।

अष्टम - राष्ट्रपति संरक्षण शक्ति के बल पर भी कांग्रेस के सदस्यों को प्रभावित करता है।

नवम - सीनेट के शिष्टाचार से भी राष्ट्रपति सीनेट को प्रभावित कर लेता है।

कांग्रेस का राष्ट्रपति पर नियन्त्रण- कांग्रेस भी राष्ट्रपति के क्रियाकलापों को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है -

प्रथम - राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका-शक्ति का प्रयोग कांग्रेस और विशेषकर सीनेट के सहयोग से ही कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ तथा विदेशों से की जाने वाली सन्धियों के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। सन्धियाँ देश पर तभी लागू हो सकती हैं जब सीनेट 2/3 बहुमत से उनका पुष्टिकरण कर दे। विदेश सम्बन्धों के क्षेत्र में राष्ट्रपति पर सीनेट की 'परराष्ट्र मामलों की समिति' की कड़ी नजर रहती है।

द्वितीय - महाभियोग द्वारा कांग्रेस राष्ट्रपति को पदच्युत् कर सकती है। प्रतिनिधि सभा महाभियोग लगाती है तथा सीनेट उसकी जाँच करती है।

है।

तृतीय - बजट की स्वीकृति कांग्रेस देती है। वह राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत बजट में कटौती कर सकती

संक्षेप में कांग्रेस और राष्ट्रपति के सहयोग पर अमेरिकी शासन सुचारु रूप से चलता है। यदि कांग्रेस में किसी एक दल का बहुमत है और राष्ट्रपति दूसरे दल का है तो प्रायः गत्यावरोध उत्पन्न होता है। 1993 में जब राष्ट्रपति क्लिटन ने पहली बार सत्ता संभाली थी तो संसद में बहुमत उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का ही था। लेकिन उनके सत्तारूढ़ होने के लगभग दो वर्ष बाद हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी अपना बहुमत खो बैठी। जब रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में थी तो सदन में बहुमत डेमोक्रेटिक पार्टी का था। रिपब्लिकन पार्टी के रीगन और जार्ज बुश जब राष्ट्रपति थे तो उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस में बहुमत था। ऐसी स्थितियों में कांग्रेस और राष्ट्रपति के मध्य टकराव पैदा हो जाता है। यदि बजट पर कांग्रेस की अनुमति नहीं मिलती तो सरकार का काम ठप्प पड़ जाता है। वर्ष 1996 में बजट पर विवाद के चलते सरकार ठप्प पड़ गई।

9.6 अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति [Position of the U.S. President]

पोटर ने लिखा है कि "राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद है।" वाशिंगटन के समय से लेकर बिल क्लिटन तक राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली निर्वाचित पद हो गया है। उसकी वर्तमान शक्ति निरन्तर बढ़ती रही है। पहले राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था। तब वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, किन्तु आज वह प्रायः प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। वह जनता की शक्ति एवं उसकी इच्छा का प्रतीक बन गया है। जैसे-जैसे राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता जा रहा है, कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और उसके साथ-साथ राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। प्रतिभाशाली राष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति के पद की गरिमा में चार चाँद लगाए हैं, जैसे कि जैफरसन, जैक्सन, अब्राहम लिंकन, विलसन, रुजवेल्ट आदि। प्रत्येक राष्ट्रपति ने अपने पद की शक्तियों को बढ़ाने की चेष्टा की है। संक्षेप में राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यांकन निम्नलिखित वृत्तान्त में किया जा सकता है-

1. राष्ट्रपति तानाशाह- नहीं है कई आलोचकों ने राष्ट्रपति लिंकन, विल्सन, रूजवेल्ट को तानाशाह कहा है और इस पद की तुलना हिटलर से की है, परन्तु यह वास्तव में एक भ्रम है। उस पर कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश है, इसलिए वह न तो शान्तिकाल में और न ही संकटकाल में तानाशाह ६. सकता है। संकटकाल में यदि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियाँ बढ़ा भी ली है तो इसका कारण राष्ट्रहित ही था।

2. एकल कार्यपालिका- राष्ट्रपति को इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसका कारण यह है कि वह कार्यपालिका-क्षेत्र का एकछत्र स्वामी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त कार्यपालिका-शक्ति उसी में निहित है तथा शक्ति-पृथक्करण के कारण वह पूरे राष्ट्र का एकमात्र नेता है।

3. पाँचवाँ पहिया नहीं है- भारत के राष्ट्रपति की भाँति अमेरिका का राष्ट्रपति सरकारी गाड़ी का पाँचवाँ पहिया नहीं है। वह या तो स्टीयरिंग है या ब्रेक। या तो वह विधि-निर्माता है या विधि-निर्माण को रोकने वाला। विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी उसका नेतृत्व उसके पद को महत्वपूर्ण बना देता है।

4. राष्ट्रपति पद अतुलनीय है- इंग्लैण्ड का राजा राज करता है किन्तु शासन नहीं करता। इंग्लैण्ड का प्रधानमन्त्री शासन करता है किन्तु राज नहीं। भारत का राष्ट्रपति राज करता है परन्तु शासन प्रधानमन्त्री करता है। किन्तु अमेरिका का राष्ट्रपति राज भी करता है और शासन भी। अतः उसका पद गरिमा और शक्ति की दृष्टि से इतना महान् है कि वह अतुलनीय है। हसकिन के शब्दों में, "अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ उस देश के तथा अन्य किसी भी व्यक्ति से अधिक है। वह संसार का सर्वप्रथम शासक है।"

5. राष्ट्रपति की स्थिति: विल्सन के अनुसार, "व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर राष्ट्रपति पद की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है।" अपने शानदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कुछ राष्ट्रपति अमर हो गए और कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हुए जिनका कोई नाम तक नहीं लेता। रेजिटर क्लिटोन के शब्दों में, "राष्ट्रपतियों ने भी राष्ट्रपति पद के गौरव में वृद्धि की है।" विलसन के शब्दों में "वह उतना बड़ा आदमी बनने के लिए स्वतंत्र है है कि जितना बनने की हो।" वह क्षमता रखता

निष्कर्षतः यह कहना ठीक है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के लिए संसार के अन्तिम एकतन्त्री शासकों में है जिसके अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, वरन् वृद्धि हो सकती है। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उसका अपने दल पर कितना अधिकार है, जनता में कितना समर्थन प्राप्त है और

उसका व्यक्तित्व कैसा है? फारगूसन तथा मैक हेनरी के अनुसार, "युद्धकाल में अमेरिका का राष्ट्रपति संवैधानिक अधिनायक के समान हो जाता है।"

आज राष्ट्रपति सारे देश का नेता बन गया है। कानूनी शक्तियों के अतिरिक्त उसका प्रभाव बड़ा गहरा है। यद्यपि कांग्रेस राष्ट्रपति की प्रतिद्वन्द्वी है, परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के समय से राष्ट्रपति कांग्रेस पर हावी होता जा रहा है। यदि यह कहा जाए कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रपति और कांग्रेस के सम्बन्धों का इतिहास कांग्रेस के क्रमिक पतन का इतिहास है तो गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति हफ्ते में दो बार पत्रकार सम्मेलन आमंत्रित करता है और उनके माध्यम से जनता से सम्पर्क स्थापित करता है। फिर रेडियो, टेलिविजन, समाचार-पत्र आदि ऐसे माध्यम हैं जो राष्ट्रपति को जनता के नजदीक लाते हैं। जहाँ कांग्रेस के सदस्य देश के विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ राष्ट्रपति सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह अमेरिका का बिना तिलक, बिना मुकुट का राजा है। लोग उसके भाषण सुनते तथा पढ़ते हैं, कांग्रेस के वाद-विवाद को नहीं। उसके मंत्री अथवा सचिव उसके निजी सहायक होते हैं। वह उनका पूर्ण रूप से स्वामी होता है। राष्ट्र की बागडोर उसके ही हाथ में रहती है। उस पर जितना दायित्व रहता है उतना विश्व के किसी भी अन्य अधिकारी पर कदाचित ही रहता हो। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा है: "यह एक ऐसा कार्यकारिणी पद है जो कि कल्पनातीत है।" लास्की का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि "राष्ट्रपति के पद का जितना अधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए उसकी अद्वितीयता उतनी ही अधिक दिखती है।"

9.7 क्या अमेरिकी राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है? [Can American President be a Dictator?]

सं. रा. अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष है। वह कभी तानाशाह नहीं बन सकता। वह एक व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन का प्रतीक नहीं है। उसे जनता द्वारा मैण्डेट प्राप्त होता है और उस पर वैधानिक सीमाएँ भी हैं। अपने कार्यों के लिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह जनता का नायक होता है, किन्तु साथ ही जनता का सेवक भी। उसकी शक्तियों पर सीनेट तथा सर्वोच्च न्यायालय का नियन्त्रण रहता है। कांग्रेस उस पर महाभियोग लगा सकती है। अतः उसके अधिनायक बनने के अवसर बहुत कम है। शान्तिकाल में वह एक सर्वोच्च प्रधान के रूप में कार्य करता है। प्रो. मुनरो के अनुसार, "युद्धकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक है, जितनी नेपोलियन या ऑलिवर क्रामवेल की थीं।"

9.8 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. अमेरिकी राष्ट्रपति के पास किसकी शक्ति होती है?
   a) संसद को भंग करना
   b) न्यायपालिका को नियंत्रित करना
   c) उच्च न्यायिक नियुक्तियाँ करना
   d) कोई नहीं
2. राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है?
   a) केवल न्यायाधीश
   b) केवल मंत्री
   c) मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी
   d) केवल सेना प्रमुख
3. अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान द्वारा ______ होती हैं।
4. राष्ट्रपति के पास ______ नीति को निर्धारित करने की शक्ति होती है।

9.9 सार संक्षेप

इस इकाई में अमेरिकी कार्यपालिका की संरचना और राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, और उसकी शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राष्ट्रपति के पास कानूनों को लागू करने, राष्ट्रीय सुरक्षा की देखरेख करने और विदेश नीति के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति होती है। इसके अलावा, राष्ट्रपति के पास कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने का अधिकार भी होता है, जिससे वह कानूनों में संशोधन और नई नीतियाँ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति की स्थिति लोकतांत्रिक शासन में निर्णायक है, जो अमेरिका की शक्ति के संतुलन और संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उत्तर 1: c) उच्च न्यायिक नियुक्तियाँ करना, **उत्तर 2**: c) मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी, **उत्तर 3**: नियंत्रित, **उत्तर 4**: विदेश

9.10 मुख्य शब्द

- **राष्ट्रपति**: अमेरिकी कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी।
- **संविधान**: वह दस्तावेज़ जो राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को नियंत्रित करता है।
- **कांग्रेस**: अमेरिकी संसद, जो राष्ट्रपति के कार्यों को नियंत्रित करने में सहायक होती है।
- **कार्यपालिका**: सरकारी तंत्र के कार्यों और नीतियों को लागू करने वाली शाखा।
- **विदेश नीति**: अन्य देशों से संबंधों को नियंत्रित करने वाली नीति।

- **सैन्य नेतृत्व**: राष्ट्रपति द्वारा सेना के संचालन और सुरक्षा संबंधित निर्णय।

9.11 संदर्भ ग्रन्थ

- महाजन, वी. (2019). *अमेरिकी संविधान और कार्यपालिका.* नई दिल्ली: प्रकाशन हाउस।
- सिंह, आर. (2021). *अमेरिकी राजनीति और राष्ट्रपति की शक्तियाँ.* लखनऊ: शैक्षिक प्रकाशन।
- शर्मा, ए. (2020). *अमेरिकी सरकार की संरचना.* दिल्ली: भारतीय पुस्तकालय।
- कुमार, P. (2018). *अमेरिकी कार्यपालिका: एक अध्ययन.* जयपुर: शिक्षा प्रकाशन।

9.12 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। व्यवहार में यह कहाँ तक प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया है?

2.संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए।

3."संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति एक सम्राट् से अधिक या कम है, साथ ही एक प्रधानमन्त्री से भी अधिक या कम है। उसके पद का जितना ही अध्ययन किया जाए उतनी ही विशेषताएँ दिखाई पड़ती है।" समझाइए ।

4. अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

5. अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति व शक्तियों की विवेचना कीजिए।

6. अमेरिकी राष्ट्रपति पद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

7. अमेरिका का राष्ट्रपति शासन का सर्वोच्च प्रधान है, समझाइए।

इकाई -10

अमेरिकी कार्यपालिका : राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल

[AMERICAN EXECUTIVE: CABINET OF PRESIDENT]

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल : उत्पत्ति

10.4 मन्त्रिमण्डल का निर्माण

10.5 मन्त्रिमण्डल की स्थिति

10.6 राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल में सम्बन्ध

10.7 मन्त्रिमण्डल तथा कांग्रेस

10.8 मन्त्रिमण्डल के कार्य

10.9 राष्ट्रपति का निजी मन्त्रिमण्डल

10.10 अमेरिकी मंत्रिमण्डल की विशेषताएँ

10.11 अमेरिकी मन्त्रिमण्डल की ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से तुलना

10.12 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

10.13 सार संक्षेप

10.14 मुख्य शब्द

10.15 संदर्भ ग्रन्थ

10.16 अभ्यास प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

"अमेरिकी शासन-प्रणाली में मन्त्रिमण्डल वैसा ही होता है जैसा कि राष्ट्रपति उसको बनाना चाहता है। यह उसका यन्त्र है। उसकी तनिक-सी इच्छा उसको हटा सकती है जैसे कि उसकी तनिक-सी इच्छा उसको बना सकती है।"

अमेरिकी सरकार के कार्यकारी शाखा का नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं, जो देश के सर्वोच्च निर्वाचित कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रपति को अपनी कार्यकारी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों की आवश्यकता होती है। यही उद्देश्य राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल)Cabinet) की स्थापना का है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के सचिव और अन्य महत्वपूर्ण सलाहकार शामिल होते हैं, जो राष्ट्रपति के साथ नीतिगत और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते हैं।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. अमेरिकी कार्यपालिका की संरचना और उसके कार्यों को समझ सकेंगे।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल की भूमिका और उसके सदस्य के कर्तव्यों का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के विभिन्न विभागों (जैसे, रक्षा, विदेश, वित्त, आंतरिक सुरक्षा) के कार्यों को पहचान सकेंगे।
4. राष्ट्रपति और उनके मन्त्रिमण्डल के बीच संबंध और शक्ति वितरण को समझ सकेंगे।
5. अमेरिकी राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया और उनके मन्त्री बनने की प्रक्रिया को जान सकेंगे।
6. राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के भीतर सत्ता का संतुलन और निर्णय लेने की प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकेंगे।
7. अमेरिकी कार्यपालिका में सचिवालय, एजेंसियों और उप-सचिवों की भूमिका को समझ सकेंगे।
8. राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल की भूमिका के ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ में समीक्षा कर सकेंगे।

9. अमेरिकी कार्यपालिका के अन्य अंगों (जैसे, कांग्रेस, न्यायपालिका) के साथ उनके संबंध को विश्लेषित कर सकेंगे।
10. अमेरिकी कार्यपालिका की प्रमुख नीतियों और उनके प्रभाव को समझ सकेंगे।

10.3 राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल उत्पत्ति : [The President's Cabinet: Genesis]

संविधान के अनुसार अमेरिका की कार्यपालिका-शक्ति वहाँ के राष्ट्रपति में निहित है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति के लिए परामर्शदाताओं की एक समिति की व्यवस्था करने का प्रश्न उठा। बहुत से संविधान-निर्माताओं का विचार था कि सीनेट राष्ट्रपति की मन्त्रणा समिति के रूप में कार्य कर सकेगी। राष्ट्रपति वाशिंगटन ने सीनेट के साथ ऐसा व्यवहार करने का प्रयास भी किया, किन्तु यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसके विपरीत राष्ट्रपति ने प्रशासनिक विभागों के प्रधानों से परामर्श लेना प्रारम्भ किया। अमेरिका के संविधान में कहा गया है "राष्ट्रपति सरकार के विविध प्रशासनिक विभागों के प्रधान पदाधिकारियों से उन विषयों पर लिखित रूप से परामर्श ले सकता है, जिनका उन विभागों के साथ सम्बन्ध है।" राष्ट्रपति वाशिंगटन ने प्रशासनिक विभागों के प्रधानों की बैठकें बुलानी प्रारम्भ की और ये बैठकें शीघ्र ही 'मन्त्रिमण्डल' की बैठकें कहलाई जाने लगीं। सन् 1798 में पहली बार 'कैबिनेट' शब्द का प्रयोग किया गया। 'मारबरी बनाम मेडीसन' के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 'कैबिनेट' शब्द को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार अमेरिका में मन्त्रिमण्डल सुविधा और परम्परा के कारण उत्पन्न हुआ है। आज भी यह एक अनौपचारिक संस्था है।

10.4 मन्त्रिमण्डल का निर्माण [Composition of the Cabinet]

अमेरिकी राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के आकार में निरन्तर वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति वाशिंगटन के मन्त्रिमण्डल में चार विभाग प्रधान थे विदेश विभाग, वित्त विभाग, युद्ध विभाग और न्याय विभाग।

वर्तमान में राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त निम्नांकित 13 विभागों के सचिवों से अपने मंत्रिमण्डल की रचना की है:

1.कृषि विभाग
2.वाणिज्य विभाग
3. सुरक्षा विभाग
4. शिक्षा विभाग
5. ऊर्जा विभाग
6.स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग

7. भवन एवं शहरी विकास विभाग 8.आन्तरिक मामलों का विभाग

9. न्याय विभाग 10.श्रम विभाग

11. विदेश विभाग 12.यातायात विभाग

13. कोष विभाग

इन विभागीय अध्यक्षों को 'मन्त्री' नहीं 'सचिव' (Secretaries) कहते हैं। न्याय विभाग का अध्यक्ष 'अटानीं जनरल' कहलाता है।

प्रशासनिक विभागों के सभी प्रधान मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल में कुछ अन्य व्यक्तियों को भी शामिल कर सकता है। उपराष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। मन्त्रियों को राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन सहित नियुक्त करता है। राष्ट्रपति उन्हें नामांकित करता है; यदि सीनेट उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उन्हें स्वीकार कर ले तो ये नियुक्तियाँ वैध हो जाती हैं। सामान्यतः सीनेट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए मन्त्रियों की नियुि नियुक्ति पर अपनी स्वीकृति दे देती है। इसका कारण बताते हुए हरमन फाइनर ने लिखा है "मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के ऐसे महत्वपूर्ण सहायक होते हैं कि इस विषय में सीनेट को उसकी पसन्द के एक भी व्यक्ति को अस्वीकार करने का कार्य सोचनीय एवं भद्दा ही नहीं होगा, अपितु अस्वीकृत व्यक्तियों की संख्या अधिक होने पर सरकार को ठप्प करने में सहायक होगा।"

सामान्यतः राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल के चुनाव में स्वतन्त्र है; फिर भी उसे निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी पड़ती है-

(1) सबसे पहले वह अपने दल, मित्रों और समर्थकों को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कुछ सचिवों के रूप में नियुक्ति कर देता है।

(2) उसे कुछ बड़े राज्यों जैसे न्यूयार्क, पैनसेलवेनिया में से अवश्य ही एक-एक मन्त्री चुनना पड़ता है।

(3) कई बार राष्ट्रपति को विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके भी कुछ सदस्य लेने पड़ते हैं। राष्ट्रपति क्लिन्टन ने अपने मन्त्रिमण्डल में एक रिपब्लिकन सीनेटर विलियम कोहिन को नियुक्त किया था और उन्हें सुरक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। राष्ट्रपति का इस नियुक्ति के पीछे तर्क यह था कि सामायिक राजनीतिक स्थिति जिसमें सरकार में डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस में बहुमत रिपब्लिकन पार्टी का है का यही तकाजा है कि प्रशासन दोनों दलों के सहयोग से चलना चाहिये ।

(4) कई बार उसे मन्त्रियों की योग्यता तथा उनके ज्ञान एवं दक्षता के आधार पर भी नियुक्त करना पड़ता है।

(5) कई बार उसे भौगोलिक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वह अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का इस तरह चुनाव करता है जिससे कि देश के सभी भागों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए।

10.5 मन्त्रिमण्डल की स्थिति [Status of the Cabinet)

अमेरिकी मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व प्रथागत है। यह संविधान का शिशु नहीं है। जैसा टैफ्ट ने कहा है - "मन्त्रिमण्डल केवल राष्ट्रपति की इच्छा का उत्पादन है। वह एक ऐसी संस्था है, जिसका कोई कानूनी व संवैधानिक आधार नहीं है। उसका अस्तित्व केवल प्रथागत है। यदि राष्ट्रपति उसे समाप्त करना चाहे तो कर सकता है।" मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। ब्रोगन ने लिखा है, "राष्ट्रपति अपने विभागों के प्रधानों का स्वामी होता है।" लार्ड ब्राइस ने ठीक कहा है कि, "अमेरिका का मन्त्रिमण्डल ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के समान न होकर जार या किसी सुल्तान के मन्त्रिमण्डल के समान है अथवा किसी रोम के सम्राट् के मन्त्रिमण्डल के समान है।"

10.6 राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल में सम्बन्ध [Relations between the President and his Cabinet]

राष्ट्रपति व मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य परस्पर समानपदी नहीं होते और न राष्ट्रपति उन 'समानपदियों में प्रथम' ही होता है। राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की तुलना में समानपदी न होकर उनका स्वामी होता है। वह अपने मन्त्रियों के परामर्श को ठुकरा सकता है और प्रायः ठुकरा भी देता है। सचिवों का परामर्श केवल सलाह होता है तथा उसे मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। गृहयुद्ध के समय राष्ट्रपति लिंकन ने मन्त्रिमण्डल के लोगों से बहुत कम परामर्श लिया था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा विल्सन अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को केवल परामर्शदाता ही मानते थे। राष्ट्रपति विल्सन ने जो अपना युद्ध-सन्देश दिया था, उसे उन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल को पढ़कर तक नहीं सुनाया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मन्त्रिमण्डल की बैठकों का समय अधिक नहीं रह गया था। युद्धमन्त्री स्टिम्सन के शब्दों में, "उनका उपयोग यही था कि बैठकों के समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप में बात करने के लिए व्हाइट हाउस जाया जा सकता था।" विल्सन का अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के प्रति ऐसा आचरण रहता था मानो वे उसके अनुचर हों।

वस्तुतः अमेरिकी मंत्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के अनुचर, निजी सहायक या सचिव मात्र होते है। उनके परामर्श को मानना न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह चाहे तो सारे मंत्रियों की सर्वसम्मति से दी गई मन्त्रणा को ठुकरा सकता है। इस संदर्भ में लिंकन के ये शब्द अपनी कहानी स्वयं कहते हैं, "सात ना और एक हाँ, पर चलेगी एक हाँ की ही।" ("Seven noes and one aye, but the aye has it

फिर भी मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति का सम्बन्ध बहुत कुछ राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है। कहा जाता है कि शक्तिशाली राष्ट्रपतियों के मन्त्रिमण्डल दुर्बल होते हैं और दुर्बल राष्ट्रपतियों के मन्त्रिमण्डल शक्तिशाली, किन्तु एक निर्बल राष्ट्रपति भी अपने शक्तिशाली मन्त्री को पदच्युत कर सकता है या उसे अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए आदेश दे सकता है। प्रो. लास्की के शब्दों में, "राष्ट्रपति के सामने मन्त्रिमण्डल के सदस्य की आवाज फुसफुसाहट है जो सुनी भी जा सकती है और नहीं भी।"

10.7 मन्त्रिमण्डल तथा कांग्रेस [Cabinet and Congress]

राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल का निर्माण न तो कांग्रेस से होता है और न मन्त्रिगण कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिगण कांग्रेस के सदस्य नहीं होते और न कांग्रेस की बैठकों में भाग लेते हैं। अमेरिकी कांग्रेस मन्त्रियों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा भी नहीं सकती।

फिर भी मन्त्रिमण्डल और कांग्रेस के मध्य सम्पर्क बना रहता है। उसके बिना विधि-निर्माण ही सम्भव नहीं है। जब किसी विभाग के सम्बन्ध में विधेयक कांग्रेस के सामने विचाराधीन रहता है, उस समय मन्त्रियों से आवश्यक आँकड़े और जानकारी माँगी जाती है। विधेयक जिस समय 'समिति अवस्था' में होता है, उस समय मन्त्री स्वयं समिति के समक्ष उपस्थित होकर विधेयक के विषय में अपने विचार प्रकट कर सकता है।

परन्तु कांग्रेस किसी मन्त्री को समिति के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। मन्त्रियों के विभागों पर जो व्यय होता है, उसकी अनुदानें स्वीकार करने का कार्य कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस चाहे तो किसी भी मन्त्रालय के व्यय में कटौती कर सकती है।

10.8 मन्त्रिमण्डल के कार्य [Functions of the Cabinet]

अमेरिका में राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल दो प्रकार के कार्य करता है-एक प्रशासन सम्बन्धी और दूसरा परामर्श सम्बन्धी । प्रत्येक मन्त्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है।

विभाग का अध्यक्ष होने के कारण विभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक शक्तियों का वह स्वामी है। पदाधिकारियों की नियुक्ति व पदोन्नति में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि विभाग से सम्बद्ध नीति-निर्धारण (Policy-making) राष्ट्रपति करता है, तथापि मन्त्री भी अपने विभाग से सम्बन्धित होने के नाते नीति-निर्धारण में भाग लेता है। इसी प्रकार अपने विभाग के सम्बन्ध में मन्त्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है तथापि यदि मन्त्री हैनरी किसिंजर की तरह योग्य, कुशल और बुद्धिमान है तो राष्ट्रपति उसके परामर्श को टाल नहीं सकता।

10.9 राष्ट्रपति का निजी मन्त्रिमण्डल [Kitchen Cabinet]

राष्ट्रपति जैक्सन के कुछ विश्वस्त परामर्शदाता थे जो 'रसोई मन्त्रिमण्डल' (Kitchen Cabinet) या 'प्रासाद रक्षक' (Palace Guards) कहलाते थे, जिनमें बहुतों को कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। कुछ लोग मन्त्रिमण्डल को 'राष्ट्रपति का परिवार' (Family of the President) भी कहते हैं।

कई बार राष्ट्रपति अपने विभागों के प्रमुखों के बजाय अपने निजी मित्रों और अनौपचारिक परामर्शदाताओं के ऊपर अधिक निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, कर्नल हाउस का राष्ट्रपति विल्सन के ऊपर जितना प्रभाव था उतना उनके मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य का नहीं था। नए आर्थिक कार्यक्रम के समय राष्ट्रपति फ्रेंकलिन के कुछ ऐसे परामर्शदाता थे जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं थे, परन्तु उन पर राष्ट्रपति को अपने मन्त्रियों से भी भी अधिक विश्वास था। राष्ट्रपति कैनेडी हार्वर्ड ग्रुप पर बहुत अधिक विश्वास रखते थे। राष्ट्रपति निक्सन विदेश-नीति के क्षेत्र में हैनरी किसिंजर पर अधिक निर्भर रहे जबकि किसिंजर मन्त्रिमण्डल में काफी समय बाद आए।

'रसोई मन्त्रिमण्डल' से अभिप्राय है राष्ट्रपति के अत्यधिक विश्वासपात्र व्यक्ति, जिनका राष्ट्रपति से अनौपचारिक सम्बन्ध हो। मन्त्रिमण्डल के कुछ ही प्रभावशाली सदस्य 'रसोई मन्त्रिमण्डल' में सम्मिलित हो पाते हैं। 'रसोई मन्त्रिमण्डल' ही नीति-निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ब्रोगन के शब्दों में, "अमेरिकी मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति का परिवार है।"

10.10 अमेरिकी मंत्रिमण्डल की विशेषताएँ [Salient Features of the American Cabinet]

अमेरिकी मंत्रिमण्डल की निम्नांकित विशेषताएँ है:

1. वैयक्तिक सहायक- अमेरिका में मंत्रिमण्डल के सदस्यों की स्थिति राष्ट्रपति के वैयक्तिक सहायकों (Personal Assistants) की होती है, समकक्षों की नहीं। वे राष्ट्रपति के विश्वास प्राप्त व्यक्ति होते हैं और उनका कार्य राष्ट्रपति को प्रशासन के संचालन में सहायता पहुँचाना होता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पदच्युत कर सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था मात्र है। ब्रोगन के अनुसार "वह सहयोगियों की समिति नहीं है। न उसकी स्वतंत्र शक्तियाँ हैं, न स्वतंत्र प्रतिष्ठा ।" दूसरे शब्दों में अमेरिकी मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति का परिवार मात्र है। मंत्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के अनुसार होते हैं, बराबरी वाले नहीं।

2. कानूनी आधार नहीं- अमेरिकी मंत्रिमण्डल का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह प्रथागत संस्था है। कोई राष्ट्रपति चाहे तो बिना मन्त्रिमण्डल के भी काम चला सकता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार किसी को भी मन्त्री बना सकता है या अलग कर सकता है। टैफ्ट के शब्दों में, "मन्त्रिमण्डल केवल राष्ट्रपति की इच्छा की सृष्टि है उसका अस्तित्व केवल प्रथागत है। यदि राष्ट्रपति उसे समाप्त करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है।"

3. न कोई सामूहिक कार्य और न सामूहिक उत्तरदायित्व- मंत्रिमण्डल के न तो सामूहिक कार्य हैं न सामूहिक उत्तरदायित्व । प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है। मन्त्री न तो कांग्रेस के सदस्य रहते हैं और न उसके प्रति उत्तरदायी ही। वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

4. विधायनी शक्तियाँ नहीं- मन्त्रिमण्डल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, उन्हें विधि निर्माण के क्षेत्र में कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं होतीं।

10.11अमेरिकी मन्त्रिमण्डल की ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से तुलना [Comparison of the American Cabinet with the British Cabinet]

ऑर्थ तथा कुशमैन के शब्दों में, "हमें कैबिनेट शब्द के ब्रिटिश और अमेरिकी प्रयोग में भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के लिए इसके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं।" प्रो. लास्की के शब्दों में, "अमेरिकी मंत्रिमण्डल की कल्पना उस नमूने से कोई मेल नहीं खाती जिसमें हम बहुत पुराने समय से यूरोप की प्रतिनिधि सरकारों में देखने के आदी हैं।" ब्रोगन के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति समकक्षों में प्रथम नहीं है और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसका मन्त्रिमण्डल पर राष्ट्रपति के समान पूर्ण नियंत्रण नहीं होता।" स्टुअर्ट के शब्दों में, अमेरीकी कैबिनेट ब्रिटिश की

भाँति 'सरकार' नहीं है और जैसे राष्ट्रपति इस बात में स्वतन्त्र है कि वह किसी मामले को कैबिनेट के सामने विचार हेतु रखे या न रखे, उसी प्रकार उस पर अन्तिम निर्णय लेने में स्वतन्त्र है।"

अमेरिकी तथा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलों का तुलनात्मक अध्ययन एक कौतुकपूर्ण विषय होगा। सच पूछा जाए तो दोनों देशों के मन्त्रिमण्डलों में सिर्फ एक साम्य है, जिस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल परिस्थितियों और परम्पराओं की उपज है उसी प्रकार अमेरिकी मन्त्रिमण्डल भी परम्परा और रूढ़ि की सन्तान है। इस साम्य के अतिरिक्त दोनों में अन्तर ही अन्तर है। दोनों मन्त्रिमण्डलों में निम्नलिखित असमानताएँ पाई जाती है-

	ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल	**अमेरिकी मन्त्रिमण्डल**
1	ब्रिटेन में संसदीय सरकार है, अतः कार्यपालिका तथा संसद् में धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर होते है। कार्यपालिका संसद् को समाप्त कर सकती है तो संसद भी अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा बहुमत को अल्पमत में परिवर्तित कर सरकार को अपदस्थ कर सकती है।	अमेरिका में 'शक्तियों का पृथक्करण' सिद्धान्त प्रचलित है, इसलिए राष्ट्रपति व उसका मन्त्रिमण्डल कांग्रेस का नेता नहीं होता। वह न तो कांग्रेस को भंग कर सकता है और न कांग्रेस उसे और उसके मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर सकती है। अमेरिकी मन्त्री कांग्रेस की बैठकों में भी भाग नहीं लेते।
2	ब्रिटेन के मन्त्रियों में राजनीतिक सजातीयता रहती है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य लोकसदन में बहुमत दल के सदस्यों तथा उसी दल के लार्ड सभा सदस्यों में से चुने जाते हैं; अर्थात् वे एक ही दल के होते हैं।	अमेरिका में यह आवश्यक नहीं है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही दल के हों। वहाँ पर राष्ट्रपति विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके भी कुछ सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में लेता है। राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रुजवैल्ट ने कई बार ऐसा ही किया।
3	सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की एक प्रमुख विशेषता है। सभी मन्त्री संसद् के प्रति व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में वे एक साथ तैरते और डूबते हैं।	अमेरिका में मन्त्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। वे अपने कार्यों के लिए सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, कांग्रेस के प्रति नहीं। उत्तरदायित्व नाम का कोई तत्व तो अमेरिका में है ही नहीं।

4	ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल ही देश का भाग्य-विधाता है। वही देश की सभी महत्वपूर्ण नीतियों को निर्धारित करता है। प्रधानमन्त्री को प्रायः मन्त्रिमण्डल की सलाह को मानना पड़ता है।	अमेरिका में नीतियों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, मन्त्रिमण्डल नहीं। मन्त्रिमण्डल केवल परामर्शदात्री संस्था है। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के परामर्श की अवहेलना कर सकता है।
5	प्रधानमन्त्री के मन्त्रिमण्डल के सदस्य उसके सहयोगी तथा समकक्ष हैं। प्रधानमन्त्री को 'समकक्षों में प्रथम' या 'छोटे-मोटे तारों के बीच चन्द्रमा' कहते हैं।	राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के सदस्य उसके सेवक हैं। वे राष्ट्रपति के हाथ में खिलौना हैं। इसलिए अमेरिकी मन्त्रिमण्डल को 'रसोई मन्त्रिमण्डल' कहा गया है।
6	ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का आकार बड़ा होता है। इसमें 20 से 30 तक सदस्य होते हैं।	अमेरिका में मन्त्रिमण्डल का आकार छोटा होता है। उसमें केवल 13 सदस्य होते हैं।
7	ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है; लेकिन यह औपचारिकता मात्र है। व्यवहार में मन्त्रिमण्डल का निर्माण प्रधानमन्त्री करता है।	अमेरिका में मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किन्तु इसके लिए सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है।
8	ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व है। बहुमत के आधार पर मन्त्रिमण्डल अधिनायकवादी शक्तियाँ धारण कर लेता है।	अमेरिकी मन्त्रिमण्डल की स्थिति सर्वथा 'हैड क्लर्क' के समतुल्य है।
9	इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल की सदस्यता राजनीतिक जीवन की चरम सीमा है। इसे प्राप्त करने के लिए वर्षों प्रयास करना पड़ता है; संसद्, दल तथा राष्ट्र को अपनी प्रतिभा से प्रभावित करना पड़ता है।	अमेरिका में मन्त्री की सफलता का सम्बन्ध उसके भविष्य के राजनीतिक जीवन से एकदम नहीं रहता। अमेरिका में मन्त्रिमण्डल का पद 'स्वयं कैरियर नहीं है, वह कैरियर में अन्तर्विराम मात्र है'।

10.12 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल का प्रमुख कार्य क्या है?
   a) कानून बनाना

b) प्रशासनिक कार्यों का संचालन
c) न्यायपालिका का गठन
d) चुनावों का आयोजन

2. अमेरिकी मंत्रिमण्डल में कितने विभाग होते हैं?
   a) 10 b) 15
   c) 20 d) 25
3. वित्त समिति का मुख्य कार्य क्या होता है?
   a) चुनावों में भाग लेना
   b) सरकारी खर्चों का नियमन करना
   c) नीतियां बनाना
   d) न्यायिक सुधार करना
4. अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल में विभिन्न __________ होते हैं।
5. वित्त समिति का मुख्य कार्य __________ होता है।

10.13 सार संक्षेप

निष्कर्ष इस प्रकार सच्चाई यह है कि अमेरिकी मन्त्रिमण्डल का सदस्य ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की अपेक्षा इंग्लैण्ड के शासन के विभाग के एक स्थायी सचिव के निकट होता है। अमेरिका में मन्त्रिमण्डल तो है किन्तु मन्त्रिमण्डलीय शासन प्रणाली नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमण्डल ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की अपेक्षा बहुत कम शक्ति रखता है। सरकार की नीति निर्धारण में, विधि निर्माण में, बजट बनाने में और प्रशासन में अमेरिका की सीनेट का सदस्य मन्त्रिमण्डल के सदस्य की अपेक्षा अधिक प्रभाव रखता है। इन्हीं कारणों से अमेरिकी मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति का 'घरेलू मंत्रिमण्डल' (Kitchen Cabinet) कहलाता है। शक्ति के मामले में अमेरिकी मंत्रिमण्डल ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की छाया मात्र है।

अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा का एक अनिवार्य अंग है। इसमें 15 विभागों के सचिव ज)ैसे, रक्षा सचिव, विदेश सचिवऔर अन्य (स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सलाह -उच्च देना और सरकारी नीतियों को लागू करना है। यह कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने में सहायक है। मंत्रिमंडल के सदस्यों कीनियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनकी पुष्टि सीनेट द्वारा की जाती है। यह प्रणाली शक्ति के संतुलन और कुशल प्रशासन का उदाहरण है।

Answer 1: b) प्रशासनिक कार्यों का संचालन
Answer 2: b) 15

Answer 3: b) सरकारी खर्चों का नियमन करना
Answer 4: विभाग

Answer 5: सरकारी खर्चों का नियमन

10.14 मुख्य शब्द

- **राष्ट्रपति (President):** कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी।
- **कैबिनेट (Cabinet):** राष्ट्रपति का सलाहकार समूह।
- **मंत्रिमंडल सचिव (Cabinet Secretary):** मंत्रिमंडल के प्रमुख सलाहकार, जो सभी विभागों के समन्वयक होते हैं।
- **कार्यपालिका के अधिकार (Executive Power):** राष्ट्रपति के पास कानूनों को लागू करने और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने का अधिकार होता है।
- **कांग्रेस**: अमेरिकी विधायिका, जो राष्ट्रपति के निर्णयों की निगरानी करती है।
- **वित्त समिति**: सरकारी खर्चों का नियमन करने वाली समिति।
- **वित्त कार्य**: सरकार द्वारा धन का संग्रहण और व्यय।
- **नियुक्ति**: राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों का चयन।

10.15 संदर्भ ग्रन्थ

- सैनी, विजय (2020). *अमेरिकी सरकार और प्रशासन.* दिल्ली: पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड।
- शर्मा, मनीष (2021). *अमेरिकी संविधान और कार्यपालिका.* जयपुर: अकादमिक पब्लिकेशन्स।
- वर्मा, राकेश (2018). *अमेरिकी राजनीति और प्रशासनिक ढांचा.* मुंबई: एजुकेशनल पब्लिशर्स।
- कुमार, विकास (2022). *अमेरिकी कार्यपालिका का अध्ययन.* भोपाल: राष्ट्रीय पुस्तकालय।
- सिंह, अरुण (2019). *अमेरिकी मंत्रिमण्डल और राष्ट्रपति की भूमिका.* लखनऊ: शैक्षिक ग्रंथ।

10.16 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के गठन, शक्तियों तथा कार्यों का विवेचन कीजिए।

2. "अमेरिकी तथा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में मौलिक अन्तर है।" इस कथन के प्रकाश में अमेरिकी तथा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की तुलना कीजिए।
3. "अमेरिकी राष्ट्रपति स्थिति का पूर्ण स्वामी है।" ब्रिटिश प्रधानमंत्री का अपने मन्त्रिमण्डल से सम्बन्ध बतलाते हुए अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के सिलसिले में इस कथन की समीक्षा कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

1. राष्ट्रपति का निजी मंत्रिमण्डल ।
2. अमेरिकी मंत्रिमण्डल की विशेषताएँ।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. अमेरिकी मंत्रिमण्डल का आधार क्या है?

   (अ) न्यायिक निर्णय, (ब) संविधान,

   (स) प्रथा, (द) कांग्रेस द्वारा निर्मित विधि ।

2. घरेलू मंत्रिमण्डल' (Kitchen Cabinet) शब्द किसके लिए प्रचलित है?

   (अ) ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के लिए,

   (ब) फ्रेंच मंत्रिमण्डल के लिए,

   (स) स्विस मंत्रिमण्डल के लिए,

   (द) अमेरिकी मंत्रिमण्डल के लिए।

3. किस देश में मंत्रियों की स्थिति 'सचिव' जैसी है?

   (अ) अमेरिका, (ब) भारत,

   (स) इंगलैण्ड, (द) जापान।

4. संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?

   (अ) सीनेट, (ब) प्रतिनिधि सभा,

   (स) राष्ट्रपति, (द) सर्वोच्च न्यायालय ।

5. 'सात ना और एक हाँ, पर चलेगी एक हाँ की ही।' यह कथन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने किसके बारे में कहा है?

(अ) सीनेट, (ब) प्रतिनिधि सभा,

(स) मंत्रिमण्डल, (द) सर्वोच्च न्यायालय ।

6. अमेरिकी मंत्रिमण्डल की विशेषता नहीं है:

(अ) सामूहिक उत्तरदायित्व, (ब) वैयक्तिक सहायक,

(स) प्रथागत अस्तित्व, (द) कानूनी अस्तित्व नहीं।

ब्लॉक - III

इकाई -11

अमेरिकी व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा

[AMERICAN LEGISLATURE: HOUSE OF REPRESENTATIVES]

11.1 प्रस्तावना

11.2 उद्देश्य

11.3 अमेरिकी कांग्रेस

11.4 प्रतिनिधि सभा-संगठन

11.5 प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियाँ

11.6 प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण

11.7 प्रतिनिधि सभा की स्थिति

11.8 प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष

11.9 प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव

11.10 अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य

11.11 ब्रिटिश स्पीकर की अमेरिकी स्पीकर से तुलना

11.12 अमेरिकी स्पीकर की स्थिति

11.13 अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया

11.14 ब्रिटिश तथा अमेरिकी कानून बनाने की प्रक्रिया में अन्तर

11.15 अमेरिकी कांग्रेस में समिति प्रणाली

11.16 समितियों के प्रकार

11.17 ब्रिटिश तथा अमेरिकी समिति व्यवस्था में अन्तर

11.18 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

11.19 सार संक्षेप

11.20 मुख्य शब्द

11.21 संदर्भ ग्रन्थ

11.22 अभ्यास प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

"ब्रिटिश तथा अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अन्तर ब्रिटिश कॉमनसभा तथा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तियों में अन्तर है।" लास्की

अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जो दो सदनों में विभाजित है:

प्रतिनिधि सभा (House of Representatives)

सीनेट (Senate)

प्रतिनिधि सभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई है और इसे जनता के प्रति अधिक जवाबदेह माना जाता है। इसकी संरचना और कार्य अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित हैं।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की संरचना और इसके कार्यों को समझ सकेंगे।
2. प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रक्रिया, इसके सदस्यों के चयन और उनके कार्यकाल के बारे में जान सकेंगे।
3. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के बीच के अंतर और उनके कार्यों की तुलना कर सकेंगे।
4. प्रतिनिधि सभा के प्रमुख कर्तव्यों और अधिकारों (जैसे, विधायिका, बजट अनुमोदन, राष्ट्रपति पद के लिए महाभियोग आदि) का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की राजनीतिक प्रक्रिया और इसके प्रभावों को समझ सकेंगे।
6. प्रतिनिधि सभा के संरचनात्मक बदलावों और उसके ऐतिहासिक विकास पर चर्चा कर सकेंगे।

7. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य और उनके चुनावी क्षेत्र के बीच संबंधों को समझ सकेंगे।
8. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कार्यों के वैश्विक राजनीति और अमेरिकी समाज पर प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

11.3 अमेरिकी कांग्रेस [American Congress]

अमेरिका के संविधान-निर्माता इस बात पर एकमत थे कि वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाएगा। 'परिसंघ' के अन्तर्गत अपनायी गई एकसदनात्मक व्यवस्था एकदम असफल सिद्ध हुई थी। फिर, नए संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली अपनायी जानी थी, अतः द्विसदनात्मक विधान-मण्डल एक अनिवार्यता प्रतीत हो रही थी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धान्त पर आम सहमति होने के उपरान्त भी एक गम्भीर समस्या यह उत्पन्न हो गई कि दोनों सदनों के संगठन का आधार क्या हो? अन्त में इस बात पर सहमति हो गई कि निचले सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो तथा उच्च सदन अर्थात् सीनेट का निर्माण संघीय इकाइयों की समानता के आधार पर हो ।

अमेरिकी कांग्रेस में यदि सीनेट संघीय सदन है, तो प्रतिनिधि सभा जनता का सदन है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि, "इसके अन्तर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त शक्तियाँ संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा।"

11.4 प्रतिनिधि सभा-संगठन [House of Representatives Organisation]

प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भाँति वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर एक-सदस्यीय चुनाव-क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में 18 वर्ष के प्रत्येक स्वी-पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 मास से लेकर दो वर्ष तक है। पागलों और देशद्रोहियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। सन् 1964-65 से काले लोगों को भी वयस्क मताधिकार प्राप्त है।

प्रतिनिधि सभा की रचना के विषय में संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम-से-कम तीस हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक

राज्य से कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा, चाहे उसकी जनसंख्या तीस हजार से कम भी हो। सन् 1961 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 निश्चित की गई है। इनके अतिरिक्त 6 सदस्य ऐसे हैं जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और वे दो वर्ष के लिए चुने जाते है। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस राज्य का नागरिक व उस क्षेत्र का निवासी हो जिससे वह चुनाव लड़ रहा हो।

चुनाव-क्षेत्र को बनाना अमेरिका में राज्य विधानमण्डलों की जिम्मेदारी है। इसलिए प्रत्येक सत्ताधारी दल 'गैरीमेण्डरींग' (Gerrymandering) का तरीका प्रयोग में लाता है। गैरीमेण्डरींग एक ऐसी प्रथा है जिसका तात्पर्य है कि सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र इस ढंग से बनाए कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक-से-अधिक क्षेत्रों में इस तरह फैला दिया जाए कि थोड़े-थोड़े बहुमत से अपने प्रत्याशी विरोधी दल की तुलना में जीत जाएँ ताकि प्रतिनिधि सदन में अधिक स्थान प्राप्त हो जाएँ। इस प्रथा के विरुद्ध अमेरिका में काफी रोष है। सन् 1964 में 'बैसबरी बनाम सैण्डर्स' के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को अनिवार्य ठहराया है कि "प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एकसी हो।"

सदस्यों के लिए योग्यताएँ - प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ प्रत्याशी में होनी आवश्यक हैं -

(1) वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(2) वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो।

(3) वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो।

(4) वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो।

विशेषाधिकार- प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को निःशुल्क डाक-तार तथा टेलीफोन सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। सदस्यों को निःशुल्क क्लर्क तथा स्टेशनरी की भी सुविधाएँ प्राप्त है ताकि वे अपने संसदीय कार्यों को ठीक रूप से चला सकें।

वेतन - प्रतिनिधि सदन के प्रत्येक सदस्य को 1,69,300 डालर वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त क्लर्क के लिए, स्टेशनरी के लिए कार्यालय कायम करने के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। उन्हें यात्रा-खर्च भी मिलता है।

अधिवेशन - अमेरिकी संविधान के बीसवें संशोधन के अनुसार, "कांग्रेस प्रतिवर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होगी और इसकी बैठक तीन जनवरी दोपहर को आरम्भ होगी।" कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है, जब तक कि उनके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि को स्थगन के लिए सहमत न हों तो उस समय राष्ट्रपति इस तिथि को निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं।

गणपूर्ति - कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है।

अवधि- प्रतिनिधि सभा की अवधि दो वर्ष है।

11.5 प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियाँ [Powers and Functions]

प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन है, फिर भी इसकी शक्तियाँ उतनी व्यापक नहीं है जितनी सीनेट की हैं। कतिपय क्षेत्रों में यह सीनेट के समतुल्य शक्तियों का प्रयोग करती है; किन्तु अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ, जो सीनेट को प्राप्त है, वे इसके पास नहीं हैं। प्रतिनिधि सभा के कार्यों एवं शक्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है -

1. स्पीकर का चुनाव- की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सदन अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है और वह इसकी बैठकों

2. व्यवस्थापन शक्ति- व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यों में प्रतिनिधि सभा सीनेट की समानपदी है। वित्त विधेयकों के विषय में प्रतिनिधि सभा की स्थिति सीनेट से उच्चतर है, क्योंकि उनका प्रस्तुतीकरण केवल प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है। अमेरिका में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता, जब तक उसे सीनेट की तरह ही प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी प्राप्त न हो जाए। अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक सीनेट के साथ-साथ प्रतिनिधि सदन भी दो-तिहाई बहुमत से उसे स्वीकार न कर ले।

3. कार्यपालन शक्ति - सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका शक्तियाँ नगण्य है। सीनेट की भाँति सन्धियों के पुष्टिकरण, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की स्वीकृति आदि अधिकार तो उसे प्राप्त नहीं हैं, किन्तु उसका एक अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो तथा तीन प्रत्याशियों में से कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर सके, तो ऐसी दशा में प्रतिनिधि

सभा का यह अधिकार है कि वह उन तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति के पद का अधिकारी घोषित कर दे।

4. युद्ध की घोषणा - सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध घोषणा की पुष्टि करता है।

5. नियम बनाना - प्रतिनिधि सदन को अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। यदि यह सदन दो-तिहाई बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।

6. महाभियोग लगाना - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों द्वारा गम्भीर अपराध करने पर दोषारोपण का कार्य प्रतिनिधि सदन का ही है।

7. पर्यवेक्षण सम्बन्धी- प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियाँ भी रखती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करती है, उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है।

8. अन्वेषण सम्बन्धी- सीनेट के समान प्रतिनिधि सभा भी अन्वेषण अथवा प्रशासकीय जाँच (investigation) का कार्य करती है, लेकिन सीनेट की तुलना में उसका यह अधिकार महत्वहीन है।

11.6 प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण [Reasons for the weakness of the House of Representatives]

जनता की प्रतिनिधि संस्था होते हुए भी अमेरिकी शासन-प्रणाली में प्रतिनिधि सभा अशक्त है - इसकी दुर्बलता के निम्नलिखित कारण हैं -

1. अध्यक्षीय शासन-प्रणाली अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। शासन की अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका में से ली जाती है और न वह उनके प्रति उत्तरदायी ही होती है। परिणामस्वरूप कार्यपालिका को नियन्त्रित करने का अधिकार व्यवस्थापिका को प्राप्त नहीं होता।

2. समानपदी द्विसदनीय व्यवस्था- अमेरिका में कांग्रेस के दो सदन हैं, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं, दोनों सदनों की सहमति से ही कोई विधेयक पारित होता है। अतः प्रतिनिधि सभा अशक्त है।

3. सीनेट की विशिष्ट स्थिति- प्रतिनिधि सभा की अशक्तता का एक बड़ा कारण सीनेट की वह विशिष्ट स्थिति है, जो उसे संविधान द्वारा प्रदान की गई है। संविधान ने सीनेट की

रचना राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति के रूप में की है। अतः व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकारों के अतिरिक्त उसे कार्यपालन के सम्बन्ध में भी कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। सन्धियों का पुष्टिकरण, उच्च नियुक्तियों की स्वीकृति, विभागीय जाँच आदि के अधिकार ऐसे ही अधिकार है। चूँकि ऐसे कोई अधिकार प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं, अतः उसकी स्थिति सीनेट की तुलना में दुर्बल हो जाती है। यही कारण है कि अधिकांश प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य न होकर, सीनेट के सदस्य होना चाहते हैं।

4. अल्प कार्यावधि - प्रतिनिधि सभा की कार्यावधि बहुत छोटी है। इसके सदस्यों का निर्वाचन सिर्फ दो वर्ष के लिए होता है। छोटी कार्यावधि के परिणामस्वरूप अधिकांश प्रतिनिधि भावी निर्वाचन की चिन्ता में व्यस्त रहते हैं और सदन प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाता ।

5. प्रतिनिधियों का स्तर- प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में 'क्षेत्रीय नियम' का अनुसरण किया जाता है। क्षेत्र का निवासी ही प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्याशी हो सकता है। अतः सामान्य श्रेणी के व्यक्ति प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता। इस कारण से भी व्यवहार में इसकी स्थिति दुर्बल हुई है।

6. कार्यपालिका पर नियन्त्रण- प्रतिनिधि सभा का राष्ट्रपति ट्रपति पर उस प्रकार का नियन्त्रण नहीं है जिस प्रकार ब्रिटेन में कॉमनसभा का मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण है। इंग्लैण्ड की भाँति कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और न प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकती है।

7. कार्य विधि के नियम- प्रतिनिधि सभा के कार्यविधि के नियम भी उसे दुर्बल बनाते हैं। सीनेटरों की अपेक्षा प्रतिनिधियों की भाषण की स्वतन्त्रता अत्यन्त सीमित है। फिर शक्तिशाली समितियों का अस्तित्व भी इस सदन को कमजोर एवं प्रभावहीन बनाता है। सदन के अधिकांश कार्य समितियों द्वारा ही सम्पादित होते हैं। प्रतिनिधि सभा अधिकांशतः समितियों के निर्णय पर केवल मुहर लगाती है।

8. बड़ा आकार- प्रतिनिधि सभा का बड़ा आकार भी उसे दुर्बल बनाता है। उसमें 435 सदस्य होते हैं, जबकि सीनेट में केवल 100, इसलिए सीनेट की सदस्यता प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की अपेक्षा अधिक गौरव एवं शान की बात समझी जाती है।

11.7 प्रतिनिधि सभा की स्थिति [Position]

अमेरिकी शासन-प्रणाली में प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल सदन है। उसका नेतृत्व संगठित नहीं है। वह राष्ट्रीय संस्था की धुरी नहीं बन पाई है। उसे राष्ट्रीय प्रतिनिध्यात्मक संस्था नहीं कहा जा सकता । वह तो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का मंच मात्र है। अपने मतदाताओं के स्थानीय, व्यक्तिगत व विशिष्ट हितों के बोझ से वह इतनी दबी रहती है कि राष्ट्रीय नीति के निर्माण की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। संक्षेप में, प्रतिनिधि सभा न केवल सीनेट की तुलना में अपितु अन्य देशों के प्रथम सदनों की तुलना में अत्यधिक कमजोर है। प्रो. लास्की के शब्दों में, "प्रतिनिधि सभा उन कार्यों को करने में, जो उससे अपेक्षित हैं, बुरी तरह असफल रही है। यह एक महान् राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन है।"

11.8 प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष [Speaker of the House of Representatives]

"अध्यक्ष होने पर अपना राजनीतिक चरित्र छोड़ नहीं देता, बल्कि और अधिक राजनीतिक होने के लिए ही वह अध्यक्ष होता है।" - फाइनर

अमेरिका के संविधान-निर्माताओं ने अध्यक्ष पद की स्थापना इंगलैण्ड की ही परम्परा पर की है। जिस प्रकार इंगलैण्ड में निम्न सदन का अध्यक्ष 'स्पीकर' कहलाता है, उसी प्रकार अमेरिका में निम्न सदन का अध्यक्ष 'स्पीकर' कहलाता है। किन्तु दोनों देशों के अध्यक्ष एक समान नहीं हैं। इंगलैण्ड का अध्यक्ष यदि कम-से-कम बोलता है तो अमेरिका का अध्यक्ष अधिक-से-अधिक बोलता है। अमेरिकी स्पीकर को 1,71,500 डालर वार्षिक वेतन तथा कतिपय वार्षिक भत्ते मिलते हैं।

11.9 प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव [Election of the Speaker]

सिद्धान्ततः प्रतिनिधि सदन के स्पीकर का चुनाव सदन द्वारा होता है। पर व्यवहार में उसका निर्वाचन दल की बैठक में होता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक से पूर्व विविध राजनीतिक दल अपने-अपने दल की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए अपने-अपने प्रत्याशी चुन लेते हैं। जब प्रतिनिधि सदन की बैठक अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए होती है, तो सब दल अपने-अपने प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करते है। निर्वाचन चूँकि मतदान द्वारा होता है, अतः निश्चित रूप से बहुमत दल का प्रत्याशी अध्यक्ष चुना जाता है। व्यवहार में जिस दल का बहुमत प्रतिनिधि सभा में होता है उसी दल का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। प्रो. मुनरो के शब्दों में, "बहुमत दल की बैठक सदन की ओर से चयन करती है और सदन केवल उसकी पुष्टि करता है।"

अमेरिका में अध्यक्ष पद के लिए दोनों राजनीतिक दलों में टक्कर नहीं होती अपितु प्रत्येक दल के अन्दर भी स्पीकर पद के लिए जोरदार जोड़-तोड़ होती है। निर्वाचनों में भी प्रतिपक्षी दल अध्यक्ष को हटाने के लिए भरसक प्रयास कतरा है। इसलिए तो लार्ड ब्राइस ने लिखा है "स्पीकर का निर्वाचन उच्चतम महत्व की राजनीतिक घटना है।"

11.10 अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य [Powers and Functions]

संविधान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रारम्भ में प्रतिनिधि सभा का आकार बहुत छोटा था और अध्यक्ष की शक्तियाँ बहुत कम थीं, परन्तु धीरे-धीरे उसकी शक्तियाँ बढ़ती गई और आज प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल के नेतृत्व का दायित्व स्पीकर पर ही आ पड़ा है। स्पीकर की शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार हैं-

1. प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता करना- स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है। जब वह कहीं बाहर जाता है, तो अपनी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए तीन दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

2. सदन में व्यवस्था बनाए रखना- सदन में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। वह इस हेतु सारजेंट की सहायता ले सकता है और जिन दीर्घाओं से शोर हो रहा है, उनको खाली करवा सकता है। वह शान्ति भंग होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। यदि सदस्य किसी प्रकार से सदन में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए प्रयल करें, तो स्पीकर उन्हें चुप रहने के लिए कह सकता है या स्पीकर उस मामले के बारे में सदन से कार्यवाही करने के लिए कह सकता है। वह अधिक अशान्ति होने पर सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर सकता है, परन्तु वह किसी सदस्य को दण्डित नहीं कर सकता। सदस्य को दण्डित करने का काम पूरा सदन ही कर सकता है।

3. नियमों की व्याख्या करना- अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू करता है। नियमों की व्याख्या करने का उसका अधिकार यद्यपि पूर्ण है, तथापि अपने इस अधिकार के प्रयोग में वह अपनी इच्छा से बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उन नियमों के अन्तर्गत ही कार्य करना पड़ता है जिन्हें 'नियम निर्माण समिति' बनाती है।

4. दल के नेता के रूप में कार्य- स्पीकर प्रतिनिधि सदन में अपने दल का भी नेता होता है। वह स्वयं अपने दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन 'सम्पूर्ण सदन

समिति' के रूप में एकत्रित होता है, उस समय स्पीकर 'अध्यक्ष' नहीं होता। वह भी सदन में अपने दल का नेता होता है और इस रूप में वाद-विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

5. निर्णायक मत देने का अधिकार- स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वह सदैव इस अधिकार का प्रयोग अपने दल के हित में करता है।

6. समितियों सम्बन्धी अधिकार- वह सब प्रकार की समितियों, सम्मेलन समिति और विशेष समितियों की नियुक्ति करता है तथा विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है।

7. परिणामों की घोषणा- विधेयकों पर बहस के पश्चात् वह सदन में मतदान करवाता है, मतों को गिनता है तथा उनके परिणामों की घोषणा करता है।

11.11 ब्रिटिश स्पीकर की अमेरिकी स्पीकर से तुलना [The British Speaker compared with the American Speaker]

अमेरिकी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की तुलना ब्रिटिश कॉमनसभा के स्पीकर से की जा सकती है

	ब्रिटिश स्पीकर	**अमेरिकी स्पीकर**
1	ब्रिटिश स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है।	अमेरिकी स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है।
2	चुनाव के बाद ब्रिटिश स्पीकर राजनीति से संन्यास ले लेता है।	अमेरिकी स्पीकर सदन में दल का नेता बन जाता है।
3	ब्रिटिश स्पीकर विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लेता ।	अमेरिकी स्पीकर विधेयकों पर बोलता है तथा मत भी देता है।
4	ब्रिटेन में 'एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर' की प्रथा है।	अमेरिका में ऐसी प्रथा नहीं है। यहाँ चुनाव में स्पीकर का विरोध होता है।
5	ब्रिटिश स्पीकर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है।	अमेरिका में स्पीकर केवल अपने दल के हित के लिए कार्य करता है।

6	इंग्लैण्ड में स्पीकर को वित्त विधेयक प्रमाणीकृत करने की शक्ति प्राप्त है।	अमेरिकी स्पीकर को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
7	ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव बड़े शान्त वातावरण में होता है।	अमेरिकी स्पीकर के चुनाव में राजनीतिक हलचल दिखलाई पड़ती है।
8	नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में ब्रिटिश स्पीकर का निर्णय अन्तिम होता है।	अमेरिकी स्पीकर का इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम नहीं होता और उसके निर्णयों के विरुद्ध सदन से अपील की जा सकती है।

अन्त में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अमेरिकी और ब्रिटिश स्पीकर अपनी प्रकृति, स्थिति एवं शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न हैं। इंग्लैण्ड में संसदीय प्रणाली होने से कॉमन्स सभा में व्यवस्थापन कार्य का नेतृत्व मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली होने के कारण यह जिम्मेदारी स्पीकर को वहन करनी पड़ती है। स्पीकर ही प्रतिनिधि सभा में विधि निर्माण के क्षेत्र में नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करता है। वह प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल का सर्वमान्य नेता होता है। स्पीकर के पद को प्रतिनिधि सभा में दलीय नीति के प्रमुख प्रसारक के रूप में प्रयुक्त किया जाना अमेरिकी शासन व्यवस्था को अपनी विशिष्टता है। अतः आज भी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को इतनी शक्तियाँ प्राप्त है जितनी कॉमन्स सभा के स्पीकर को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकतीं, किन्तु निर्दलीय एवं निष्पक्ष होने के कारण जो प्रतिष्ठा एवं सम्मान ब्रिटिश स्पीकर को प्राप्त है, वह अमेरिकी स्पीकर कभी नहीं पा सकता। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश स्पीकर की तुलना में अमेरिकी स्पीकर की शक्तियाँ (Powers) अधिक हैं, परन्तु उसका प्रभाव (Influence) कम है।

11.12 अमेरिकी स्पीकर की स्थिति [Position of the American Speaker]

प्रतिनिधि सदन के स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उसका दूसरा सम्मानित स्थान है। यदि राष्ट्रपति के पद पर किसी कारण रिक्तता उत्पन्न हो जाए, तो उपराष्ट्रपति के बाद उसका नम्बर आता है। लैंकास्टर के शब्दों में, "निश्चित ही उससे परामर्श किए बिना देश में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में वह देश के आधा दर्जन राजनीतिक शासकों में से एक है।" अमेरिका में उसका पद केवल शान और गरिमा का पद ही नहीं है बल्कि सत्ता और शक्ति का

प्रतीक भी है। इस पद का महत्व विशेष रूप से इसलिए भी बढ़ जाता है कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन-व्यवस्था है और मन्त्री प्रतिनिधि सदन के सदस्य नहीं है, अतः स्पीकर ही प्रतिनिधि सदन का वास्तविक नेता है। वह 'नियम समिति' का सभापति होता था और उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता था। व्यवहार में यह शक्ति अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हुई और कतिपय स्पीकर पदधारियों ने इन शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया कि वे सदन में एक प्रकार से तानाशाह ही बन गए। स्पीकर कैनन तो निम्न सदन का मालिक (Boss) ही बन बैठा था। वह अकेले ही निर्णय लेता था कि कौन-सा विधेयक पास किया जाए और कौन-सा नहीं। इसी प्रकार स्पीकर रीड को लोगों ने जार (Gzar) की उपाधि ही दे डाली थी।

प्रारम्भ में स्पीकर के पास इतनी महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी कि ऑग ने लिखा है "एक साधारण-सी चेयरमैनशिप विकसित होकर एक तानाशाह बन गई, जिसके हाथों में सदन द्वारा किए जाने वाले कार्य के जीवन का अधिकार आ गया।" उसकी सत्ता का वर्णन करते हुए ब्रोगन ने लिखा है, "जिसकी अनुमति स्पीकर देता था वह चीज पास हो जाती थी। स्पीकर जिस पर 'नहीं' कर देता था वह चीज शासन के साथ समितियों में समाप्त कर दी जाती थी। सन् 1911 में स्पीकर की सत्ता के विरुद्ध क्रान्ति हो गई। इस क्रान्ति ने उसकी स्वेच्छाचारिता को नष्ट कर दिया। पहले तो उसे 'नियम समिति' से हटाया गया और फिर उसके हाथों से स्थायी समितियों के नाम-निर्देशन की शक्ति ले ली गई। अब यह शक्ति स्वयं सदन के हाथों में है। निष्कर्षतः महत्व और प्रभाव की दृष्टि से मुनरो के शब्दों में, "उसका पद प्राचीन और सम्माननीय दोनों ही है।"

11.13 अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया [Process of Law-making in the U.S.A.]

"इंग्लैण्ड की तरह अमेरिका में विधि-निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण विकसित है और उस पर इंग्लैण्ड की विधि-निर्माण की प्रक्रिया की स्पष्ट छाप भी है।" -मुनरो

अमेरिका में कानून बनाना कांग्रेस का कार्य है। वहाँ पर सरकारी तथा गैर सरकारी विधेयक दोनों ही सदन के सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं। धन विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में ही प्रारम्भ किए जा सकते हैं। अन्य विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं।

अमेरिका में व्यवस्थापन प्रक्रिया काफी अंशों तक ब्रिटिश प्रक्रिया से भिन्न है। अमेरिका में शासन की अध्यक्षीय प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूर्णतः अलग है। कार्यपालिका व्यवस्थापन का न तो नेतृत्व कर सकती है और न कांग्रेस में विधेयकों का संचालन ही कर सकती है। इस प्रकार अमेरिका में विधेयकों के सम्बन्ध में

यह उल्लेखनीय है कि सभी विधेयक कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पुनर्स्थापित होते हैं और विधेयकों को सरकार का नेतृत्व प्राप्त नहीं होता।

अमेरिकी कांग्रेस की व्यवस्थापन प्रक्रिया का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है-

1. बिल का प्रस्तुतीकरण- विधेयक को पेश करने का बहुत सरल तरीका है। प्रतिनिधि सदन में विधेयक को पेश करने वाला सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित विधेयक की एक प्रति सदन के क्लर्क के डेस्क पर रखे एक सन्दूक में जमा कर कर देता है। सीनेट में ये विधेयक सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति से सेक्रेटरी की सन्दूक में जमा कर दिए जाते हैं। विधेयक पर तत्काल ही नम्बर डाल दिया जाता है और इसे छपने के लिए सरकारी प्रेस में भेज दिया जाता है ताकि अगले दिन अन्य सदस्यों को इसकी प्रतियाँ मिल सकें। यही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है।

2. समिति स्तर - विधेयक के शीर्षक के अनुसार उसे किसी-न-किसी स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति में विधेयक की पूरी तरह छानबीन की जाती है। यदि ये समितियाँ विधेयक को पसन्द न करें तो उनको फाइल कर दिया जाता है और उन विचार नहीं होता है। समिति द्वारा ऐसा किए जाने को विधेयक को 'कबूतर के दरबे में डाल देना' (Pigeon-holing) कहा जाता है। अमेरिका में 95 प्रतिशत विधेयकों के जीवन का अन्त इसी प्रकार हो जाता है। व्यवहार में समितियाँ विधेयकों के विषय में सर्वेसर्वा होती हैं। समितियाँ विधेयकों से प्रभावित होने वाले सम्बन्धित हितों की सुनवाई करती है व सरकारी विभागों से किसी प्रकार की भी सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर सकती है। उसके पश्चात् समिति अपनी एक गुप्त बैठक में उस विधेयक पर बहुमत से अपना निर्णय कर लेती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समिति के सब सदस्य विधेयक पर एकमत नहीं हो पाते। ऐसी दशा में बहुमत और अल्पमत दोनों के ही प्रतिवेदन के साथ विधेयक कांग्रेस को लौटाए जाते हैं।

3. सूचीकरण और द्वितीय वाचन- समितियों से वापस आने के बाद विधेयक को किसी सूची में डाला जाता है और फिर निश्चित दिनांक को उस पर विचार होता है। अमेरिका में कई प्रकार की सूचियाँ हैं। एक सूची संधीय सूची कहलाती है जिसमें वे विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं जो आय, व्यय व सार्वजनिक सम्पत्ति से सम्बन्धित होते हैं। दूसरी सूची सभा की सूची कहलाती है, जिसमें वे विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं जिनका सम्बन्ध वित्त से नहीं होता है। तीसरी सूची सम्पूर्ण सदन की समिति की सूची कहलाती है जिसमें स्थानीय विषयों तथा निजी निगमों आदि के विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं।

उपयुक्त सूची में विधेयक रखे जाने के बाद निश्चित दिनांक को सदन उन पर विचार करता है। इसके लिए सदन 'सम्पूर्ण सदन समिति' में परिवर्तित हो जाता है। सम्पूर्ण सदन की समिति विधेयक के सिद्धान्तों व उसके स्वरूप पर पूर्ण विचार करती है। प्रत्येक धारा, उपधारा व शब्द पर विचार होता है। अन्त में विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति मत लेकर निश्चित की जाती है।

4. तृतीय वाचन- इसके अन्तर्गत विधेयक के सिद्धान्तों पर केवल मोटे रूप से ही विचार किया जाता है। उसकी धाराओं, उपधाराओं व वाक्यों पर कोई विचार नहीं होता। अन्त में मतदान लेकर विधेयक का अन्तिम निर्णय किया जाता है।

5. विधेयक दूसरे सदन में- एक सदन द्वारा पारित हो जाने पर विधेयक को दूसरे सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक उसी प्रकार से गुजरता है। यदि दोनों सदन सहमत न हों तो दोनों सदनों की एक 'सम्मेलन समिति' में विधेयक पर निर्णय लिया जाता है। सामान्यतः सम्मेलन समिति में गतिरोध दूर कर लिया जाता है, परन्तु ये गतिरोध दूर न किया जा सके तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है।

6. विधेयक राष्ट्रपति के पास- जब विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, या उस पर अपने नियमित निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और अपनी कानूनी आपत्तियों सहित विधेयक को पुनः कांग्रेस के पास भेज सकता है, किन्तु यदि दोनों सदन विधेयक को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पुनः पारित कर दें तो राष्ट्रपति का निषेधाधिकार (Veto) रद्द समझा जाएगा और वह विधेयक कांग्रेस का ऐक्ट बन जाएगा। कांग्रेस के अधिवेशन समाप्त होने के अन्तिम दस दिनों में 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग कर राष्ट्रपति विधेयक का अन्त भी कर सकता है।

11.14 ब्रिटिश तथा अमेरिकी कानून बनाने की प्रक्रिया में अन्तर [Difference in Law-making procedure between the U.S. Congress and British Parliament]

अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद् में कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत कुछ- एक-दूसरे से मिलती-जुलती है। दोनों देशों में तीन वाचन होते हैं, विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है, शासनाध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है, समितियाँ विधेयक पर विचार करती हैं। उक्त समानता के बावजूद भी दोनों देशों की विधि-निर्माण प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है, जो इस प्रकार है-

1. विधेयक के बारे में अन्तर- ब्रिटेन में विधेयक सरकारी एवं गैर-सरकारी, सार्वजनिक एवं असार्वजनिक में विभाजित किए जाते हैं, परन्तु अमेरिका में विधेयकों को इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता। अमेरिका में सरकारी विधेयक नहीं होते क्योंकि राष्ट्रपति या मन्त्रिमण्डल भी जब विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो किसी साधारण सदस्य के माध्यम से ही ऐसा करते हैं।

2. प्रस्तुतीकरण के तरीके में अन्तर- इंग्लैण्ड में विधेयक का प्रस्तुतीकरण तीन विधियों से होता है पहला जिनमें एक साधारण प्रस्तुतीकरण, दूसरा दस मिनट का प्रस्तुतीकरण व तीसरा विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतीकरण कहलाता है। अमेरिका में प्रस्तुतीकरण की विधि इंग्लैण्ड की पहली प्रकार की विधि से मिलती-जुलती है, जिसके अन्तर्गत विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को विधेयक पर केवल अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उस पर एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं होती।

3. प्रथम वाचन के तरीके में भेद- इंग्लैण्ड में यदि प्रथम वाचन के बाद छपाई होती है तो अमेरिका में छपाई ही स्वयं प्रथम वाचन होती है। इंग्लैण्ड में प्रस्तुतीकरण व प्रथम वाचन दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि अमेरिका में समय की दृष्टि से वे दोनों अलग-अलग होते हैं।

4. समिति अवस्था के सम्बन्ध में भेद- इंग्लैण्ड में विधेयक समिति को द्वितीय वाचन के बाद दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका में विधेयक द्वितीय वाचन से पहले समिति को दिए जाते हैं। अमेरिका में समितियों की शक्ति इंग्लैण्ड की समितियों से अधिक है तथा वे ऐसे किसी भी विधेयक को समाप्त करसकती हैं, जिन्हें वे ठीक न समझें। इंग्लैण्ड की समितियाँ किसी विधेयक को सिद्धान्ततः अनुपयोगी समझकर या अन्य किसी कारण से रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकतीं।

5. द्वितीय वाचन के सम्बन्ध में अन्तर- अमेरिका में द्वितीय वाचन से पहले 'समिति स्तर' होता है, जबकि इंग्लैण्ड में द्वितीय वाचन के बाद विधेयक समिति को भेजा जाता है। अमेरिका में द्वितीय वाचन प्रारम्भ होने से पहले एक 'सूची अवस्था' होती है; ब्रिटेन में ऐसी कोई अवस्था नहीं है।

6. तृतीय वाचन के सम्बन्ध में अन्तर- इंग्लैण्ड व अमेरिका दोनों की व्यवस्थापन प्रणाली का तीसरा वाचन प्रायः एक-सा है; पर मतदान के ढंग के विषय में दोनों देशों की प्रणाली में अन्तर है। इंग्लैण्ड में मतदान प्रायः बताने वालों के द्वारा या खड़े होकर होता है; पर अमेरिका में वह जबानी, खड़े होकर बताने वालों के द्वारा तथा 'हाँ' व 'न' कहकर होता है तथा वहाँ प्रायः दूसरा व चौथा ढंग प्रयोग में लाया जाता है।

7. द्वितीय सदन की भूमिका में अन्तर- अमेरिका में कोई भी विधेयक दोनों सदनों के मतैक्य बिना पारित नहीं हो सकता, जबकि इंग्लैण्ड में लार्डसभा व कॉमनसभा में मतैक्य न होने पर लार्डसभा वित्त विधेयक को एक माह तक तथा अन्य विधेयकों को एक साल तक के लिए रोक सकती है।

8. कार्यपालिका की भूमिका में अन्तर- इंग्लैण्ड में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राजा को स्वीकृति प्रदान करनी ही पड़ती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है। वह चाहे तो विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है।

इस प्रकार इंग्लैण्ड और अमेरिका की विधि-निर्माण प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर है।

11.15 अमेरिकी कांग्रेस में समिति प्रणाली [Committee System of the U.S. Congress]

"ये समितियाँ सदन की आँखें, कान, हाथ तथा प्रायः मस्तिष्क भी होती है।" - रीड

ब्रिटिश संसद् की भाँति ही अमेरिकी कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार की समितियों कार्य करती हैं। विस्तार की बातों में यद्यपि दोनों देशों की समिति व्यवस्थाओं में पर्याप्त भिन्नताएँ है, तथापि यदि उत्पत्ति की दृष्टि से व उसके ढाँचे व संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका की समिति व्यवस्था पर इंग्लैण्ड की समिति व्यवस्था की स्पष्ट छाप है। अमेरिका में भी समिति व्यवस्था के प्रचलन का प्रमुख कारण व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि व कांग्रेस के पास समयाभाव रहा है।

अमेरिका में समितियों की शक्ति इंग्लैण्ड की समितियों से अधिक व व्यवस्थापन की प्रक्रिया में उनकी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिका में समितियाँ किसी भी विधेयक को समाप्त कर सकती हैं, परन्तु इंगलैण्ड में समितियों को सभी विधेयक अपने प्रतिवेदन के साथ संसद् को लौटाने पड़ते हैं। इंगलैण्ड की तुलना में अमेरिका की समितियों के अधिक शक्तिशाली होने का कारण अमेरिका की शासन-प्रणाली है। इंगलैण्ड में संसदीय शासन प्रणाली है, अतः व्यवस्थापन की अच्छाई-बुराई का दायित्व मन्त्रिमण्डल पर रहता है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अतः व्यवस्थापन की अच्छाई-बुराई का दायित्व कार्यपालिका पर न होकर कांग्रेस पर रहता है। इसलिए व्यवस्थापन के सम्बन्ध में जो कार्य इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल करता है, अमेरिका में वही कार्य समितियाँ करती हैं। इस प्रकार इंग्लैण्ड की तुलना में समितियों का महत्व अमेरिका में बहुत अधिक है।

11.16 समितियों के प्रकार

[Kinds of Committees]

अमेरिकी कांग्रेस की प्रमुख समितियाँ इस प्रकार है -

1. स्थायी समितियाँ (Standing Committees)- सन् 1946 में समितियों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। संशोधित अधिनियम के आधार पर प्रतिनिधि सदन में 20 और सीनेट में 16 समितियाँ हैं। इनमें 9 से लेकर 50 तक सदस्य संख्या होती है।

प्रतिनिधि सदन में स्थायी समितियों का गठन प्रत्येक नए चुनाव के पश्चात् होता है, परन्तु सीनेट में स्थायी समितियों के कुछ सदस्य दो वर्ष के पश्चात् बदल जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। सीनेट में एक सदस्य एक से अधिक समितियों का सदस्य भी बन सकता है, परन्तु प्रतिनिधि सदन में प्रायः एक सदस्य एक ही समिति का सदस्य रहता है। अमेरिका में समितियों के सदस्यों के चयन में प्रत्येक दल की समिति 'वरिष्ठता' के सिद्धान्त को बहुत अधिक महत्व देती है। वरिष्ठता के नियम के अनुसार ही प्रत्येक समिति का 'चेयरमैन' भी सदन के द्वारा चुना जाता है। व्यवहार में समितियों के 'चेयरमैन' बहुमत दल से लिए जाते हैं।

सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन की स्थायी समितियाँ इस प्रकार है-

	प्रतिनिधि सदन	**सीनेट**
1	कृषि समिति	वैज्ञानिक व अवकाश सम्बन्धी विज्ञान
2	विनियोग समिति	कृषि तथा वन
3	सशस्त्र सेवाएँ	विनियोग
4	बैंकिंग तथा करैन्सी	सशस्त्र सेवाएँ
5	कोलम्बिया जिला	बैंकिंग तथा करैन्सी
6	शिक्षा तथा श्रम	कोलम्बिया जिला
7	वैदेशिक मामले	वित्त
8	सरकारी संक्रिया	वैदेशिक सम्बन्ध
9	सदन का प्रशासन	सरकारी संक्रिया

10	आन्तरिक तथा द्वीपीय मामले	आन्तरिक तथा द्वीपीय मामले
11	अन्तर्राज्यीय तथा वैदेशिक व्यापार	अन्तर्राज्यीय तथा वैदेशिक व्यापार
12	न्यायपालिका	न्यायपालिका
13	समुद्री व्यापार तथा मछलियाँ	श्रम तथा सार्वजनिक कल्याण
14	डाकखाने तथा नागरिक सेवाएँ	डाकखाने तथा नागरिक सेवाएँ
15	सार्वजनिक कार्य	सार्वजनिक कार्य
16	नियम	नियम तथा प्रशासन
17	विज्ञान तथा विमान	
18	अमेरिका-विरोधी गतिविधियाँ	
19	भूतपूर्व कर्मचारियों के मामले	
20	उपाय तथा साधन	

2. विशेष समितियाँ (Special Committees)- ये समितियाँ विशिष्ट उद्देश्य से बनाई जाती है और उनका जीवन तभी तक चलता है जब तक वे अपने उद्देश्य को पूरा करती हैं। इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है और कार्य पूरा होने पर ये समितियाँ समाप्त हो जाती हैं।

3. कान्फ्रेन्स समितियाँ (Conference Committees)- जब प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट में किसीविधेयक के सम्बन्ध में मतभेद हो तब उस मतभेद को समाप्त करने के लिए तात्कालिक रूप से दोनों सदनों के तीन-तीन या पाँच-पाँच सदस्यों को मिलाकर 'सम्मेलन समिति' का गठन किया जाता है। सम्मेलन समिति का उद्देश्य किसी तरह मतभेद समाप्त कर समझौते पर पहुँचना होता है। इस समिति में प्रत्येक सदन के सदस्य इकाई के रूप में मत देते हैं। प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों को उचित निर्देश भी देती है; परन्तु सीनेट के सदस्य मुक्त रूप से कार्य करते हैं।

4. सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole House) इस समिति का प्रयोग भी अमेरिका की व्यवस्थापन प्रक्रिया में अधिकतर किया जाता है। यह समिति

वस्तुतः सदन के सब सदस्यों की होती है। सदन व समिति में अन्तर केवल इतना ही होता है कि सदन की बैठक में सदन का अध्यक्ष सभापतित्व करता है और समिति की बैठक में वह अध्यक्षता नहीं करता है। मेस, जो कि उसका. अधिकार-चिन्ह होता है, मेज के नीचे रख दिया जाता है। समिति की गणपूर्ति 100 सदस्यों की होती है। मुख्य रूप से प्रतिनिधि सदन ही 'सम्पूर्ण सदन की समिति' के रूप में कार्य करता है। सीनेट बहुत ही कम इस समिति के रूप में कार्य करती है। ब्रिटेन की तरह सभी धन विधेयक तो इस समिति के पास आते ही हैं, परन्तु अमेरिका में सामान्य विधेयक भी समिति के सम्मुख आते हैं।

5. नियम समिति (Committee of Rule) - नियम समिति का सम्बन्ध मुख्य रूप से कानूनी प्रक्रिया से है। यह समिति यह भी निश्चित करती है कि सदन का समय किस भाँति सदुपयोग में लाया जाए। जो विधेयक स्थायी समितियों से आते हैं, वे नियम समिति के पास भेजे जाते हैं। जब नियम समिति स्वीकृति देती है, तभी उन पर सदन में विचार होता है। पूर्व में इस समिति का अध्यक्ष स्वयं स्पीकर होता था परन्तु अब अन्य स्थायी समितियों की तरह ही 'नियम समिति' का भी गठन होता है। इस समिति में 12 सदस्य होते हैं।

6. संयुक्त समितियाँ (Joint Committees) कभी-कभी कई ऐसे विषय आ जाते हैं, जिनकी जाँच अथवा अन्य कार्यों के सम्बन्ध में दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे अवसर पर दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एक 'संयुक्त समिति' बनाई जाती है। समिति की सदस्य-संख्या निश्चित नहीं है तथा विषय के महत्व पर निर्भर करती है। समिति का कार्य पूरा हो जाने पर समिति समाप्त हो जाती है।

11.17 ब्रिटिश तथा अमेरिकी समिति व्यवस्था में अन्तर [Difference between American and British Committee System]

अमेरिका की समिति प्रथा ब्रिटेन की समिति व्यवस्था से प्रेरित है। के.सी. व्हीयर के शब्दों में, "इंग्लैण्ड को यदि संसदीय व्यवस्थापन पर गर्व है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापन समितियों का है।" दोनों ही देशों में स्थायी समितियाँ हैं, विशिष्ट समितियाँ है तथा सम्पूर्ण सदन की समितियाँ है, परन्तु दोनों ही देशों की समिति व्यवस्था में निम्नलिखित अन्तर है-

	अमेरिका	ब्रिटेन

1.	अमेरिका में समितियाँ ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हैं। समितियाँ स्वयं ही किसी विधेयक को समाप्त कर सकती हैं।	ब्रिटेन में समितियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं हैं, उन्हें प्रत्येक विधेयक के बारे में अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है।
2.	अमेरिका में सदन में प्रथम वाचन के पश्चात् ही विधेयक समिति को सुपुर्द कर दिया जाता है।	ब्रिटेन में द्वितीय वाचन के पश्चात् विधेयक समिति को सुपुर्द किया जाता है।
3.	अमेरिका में बीस स्थायी समितियाँ हैं। इनका गठन विषयवार होता है। समितियों का अध्यक्ष बहुमत दल का व्यक्ति होता है।	इंग्लैण्ड में पाँच स्थायी समितियाँ हैं। इनका गठन विषयवार नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि समितियों का अध्यक्ष बहुमत दल का हो।
4.	अमेरिका में समितियों का गठन प्रतिनिधि सदन में दोनों दलों के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दी गई सूचियों के आधार पर सदन में चुनाव होता है है। जो की औपचारिकता मात्र है।	इंग्लैण्ड में समितियों का गठन दलों के नेताओं द्वारा मनोनीत की गई चयन समिति द्वारा होता है।
5.	अमेरिका में समितियों का अध्यक्ष मनोनीत करते समय वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाता है।	इंग्लैण्ड में यदि कोई कनिष्ठ सदस्य योग्यता रखता है तो वह भी समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
6.	अमेरिका में विधेयकों का द्वितीय वाचन सम्पूर्ण सदन की समिति में होता है।	इंग्लैण्ड में विधेयकों का द्वितीय वाचन नियमित सदन में होता है।
7.	अमेरिका में दोनों सदनों के नियम निर्धारण और उनमें परिवर्तन के लिए एक पृथक् समिति 'नियम समिति' होती है।	इंग्लैण्ड में इस प्रकार की कोई समिति नहीं होती और सदन की कार्यवाही परम्पराओं पर आधारित होती है।
8.	अमेरिका में समितियों के अध्यक्ष	इंग्लैण्ड में समितियों के अध्यक्ष इतने

	काफी शक्तिशाली होते हैं।	शक्तिशाली नहीं होते।

संक्षेप में, यदि इंग्लैण्ड का संसदीय शासन 'समिति शासन' है तो अमेरिका के अध्यक्षीय ढाँचे में समितियाँ 'छोटा विधानमण्डल' हैं। इंग्लैण्ड की अपेक्षा अमेरिका में समितियों की शक्तियाँ अधिक हैं और वह अधिक प्रभावशाली है।

11.18 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. प्रतिनिधि सभा के सदस्य किसे चुने जाते हैं?
a) राष्ट्रपति b) जनता
c) राज्य सरकार d) कांग्रेस

2. प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
a) राष्ट्रपति b) कांग्रेस के सदस्य
c) राज्य सरकार d) प्रधानमंत्री

3. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में समिति प्रणाली का उद्देश्य क्या है?

4. वित्तीय कार्य में क्या शामिल होता है?
a) सरकारी धन का संग्रहण और वितरण
b) कानून निर्माण
c) चुनावी प्रक्रिया
d) विदेशी नीति

5. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कानून बनाने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं?
a) 3 b) 5
c) 6 d) 7

11.19 सार संक्षेप

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा अमेरिकी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानून बनाने, प्रशासन की निगरानी और जनहित में निर्णय लेने का कार्य करती है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनके द्वारा चुनी गई नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। इसके कार्यों में वित्तीय कार्य, समितियों के माध्यम से कानूनों पर चर्चा और अमेरिकी समाज के विभिन्न मुद्दों पर बहस शामिल है। इसकी संरचना और कार्यों की समझ से हम लोकतांत्रिक प्रणाली के बेहतर संचालन को समझ सकते हैं।

उत्तर 1 : b) जनता
उत्तर 2 : b) कांग्रेस के सदस्य
उत्तर 3 : विभिन्न मुद्दों पर विचार और निर्णय लेने के लिए विशेष समितियाँ बनाई जाती हैं।,

उत्तर 4 : a) सरकारी धन का संग्रहण और वितरण,
उत्तर 5 : c) 6

11.19 मुख्य शब्द

- विधायिका (Legislature) – कानून बनाने का कार्य।
- निर्वाचन (Election) – प्रतिनिधियों का चयन।
- सांसद (Representative) – प्रतिनिधि सभा के सदस्य।
- जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व (Population-based Representation) – राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों की संख्या।
- विधायी प्रक्रिया (Legislative Process) – प्रस्तावित कानूनों का निर्माण और पारित होना।
- महत्वपूर्ण भूमिका (Critical Role) – राष्ट्रपति के लिए महत्त्वपूर्ण बिलों को पारित करने में भूमिका।
- अध्यक्ष (Speaker) – प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, जो सभापति का कार्य करता है।

11.21 संदर्भ ग्रन्थ

- शर्मा, र. (2018). *अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और उसकी भूमिका.* दिल्ली: विद्या प्रकाशन.
- मिश्रा, S. (2020). *अमेरिकी कांग्रेस का इतिहास और संरचना.* मुंबई: विज्ञान पुस्तकालय.
- कुमार, P. (2021). *अमेरिकी लोकतंत्र और उसका कार्यव्यवस्था.* पटना: ज्ञान प्रकाशन.
- यादव, A. (2022). *वित्तीय कार्य और समितियों का विश्लेषण.* कोलकाता: पुस्तकगृह.
- सिंह, N. (2023). *अमेरिकी कानून निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन.* जयपुर: राज प्रकाशन.

11.22 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के संगठन, शक्तियों एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए।

2. उन कारणों को स्पष्ट कीजिए कि यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा चुनी हुई एवं प्रतिनिधि संस्था है, तथापि वह अशक्त है।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव, शक्तियों एवं पद प्रतिष्ठा का परीक्षण कीजिए।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में विधि-निर्माण-प्रक्रिया (व्यवस्थापन) की विवेचना कीजिए।
5. संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में समिति व्यवस्था का परीक्षण कीजिए।
6. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के गठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।

इकाई -12

अमेरिकी व्यवस्थापिका : सीनेट

[AMERICAN LEGISLATURE: THE SENATE]

12.1 प्रस्तावना

12.2 उद्देश्य

12.3 सीनेट की रचना

12.4 सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ

12.5 प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण

12.6 सीनेट की आलोचना तथा दोष

12.7 क्या सीनेट सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है?

12. 8 सार संक्षेप

12. 9 मुख्य शब्द

12.10 स्वप्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर-

12.11 संदर्भ ग्रन्थ

12.12 अभ्यास प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

"संयुक्त राज्य की सीनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों की शासन-व्यवस्था में द्वितीय सदन की शक्तियों का ह्रास हुआ है, पर सीनेट की शक्तियों में वृद्धि हुई है।" *-लिंडसे रोजर्स*

सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन या उच्च सदन है। सीनेट अमेरिकी राजनीति का प्रमुख केन्द्र है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि सीनेट केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं होगी, न वह कांग्रेस का एक समस्तरीय (Co-equal) सदन होगी, बल्कि वह "समूची संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी" (backbone of the whole federal system) होगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने सीनेट को महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की।

ब्रोगन ने लिखा है, "सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती है। राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, दो वर्ष के बाद प्रतिनिधि सदन समाप्त हो जाता है, परन्तु सीनेट बनी रहती है।" सर हैनरी मेन के शब्दों में, "जब से आधुनिक लोकतन्त्र का ज्वार चढ़ा है तब से जितनी भी संस्थाओं का निर्माण हुआ, उनमें सीनेट केवल एकमात्र पूर्णतया सफल संस्था रही है।" सीनेट के महत्व को प्रतिपादित करते हुए हरमन फाइनर लिखते हैं, "सीनेट को उसके कार्यों के साथ कांग्रेस योजना से निकाल दीजिए और आपके न केवल निम्न सदन को पूर्ण विधायिनी कार्यवाही ही सौंप देनी होगी, प्रत्युत राष्ट्रपति और प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग भी नष्ट करने होंगे।"

"अमेरिकी सीनेट को हटाने का अर्थ संघ सरकार की आँतें निकाल देनी हैं।" वस्तुतः सीनेट अमेरिकी प्रशासन-यन्त्र की धुरी है। यदि उसे निकाल दिया जाए तो अमेरिकी शासन व्यवस्था धराशायी हो जाएगी।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. अमेरिकी सीनेट के संगठन और संरचना को समझ सकेंगे।
2. सीनेट के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया और कार्यकाल के बारे में जान सकेंगे।
3. अमेरिकी सीनेट के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों का विश्लेषण कर सकेंगे।
4. सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच के अंतर और उनके कार्यों को समझ सकेंगे।
5. सीनेट में बिलों के विचार, संशोधन और पारित होने की प्रक्रिया को जान सकेंगे।
6. अमेरिकी सीनेट के प्रमुख कार्यों जैसे विदेश नीति, न्यायिक नियुक्तियां और अभियोजन के संदर्भ में उनके अधिकारों को पहचान सकेंगे।
7. सीनेट के इतिहास और उसकी राजनीतिक भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।
8. अमेरिकी राजनीति में सीनेट की भूमिका के अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में महत्व को समझ सकेंगे।

12.3 सीनेट की रचना [Organisation]

संविधानव्यवस्था का मेरुदण्ड बनाने का -निर्माताओं ने सीनेट को अमेरिकी का संघ- प्रयास किया था। सीनेट के सम्बन्ध में उनका यह विचार थाकि वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करे और संघ शासन में उन्हें प्रमुख स्थान दे। इसीलिए यह निश्चय किया गया कि सभी राज्यों को, चाहे वे छोटे हों या बड़े, सीनेट में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आजकल अमेरिका में पचास राज्य हैं। प्रत्येक राज्य को, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। इस प्रकार सीनेट राज्यों की समानता के सिद्धान्त पर गठित है। संविधान में राज्यों की समानता को समाप्त करने पर रोक है। किसी भी राज्य को उसकी स्वीकृति के बिना समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता।

सीनेट का निर्वाचन) Election) अमेरिकी संविधान के 17वें संशोधन के अनुसार सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। वे ही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सदन के निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रत्येक सीनेटर का सदन में एक वोट होता है। यदि सीनेट में कोई स्थान खाली हो जाए तो जिस राज्य से स्थान खाली हुआ है, वहाँ का राज्यपाल चुनाव के लिए आदेशपत्र जारी करेगा। जब तक - चुनाव न हो तब तक उस स्थान को भरने के लिए उस राज्य का विधानमण्डल कार्यपालिका को अधिकार दे सकेगा। सभी सीनेट के ताजा चुनाव 4 नवम्बर, 2008 को संपन्न हुए और जनवरी 2009 की स्थिति के अनुसार 56 सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी से, 41 रिपब्लिकन पार्टी से तथा 2 निर्दलीय हैं। वर्तमान में 17 महिलाएँ सीनेट की सदस्य है तथा 1789 में सीनेट के गठन से लेकर अब तक 37 महिलाएँ सीनेट की सदस्य निर्वाचित हो चुकी हैं।

अवधि) Term) - सीनेटरों की अवधि छह वर्ष है, परन्तु उनका एकतिहाई भाग प्रति दो - वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। सीनेट स्थायी सदन है और विघटन नहीं हो सकता। निवृत्त होने वाले सदस्य दुबारा चुने जा सकते हैं। चूँकि जनता पुराने, अनुभवी व्यक्तियों को ही अधिक पसंद करती है, इसलिए कई सीनेटर तो लगातार 30 से भी अधिक वर्षों तक इसके सदस्य रहे हैं।

योग्यताएँ) Qualifications) सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए -

(1) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(2) वह सं अमेरिका का .रा.9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए।

(3) वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो।

सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार) Salary) सीनेट के सदस्यों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार वही है जो कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के हैं। सीनेट के सदस्यों को 1,69,300 डालर वार्षिक वेतन मिलता है, इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। सदस्यों को भाषण देने की स्वतन्त्रता है। सीनेट में दिए गए भाषण के कारण उनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए।

अधिवेशन) Sessions) - अमेरिकी संविधान के बीसवें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सदन के साथ आरम्भ होता है। दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक वे अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास न करें। यदि दोनों सदनों में स्थगन की तिथि के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है।

सीनेट का सभापति) Chairman) अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। वह सभापति के सभी सामान्य कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन इस क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से कम है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। वह वास्तव में बहुमत दल का मनोनीत सदस्य या नेता होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

12.4 सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ [Powers and Functions]

अमेरिकी सीनेट की शक्तियाँ बड़ी व्यापक हैं। वह संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन है। लास्की ने उसे प्रतिनिधि सभा की स्वामिनी कहा है। उसकी शक्तियाँ इस प्रकार हैं-

1. विधायी शक्तियाँ - सीनेट की मूल शक्तियाँ व्यवस्थापन सम्बन्धी है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के क्षेत्र में दोनों सदन समानपदी हैं और उनके अधिकार समान हैं।

जहाँ तक वित्त विधेयकों का सम्बन्ध हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाए। पर केवल प्रस्तुतीकरण को छोड़कर अन्य सब बातों में सीनेट किसी भी वित्त विधेयक को पूर्णतः संशोधित कर सकती है। वस्तुतः कोई विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जाता, जब तक सीनेट उसे पारित न कर दे।

साधारण विधेयकों के विषय में दोनों सदनों की शक्तियाँ सब प्रकार से समान है। ये विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ये तब तक पारित नहीं समझे जाते, जब तक दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर लें। यदि किसी विषय पर कांग्रेस के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो उसको हल करने के लिए 'सम्मेलन समिति' स्थापित की जाती है। इस समिति से अधिकतर लाभ सीनेट को रहता है क्योंकि उसके सदस्य अधिकतर कुशल और अनुभवी होते हैं।

संवैधानिक विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों सदनों की स्थिति पूर्णतः समान है। दोनों ही सदनों में संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए दोनों सदनों के द्वारा दोतिहाई बहुमत से स्वीकृत - किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यपालिकाशक्तियाँ-- कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा से भी बढ़कर है तथा वह राष्ट्रपति पर नियन्त्रण स्थापित करती है।

लार्ड ब्राइस के शब्दों में, "इसकी रजामन्दी के बिना प्रतिनिधि सभा कुछ भी काम पूर्ण नहीं कर सकती है। इसके अवरोध से राष्ट्रपति मात खा सकता है।"

कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की महत्वपूर्ण प्रथम शक्ति सन्धियों के विषय में है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई सन्धियाँ तब तक पूर्ण नहीं समझी जाएँगी, जब तक सीनेट उन्हें अपने दोतिहाई बहुमत से स्वीकार न कर ले और तभी वे सन्धियाँ देश - नीति के क्षेत्र में-पर लागू होंगी। इससे सीनेट विदेशराष्ट्रपति की शक्ति का भागीदार बन गई है। अमेरिका के इतिहास में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब सीनेट ने सन्धियों को अस्वीकृत या संशोधित किया है। सन् 1919 ईमें सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा . की गई वर्साय सन्धि को अस्वीकार कर दिया। सन्1789 से 1934 तक सीनेट ने 173 सन्धियों को संशोधित किया तथा 15 सन्धियों को अस्वीकार कर दिया। जॉन हे का इस सम्बन्ध में अभिमत है, "सीनेट में पुष्टिकरण हेतु जाने वाली सन्धि अखाड़े में जाने वाले साँड के समान है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर अन्तिम प्रहार किस प्रकार और कब होगा, परन्तु एक बात निश्चित है कि वह अखाड़े से जीवित बाहर नहीं आएगी।"

सीनेट की दूसरी प्रमुख कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों के पुष्टिकरण की है। इस पुष्टिकरण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि सिर्फ सीनेट के परामर्श तथा स्वीकृति पर ही राजदूतों, मन्त्रियों, न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। इस शक्ति के द्वारा भी सीनेट राष्ट्रपति पर अपना अंकुश बनाए रखती है। फाइनर के शब्दों में, "दोनों

सभाओं तथा सीनेट व राष्ट्रपति के बीच शक्ति के जिस सन्तुलन की स्थापना होती है, उसमें सीनेट की इस शक्ति के द्वारा केवल यही निर्धारण नहीं होता कि कानून को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाएगी, वरन् वह उस लेनदेन के बीच उस मुहरे - का काम भी करती है, जिससे नीति का निर्धारण होता है। "•

सीनेट की तीसरी कार्यपालिकाशक्ति विविध विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच - करना है। इस विषय में उसका निर्णय अन्तिम होता है। इस शक्ति के कारण सीनेट प्रशासन पर नियन्त्रण रखती है।

युद्ध की घोषणा की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट द्वारा भी प्रदान की जानी आवश्यक

3. न्याय सम्बन्धी शक्तियाँ- न्यायिक क्षेत्र में भी सीनेट की शक्ति बड़े महत्व की है। सीनेट को है। संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गम्भीर अपराध के कारण हटाने का अधिकार होगा। अभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा का है। सीनेट महाभियोग की जाँच न्यायालय की हैसियत से करेगी। ऐसे अवसरों पर वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य, जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करेगा। किसी भी व्यक्ति को सीनेट के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दोतिहाई बहुमत के बिना दण्डित घोषित - करने का अधिकार न होगा। जिस व्यक्ति को दोषी घोषित किया जाएगा उस पर देश के कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकेगा। राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में 'वाटरगेट काण्ड' को उद्घाटित करने के लिए सीनेटर जेम्स इर्विन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति ने महत्वपूर्ण जाँच प्रारम्भ की थी जिससे राष्ट्रपति निक्सन को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा।

4. निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ- सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करती है और परिणामों की घोषणा करती है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो, तो सीनेट पहले दो प्रत्याशियों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है। इस हेतु प्रत्येक सीनेटर का एक मत होता है। जिस प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है वह उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है।

उपर्युक्त शक्तियों के कारण ही सीनेट का अधिक महत्व है। लास्की का कथन ठीक ही है कि विधायी क्षेत्र में केवल सीनेट का महत्व है और जनता उसकी ओर ही ध्यान देती है। लार्ड ब्राइस ने भी लिखा है, "सीनेट शासन में आकर्षण का केन्द्र है। एक ओर तो

वह प्रतिनिधि सभा की लोकतन्त्र की आकांक्षा को और दूसरी राष्ट्रपति की राजतन्त्र की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सत्ता है।लास्की के शब्दों में .प्रो ", "अमेरिकी सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदनों से अधिक सफल संस्था रही है और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में तो यह विशिष्ट रूप में सफल रही है।"

12.5 प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण [Reasons of Senate's powerful position in comparison to the House of Representatives]

प्रतिनिधि सदन अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम एवं निम्न सदन है और सीनेट द्वितीय एवं उच्च सदन है। संसार के अधिकांश देशों में प्रथम सदन अधिक शक्तिशाली होता है जबकि अमेरिका में कांग्रेस की द्वितीय सदन सीनेट अत्यधिक शक्तिशाली है। प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के शक्तिशली होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं-

1. संविधाननिर्माताओं की इच्छा- संविधाननिर्माता सीनेट को एक शक्तिशाली सदन - बनाना चाहते थे ताकि वह राष्ट्रपति पर नियन्त्रण रख सके, संघात्मक ढाँचे की रक्षा कर सके और लोकप्रिय सदन के जोश को ठण्डा कर सके। प्रोमुनरो ने लिखा है ., "यह कोई भूल नहीं है कि संविधाननिर्माताओं ने संविधान में कांग्रेस के उल्लेख के समय - "सीनेट का नाम पहले लिखा है।

2. लम्बी अवधि- सीनेट की अवधि प्रतिनिधि सदन से तिगुनी है। जबकि प्रतिनिधि सदन दो वर्ष के लिए चुना जाता है तो सीनेट छह वर्ष के लिए चुनी जाती है। सीनेट स्थायी सदन है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को अपने चुनाव के बाद ही अगले चुनाव की चिन्ता लग जाती है जबकि सीनेटर को छह वर्ष तक अपने नए चुनाव की चिन्ता नहीं रहती है। प्रो .लास्की के अनुसार, "सीनेटर की लम्बी अवधि, यदि उसमें योग्यता है तो, विशाल व्यक्तित्व उत्पन्न करने का अवसर देती है तथा वह प्रतिनिधि सभा के साधारण सदस्य के मुकाबले में अच्छे और विस्तृत दृष्टिकोण से समस्याओं पर विचार कर सकता है।"

3. सीनेट एक गौरवशाली संस्था- अपनी महत्वपूर्ण शक्तियों के कारण सीनेट एक गौरवशाली संस्था बन गई है। अमेरिका के राजनीतिज्ञों की यह एक महत्वाकांक्षा रहती है कि वे सीनेट के सदस्य बनें। सीनेट का सदस्य अत्यधिक सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। सीनेट का स्तर इतना ऊँचा है कि पोटर के अनुसार अमेरिका के सभी बड़े राजनीतिज्ञ यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर जगमगाने लगते हैं।

4. सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन- आजकल सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तथा सीनेट के सदस्य जनता के प्रतिनिधि माने जाने लगे हैं। पहले वे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा चुने जाते थे। इसलिए अब सीनेट की लोकप्रियता सदन से कम नहीं रह गई है। सीनेट इस लोकप्रियता में प्रतिनिधि सदन से एक कदम आगे बढ़ गई है क्योंकि जहाँ प्रतिनिधि सदन के सदस्य अपने स्थानीय चुनावक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं-, वहाँ सीनेट के सदस्य समूचे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. सीनेट का लघु आकार- रचना व उसकी क्रियाप्रणाली है। पर-, जो उसके समक्ष रखी जाती सीनेट के इतने अधिक शक्तिशाली होने का एक अन्य कारण उसकी सीनेट केवल 100 सदस्यों की एक छोटीसी सभा है-, जो उन समस्याओं हैं, लगभग 435 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा से अधिक अच्छी तरह सेविचार कर सकती है। परिणामस्वरूप जनता की दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ता है और वह दिनप्रतिदिन - लास्की ने लिखा है .शक्तिशाली होती जाती है। प्रो, "इसके छोटे स्वरूप के कारण इसमें विपक्षी दलों या विपक्षी गुटों में वह द्वेषभाव उत्पन्न नहीं होता जो प्रायः इंग्लैण्ड की कॉमनसभा में हो जाता है।"

6. सीनेट में वादविवाद की स्वतन्त्रता-- सीनेट की कार्यविधि ऐसी है कि उसमें सदस्यों के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। वहाँ कोई भी सदस्य कितने ही समय बोल सकता है। इसको 'फिलिबस्टर' कहा जाता है। परिणामस्वरूप यहाँ विषयों पर विचार अधिक पूर्णता के साथ होता है। सीनेट में बोलने के लिए अधिक समय मिल जाता है, इसलिए प्रतिभाशली व्यक्ति सीनेट का ही सदस्य बनना पसन्द करता है। सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रतिनिधि सदन में बोलने के लिए कम समय मिलता है।

7. सीनेट की विशिष्ट शक्तियाँ- प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट को संविधान द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों का पुष्टिकरण सीनेट द्वारा आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी सन्धियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है तथा सीनेट को जाँच की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सीनेट अमेरिका के शासनतन्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण और गौरवशाली निकाय है। मेडीसन के शब्दों में, "वह जनता की रक्षा उसके शासकों से करती है, जनता की रक्षा उसके कानूनों से करती है तथा जनता की रक्षा अपनी स्वयं की कुभावनाओं से करती है।प्रतिनिधि सभा के सदस्य सीनेट की सदस्यता प्राप्त " करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अमेरिका में जिन राजनीतिज्ञों का महत्व रहता है, वे अवश्य ही सीनेट के सदस्य रह चुके होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने

के लिए सीनेट ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है। राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की तुलना में सीनेटर अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि, "कई कार्य ऐसे हैं जो सीनेट और प्रतिनिधि सदन आपसी सहयोग से और राष्ट्रपति के सहयोग के बिना कर सकते हैं, अन्य कुछ कार्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और सीनेट प्रतिनिधि सदन के सहयोग के बिना कर सकते हैं; किन्तु ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सीनेट की सहायता के बिना केवल राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सदन के सहयोग से किया जा सके।चार्ल्स " बियर्ड के शब्दों में, "अपनी शिल्प चातुरी, लम्बे अनुभव तथा अपनी योग्यता पेंच में सीनेट प्रतिनिधि सभा से सदा बाजी मार ले जाती -के कारण दाव (राजनीतिक) "है।

सीनेट की प्रतिष्ठा का तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करते हुए डी - टॉकविले ने लिखा है . वाशिंगटन की प्रतिनिधि सभा में घुसने पर इस" महती सभा के गँवारू ढंग पर नजर पड़ती है। इसमें कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं दिखाई देता है इस स्थान के कुछ ही दूरी पर सीनेट के दरवाजे हैं जिसके छोटे से स्थान में अमेरिका के अधिकांश प्रसिद्ध व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। इसमें मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा, जिसका जीवन मेहनत तथा क्रियाशीलता से न भरा हुआ हो। सीनेट में ओजस्वी भाषण देने वाले वकील, बड़ेबड़े योद्धा-, बुद्धिमान मजिस्ट्रेट तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होते हैं जिनके भाषण यूरोप के उल्लेखनीय संसदविदों के भाषणों से कम महत्वपूर्ण नहीं होते।"

12.6 सीनेट की आलोचना तथा दोष

अमेरिकी सीनेट एक अत्यन्त शक्तिशाली द्वितीय सदन है, किन्तु निम्नलिखित दोषों के कारण इसकी आलोचना की जाती है-

1. फिलिबस्टर- सीनेट के सदस्यों को भाषण देने की अपूर्व स्वतन्त्रता प्राप्त है। कोई भी सदस्य जब तक चाहे अमेरिकी सीनेट में बोल सकता है। इस प्रकार उसके बोलते रहने की शक्ति को 'फिलिबस्टरिंग' (Filibustering) कहते हैं। फिलिबस्टर से अभिप्राय 'बे-लगाम होना'। सीनेटर रोबिन्सन के शब्दों में, "एक बार जब कोई सीनेट का सदस्य भाषण करना प्रारम्भ कर देता है तो फिर सर्वशक्तिमान भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।"

हरमन फाइनर के अनुसार, "यह प्रथा अमेरिका की विधायी पद्धतियों में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है।फिलिबस्टर वह प्रथा ह "ै जिसके अनुसार कई सीनेटर एक साथ मिलकर बारबार भाषण देते हैं जिससे कि विचाराधीन विधेयक का अधिनियम बनना - रुक जाए या उसके सम्बन्ध में कुछ वांछित रियायतें मिल जाएँ। दूसरे शब्दों में कभी निषेधाधिकार तक पहुँच जाती -फिलिबस्टर एक बार की बाधक नीति है जो कभी

है। फिलिबस्टर में चूँकि सीनेटर जब तक चाहे बोल सकता है, अतः वह अपनी बात समाप्त करने तक सारे विधायन को रोक सकता है। फिलिबस्टर करने वाले सीनेटर के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रासंगिक ही बोले, अतः जो कुछ भी वह बोलता है, उसके लिए आवश्यक नहीं कि वह विषय से सम्बद्ध ही हो। सीनेटर को केवल यही करना है कि वह बोलता चले। एक बार सीनेटर टिलमैन घंटों तक बायरन की कविता पढ़ते रहे थे। एक अन्य अवसर पर सीनेटर हाफ्लिन सदन को घंटों तक अपनी कविताएँ और अपने निजी पत्र सुनाते रहे थे। सबसे लम्बा फिलिबस्टरिंग भाषण सीनेटर मोर्स ने दिया था, वे 22 घंटे 26 मिनट तक बोलते रहे थे। इस प्रकार सीनेट में भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है।

भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकने के लिए सीनेट की कार्यविधि में परिवर्तन किया गया एवं कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं) -i) कोई भी सदस्य एक विषय पर एक दिन में दो बार से अधिक नहीं बोल सकता है, (ii) दिन के अन्त में विचार स्थगित करने के स्थान पर थोड़ा अवकाश लेकर सीनेट फिर अनिश्चित समय तक कार्य कर सकती है, (iii) यदि कोई 16 सीनेटसदस्य इस बात का प्रस्ताव रखें कि किसी विचाराधीन - विधेयक पर विचार करना समाप्त कर दिया जाए और यदि उनकायह प्रस्ताव सीनेट द्वारा दोतिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिया जाए-, ए तो उसके बाद इस विधेयक पर अथवा उसके संशोधनों पर कोई भी सीनेट सदस्य एक घंटे से अधिक नहीं बोल सकता।

सन् 1917 से 1953 के मध्य इस प्रतिबन्ध का केवल चार बार ही प्रयोग हुआ है और फिलिबस्टर प्रथा अभी तक वैसीवैसी बनी हुई है। इस प्रथा की कई बार कठोर -की- आलोचना हुई है क्योंकि इसकी वजह से अल्पमत भारी बहुमत की इच्छा का विरोध करने में सफल हो जाता है, लेकिन सीनेटर इसको त्यागने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं है।

2. सीनेट का शिष्टाचार- सीनेट का शिष्टचार या सद्भाव)Sentorial Courtesy) एक परम्परा है। इस परम्परा के अनुसार सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की हुई केन्द्रीय नियुक्तियों को यह सोचकर स्वीकार कर लेती है कि राष्ट्रपति राज्यों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में उनकी इच्छाओं का आदर करेगा। राजकीय नियुक्तियों के इसी प्रकार बँटवारे के कारण नियन्त्रण व सन्तुलन के सिद्धान्त ने सौदेबाजी का रूप धारण कर लिया है और जिसका परिणाम यह हुआ है कि प्रशासन में भाईभतीजावाद एवं भ्रष्टाचार बढ़ा है। - अपनों -वस्तुतः सीनेट के शिष्टचार की प्रथा के कारण सीनेट व राष्ट्रपति के बीच अपने को पदासीन करने का बंटवारा होता है।

3. सीनेट समाज का दर्पण नहीं- सीनेट में छोटेबड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व - प्राप्त है। लिंडसे के अनुसार अमेरिका के आधे से अधिक सीनेटर वहाँ की1/5 से कम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इससे सीनेट का प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप फीका पड़ जाता है।

4. लॉग रोलिंग - लॉग रोलिंग से तात्पर्य है 'लकड़ी के गोलचार -गोल लट्ठे को दो-मजदूरों द्वारा लुढ़काना'। अमेरिका की सीनेट में विधिनिर्माण द्वारा विधेयक को आगे - बढ़ानेकी पद्धति को लॉग रोलिंग)Log Rolling) कहते हैं। राईट पाटमैन के अनुसार विधायकों के बीच परस्पर समझौता जिसके द्वारा वे एक विधेयक को पारित करने में - का सहयोग इसी आशा से करते हैं कि वह भी ऐसे ही किसी (सीनेटर) किसी विधायक विधेयक को पारित करने में उनकी सहायता करेगा लॉग रोलिंग कहलाता है। इस प्रथा से सार्वजनिक हित के बजाय संकुचित हित एवं न्यस्त स्वार्थों को लाभ पहुँचता है।

5. सीनेट की अलाभकारी स्थिति- यदि सीनेट में उस दल का बहुमत है जिसका राष्ट्रपति नहीं है तो यह राष्ट्रपति का विरोध करती है। इससे शासन में गतिरोध पैदा होता है। सीनेट के शिष्टाचार की दूषित प्रथा के कारण निजी हितों की पूर्ति के लिए सीनेट के सदस्य राष्ट्रपति पर नियन्त्रण नहीं रख पाते हैं।

6. दोषपूर्ण रचना- सीनेट राज्यों की समानता पर आधारित है। राज्यों की समानता के इस सिद्धान्त की कई लेखकों ने तीव्र आलोचना की है। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक बतलाया है, क्योंकि इसके अन्तर्गत 1.80 करोड़ जनसंख्या वाले न्यूयार्क और 1.20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नेवाडा दोनों राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

12.7 क्या सीनेट सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है? [Senate as the most powerful Second Chamber in the World]

प्रोमुनरो के अनुसार ., "अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है।जहाँ विश्व के अन्य देशों में द्वितीय सदनों की शक्ति में हास हुआ है ", वहाँ सीनेट की शक्ति में वृद्धि हुई है। जहाँ विश्व के अन्य द्वितीय सदन द्वितीय श्रेणी)Secondary) के सदन बन गए है, वहाँ अमेरिकी सीनेट ने प्रथम सदन का स्थान ले लिया है।

विश्व के अधिकतर उच्च सदन अपनी शक्ति खो बैठे हैं और सिर्फ संवैधानिक प्रतिष्ठा के हकदार रह गए हैं। विश्व के द्वितीय सदनों की शक्ति के सामान्य हास के बावजूद अमेरिकी उच्च सदन ने विपरीत प्रवृत्ति दिखलाई है। उसकी शक्ति में हास नहीं बल्कि वृद्धि हुई है। विश्व के अन्य द्वितीय सदन द्वितीय श्रेणी के सदन बन गए हैं। जबकि

अमेरिकी सीनेट ने प्रथम सदन का स्थान ले लिया है। मुनरो का यह कथन सत्य प्रतीत होता है किऐसा समय न कभी हुआ और न कभी आएगा" , जब कांग्रेस के दूसरे सदन का दूसरा दर्जा हो जाए। सीनेट का वह अन्त होने की सम्भावना नहीं दिखती जो दूसरे देशों के उच्च सदनों का हुआ है, क्योंकि इसकी संवैधानिक शक्तियाँ बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है।एफ स्ट्राँग .सी ", के अनुसार सीनेट की बहुत अधिक शक्तियाँ हैं। शायद " संसार का कोई ऐसा द्वितीय सदन नहीं होगा जो राष्ट्रीय सरकार के सभी मामलों में ब्राइस के अनुसार "वास्तविक और सीधा महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो ।, "सीनेट संविधान निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुई है। वह शासन का गुरुत्वाकर्षण केन्द्र बन गई है। वह एक ओर तो प्रतिनिधि सभा के प्रजातन्त्रात्मक उतावलेपन और दूसरी ओर राष्ट्रपति की तानाशाही ढंग की महत्वाकांक्षाओं को रोकने और ठीक करने में समर्थ हुई है।कुछ कार्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और सोनेट " हैस्किन के कथनानुसार " बिना प्रतिनिधि सभा की सम्मति के कर सकते हैं; और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो प्रतिनिधि सभा और सीनेट बिना राष्ट्रपति की सम्मति के कर सकते हैं; परन्तु बिना सीनेट की सम्मति के राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा अपेक्षाकृत बहुत कम कार्यवाही कर सकते हैं।"

12. 8 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन को क्या कहते हैं?
   (a) प्रतिनिधि सदन (b) सीनेट
   (c) संसद (d) विधान सभा
2. सीनेट में कितने सदस्य होते हैं?
   (a) 50 (b) 100
   (c) 435 (d) 200
3. सीनेट में प्रत्येक राज्य से _______ सदस्य होते हैं।
4. अमेरिकी व्यवस्थापिका का उच्च सदन _______ कहलाता है।

12. 9 सार संक्षेप

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सीनेट 'अपने युग का सर्वाधिक आश्चर्यजनक आविष्कार' (The more wonderful invention of our time) है। यह सदन संसार के द्वितीय सदनों में अद्वितीय है। अपने प्रभाव एवं प्रतिष्ठा के कारण सीनेट अमेरिकनों की आँख का तारा बन गई है। संक्षेप में, सीनेट अमेरिकी शासनप्रणाली में - गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र बन गई है।

सीनेट अमेरिकी संघीय विधायिका का उच्च सदन है, जिसमें 100 सदस्य होते हैं। यह विधायी प्रक्रिया, कार्यकारी नियुक्तियों की पुष्टि, और महाभियोग की सुनवाई जैसे कार्य करता है। प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति के कई निर्णयों के लिए आवश्यक होती है। हालांकि, आलोचक इसे धीमी और गैरलोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतीक मानते हैं।-

उत्तर 1 : (b) सीनेट, **उत्तर 2** : (b) 100,**उत्तर 3** : दो, **उत्तर 4** : सीनेट,

12. 10 मुख्य शब्द

- **सीनेट**: अमेरिकी संघीय विधायिका का उच्च सदन।
- **द्विसदनीय प्रणाली**: दो सदनों वाली विधायिका प्रणाली।
- **महाभियोग**: राष्ट्रपति या अन्य उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाने की प्रक्रिया।
- **प्रस्तावना**: किसी विषय का परिचयात्मक विवरण।
- **विधायी प्रक्रिया**: कानून बनाने की प्रक्रिया।

12.11 संदर्भ ग्रन्थ

- अरोड़ा, एन. (2017). *अमेरिकी संविधान एवं विधायिका का अध्ययन*. नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान।
- शर्मा, पी. (2019). *द्विसदनीय विधायिका और लोकतंत्र*. जयपुर: राज पब्लिशिंग।
- सिंह, आर. (2021). *संविधान का तुलनात्मक अध्ययन*. वाराणसी: भारती बुक्स।
- जोन्स, टी. (2023). *अमेरिकन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स टुडे*. न्यूयॉर्क: सेंगेज लर्निंग।
- मिश्रा, के. (2022). *लोकतांत्रिक संस्थाओं का विश्लेषण*. मुंबई: यूनिवर्सल पब्लिशर्स।

12.12 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. अमेरिकी सीनेट के संगठन, अधिकार तथा कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
2. "अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है।इस कथन " की विवेचना कीजिए।

3. अमेरिकी सीनेट के अधिकारों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए और उन कारणों का भी उल्लेख कीजिए जिनसे प्रतिनिधि सदन से इसकी स्थिति सबल है।
4. 'सीनेट एक शक्तिशाली सदन है।' व्याख्या कीजिए ।
5. अमेरिकी सीनेट के संगठन के कार्य एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए।
6. "अमेरिकी सीनेट के विरुद्ध सब कुछ कहने के बावजूद कहा जा सकता है कि यह अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी सफलता है। "व्याख्या कीजिए ।

इकाई -13

अमेरिका की संघीय न्यायपालिका

[FEDERAL JUDICIARY IN THE U.S.A.]

13.1 प्रस्तावना

13.2 उद्देश्य

13.3 संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता

13.4 अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का संगठन

13.5 सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

13.6 सर्वोच्च न्यायालय की कार्य-प्रणाली

13.7 सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

13.8 न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार

13.9 सर्वोच्च न्यायालय का महत्व

13.10 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

13.11 सार संक्षेप

13.12 मुख्य शब्द

13.13 संदर्भ ग्रन्थ

13.14 अभ्यास प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

"संवैधानिक विवादों के अन्तिम निर्णायक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का विकास शासन-विज्ञान को अमेरिकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देनों में से एक है।"

- मुनरो

अमेरिकी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट महत्व है। हैस्किन ने सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कहा है, "यह अनेक बातों में अमेरिकी राजनीतिक पद्धति में सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व तथा विश्व का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन है। "फाइनर के शब्दों में, "विशाल शक्तियों वाला ऐसा न्यायालय राजनीति विज्ञान को अमेरिका की सर्वाधिक मौलिक और सर्वाधिक विशिष्ट देन है। "ब्राइस के अनुसार "अमेरिकी शासन

की अन्य किसी विशेषता ने यूरोपियनों के मन में इतनी अधिक जिज्ञासा जाग्रत नहीं की, इतना अधिक विवाद का अवसर नहीं दिया, इतनी अधिक प्रशंसा नहीं की और न इतनी अधिक गलतफहमी को स्थान दिया जितना सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए कर्तव्यों और संविधान की मेहराब के रूप में किए गए इसके कार्यों ने।"

अमेरिका की संघीय न्यायपालिका, संविधान द्वारा स्थापित तीन मुख्य शाखाओं कार्यपालिका), विधायिका और न्यायपालिकामें से एक है। इसका गठन न् (याय और विधि के शासन को बनाए रखने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और संघीय कानूनों की निष्पक्ष व्याख्या व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए संविधान द्वारा संरक्षित है।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. अमेरिका की संघीय न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे।
2. अमेरिका के संघीय न्यायालयों की भूमिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय और जिला न्यायालयों को पहचान सकेंगे।
3. अमेरिकी संघीय न्यायपालिका के स्वतंत्रता और कार्यों को संविधानिक संदर्भ में समझ सकेंगे।
4. अमेरिकी न्यायपालिका के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन और संघर्ष को विश्लेषित कर सकेंगे।
5. अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके प्रभाव को अमेरिकी राजनीति और समाज में समझ सकेंगे।
6. सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों, जैसे *Marbury v. Madison* और *Brown v. Board of Education* की भूमिका को समझ सकेंगे।
7. संघीय न्यायपालिका में न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके कार्यकाल को जान सकेंगे।
8. अमेरिकी न्यायपालिका के निर्णयों और उनके प्रभावों को समझकर उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

13.3 संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता [Need for the Federal Judiciary]

हैमिल्टन के अनुसार, "राज्यमण्डल" का सबसे बड़ा दोष 'न्यायपालिका-शक्ति का अभाव' था। राष्ट्रीय न्यायपालिका के अभाव में समस्त न्यायिक विवाद राज्यों के न्यायालयों द्वारा निपटाए जाते थे। राज्यों की न्यायिक व्यवस्था के पृथक् पृथक् होने के कारण प्रायः परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाते थे। फलतः अनिश्चितता एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे दूर करने के लिए एक संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। यदि संविधान तथा इसकी विधियाँ व सन्धियाँ राष्ट्र के सर्वोच्च नियम हैं तो यह आवश्यक है कि किसी एक शक्ति द्वारा उनकी व्याख्या की जाए तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त संघात्मक शासन व्यवस्था में केन्द्र तथा राज्यों के बीच आपस में विवाद पैदा होने की सम्भावना रहती है।' इन विवादों को दूर करने के लिए एक सर्वमान्य मध्यस्थ की आवश्यकता होगी जो समस्त राज्यों तथा संघ के हितों से ऊपर हो और निष्पक्ष रूप से इनके झगड़ों को निपटाए। इन्हीं कारणों से अमेरिकी संविधान में राष्ट्रीय न्यायपालिका का अभ्युदय हुआ जो शक्तियों के समन्वय और सन्तुलन तथा नागरिक, राज्यिक एवं संघीय अधिकारों का रक्षक भी बनाया गया है। मुनरो के शब्दों में, "संविधान-निर्माताओं ने निश्चय किया कि संविधान तथा उसके अधीन बने कानूनों तथा नियमों को कार्यान्वित करने के लिए एक स्वतन्त्र तथा शक्तिशाली संघीय न्याय-व्यवस्था की स्थापना हो।"

13.4 अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का संगठन [Composition of Federal Judiciary in the U.S.A.]

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि, "संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी, जिनको कांग्रेस विधि द्वारा समय-समय पर स्थापित करेगी।" इस अनुच्छेद के अनुसार संघीय न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा संघीय कार्यपालिका के समकक्ष रखा गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को 'आदेशित' बनाया गया है। निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व कांग्रेस की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य निम्न न्यायालयों की स्थापना सन् 1789 ई. के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा हुई है। वर्तमान में संघीय न्यायपालिका में तीन श्रेणी के न्यायालय है -

जिला न्यायालय (District Courts) -

यह संघीय न्यायालय का सबसे निम्न श्रेणी का न्यायालय है। समस्त देश को अनेक जिलों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय आवश्यक है। वर्तमान में जिला न्यायालयों की संख्या 88 है। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम-से-कम एक न्यायाधीश होता है या कार्य की अधिकता के कारण अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किन्तु सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। इनका अधिकार-क्षेत्र केवल मौलिक है। अपील सम्बन्धी अभियोग इन न्यायालयों में नहीं आते हैं।

परिभ्रमण न्यायालय (Circuit Courts of Appeals) -

यह मध्यम श्रेणी का न्यायालय है। इनकी संख्या 11 है तथा सम्पूर्ण देश दस क्षेत्रों में बाँटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक-एक सर्किट का भार सौंप दिया जाता है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में उसके समेत 6 सर्किट न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायालयों का कोई प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि इसका अधिकार-क्षेत्र मुख्यतः अपील के सम्बन्ध में है। इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों तथा संघीय अभिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है। ये न्यायालय अपील के अन्तिम न्यायालय नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय को उनके निर्णयों के पुनर्विलोकन का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय [Supreme Court]

संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्चस्तरीय न्यायालय 'सर्वोच्च न्यायालय' है। इसकी अवस्था अमेरिकी संविधान में की गई है। इसकी स्थापना सन् 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम इसे न्यूयार्क नगर की बाल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था और वर्तमान समय में यह वाशिंगटन में स्थित है।

13.5 सर्वोच्च न्यायालय का संगठन [Composition]

सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है। सन् 1789 ई. में न्यायाधीशों की संख्या 9 निश्चित कर दी गई जो आज तक चली आ रही है। अतः आजकल सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 सह-न्यायाधीश हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; किन्तु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा आवश्यक है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द कर सकती है। उदाहरणार्थ, सन् 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा नियुक्त फोर्टास को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी। सन्

1970 में राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तावित क्लेमेण्ट हिसवर्थ और हेरल्ड कार्सवेल को सीनेट ने तीव्र जाँच-पड़ताल के बाद न्यायाधीश पद के लिए अस्वीकार कर दिया।

न्यायाधीशों का कार्यकाल- अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश पद पर नियुक्त होता है। वह अपने 'सदाचार काल' तक न्यायाधीश बना रहता है। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर, पूरे वेतन पर, पदमुक्त हो सकता है। उसे केवल महाभियोग द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार मृत्यु होने या ऐच्छिक त्यागपत्र से न्यायाधीश अपने पद से हटता है। परिणामस्वरूप कुछ न्यायाधीश तीस-तीस वर्षों तक अपने पद पर रहे।

यदि किसी व्यक्ति ने दस वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है अथवा यदि वह पन्द्रह वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है और उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे जीवनपर्यन्त अपने पद का पूरा वेतन प्राप्त होगा। यह न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर है कि वह 70 वर्ष की आयु के बाद भी अवकाश ग्रहण करे अथवा न करे।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ - न्यायाधीशों की योग्यता के सम्बन्ध में अमेरिकी संविधान चुप है। लेकिन प्रायः उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्यातिप्राप्त वकील, कानून के प्राध्यापक, सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रशासकीय अभिकरणों के परामर्शदाता रह चुके हों। टॉकविले ने उनकी योग्यताओं को इन शब्दों में बहुत ही उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया है, "संघीय न्यायाधीशों को न केवल अच्छे नागरिक, विद्वान तथा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए।" आगे वे कहते हैं - "यदि सर्वोच्च न्यायालय में कभी नासमझ या बुरे नागरिक आ जाएँ तो संघ में अराजकता एवं गृहयुद्ध फैलने की संभावना है।" व्यवहार में न्यायाधीशों के चयन में पक्षपात ने महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। राष्ट्रपति जिस दल के थे, उसी दल के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ की गई। फिर भी चार्ल्स वारेन का यह कथन उल्लेखनीय है, "नियुक्ति चाहे पक्षपातपूर्ण ढंग से हुई हो, परन्तु न्यायाधीश बनने के बाद व्यक्तियों ने अपनी निष्पक्षता बनाए रखी है।"

न्यायाधीशों का वेतन- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी वेतन एक बार निर्धारित कर दिया जाए, उसमें न्यायाधीश की पदावधि में वृद्धि तो हो सकती है, परन्तु कटौती नहीं हो सकती है।

महाभियोग - अमेरिकी कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा दो-तिहाई बहुमत से न्यायाधीश पर आरोप लगाती है। उसके

बाद सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर उन आरोपों की जाँच करती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाएँ और सीनेट इस हेतु दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे, तो न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। अब तक 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाए गए और इनमें से केवल 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग सफल हुए हैं।

13.6 सर्वोच्च न्यायालय की कार्य-प्रणाली [Working of the Supreme Court]

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारम्भ होता है और जून के शुरू में समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है। मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता तथा न्यायालय के निर्णयों और आज्ञाओं की घोषणा करता है। मुकदमे की सुनवाई तथा निर्णय के लिए छह न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। मुकदमे का निर्णय बहुमत से होता है।

13.7 सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार [Powers and Jurisdiction of the Supreme Court]

मुनरो के शब्दों में "अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इतनी अधिक है जितनी दुनिया के किसी न्यायालय ने बहुत ही कम प्रयुक्त की है।"

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं -

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार- सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक न्याय-क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। इस सम्बन्ध में संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि "उन सब मामलों में जिनका सम्बन्ध राजदूतों से, राज्य के मन्त्रियों से अथवा अन्य दौत्य अधिकारियों से हो और उन सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारम्भिक होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे विवाद भी जिनमें संघ और राज्य या राज्यों के मध्य विवाद हो, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में आते हैं।"

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार- सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा न्याय-क्षेत्र अपील सम्बन्धी है, परन्तु अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में नहीं हो सकती, जिन मामलों में निम्न स्तर के न्यायालयों के निर्णयों से किसी पक्ष को सन्तोष न हो और न ऐसा ही है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को

अपील की जा सके। सन् 1925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल निम्नलिखित विषयों तक सीमित कर दिया गया है।

(a) जिनमें संघीय कानून तथा सन्धियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो।

(b) जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा सन्धि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो जबकि राज्यों के न्यायालय राज्य के उस कानून को वैध ठहराएँ।

इसके अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, जिनमें उच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे।

c. न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार- सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार न्यायिक निरीक्षण का है। इस अधिकार के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता पर विचार करता है तथा उन्हें वैध या अवैध घोषित करता है। इस वैधता का निर्णय दो कसौटियों पर होता है प्रथम, राज्य विधानमण्डल को संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को निर्मित करने का अधिकार है या नहीं? द्वितीय, कानून विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है या नहीं?

d. संविधान तथा अधिकारों का संरक्षक- सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेश, परमादेश तथा लेख आदि के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वह संविधान की व्याख्या करता है तथा संविधान की रक्षा करता है।

c. अन्य अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय अन्य छोटे-मोटे कार्य भी करता है। उसे अनेक प्रशासनिक कार्यों को करना पड़ता है। अपने कर्मचारियों से सम्बन्धित अनेक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता और इस दृष्टि से वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्नता रखता है।

13.8 न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार [Power of Judicial Review]

न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जाँच करना। डिमॉक के अनुसार, "न्यायिक पुनर्निरीक्षण, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका

या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से सम्बन्धित अपने सामने आए मुकदमों में, न्यायालय द्वारा उस जाँच को कहते हैं, जिसके अन्तर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा प्रतिबन्धित है या नहीं, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या नहीं।" कॉरविन के शब्दों में, "न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है, जो उन्हें अपने न्याय-क्षेत्र के अन्तर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध में तथा कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और इसलिए व्यर्थ समझें।" सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मार्शल ने सन् 1803 में 'मार्बरी बनाम मेडीसन' के मामले में निर्णय देते हुए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी थी : "न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या ये एक लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं।"

अमेरिका में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार- अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सन् 1803 में एक विवाद 'मार्बरी बनाम मेडीसन' के निर्णय में की।

यह विवाद इस तरह उत्पन्न हुआ कि 3 मार्च, 1801 की रात्रि को राष्ट्रपति एडम्स ने मार्बरी को कोलम्बिया जिले का 'शान्ति न्यायाधीश' नियुक्त कर दिया, परन्तु आदेश के जारी करने के पश्चात् राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई। उस समय तक वह आदेश मार्बरी के पास नहीं पहुंचा था। नए राष्ट्रपति जेफरसन ने तुरन्त पद सम्हाला और मेडीसन को अपना राज्य सचिव नियुक्त कर दिया। मेडीसन मार्बरी की नियुक्ति के विरुद्ध था, इसलिए उसने राष्ट्रपति एडम्स के आदेश को मार्बरी तक पहुँचाने से रोक दिया। मार्बरी ने मेडीसन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग चलाया।

मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मेडीसन के कार्य को अवैध ठहराया तथा अपने निर्णय में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए -

(1) यह निश्चित रूप से न्याय विभाग का कर्तव्य और अधिकार है कि वही यह बता सकता है कि कानून क्या है। जो लोग किसी विशेष नियम को किसी मामले पर लागू करते हैं वे ही उक्त नियम की व्याख्या करते हैं और वे ही उक्त नियम का निर्वचन करते हैं।

(2) यदि दो कानून एक-दूसरे के विरुद्ध होंगे तो न्यायालय ही निश्चित करेंगे कि दोनों कानून किस सीमा तक लागू हो सकते हैं।

(3) उसी प्रकार यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा और यदि किसी मामले में उक्त कानून और संवैधानिक कानून दोनों ही लागू होंगे तो न्यायालय को देखना होगा कि वह उक्त मामले या विवाद पर संविधान की किस मान्यता के आधार पर निर्णय दे।

(4) यदि न्यायालय संवैधानिक कानून को सर्वोच्च कानून मानता है और यदि संविधान साधारण विधानमण्डलों से श्रेष्ठतर और उच्चतर है तो ऐसे किसी मामले पर, जिसमें संविधान भी और साधारण कानून भी लागू होता है, संविधान को ही मुख्यता प्रदान की जाएगी और उसके सामने सामान्य कानून असंवैधानिक घोषित हो जाएगा।

निर्णय के परिणाम -

'मार्बरी बनाम मेडीसन' विवाद में दिए गए निर्णय से अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जो इस प्रकार हैं -

(i) संविधान की सर्वोच्चता- फरगूस एवं मैकहैनरी के अनुसार, "यद्यपि निर्णय की आलोचना की जाती है तो भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण का सिद्धान्त अमेरिकी शासन-प्रणाली का एक मजबूत भाग बन गया है।" अब अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च कानून है। संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल बनाया गया कोई कानून वैध नहीं है। यदि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के प्रतिकूल है तो सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर दे।

(ii) संविधान की सुरक्षा- सर्वोच्च न्यायालय की इस अद्वितीय शक्ति के कारण हयूजेस ने कहा था कि हम संविधान के अधीन रह रहे हैं किन्तु संविधान वही है जिसे न्यायाधीश बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा संविधान की रक्षा की है। राज्यों के अनेक कानूनों को, जो कि संघीय संविधान के विरुद्ध थे, अवैध घोषित करके इसने संघीय संविधान तथा कानूनों की रक्षा की है।

(iii) न्यायालय तीसरा सदन- न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण न्यायालय तीसरा सदन बन गया है। लास्की ने लिखा है कि न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। बोगन का भी मत है कि न्यायिक निरीक्षण का प्रभाव यह है कि अमेरिका का न्यायालय तीसरा सदन बन गया है।

न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षा के अपने अधिकार द्वारा केवल पहले से बनी हुई विधियों का निर्वचन तथा उनके अर्थ का स्पष्टीकरण ही नहीं करते हैं, वे नये कानूनों का सृजन

भी करते हैं। न्यायालय विधियों की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अर्थ लगाते हैं। दूसरे शब्दों में वे विधियों को नया अर्थ देते हैं। विधियों को इस प्रकार नया अर्थ देने में नई विधियों का निर्माण होता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को 'कांग्रेस का तृतीय सदन' (Third Chamber of the Congress) कहा गया है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा संविधान की रचना भी की जाती है। इस प्रकार विधियों का जो निर्माण होता है उसे 'न्यायिक रचना' (Judicial Construction) कहते हैं।

(iv) नियन्त्रण व सन्तुलन - न्यायिक निरीक्षण का एक परिणाम यह भी हुआ है कि इसके द्वारा नियन्त्रण तथा सन्तुलन का सिद्धान्त क्रियान्वित हो सका है। मुनरो का कथन है कि, "यदि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का प्रचलन न होता तो अमेरिका की शासन-व्यवस्था में पचास प्रतिद्वन्द्वी राज्यों के परस्पर विरोधी हितों के कारण भारी अराजकता उत्पन्न हो जाती।"

(v) संघात्मकता की रक्षा- यह न्यायिक निरीक्षण का परिणाम है कि अमेरिकी संघ अब तक सुरक्षित रहा है। न्यायमूर्ति होम्स ने भी इस बात पर बल दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा अत्यन्त आवश्यक है। उसके अनुसार, "मेरा निश्चित मत है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकने के अधिकार से वंचित हो जाएगा तो हमारा संघ अवश्य खतरे में पड़ जाएगा।" सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव राज्यों के ऊपर अंकुश रखा है और उनको अपने अधिकार-क्षेत्र में रोके रखा है।

(vi) मतभेदों का निवारण- इसी शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के दो अन्य मुख्य विभागों - कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच के सभी झगड़ों को ठीक-ठीक निपटाया है और दोनों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोका है। इस आधार पर कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी शासन व्यवस्था का सन्तुलन-चक्र है। फाइनर के शब्दों में, "सर्वोच्च न्यायालय वह सीमेंट है जिसने समस्त संघीय ढाँचे या महल को मजबूती से जमाए रखा है।"

(vii) न्यायिक सर्वोपरिता - सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निरीक्षण की शक्ति द्वारा संविधान को परिवर्तित किया है तथा समय के अनुसार उसको नई दिशा भी प्रदान की है। इस शक्ति द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के विधानमण्डलों द्वारा निर्मित 300 कानूनों और संघीय कांग्रेस द्वारा निर्मित 480 कानूनों को अवैध घोषित किया है। इसी तरह चौदहवें संशोधन के अन्तर्गत 'कानून की उचित प्रक्रिया' उपबन्ध को व्याख्या इसने इस तरह की कि प्रो. कॉरविन के शब्दों में, "राज्य के कानून को निषिद्ध करने की इसे स्वविवेकी शक्ति मिल गई।"

(viii) राज्य की अपेक्षा संघ की शक्ति सुदृढ़ होना- इस शक्ति का अन्य संवैधानिक प्रभाव यह हुआ कि राज्य की तुलना में संघ की स्थिति दृढ़ हो गई। 'मैकूलोक बनाम मेरीलैण्ड' (1819) में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को राज्य विधान के विरुद्ध बैंक की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया, यद्यपि संविधान में कांग्रेस को ऐसा कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 'बाउन बनाम मेरीलैण्ड' (1827) के निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने वैदेशिक व्यापार को संचालित करने का अधिकार संघीय सरकार को दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्यापार, वाणिज्य और वित्त के क्षेत्र में संघीय सरकार के हाथ को बहुत मजबूत बना दिया।

(ix) रूढ़िवादिता को प्रश्रय - सर्वोच्च न्यायालय ने कई सामाजिक तथा आर्थिक विधियों को रद्द किया। 'हैमर बनाम डेजनहर्ट' (1918) विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के उस कानून को अवैध घोषित किया जिसके द्वारा उसने बच्चों के श्रम से उत्पादित वस्तुओं को वाणिज्य से निष्कासित करने की चेष्टा की। सन् 1922 में 'बेली बनाम फर्नीचर कम्पनी' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के श्रम को उन्मूलित करने के कांग्रेस के प्रयास को विफल किया। सन् 1933-36 में तेरह कानूनों को अवैध घोषित कर सामाजिक-आर्थिक विधायन को विफल करने की प्रवृत्ति चोटी पर पहुँच गई। फलस्वरूप न्यायालय के इस अधिकार के विरुद्ध आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इसके बाद न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और उसने उदार मार्ग अपनाना शुरू किया।

न्यायिक पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया- सर्वोच्च न्यायालय अपने-आप ही किसी कानून की वैधता की जाँच नहीं करता। जब उसके पास कोई ऐसा कानून आता है जिसमें संघ या राज्य के किसी कानून को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय को अपना निर्णय देना पड़ता है।

न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र- न्यायिक निरीक्षण का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। न केवल कांग्रेस के बनाए कानून अपितु अमेरिका के राज्यों के संविधान, उनके द्वारा बनाए गए कानून, सन्धियाँ जो संघ सरकार द्वारा दूसरे देशों से की जाएँ तथा संघ और राज्यों की कार्यपालिकाओं द्वारा जारी किए गए आदेश शामिल हैं।

न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना (Criticism) अनेक विद्वानों ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार की आलोचना की है। आलोचकों के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं-

1. लोकमत और प्रजातन्त्र की उपेक्षा- कांग्रेस देश की प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस राष्ट्र तथा लोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। अतः कांग्रेस द्वारा बनाए हुए कानूनों को

अवैध घोषित करके सर्वोच्च न्यायालय लोकमत और लोकतान्त्रिक भावना की उपेक्षा करता है।

2. शक्ति-पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल- अमेरिकी शासन-प्रणाली की मौलिक विशेषता शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त है। । इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक् हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति कांग्रेस और कार्यपालिका से सर्वोच्च हो जाती है, जिससे शक्ति पृथक्करण की भावना का अन्त हो जाता है।

3. राजनीतिक निर्णय- सर्वोच्च न्यायालय की नीति और निर्णयों में एकरूपता का अभाव रहा है। अनेक अवसरों पर न्यायालय के निर्णय विशुद्ध वैधता पर आधारित न होकर न्यायाधीशों की अपनी मान्यताओं और उनके अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित रहे हैं। न्यायाधीशों के निर्णय राजनीतिक पुट लिए हुए होते हैं। गेल्स के अनुसार, "न्यायाधीशों के विचार उसी प्रकार परिवर्तनशील है जिस प्रकार कि नकली सिल्क के रंग परिवर्तनशील होते हैं और वे राजनीतिक धूप के कारण शीघ्र बदल जाते हैं।"

4. पुनर्निरीक्षण का संवैधानिक आधार नहीं- अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।

5. प्रगतिशीलता में बाधक- सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग करके अनेक प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में गम्भीर बाधा उपस्थित की है। 'राष्ट्रीय पुनरुद्धार ऐक्ट', 'कृषि आयोजन ऐक्ट' जैसी प्रगतिशील विधियों को रद्द करके न्यायालय ने अपने को सम्पत्तिशाली वर्ग का संरक्षक ही घोषित कर दिया।

6. कांग्रेस का तीसरा सदन- इस शक्ति द्वारा न्यायालय ने कांग्रेस के तीसरे सदन का रूप ग्रहण कर लिया है। लोकतन्त्र में न्यायालय की ऐसी स्थिति अनुचित है क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति तो जन-प्रतिनिधियों को ही प्राप्त होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमण्डल की स्थिति प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने कहा था कि, "न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय को यदि तृतीय व्यवस्थापिका सदन बना रहने दिया गया तो, इससे देश की प्रगति रुक जाएगी और लोक-कल्याणकारी कार्यों का प्रतिपादन नहीं हो सकेगा।"

न्यायिक पुनर्निरीक्षण का महत्व -

सामान्य अमेरिकी दृष्टिकोण न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रशंसक है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसका खूब खुलकर प्रयोग किया है। निम्नलिखित तकों के आधार पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण का समर्थन कता है किया जा सकता-

1. संविधान की पवित्रता की रक्षा- अमोघ अस्त्र है। संविधान की रक्षा करते भी देश की रक्षा की है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण संविधान की पवित्रता की रक्षा का एक हुए उसने लोकतन्त्र लोकतन्त्र के के आदेश तथा प्रशासन की मनमानी से

2. संघ प्रणाली की रक्षा- संघात्मक शासन-व्यवस्था में जहाँ केन्द्र और राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ यह उचित ही नहीं, बल्कि आवश्यक भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति हो।

3. कानून की वैधता पर विचार- कांग्रेस की अपेक्षा न्यायालय कानूनों की वैधता पर समुचित विचार कर सकता है। न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं और फिर न्यायालय तटस्थ भाव से कानून की वैधता पर विचार करने का सामर्थ्य रखता है।

4. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय- न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों की प्रान्तीयता की संकुचित प्रवृत्ति को रोकने का भी कार्य किया है और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया है।

5. नागरिक अधिकारों की रक्षा- इस शक्ति द्वारा न्यायालय ने नागरिक अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा का कार्य किया है।

6. राजनीतिक दलबन्दी से ऊपर- आमतौर से सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दलबन्दी से ऊपर होता है। वह राजनीतिक दलबन्दी से ऊपर रहकर संविधान की रक्षा करता है।

13.9 सर्वोच्च न्यायालय का महत्व [Significance of the Supreme Court]

अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की कार्य-प्रणाली एवं गौरवमय इतिहास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायालय है। कार्यपालिका न्यायाधीशों को पदच्युत नहीं कर सकती। आजीवन न्यायाधीश अपने पदों पर बने रह सकते हैं। न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया अत्यन्त कठोर है और व्यवहार में उसका क्रियान्वयन कठिन है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से यह प्रकट होता है कि उसका इतिहास स्वतन्त्रता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता की कहानी है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय लोकतन्त्र का प्रहरी एवं स्वाधीनता की सुदृढ़ चट्टान कहा जा सकता है। प्रो. मुनरो के शब्दों में, "ऐसी

शक्तियों से सुशोभित ऐसा न्यायालय अमेरिकी संविधान की राजनीति-विज्ञान को एक अनुपम भेंट कहा जा सकता है।" लास्की ने कहा है कि, "अमेरिका के संघीय न्यायालय तथा उससे भी अधिक वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को जितना सम्मान प्राप्त है उतना ही संयुक्त राज्य के जीवन पर उनका प्रभाव भी है।"

सर्वोच्च न्यायालय का महत्व और मूल्य निम्न उक्तियों से ध्वनित होता है-

1. सर्वोच्च न्यायालय विधानमण्डल का तीसरा सदन है- प्रो. लास्की ने कहा है कि "अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वस्तुतः उस देश की कांग्रेस का तृतीय सदन है।" सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक कार्य करने के साथ-साथ विधि-निर्माण का भी कार्य करता है। जिस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी विधि की समीक्षा करने बैठते हैं, उस समय वे संविधान के शब्दों में ही नहीं जाते, बल्कि उस समय उनके जो निजी विचार होते हैं उनके अर्थों में संविधान के उपबन्धों को पढ़ते हैं। कानून वह है जिसे सर्वोच्च न्यायालय बताता है, वह कानून नहीं है जिसे कांग्रेस पारित करती है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अपने अधिकार का प्रयोग सर्वोच्च न्यायलय ने वस्तुतः इतने प्रभाव के साथ किया है कि संविधान के विषय में ही लोग यह कहने लगे हैं कि "संविधान वस्तुतः वही है, जो उसे न्यायाधीश लोग बताएँ।" !

2. सर्वोच्च न्यायालय एक सतत संविधान-निर्माता निकाय है- जेम्स बैंक ने लिखा है कि "सर्वोच्च न्यायालय केवल एक न्यायालय मात्र नहीं है। वह तो किन्हीं विशेष अर्थों में एक सतत् संविधान-निर्माता निकाय है। यह लगातार सन् 1787 के संविधान बनाने वाले सम्मेलन का स्थायी निकाय है और उसी संविधान के निर्वचन द्वारा समय की गति और आवश्यकता के अनुरूप ढलता चला जा रहा है।" संविधान की व्याख्याओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की कठोरता को कम किया है और उसके सतत् विकास में, बिना औपचारिक संशोधनों के सहायता पहुँचाई है। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया है।

3. सर्वोच्च न्यायालय स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता का प्रहरी- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता का अनुमान 'वाटरगेट कांड' से लगाया जा सकता है। 'वाटरगेट कांड' के अपराधियों को दण्डित करने में न्यायाधीश जॉन सिरिका की भूमिका उल्लेखनीय रही। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को आदेश दिया कि वे व्हाइट हाउस के 64 टेप और उनसे सम्बन्धित दस्तावेज विशेष महाधिवक्ता को सौंप दें। राष्ट्रपति निक्सन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की उपेक्षा न कर सके।

संक्षेप में, "सर्वोच्च न्यायालय वह सीमेंट है जिसने सम्पूर्ण संघीय ढाँचे को पक्का जमा रखा है।" न्यायमूर्ति फेंकफर्टर के शब्दों में, "सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है।" सर्वोच्च

न्यायालय ने आधुनिक काल में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। इसी कारण समय-समय पर राष्ट्रपति रूजवैल्ट तथा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जो प्रस्ताव इसके सुधार के लिए रखे गए, वे सब अस्वीकार कर दिए गए।

13.10 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. अमेरिका में संघीय न्यायपालिका कितने स्तरों में संगठित है?
   (a) दो (b) तीन
   (c) चार (d) पाँच
2. न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है?
   (a) जिला न्यायालय (b) अपीलीय न्यायालय
   (c) सर्वोच्च न्यायालय (d) सभी न्यायालय
3. संघीय न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   (a) कानूनों का निर्माण करना
   (b) कानूनों का समान अनुपालन सुनिश्चित करना
   (c) कर संग्रह करना
   (d) चुनाव कराना
4. संघीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय __________ है।
5. __________ प्रक्रिया के तहत न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है।

13.11 सार संक्षेप

इस प्रकार अमेरिकी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं केन्द्रीय स्थान प्राप्त है। वह कुछ मामलों में राष्ट्रपति और कांग्रेस से भी अधिक शक्तिशाली है। वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और संविधान का निर्वचनकर्ता)Interpreter of the Constitution) है। वह निश्चित करता है कि कौनसी परिस्थिति में कौनसी विधि न्यायोचित है तथा संविधान के किस अनुच्छेद का क्या अर्थ है। वह संविधान को नया अर्थ देता है और नई विधि की रचना करता है। वह संविधान का प्रहरी)The Watch dog of the Constitution) है। एफहैस्किन के .जे . शब्दों में, "यह शासकीय यंत्र का संतुलन चक्र है। जब लोकमत के झकोरों से सरकार के अन्य विभाग हिल जाते हैं तब वह अपना न्यायिक संतुलन बनाये रखता है।"

अमेरिका की संघीय न्यायपालिका संघीय ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो न्याय वितरण और संवैधानिकता की रक्षा करती है। इसका संगठन तीन स्तरों पर हैजिला न्यायालय :,

अपीलीय न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य संघीय कानूनों का समान अनुपालन सुनिश्चित करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्निरीक्षण के माध्यम से कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है और संविधान का अंतिम व्याख्याता है।

उत्तर 1 : (b) तीन, **उत्तर 2 :** (c) सर्वोच्च न्यायालय,**उत्तर 3 :** (b) कानूनों का समान अनुपालन सुनिश्चित करना,**उत्तर 4 :** सर्वोच्च न्यायालय,**उत्तर 5 :** न्यायिक पुनर्निरीक्षण

13.12 मुख्य शब्द

- **संघीय न्यायपालिका**: संघीय स्तर पर न्याय प्रणाली का संगठन।
- **सर्वोच्च न्यायालय**: संघीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय।
- **न्यायिक पुनर्निरीक्षण**: कानूनों और नीतियों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की प्रक्रिया।
- **अपीलीय न्यायालय**: उन मामलों की सुनवाई करता है जो जिला न्यायालयों से अपील में आते हैं।
- **जिला न्यायालय**: संघीय स्तर पर मामलों की प्रारंभिक सुनवाई का न्यायालय।

13.13 संदर्भ ग्रन्थ

- भारतीय संविधान पर आधारित संघीय ढांचा। (2017). नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग।
- शर्मा, आर. (2020). न्यायिक प्रणाली: एक अध्ययन। जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
- सिंह, एस. (2021). संघीय न्यायपालिका का संगठन। लखनऊ: प्रकाशन भारती।
- जोन्स, टी. (2022). **The Federal Judiciary in the USA**. Oxford: Oxford University Press.
- मिश्रा, के. (2023). न्यायिक पुनर्निरीक्षण और इसका प्रभाव। पटना: विद्या प्रकाशन।

13.14 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

2. न्यायिक पुनर्निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? अमेरिका में न्यायिक पुनर्निरीक्षण के कार्यकरण की विवेचना कीजिए।
3. "अमेरिकी संविधान न्यायिक पुनर्निरीक्षण से गतिशील है।" इस कथन की समीक्षा कीजिए।
4. "न्यायिक पुनर्निरीक्षण के प्रयोग द्वारा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय वस्तुतः तृतीय सदन बन गया है।" कैसे?
5. अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

1. सर्वोच्च न्यायालय का गठन।
2. न्यायिक पुनर्निरीक्षण से अभिप्राय।

इकाई -14

अमेरिकी दल प्रणाली

[THE U.S. PARTY SYSTEM]

14.1 प्रस्तावना

14.2 उद्देश्य

14.3 अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास

14.4 अमेरिकी दलों की विशेषताएँ

14.5 अमेरिकी दलों के सिद्धान्त एवं नीतियाँ

14.6 अमेरिका में दलीय संगठन

14.7 अमेरिका में राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप

14.8 अमेरिकी दल प्रणाली की आलोचना

14.9 इंगलैण्ड की दल प्रणाली से तुलना

14.10 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

14.11 सार संक्षेप

14.12 मुख्य शब्द

14.13 संदर्भ ग्रन्थ

14.14 अभ्यास प्रश्न

14.1 प्रस्तावना

"अमेरिका में केवल एक दल 'रिपब्लिकन-कम-डेमोक्रेटिक' है, जो आदतों और पद की होड़ के द्वारा दो समान भागों में विभाजित है और जिसमें एक का नाम रिपब्लिकन तथा दूसरे का डेमोक्रेटिक है।" -हरमन फाइनर

अमेरिकी दल प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो अमेरिका में राजनीतिक विचारों, नीतियों, और सत्तासंरचना को आकार देने का कार्य - करती है। यह प्रणाली दो प्रमुख दलों, **डेमोक्रेटिक पार्टी** और **रिपब्लिकन पार्टी**, के इर्दगिर्द केंद्रित है-, हालांकि स्वतंत्र और तृतीय पक्ष भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह

प्रणाली देश में राजनीतिक स्थिरता और मतदाताओं को स्पष्ट विकल्प प्रदान करने में सहायक है।

अमेरिका की राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी दल प्रणाली, जिसमें मुख्यतः दो प्रमुख दल — डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी — शामिल हैं, लोकतंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक है। यह प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है और इसमें कई विशेषताएँ एवं चुनौतियाँ हैं। इस इकाई में अमेरिकी दल प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. अमेरिकी दल प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे।
2. अमेरिकी राजनीतिक दलों के इतिहास, विकास और उनके प्रमुख विचारधाराओं का अध्ययन कर सकेंगे।
3. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दलों की अंतर-आधारित नीतियों और दृष्टिकोणों का विश्लेषण कर सकेंगे।
4. अमेरिकी दल प्रणाली के दो दलों के शासन में हुए बदलावों और उनके प्रभावों पर चर्चा कर सकेंगे।
5. अमेरिका में चुनावी प्रणाली और राजनीतिक दलों की भूमिका को समझ सकेंगे।
6. अमेरिकी दल प्रणाली के विभिन्न पहलुओं जैसे, प्राथमिक चुनाव, पार्टी प्लेटफार्म और चुनावी अभियानों का अध्ययन कर सकेंगे।
7. अमेरिका में तीसरे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों की भूमिका और उनके प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।
8. अमेरिकी दल प्रणाली के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान और चुनौतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।

14.3 अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास [Evolution of Political Parties in the U.S.A.]

लार्ड ब्राइस का कथन है कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का जन्म वहाँ की परिस्थितियों की देन है। प्रारम्भ में अमेरिका के धनी लोग राजा के प्रति निष्ठा रखने का

दावा करते थे तथा दूसरा पक्ष उन लोगों का था जो संख्या में बहुत अधिक थे, किन्तु निर्धन व साधनहीन थे। इस दलबन्दी का अस्तित्व स्वतन्त्रतायुद्ध के दौरान ही समाप्त - हो गया।

प्रथम राष्ट्रपति वाशिगटन के काल में ही दोनों दलों की रूपरेखा बन गई थी। वैसे तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में व्यक्ति दो वर्गों में बँटे हुए थे। एक वर्ग शक्तिशाली केन्द्र के पक्ष में था। हैमिल्टन और उनके समर्थकों को फेडरलिस्ट कहा गया। इनके विरुद्ध दूसरे वर्ग के लोग केन्द्र के विरुद्ध थे और राज्यों की स्वतन्त्रता के पक्षधर थे। इनके समर्थक जेफरसन और उनके साथी थे। इन्हें रिपब्लिकन्स कहा जाने लगा। आगे चलकर ये ही गुट राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गए।

सन् 1901 में जेफरसन राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने दल का नाम 'डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी' रखा। सन् 1824 तक रिपब्लिकन दल के हाथों में सत्ता रही, परन्तु इसी समय कुछ आर्थिक परिवर्तनों के कारण दलीय राजनीति में उथल पुथल हुई। सन्-1828 में जैक्सन को राष्ट्रपति चुना गया और उसने 'नेशनल रिपब्लिकन दल' की स्थापना की, लेकिन इस नए दल के हाथों में शक्ति थोड़े ही दिनों के लिए आई। बाकी समय डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल के हाथ में ही शक्ति रही।

सन् 1856 में दासप्रथा के विरोधियों ने एक नया दल बनाया जो रिपब्लिकन दल - कहलाया। यह उस समय का उदारवादी दल था, क्योंकि डेमोक्रेटिक दल दक्षिणी राज्यों में बागवानों के नेतृत्व में अनुदार बन गया था। वास्तव में दक्षिणी राज्यों द्वारा पृथक् होने, गृहयुद्ध और उसके उपरान्त पुनर्निर्माण के प्रश्नों का दलीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। गृहयुद्ध के बाद तो अमेरिका में दो ही दल रह गए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन दल फेडरलिस्ट का उत्तराधिकारी था जबकि डेमोक्रेट एण्टी- फेडरलिस्ट के उत्तराधिकारी थे। सन्1860 के निर्वाचन में रिपब्लिकन दल पहली बार विजयी हुआ और 1912 तक वह राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्वशाली बना रहा। रिपब्लिकन दल को संविधान का उदार निर्वचन करने वाला दल माना जाता था। परन्तु 1933 के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन आया। राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रुजवैल्ट की 'न्यू डील' नीति के प्रश्न पर रिपब्लिकन दल के उदारवादी डेमोक्रेटिक दल में आ गए। आज अमेरिकी राजनीति में 'रिपब्लिकन' और 'डेमोक्रेटिक' दलों का ही प्रभुत्व है। जनवरी 2011 की स्थिति के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी से प्रतिनिधि सदन में 242 तथा सीनेट में 47 सदस्य है और डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रतिनिधि सदन में 193 तथा सीनेट में 51 सदस्य हैं।

14.4 अमेरिकी दलों की विशेषताएँ [Characteristics of the American Parties]

संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है-

1. द्विदलीय प्रथा- अमेरिका में दो दलों की ही प्रथा विकसित हुई है। प्रारम्भ में वहाँ पर फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स थे, फिर वहाँ विग्स और डेमोक्रेट्स बने और आजकल वहाँ दो ही दल हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दल। वहाँ अन्य दल यदि मैदान में आतें हैं तो वे निर्वाचन में सफलता के निकट नहीं पहुँच पाते। देशव्यापी तीसरे दल के निर्माण के समस्त प्रयत्न विफल हो चुके हैं। मुनरो के शब्दों में, "जब द्विदलीय व्यवस्था ठीक कार्य कर रही है तो तीसरी और चौथी पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं है।"

2. नपेतुले सिद्धान्तों का अभाव-- अमेरिकी राजनीतिक दलों के कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते। दलों को अपनी नीति एवं कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें कार्यान्वित करने की विशेष चिन्ता नहीं होती। लार्ड ब्राइस के अनुसार, "अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल दो बोतलों के समान हैं जिनमें अलगअलग नाम पत-्र है, पर जो वास्तव में बिल्कुल खाली है।"

3. विचारधारा सम्बन्धी अन्तर का अभाव- अमेरिका के दोनों दलों में विचारधारा सम्बन्धी आधारभूत अन्तर नहीं है। ब्रोगन के शब्दों में, "अमेरिका के राजनीतिक दलों के नाम ऐसे हैं, जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक विचारों की व्यापकता छिपी हुई है और यदि किसी एक दल को एकदम अलग करना हो, तो उसमें कोई ऐसी विचारधारा नहीं मिलती, जो उसके बाद के दल में न पाई जाए।"

4. वर्गीय मतभेद- अमेरिकी दलों में सैद्धान्तिक मतभेद न होकर वर्गीय मतभेद हैं। वहाँ राजनीतिक दलों में विचारधारा के स्थान पर परम्परा और भौगोलिक प्रभाव का आधार अधिक है। वस्तुतः अमेरिका में दल हितों के ही गुट हैं; वे सिद्धान्तों के समूह नहीं है। बेयर्ड के अनुसार, "अमेरिका के दलों का निर्माण सिद्धान्त व शासन के प्रकार की अपेक्षा व्यक्तित्व तथा दलीय प्रश्नों के कारण अधिक हुआ है। .प्रो "लास्की के अनुसार, "अमेरिकी दल सिद्धान्तों की अपेक्षा हितों के गुट अधिक है।बर्न्स एवं पैल्टासन भी " लिखते हैं, "दल वे साधन हैं, जिनके द्वारा विभिन्न समूह अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समवेत रूप से प्रयल करते हैं।"

5. दलों की व्यापकता- अमेरीका में राजनीतिक दल सर्वव्यापक है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे बचा हो। संघ, राज्य, स्थानीय इकाइयाँ सभी पर उनका प्रभाव है। इस व्यापकता के कारण दलों को वहाँ 'अदृश्य सरकार' कहा जाने लगा है।

6. ढीला संगठन- अमेरिकी दलों का संगठन ढीलाढाला है। ब्रिटि-श दलों की भाँति कठोर दलीय संगठन एवं अनुशासन का अभाव है। दल के केन्द्रीय संगठन और स्थानीय इकाइयों में भारत जैसा लिक नहीं है। वे राष्ट्रपति निर्वाचन के समय ही सक्रिय

दिखाई पड़ते हैं, शेष समय वे प्रायः निष्क्रिय रहते हैं। लास्की के शब्दों में, "केवल निर्वाचन के समय वे राष्ट्रीय दल हैं; अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएँ हैं जो विचारों . गिर्द नहीं-के इर्द, बल्कि व्यक्तियों के इर्द"गिर्द संगठित होती है।-

7. संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं- अमेरिकी संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। दलों की उत्पचि उनका विकास तथा संगठन सब कुछ परम्परागत है, संवैधानिक नहीं। संविधान निर्माता दल प्रणाली के दोषों के कारण उससे बचना चाहते थे, परन्तु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। आज राजनीतिक दलों का ही बोलबाला है। ऐसा अनुमान है कि अमेरिका में राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों में जितने लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं उतने विश्व में अन्य किसी देश में नहीं।

8. लूट व्यवस्था- अमेरिकी दल व्यवस्था स्वार्थ सिद्धिपरक है। राजनीति में जो लोग सक्रिय रहते हैं उनका ध्येय वैयक्तिक स्वार्थों की पूर्ति है, न कि सार्वजनिक हित साधना। अमेरिकी दलों के साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो बदले में कुछ निजी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसे वहाँ 'लूट व्यवस्था' (Spoil System) भी कहते हैं।

9. दबाव समूहों का प्रभाव- अमेरिकी दलों पर दबाव गुटों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। दवाव गुट राजनीतिक दलों में सक्रिय रहते हैं और दबाव डालकर अपने न्यस्त स्वार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। दबाव गुटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीति दलों के बजाय गुटों की राजनीति में परिवर्तित हो गई है।

14.5 अमेरिकी दलों के सिद्धान्त एवं नीतियाँ [Principles and Policies of U.S. Parties]

अमेरिका के राजनीतिक दलों में मोटे रूप से सिद्धान्तों तथा नीतियों का अन्तर नहीं है। लोकतन्त्र और प्रतिनिधि शासन के बारे में दोनों का एक ही मत रहा है। दोनों ही दल देश की प्रगति और समृद्धि को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहे हैं। दोनों ही दल वियतनाम युद्ध से सम्मान के साथ निकलना चाहते थे, सोवियत रूस और चीन से सहयोग करना चाहते थे। दोनों ही दलों में सभी वर्गों और विचारधाराओं के लोग हैं; दोनों ही न तो दक्षिणपन्थी है और न वामपन्थी। वहाँ दलों को अपनी नीति और कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने की विशेष चिन्ता नहीं होती; उनका सबसे बड़ा लक्ष्य तो शक्ति प्राप्त करना होता है तथा उसे बनाए रखना होता है।

फिर भी समयसमय पर दोनों दलों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतभेद पैदा हुआ है। -उदाहरणार्थ देश में प्रभुत्व कृषि का हो या उद्योग का, आन्तरिक सुधार, दासप्रथा, आयातनिर्यात महसूल-, प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की सदस्यता का प्रश्न आदि मतभेद के मुद्दे रहे हैं। पिछले वर्षों में रिपब्लिकन दल का कार्यक्रम यह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, सैनिक तैयारी, राष्ट्रवादी चीन की सहायता करना, श्रमिकों के लिए बीमा, सहकारी उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण का विरोध आदि। डेमोक्रेटिक दल के कार्यक्रम में निजी उद्योगों का समर्थन, राज्यों में जातिभेद का अन्त-, 'नाटो' सन्धि का समर्थन, पिछड़े हुए देशों में लोकतन्त्र का समर्थन आदि बातें शामिल रही है।

दोनों ही दलों की विदेश एवं आन्तरिक नीति समान रही है। दोनों ही दल कम आय वालों के लिए गृह निर्माण व शिक्षा में सहायता देने का समर्थन करते हैं, दोनों ही दल सुदृढ़ सेना रखने और संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग देने का समर्थन करते हैं और दोनों ही दल कृषि उत्पादन में सहायता देने में विश्वास करते हैं।

अमेरिकी दलों के बारे में टिप्पणी करते हुए हरमन फाइनर ने लिखा है, "अमेरिका में केवल एक दल हैडेमोक्रेटिक-कम-रिपब्लिकन -, जो आदतों और पद की होड़ के द्वारा दो समान भागों में विभाजित है और जिसमें एक का नाम रिपब्लिकन एवं दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक है।तात्पर्य यह है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों में सिद्धान्तों एवं नीतियों " में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

14.6 अमेरिका में दलीय संगठन [Party Organisation in America]

अमेरिका के दोनों प्रधान राजनीतिक दलों का संगठन प्रायः समानसा है। दोनों ही दलों -का संगठन स्थानीय, राज्यीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर लगभग समानसा है-, जो इस प्रकार है-

1. राष्ट्रीय स्तर का दलीय संगठन- राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन के प्रमुख अंग है) -i) राष्ट्रीय सम्मेलन, (ii) राष्ट्रीय समिति, (iii) राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा)iv) राष्ट्रीय समिति सचिवालय । राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों दलों में दल का सर्वोच्च निकाय माना जाता है। सम्मेलन दल के सदस्यों में एकता स्थापित करता है और उसकी नीति की अभिव्यक्ति के मंच के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्यों की संख्या 1200 से 1400 तक होती है। यह सम्मेलन प्रत्येक चौथे वर्ष होता है और दल की ओर से राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का चयन करता है। यह दल की नीति का निर्धारण भी करता है। राष्ट्रीय सम्मेलन प्रत्येक चौथे वर्ष होता है, अतः दल का संचालन वस्तुतः राष्ट्रीय समिति नाम की संस्था करती है। डेमोक्रेटिक दल की राष्ट्रीय समिति में 108 सदस्य होते हैं तथा

रिपब्लिकन दल की समिति में 147 सदस्य होते हैं। व्यवहार में राष्ट्रीय समिति नीति निर्धारण का कार्य करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अपने दल के प्रत्याशी की ओर से समिति सक्रिय रूप से चुनावप्रचार का कार्य करती है। निर्वाचन के पश्चात् - समिति की राजनीतिक सक्रियता कम हो जाती है। राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चाहता है। समिति तो केवल राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति के नाम का पुष्टिकरण मात्र करती है। अध्यक्ष का मुख्य कार्य राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के अभियान का संचालन करना होता है। यदि उसके दल का व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे प्रायः मन्त्रिमण्डल में शामिल कर लिया जाता है एवं पोस्टमास्टर-जनरल बना दिया जाता है। यदि उसके दल का प्रत्याशी हार जाता है तो वह अध्यक्ष पद पर नहीं रहता एवं समिति चार वर्ष के लिए दूसरा अध्यक्ष चुन लेती है। दोनों दलों के सचिवालय का संगठन भिन्नभिन्न है। सचिवालय दल की स्थिति सुदृढ़ - बनाने का कार्य करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के निर्वाचन कार्य संचालन हेतु दो समितियाँ होती हैं-

(a) कांग्रेसीय आन्दोलन समिति तथा)b) सीनेटोरियल आन्दोलन समिति। इन दोनों समितियों का प्रमुख कार्य प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट के निर्वाचन कार्य का संचालन करना है।

2. राज्यों में दलीय संगठन- दोनों दलों का प्रत्येक राज्य में भी संगठन है। इनके भी सम्मेलन तथा राज्य समितियाँ रहती हैं। राज्यों के सम्मेलन प्रति दूसरे वर्ष होते हैं और इसमें वे सभी प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं जो राज्य के क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होना चाहते हैं। प्रत्येक राज्य में दलों की राज्य समिति होती है, इसमें राज्य की काउण्टियों तथा शहरों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका कार्य राज्य में दल के हितों की रक्षा करना है।

3. स्थानीय स्तर पर दलीय संगठन- स्थानीय स्तर पर भी दोनों दलों का संगठन समान है। इस स्तर पर सबसे छोटी इकाई प्रोसिन्क्ट कमेटी है। प्रत्येक समिति में दल का एक नेता और एक कप्तान होता है जिसे 'बॉस' कहा जाता है। इन्हीं मतदान समितियों की कार्यकुशलता पर दल की हारजीत निर्भर करती है। शहरी क्षेत्र में वार्ड समितियाँ भी - होती हैं जो शहरी मतदान समितियों के कार्य का संचालन करती है।

अमेरिका में दलीय संगठन को देखते हुए कहा जा सकता है कि दलीय अनुशासन शिथिल है तथा दलीय समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रीय संगठन राज्य शाखाओं पर निर्भर रहते हैं।

14.7 अमेरिका में राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप

[Working of the U.S. Parties]

अमेरिकी संविधाननिर्माताओ-ं ने राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखा था, परन्तु कालान्तर में अमेरिकी शासनप्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यन्त - महत्वपूर्ण हो गई। मुनरो के शब्दों में, "संविधाननिर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत - किया था, वह आज अमेरिकी प्रजातन्त्र की आधारभूत शिला बन गई है।संक्षेप में " - अमेरिकी दलों की भूमिका का विवेचन निम्न रूपों में किया जा सकता है

1. संविधान के क्रियान्वीकरण में दलों का योगदान- अमेरिका में संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के अस्तित्व से परिचित थे किन्तु उन्होंने अपने मातृ देश इंग्लैण्ड में उसके स्वरूप एवं कार्य का जो परिचय प्राप्त किया था, उसके आधार पर उनका दृढ़ विश्वास था कि दल अमेरिका के लिए हितकर न होंगे। फलतः उन्होंने संविधान बनाते समय राजनीतिक दलों की पूर्ण उपेक्षा की, परन्तु आज यह सिद्ध हो गया कि अमेरिकी राजनीति में दलीय व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। और उसके बिना अमेरिका की जनतन्त्रीय व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल सकती। दोनों राजनीतिक दलों ने अमेरिकी संविधान को व्यावहारिक बनाया है, उसे आगे बढ़ाया है और गति प्रदान की है। आज राजनीतिक दल ही अमेरिकी शासन के विभिन्न पदों तथा निर्वाचनों के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं, प्रचार करते हैं और निर्वाचन के बाद संविधान के अनुरूप राजनीतिक ढाँचे को चलाते हैं।

2. कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना- अमेरिकी शासन-व्यवस्था में शक्तिपृथक्करण के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ए-कदूसरे से - स्वतन्त्र एवं पृथक् है। फिर भी यदि दोनों में सामंजस्य न हो तो शासन में गतिरोध पैदा हो जाता है। वहाँ राजनीतिक दलों द्वारा अनौपचारिक रूप से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा कांग्रेस के दोनोंसदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्रपति और कांग्रेस को जोड़ते हैं।

3. राष्ट्रीय एकता स्थापित करना- अमेरिका एक विशाल देश है, जहाँ विभिन्न भाषा, जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। विविधता वाले इस देश में सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। ऑग तथा रे के शब्दों में, "विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों एवं व्यवस्थाओं के लोगों में एकता बनाए रखने में राजनीतिक दल सीमेंट का"सा कार्य करते हैं।-

4. निर्वाचन सम्बन्धी कार्य- अमेरिका में राजनीतिक दल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों के अभाव में इन संस्थाओं के चुनाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती ।

14.8 अमेरिकी दल प्रणाली की आलोचना [Criticism of American Party System]

अमेरिकी दल प्रणाली की कुछ लोग बड़ी आलोचना करते हैं। आलोचना के कुछ आधार निम्नलिखित है-

(1) अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है। विचारधारा सम्बन्धी भेद के अभाव में यह दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह गए हैं।

(2) अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है।

(3) अमेरिकी राजनीतिक दलों में 'लूट प्रथा' (Spoil System) की दूषित प्रथा पाई जाती है। इस प्रथा में विजयी दल सरकारी पदों का वितरण अपने ही दल के लोगों में करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होते ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विरोधी दल के सभी पदाधिकारियों को निकालकर अपने समर्थकों को उन पर नियुक्त कर देता है। पहले तो यह प्रथा बड़े उग्र रूप में थी, पर अब धीरेधीरे पदों का चयन योग्यता के आधार पर - होने लगा है। फिर भी कुछ विशेष पद अब भी राष्ट्रपति की इच्छा से भरे जाते हैं।

(4) अमेरिका में राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनावों में बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाती है। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

(5) अमेरिकी दल व्यवस्था के संगठन का आधार-विकेन्द्रीकरण है। दलों के राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों में सामंजस्य का अभाव है। सुदृढ़ दलीय संगठन के अभाव में वहाँ उत्तरदायी दल प्रणाली का विकास नहीं हो पाया है।

14.9 इंगलैण्ड की दल प्रणाली से तुलना [Comparison with England Party System]

इंग्लैण्ड में संसदीय शासन प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। शासनव्यवस्था के स्वरूप में अन्तर होने के कारण दोनों देशों की दल प्रणाली में भी - अन्तर पाया जाता है। वैसे दोनों देशों में द्विदलीय प्रथा है तथा दोनों ही देशों में राजनीतिक दल संविधानेत्तर विकास के परिणाम हैं। दोनों देशों की दल प्रणाली में प्रमुख अन्तर इस प्रकार हैं-

1. विचारधारा सम्बन्धी अन्तर- ब्रिटेन में प्रमुख दल हैं अनुदार दल और मजदूर दल। इन दोनों दलों में विचारधारा का स्पष्ट अन्तर है। अनुदार दल पूँजीवाद का और मजदूर दल लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थक है। अमेरिका के दोनों दलों में रिपब्लिकन) विचारधारा सम्बन्धी गम्भीर अन्तर नहीं है। फाइनर के शब्दों में (और डेमोक्रेटिक, "ब्रिटेन के अनुदार और मजदूर दलों की स्पष्ट भिन्नता के समान विभिन्न आदर्शों की साधना के आधार पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दलों के बीच अन्तर की कोई रेखा नहीं खींची जा सकती ।"

2. संगठन सम्बन्धी अन्तर- ब्रिटेन में दलों का सुदृढ़ संगठन होता है। केन्द्रीय संगठन और स्थानीय इकाइयों में बराबर नियन्त्रण एवं सम्पर्क रहता है। अमेरिका में दलों का ढीला ढाला संगठन पाया जाता है।-वहाँ दल वस्तुतः स्थानीय और राज्य संगठन ही होते हैं।

3. दलीय अनुशासन सम्बन्धी अन्तर- ब्रिटेन में कठोर दलीय अनुशासन पाया जाता है। दल के सदस्यों द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना प्रायः नहीं की जाती। अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य प्रायः दल निर्देशों की अवहेलना करते हैं।

4. राजनीतिक सक्रियता सम्बन्धी अन्तर- ब्रिटेन में दल राजनीतिक दृष्टि से सदैव सक्रिय रहते हैं। अमेरिकी राजनीतिक दल केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही सक्रिय रहते हैं और वे अधिकांश समय निष्क्रिय बने रहते हैं।

5. लूट प्रथा सम्बन्धी अन्तर- अमेरिका में लूट प्रथा पाई जाती है। विजेता दल बड़ेबड़े - पदों पर अपने दल के सदस्यों को नियुक्त करवाता है। ब्रिटेन में ऐसी भ्रष्ट प्रथा नहीं पाई जाती है।

6. दलीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अन्तर- अमेरिका में ब्रिटेन की भाँति दलीय उत्तरदायित्व नहीं है। ब्रिटेन में शासन को जहाँ बहुमत दल के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, अमेरिका में शासन को किसी भी दल के प्रति उत्तरदायी नहीं होना पड़ता ।

14.10 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. अमेरिकी दल प्रणाली में कितने प्रमुख दल हैं?
   (a) एक (b) दो
   (c) तीन (d) चार
2. निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी दल का प्रमुख सिद्धांत नहीं है?
   (a) लोकतंत्र (b) समाजवाद
   (c) पूँजीवाद (d) संघवाद

1. अमेरिकी राजनीति में मुख्यतः ____ और ____ पार्टियाँ प्रभावी हैं।
2. अमेरिकी दल प्रणाली को ____ प्रणाली भी कहा जाता है।

14.11 सार संक्षेप

अमेरिकी दल प्रणाली लोकतंत्र का एक आधारभूत तत्व है, जो विचारों, नीतियों, और प्रतिनिधित्व का संतुलन स्थापित करता है। यह प्रणाली नागरिकों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार मत देने और देश के प्रशासन को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। राजनीतिक दल, देश की शासन व्यवस्था के स्तंभ होते हैं, जो न केवल चुनावी प्रक्रिया को संचालित करते हैं बल्कि समाज में व्यापक विचारधारा और सहमति को बढ़ावा देते हैं।

अमेरिकी दल प्रणाली, जिसमें दो प्रमुख दल — डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन — प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अमेरिकी लोकतंत्र का आधार है। यह प्रणाली समय के साथ विकसित हुई और इसमें कई विशेषताएँ और सीमाएँ हैं। दलों के सिद्धांत, संगठनात्मक संरचना, और क्रियाकलाप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करते हैं। हालांकि, इसकी आलोचना भी हुई है, जैसे कि सीमित विकल्पों और विशेष हित समूहों के प्रभाव के कारण। इंगलैंड की दल प्रणाली के साथ तुलना करने पर दोनों प्रणालियों की विशेषताओं और अंतर को समझा जा सकता है।

उत्तर 1 : (b) दो
उत्तर 2 : (b) समाजवाद
उत्तर 3 : डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन
उत्तर 4 : द्विदलीय

14.11 मुख्य शब्द

- डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) – यह अमेरिकी राजनीति में एक प्रमुख दल है, जो प्रगतिवादी नीतियों और समाजवाद के पक्ष में है।
- रिपब्लिकन पार्टी (Republican Party) – यह अमेरिकी राजनीति का दूसरा प्रमुख दल है, जो पारंपरिक और कानूनी दृष्टिकोणों का समर्थन करता है और व्यापार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है।
- दल प्रमुख (Party Leader) – प्रत्येक दल का एक प्रमुख नेता होता है, जो पार्टी की नीतियों और दिशा का निर्धारण करता है।
- पार्टी प्लेटफ़ॉर्म (Party Platform) – यह पार्टी के उद्देश्यों और नीतियों का आधिकारिक दस्तावेज़ होता है।

- प्राइमरी चुनाव (Primary Election) – यह चुनाव दल के उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित होते हैं।
- कॉकस (Caucus) – एक बैठक जहां पार्टी के सदस्य अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं, खासकर प्राथमिक चुनावों के लिए।
- इलेक्टोरल कॉलेज (Electoral College) – यह राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के प्रतिनिधियों का समूह है, जो राज्य के मतदान के आधार पर वोट करता है।
- कांग्रेस (Congress) – अमेरिकी संसद, जिसमें दो सदन होते हैं: प्रतिनिधि सभा और सीनेट।
- वोटिंग (Voting) – चुनाव में मतदान प्रक्रिया, जिसमें नागरिक अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं।
- स्वतंत्र उम्मीदवार (Independent Candidate) – वे उम्मीदवार जो किसी दल से संबंधित नहीं होते और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं।

14.13 संदर्भ ग्रन्थ

1. अरोड़ा, बी. (2018). *अमेरिकी राजनीति: एक परिचय.* नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान।
2. मिश्रा, आर. (2020). *लोकतांत्रिक प्रणालियाँ और दल.* जयपुर: राष्ट्रीय प्रकाशन।
3. शर्मा, के. (2021). *दलीय संगठन और राजनीति.* पटना: विद्या पब्लिशर्स।
4. सिंह, पी. (2019). *राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार.* दिल्ली: यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. वर्मा, एस. (2023). *अमेरिकी लोकतंत्र की विशेषताएँ.* बनारस: ज्ञान भारती।

14.14 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय प्रणाली की विशेषताएँ बताइए ।
2. अमेरिकी संविधान में राजनीतिक दलों के कार्यकरण का वर्णन कीजिए।
3. अमेरिकी तथा ब्रिटिश राजनीतिक दलों की तुलना कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

1. अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषताएँ । 2. रिपब्लिकन पार्टी ।

इकाई -15

स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

[SALIENT FEATURES OF THE SWISS CONSTITUTION]

15.1 प्रस्तावना

15.2 उद्देश्य

15.3 स्विस संविधान: राजनीतिक विचारधाराएँ

15.4 स्विस संविधान का अध्ययन का महत्व

15.5 स्विस संविधान की विशेषताएँ

15.6 स्विस संविधान का भविष्य

15.7 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

15.8 सार संक्षेप

15.9 मुख्य शब्द

15.10 संदर्भ ग्रन्थ

15.11 अभ्यास प्रश्न

15.1 प्रस्तावना

"स्विट्ज़रलैण्ड राजनीति के साहसपूर्ण कार्यों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता समस्त गणतन्त्रीय राष्ट्रों को स्फूर्ति प्रदान करती है।" - बुक्स

स्विट्ज़रलैण्ड दुनिया की सामान्य जनता के लिए आकर्षण का केन्द्र है और स्विस संविधान राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी के लिए परम महत्व का विषय है। अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण यह देश विश्व के आकर्षण का केन्द्र रहा है और प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय व्यवस्था के कारण भी यह देश लोकतन्त्र का घर रहा है। यदि इंग्लैण्ड संसदीय पद्धति की संस्थाओं का जन्मदाता है और अमेरिका संघ प्रणाली का आदर्श है तो स्विट्ज़रलैण्ड को प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के प्रयोगों की राजनीतिक प्रयोगशाला होने का गौरव प्राप्त है।

स्विस संविधान की प्रस्तावना में राज्य के उद्देश्यों, नैतिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावना इस प्रकार है:

"स्विट्जरलैंड के लोग और कैन्टन, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम अपनी विविधता में एकता और स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित हैं, और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करते हैं।"

15.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताओं और संरचना को समझ सकेंगे।
2. स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक ढांचे और संघीय प्रणाली का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. स्विस संविधान में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रावधानों को पहचान सकेंगे।
4. स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक तंत्र में जनमत संग्रह (referendum) और इनिशिएटिव (initiative) की भूमिका को समझ सकेंगे।
5. स्विस संविधान के संघीय और kantonal (राज्य) अधिकारों के बीच संतुलन का मूल्यांकन कर सकेंगे।
6. स्विट्ज़रलैंड के न्यायिक और कार्यकारी तंत्र की कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे।
7. स्विस संविधान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भागीदारी के सिद्धांतों को पहचान सकेंगे।
8. स्विस संविधान के इतिहास और इसके विकास को समझ सकेंगे।
9. स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक स्थिरता और विकास में संविधान की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।

15.3 स्विस संविधान :राजनीतिक विचारधाराएँ [The Swiss Constitution: Political Ideas]

स्विस संविधान लोकतान्त्रिक एवं उदार सिद्धान्तों पर आधारित है। इसमें कहीं भी निरंकुशता के तत्व नहीं दिखलाई देते। यह अधोलिखित विचारधाराओं से प्रभावित है -

1. लोकतन्त्रीय विचारधारा- स्विट्ज़रलैण्ड में समस्त राजनीतिक शक्तियों का केन्द्र जनता को माना गया है। संविधान संशोधन के क्षेत्र में भी जनता की शक्तियाँ महत्वपूर्ण

हैं। लोकमत संग्रह और आरम्भिक की विधियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतान्त्रिक विचारधारा संविधान में कूट-कूटकर भर दी गई है।

2. गणतन्त्रीय विचारधारा- गणतन्त्र वहाँ की राज-व्यवस्था का आधार है। शासन का प्रत्येक पद सामान्य जनता के लिए समान रूप से खुला रहता है। राजतन्त्र की भाँति कोई भी पद वंशानुगत नहीं है।

3. संघीय विचारधारा- स्विस संविधान का निर्माण संघीय विचारधारा के आधार पर हुआ है। यह संविधान द्वैत शासन की स्थापना करता है और इसका आधार विकेन्द्रीकरण है। संघ के घटक कैण्टनों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है।

4. उदारवादी विचारधारा- स्विस संविधान में व्यक्ति को साध्य माना गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों पर पर्याप्त बल दिया गया है। सरकारी अंगों की निरंकुशता पर नियंत्रण लागए गए है।

15.4 स्विस संविधान का अध्ययन का महत्व [Importance of the Swiss Constitution]

स्विस संविधान के अध्ययन का विशिष्ट महत्व है। स्विस संविधान में कुछ ऐसी विलक्षण बातें पाई जाती हैं जो अन्यत्र दुर्लभ है। स्विट्ज़रलैण्ड के संवैधानिक महत्व की कुछ प्रमुख बातें निम्न प्रकार

1. प्राचीनतम गणतंत्र - स्विट्ज़रलैण्ड यूरोप का प्राचीनतम गणतन्त्र है। स्विस गणतन्त्र का जन्म सन् 1848 में हुआ था। गणतन्त्रीय शासन-विधान को अपनाने के बाद से अब तक स्विट्ज़रलैण्ड उसे अपानाए हुए है। लोग इसे गणतन्त्रीय शासन-विधान का जन्म-स्थान मानते हैं। रैपर्ड के शब्दों में, "स्विट्ज़रलैण्ड युगों से गणतन्त्र रहा है।" हंस ह्यूबर के अनुसार, "राजतन्त्री ढंग से सोचना स्विट्ज़रलैण्ड के निवासी के लिए एक अबूझ बात है तथा किसी शासक की शक्ति व सुविधाओं के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है।"

2. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र - स्विट्ज़रलैण्ड प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में सुविख्यात है। स्विस संविधान ही प्रारम्भिक सभाओं, लोकनिर्णय, आरम्भक आदि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की नवीन पद्धतियों का उद्‌गम स्थल है। बुक्स का कथन है कि "स्विट्ज़रलैण्ड नए परीक्षणों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता सभी गणराज्यों को शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान करती है। ब्राइस का भी कथन है कि "वर्तमान लोकतन्त्र राज्यों में, जो वास्तव में लोकतन्त्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़लैण्ड का दावा सबसे ऊँचा है।"

3. अनूठी कार्यपालिका - स्विट्ज़रलैण्ड की कार्यपालिका भी अनूठी है जिसका उदाहरण संसार में बहुत कम मिलता है। इसमें संसदीय और अध्यक्षीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुण मिलते हैं। वहाँ की कार्यपालिका बहुल है जिसमें ब्रिटिश और अमरीकी व्यवस्थाओं का अपूर्व समन्वय है।

4. स्थायी तटस्थता - स्विट्ज़रलैण्ड का संसार में इसलिए भी बहुत महत्व है क्योंकि यह तटस्थ देश है और यह अपनी तटस्थता दो विश्वयुद्धों के बीच कायम रख सका। तटस्थता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टी के फलस्वरूप यह देश सदैव संसार की हलचलों का केन्द्र रहा है। सन् 1815 की 'वियना कांग्रेस' तथा 1920 ई. में राष्ट्रसंघ ने इसकी तटस्थता को मान्यता प्रदान की थी। रैपर्ड ने तटस्थता की नीति को स्विट्ज़रलैण्ड की स्वतंन्त्रता का सच्चा रक्षक कहा है। मेसन ने कहा है कि "स्विट्ज़रलैण्ड अशान्ति के संसार में एक शान्तिद्वीप है।"

स्विस संविधान की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए ऑग ने लिखा है-

"वर्तमान यूरोप की भूमि पर सबसे पहले और पूर्णरूप से यहीं (स्विट्ज़रलैण्ड में) पर संघात्मक प्रणाली का परीक्षण आरम्भ हुआ। प्रस्तावाधिकार तथा जनमत संग्रह के सिद्धान्तों का जन्म यहीं पर हुआ। यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सफल कार्यपालिका के मुकाबले में गैर-मन्त्रिमण्डलीय बहुसंख्यक कार्यपालिका की स्थापना की गई। यहीं पर स्थानीय संस्थाओं का इंग्लैण्ड की स्थानीय संस्थाओं से भी अधिक विकास हुआ। स्विस संविधान ने तटस्थता की व्यवस्था की है जो किसी भी देश व अन्य संविधान में नहीं। तटस्थता ही यहाँ विदेशनीति का आधार है।"

15.5 स्विस संविधान की विशेषताएँ [Salient Features of the Swiss Constitution]

स्विट्ज़रलैण्ड न केवल एक छोटा देश है अपितु यूरोप का एक सौन्दर्य स्थान, रेडक्रॉस का केन्द्र तथा घड़ियों का निर्माण स्थल है। उसका शासन-विधान लोकतन्त्र का एक विशिष्ट प्रकार है। यह एक बहुत पुराना लोकतन्त्र है। वहाँ लोकप्रिय सरकारें उस समय से चली आ रही थीं जब दूसरे देशों में उनका जन्म भी नहीं हुआ था। स्विस संविधान ने जनतंत्रीय नीतियों को प्रेरणा दी है। वहाँ जनतन्त्रीय सिद्धान्तों का क्रियान्वयन संसार के अन्य सभी देशों से अधिक पूर्णतः व तीव्रता से किया गया है। स्विट्ज़रलैण्ड निश्चय ही उन देशों में से है जिनकी शासन-व्यवस्था ने सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यदि इंग्लैण्ड अपने संसदीय शासन के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी संघात्मक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है तो स्विट्ज़रलैण्ड अपने प्रजातन्त्रीय शासन स्वरूप और अनोखी कार्यपालिका के लिए विश्व विख्यात है। स्विस नागरिकों में

प्रजातन्त्र की भावना प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वे अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आज स्विट्ज़रलैण्ड विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रजातंत्रों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में एथेन्स का और आधुनिक समय में स्विट्जरलैण्ड का दृष्टान्त सर्वाधिक प्रजातन्त्रीय देश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बाइस के अनुसार, "वर्तमान प्रजातन्त्रों में से जो कि वास्तव में प्रजातन्त्र है, स्विट्ज़रलैण्ड अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है।"

स्विस संविधान एक अनूठा संविधान है। विश्व के अन्य संविधानों की भाँति वह भी शासन-कला के मौलिक प्रयोग में से एक है। यदि इंग्लैण्ड ने संसदीय शासनव्यवस्था, अमेरिका ने अध्यक्षीय शासन-व्यवस्था और रूस ने साम्यवादी लोकतन्त्र को जन्म दिया है तो स्विट्ज़रलैण्ड ने बहुल कार्यपालिका और प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के अभिकरणों का आविष्कार किया है। स्विस संविधान की मौलिक विशेषता यही है कि यह न तो विशुद्ध संसदात्मक है और न ही विशुद्ध अध्यक्षात्मक ।

स्विस संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं -

1. निर्मित व लिखित संविधान (Enacted and Written Constitution) - स्विस संविधान एक निर्मित संविधान है। मौलिक रूप से इसका निर्माण सन् 1848 तथा इसके बाद इसका संशोधन सन् 1874 में किया गया था। निर्मित संविधान के लिए जैसा कि स्वाभाविक है, वह लिखित संविधान है। उसका अधिकतर भाग लिखित कानूनों के रूप में है। इसमें 123 अनुच्छेद थे। 18 अप्रैल, 1999 को जनमत संग्रह द्वारा अंगीकृत और 1 जनवरी, 2000 से लागू नये स्विस संविधान में 196 अनुच्छेद और 4 अध्याय तथा प्रस्तावना है। यह एक लम्बा प्रलेख है। लम्बाई में यह संविधान अमरीकी संविधान से बड़ा और भारतीय संविधान से छोटा है। स्विस संविधान के निर्माताओं ने उन साधारण बातों का भी उल्लेख कर दिया जिन्हें सामान्य विधेयकों के अधिकार क्षेत्रों में रहना चाहिए था जैसे मछली पकड़ना, जुआ खेलना आदि। स्विस संविधान में कैण्टनों की शासन-व्यवस्था का वर्णन नहीं है। लिखित होने के बावजूद इस संविधान में कुछ परम्पराओं का भी विकास हो गया है।

2. कठोर संविधान (Rigid Constitution) - स्विस संविधान एक कठोर संविधान है। इसे सरलता से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे संशोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं तथा कैण्टनों के बहुमत से होना चाहिए। फिर भी इसे अमरीकी संविधान से कुछ कम कठोर माना जा सकता है। यही कारण है कि अमरीकी संविधान में अब तक केवल 27

संशोधन हुए हैं, जबकि 1 जनवरी, 2000 में लागू नये संविधान में 20 जनवरी, 2005 तक 5 संशोधन कर दिये गये थे। इस सम्बन्ध में के.सी. व्हीयर ने लचीले हैं।" र ने लिखा है "यद्यपि स्विस संविधान कठोर है, परन्तु यहाँ के नागरिक

3. संघात्मक शासन-प्रणाली (Federal Form of Government) अमरीकी संविधान की भांति स्विस संविधान भी संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। परन्तु स्विस संघ व्यवस्था अमरीकी संघ व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कठोर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि अमेरिका में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्ज़रलैण्ड में कैण्टनों ने। अमरीकी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है- "हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान को निर्दिष्ट तथा स्थापित करते हैं।" परन्तु स्विस संविधान में लिखा गया है "स्विट्ज़रलैण्ड के निम्न 22 प्रभुसत्ताधारी कैण्टनों के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं।"

इतना ही नहीं, स्विस संघ की कतिपय विशेषताएँ भी हैं स्विस संघ में 22 कैण्टन सम्मिलित हैं। ये कैण्टन स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं और यदि चाहे तो संघ से निकल सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कैण्टनों को प्राप्त है केन्द्र व कैण्टनों के मध्य शक्ति-वितरण की व्यवस्था है, पर उसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता उस रूप में नहीं है, जैसी अमरीकी या भारत की संघीय व्यवस्था में है। स्विस संविधान में न्याय पालिका संघात्मकता की रक्षा नहीं करती। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति से सुसज्जित नहीं किया गया है। स्विस संघ का निरालापन इस बात में है कि वह केवल राजनीतिक संघ न होकर सांस्कृतिक संघ भी है। यह वस्तुतः अनेक भाषायी व धार्मिक विविधता वाली जातियों का संघ है।

4. गणतन्त्र (Republic) स्विस संविधान गणतन्त्र की स्थापना करता है। भारत और अमेरिका की भाँति स्विट्ज़रलैण्ड भी एक गणतन्त्रात्मक देश है। स्विस संघ में शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। परन्तु स्विस राष्ट्रपति अमेरिका या भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्विट्ज़रलैण्ड में जनता का राज है। प्रभुसत्ता का वास जनता में है। हंस ह्यूबर के शब्दों में, "राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्ज़रलैण्ड के निवासी के लिए एक विदेशी बात है। किसी शासक की शक्ति व सुविधाओं के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए राज्य सब नागरिकों का मामला है उसका संचालन न तो वंश परम्परागत आधार पर हो सकता है, न उसे किसी एक निर्वाचित व्यक्ति ही के सुपुर्द किया जा सकता है।" संविधान द्वारा न केवल केन्द्र में ही अर्पितु कैण्टनों में भी गणतन्त्र की स्थापना की गई है। रैपर्ड के शब्दों में, "स्विट्ज़रलैण्ड युगों से गणतन्त्र रहा है।" हंस ह्युबर लिखते हैं कि "स्विट्जरलैण्ड में

राज्य सब नागरिकों का विषय है और उसका नेतृत्व न तो पैतृक हो सकता है और न ही किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के हाथों में सौंपा जा सकता है।"

5. बहुल कार्यपालिका (Plural Executive) स्विस संविधान की संघीय परिषद उसकी एक अनूठी विशेषता है। यह एक बहुल कार्यपालिका (Plural or Collegiate Executive) है जिसमें सात सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन चार वर्षों के लिए संघीय सभा द्वारा होता है। इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति बारी-बारी से एक वर्ष के लिए परिषद्-प्रधान होता है। इस प्रधान को ही स्विट्ज़रलैण्ड का राष्ट्रपति कहा जाता है। परन्तु यहाँ राष्ट्रपति वस्तुतः राष्ट्र की धुरी नहीं होता। उसमें तथा परिषद् के अन्य सदस्यों में कोई अन्तर नहीं होता और वह किसी भी प्रकार परिषद् के अन्य सदस्यों की अपेक्षा राष्ट्र के शासन-संचालन के लिए अधिक उत्तरदायी नहीं होता। वह राष्ट्र की सर्वोच्च अधिशासी समिति का सभापति मात्र होता है और इस स्थिति से यह औपचारिक प्रधान रूप में उस रस्मी क्रियाकलापों को करता है जिन्हें अन्य देशों के राज्य-प्रधान करते हैं। इस प्रकार परिषद् के सभी सदस्यों की स्थिति समान है। यह संस्था राष्ट्र की प्रधान कार्यपालिका और देश का सर्वोच्च शासक है। राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित है।

6. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy) स्विस संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी लोकतान्त्रिक व्यवस्था है। प्रो. एरिक का कथन है कि "स्विट्ज़रलैण्ड में लोकतन्त्र सम्पूर्ण जीवन का सार है। इसमें जीवन की सभी विविधताएँ लोकतन्त्र से उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैण्ड के रक्त और अस्थियों में लोकतन्त्र समाहित है।" संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है; व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए किसी कानून को रद्द कर सकती है। यही अवस्था कैण्टनों में भी है। कुछ कैण्टनों में तो जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापिस बुलाकर उनका पद भी समाप्त कर सकती है। स्थानीय स्तर पर कम्यून्स में तो जनता सीधे-सीधे कानून बनाती है और अपने अधिकारियों को चुनती है। कुछ स्विस कैण्टनों में तो जनता के लिए मतदान करना अनिवार्य है। विद्वानों का मत है कि यदि सच्चा लोकतन्त्र देखना हो तो स्विट्ज़रलैण्ड जाइए। जुर्चर ने तो यहाँ तक कहा है कि "आधुनिक वर्षों में स्विट्ज़रलैण्ड और प्रजातन्त्र पर्यायवाची राष्ट्र बन गए है।" इसी प्रकार सीगफ्रीड लिखते हैं "यदि प्रजातंत्र का अर्थ जनता द्वारा शासन है तो मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र जितना स्विट्ज़रलैण्ड में है, उससे आगे वह कहीं जा सकता है।" लार्ड ब्राइस के शब्दों में, "आधुनिक लोकतन्त्रों में, जो सच्चे लोकतन्त्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैण्ड का दावा सबसे ऊंचा है। यह सबसे पुराना है क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब संसार के किसी अन्य भाग में लोकतन्त्र का

नाम नहीं था और इसने लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों का विकास किया है तथा यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू किया है।"

7. निराली संसदीय व्यवस्था (Unique Parliamentary System) स्विस शासन-व्यवस्था में कुछ गुण संसदीय व्यवस्था के हैं, फिर भी उसे पूरी तरह से संसदीय शासन-व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। वहाँ कुछ बातें अध्यक्षीय शासन-व्यवस्था की भी हैं, फिर भी उसे पूर्णतः अध्यक्षीय शासन-व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ (1) संसदीय व्यवस्था वाले देशों में साधारणतः एक ध्वजमात्र की कार्य पालिका तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में शासन प्रमुख केवल एकल होता है और वह सम्पूर्ण शक्ति का धारक होता है। स्विट्ज़रलैण्ड में दोनों में से एक भी बात पूरी तरह से नहीं है। वहाँ कार्यपालिका बहुल है। (2) स्विस कार्यपालिका इस दृष्टि से संसदीय है कि वह वहाँ की संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। पर इतना होते हुए भी उसका निरालापन यह है कि संसद् के अविश्वास के कारण उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह अध्यक्षीय प्रकार की है। (3) स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार की होते हुए भी स्विट्ज़रलैण्ड में शक्तियों का वह पृथक्करण नहीं पाया जाता, जो अध्यक्षीय प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं में पाया जाता है। इस प्रकार शासन-व्यवस्था अनेक बातों में संसदीय शासन-व्यवस्था से मिलती जुलती है और अनेक बातों में अध्यक्षीय शासन-व्यवस्था से मिलती है।

8. निराली व्यवस्थापिका (Unique Legislature) स्विस व्यवस्थापिका के दो सदन हैं - राज्यपरिषद् और राष्ट्रीय परिषद् । परन्तु सम्भवतः संसार में स्विट्ज़रलैण्ड ही एक ऐसा देश है जहाँ विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियों बराबर हैं। अमरीकी प्रतिनिधिसभा सीनेट के सामने फिकी है। ब्रिटिश लार्डसभा तुलना में कॉमन सभा से दुर्बल है, जबकि स्विस व्यवस्थापिका के बारे में स्ट्रांग ने लिखा है "संसार में स्विस व्यवस्थापिका ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्यों में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है।" स्विस कार्यपालिका की तरह स्विस व्यवस्थापिका भी संसार में अद्वितीय है।

9. अधिकार-पत्र का अभाव (No Bill of Rights) भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का अलग अध्याय दिया गया है। पर स्विस संविधान में ऐसा नहीं है। नागरिकों के मौलिक अधिकार अवश्य दिए गए हैं, परन्तु उनका उल्लेख संविधान के किसी एक भाग में नहीं किया गया है, बल्कि वे संविधान में यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं। उदाहरणार्थ संविधान के अनुच्छेद 4 में उस अधिकार की रक्षा का प्रावधान है, जिसे कानूनी स्वतंत्रता कहा जाता है। अनुच्छेद 27 में सबके लिए यह अधिकार देने की

व्यवस्था है कि कैण्टनों के स्कूलों में सभी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 49 के अन्तर्गत सबको धर्म व पूजा सम्बन्धी स्वतंत्रता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 55 सबको प्रेस व प्रकाशन सम्बन्धी स्वतंन्त्रता देता है। अनुच्छेद 60 स्विट्जरलैण्ड के सभी नागरिकों को इस बात का अधिकार देता है कि, वे किसी भी कैण्टन में स्वतंत्रतापूर्वक रह सकें और वहाँ उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। अर्थात् स्विस संविधान में कोई अधिकार पत्र नहीं है। स्विस संविधान में अधिकारों का अलग से अध्याय नहीं है

10. न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति (Secondary Position of the Judiciary) - स्विस संघीय न्यायाधिकरण की महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है जैसी की भारत या अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की है। संघीय न्यायाधिकरण संघ के किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है वह यदि संघीय संविधान के विरुद्ध है। संघीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय सभा को है। यदि किसी कैण्टन का कोई कानून संघीय कानून या संविधान के विरुद्ध है, तो वह संघीय न्यायाधिकरण के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है।

11. कैण्टनों की स्वायत्तता (Autonomy of the Cantons) स्विस संघ में सम्मिलित कैण्टनों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। कैण्टनों के अलग-अलग संविधान है। कैण्टनों को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई है। यद्यपि संघ स्थापित करने की प्रक्रिया में कैण्टनों को अपनी सम्प्रभुत्ता को थोड़ा सीमित अवश्य करना पड़ा, फिर भी कैण्टनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, वास्तव में संघीय सरकार को कैण्टनों से ही शक्ति प्राप्त हुई है। वास्तव में यदि हमें स्विट्ज़रलैण्ड की शासन व्यवस्था को समझना है तो हमें संघ शासन के भीतर पाई जाने वाले कैण्टनों की स्वतंत्रता को समझना होगा। स्विस नागरिक 'राज्य मण्डल' (Confederation) की अपेक्षा अपने कैण्टन को अधिक चाहते हैं। "मैं कैण्टन का हूँ और कैण्टन मेरा है" (I belong to the canton and the canton belongs to me) जैसी भावना 'राज्यमण्डल' के प्रति नहीं पाई जाती है। स्विस नागरिकों के लिए कैण्टन ही सब कुछ है; राज्य मण्डल एक नीरस प्रजातंत्र है, कैण्टन एक जीवित अवयव (Living organism) है।

12. गतिशील संविधान (Dynamic Constitution) स्विस संविधान एक जीवित एवं गतिशील प्रलेख है। यह समय के अनुसार अपने-आपको बदलता रहा है। संविधान की आत्मा को छुए बिना संशोधनों द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है।

13. अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण (Compulsory Military Training) - स्विस संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार स्विट्ज़रलैण्ड में संघ सरकार को स्थायी सेनाएँ रखने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रत्येक स्विस नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। नागरिकों को राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार सैनिक सेवा देनी पड़ती है।

14. उदार संविधान (Liberal Constitution) स्विस संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है और इस धारणा पर आधारित है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए है। व्यक्ति के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का समुचित आदर किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्यम् नीति का प्रतिपादन किया है तथापि स्विस संविधान ने जनकल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के उपबन्धों द्वारा संशोधित कर इसे लोक-कल्याणकारी राज्य का रूप दे दिया है।

15. धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State)- संविधान द्वारा स्विट्ज़रलैण्ड में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 27 के अनुसार स्विट्ज़रलैण्ड के सभी नागिरकों को धर्मनिरपेक्षता के साथ प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 49 तथा 50 50 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी धर्म के नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया है। फिर भी यह विचित्र तथ्य है कि संविधान के अनुच्छेद 51 द्वारा जीसट्स धर्म पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

15.6 स्विस संविधान का भविष्य [Future of the Swiss Constitution]

सन् 1965 के अन्तिम दिनों में स्विस संघीय सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था कि चूँकि सन् 1974 में वर्तमान संशोधित संविधान को 100 वर्ष पूरे होंगे, अतः इस काल में संवैधानिक व्यवस्था के विषय में जो भी समस्याएँ देश के सामने आई हों, उनको तथा अन्य अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक नया आंशिक या पूर्णतः संशोधित संविधान बनाया जाए, जो सन् 1974 तक राष्ट्र के समक्ष आ जाए। संघीय परिषद् ने सन् 1966 में यह कार्य एक 'संविधान आयोग' को सौंपा। इस आयोग को संविधान के आमूलचूल परिवर्तन के बारे में सुझाव देने को कहा गया। किन्तु अभी तक आयोग ने सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। यह भविष्य ही बताएगा कि स्विस संविधान का नया रूप क्या होगा ?

15.7 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. स्विस संविधान का मुख्य आधार क्या है?
   (a) संघवाद (b) लोकतंत्र
   (c) प्रत्यक्ष जनतंत्र (d) उपरोक्त सभी

2. स्विस संविधान में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है?
   (a) शिक्षा का अधिकार (b) नीति निर्माण में भागीदारी
   (c) सुरक्षा का अधिकार (d) इनमें से कोई नहीं

3. स्विस संविधान _______ और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है।

4. स्विट्ज़रलैंड में जनमत संग्रह का उपयोग _______ के लिए किया जाता है।

5. स्विस संविधान का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय _______ और अखंडता को बनाए रखना है।

15.8 सार संक्षेप

स्विस संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय ढांचे पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, और कानून के शासन को सुनिश्चित करना है। यह देश को 26 कैन्टन में विभाजित करता है (राज्य), जो स्वायत्तता का आनंद लेते हैं लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्रीय सरकार के साथ समन्वय करते हैं।

स्विट्जरलैंड में सीधा लोकतंत्र)Direct Democracy) की प्रणाली भी है, जिसके अंतर्गत नागरिक **जनमत संग्रह)Referendum)** और **जन याचिका)Initiative)** के माध्यम से सरकार की नीतियों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं।

इस संविधान में संघीय, कैन्टन, और स्थानीय स्तर पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।

स्विस संविधान एक संघीय और लोकतांत्रिक संविधान है, जो प्रत्यक्ष जनतंत्र की अद्वितीय प्रणाली पर आधारित है। यह संविधान नागरिकों को नीति निर्माण में भाग लेने का अधिकार देता है। इसके संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्य की शक्तियां संतुलित की गई हैं। स्विस संविधान का अध्ययन यह समझने में सहायक है कि किस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों और संघीय प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

उत्तर 1 : (d) उपरोक्त सभी, **उत्तर 2 :** (b) नीति निर्माण में भागीदारी, **उत्तर 3 :** संघवाद,**उत्तर 4 :** नीति निर्धारण,**उत्तर 5 :** एकता

15.9 मुख्य शब्द

- **संघीयता)Federalism)**: स्विट्जरलैंड एक संघीय राज्य है, जिसमें 26 kantons (राज्यहोते हैं (, जो संविधान के तहत अपनी स्वायत्तता का उपयोग करते हैं।
- **प्रत्यक्ष लोकतंत्र)Direct Democracy)**: स्विट्जरलैंड में नागरिकों को सरकार की नीतियों पर सीधे वोट देने का अधिकार होता है। इस व्यवस्था के तहत लोग जनमत संग्रह)referendum) के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं।
- **राजनीतिक अधिकार)Political Rights)**: नागरिकों को स्वतंत्र रूप से चुनावों में भाग लेने का अधिकार होता है और वे अपनी सरकार के गठन में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं।
- **न्यायिक स्वतंत्रता)Judicial Independence)**: स्विस संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, जिससे न्यायिक प्रणाली सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
- **संविधान का स्थिरता)Constitutional Stability)**: स्विस संविधान में संशोधन के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ताकि संविधान की स्थिरता बनी रहे।
- **समानता और अधिकार)Equality and Rights)**: संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार और मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- **सार्वजनिक सुरक्षा)Public Security)**: स्विट्जरलैंड का संविधान सार्वजनिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को प्राथमिकता देता है, साथ ही हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
- **नागरिक स्वतंत्रता)Civil Liberties)**: संविधान में नागरिकों की स्वतंत्रता, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यात्रा की स्वतंत्रता, और धर्म की स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है।

15.10 संदर्भ ग्रन्थ

1. गोयल, बी. (2018). *स्विट्जरलैंड का संविधान: एक अध्ययन.* नई दिल्ली: भारतीय विधि प्रकाशन।
2. शर्मा, ए. (2020). "स्विस संविधान की संघीय विशेषताएँ: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण," *भारतीय संवैधानिक समीक्षा,* 12(3), 45-62।

3. जोशी, आर. (2019). "स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली," *राजनीतिक अध्ययन जर्नल*, 8(2), 15-30।
4. पटेल, के. (2021). "संविधान और संघीय प्रणाली: स्विट्जरलैंड का अनुभव," *भारतीय विधि जर्नल*, 16(1), 78-91।
5. वर्मा, पी. (2022). *संविधान और लोकतंत्र: स्विट्जरलैंड का मॉडल*. जयपुर: राष्ट्रीय विधि प्रकाशन।

15.11 अभ्यास प्रश्न

निबन्धात्मक प्रश्न

1. "ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों ने स्विट्ज़रलैण्ड के संवैधानिक विकास के रूप को प्रभावित किया है।" इस कथन की परीक्षा कीजिए।

2. स्विस संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है?

3. स्विट्ज़रलैण्ड के संविधान के प्रमुख लक्षणों का संक्षिप्त परीक्षण करें।

4. स्विस संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

संक्षिप्ट टिप्पणी लिखिए-

1. कैण्टनों की स्वायत्तता ।

2. बहुल कार्यपालिका ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. स्विस संविधान का निर्माण कब हुआ ?

(अ) 1848 (ब) 1889

(स) 1874 (द) 1950

2. स्विस संविधान में पूर्ण संशोधन कब हुआ ?

(अ) 1848 (ब) 1874

(स) 1789 (द) 1947

3. स्विस संविधान किसके लिए प्रसिद्ध है?

(अ) संघात्मक प्रणाली (ब) संसदीय शासन

(स) बहुल कार्यपालिका (द) शक्ति पृथक्करण ।

बलॉक - IV

इकाई -16

स्विस कार्यपालिका : संघीय सरकार

[SWISS EXECUTIVE: FEDERAL GOVERNMENT]

16.1 प्रस्तावना

16.2 उद्देश्य

16.3 स्विस संघीय सरकारः संगठन

16.4 संघीय सरकार के कार्य और शक्तियाँ

16.5 संघीय सरकार तथा संघीय संसद में सम्बन्ध

16.6 स्विस संघीय सरकार की विलक्षणता

16.7 स्विस संघीय सरकार की ब्रिटिश कार्यपालिका से तुलना

16.8 स्विस संघीय सरकार की अमरीकी कार्यपालिका से तुलना

16.9 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

16.10 सार संक्षेप

16.11 मुख्य शब्द

16.12 संदर्भ ग्रन्थ

16.13 अभ्यास प्रश्न

16.1 प्रस्तावना

स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका, जिसे *संघीय परिषद* (Federal Council) कहा जाता है, एक अद्वितीय राजनीतिक संरचना है। यह एक सामूहिक कार्यपालिका है, जो लोकतंत्र और संघीय प्रणाली के आधार पर संचालित होती है। इसकी स्थापना स्विट्ज़रलैंड के संघीय संविधान (1848) के तहत हुई थी, और यह देश की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करती है। संघीय परिषद स्विट्ज़रलैंड के संघीय सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है, जो देश के प्रबंधन, प्रशासन, और विदेश नीति के संचालन के लिए जिम्मेदार होती है।

पिछले अध्याय में हमने संसदीय एवं अध्यक्षीय कार्यपालिका का अध्ययन किया। ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका है। संसदीय कार्यपालिका में नाममात्र का और वास्तविक प्रधान अलगअलग होते हैं तथा कार्यांग और विधानांग का समन्वय होता है। अमेरिका - में अध्यक्षीय कार्यपालिका है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में मुख्यतः एक ही कार्यपालक होता है तथा सिद्धान्त में शक्तियों का पृथक्करण होता है, परन्तु व्यवहार में 'नियंत्रण और सन्तुलन' के सिद्धांत को अपनाकर शासनतंत्र को सुचारू रूप दिया जाता है। - -इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की कार्यपालिका भी होती है जिसमें कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति विशेष में निहित न होकर एक सम्पूर्ण सभा मेंसमाहित होती है। उनके समस्त सदस्य संयुक्त रूप से कार्यांग के कार्य सम्पादित करते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से यह समिति विधायिका का ही एक अंग होती है। वस्तुतः कार्यपालिका का इसमें पृथक् अस्तित्व होता ही नहीं है। यदि कोई राज्याध्यक्ष होता भी है तो केवल नाममात्र का। यह पद्धति संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों से भी प्राचीन है। इसी कारण इसे रूढिवादी बहुल तथा कॉलेजियल कार्यपालिका के विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वर्तमान में स्विट्जरलैण्ड में ऐसी बहुल कॉलेजियल कार्यपालिका है।

16.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. स्विस कार्यपालिका की संरचना और इसके प्रमुख घटकों को समझ सकेंगे।
2. स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. स्विस कार्यपालिका में मंत्रीमंडल के रूप में कार्य करने वाले विभिन्न संघीय विभागों के कार्यों और जिम्मेदारियों को पहचान सकेंगे।
4. स्विस सरकार में संघीय परिषद (Federal Council) की भूमिका और इसके निर्णय प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
5. स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका के संगठनात्मक ढांचे और इसकी शक्ति विभाजन के सिद्धांतों पर चर्चा कर सकेंगे।
6. स्विस कार्यपालिका की निर्णय प्रक्रिया और नीति निर्माण में जनप्रतिनिधित्व की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।
7. स्विट्ज़रलैंड की संघीय प्रणाली के तहत कार्यपालिका और अन्य शाखाओं के बीच सहयोग और परस्पर कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे।

8. स्विस कार्यपालिका में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और नागरिक सहभागिता के सिद्धांतों को पहचान सकेंगे।
9. स्विट्ज़रलैंड के संघीय सरकार के इतिहास और इसकी विकास यात्रा पर विचार कर सकेंगे।

16.3 स्विस संघीय सरकारः संगठन (Swiss Federal Government: Organisation)

रचना-स्विस संघीय सरकार स्विस कार्यपालिका है। नये संविधान के अनुच्छेद 175 में संघीय सरकार के गठन तथा कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 है। इनका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं। संघीय सरकार का चुनाव चार वर्ष के लिए होता है। इसे इस अवधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। यदि चार वर्ष से पूर्व कोई स्थान खाली हो तो उसको संघीय संसद अपने अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करके भर देती है।

वहाँ इस प्रकार की परम्परा है कि संघीय सरकार के सातों सदस्यों में प्रायः सभी दलों के प्रतिनिधि आ जाते है और ऐसा नहीं होता कि सब सदस्य एक ही दल के हो जाएँ। संघीय सरकार में अधिक से अधिक कैण्टनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह निश्चित किया गया कि उसमें एक कैण्टन से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। निर्वाचन विधि के सम्बन्ध में एक प्रतिबन्ध कानून द्वारा आरोपित किया गया है। रक्त सम्बन्ध तथा वैवाहिक सम्बन्ध के आधार पर निकटतम सम्बन्धी सरकार के सदस्य नहीं हो सकते। कदाचित् ऐसा प्रावधान इस कारण किया गया कि सरकार में भाई-भतीजावाद के बीज उत्पन्न न होने पाएँ और उसे निहित स्वार्थों अथवा गुटबन्दी से दूर रखा जाए।

स्विट्जरलैण्ड में यह परम्परा है कि दोनों विशालतम ज्यूरिख और बर्न के कैण्टन सदैव ही सरकार में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। अतः ये दोनों कैण्टन एक प्रकार से सरकार के स्थायी सदस्य हैं। शेष पाँचों स्थानों पर अन्य कैण्टनों के प्रतिनिधि बारीबारी से चुने जाते - हैं। रैपर्ड के अनुसार इन प्रथाओं ने संघीय सरकार में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की पेचीदा और कठिन समस्या का अच्छा हल निकाला है। फ्रेंच तथा इतलावी भाषाभाषी कैण्टनों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाने - की व्यवस्था है। इस प्रकार स्विस संघीय सरकार में विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों के प्रतिनिधित्व की प्रत्याभूति की गई है। यदि कोई सदस्य पुनर्निर्वाचन की इच्छा व्यक्त करें तो उन्हें प्रायः पुनर्निवार्चित कर लिया जाता है। कई सदस्य बीसबाईस वर्ष तक -

सरकार के निरन्तर सदस्य बने रहे। इस निरन्तर सदस्यता के कारण संघीय सरकार के सदस्य अनुभवी प्रशासक और विशेषज्ञ बन जाते हैं।

योग्यताएँ- कोई भी व्यक्ति, जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वे ही व्यक्ति संघीय सरकार के सदस्य चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्य है। संघीय सरकार के सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें प्रतिनिधि सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। संघीय सरकार का कोई भी सदस्य किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संघीय सरकार में चुने जाने के लिए प्रत्याशी को विनम्र तथा सेवाभावी होना पड़ता है।-

वेतन-संघीय सरकार के प्रत्येक सदस्य को 80 हजार फेंक वार्षिक वेतन तथा सरकार के अध्यक्ष को 90 हजार फ्रेंक वेतन मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दस वर्ष तक सरकार का सदस्य रह चुका हो तो उसे 55 वर्ष की आयु में पेंशन दे दी जाती है। यह पेंशन वेतन का 40 से 60 प्रतिशत तक होती है। संघीय सरकार के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मन्त्रियों से बहुत कम है। प्रायः सरकार के सदस्य सादगी से सामान्य स्विस नागरिक की ही भाति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे बहुत शान से नहीं रहते और न ही वे अधिक व्यय करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब एक सदस्य से यह पूछा गया कि वह तीसरी श्रेणी में क्यों यात्रा करता था तो उसने उत्तर दिया कि चूंकि वहाँ चौथी श्रेणी नहीं है।

संघीय सरकार के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष- नये संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन संघीय संसद स्वयं करती है। दोनों ही पदों पर व्यक्ति दुबारा चुना जा सकता है, पर उसका चुनाव लगातार दो बार नहीं हो सकता है। अब यह परम्परा बन गई है कि सरकार का सबसे वरिष्ठ सदस्य सदस्य ही अध्यक्ष बनता है। यह भी परम्परा बन गई कि इस वर्ष का उपाध्यक्ष अगले वर्ष अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।

संघीय सरकार के अध्यक्ष को ही 'स्विस राष्ट्रपति' कहकर सम्बोधित किया जाता है। सुविधा, स्तर व अधिकार की दृष्टि से अध्यक्ष के पद कां कोई विशिष्ट महत्व नहीं है। सरकार का अध्यक्ष उन सात व्यक्तियों में से ही होता है, जो सब दृष्टियों से समान शक्तिशाली है। अध्यक्ष पद के अधिकारी का कोई विशिष्ट महत्व नहीं है, इसलिए वहाँ व्यवस्था यह है कि अध्यक्ष पद बारीबारी से सरकार के सब सदस्यों को प्राप्त होता है। - सरकार के अन्य सदस्यों के निर्णयों को बदलने का उसेकोई अधिकार नहीं है। उसका वास्तविक कार्य केवल इतना ही है कि संघीय सरकार की बैठकों की अध्यक्षता करे, संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करे, देशविदेश में औपचारिक कृत्यों का सम्पादन करना-,

सरकार के कार्यों का निरीक्षण एवं संचालन करना, ग्रन्थि पड़ जाने पर निर्णायक मत देना आदि।

स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को विधेयक पर निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है तथा (वीटो) सरकार के अन्य सदस्यों की तरह वह एक प्रशासकीय विभाग का अध्यक्ष रहता है। उसके कोई विशेषाधिकार नहीं होते। वह केवल औपचारिक अवसरों पर नाम मात्र का राज्याध्यक्ष होता है। उसे महत्वहीन राष्ट्रपति)A President without significance) कहा जाता है।

अध्यक्ष का वेतन भी अन्य सदस्यों के समान रहता है। केवल उसे दस हजार फ्रेंक अतिरिक्त भत्ता मिलता है। वह एक सामान्य से मकान में रहता है तथा उसे केवल एक नौकर रखने का अधिकार है। उसका मुख्य कार्य अपने विभाग का संचालन करना है। वहाँ विदेशों के प्रतिनिधियों व राजदूतों आदि को मान्यता देने का कार्य भी संघीय सरकार सामूहिक रूप से करती है। स्विस कार्यपालिका को बहुल)Plural) या सहयोगी)Collegial) कार्यपालिका कहा जाता है और चूँकि अध्यक्ष पद के कोई विशेष अधिकार नहीं है, इसलिए हंस ह्यूबर ने कहा है कि "संघ का कोई अध्यक्ष नहीं है।"

स्विस राष्ट्रपति के बारे में लावेल ने लिखा हैवह साधारण रूप से राष्ट्र की " - कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होता है और इस कारण वह यह जानने का प्रयत्न करता है कि उसके साथी क्या कर रहे हैं और राज्य के नाममात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करता है।बुक्स के अनुसार इसकी सर्वोच्च पारितोषिक " के रूप में कामना की जाती है। यह पद समस्त स्विस जनता के द्वारा सम्मानपूर्ण समझा जाता है।

संघीय सरकार के विभागों का वितरण- संघीय सरकार के सात विभाग होते हैं - वैदेशिक मामले, न्याय और पुलिस, गृहसेना-, वित्त, उद्योग व कृषि, डाक तथा रेलवे। प्रत्येक सदस्य एक विभाग का अध्यक्ष होता है। आरम्भ में वैदेशिक विभाग सरकार के अध्यक्ष के पास होता था, परन्तु यह पद्धति बदल गई क्योंकि अध्यक्ष के बदलने से प्रतिवर्ष यह विभाग भी अलग व्यक्ति के पास चला जाता था। अब इस विभाग को किसी भी सदस्य के पास निरन्तर कई वर्षों तक बने रहने दिया जाता है।

औपचारिक रूप से विभागों का वितरण संघीय सरकार द्वारा ही किया जाता है, परन्तु व्यवहार में निर्वाचन के समय ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसके पास कौन सा विभाग रहेगा। विभागों का वितरण राजनीतिक दलबन्दी के आधार पर नहीं, वरन् प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होता है। सरकार का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग का उपाध्यक्ष भी होता है जो

उस विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। इससे न केवल आती "टीम स्प्रिट" है। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विभाग में दक्षता प्राप्त करता है जिससे प्रशासन में अपने विभाग के विशेषज्ञ होते -कार्यकुशलता बढ़ती है। संघीय सरकार के सदस्य अपने हैं।

व्यवहार में संघीय सरकार का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रबन्ध करता है और महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ही करता है जबकि सिद्धान्तः संविधान संघीय सरकार को एक निकाय के रूप में देखता है। अनुच्छेद 177 में स्पष्ट कहा गया है -) संघीय सरकार को अपने समस्त निर्णय एक सामूहिक निकाय"Collective body) के रूप में लेगी।"

संघीय सरकार की बैठके- संघीय सरकार नियमित रूप से बैठकें करती है। इन बैठकों में सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। इसकी गणपूर्ति चार है, लेकिन सदस्य अनुपस्थित कम ही रहते हैं। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे लिखित कारण बताना पड़ता है। सरकार की सहायता के लिए सचिवालय है। सचिवालय का प्रधान चांसलर होता है। अनुच्छेद 179 में कहा गया है कि संघीय चौंसलरी संघ " "सरकार का सामान्य स्टाफ है जो संघीय चांसलर के निर्देशन में कार्य करेगा।

16.4 संघीय सरकार के कार्य और शक्तियाँ [Functions and Powers of the Federal Govertiment]

स्विस संघीय सरकार के अधिकार और शक्तियाँ मौलिक हैं जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से संविधान से प्राप्त करती है। इंग्लैण्ड और भारत के मन्त्रिमण्डल के समानं वह किसी राज्याध्यक्ष की सैद्धान्तिक शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग नहीं करती। वह किसी संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व नहीं करती। स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से 187 में संघीय सरकार के अधिकारों और कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसके निम्नलिखित कार्य है-

1. अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य) -Executive and Administrative Functions) अनुच्छेद 174 के अनुसार स्विस संघीय सरकार स्विस राज्य मण्डल की उच्चतम कार्यपालिका सत्ता)Highest governing and executive authority) है जिसे निम्नांकित कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है-

अनुच्छेद 177 के अनुसार प्राशसनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करेंगे। अनुच्छेद 178 के अनुसार संघीय सरकार संघीय

प्रशासन का संचालन करेगी और संघीय प्रशासन विभागों में विभक्त होगा। अनुच्छेद 180 के अनुसार संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी या सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करेगी। अनुच्छेद 184 के अनुसार संघीय सरकार स्विट्जरलैण्ड के हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन करेगी। यह विदेशों में स्विट्जरलैण्ड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियाँ करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। अनुच्छेद 185 के अनुसार बाह्य आक्रमण से स्विट्जरलैण्ड की स्वतंत्रता एवं तटस्थता की रक्षा करना तथा आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है। संघीय सेना पर संघीय सरकार का नियंत्रण रखा गया है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यावश्यक हो तो संघीय सरकार स्वंय अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यदि तीन सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक है।

अनुच्छेद 187 के तहत् संघीय सरकार को निम्नांकित कृत्य भी सौंपे गये हैं:

(i) यह संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी,

(ii) यह संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देती रहेगी,

(iii) यह वे सभी नियुक्तियों करेगी जो अन्य सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

संघीय सरकार उपर्युक्त कृत्यों एवं शक्तियों के अतिरिक्त विदेशी अतिथियों का स्वागत, विदेशी राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना जैसे कतिपय औपचारिक कार्य भी करती है।

कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में संघीय सरकार एक वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत करती है। व्यवस्थापिका में सरकार के कार्यों पर विचार-विमर्श होता है, आलोचना होती है, परन्तु स्विस विधायिका सरकार को 'अविश्वास प्रस्ताव' द्वारा अपदस्थ नहीं कर सकती।

2. विधि) निर्माण सम्बन्धी कार्य-Legislative Functions)- संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कानूनों के विधेयक संघीय संसद में प्रस्तुत करे। लगभग समस्त कानूनों के विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक भी पहले सरकार के पास सुधार व सुझावों के लिए भेजे जाते है और उसके बाद ही उन पर स्विस विधायिका विचार करती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त विधायन के अन्तर्गत नियम बनाने का

भी अधिकार संघीय सरकार को है। अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति के विषय में स्विस संघीय सरकार की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परन्तु वे व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। वे संघीय संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, वाद विवाद में भाग ले सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर देकर विधानमण्डल की शंका का समाधान कर सकते हैं। संघीय संसद के सदस्य न होने के कारण वे मतदान में भाग नहीं ले सकते। वे संघीय संसद के सहायक हैं जो उसको इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते।

कैण्टनों के विधिनिर्माण के सम्बन्ध में भी संघीय सरकार को कति-पय शक्तियाँ प्राप्त है। कैण्टनों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कानूनों तथा अध्यादेशों पर संघीय सरकार की स्वीकृति कराएँ। रैपर्ड के शब्दों में, "संघीय सरकार कार्यपालिका के साथ- "साथ व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य भी करती है।

3. वित्तीय कार्य) Financial Functions)- अनुच्छेद 183 के अनुसार सरकार संघीय बजट को तैयार करती है। सरकार ही संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह स्विस राज्यमण्डल के वित्तीय प्रशासन को चलाती है। यह संघीय सरकार के खर्च और आमदनी को हिसाब संघीय संसद का देती है। यह राजस्व तथा अन्य करों को इकट्ठा करती है। यह संघीय सरकार के सारे खर्च की देखभाल करती है जिसकी स्वीकृति संघीय संसद ने दी हुई होती है।

4. राज्यमण्डल और कैण्टनों के मध्य सम्बन्धों का संचालन- नये संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत् संघीय सरकार राज्यमण्डल और कैण्टनों के मध्य सम्बन्धों का संचालन करेगी तथा कैण्टनों के साथ सामंजस्य बनायेगी। वह कैण्टनों द्वारा निर्मित उन विधियों को स्वीकृति देगी जिनका सम्बन्ध संघीय कानूनों के क्रियान्वयन से है। वह संघीय विधि, कैण्टनों के संविधान, अन्तर्राष्ट्रीय संधि आदि के क्रियान्वयन एवं पालनार्थ आवश्यक कदम उठायेगी।

5. न्यायिक कार्य) Judicial Functions)- संघीय सरकार की कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। पहले भी संघीय परिषद् ही संवैधानिक कानूनों से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में उठने वाले विवादों का निर्णय किया करती थी, किन्तु काफी वर्ष पूर्व यह कार्य संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गया। पहले यह परिषद् संघ के मुख्य प्रशासनिक न्यायालय का भी कार्य करती थी, किन्तु इस क्षेत्र में अब संघीय सरकार का अधिकार - क्षेत्र सीमित रह गया है।

सन् 1914 के संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी काफी शक्तियाँ कम कर दी गई। लेकिन अब भी इसे कई महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे) -i) कैण्टनों द्वारा आपस में किए गए समझौतों अथवा कैण्टनों और पड़ौसी राज्यों के बीच किए गए समझौतों की यह इस दृष्टि से परीक्षा करती है कि वे संविधान के विरुद्ध तो नहीं है।)ii) यह संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरूद्ध अपील भी सुनती है।)iii) यह संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों की अपीलें सुनती है।)iv) यदि कैण्टनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो, तो यह केण्टनों के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुन सकती है।)v) यह केण्टनों की व्यापार सम्बन्धी सन्धियों के आधार पर होने वाले झगड़े, व्यवसाय तथा निवास सम्बन्धी प्रश्नों की अपील सुन सकती है।

संकटकालीन कार्य) Emergency Powers)- स्विस संविधान में भारतीय संविधान की भाँति कार्यपालिका की संकटकालीन शक्तियों की कोई चर्चा नहीं की गई है। किन्तु प्रायः संकट के समय व्यवहार में स्विस व्यवस्थापिका संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार सौंप देती है। नये संविधान के अनुच्छेद 185 में प्रावधान है कि देश की स्वतंत्रता एवं बाह्य सुरक्षा बनायें रखने के लिए संघीय सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है; आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए यह कदम उठा सकती है; अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्यवाही करने के लिए यह सेना का प्रयोग कर सकती है।

16.5 संघीय सरकार तथा संघीय संसद में सम्बन्ध [Relation between Federal Government and Federal Parliament]

जर्चर के मतानुसार, "स्विस संविधान का सिद्धान्त यह प्रतीत होता है कि कार्यपालिका शासन की एक स्वतंत्र अथवा सहायक शाखा न होकर संघीय संसद की सेविका है। " ब्राइस ने कहा है कि, कानूनी दृष्टि से संघीय सरकार संघीय संसद की सेवक है, यद्यपि व्यवहार में यह लगभग उतना ही प्रभाव डालती है जितना कि ब्रिटिश केबिनेट। स्विस संघीय सरकार तथा संघीय संसद का सम्बन्ध इस प्रकार है-

(1) संघीय सरकार का निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा होता है, परन्तु संघीय संसद उसे अपदस्थ नहीं कर सकती, उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं कर सकती। इसी प्रकार संघीय सरकार संघीय संसद के किसी भी सदन का विघटन नहीं कर सकती।

(2) स्विस संघीय सरकार को संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर 'वीटो' की शक्ति प्राप्त नहीं है।

(3) संघीय सरकार संघीय संसद का नेतृत्व भी करती है और उसके निर्णयों का पालन भी। यह मार्गदर्शक और अनुगामी दोनों ही है। यह विधेयकों के बारे में सुझाव देने के साथसाथ प्रारूप भी तैयार करती है। न्यूमेन के मतानुसार संवैधानिक सिद्धान्त यह है - कि संघीय सरकार'संसद' का अभिकर्ता है और वह भी अधीन अभिकर्ता। संघीय सरकार के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते और उन्हें संसद को विघटित कराने की भी शक्ति प्राप्त नहीं होती, किन्तु व्यवहार में संघीय सरकार संघीय संसद से पूर्णतया स्वतंत्र है।

(4) स्विट्जलैण्ड में संघीय संसद को यह अधिकार है कि वह सरकार के कार्यों को आलोचना कर सकें, उन पर विवाद कर सके, प्रश्न पूछ सके तथा यदि आवश्यक समझे तो उन्हें या उनमें से किसी को अस्वीकृत कर सके। दोनों में मतभेदों की दशा में संघीय सरकार अपना पद रिक्त नहीं करती। दूसरे शब्दों में यदि संघीय संसद संघीय सरकार की इच्छा के विरूद्ध कोई प्रस्ताव पारित भी कर दे तो भी संघीय सरकार त्याग पत्र नहीं देती। संघीय सरकार संघीय संसद के समक्ष झुकने में अपना गौरव समझती है। इससे उनके सम्मान अथवा प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं पहुँचाता। स्विस संघीय सरकार के सम्बन्ध में लॉवेल ने लिखा हैउनकी स्थिति एक वकील या शिल्पी के समान है। " - उनकी नियुक्ति करने वाला उनसे परामर्श मांगता है, साधारणतः परामर्श पर ध्यान भी देता है। लेकिन यदि उनकी नियुक्ति करने वाला उनके परामर्श के विरुद्ध काम करने की हठ करे, तो इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी।"

(5) संघीय सरकार के अधीन है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार "संसद" सार्वजनिक मामलों पर कोई प्रभाव नहीं रखती। संसद अधिकतर मामलों में पहल करने का अधिकार संघीय सरकार को देती है और सरकार ही शासन का संचालन करती है। संक्षेप में, संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के 'एजेण्ट' है जो संसद की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते।

16.6 स्विस संघीय सरकार की विलक्षणता [Unique Features of the Swiss Federal Government]

स्विस संघीय सरकार का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस कार्यपालिका का निरालापन केवल यहीं नहीं है कि उसमें राष्ट्रपति का पद इतना गौण और अशक्त है कि बेचारा राष्ट्रपति ट्राम पर बैठकर अपने कार्यालय जाता है बल्कि और भी कई विलक्षणताएँ उसमें देखने को मिलेगी। यह संसार की एक अनुपम संस्था है, इसका अपना ही सौन्दर्य है, जो अधोलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट हो जाता है।

1. विचित्र कार्यपालिका) Unique Executive)- स्ट्रॉग के अनुसार, "विश्व की वैधानिक पद्धतियों में स्विस कार्यपालिका अनुपम है। स्विट्जरलैण्ड के समस्त राजनीतिक संस्थाओं संघीय सरकार सबसे विलक्षण है। अन्य किसी देश में उसकी टक्कर की कोई संस्था नहीं है। विश्व के अन्य देशों में या तो संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है अथवा अध्यक्षीय कार्यपालिका। स्विस कार्यपालिका का यह निरालापन ही है कि वह ना तो अध्यक्षीय कार्यपालिका है और न संसदात्मक ही। इसका निरालन ही इसकी मौलिकता है।"

2. बहुल कार्यपालिका) Plural Executive)- स्विस संविधान में संघ की उच्च कार्यपालिकासंख्या सात है। -शक्ति संघीय सरकार में है। संघीय सरकार की सदस्य-सी है। किसी भी वैधानिक स्थिति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। संघीय -इन सातों की सत्ता एक सरकार सामूहिक अथवा बहुल कार्यपालिका है जिसमें सत्ताकेन्द्रित नहीं अपितु बँटी रहती है।

3. निर्दलीय कार्यपालिका) Non-Party Executive)- विश्व के अधिकांश देशों में कार्यपालिका का सम्बन्ध किसीकिसी राजनीतिक दल से होता है। किन्तु स्विस -न-संघीय सरकार में समस्त दलों के प्रतिनिधि होते है और उनकी सदस्यता उनकी योग्यता पर निर्भर करती है। सन् 1959 के बाद की स्थिति का अध्ययन करने से पता चलता है कि 7 सदस्यीय संघीय कार्यपालिका में (संघीय सरकार)2 सदस्य फ्री डेमोक्रेटस, 2 क्रिश्चयन डेमोक्रेट, 2 सोशल डेमोक्रेट तथा। स्विस पीपुल्स पार्टी से रहा है। परन्तु 2004 में स्विस पीपुल्स पार्टी ने क्रिश्चयन डेमोक्रेट से एक स्थान छीन लिया है। सरकार की विलक्षणता इस बात में है कि सरकार के सदस्य दलीय भावना से कार्य नहीं करते। यह भी आवश्यक नहीं है कि दलीय अनुपात के आधार पर इनका निर्वाचन हो। इनका स्वभाव फ्रांस अथवा भारत में कार्यरत साझा सरकारों के समान नहीं होता और न उनमें दलीय विद्वेष के कारण तनावपूर्ण वातावरण ही रहता है। स्विस संघीय सरकार के एक राष्ट्रीय आयोग है जिसमें भावनात्मक एवं राजनीतिक एकता का अद्‌भुत रूप दिखाई देता है। सरकार के सदस्य निष्पक्षता से राष्ट्र सेवा का कार्य करते हैं। स्ट्रॉग ने लिखा हैसरकार का रूप दलबन्दी पर आधारित नहीं है। वह दल की सीमा से परे " -है। सदन में वह न तो दल का कार्य करता है और न ही सदन के विभिन्न दलों के कार्यों इसी प्रकार लार्ड ब्राइस ने भी कहा है "पर विचार करता है।, "ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ कार्यकारी सत्ता दलबन्दी से इतनी अप्रभावित हो।"

4. विशेषज्ञों की कार्यपालिका) Executive of Experts)- संघीय सरकार के सभी सदस्य अपनेअपने विभागों के विशेषज्ञ होते हैं। वहाँ विभागों का वितरण राजनीतिक -

दलबन्दी के आधार पर नहीं, वरन् प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होता है। संसदीय देशों की भाँति सरकार के सदस्य सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होते अपितु अपने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें लोकसेवा के अधिकारियों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना पड़ता। रैपर्ड ने लिखा है, "संघीय सरकार में निर्वाचन से, सामान्यतः इसके सदस्य संघीय संसद अथवा कैण्टनों की कार्यपालिका में पर्याप्त अनुभव अर्जित कर चुके होते हैं। वे युवावस्था में ही संघीय सरकार में नहीं पहुँच जाते।"

5. स्थायी कार्यपालिका) Permanent Executive)- संघीय सरकार के सदस्य चार वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल निश्चित और स्थायी होता है। संघीय सरकार में उनकी नीति का विरोध या खण्डन होने पर उन्हें पद त्याग की आवश्यकता नहीं। बार-बार के पुनर्निर्वाचन से उनका कार्यकाल और भी लम्बा हो जाता है। रैपर्ड ने लिखा है, "संसदीय देशों में मन्त्री आतेजाते रहते हैं-, वहाँ वास्तविक शासन तो अधिकारी करते हैं; किन्तु स्विस कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक स्वामिनी है।"

6. नेतृत्वविहीन कार्यपालिका) Executive without Leader) - स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के समकक्ष है। वह न तो अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है, न पदच्युत और न सरकार को नेतृत्व प्रदान करता है। एक स्विस नागरिक के अनुसार, "उसके पद का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है उसके पास न तो कोई विशिष्ट अधिकार है और न ही उसका कोई विशेष प्रभाव है।अतः संघीय सरकार का यह निरालापन है " कि वह किसी एक व्यक्ति की प्रधानता अथवा नेतृत्व में कार्य नहीं करती।

7. सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव) Lack of Collective Responsibility) - स्विस संघीय सरकार के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते। वे अलगअपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित-अलग अपने-्व न होने के कारण सरकार का कोई भी सदस्य अपने सहयोगी की आलोचना संघीय संसद में कर सकता है।

8. संसदीय तथा अध्यक्षीय पद्धतियों के वीच का मार्ग) Mixture of Parliamentary and Presi- dential System)- मुनरो के अनुसार, "स्विस संघीय सरकार संसदीय तथा असंसदीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुणों से युक्त तथा दोषों से मुक्त है। बहुल कार्यपालिका होते हुए भी एकतापूर्ण कार्यपालिका के गुण इसमें पाए जाते हैं। " संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में मन्त्रिमण्डल अस्थायी होते है; उनका कार्यकाल निश्चित नहीं रहता। हर राजनीतिक आँधी एक नया मन्त्रिमण्डल लेकर आती है। दूसरे

तरफ अध्यक्षात्मक शासन स्थायी होता है किन्तु राष्ट्रपति अनुत्तरदायी बन सकता है। स्विस कार्यपालिका की विलक्षणता इस प्रकार है-

(a) संसदीय उत्तरदायित्व किन्तु संसदीय अस्थिरता से मुक्त- संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण उत्तरदायित्व है। स्विस कार्यपालिका उत्तरदायी कार्यपालिका है, क्योंकि संसद उससे प्रश्न पूछ सकती है, बजट की स्वीकृति प्रदान करती है। विधायिका संघीय सरकार के सदस्यों की आलोचना कर सकती है। किन्तु संसदात्मक पद्धति का प्रधान दोष स्थिरता है। अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा संसद मंत्रिमण्डल को कभी भी अपदस्थ कर सकती है। आएदिन मन्त्रिमण्डल के बदलने से शासन में शून्यता आ जाती है। जिस - देश में हर सावन एक नया मन्त्रिमण्डल लेकर आता है तो वहाँ प्रशासन चौपट हो जाता है। स्विस कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका है चार वर्ष तक उसेकोई अपदस्थ नहीं कर सकता। स्विस व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास प्रकट किये जाने पर भी संघीय सरकार के सदस्य त्यागजब " -पत्र नहीं देते। इस सम्बन्ध में लार्ड ब्राइस ने लिखा है- मतभेद मौलिक न हो तो केवल इसलिए अपने एक अच्छे नौकर को छोड़ दिया जाना उचित नहीं है कि वहउन मामलों पर, जो उसके कार्यक्षेत्र के नहीं है, मतभेद रखता है। इसी तरह उस डाक्टर को भी क्यों बदल दिया जाये कि धर्म के मामले में आप उससे भिन्न मत रखते है।"

(b) अध्यक्षीय स्थायित्व किन्तु अध्यक्षीय अनुत्तरदायित्व से विमुख- अध्यक्षात्मक शासन पद्धति का प्रमुख गुण स्थायित्व है। कार्यपालिका का निर्वाचन निश्चित समय के लिए होता है तथा समय से पूर्व उसे हटाना कठिन है। स्विस संघीय सरकार में यह गुण है कि वह चार वर्ष तक स्थायी रूप से अपने पद पर बनी रहती है। किन्तु अध्यक्षीय पद्धति में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता तथा शक्तिपृथक्करण का सिद्धान्त लागू रहता है। स्विस संघीय सरकार इस दोष - से मुक्त है क्योंकि वह संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद में सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते है, उन्हें उत्तर देना पड़ता है। उनकी तीखी आलोचना होती है ताकि वे गलती न कर सकें।

(c) उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का योग-स्विस संघीय सरकार में उत्तरदायित्व व स्थायित्व का बड़ा उपयोगी मिश्रण है। शासन जनता के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी रहे और साथसाथ व स्थायी बना रहे-ही-, ये दोनों बातें शासन के श्रेष्ठ होने कि शर्ते हैं। संघीय सरकार संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है किन्तु इसके साथ ही संघीय संसद उसे अपदस्थ नहीं कर सकती, अतः स्थायी है। रैपर्ड के अनुसार, "सिद्धान्त में संघीय संसद उन्हें त्यागपत्र देने को बाध्य कर सकती है अथवा उन्हें -

पदच्युत करसकती है, परन्तु व्यवहार में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, अतः अभिसमय के अनुसार वे कभी भी पदच्युत नहीं किये जा सकते, भले ही उनके कार्यक्रम अथवा नीतियों को अस्वीकार क्यों न कर दिया जाए।"

इस प्रकार स्विस संघीय सरकार में इंग्लैण्ड की संसदीय प्रणाली का उत्तरदायित्व तथा अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली का स्थायित्व पाया जाता है। डायसी ने लिखा है, "ऐसी शासनप्रणाली-, जो अपने प्रकार की निराली है, जो अध्यक्षात्मक तथा मन्त्रिमण्डलात्मक प्रणाली से भिन्न है परन्तु जिसमें दोनों के कुछकुछ लक्षण पाये जाते हैं-न-, स्विट्जरलैण्ड की है।"

स्विस संघीय सरकार की वास्तविक स्थिति) Actual Position of the Swiss Federal Government) स्विस संघीय सरकार में न तो राष्ट्रपति होता है, न मन्त्रिमण्डल होता है और न उसका सामूहिक उत्तरदायित्व, न कार्यपालिका विधानमण्डल का विघटन कर सकती है और न विधानमण्डल कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकता है। विश्व में यह अपने ढंग की एक अनोखी संस्था है। इसमें दोनों पद्धतियोंसंसदीय और अध्यक्षीय के - गुणों को अपनाने तथा अवगुणों से बचने का प्रयत्न किया गया है। इसमें उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का अपूर्व सम्मिश्रण है। संघीय सरकार स्थायी तथा अविच्छिन है।

संघीय सरकार के सदस्य उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं। उनके पास प्रशासन का लम्बा अनुभव होता है। वे प्रशासनिक विभाग के विशेषज्ञ होते है, अतः व्यावहारिक राजनीति में उनका नेतृत्व स्थापित हो गया है। विधि निर्माण के क्षेत्र में पहल करने और- प्रशासन का नेतृत्व करने के कारण संघीय संसद की तुलना में सरकार अधिक शक्तिशाली निकाय के रूप में उभर रही है। रैपर्ड ने लिखा है, "संघीय संसद के संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी आज नेतृत्व स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के हाथों में चला गया है।"

16.7 स्विस संघीय सरकार की ब्रिटिश कार्यपालिका से तुलना (Federal Government compared with British Executive)

स्विस संघीय सरकार की ब्रिटिश कार्यपालिका से तुलना इस प्रकार है-

स्विस संघीय सरकार	ब्रिटिश कार्यपालिका
1. स्विस संघीय सरकार में कार्यपालिका शक्ति का वास है। संघीय सरकार सर्वोच्च कार्यपालिका है। संघीय सरकार के सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं।	ब्रिटेन में सिद्धान्तत: कार्यपालिका शक्ति सम्राट में निहित है। वास्तविक शक्तियाँ मन्त्रिमण्डल में निहित होती है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं।
2. संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन नव-निर्वाचित संघीय संसद के सदस्यों में से किया जाता है।	इंग्लैण्ड में भी आम निर्वाचन के पश्चात् मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति लोकसदन और लार्डसभा में से ही होती है।
3. स्विट्जरलैण्ड में सरकार के चुने जाने के बाद सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं रहते।	ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद के सदस्य बने रहते हैं।
4. स्विस संघीय सरकार संघीय संसद को भंग नहीं कर सकती।	ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल कतिपय परिस्थितियों में लोकसदन का विघटन करवा सकता है।
5. संघीय सरकार के सदस्य संसद में उपस्थित होते हैं, विधेयक प्रस्तुत करते हैं, वाद-विवादों में भाग लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं।	ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी संसद में उपस्थित होते हैं, विधेयक प्रस्तुत करते हैं, वाद-विवादों में भाग लेते हैं तथा प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
6. संघीय सरकार ही संसद के सामने देश की आय-व्यय का बजट प्रस्तुत करती है।	इंग्लैण्ड में बजट निर्माण तथा संसद् से बजट पारित कराना मन्त्रिमण्डल का कार्य है।
7. स्विस संघीय सरकार आकार में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से बहुत छोटी है।	मन्त्रिमण्डल आकार में काफी बड़ी संस्था है।
8. स्विस सरकार के किसी सदस्य की स्थिति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भाँति संघीय सरकार का कोई सदस्य अपनी टीम का नेता नहीं होता।	ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। वह ऐसा सूर्य है जिसके चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं।
9. सरकार के सदस्यों का निर्वाचन स्विस संघीय संसद के दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन में करते हैं।	इंग्लैण्ड में मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट नियुक्त करता है।
10. स्विस संघीय सरकार के सदस्यों का चयन केवल एक ही दल के सदस्यों में से नहीं होता। संघीय सरकार के सदस्य दलबन्दी के आधार पर नहीं बल्कि निर्दलीय रूप में कार्य करते हैं।	ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल का गठन केवल दलीय आधार पर होता है तथा मन्त्रिमण्डल अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में दलीय आधार पर ही कार्य करता है।
11. स्विस संघीय संसद संघीय सरकार को अपदस्थ नहीं कर सकती। यदि संघीय संसद सरकार के किसी प्रस्ताव	ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल पर संसद का पूरा नियंत्रण है। लोकसदन मन्त्रिमण्डल को किसी भी समय अविश्वास प्रकट कर

को अस्वीकार कर देती है, तो संघीय सरकार त्याग-पत्र नहीं देती है।	अपदस्थ कर सकता है।
12. संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद में एक-दूसरे के विरुद्ध विचार प्रकट कर सकते हैं। उन्हें विचार-भेद रखने और प्रकट करने की स्वतंत्रता है।	मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही नीति का समर्थन करते हैं, अपने साथियों की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि वे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।
13. संघीय सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा मर्यादित हैं अतः वे निरंकुश नहीं है।	कभी-कभी मन्त्रिमण्डल एक अधिनायक की तरह कार्य करता है।

16.8 स्विस संघीय सरकार की अमरीकी कार्यपालिका से तुलना

(Federal Government compared with American Executive)

स्विस संघीय सरकार तथा अमरीकी कार्यपालिका से तुलना इस प्रकार है—

स्विस संघीय सरकार	अमरीकी कार्यपालिका
1. स्विस संघीय सरकार एक स्थायी कार्यपालिका है। इसका निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है। चार वर्ष की अवधि से पूर्व इसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता।	अमरीकी राष्ट्रपति का निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है। महाभियोग के अतिरिक्त उसे हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित और स्थायी है।
2. स्विस संघीय सरकार के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते। निर्वाचन के बाद वे संसद की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देते हैं।	अमेरिका में न तो राष्ट्रपति और न उसके मन्त्रिगण कांग्रेस के सदस्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाता है जो कांग्रेस के किसी सदन का सदस्य है तो नियुक्ति के बाद वह कांग्रेस की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देता है।
3. स्विस संघीय सरकार देश में प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है, नियुक्तियाँ करती है तथा विदेश नीति का संचालन करती है।	अमेरिका में ये सभी कार्य राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह से करता है।
4. स्विस संघीय सरकार पर प्रश्नों व आलोचनाओं के द्वारा विधायिका नियंत्रण करती है।	अमरीकी राष्ट्रपति पर सीनेट नियुक्तियों की पुष्टि तथा संधियों की पुष्टि द्वारा नियंत्रण करती है।
5. स्विस संघीय सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। उनके सदस्य संसद की कार्यवाही एवं वाद-विवाद में भाग लेते हैं।	अमेरिका में कार्यपालिका के सदस्य कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वहाँ पूर्ण शक्ति-पृथक्करण है। अमरीकी काँग्रेस राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल से प्रश्न नहीं पूछ सकती।
6. स्विस संघीय सरकार निर्दलीय होती है।	अमेरिका में राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है।
7. स्विस संघीय सरकार बहुल कार्यपालिका है। कायपालिका सम्बन्धी शक्तियों का वास सात सदस्यों की एक परिषद् में है।	अमेरिका में कार्यपालिका-शक्ति एक व्यक्ति 'राष्ट्रपति' में निहित है। उसके द्वारा नियुक्त मन्त्री किसी भी दृष्टि से उसके समान नहीं है।
8. स्विस संघीय सरकार के सातों सदस्य संघीय संसद द्वारा निर्वाचित होतें हैं।	अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है। व्यवहार में यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन है।
9. स्विस संघीय सरकार के सदस्यों पर अवधि की कोई सीमा नहीं है; वे चाहें तो जीवनपर्यन्त सरकार के सदस्य निर्वाचित होते रह सकते हैं।	अमेरिका में कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकता।

16.9 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. स्विस संघीय परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं?

(a) 5 (b) 7
(c) 9 (d) 10

2. स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की विशेषता क्या है?
(a) केंद्रीकरण (b) तानाशाही
(c) विकेंद्रीकरण (d) सामूहिक नेतृत्व

3. स्विस संघीय परिषद ______ सदस्यों द्वारा संचालित होती है।

4. स्विट्जरलैंड की सरकार का संगठन ______ सिद्धांतों पर आधारित है।

5. स्विस संघीय सरकार और संसद के बीच संबंध ______ पर आधारित हैं।

16.10 सार संक्षेप

स्विस संघीय सरकार एक सामूहिक कार्यकारी प्रणाली है, जो सात सदस्यों द्वारा संचालित होती है। इसका संगठनात्मक ढांचा शक्ति के संतुलन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह सरकार संघीय संसद के साथ निकट सहयोग में कार्य करती है और स्विट्जरलैंड के नागरिकों को व्यापक स्तर पर भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। इसकी प्रणाली की विशेषता इसका विकेंद्रीकरण, तटस्थता और सामूहिक नेतृत्व है।

सदस्य संख्या: संघीय परिषद में **7 सदस्य** होते हैं, जिन्हें **स्विस संसद** (संघीय सभा (द्वारा चार साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

समान अधिकार: सभी 7 सदस्य समान अधिकार और कर्तव्यों के साथ सामूहिक रूप से सरकार का नेतृत्व करते हैं। इनमें से प्रत्येक सदस्य को एक मंत्रालय सौंपा जाता है।

घूर्णन अध्यक्षता: परिषद का अध्यक्ष हर साल बदला जाता है। यह राष्ट्रपति का कार्य सांकेतिक होता है और उसे देश का प्रमुख माना जाता है, लेकिन उसके पास अतिरिक्त शक्तियां नहीं होतीं।

गुटनिरपेक्षता: स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद अक्सर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि गुटनिरपेक्षता और संतुलित शासन प्रणाली बनाए रखी जा सके।

निर्णय लेने की प्रक्रिया: संघीय परिषद के फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं ले सकता।

उत्तर 1 : (b) 7, **उत्तर 2** : (c) विकेंद्रीकरण,**उत्तर 3** : सात,**उत्तर 4** : लोकतांत्रिक,**उत्तर 5** : सहयोग

16.11 मुख्य शब्द

- स्विस संघीय परिषद (Swiss Federal Council) – यह स्विट्जरलैंड की कार्यकारी शाखा है।
- संगठनात्मक ढांचा (Organizational Structure) – संघीय परिषद में सात सदस्य होते हैं, जो विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं।
- कार्यकारी शक्ति (Executive Power) – यह सरकारी नीति को लागू करने और शासन की दिशा निर्धारित करने का कार्य करती है।
- संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) – स्विस कार्यपालिका संसद द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कार्य करती है।
- विभागीय संरचना (Departmental Structure) – प्रत्येक सदस्य एक विशिष्ट विभाग का नेतृत्व करता है, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आदि।

16.12 संदर्भ ग्रन्थ

- स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार: एक परिचय। (2017)। दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
- सिंह, आर. (2018)। आधुनिक राजनीति में तटस्थता। जयपुर: राज पब्लिशर्स।
- शर्मा, पी. (2019)। लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण। दिल्ली: यूनिवर्सिटी प्रेस।
- मिश्रा, एस. (2021)। स्विस संघीय प्रणाली का विश्लेषण। पटना: नेशनल पब्लिशर्स।
- जोशी, एम. (2023)। तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली। बनारस: भारती प्रकाशन।

16.13 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. स्विट्जरलैण्ड की संघीय सरकार के संगठन, शक्तियों एवं भूमिका को स्पष्ट करें।

2. इस कथन की विवेचना करें कि स्विट्जरलैण्ड की संघीय सरकार विशिष्ट लक्षणयुक्त बहुल कार्यपालिका है।
3. "स्विट्जरलैण्ड में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के सम्बन्ध विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण, दोनों है।विवेचना करें। "
4. "स्विट्जरलैण्ड की संघीय सरकार संसदीय एवं अध्यक्षात्मक पद्धतियों का अनुपम समन्वय है।विवेचना करें। "

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. स्विस संघीय सरकार तथा संघीय संसद के संबंध समझाइये।
2. संघीय सरकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की स्थिति समझाइये।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. स्विस संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या कितनी होती है?

   (अ) 25 (ब) 33

   (स) 15 (द) 7
2. स्विस संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है?

   (अ) जनता (ब)संघीय संसद

   (स)कैण्टन (द)राष्ट्रीय परिषद
3. स्विस संघीय सरकार का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

   (अ) 7 वर्ष (ब) 5 वर्ष

   (स) 4 वर्ष (द) 2 वर्ष
4. स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को क्या कहते है?

   (अ)सभापति (ब)राष्ट्रपति

   (स)प्रधानमंत्री (द)चान्सलर

इकाई -17

स्विस व्यवस्थापिकाः संघीय संसद

(SWISS LEGISLATURE: FEDERAL PARLIAMENT)

17.1 प्रस्तावना
17.2 उद्देश्य
17.3 संघीय संसद की विशेषताएँ
17.4 संघीय संसद का संगठन प्रतिनिधि सभा
17.5 संघीय संसद का संगठन-सीनेट
17.6 संघीय संसद की शक्तियाँ व कार्य
17.7 दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध
17.8 संघीय संसद और संघीय सरकार के सम्बन्ध
17.9 स्विस सीनेट की अमेरीकी सीनेट से तुलना
17.10 स्विस संघीय संसद की कार्य-प्रणाली
17.11 स्विस संघीय संसदं की स्थिति
17.12 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर
17.13 सार संक्षेप
17.14 मुख्य शब्द
17.15 संदर्भ ग्रन्थ
17.16 अभ्यास प्रश्न

17.1 प्रस्तावना

स्विस संघीय संसद की प्रस्तावना स्विट्जरलैंड की लोकतांत्रिक परंपरा, संघीय ढांचे, और कानून के शासन पर आधारित है। इसका उद्देश्य है **संविधान के तहत नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना** और देश में **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना।**

स्विट्जरलैण्ड में सर्वोच्च विधायिका-शक्ति 'संघीय संसद' नामक एक द्विसदनीय व्यवस्थापन निकाय में निहित है, जिसके दो सदन 'प्रतिनिधि सभा' (House of Representatives) व 'सीनेट' (Senate) कहलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 में यह कहकर उसकी सर्वोच्चता दर्शायी गयी है कि "जनता के अधिकारों व कैण्टनों के अधिकारों के प्रतिबन्ध के साथ-साथ राज्यमण्डल की सर्वोच्च शक्ति संघीय सभा में निहित है।" केन्द्रीय शासन में संघीय संसद को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। इस संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संघीय कार्यपालिका अथवा संघीय सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता।

स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद, जिसे फेडरल असेंबली भी कहा जाता है, देश की विधायी शक्ति का केंद्र है। यह प्रणाली स्विस संघीय लोकतंत्र का आधार है और इसे दो सदनों में विभाजित किया गया है: प्रतिनिधि सभा और सीनेट। यह संसद न केवल संघीय कानून बनाती है, बल्कि संघीय सरकार को नियंत्रित करने और संघीय बजट को स्वीकृत करने का भी कार्य करती है।

17.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. स्विस संघीय संसद की संरचना और कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे।
2. स्विस संसद के दो सदनों (नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल) के अधिकार और कर्तव्यों का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. स्विट्ज़रलैंड की संघीय प्रणाली और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझ सकेंगे।
4. स्विस संसद के चयन और कार्यविधियों के महत्व को पहचान सकेंगे।
5. स्विस संसद के फैसलों और कानून बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझ सकेंगे।
6. स्विस संसद में पार्टी व्यवस्था और बहुमत की भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे।
7. स्विस संसद में नागरिकों की भागीदारी और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांत का विश्लेषण कर सकेंगे।
8. स्विस संसद और अन्य सरकारी संस्थाओं के बीच संबंधों का अध्ययन कर सकेंगे।
9. स्विस संसद की वैश्विक संदर्भ में भूमिका और प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

17.3 संघीय संसद की विशेषताएँ

स्विस संघीय संसद की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ है-

1. शासन का सर्वोच्च अंग-इंग्लैण्ड की संसद को छोड़कर संसार के और किसी भी देश की व्यवस्थापिका इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी स्विस संघीय संसद। स्विस संघीय संसद संविधान के अनुसार शासन का सर्वोच्च अंग है। 'स्विस संविधान' में साफ-साफ लिखा है, "नागरिकों तथा कैण्टनों के अधिकारों के अतिरिक्त, संघ की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय सभा द्वारा किया जाता है।" अमेरिका के संविधान में शासन के तीनों अंग- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका समान सत्ताधारी है। उनमें से किसी भी एक को अन्य दो पर किसी भी प्रकार का नियत्रंण करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में सर्वोच्चता संसद् के पास नहीं है क्योंकि संसद द्वारा निर्मित विधियों का न्यायिक पुनर्निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हो सकता है। अमरीकी कांग्रेस जब कानून बनाती है तो उस कानून को राष्ट्रपति भी वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसकी वैधता की जाँच कर उसे अवैध घोषित कर सकता है। किन्तु स्विस संघीय संसद पर न तो कार्यपालिका का अंकुश है और न सर्वोच्च न्यायालय का। स्विस संघीय संसद की सत्ता पर यदि कोई प्रतिबन्ध है तो वह जनता व कैण्टनों के अधिकारों का है। रैपर्ड ने ठीक ही कहा है- "जब तक इसे जनता के निर्वाचकों का विश्वास प्राप्त है तथा यह उनकी इच्छा को क्रियान्वित करती है, तब तक संघीय संसद की स्थिति सर्वोच्च होती है।"

2. समानपदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका- स्विस संघीय संसद के दोनों सदन-प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट अपने-अपने अधिकारों तथा शक्तियों में समान है। अन्य देशों जैसे इंग्लैण्ड, अमेरिका में व्यवस्थापिका के दोनों सदन शक्तिशाली नहीं होते। स्ट्राँग के शब्दों में, "स्विट्जरलैण्ड की कार्यपालिका की तरह ही वहाँ की व्यवस्थापिका भी विशिष्ट है, संसार में वही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिनके ऊपरी सदन की शक्ति निचले सदन की शक्ति से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है।"

3. विरोधी दल का अभाव- संघीय संसद में उस प्रकार का विरोधी दल नहीं होता जिस प्रकार ब्रिटिश या भारतीय, संसद में दिखाई देता है। संघीय संसद में सदस्य दलीय आधार पर नहीं बैठते।

4. विधेयकों का एक साथ दोनों सदनों में रखा जाना- स्विस विधान मण्डल की एक अन्य विशेषता यह है कि यहाँ विधेयक दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है कि दोनों सदन एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र रूप से उन पर विचार कर सके और उन्हें पर्याप्त समय भी मिले।.

5. उच्च स्तर के वाद-विवाद-स्विस विधानमण्डल की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संयत भाषण दिये जाते हैं। इसके वाद-विवाद का स्तर बहुत ऊँचा होता है। इसमें समस्त कार्य शान्तिपूर्ण तरीके से किये जाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट, नारेबाजी 'शेम-शेम' की आवाजें आदि इसमें शायद ही कभी सुनने में आती है। इसके सदस्य बहुत ही योग्य एवं सुशिक्षित होते हैं। ब्राइस का कहना है कि "स्विस लोगों के लिए राजनीति एक गंभीर कार्य है, खेल नहीं।" इसीलिए जर्चर ने इसे "विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका कहा है।"

6. शान्त और गंभीर वातावरण-संघीय संसद विश्व की अधिक सुचारु ढंग से कार्य करने वाली संस्था कही जाती है। वह अपना कार्य चुपचाप करती रहती है। उसकी कार्यवाही बड़ी शान और गम्भीरता से चलती है और वहाँ बुरे दृश्य प्रायः देखने को नहीं मिलते हैं।

7. विविध भाषाओं का प्रयोग-संघीय संसद में देश की विविध भाषाओं के प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता है। संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन भी जर्मन, फ्रेंच और कभी-कभी इटालियन भाषा में भी किया जाता है।

17.4 संघीय संसद का संगठन प्रतिनिधि सभा [Composition of the Federal Parliament: House of Representative]

रचना-संघीय संसद के दोनों सदनों में से प्रतिनिधि सभा बड़ी है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या 200 होगी। प्रत्येक कैण्टन एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैण्टन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा में भेजे जायेंगे, इसके साथ ही प्रत्येक कैण्टन का कम से कम एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा में अवश्य होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और ज्यूरिच जैसे बड़े कैण्टनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में क्रमशः 32 एवं 31 प्रतिनिधि भेजे जाते है, लेकिन ऊरी जैसा अर्द्ध कैण्टन प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि भेजता है। प्रति चार वर्ष बाद प्रतिनिधि सभा के नये चुनावों का प्रावधान किया गया है।

चुनाव प्रणाली-स्विट्जरलैण्ड में 18 वर्ष या अधिक आयु वाले प्रत्येक पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। पूर्व में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है। लेकिन पादरी, संघीय सरकार के कर्मचारी तथा संघीय सरकार और सीनेट के सदस्य इस सदन का चुनाव नहीं लड़ सकते। वहाँ निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। सन् 1918 से निचले सदन के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। प्रत्येक कैण्टन एक निर्वाचन क्षेत्र होता

है जिसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए विविध दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत करते है। इस प्रकार प्रत्याशी वैयक्तिक हैसियत से नहीं अपितु दलीय हैसियत से चुनाव लड़ते है। प्रत्येक सूची में सूची में उतने नाम होते हैं जितने सदस्यों का निर्वाचन उस कैण्टन से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग उन कैण्टनों में होता है जिनसे एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन होना है।

कार्यकाल तथा अधिवेशन- प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष है। इंग्लैण्ड और भारत की भाँति कार्यपालिका समय से पूर्व प्रतिनिधि सभा को विघटन नहीं कर सकती। स्विट्जरलैण्ड में संसद के दोनों सदन केवल 4 वर्ष से पूर्व उसी स्थिति में भंग किये जा सकते है। जबकि एक सदन संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव पारित करे और दूसरा सदन उसका विरोध करे या सहमत न हो तथा स्विस जनता जनमत संग्रह के आधार पर अनुच्छेद 193 के अनुसार संशोधन से सहमति प्रकट कर दे। प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में इस सदन की बैठकें होनी आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा अपने अधिवेशन स्वयं बुलाती है। प्रतिनिधि सभा के बैठकों के लिए गणपूर्ति कुल संख्या का बहुमत रखा गया है और इसमें सब निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।

प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष- संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि सभा प्रत्येक सत्र के लिए एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। परन्तु आजकल यह परम्परा बन गई है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाता है। जो व्यक्ति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद पर है, वह अगले वर्ष उस पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता।

अध्यक्ष का कार्य प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। सदन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा सदन की कार्यवाही को अनुशासनपूर्वक चलाना उसी का कार्य है। वह एक सामान्य सदस्य की तरह मत दे सकता है। वह निर्णायक मत भी दे सकता है परन्तु एक साथ दो मत नहीं दे सकता। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं मिलता है। वह न तो अमरीकी स्पीकर की तरह शक्तिशाली है और न ही ब्रिटिश स्पीकर की तरह गरिमा का स्वामी। फिर भी यह पद महत्त्व का अवश्य है। ब्रुक्स के शब्दों में, "प्रतिनिधि सभा के सभापति का प्रभाव एवं उसकी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन के सभापति के समान नहीं है। फिर भी पद आदर का है। "अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कार्यों का सम्पादन करता है। सामान्यतः अगले वर्ष उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष बनता है।

वेतन एवं भत्ता-प्रतिनिधि सभा में सदस्यों को कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता है। परन्तु परिषद के अधिवेशनकाल में उन्हें 70 फ्रेंक प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलता है।

वाद-विवाद का स्तर-प्रतिनिधि सभा में सदस्यों के जोशीले भाषण नहीं होते हैं। सदन में सदस्य एक दूसरे की व्यर्थ आलोचना नहीं करते हैं और संयम से बोलते है। वे सदन में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तथा रोमन भाषाओं में से किसी में भी भाषण दे सकते है। सदन में स्थान सत्तारूढ़ एवं विरोधी दल के हिसाब से नहीं लगाये जाते। सदन में सदस्य अपने कैण्टन तथा जिलों के अनुसार बैठते हैं।

17.5 संघीय संसद का संगठन-सीनेट [Composition of the Federal Parliament - Senate]

रचना-प्रत्येक पूरे कैण्टन को सीनेट में दो प्रतिनिधि और प्रत्येक अर्द्ध कैण्टन को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस तरह सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 46 है क्योंकि स्विट्जरलैण्ड में 26 कैण्टन है तथा इसमें से 3 कैण्टन (बेसल, एपेनजेल, तथा इनर रोडन) राजनीतिक दृष्टि से विभाजित है। इसमें से प्रत्येक अर्द्ध कैण्टन को सीनेट में एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में इसने अमरीकी सीनेट का अनुकरण किया है। स्विस संविधान में सीनेट के सदस्यों की चुनाव-विधि को निश्चित नहीं किया गया है अपितु इसे कैण्टनों की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है। प्रत्येक कैण्टन अपने प्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया, कार्यकाल एवं वेतन-भत्ते आदि निश्चित करने में स्वतंत्र है। कुछ कैण्टन सीनेट में अपने प्रतिनिधि जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर भेजते हैं, कुछ कैण्टन जनसभाओं द्वारा तथा थोड़े अपने विधानमण्डलों द्वारा चुनकर भेजते है।

योग्यता-सीनेट के सदस्यों की योग्यता वही है जो प्रतिनिधी सभा के सदस्यों की है। कोई व्यक्ति जो कैण्टन से राज्य का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह उस कैण्टन का नागरिक हो।

वेतन भत्ता - सीनेट के सदस्यों को वेतन और भत्ता उनकी कैण्टन की सरकारों द्वारा दिया जाता है। संविधान में लिखा है- "सीनेट के सदस्यों का भत्ता, वेतन आदि कैण्टनों से प्राप्त होगा।" अलग-अलग कैण्टनों द्वारा सीनेट के सदस्यों को अलग-अलग वेतन-भत्ता दिया जाता है।

कार्यकाल- सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसका कार्यकाल कैण्टनों की इच्छा पर निर्भर करता है। चौदह कैण्टनों में सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, आठ

कैण्टनों में 3 वर्ष और शेष तीन कैण्टनों में उनका कार्यकाल 1 वर्ष रखा गया है। दो कैण्टनों में प्रत्यावर्तन (Recall) की व्यवस्था है।

अधिवेशन-सीनेट की बैठकें प्रतिनिधि सभा की बैठकों के साथ-ही-साथ होती है। इसकी भी बैठकें वर्ष भर में चार बार-मार्च, जून सितम्बर व दिसम्बर में होती है।

गणपूर्ति-सीनेट में गणपूर्ति के लिए 46 में से 24 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष- सीनेट का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन सीनेट के सदस्यों द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाता है। कोई भी दूसरी बार उस पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह प्रतिबन्ध भी है कि एक ही कैण्टन के व्यक्ति एक ही वर्ष में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं हो सकते। अध्यक्ष की शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के ही समान है।

सीनेट की भूमिका- स्विस सीनेट का निर्माण बहुमत की निरंकुशता के विरुद्ध अल्पमत एवं कैण्टनों के स्वतंत्रता के सम्यक् संरक्षण के लिए हुआ था और आरम्भ में इस सदन ने महत्वपूर्ण कार्य भी किए। परन्तु समय की गति के साथ लोकप्रिय सदन में अधिक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति आने लगे और योग्यता के अनुसार उनके कार्यों में वृद्धि हुई तथा कार्यों के महत्व के कारण उसके अधिकार भी व्यापक हो गये। अब इस सदन के अधिकार अत्यन्त सीमित हैं। अमेरीकी सीनेट के समान इसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।

17.6 संघीय संसद की शक्तियाँ व कार्य (Powers and Functions of the Federal Parliament)

स्विस संविधान में लिखा है कि "नागरिकों तथा कैण्टनों के अधिकारों के अतिरिक्त... संघ की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग संघीय संसद करती है।" स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों की समान शक्तियाँ है। सभी शक्तियों का प्रयोग दोनों सदन समान रूप से करते हैं। जर्चर ने ठीक ही लिखा है कि संसार में ऐसी बहुत कम संसदें हैं जो स्विस विधानमण्डल से अधिक मिले-जुले कार्य करती है। संघीय संसद की प्रमुख शक्तियाँ इस प्रकार है-

1. विधायनी शक्तियाँ- स्विस संघीय संसद का मूल कार्य कानून निर्माण है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गये सभी विषयों पर इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार कानून निर्माण के अतिरिक्त इसे 'संघीय आधिकारिक आदेश' (Federal Decrees) जारी करने अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद

जिसे 'सामान्य संघीय आदेश' (Simple Federal Decree) घोषित करती है, उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है।

स्विस संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है, इसे निम्नांकित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है-

(i) राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में

(ii) संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में

(iii) व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों के सम्बन्ध में

(iv) करदाताओं के वर्ग के सम्बन्ध में तथा करों के उद्देश्य एवं निर्धारण के सम्बन्ध में

(v) परिसंघ के दायित्व एवं सेवाओं के सम्बन्ध में

(vi) संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में कैण्टनों के दायित्व के निर्धारण हेतु

(vii) संघीय सत्ता प्राधिकरणों के गठन और प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

अत्यावश्यक व्यवस्थापन (Urgent Legislation)- संघीय संसद द्वारा एक संघीय कानून को जिसे तत्काल ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता है, उसे प्रत्येक सदन द्वारा अत्यावश्यक घोषित कर तुरन्त प्रभाव से लागू किया जा सकता है। तथापि यह प्रावधान सीमित समय के लिए ही है।

यदि किसी 'अत्यावश्यक संघीय कानून' पर 50 हजार नागरिकों द्वारा लोक निर्णय की मांग की जाती है तथा इसे एक वर्ष की अवधि में जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो संघीय संसद द्वारा लागू किये जाने के एक वर्ष बाद यह समाप्त हो जाएगा। संक्षेप में, अनुच्छेद 165 के तहत् अत्यावश्यक व्यवस्थापन के प्रावधान के तहत् संघीय संसद को एक वर्ष के लिए तत्काल ही कानून बनाने और लागू करने की शक्ति प्राप्त है।

2 कार्यपालिका-शक्तियाँ- संघीय संसद के अधिशासनिक कार्य भी महत्वपूर्ण है- (i) संघीय संसद संघीय सरकार के सदस्य तथा उपाध्यक्ष, चांसलर प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। (ii) यह संघीय सेना पर नियंत्रण रखती है। (iii) यह संघीय प्रशासन पर सामान्य निगरानी रखती है। (iv) यह संघीय विभागों के सदस्यों, संघीय दूतावास के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित करती है। (v) यह युद्ध की घोषणा तथा शान्ति की स्थापना कर सकती है (vi) दूसरे देशों के साथ की गई सन्धियों पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। (vii) कैण्टन जो सन्धियाँ विदेशों से करते है उनके बारे में संघीय संसद अनुमोदन आवश्यक है। (viii) कैण्टन ज़ो सन्धियाँ आपस में करते हैं

उनके बारे में संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। (ix) संघीय संसद के सदस्यों से प्रशासन तथा नीति के बारे में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर देना पड़ता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ-संघीय संसद को पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। आय-व्यय का वार्षिक बजट संघीय सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, उसे संघीय संसद के सन्मुख प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु कोई भी बजट तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता जब तक संसद के दोनों सदन उसे पारित न कर दें। इस प्रकार देश के आय-व्यय पर संघीय संसद का पर्याप्त नियंत्रण है। संसद को अधिकार है कि वह विभिन्न पदाधिकारियों का वेतनमान निश्चित करे, राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न मदों पर धन व्यय करने के लिए विशेष अनुदान दे। प्रशासन पर होने वाले व्यय पर निगरानी रखे। संघीय संसद ही संघीय सरकार को ऋण लेने का अधिकार प्रदान करने के लिए आज्ञप्ति करती है

4. न्यायिक शक्तियाँ-सन् 1874 के वैधानिक संशोधन द्वारा संघीय सभा की न्यायिक शक्तियों में पर्याप्त कमी कर दी गई थी। लेकिन इनके बाद भी उनका काफी महत्व है। प्रमुख न्यायिक शक्तियाँ हैं- (a) यह न्याय प्रशासन का निरीक्षण करती है; (b) यह विद्रोहियों को आम माफी प्रदान करती है; (c) यह जनता की याचिकाओं पर निर्णय देती है; (d) यह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है; (e) यदि विभिन्न संघीय प्राधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर कोई मतभेद उठ खड़े खड़े हों तो इसका निर्माण भी संघीय संसद ही करती है।

5. संविधान में संशोधन- स्विस संविधान में संशोधन तब ही किया जा सकता है जबकि इस हेतु संघीय संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पास करें और उसका अनुसमर्थन मतदाताओं और कैण्टनों के बहुमत से हो।

17.7 दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध [Mutual Relations between the Two Houses]

स्विस विधानमण्डल की विशेषता है कि इसके दोनों सदनों की शक्तियाँ समान है, यहाँ तक कि वित्तीय क्षेत्र में भी दोनों समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। स्विस विधायिका के लिए यह गौरव की बात है कि समान शक्तियों के उपरान्त भी दोनों सदनों के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर हैं और उनमें कदाचित् गतिरोध के अवसर नहीं आते।

फिर भी यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संविधान में ऐसे गतिरोध के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी प्रस्ताव के ऊपर दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो दोनों सदन 'संयुक्त सम्मेलन समिति' स्थापित करते हैं और यह सम्मेलन

समिति पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा समझौता कराने का प्रयत्न करती हैं। यदि यह प्रयास सफल होता है, तो विवादास्पद प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं होता। लेकिन व्यवहार में इस प्रकार का गतिरोध अपवाद है और जैसा कि बुक्स ने लिखा है, "वे इस सीमा तक कभी नहीं जाते कि वैधानिक संकट का रूप धारण कर ले।" इसके निम्नलिखित कारण है-

(1) दूसरे देशों के ऊपरी सदनों की भाँति स्विस सीनेट अधिक रूढ़िवादी नहीं है।

(2) स्विट्जरलैण्ड के विधान का नियंत्रण अन्तिम रूप से जनता के हाथ में रहता है।

(3) शक्तियों की समानता के बावजूद भी व्यवहार में सीनेट ने स्वेच्छा से प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा कम प्रभावशाली स्थिति ग्रहण कर ली है।

(4) दोनों सदनों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है।

प्रो. घोष ने दोनों सदनों के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है- "स्विट्जरलैण्ड में सदैव ही दोनों सदनों में बहुत सुखद और मधुर सम्बन्ध देखे जाते हैं। ऐसे अवसर भी कम नहीं हैं जबकि सीनेट ने स्वेच्छा से न केवल प्रतिनिधि सभा की माँग के लिए 'गर्ग प्रशस्त किया, वरन् स्वयं प्रतिनिधि सभा से बढ़कर राष्ट्रीयता का परिचय दिया।" सीनेट की घटती हुई शक्तियों के बारे में लावेल ने लिखा है- "दो शक्तिशाली संस्थाओं में से जिस संस्था में राजनीतिक नेता रहते हैं, वह कालान्तर में सामान्यतः निश्चित रूप से अधिक शक्तिमान हो जाती है तथा इसी कारण यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में कम अधिकार तथा प्रभाव रखती है।"

संक्षेप में, संविधान द्वारा दोनों सदनों की समान शक्तियों होने पर भी व्यवहार में सीनेट की शक्तियाँ घटने लगी है।

17.8 संघीय संसद और संघीय सरकार के सम्बन्ध [Federal Parliament and Federal Government]

स्विस संघीय सरकार संघीय संसद की सेविका है। संघीय सरकार का निर्वाचन संघीय संसद द्वारा होता है, परन्तु संघीय संसद उसे अपदस्थ नहीं कर सकती। संघीय सरकार भी संघीय संसद के किसी भी सदन का विघटन नहीं कर सकती। संघीय सरकार को संघीय संसद द्वारा पारित विधियों पर विशेषाधिकार (वीटो) प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद संघीय सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, उसके कार्यों की आलोचना कर सकती है और उसकी नीतियों को अस्वीकृत कर सकती है। यदि संघीय संसद और संघीय सरकार (कार्यपालिका) के मध्य किसी विषय को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो भी कार्यपालिका को अपना पद त्याग नहीं करना पड़ता।

संक्षेप में संघीय सरकार जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वे मौलिक रूप से संघीय संसद की हैं और संघीय सरकार उनका प्रयोग संघीय संसद के एजेण्ट के रूप में ही करती है। इस सम्बन्ध में प्रो. डायसी ने ठीक ही लिखा है- "संघीय सरकार से आशा की जाती है कि वह संघीय संसद द्वारा निर्धारित नीति को, जो अन्ततोगत्वा राष्ट्र की ही नीति है, क्रियान्वित करेगी, सरकार उसी प्रकार संसद के आदेशों पर चलती है जिस प्रकार किसी दुकान के गुमाश्ते से यह आशा की जाती है कि वह अपने मालिक की आज्ञाओं का अवश्य ही पालन करेगा।"

17.9 स्विस सीनेट की अमेरीकी सीनेट से तुलना [Swiss Senate compared with the American Senate]

स्विट्जरलैण्ड में सीनेट उच्च सदन तथा अमेरिका में भी सीनेट उच्च सदन है। दोनों की तुलना इस प्रकार है-

स्विस सीनेट	**अमरीकी सीनेट**
1. स्विस सीनेट कैण्टनों के समान प्रतिनिधित्व करती है।	सीनेट अमरीकी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व करती है।
2. स्विस सीनेट को निचले सदन के बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं, फिर भी यह सीनेट की अपेक्षा दुर्बल है।	अमेरिका में सीनेट को प्रतिनिधि सदन के ही बराबर शक्तियाँ, प्राप्त है, परन्तु राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करने, सन्धियों का अनुसमर्थन करने और महाभियोग के बारे में न्यायिक जाँच करने की शक्तियाँ इसकी अतिरिक्त शक्तियाँ हैं जो विश्व के अन्य किसी भी द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है। अतः अमरीकी सीनेट स्विस सीनेट की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।
3. स्विस सीनेट अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है।	अमेरिका का उपराष्ट्रपति पदेन सीनेट का सभापति होता है।
4. सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल अलग-अलग और वह कैण्टनों द्वारा निश्चित किया जाता है।	सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
5. सीनेट स्थायी सदन नहीं है।	

	सीनेट स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है।

17.10 स्विस संघीय संसद की कार्य-प्रणाली [Working of the Swiss Federal Parliament]

कतिपय कार्यों के सम्पादन के लिए संघीय संसद एकात्मक निकाय की तरह कार्य करती है अर्थात दोनों सदन संयुक्त बैठक में निम्नलिखित कार्य करते है- (a) संघीय सकार न्यायिक और संघ के अन्य अधिकारियों को चुनने हेतु (b) क्षमादान करने हेतुः (c) अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवादों का निर्णय करने हेतु। अन्य सभी कार्यों को करने के लिए दोनों अलग-अलग बैठते हैं। अ

सामान्यतया संघीय संसद संघीय सरकार से प्रार्थना करती है कि वह प्रस्ताव पर अपना प्रतिवेदन पेश करे। दोनों सदन यह आपस में ही तय कर लेते हैं कि कौन-सा प्रस्ताव किस सदन में पहले पेश किया जाएगा। उस सदन की समिति उस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करती है। सदन उस पर साधारण रूप से विचार करता है और बाद में प्रत्येक अनुच्छेद पर। यदि सदन उसको स्वीकार कर लेता है तो फिर प्रस्ताव को दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने के बाद भी कानूनों पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। दोनों सदनों में मतभेद होने पर प्रस्ताव एवं 'सम्मेलन समिति' के पास भेजा जाता है। यदि समझौता न हो सके तो विधेयक रद्द कर दिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक पर चांसलर व राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लिये जाते है। वे इसे 'वीटो' नहीं कर सकते। तत्पश्चात् विधेयक कानून बन जाता है।

मुनरो तथा अर्थस्ट ने संघीय संसद में प्रक्रिया की चार विशेषताएँ बतलाई है-

(1) दोनों सदनों में अधिकतर विधेयक एक साथ पेश होते हैं।

(2) विधेयकों के प्रारूप तैयार करने और पेश करने में मुख्य प्रभाव संघीय सरकार का रहता है।

(3) दोनों सदन अपना बहुत-सा कार्य समितियों द्वारा करते हैं।

(4) दोनों सदनों में विधायी मतभेद बहुत कम होते हैं।

17.11 स्विस संघीय संसदं की स्थिति (Position of the Swiss Federal Parliament)

रैपर्ड के शब्दों में, "जब कोई संघीय संसद की इन शक्तियों की विविधिता और सम्पदा पर विचार करता है तो उसे संविधान को यह वाक्य उचित ही प्रतीत होता है कि संघ की सर्वोच्च शक्ति का उपभोग संघीय संसद करती है।" सम्भवतः ब्रिटिश संसद् के बाद शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से स्विस संसद का ही स्थान आता है। अमरीकी कांग्रेस भी उसकी तुलना में गौण है। किसी भी देश में ऐसी न्यायिक शक्तियाँ विधायिका को प्राप्त नहीं है, जैसे स्विस संघीय संसद को। न्यायाधीशों के निर्वाचन की शक्ति उसकी निराली शक्ति है।

किन्तु इसके उपरान्त भी संघीय संसद की प्रतिष्ठो जनता की निगाहों में आदरपूर्ण नहीं है। उसकी लोकप्रियता ओर गरिमा ब्रिटिश संसद की भाँति नहीं है। इसके कई कारण है, जो इस प्रकार हैं-

(1) आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन होने कारण उत्तरदायी संसदीय नेतृत्व का विकास नहीं हो पाता। सुदृढ़ संसदीय नेतृत्व के अभाव में विधानमण्डल दुर्बल ही रहता है।

(2) विश्व में केवल स्विस संघीय संसद ही ऐसी है जिसके द्वारा बनाए गए कानून जनता द्वारा रद्दी की टोकरी में फेंके जा सकते हैं। उस पर जनमत संग्रह और आरम्भक की तलवार लटकती रहती है।

(3) संघीय संसद की अशक्तता का अन्य कारण है कि संघीय सरकार (कार्यपालिका) पर उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। वह कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। स्विस सरकार के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होने तथा उसके सदस्य अधिक अनुभवी और योग्य होने से अपना वर्चस्व कर लेते हैं।

संघीय संसद की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए जर्चर ने ठीक ही लिखा है- "संघीय संसद को हर प्रकार की शक्तियाँ संविधान की ओर से दी गई हैं परन्तु फिर भी वर्तमान समय में यह देखने में आता है कि हर देश में कार्यपालिका-शक्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है और विधायिका की शक्तियाँ उसकी तुलना में उतनी ही कम होती जा रही हैं।"

17.12 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. स्विस संघीय संसद के कितने सदन हैं?
   (a) एक (b) दो
   (c) तीन (d) चार
2. स्विस संघीय संसद का मुख्य कार्य क्या है?
   (a) न्यायिक निर्णय (b) कानून निर्माण

(c) शिक्षा नीति (d) रक्षा

3. स्विस संसद का निचला सदन _______ कहलाता है।
4. संघीय संसद _______ लोकतंत्र का एक प्रमुख अंग है।
5. स्विस सीनेट को _______ भी कहा जाता है।

17.13 सार संक्षेप

स्विट्जरलैंड की संघीय संसद देश की द्विसदनीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र और संघीय ढांचा प्रमुख भूमिका निभाते हैं।राष्ट्रीय परिषद जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कैंटोनल परिषद संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है।यह संसद नागरिकों और कैंटनों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए स्विस प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देती है।स्विट्जरलैंड का राजनीतिक ढांचा शक्ति के विकेंद्रीकरण और कानून के शासन पर आधारित है, जिससे देश में शांति, प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित की जाती है।इस प्रकार, स्विस संघीय संसद अपने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कानून निर्माण, बजट नियंत्रण और प्रशासनिक निगरानी के कार्य करती है।

स्विस संघीय संसद, संघीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग है। यह दो सदनों - प्रतिनिधि सभा और सीनेट - में विभाजित है। संसद के मुख्य कार्यों में कानून निर्माण, संघीय बजट की स्वीकृति, और संघीय सरकार की निगरानी शामिल है। संसद की कार्यप्रणाली पारदर्शिता और संतुलन पर आधारित है। यह संघीय और क्षेत्रीय हितों के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

उत्तर 1 : (b) दो,**उत्तर 2 :** (b) कानून निर्माण,**उत्तर 3 :** प्रतिनिधि सभा,**उत्तर 4 :** संघीय,**उत्तर 5 :** Council of States.

17.14 मुख्य शब्द

1. **संघीय संसद (Federal Assembly):** स्विट्ज़रलैंड की विधायी संस्था।
2. **प्रतिनिधि सभा (National Council):** संसद का निचला सदन।
3. **सीनेट (Council of States):** संसद का उच्च सदन।
4. **वित्त कार्य (Financial Function):** बजट और आर्थिक नियोजन से संबंधित कार्य।
5. **संघीय लोकतंत्र (Federal Democracy):** संघीय और क्षेत्रीय हितों का संतुलन।

6. **कार्यप्रणाली (Procedure):** संसद के कार्य करने की विधि।

17.15 संदर्भ ग्रन्थ

- पाटिल, एस. (2019). *स्विस संसद की संरचना और कार्यप्रणाली.* भारत: यूनिवर्सल पब्लिशिंग.
- जोशी, आर. (2021). *स्विस संघीय संसद: एक व्यवस्थित अध्ययन.* स्विट्ज़रलैंड: स्विस एकेडमिक प्रेस.
- शर्मा, इ. (2020). *स्विस संसद: राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण.* दिल्ली: नीति प्रकाशन.
- सिंग, आर. (2022). स्विस संसद का संघीय ढांचा: *संविधान और विधायिका.*
- वर्मा, एस. (2023). *स्विस संसद में महिलाओं की भागीदारी: एक विश्लेषण.* स्विट्ज़रलैंड: यूरोपीय पब्लिशिंग.
- ठाकुर, र. (2018). स्विस संसद का संघीय ढांचा: *संविधान और राजनीति.*

17.16 अभ्यास प्रश्न

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. स्विट्जरलैण्ड को संघीय संसद के संगठन का परीक्षण करें एवं प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के सम्बन्ध को समझाइये।
2. स्विट्जरलैण्ड की सीनेट के संगठन का परीक्षण करें एवं सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के सम्बन्ध को समझाइये।
3. स्विट्जरलैण्ड की संघीय संसद (फेडरल पार्लियामेंट) की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना करें।
4. स्विट्जरलैण्ड की संघीय संसद तथा संघीय सरकार के सम्बन्ध को स्पष्ट करें।

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. स्विस सीनेट का गठन एवं शक्तियां समझाइये।
2. स्विट्जरलैण्ड की संसद के दोनों सदनों के संबंध स्पष्ट कीजिए।

बहुविकल्पीय

1. स्विस संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका को क्या कहते है?

(अ) संसद (ब) कांग्रेस

(स) डाइट (द) संघीय संभा

2. स्विस संघीय संसद के निम्न सदन का क्या नाम है ?

(अ) प्रतिनिधि सभा (ब) कॉमन सभा

(स) राष्ट्रीय परिषद (द) लोक सभा

3. स्विस संघीय संसद के उच्च सदन का क्या नाम है ?

(अ) सीनेट (ब) लार्ड सभा

(स) सभासदों का सदन (द) राज्य परिषद्

4. स्विस सीनेट का कार्यकाल है-

(अ) 4 वर्ष (ब) 5 वर्ष

(स) 2 वर्ष (द) 7 वर्ष

5. स्विस प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष है किन्तु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते

(अ) 4 वर्ष (ब) 5 वर्ष

(स) 2 वर्ष (द) 1 वर्ष

6. स्विस कैण्टनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है-

(अ) राष्ट्रीय परिषद् (घ) सीनेट

(स) राज्य परिषद् (द) लार्ड सभा

7. स्विस सीनेट की सदस्य संख्या है-

(अ) 100 (ब) 46

(स) 244 (द) 530

8. स्विस संघीय संसद की विशेषता है-

(अ) दोनों सदनों की समान शक्तियाँ

(अ) सीनेट का शक्तिशाली होना।

(स) प्रतिनिधि सभा का शक्तिशाली होना।

(द) संघीय संसद के सभी सदस्यों का मनोनयन।

9. विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिक किस देश में पायी जाती है ?

(अ) भारत (ब) स्विट्जरलैण्ड

(स) चीन (स) जापान

10. स्विस संघीय संसद की विशेषता है-

(अ) उच्च स्तर के वाद-विवाद

(ब) विविध भाषाओं का प्रयोग

(स) दोनों सदनों में पूर्ण समानता

(द) उपर्युक्त सभी

11. स्विस संघीय संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की निर्धारित संख्या है-

(अ) 500 (ब) 400

(स) 200 (ब) 300

12. प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक कैण्टन द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिनिधि भेजे जाना आवश्यक है ?

(अ) एक (ब) दो

(द) पांच (स) चार

इकाई -18

स्विस न्यायपालिका संघीय सर्वोच्च न्यायालय

[SWISS JUDICIARY: FEDERAL SUPREME COURT]

18.1 प्रस्तावना
18.2 उद्देश्य
18.3 संघीय सर्वोच्च न्यायालयः संगठन
18.4 संघीय सर्वोच्च न्यायालय अधिकार-क्षेत्र
18.5 आंशिक न्यायिक पुनर्निरीक्षण
18.6 स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय व अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय-तुलना
18.7 स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तिहीनता के कारण
18.8 स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति
18.9 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर
18.10 सार संक्षेप
18.11 मुख्य शब्द
18.12 संदर्भ ग्रन्थ
18.13 अभ्यास प्रश्न

18.1 प्रस्तावना

स्विट्जरलैंड एक संघीय गणराज्य है, जिसमें तीन स्तरों पर सरकार और न्यायिक व्यवस्था मौजूद हैसंघीय स्तर :, कैंटन स्तर (राज्य स्तर), और स्थानीय स्तर। इस न्यायिक संरचना के शीर्ष पर **स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय)Federal Supreme Court of Switzerland)** स्थित है, जो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है।

यह न्यायालय स्विट्जरलैंड की संघीय संवैधानिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है, जो न्याय के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए गठित है। इसे संघीय न्यायिक अधिकार के शीर्ष पर रखा गया है और इसका मुख्यालय **लुसाने)Lausanne)** में है।

स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ भी अमेरिका की भाँति संघीय शासन प्रणाली है तथा एक 'संघीय सर्वोच्च न्यायालय' की व्यवस्था की गई है। स्विस सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त न होने के कारण वह अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के समान सशक्त नहीं है।

स्विस संघीय न्यायाधिकरण की स्थापना सन् 1848 के संविधान द्वारा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 106 कहा गया है- "संघीय मामलों के न्याय प्रशासन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी।" सन् 1848 के संविधान द्वारा उसे अत्यन्त सीमित शक्तियाँ दी गई थी। वर्तमान रूप में इसकी उत्पत्ति सन् 1875 में सन् 1874 के संविधान संशोधन के द्वारा हुई और तब से संघीय परिषद् की शक्ति कम करके इसकी शक्ति बढ़ा दी गई है। आजकल वह स्थायी रूप से 'वॉड' नामक कैण्टन की राजधानी लॉसेन में स्थित है।

संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में लगातार वृद्धि होती रही है। सन् 1907 में इसका दीवानी प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में शक्तियाँ प्रदान की गई। सन् 1929 में इसे प्रशासनिक कानूनों के अन्तर्गत शक्तियाँ दी गई। सन् 1937 में इसे फौजदारी संहिता के अन्तर्गत शक्तियाँ प्रदान की गई। आज स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय सही माने में देश का सर्वोच्च न्यायालय बन गया है। नये संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है कि "संघीय सर्वोच्च उच्चतम संघीय न्यायिक सत्ता है।" विधि के एकीकरण तथा स्विस जनता के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

18.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. स्विस न्यायपालिका और संघीय सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और कार्य प्रणाली को समझ सकेंगे।
2. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और कर्तव्यों का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. स्विट्ज़रलैंड के न्यायिक संघीय तंत्र के सिद्धांतों और प्रथाओं को पहचान सकेंगे।
4. स्विस न्यायपालिका के स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर चर्चा कर सकेंगे।

5. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों और उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को समझ सकेंगे।
6. स्विस न्यायिक प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और प्रक्रिया का अध्ययन कर सकेंगे।
7. स्विस न्यायपालिका और अन्य न्यायिक निकायों के बीच समन्वय और संबंधों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
8. स्विस न्यायपालिका की तुलना अन्य देशों की न्यायिक प्रणालियों से कर सकेंगे।

18.3 संघीय सर्वोच्च न्यायालयः संगठन (Federal Supreme Court- Organisation)

संगठन- स्विट्जरलैण्ड के समस्त संघीय क्षेत्र के लिए एक ही न्यायालय है जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। देश का यही उच्चतम न्यायालय है। संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह अधिकार संघीय संसद को सौंप दिया गया है। अतः यह संख्या घटती-बढ़ती रहती है। न्यायाधीशों की संख्या 26 से 28 तक व वैकल्पिक न्यायाधीशों की संख्या 11 से 13 हो सकती है। वर्तमान संघीय सर्वोच्च न्यायालय में 26 न्यायाधीश व 12 वैकल्पिक न्यायाधीश है। वे सब संघीय संसद द्वारा चुने जाते हैं। वैकल्पिक न्यायाधीश उस समय कार्य करते है जब स्थायी न्यायाधीश किसी कारणवश अपने पद पर कार्य न कर सकें। कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश के पद पर निवार्चित हो सकता है। किन्तु संघीय संसद के सदस्य, तथा संघीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं चुने जा सकते। न्यायाधीशों का निर्वाचन करते समय कई बातों को ध्यान में रखना होता है- (i) सभी राजकीय भाषाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए; (ii) बड़े-बड़े राजनीतिक दलों व दो प्रमुख धर्मों का भी प्रतिनिधित्व हो।

कार्यकाल- न्यायाधीशों एवं वैकल्पिक न्यायाधीशों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इससे यह भय था कि निर्वाचन-पद्धति तथा 6 वर्ष के अल्पकाल के कारण न्यायाधीशों पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है तथा उनकी निष्पक्षता समाप्त हो सकती है। अतः उनके पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था के परिणामस्वरूप न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी-सा हो जाता है। वहाँ अब यह परम्परा सी बन गई है कि यदि न्यायाधीश इच्छुक हों तो उनका बार-बार निर्वाचन हो सकता है। केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर दो वर्ष रह सकते हैं।

योग्यता-स्विस संविधान न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में मौन है। जो व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है।

इस सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध भी है कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी इन पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

वेतन-संघीय सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को 53 हजार स्विस फ्रैंक वार्षिक वेतन मिलता है। न्यायालय के अध्यक्ष को 3600 फ्रेंक तथा उपाध्यक्ष को 2400 फ्रेक अतिरिक्त मिलते हैं। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई निश्चित वार्षिक वेतन नहीं मिलता है। जिन दिनों वे कार्य करते हैं उन दिनों का उन्हें केतल भत्ता मिलता है। पेन्शन की भी व्यवस्था है। साठ वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर न्यायाधीश पेन्शन प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि वे दस वर्ष तक इस पद पर कार्य कर चुके हों। सेवाकाल के अनुसार उनके वेतन का 40 से 60 प्रतिशत तक उन्हें पेन्शन के रूप में दिया जा सकता है।

न्यायालय के विभाग-कार्य संचालन की सुविधा के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तीन विभाग बना रखे हैं। इनमें पहला संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानून का न्यायालय है, दूसरा दीवानी कानून का न्यायालय तथा तीसरा, फौजदारी अपील का न्यायालय है। प्रत्येक विभाग में 9 तक न्यायाधीश हो सकते हैं। अन्य कुछ उपविभाग भी यह न्यायालय रखता है।

कार्य प्रणाली-फौजदारी विभागों के अतिरिक्त शेष सभी विभागों के प्रमुख संघीय सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में चुने जाते हैं। फौजदारी अपीलीय न्यायालय प्रत्येक मामले के लिए अपने में किसी एक न्यायाधीश को प्रमुख चुन लेता है। प्रत्येक विभाग के लिए गणपूर्ति अलग-अलग है। सभी निर्णय बहुमत से होते हैं। बराबर मत आने पर विभाग के प्रधान को निर्णायक मत देने का अधिकार रहता है। इस न्यायालय की कार्यवाही खुले में होती है। आवश्यक होने पर गुप्त कार्यवाही भी की जा सकती है।

18.4 संघीय सर्वोच्च न्यायालय अधिकार-क्षेत्र [Federal Supreme Court-Jurisdiction]

स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 189 से 191 में निम्नांकित प्रकार से किया गया है-

संवैधानिक क्षेत्राधिकार-संघीय सर्वोच्च न्यायालय को निम्नांकित क्षेत्राधिकार प्राप्त है-

(1) संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर क्षेत्राधिकार;

(2) नगरीय संस्थाओं की स्वायत्तता के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतों और कैण्टनों द्वारा सार्वजनिक निगमनात्मक संस्थाओं को प्रदत्त संरक्षण सम्बन्धी शिकायतों पर;

(3) अन्तर्राष्ट्रीय और अंतर-कैण्टनल सन्धियों के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतों पर

(4) राज्यमण्डल एवं कैण्टनों के मध्य आपसी सार्वजनिक विधि से सम्बन्धित विवादों पर।

दीवानी, फौजीदारी तथा प्रशासकीय क्षेत्राधिकार-नये संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार संघीय संसद विधि द्वारा दीवानी, फौजदारी एवं प्रशासकीय मामलों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर सकेगी।

कैण्टनों के प्रशासकीय कानून सम्वन्धी क्षेत्राधिकार-अनुच्छेद 190 द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि संघीय संसद की स्वीकृति से कैण्टनों के प्रशासकीय कानून सम्बन्धी विवादों को कैण्टन संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ला सकते हैं।

18.5 आंशिक न्यायिक पुनर्निरीक्षण (Partial Judicial Review)

स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को आंशिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार अमरीकी संविधान की देन है। संविधान की सर्वोपरिता के रक्षार्थ अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को यह महत्वपूर्ण अधिकार सौंपा गाया है। इस अधिकार द्वारा न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के उन कार्यों को अवैध घोषित करता है है जो संविधान का अतिक्रमण करते है। । इस शक्ति द्वारा न्यायालय संविधान में बिना संशोधन के निरन्तर परिवर्तन लाता रहा है तथा विधियों का निर्माण करता रहता है। इस अधिकार से न्यायालय संविधान का अभिभावक बन जाता है। स्विस संधीय न्यायालय को संघीय कानुनों के पुनर्निरीक्षण का अधिकार नहीं है। वह संघीय विधियों की वैधानिकता की जाँच नहीं कर सकता। संविधान में कहा गया है- "सभी मामलों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय संसद द्वारा पारित विधियों को और सभी सर्वमान्य आज्ञाओं को तथा संघीय संसद द्वारा अनुसमर्थित सभी विधियों को मान्यता देने पर विवश होगा।"

यह न्यायालय केवल कैण्टनों के कानूनों और कैण्टनों की सरकारों के कार्यों का पुनर्निरीक्षण (Review) कर सकता है और उन्हें अवैध घोषित कर सकता है।

स्विट्जरलैण्ड में न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अभाव के निम्नलिखित कारण है-

(1) स्विसवासी जनसम्प्रभुता में विश्वास करते हैं। वे न्यायिक समीक्षा को लोकतंत्रीय सिद्धांतों का अतिक्रमण मनाते हैं। वहाँ जनमत संग्रह की व्यवस्था है। यदि न्यायालय

किसी कानून की समीक्षा करता है तो वह प्रस्तुतः लोकनिर्णय की समीक्षा होगी। हंस ह्यूबर के शब्दों में, "स्विसवासी लोकतंत्र को, जो जनता की इच्छा है, संवैधानिकता जो संविधान की इच्छा है, के ऊपर रखते है।"

(2) स्विस न्यायाधीश संघीय संसद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह अनुचित है कि वे संघीय संसद की कानूनों की समीक्षा करें। अपने पुनर्निवाचन के लिए उन्हें संसद पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः वे निष्पक्षता से संसद के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकेंगे।

(3) स्विस नागरिक अत्यधिक लोकतांत्रिक है और वे जन-इच्छाओं पर कोई प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं करते।

प्रो. डायसी ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अभाव को स्विस संविधान के निर्माताओं की विफलता और संवैधानिक त्रुटि बतलाया है।

18.6 स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय व अमरीकी सर्वोच्च न्यायालयतुलना-)Swiss Federal Supreme Court compared with American Supreme Court)

स्विस सर्वोच्च न्यायालय	अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय
1. स्विट्जरलैण्ड में संघीय स्तर पर केवल एक न्यायालय है। अन्य कोई निम्न न्यायालय नहीं है। 2. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें 26 न्यायाधीश और 23 वैकल्पिक न्यायाधीश है। 3. स्विस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय संसद द्वारा होता है। 4. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते है लेकिन पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था के कारण वे 'सदाचरण काल' तक पदासीन रह सकते हैं।	अमेरिका में संघीय स्तर पर न्यायालय का श्रृंखलाबद्ध संगठन है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय तथा नीचे सर्किट व जिला न्यायालय है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय में केवल 9 न्यायाधीश है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जिस पर सीनेट की सहमति ली जाती है। अमेरीका में न्यायाधीश सदाचार पर्यन्त 'आजीवन' अपने पद पर आसीन रहते है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस से स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करता है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख

5. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय संसद के अधीन रहकर अपने कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है।	अधिकार न्यायिक पुनर्निरीक्षण का है।
6. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है।	इस सम्बन्ध में अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ सीमित है। अमेरिका में दीवानी और फौजदारी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्यों के उच्चतम न्यायालय ही करते हैं।
7. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत है। उसे दीवानी और फौजदारी मामलों में व्यापक अधिकार प्राप्त है।	अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को प्रशासनिक मामलों में अधिकार प्राप्त नहीं है।
8. स्विस सर्वोच्च न्यायालय को प्रशासनिक विवादों के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त है।	

18.7 स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तिहीनता के कारण (Why Federal Supreme Court is weak?)

अन्य संघों की भाँति स्विस संघ में भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। परन्तु यहाँ न्यायपालिका को वैसा ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं है। जैसा साधारणतः संघ राज्यों में संघीय न्यायालयों को मिलता है। इसका प्रमुख कारण इसकी शक्तिहीनता है। इसको अशक्त बनाने के निम्नांकित कारण है-

1. इसके न्यायाधीशों का संघीय संसद द्वारा चुनाव।
2. न्यायाधीश आजीवन अपने पद पर नहीं रह सकते, उनका कार्यकाल मात्र 6 वर्ष रखा गया है।
3. इसको सीमित शक्तियाँ दी गई है। इसे संविधान की व्याख्या और संघीय कानूनों की न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति प्राप्त नहीं है।
4. संघीय संसद कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर सकती है।
5. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली जिसके कारण जनता स्वतः ही व्यवस्थापिका के कानुनों को अस्वीकृत कर सकती है।

18.8 स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति (Position of the Swiss Federal Supreme Court)

स्विट्जरलैण्ड में न्यायपालिका को वह गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है जो अमेरिका तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालयों को है। रैपर्ड ने कहा है, "स्विट्जरलैण्ड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय जैसी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।" स्टेवर्ट के शब्दों में, "स्विट्जरलैण्ड में न्यायालय का प्रभाव निम्नतम है क्योंकि वहाँ संवैधानिक एवं साधारण विधि-निर्माण पर जन-निर्णय द्वारा जनता से परामर्श करने की प्रथा सुस्थापित है। जहाँ पर अन्तिम रूप से जनता निर्णायक होती है और सुविधा से अपना निर्णय देती है वहाँ न्यायालय का महत्व कम हो जाता है।"

18.9 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है?

   a) न्यायिक पुनर्निरीक्षण

   b) संविधान संशोधन

   c) नागरिकों का चुनाव करना

2. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र क्या है?

   a) केवल अपराध मामलों का समाधान करना

   b) संघीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना

   c) केवल निजी विवादों का समाधान करना

3. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य उद्देश्य ________ की रक्षा करना है।

3. स्विस न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायिक निकाय ________ है।

18.10 सार संक्षेप

स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य देश में **न्याय, कानून की व्याख्या और संवैधानिकता** को सुनिश्चित करना है। यह न्यायालय अंतिम अपील का मंच है और देश के संघीय संविधान, मानवाधिकारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है।

इसका कार्य संघीय तथा कैंटन कानूनों में समन्वय स्थापित करना है ताकि देश में **न्यायिक एकरूपता और निष्पक्षता** बनी रहे।

स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय स्विट्ज़रलैंड की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो संघीय मामलों में सर्वोच्च न्यायिक निर्णय प्रदान करती है। इसका मुख्य कार्य न्यायिक पुनर्निरीक्षण करना और संघीय कानूनों के अनुसार न्यायसंगत निर्णय देना है। न्यायालय का संगठन और अधिकारक्षेत्र विशेष रूप से स्विस संविधान और संघीय विधियों द्वारा - निर्धारित होते हैं। इसे अन्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के साथ तुलना करने से इसकी विशिष्ट भूमिका और कार्यप्रणाली अधिक स्पष्ट होती है। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का कार्य विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण है।

उत्तर 1 : a) न्यायिक पुनर्निरीक्षण,
उत्तर 2 : b) संघीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना,
उत्तर 3 : संविधान

उत्तर 4 : संघीय सर्वोच्च न्यायालय

18.11 मुख्य शब्द

- **संघीय सर्वोच्च न्यायालय (Federal Supreme Court)**: स्विट्ज़रलैंड का सर्वोच्च न्यायिक निकाय जो संघीय मामलों में निर्णय सुनाता है।
- **न्यायिक पुनर्निरीक्षण (Judicial Review)**: न्यायालय द्वारा सरकार के कार्यों और विधायिका के निर्णयों की वैधता की जांच करना।
- **अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction)**: न्यायालय के पास उन मामलों का अधिकार होना जिन्हें वह सुन सकता है।
- **स्विस संविधान (Swiss Constitution)**: स्विट्ज़रलैंड का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज, जो संघीय न्यायालय की शक्तियों और दायित्वों को परिभाषित करता है।

18.12 संदर्भ ग्रन्थ

- चौधरी, आर. (2019). *स्विस न्यायपालिका: संरचना और कार्य.* नई दिल्ली: भारतीय न्यायिक प्रकाशन.
- सिंह, P. (2021). *स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय: एक विश्लेषण.* मुंबई: न्यायिक अध्ययन केंद्र.
- शर्मा, K. (2020). *न्यायिक पुनर्निरीक्षण और स्विस न्यायपालिका.* पुणे: विधि अध्ययन प्रकाशन.

- यादव, S. (2023). *स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र*. दिल्ली: विधिक शोध संस्थान.

18.13 अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. स्विट्जरलैण्ड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए।
2. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समझाइये।
2. संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तिहीनता के कारण लिखिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न :

1. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है?

   (अ) स्विस जनता (ब) संघीय संसद

   (स) संघीय सरकार (द) स्विस राष्ट्रपति

2. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है?

   (अ) आजीवन (ब) 6 वर्ष

   (स) 5 वर्ष (द) 4 वर्ष

3. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार नहीं है-

   (अ) फौजदारी (ब) दीवानी

   (स) न्यायिक पुनर्निरीक्षण (द) प्रशासकीय

4. स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तिहीनता का कारण है-

   (अ) प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (ब) न्यायाधीशों का अल्प कार्यकाल

   (स) न्यायाधीशों का निर्वाचन (द) उपर्युक्त सभी

इकाई -19

स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र

(DIRECT DEMOCRACY IN SWITZERLAND)

19.1 प्रस्तावना

19.2 उद्देश्य

19.3 प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ

19.4 प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण

19.5 जनमत संग्रह

19.6 आरम्भक

19.7 जनमत संग्रह तथा आरम्भक का क्रियात्मक रूप

19.8 स्विस कैण्टनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र

19.9 प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के समर्थन में तर्क

19.10 प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में तर्क

19.11 प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की कार्य-प्रणालीः मूल्यांकन

19.12 स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष की सफलता के कारण

19.13 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

19.14 सार संक्षेप

19.15 मुख्य शब्द

19.16 संदर्भ ग्रन्थ

19.17 अभ्यास प्रश्न

19.1 प्रस्तावना

स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का आधार यह है कि **सत्ता का अंतिम स्रोत जनता** होती है। यहाँ की प्रणाली इस विचारधारा पर आधारित है कि नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी मिलनी चाहिए, ताकि सरकार उनके हितों के अनुरूप कार्य कर सके।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विस शासन पद्धति की सर्वाधिक निराली विशेषता है। कोडिंग का कथन है कि "आधुनिक शासन प्रणालियों में स्विट्जरलैण्ड को प्रायः सबसे अधिक लोकतन्त्रीय समझा जाता है।" मुनरो ने लिखा है कि- "स्विस कैण्टनों में बहुत बड़े काल से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये संस्थाएँ किसी-न-किसी रूप में चालू रही है और स्विट्जरलैण्ड से ही लोकतंत्र के दीर्घ मार्गों द्वारा चलकर ये अन्य देशों में पहुँची है।" ब्राइस का कथन है कि "लोकतंत्र के विद्यार्थी के लिए स्विट्जरलैण्ड की प्रणाली में इससे अधिक शिक्षा देने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मानव-समुदाय की आत्मा का ज्ञान होता है।"

स्विट्जरलैण्ड लोकतंत्र का घर है। यह सबसे पुराना लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें वे समुदाय है जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है, जब विश्व के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था। इसने लोकतन्त्रीय सिद्धांतों का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू किया है। ब्राइस के शब्दों में, "विश्व में आधुनिक लोकतंत्रों, जो कि सच्चे लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैण्ड का सर्वाधिक महत्व है।"

19.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा और इसके प्रमुख तत्वों को समझ सकेंगे।
2. स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकेंगे।
3. स्विट्जरलैंड में लागू प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार (जैसे, जनमत संग्रह, विधायी प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी) का विश्लेषण कर सकेंगे।
4. स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लाभ और चुनौतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
5. स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएँ (जैसे, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, स्वतंत्रता, और समानता) को समझ सकेंगे।
6. अन्य देशों के लोकतांत्रिक मॉडल से स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तुलना कर सकेंगे।
7. स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन को समझ सकेंगे।

8. स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रभाव और उसकी वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कर सकेंगे।

19.3 प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ

लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए लिंकन ने कहा था कि "यह वह सरकार है जो जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चलाई जाए।" अमेरिका, जापान, फ्रांस, भारत तथा इंग्लैण्ड में लोकतंत्र तो पाया जाता है, परन्तु वह अप्रत्यक्ष है। वहाँ पर जनता की सरकार है और जनता के लिए है, परन्तु जनता द्वारा नहीं चलाई जाती है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय यह है कि राज्य-व्यवस्था की नीतियों का निर्माण एवं उसके संचालन के सिद्धांत समस्त नागरिकों की सामूहिक बैठकों अथवा सम्मेलनों में निश्चित हो। इस कार्य के लिए प्रतिनिधियों को मध्यस्थ न बनाया जाए। प्राचीन काल के यूनान और रोम के नगर-राज्यों में यह प्रथा प्रचलित थी। वर्तमान युग में स्विट्जरलैण्ड के छोटे-छोटे कैण्टनों में यह व्यवस्था जीवित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ राज्यों के छोटे-छोटे नगरों के स्वायत्तशासी निकायों में भी कुछ ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं।

स्विट्जरलैण्ड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि वहाँ उसका व्यापक प्रयोग होता है। वहाँ जनता स्वयं कानूनों का निर्माण एवं नीतियों का निर्धारण करती है। कुबली के अनुसार- "स्विस नागरिक की स्थिति यह है कि वह स्वयं अपना स्वामी है और शासन उसके लिए केवल एक सेवक है।" प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करता है तथा नागरिकों को राज्य की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराता है। इसमें नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और वे प्रशासन कला के प्रति चिन्तन करने में सक्षम हो जाते हैं।

19.4 प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण

(Methods of Direct Democracy)

स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्नलिखित साधन प्रचलित है

1. लोकसभाएँ (Landsgemeinade)- पहली विधि, जिसके द्वारा स्विस नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन- कार्य में भाग लेते हैं, कैण्टनों में लोकसभाओं के निर्माण तथा उनमें सीधे रूप से भाग लेकर करते हैं। इस प्रकार की लोकसभाएँ जिन कैण्टनों में है, वहाँ कैण्टनों के सब स्वतंत्र नागरिक उन सभाओं के सदस्य होतें हैं। इन सभाओं की वार्षिक बैठकें होती हैं जो साधारणतः उसी प्रकार कार्य करती हैं, जिस प्रकार व्यवस्थापिका

सभाएँ करती हैं। लोकसभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के अधिकार का प्रयोग केवल कैण्टनों में होता है।

2. जनमत संग्रह (Referendum) दूसरी विधि, जिसके द्वारा स्विस नागरिक अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करते है, जनमत संग्रह है। इसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से देश के संवैधानिक व अन्य साधारण प्रकार के कानूनों पर अपना मत प्रकट करके शासन कार्य में भाग लेते हैं। इसका प्रयोग केन्द्र व कैण्टन दोनों में ही होता है। नये स्विस संविधान के अनुच्छेद 140 में अनिवार्य जनमत संग्रह तथा अनुच्छेद 141 में ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया है।

3. आरम्भक (Initiative)- तीसरी विधि, जिसके द्वारा स्विस नागरिक अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नागरिक होने के अधिकार का प्रयोग करते हैं, आरम्भक है। इसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से कानूनों के मसविदों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी केन्द्र व कैण्टन दोनों में ही होता है। नये स्विस संविधान के अनुच्छेद 138 एवं द्वारा आरम्भक के प्रावधान किये गये हैं।

केन्द्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy at the Centre)

उपर्युक्त तीनों तरीके स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम है। तीनों में से प्रथम अर्थात् लोकसभाओं का प्रचलन केन्द्रीय स्तर पर नहीं है। केवल जनमत संग्रह और आरम्भक का प्रयोग केन्द्रीय स्तर पर होता है।

19.5 जनमत संग्रह (Referendum)

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग की पहली विधि, जिसे केन्द्र में काम में लाया जाता है, जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है आवश्यक सम्मति माँगी जाए' (must be referred)। अर्थात् विधानमण्डल द्वारा प्रस्तावित या पारित विधेयक पर जनता की सम्मति ली जाए। यदि मतदाताओं के बहुमत का उसे समर्थन मिल जाए तो वह स्वीकृत समझा जाए अन्यथ अस्वीकृत। प्रो. घोष के अनुसार, "जनमत संग्रह जनता का विशेषाधिकार है। यह एक अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता व्यवस्थापिका द्वारा पारित संवैधानिक या कानूनी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।" जनमत संग्रह दो प्रकार का है- (1) पहले प्रकार का जनमत संग्रह अनिवार्य जनमत संग्रह कहलाता है और (2) दूसरे प्रकार का जनमत संग्रह वैकल्पिक जनमत संग्रह कहलाता है।

(1) अनिवार्य जनमत्न संग्रह-स्विस संविधान में संशोधन, चाहे वह पूर्ण संशोधन हो अथवा आंशिक संशोधन, तब तक स्वीकार नहीं हो सकता जब तक जनमत संग्रह के द्वारा उसका समर्थन न हो। स्विस संविधान के अनुच्छेद 195 में कहा गया है- "संघ का संशोधित संविधान या उसका कोई संशोधित अंश तभी क्रियान्वित हो सकेगा जब मत देने वाले स्विंस नागरिकों का बहुमत तथा कैण्टनों का बहुमत उसे स्वीकार कर ले।" संविधान की इस व्यवस्था का अर्थ है कि संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक जनमत संग्रह द्वारा उस संशोधन का समर्थन न किया जाए।

पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा-प्रथम, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है और उसके सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद है। द्वितीय, यदि संशोधन प्रस्ताव एक लाख स्विस मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव एक लाख मतदाताओं द्वारा सविन्यासित आरम्भक के रूप में संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे जनमत संग्रह के लिए जनता के सम्मुख एवं कैण्टनों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से 'वैकल्पिक प्रारूप' तैयार कर सकती है। जनता और कैण्टन एक साथ दोनों प्रारूपों पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैण्टनों का बहुमत, इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जायेगा।

संशोधन चाहे पूर्ण हो या आंशिक पुष्टि हेतु प्रस्ताव को जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जबकि कैण्टनों के बहुमत तथा स्विस संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाये।

संक्षेप में, संशोधन पर जनमत संग्रह होने पर दो प्रकार से उसका समर्थन होना चाहिए। प्रथम-संशोधन को सम्पूर्ण मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए। दूसरा-संशोधन को सभी कैण्टनों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए। इसे हम दोहरा समर्थन कह सकते हैं जिसमें जनता का बहुमत तथा कैण्टनों का बहुमत संशोधन के पक्ष में होना चाहिए। कैण्टनों के बहुमत का अर्थ है- आधे से अधिक कैण्टनों में मतदाताओं के बहुमत द्वारा संशोधन का समर्थन । wy

(2) ऐच्छिक जनमत संग्रह- ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था संघ के कानूनों के लिए सन् 1854 में की गई थी। तदनुसार स्विस संविधान के 89वें अनुच्छेद के अनुसार संघ के सब कानूनों तथा सब पर लागू होने वाले सब अध्यादेशों के लिए यह आवश्यक है

कि उन्हें जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए-यदि मत देने का अधिकार रखने वाले तीस हजार स्विस नागरिक या आठ कैण्टनों के तीस हजार स्विस नागरिक उनके विषय में ऐसी माँग करें। ऐसी माँग के लिए 90 दिन का समय नियत किया गया और किसी कानून या आदेश के प्रकाशन के 90 दिन के अन्दर यदि ऐसी माँग कर दी जाए तो उस कानून या अध्यादेश के विषय में जनमत संग्रह करना आवश्यक समझा जाताया

नये संविधान के अनुच्छेद 141 में भी ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया है। 50 हजार नागरिक या 8 कैण्टन निम्न में से किसी पर जनमत संग्रह की मांग कर सकते हैं। यह मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि सम्पन्न होने के 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे विषय निम्नांकित है-

a. संघीय अधिनियम;

b. ऐसे संघीय अधिनियम जिन्हें अत्यावश्यक घोषित करके एक वर्ष अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई है;

c. संविधान या संघीय अधिनियमों की सीमा के भीतर जारी किये गये संधीय आदेशः

d. अन्तर्राष्ट्रीय संधियों-(i) जो असीमित समय के लिए है और जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता; (ii) जिसमें देश के किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश का प्रावधान; (iii) जिसमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण का प्रावधान है।

संघीय संसद इस श्रेणी में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के लिए भी ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान कर सकती है।

अनुच्छेद 142 के अनुसार जनता के मत हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव स्वीकृत समझे जायेंगे, यदि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकृत करता है। जिन प्रस्तावों को जनता के मत हेतु और कैण्टनों के मत हेतु प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें तभी स्वीकृत समझा जायेगा जबकि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत और कैण्टनों का बहुमत (23 में से 12 कैण्टन) प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करें। कैण्टनों के मत की गणना में 6 अर्द्ध कैण्टनों में से प्रत्येक के मत को आधा और पूर्ण कैण्टन (20) के मत को गिना जाएगा।

जनमत संग्रह के गुण (Merits of Referendum)-

जनमत संग्रह के गुण निम्नलिखित हैं-

(1) जनमत संग्रह द्वारा जनता की वास्तविक इच्छा ज्ञात की जा सकती है। बोंजर ने जनमत संग्रह को राजनीतिक स्थिति जानने का सर्वश्रेष्ठ बैरोमीटर कहा है।

(2) लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धान्त जनमत संग्रह द्वारा ही मूर्त रूप धारण करता है।

(3) जनमत संग्रह द्वारा राजनीतिक दलों का महत्व कम हो जाता है और संकीर्ण दलीय मनोवृत्ति कम होती है।

(4) स्विट्जरलैण्ड में जनमत संग्रह द्वारा व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर नियंत्रण रखा जाता है। वहाँ कार्यपालिका के पास 'वीटो' शक्ति नहीं है। अतः व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने के लिए जनता का 'वीटो' अनिवार्य है।

(5) जनमत संग्रह की व्यवस्था शासकों तथा नागरिकों के बीच निकटतम सम्पर्क स्थापित करती है।

(6) जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण विधायिका सदा सतर्क एवं सावधान रहती है।

जनमत संग्रह के दोष (Demerits of Referendum)-

जनमत संग्रह के दोष निम्नलिखित हैं-

(1) जनमत संग्रह के कारण विधायिका की प्रतिष्ठा घट जाती है। विधायिका के सदस्य विधायी कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वे विधि-निर्माण में कम रुचि लेने लगते हैं। ड्यूब्स के शब्दों में जनमत संग्रह के कारण विधायिका परामर्शदात्री संस्था बन जाती है।

(2) जनमत संग्रह द्वारा अन्तिम उत्तरदायित्व जनमत पर डाला जाता है जो यथार्थ में अमूर्त है।

(3) विधि-निर्माण इतना जटिल कार्य है कि जिसे सामान्य जनता नहीं समझ सकती। वेल्टी के शब्दों में, "वाणिज्य साहित्य पर मतदान के पूर्व एक चरवाहे के हाथ में यह संहिता हो, यह कल्पनातीत प्रतीत होता है।"

(4) जनमत संग्रह में विधेयक के संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि उसमें कोई विधेयक या तो स्वीकार किया जाता है या रद्द।

(5) बार-बार मतदान में भाग लेने से जनता को मतदान में अरुचि हो जाती है और वह जनमत संग्रह के प्रति उदासीनता व लापरवाही दिखाती है।

19.6 आरम्भक

[Initiative]

संघीय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत केवल संविधान के संशोधन अथवा पुनर्निरीक्षण के सम्बन्ध में आरम्भक की व्यवस्था की गई है, साधारण कानूनों के सम्बन्ध में नहीं। आरम्भक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमण्डल से इस बात की माँग करे कि या तो विधानमण्डल उसके प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर जनमत संग्रह किया जाए। इस प्रकार आरम्भक (उपक्रम या प्रस्तावाधिकार) से अभिप्राय है जनता को विधि-निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार।

यह एक स्वीकारात्मक अधिकार है जिसका परिणाम सकारात्मक होता है। इसकी स्थिति जनमत संग्रह की भाँति अर्द्धसप्तावस्था की नहीं है। यह जनता को उन विधियों के निर्माण करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें वह वांछनीय तथा देश-हित में आवश्यक समझे तथा जिन्हें विधायिका ने प्रस्तुत न किया हो।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि आरम्भक द्वारा नागरिकों को सिर्फ संविधान में संशोधन करने की माँग का अधिकार है। साधारण विषयों पर कंकानून बनाए जाने की माँग करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। यहाँ यह स्मरणीय है कि संशोधन के लिए आवेदन-पत्र पर कम-से-कम 50 हजार नागरिक मतदाताओं के हस्ताक्षर हों तथा जिनका संग्रह 6 माह के अन्तर-काल में किया गया हो। आरम्भक दो उद्देश्यों से किया जाता है

(A) आंशिक संशोधन (Partial Revision) संविधान के किसी एक अंश आदि में संशोधन आंशिक संशोधन कहलाता है। जनता इसका आरम्भ दो प्रकार से कर सकती है- (i) संशोधन प्रस्ताव का पूरा प्रारूप तैयार करके तथा (ii) संशोधन की मोटी रूपरेखा तैयार करके।

यदि एक लाख मतदाताओं ने संशोधन प्रस्ताव का पूरा प्रारूप तैयार करके दिया है और उस पर दोनों सदन (संघीय संसद के) सहमत हैं तो प्रस्ताव पर जनमत संग्रह किया जाता है और यदि वह तैयार नहीं है, तो जनमत संग्रह द्वारा संशोधन पर स्वीकृति लेने से पूर्व उस पर जनता की सहमति लेनी होती है।

यदि संशोधन के प्रस्ताव की केवल मोटी रूपरेखा ही प्रस्तुत की गई है तथा संघीय संसद के दोनों सदन उससे सहमत नहीं है तो जनमत संग्रह द्वारा उस पर जनता की सहमति ली जाती है। जनता द्वारा समर्थन मिलने पर संघीय संसद उसका प्रारूप बनाती है और फिर से उस पर जनमत संग्रह लेती है।

(B) पूर्ण संशोधन (Total Revision)- यदि एक लाख मतदाताओं ने आरम्भक द्वारा संविधान के पूर्ण संशोधन की माँग की हो या यदि पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव का आरम्भक

किसी एक सदन ने किया हो, परन्तु दूसरा सदन उससे सहमत न हो तो उन दोनों दशाओं में निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा-

(i) प्रस्तावित संशोधन सर्वसाधारण के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कि संशोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं।

(ii) सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृत होने पर संधीय विधानमण्डल का पुनर्निर्वाचन होगा। यहाँ कैण्टनों के बहुमत की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) पुनर्निर्वाचन के पश्चात् संघीय विधानमण्डल के दोनों सदन उक्त प्रस्तावित संशोधन पर विचार करेंगे और उनके बहुमत द्वारा पारित होने पर वह संशोधन प्रस्ताव सर्वसाधारण तथा कैण्टनों के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और लोक-निर्णय के पक्ष में होने पर संशोधन प्रस्ताव क्रियाशील होगा।

आरम्भक के गुण (Merits of Initiative)-

आरम्भक के गुण निम्नलिखित है

(1) आरम्भक द्वारा जनता विधायिका को उन आवश्यक विधियों को पारित करने के लिए विवश करती है, जिनकी वह उपेक्षा कर रही हो।

(2) आरम्भक द्वारा कभी-कभी जनता उत्कृष्ट योजनाएँ प्रस्तुत कर सकती है।

(3) आरम्भक द्वारा विधायिका अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहती है।

(4) आरम्भक विधायिका की भूलों का उपचार है।

आरम्भक के दोष (Demerits of Initiative)-

आरम्भक के दोष निम्नलिखित है-

(1) जनता में विधेयक का प्रारूप तैयार करने की योग्यता नहीं होती अतः आरम्भक के द्वारा जो संशोधन या विधियाँ निर्मित होगी व जटिल एवं दोषपूर्ण होंगी।

(2) आरम्भक की प्रथा से पेशंवर राजनीतिज्ञों का महत्व बढ़ जाता है। उन्हें जनता को भड़काने तथा गलत रास्ता बतलाने का अवसर मिल जाता है।

(3) आरम्भक की विधि अत्यन्त विलम्बकारी एवं खर्चीली होती है।

19.7 जनमत संग्रह तथा आरम्भक का क्रियात्मक रूप

(Referendum and Initiative in Practice)

सन् 1848 से 1952 तक 104 बार संवैधानिक संशोधन के सम्बन्ध में मतदान हुए। इनमें संघीय सभा द्वारा प्रस्तावों पर अनिवार्य जनमत संग्रह हुआ जिनमें 43 प्रस्तावों को जनता ने स्वीकृत किया और 18 को अस्वीकृत। 43 प्रस्ताव जनता द्वारा आरम्भ किए गए जिनमें 23 अस्वीकृत किए गए और 10 स्वीकृत किए गए। सन् 1880 तथा 1935 में संविधान के पूर्ण संशोधन की माँग की गई। सन् 1874 से 1954 तक स्विस संघीय सभा ने 500 से अधिक विधियों का निर्माण किया जिनमें केवल 63 विधियों पर जनमत संग्रह की मांग की गई। इनमें से 23 विधियाँ जनमत संग्रह द्वारा स्वीकार की गई और 40 विधियाँ अस्वीकार। 1971-1999 के बीच 74 आरम्भक मतदान के लिए रखे गये और केवल 5 स्वीकृत हुए। 1947 में ऐसे आरम्भक पर 80% मतदान होता था तो 1999 में मतदान 40% रह गया।

सिगफ्रीड के अनुसार, "यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियाँ सौंपते समय स्विस जनता उन्हें त्याग नहीं देतौ वह लोक निर्णय के द्वारा अन्तिम शब्द और आरम्भक की प्रक्रिया के द्वारा शायद प्रथम शब्द कहने का अधिकार सदैव अपने पास ही रखती है।"

19.8 स्विस कैण्टनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र

[Direct Democracy in Swiss Cantons]

1. लोकसभा- स्थानीय जनसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का प्रयोग कैण्टनों में किया जाता है। ऐसी जनसभाएँ, जो प्रत्यक्ष रूप से कैण्टनों के शासन कार्य में भाग लेती है, इस समय स्विट्जरलैण्ड के एक पूर्ण कैण्टन (ग्लेरस) और चार अर्द्ध कैण्टनों (ओब वाल्डेन, निड वाल्डेन इनर अपेनजेल और आउटर अपेनजेल) में कार्यरत हैं। इन जनसभाओं का रूप स्वतंत्र नागरिकों की राजनीतिक सभाओं का होता है, जो प्रतिवर्ष निर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में खुले में होती है। प्रत्येक वयस्क पुरुष नागरिक को जनसभा की बैठक में भाग लेने, बोलने व मत देने का अधिकार होता है। पूरे समाज की राजनीतिक सत्ता इस सभा में निहित है और वह पूर्ण प्रभुत्व- सम्पन्न होती है। वह कानून बनाती है तथा कानूनों का पुष्टिकरण करती है। वह अनेक उपयोगी प्रस्ताव पारित करती है तथा वित्त एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय करती है।

इन जनसभाओं की शक्तियाँ व उनके अधिकार अलग-अलग कैण्टनों में अलग-अलग होते हैं, फिर भी सामान्यतः वे निम्न कार्य करती है- (a) संविधान का पूर्ण व आंशिक संशोधन, (b) कानूनों का निर्माण, (c) कर- निर्धारण, ऋण लेना तथा अनुदानों को

स्वीकार करना, (d) नये पदों की स्वीकृति, (e) कार्यपालिका व न्यायाधीशों का निर्वाचन।

जनसभाओं वाले कैण्टनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हुए लायड के अनुसार, "वहाँ का लोकतंत्र वस्तुतः उस प्रकार का लोकतंत्र है जिसे रूसो व अन्य राजनीतिक विचारकों ने वास्तविक लोकतन्त्र माना है।"

2. जनमत संग्रह-कैण्टनों में संविधान के संशोधन के लिए जनमत संग्रह अनिवार्य है और इसकी व्यवस्था संघीय संविधान के अनुच्छेद 142 में की गई है। ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था साधारण विधियों के लिए भी 9 कैण्टनों और एक अर्द्ध कैण्टन में की गई है। वहाँ पर मतदाताओं की एक निश्चित संख्या या कैण्टन की कौंसिल अथवा उसकी कुछ थोड़ी-सी संख्या कानूनों पर जनमत संग्रह की मांग कर सकती है। शेष कैण्टनों में जनसभाओं की प्रथा है। वहाँ इस कारण से जनमत संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. आरम्भक- जेनेवा के अतिरिक्त सभी स्विस कैण्टनों में संविधान में संशोधन तथा कानून बनवाने के लिए आरम्भक की व्यवस्था है। जेनेवा में केवल संविधान संशोधन के लिए ही आरम्भक है। अलग-अलग कैण्टनों में कानून बनवाने और संविधान में संशोधन करवाने के लिए भिन्न-भिन्न नागरिकों की संख्या आवश्यक है। उदाहरण के लिए बर्न में संवैधानिक आरम्भक को 15000 तथा विधि सम्बन्धी आरम्भक को 12000 मतदाता प्रस्तुत कर सकते हैं। कई अन्य कैण्टनों में संविधान के संशोधन के लिए तथा साधारण कानूनों को बनवाने के लिए मतदाताओं की एक जैसी संख्या चाहिए। जैसे वाड तथा फ्राईबर्ग कैण्टनों में दोनों प्रकार के आरम्भकों के लिए 6000 मतदाताओं की आवश्यकता है।

19.9 प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के समर्थन में तर्क

[Arguments in support of Direct Democracy]

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से सरकार तथा लोकमत के बीच पूर्ण समन्वय रहता है। यदि जनमत संग्रह ढाल का कार्य करता है तो आरम्भक तलवार का। प्रत्येक एक-दूसरे के पूरक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों से कार्यपालिका और विधानमण्डलों पर वास्तविक लोक-नियंत्रण रहता है तथा संवैधानिक विरोध और सन्तुलन की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं-

1. लोकतंत्र का विशुद्धतम रूप- लोकतंत्र का सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना एक वरदान ही है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसीलिए अपनाया जाता है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव नहीं है।

2. सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि-प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो रूप होता है, उसके कारण सरकार जनता का ध्यान रखने वाली और उसके प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। वह अपनी शक्ति का दुरूपयोग नहीं कर सकती क्योंकि वह जानती है कि उसके कार्यों पर जनता अपनी प्रतिक्रिया जनमत संग्रहू द्वारा उसके प्रतिकूल व्यक्त कर सकती है। वह यह जानती है कि यदि वह जनता की आवश्यकताओं के प्रति लगातार उदासीन रहेगी तो जनता आरम्भक द्वारा उसे वह करने के लिए बाध्य कर देगी जो वह करना चाहती है।

3. राजनीतिक प्रशिक्षण-प्रत्यक्ष लोकतंत्र राजनीति शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सभी नागरिक देश के शासन और उसके कार्यों में रूचि लेते हैं। वे सार्वजनिक विषयों पर विचार-विमर्श और वाद-विवाद करते हैं। वे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हर सम्भव जानकारी उपलब्ध करते हैं ताकि वे योग्यतापूर्वक जनमत संग्रह और आरम्भक के अधिकारों का उपभोग कर सके।

4. नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत होना-प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों के अन्दर आत्मगौरव और स्वाभिमान की भावना जागृत करता है। नागरिक समझते हैं कि वे भी शासन में महत्वपूर्ण है। कुबली के शब्दों में, "प्रत्यके स्विस नागरिक यह अनुभव करता है कि वह और उसके देशवासी ही वास्तव में राज्य हैं, और सामुदायिक भावना ही संघ की वास्तविक शक्ति है।"

5. विधायिका की निरंकुशता पर अंकुश- जनमत संग्रह का एक लाभ यह है कि इससे स्विस विधायिका निरंकुश नहीं बन सकती। वह जानती है कि विधि-निर्माण के क्षेत्र में वह कोई अन्तिम संस्था नहीं है। उसके द्वारा निर्मित कानून रद्द किए जा सकते हैं। स्विट्जरलैण्ड में तो यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ संघीय संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों को न तो संघीय सरकार ही वीटो कर सकती है न ही संघीय सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है।

6. दोहरा लाभ-जनमत संग्रह जनता के विरूद्ध विधानमण्डल की निरंकुशता को रोकने का कार्य करता है और आरम्भक विधानमण्डल की भूलों का उपचार करता है।

19.10 प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में तर्क

(Argument to Direct Democracy)

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय शासन में राज्य की नीतियाँ, लोकप्रिय भावनाओं और व्यक्तिगत कुण्ठाओं का शिकार बन सकती है, क्योंकि प्रायः जनता भावना के उद्वेग में बहती है, उसे विवेक समतल भूमि पर चलने की आदत नहीं होती। बर्क ने लिखा है-" प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को पूर्णतः निर्लज्ज और विश्व की निर्भीकतम शासन-प्रणाली" कहा जाना चाहिए। इसके विरोध में कुछ तर्क इस प्रकार है-

1. व्यवस्थापिका का गौण स्थान होना- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की व्यवस्था के सम्मान व उत्तरदायित्व की भावना को धक्का लगता है। व्यवस्थापिका का स्थान गौण हो जाता है। वह प्रभुसत्तावान नहीं रहती। अतः एक ओर वह अपने अस्तित्व को ही नहीं समझती तो दूसरी ओर वह लापरवाह बनती है। जनमत संग्रह की तलवार सदैव उसके ऊपर लटकती रहती है अतः वह साहसपूर्वक अपना कार्य नहीं कर सकती। उसका दृष्टिकोण यह बन जाता है कि जनता स्वयं ही आवश्यक कार्य कर लेगी।

2. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से शासन में विलम्ब होता है- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अत्यन्त विलम्ब करने वाली प्रक्रिया है। एक कानून बनने पर तीन माह तक उस पर जनमत संग्रह की माँग की जा सकती है। फिर उस पर जनमत संग्रह होता है। इस बीच उस कानून का भविष्य अधर में लटकता रहता है।

3. समस्त जनता से शासन कला की आशाएँ व्यर्थ- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जनता पर अत्यधिक निर्भर रहता है और सामान्य जनता शासन सम्बन्धी कला से अनभिज्ञ होती है। शासन की समस्याएँ बड़ी पेचीदा व तकनीकी होती है। साधारण जनता उन्हें समझने व उन पर मत प्रकट करने की क्षमता नहीं रखती। अपनी नासमझी के कारण वह रूढ़िप्रिय हो जाती है। यही कारण है कि व्यंग्य के रूप में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के विषय में यहाँ तक कहा जाता है कि उसका अर्थ ज्ञान के स्थान पर अज्ञान तथा उत्तरदायित्व के स्थान पर अनुत्तरदायित्व को महत्व देना है।

4. खर्चीली प्रणाली-प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की पद्धति अत्यन्त खर्चीली है। बार-बार सम्पूर्ण देश की जनता से मत संग्रह कराना कोई सरल और कम खर्चीला कार्य नहीं है। यह एक महँगी व्यवस्था है और स्विट्जरलैण्ड जैसा देश, जो कि बहुत छोटा है, इतने खर्चे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है।

5. शक्ति और दायित्व में समन्वय का अभाव- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में शक्ति व दायित्व का सामंजस्य नहीं रहता। शासन सम्बन्धी निर्णयों को अन्तिम रूप देने की शक्ति जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण जनता में निहित रहती है, जबकि शासन-संचालन का

दायित्व शासनतंत्र का होता है। जनता को शक्ति प्राप्त होती है, पर उसका कोई दायित्व नहीं होता है, जबकि शासनतंत्र पर दायित्व होता है और उसे अन्तिम निर्णय-शक्ति प्राप्त नहीं होती।

6. विधेयक का प्रारूप बनाना सरल नहीं- किसी भी विधेयक का प्रारूप बनाना एक तकनीकी कार्य है। सामान्य नागरिक के लिए यह कार्य अत्यन्त दुष्कर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सामान्य नागरिक से बहुत उम्मीद कर ली गई है।

7. जनता की उदासीनता-प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता में चुनावों के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर देता है। अधिकांश जनता बार-बार के राजनीतिक कार्यों से थक जाती है।

19.11 प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की कार्य-प्रणालीः मूल्यांकन

(An Evaluation of Direct Democracy)

स्विट्जरलैण्ड में जिस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसकी प्रशंसा व आलोचना सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दृष्टि से की गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में एसकीन के अनुसार प्रत्यक्ष विधायन सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों दृष्टि से बुरा नहीं है। इसमें ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान और उत्तरदायित्व की अपेक्षा अनुत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया जाता है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोषों के बावजूद वस्तुस्थिति यह है कि स्विस व्यवस्था वहाँ की जनता के लिए वरदान है। स्विस नागरिक यह मानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र उनकी सूझबूझ और समझदारी का प्रमाण है। रैपर्ड के अनुसार "प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व ही स्विस जनता को हर्षित करने वाली प्रशंसा है.... और शासन के यन्त्र के रूप में वे इसे बहुत महत्व देते हैं और बड़ी ईर्ष्यापूर्वक इसकी रक्षा करते हैं।" जब कोई व्यक्ति साधारण स्विस नागरिक से यह पूछता है कि क्या उसका देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए प्रयोग और उसके परिणाम से सन्तुष्ट है तो वह निश्चित रूप से 'हाँ' में उत्तर देगा।

19.12 स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष की सफलता के कारण

(Factors responsible for the Success of Direct Democracy)

स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के निम्नलिखित कारण है-

1. भौगोलिक स्थिति- स्विट्जरलैण्ड की भौगोलिक स्थिति प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विकास के अनुकूल है। यह एक छोटा-सा देश है। इसका आकार तथा जनसंख्या अत्यल्प है। छोटे और कम जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सकता है।

2. स्विस जनता का चरित्र-स्विस नागरिकों का चरित्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विकास के अनुकूल है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान, शिक्षित, बुद्धिमान तथा व्यावहारिक हों। स्विस नागरिक शिक्षित तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशल, जागरूक और कर्त्तव्यनिष्ठ भी है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त अपने अधिकारों को वे अत्यन्त विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाते है।

3. सामाजिक और आर्थिक समानता- स्विस लोकतंत्र की सफलता का अन्य कारण सामाजिक एवं आर्थिक समानता है। स्विस समाज में सब नागरिक समान है। उनमें कोई वर्गभेद अथवा ऊँच-नीच नहीं है। आर्थिक समानता भी स्विस समाज की एक प्रमुख विशेषता है। वहाँ न तो कोई बहुत धनी है और न कोई निर्धन। अधिकांश लोग मध्यम वर्ग के हैं, अतः लोकतंत्र "धनवानों के धन और निर्धनों की निर्धनता से भ्रष्ट नहीं हो पाता।"

4. परम्पराओं का पालन- प्रत्येक राष्ट्र की जड़े उसके अतीत में उसके इतिहास में होती है। स्विट्जरलैण्ड को भी गत सात सौ वर्षों से चली आने वाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परम्पराओं पर अभिमान है। अतः वहाँ के लोग इस परम्परा को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

5. स्थानीय स्वशासन की परम्परा-स्विट्जरलैण्ड मे स्थानीय स्वशासन की परम्परा लोकतंत्र की सफलता में अधिक सहायक सिद्ध हुई है। अनेक कैण्टन तथा हजारों कम्यून स्वशासन की इकाइयों है। ये देश की 'राजनीतिक प्रयोगशालाएँ' है। नवीन विचारधाराओं का प्रयोग सर्वप्रथम उनमें किया जाता है और बाद में संघ तथा कैण्टनों में अपनाया जाता है।

6. शासन की शुद्धता-लोकतंत्र का आधार जन-इच्छा है। शुद्ध लोकतंत्र जन-इच्छा के आधार पर ही निर्मित हो सकता है। स्विट्जरलैण्ड में जन-इच्छा के भ्रष्ट होने की गुंजाइश कम ही है क्योंकि स्विस राजनीतिज्ञ छल-कपट, रिश्वत आदि से कोसों दूर सच्चरित्र, निष्पक्ष, ईमानदार तथा कर्तव्य-परायण होते हैं। स्विट्जरलैण्ड में ऐसे राजनीतिज्ञ कठिनाई से मिलेंगे जिन्होंने राजनीति को ही अपना पेशा या व्यवसाय बना लिया हो। वहाँ के राजनीतिज्ञ राजनीति से निजी स्वार्थों की पूर्ति नहीं करते अपितु सेवाभाव से राजनीति में प्रवेश करते हैं।

यही सब कारण यह सिद्ध करते हैं कि स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग सफलता के साथ चल रहा है।

19.13 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख उपकरण क्या है?
   a) चुनाव b) जनमत संग्रह
   c) संविधान d) संसद
2. आरम्भक का क्या उद्देश्य होता है?
   a) नागरिकों द्वारा कोई नया कानून प्रस्तावित करना
   b) सरकार द्वारा कानून बनाना
   c) राजनेताओं की नियुक्ति
   d) सबका कोई संबंध नहीं
3. स्विट्ज़रलैंड में _______ का इस्तेमाल नागरिकों को सरकार के निर्णयों में सीधे भागीदारी का अवसर देने के लिए किया जाता है।
4. _______ स्विट्ज़रलैंड के संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कार्यान्वित करने वाला एक प्रमुख उपकरण है।

19.14 सार संक्षेप

स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि नागरिक जनमत संग्रह (Referendum) और जन पहल (Initiative) के माध्यम से सीधे तौर पर देश के कानूनों को प्रभावित कर सकते हैं।

जनमत संग्रह (Referendum): किसी भी कानून या संवैधानिक संशोधन को जनता की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

जन पहल (Initiative): नागरिक किसी नए कानून का प्रस्ताव कर सकते हैं और यदि पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है, तो उस पर मतदान कराया जाता है।

स्विट्जरलैंड का यह मॉडल लोकतंत्र को केवल प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता, और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बल मिलता है।

Answer 1 : b) जनमत संग्रह,Answer 2 : a) नागरिकों द्वारा कोई नया कानून स्तावित करनाAnswer 3 : जनमत संग्रहAnswer 4 : आरम्भक

19.15 मुख्य शब्द

1. जनमत संग्रह)Referendum)

परिभाषा: यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें नागरिक किसी कानून, प्रस्ताव, या संविधान संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मतदान करते हैं।

प्रकार:

वैकल्पिक जनमत संग्रह)Optional Referendum): संसद द्वारा पारित कानूनों को चुनौती देने के लिए नागरिकों को 50,000 हस्ताक्षर 100 दिनों के भीतर एकत्र करने होते हैं।

अनिवार्य जनमत संग्रह)Mandatory Referendum): संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नागरिकों का मत आवश्यक होता है।

2. नागरिक पहल)Citizens' Initiative)

परिभाषा: यह तंत्र नागरिकों को नया कानून या संविधान संशोधन प्रस्तावित करने की अनुमति देता है।

प्रक्रिया: कम से कम 1,00,000 नागरिकों के हस्ताक्षर 18 महीनों के भीतर एकत्र किए जाते हैं, जिसके बाद प्रस्ताव पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराया जाता है।

3. लोक विधायी प्रस्ताव)Popular Initiative)

परिभाषा: यह नागरिकों द्वारा एक नया प्रस्ताव पेश करने या किसी मौजूदा कानून में संशोधन की प्रक्रिया है।

उद्देश्य: लोकतंत्र को नागरिकों के अधिक निकट लाना और उन्हें सीधा निर्णय लेने का अधिकार देना।

4. कैन्टन)Cantons)

परिभाषा: स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे में 26 कैन्टन हैं (राज्य), जो स्वायत्तता और स्थानीय प्रशासन का कार्यभार संभालते हैं।

भूमिका: प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग हैं, जहां राज्य स्तरीय निर्णय भी जनमत संग्रह से लिए जा सकते हैं।

5. लोकप्रिय वोटिंग)Popular Voting)

परिभाषा: नागरिकों के सीधे वोट से सरकारी नीतियों, कानूनों और संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं।

महत्व: यह नागरिकों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी का अवसर देता है।

6. कांसेंसस डेमोक्रेसी)Consensus Democracy)

परिभाषा: स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में आम सहमति और बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया।

उद्देश्य: विविध मतों और समूहों के बीच संतुलन बनाना।

19.16 संदर्भ ग्रन्थ

- कृष्णा, एस. (2019). *स्विट्ज़रलैण्ड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र* (स्व. संस्करण). दिल्ली: भारतीय प्रकाशन गृह.
- शर्मा, आर. (2021). *प्रत्येक लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी*. जयपुर: नवीन पुस्तकालय.
- गुप्ता, वी. (2020). *स्विट्ज़रलैंड में सरकार और नीति निर्माण*. लखनऊ: भारतीय विश्वविद्यालय प्रेस.
- सिंह, R. (2022). *स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक ढांचे का अध्ययन.* मुंबई: राज प्रकाशन.

19.17 अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. स्विटजरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था की व्यावहारिक सफलता के कारणों को समझाइये।
2. स्विस प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर एक लेख लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. जनमत संग्रह समझाइये।
2. आरम्भक समझाइये।
3. स्विस कैण्टनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. स्विस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है-

   (अ) शक्ति पृथक्करण (ब) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

   (स) विधि का शासन (द) एकात्मक शासन

2. जनमत संग्रह का प्रावधान किस देश के संविधान में पाया जाता है?

   (अ) इंग्लैण्ड (ब) चीन

(स) जापान (द) स्विट्जरलैण्ड

3. संविधान में संशोधन के लिए स्विट्जरलैण्ड में क्या अनिवार्य है?

(अ) जनमत संग्रह (ब) अध्यादेश

(स) वापिस बुलाना (द) लोकसभाएँ

4. स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का कारण है-

(अ) देश की विशालता (ब) स्विस जनता का चरित्र

(स) पेशेवर राजनीतिज्ञ (द) द्विदलीय प्रणाली

5. लोकतंत्र का विशुद्धतम रूप किस देश में पाया जाता है-

(अ) फ्रांस (ब) भारत

(स) इंग्लैण्ड (द) स्विट्जरलैण्ड

6. वर्तमान में किस देश में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था पायी जाती है?

(अ) ब्रिटेन (ब) फ्रांस

(स) जापान (द) स्विटजरलैण्ड

इकाई -20

जनवादी चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

[SALIENT FEATURES OF THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA]

20.1 प्रस्तावना
20.2 उद्देश्य
20.3 जनवादी चीन : भूमि और लोग
20.4 जनवादी चीन के संविधान के अध्ययन का महत्व
20.5 जनवादी चीन का राजनीतिक इतिहास पृष्ठभूमि
20.6 जनवादी चीन: सांविधानिक विकास
20.7 1982 के चीनी संविधान की विशेषताएँ
20.8 जनवादी चीन के संविधान का मूल्यांकन
20.9 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर
20.10 सार संक्षेप
20.11 मुख्य शब्द
20.12 संदर्भ ग्रन्थ
20.13 अभ्यास प्रश्न

20.1 प्रस्तावना

"अपने संविधान द्वारा चीन उस शक्ति और प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिए दृढ़संकल्प है जो दो हजार वर्षों तक उसका रहा।" -टिबर मेन्डे

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को 'एशिया का रोगी' (The Sickman of Asia) कहा जाता था ब्रिटेन, फ्रान्स, अमरीका और जापान जैसी शक्तियों ने उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे उसे 'पूरब का तरबूज' (Chinese melon) समझते थे। किन्तु साम्यवादी क्रान्ति (1949) के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ

बराबरी पर है। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने वर्षों पूर्व कहा था कि "विश्व की शान्ति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी पाँच शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीन के संबंध में एक चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, "वह एक दैत्य सो रहा है। उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया हिला देगा।" साम्यवादी क्रान्ति के बाद चीन के व्यवहार ने उपरोक्त कथन को सत्य कर दिखाया है। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमरीका को ही नहीं अपितु विश्व के अन्य दूर और पड़ौसी सभी देशों को परेशान किये हुए हैं।

20.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. जनवादी चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं और उनके उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
2. चीन के संविधान के इतिहास और इसके विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकेंगे।
3. चीन के संविधान में राज्य के संरचनात्मक तत्वों (जैसे, कार्यकारी, विधायिका, न्यायपालिका) के संगठन को समझ सकेंगे।
4. चीन के संविधान में मानवाधिकारों, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर सकेंगे।
5. चीन के संविधान में पार्टी का स्थान और उसकी भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।
6. चीन के संविधान में समाजवाद और सामूहिक संपत्ति के अधिकारों के पहलुओं को समझ सकेंगे।
7. चीन के संविधान में संविधानिक संशोधनों और उनके प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे।
8. चीन के संविधान के वैश्विक और घरेलू राजनीति में प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

20.3 जनवादी चीन : भूमि और लोग

[People's Republic of China: Land and People]

चीन संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में दूसरे नम्बर का देश है। इसमें 21 प्रान्त, 5 स्वायत्त शासी क्षेत्र और 3 नगर निगम क्षेत्र पीकिंग, शंघाई और तीन्टसिन सम्मिलित है।

1953 की जनगणना के अनुसार जनवादी चीन की तत्कालीन आबादी 58.30 करोड़ थी जो 2012 में 133 करोड़ तक पहुँच गई है। आजकल 'एक परिवार एक बच्चा' वहाँ का प्रमुख नारा है। जनसंख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव जाति का लगभग एक-चौथाई भाग चीन में निवास करता है। इसकी जनसंख्या का औसत घनत्व 123 व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। चीन की अधिकांश जनता मैदानों में रहती है जहाँ जनसंख्या का घनत्व 660 व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल 9,561,000 वर्ग किलोमीटर है। रूस की भाँति जनवादी चीन की भूमि इतनी अधिक फैली हुई है कि यह 10 देशों की सीमाओं को छूती है। इसी कारण जनवादी चीन का अपने निकटवर्ती राज्यों के साथ सीमा सम्बन्धी झगड़ा रहा है। विस्तृत भूमि होने के कारण जनवादी चीन में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है।

पूर्व सोवियत संघ की भाँति जनवादी चीन में भी अनेक राष्ट्रीयताएँ हैं। कुल जनसंख्या का 94 प्रतिशत 'हान' जाति है। यह समस्त चीन में दूर-दूर तक फैली हुई है। चीन में 12 ऐसी मूल जातियाँ है जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या एक लाख से भी अधिक है। इनमें चोआंग, मंगोल, हुई, मान्चु, तिब्बती, कोरियाई तथा भाई जाति का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे छोटी राष्ट्रीयता हेचेहस है। हान जाति पूर्वी चीन में सबसे अधिक फैली हुई है, जबकि अन्य राष्ट्रीयताओं के व्यक्ति उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी भागों में फैले हुए हैं। अनेक विविधताओं के होने पर भी चीन में भाषा तथा संस्कृति की अद्भुत एकरसता है। संविधान के अन्तर्गत सभी जातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। प्रत्येक राष्ट्रीयता को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है।

1949 से पूर्व चीन आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। यह मुख्यतः कृषि प्रधान देश था। 1958 में माओ ने एक नया अभियान शुरू किया जिसे 'ग्रेट लीप फारवर्ड' (The Great Leap Forward) के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना था। 'ग्रेट लीप फारवर्ड' अभियान के अन्तर्गत इस्पात, कोयले और बिजली के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 1977 में साम्यवादी दल के नये अध्यक्ष हुआ-कुओ-फेंग ने नई आर्थिक नीति का सूत्रपात किया जिससे चीन ने आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की। आज जनवादी चीन कोयले, सूती कपड़े, रेडियो सेट के

उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। चीन स्टील के उत्पादन में पाँचवा तथा तेल के उत्पादन में दशवां स्थान रखता है। चीन में अब कम्पूटर, विद्युत परमाणु युक्त सूक्ष्मदर्शक आयुध और अन्य प्रकार के यंत्र तैयार होने लगे हैं। आज चीन सर्वाधिक आर्थिक संभावना वाला देश बन गया है। 1991 की तुलना में वर्ष 1992 में चीन की विकास दर में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2398.8 अरब युआन (420 अरब डालर) तक पहुँच गया। इसमें औद्योगिक उत्पादन का 42 प्रतिशत हिस्सा रहा। वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 1992 में औद्योगिक उत्पादन में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई यह 1,011.6 अरब युआन (177.4 अरब डॉलर) तक पहुँच गया। 1991 की तुलना में 1992 में चीन के निर्यात में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 85 अरब डॉलर तक पहुँच गया। । चीन ने 1978 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किया तब से उसकी आर्थिक विकास दर औसतन 9 प्रतिशत रही है, जो अमरीका की विकास दर से तीन गुना अधिक है। विश्व बैंक के आंकलन के अनुसार वर्ष 2010 तक चीन में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाएगी; अभी उसका स्थान चौथा है।

चीन एक ओर आर्थिक मोर्चे पर अग्रसर है तो दूसरी ओर सैन्य मोर्चे पर भी बड़ी तेजी से अग्रसर है। 80 के दशक में जब देंग झियाओ यिंग ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम व्यापक स्तर पर प्रारंभ किया तो चीन के सैन्य बजट में काफी कटौती की गई थी। चीन ने थोड़ी आर्थिक सुदृढ़ता अर्जित करते ही 90 के दशक से लगातार अपने सैन्य बजट में भारी वृद्धि की है। वर्ष 1990 में उसके सैन्य बजट में 12.5 प्रतिशत, 1991 में 15.3 प्रतिशत और 1992 में 13.9 प्रतिशत तथा 1993 में 14.8 प्रतिशत वृद्धि की। रक्षा बजट को 7.4 अरब डॉलर तक पहुँचा दिया गया। आज चीन की प्रगति रफ्तार भारत से भी बहुत तेज है। चीन में 40 अरब डालर से ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिवर्ष आता है जबकि भारत में 2 अरब डालर मात्र। चीन का वर्ष 2002 में निर्यात 322 अरब डालर रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2002-03 में भारत का 40 अरब डालर से ज्यादा नहीं रहा। चीन के रक्षा बजट का सरकारी आँकड़ा 2000 में 14.5 अरब डालर और 2001 में 17.5 अरब डालर था जबकि वास्तविक राशि उससे तीन गुनी अर्थात करीब 50 अरब डालर होने का अनुमान है। 160 सदस्य वाले केन्द्रीय आयोग में चीन की जनमुक्ति सेना के 40 सदस्य हैं। आयोग रक्षा बजट में हर वर्ष 17 प्रतिशत की वृद्धि पर जोर दे रहा है।

20.4 जनवादी चीन के संविधान के अध्ययन का महत्व

[Significance and Study of the Constitution of The People's Republic of China)

फ्रीडमैन के शब्दों में, "साम्यवादी नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय अर्वाचीन युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है।" यह एक ऐसी घटना है जिसने संपूर्ण विश्व को अचम्भे में डाल दिया है। पिछले 52 वर्षों में चीन ने अनुकरणीय प्रगति की है। वह आज विश्व की एक महाशक्ति बन गया है। जून 1987 में चीन ने एक बहुत शक्तिशाली भूमिगत परीक्षण किया; मई 1992 में चीन ने 10 लाख टी. एन. टी. क्षमता के परमाणु बम का परीक्षण किया। जनसंख्या विस्फोट के परिणामों से चिन्तित होने के बावजूद चीन ने तेजी से प्रगति की है और वहां केवल 11 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था 13 प्रतिशत की दर से छलांग लगा रही है।

जनवादी चीन का 1982 का संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह चीन की प्रगति और विकास का परिचायक है। देंग क्सिओपिंग के नेतृत्व में माओत्से तुंग के चीन को एक दम बदल दिया गया है। लेकिन इस बदलाव में टूटन नहीं वरन् विकासशील निरन्तरता है। आज का चीन मार्क्सलेनिन, माओ व देंगवान का चीन है। देंग की परिवर्तन रणनीति के दो आधारभूत सिद्धान्त है पहला है समाजवादी मार्ग को छोड़ना नहीं तथा दूसरा है चीनी अर्थव्यवस्था में निरन्तर सुधार करते जाना। देंग की रणनीति का यह एक अजीब पहलू है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी है तथा आर्थिक व्यवस्था में समयानुकूल परिवर्तन कर लिए गए हैं। 1982 का जनवादी चीन का संविधान नई आर्थिक नीति के बाद नये चीन की महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करने वाला चार्टर है।

नये संविधान के अध्ययन का महत्व निम्नांकित कारणों से स्पष्ट होता है

1. महत्वपूर्ण देश का शासन विधान: जनवादी चीन के संविधान के माध्यम से संसार के एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देश की शासन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी मिलती है।

2. साम्यवादी शासन विधान का प्रतिनिधि संविधान: सोवियत संघ के पतन के बाद अब इस संविधान के माध्यम से उन सभी देशों की शासन पद्धति का अनुमान लगाया जा सकता है जहाँ आज साम्यवादी व्यवस्था के अवशेष शेष हैं।

3. एक महान प्रयोग : 1982 का संविधान एक महान राजनीतिक प्रयोग है। इसके माध्यम से यह परीक्षण हो रहा है कि मार्क्सवादी और उदारवाद के तत्वों का मिश्रण करके नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो। इस संविधान के द्वारा मार्क्स, लेनिन एवं माओ के विचारों को आधुनिक विश्व की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का संकेत मिलता है।

4. विचित्र राजनीतिक संस्थाएँ: नये संविधान में राज्य परिषद, केन्द्रीय सैनिक आयोग जैसी निराली संस्थाओं का उल्लेख मिलता है।

5. विश्व की महान शक्ति: चीन विश्व की महान शक्ति है। विश्व राजनीति पर उसका निश्चित प्रभाव है। एशिया के देशों पर उसका गहरा प्रभाव है; संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उसकी भूमिका निर्णायक होती है। ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र की शासन प्रणाली का अध्ययन निश्चित ही रुचिकर होता है।

6. भारतीयों के लिए विशेष महत्व: भारतीय विद्यार्थियों के लिए जनवादी चीन के शासन विधान की जानकारी विशेष महत्वपूर्ण है। भारत और चीन पड़ौसी राष्ट्र हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है जिसके विश्व पर छा जाने का खतरा है। भारत और चीन विकासशील जगत के दो सबसे बड़े राष्ट्र हैं जो व्यापक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, इन देशों ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है; अतः दोनों का संयुक्त दायित्व है कि वे ऐसी कूटनीति तैयार करें ताकि अमेरिका को किसी प्रकार की अधिनायकवादी कार्यवाही से रोका जा सके। यह तभी संभव है जबकि दोनों देशों के लोग एक-दूसरे की राजनीतिक व्यवस्था को समझें और आपसी भाईचारे का माहौल तैयार करें।

20.5 जनवादी चीन का राजनीतिक इतिहास पृष्ठभूमि

[Political History of the People's Republic of China: Background]

चीन का राजनीतिक इतिहास बहुत प्राचीन है। 201 ई. पू. में चीन राजवंश ने चाओ सम्राट् तथा अन्य सामंतों को पराजित कर चीन में सुसंगठित साम्राज्य की नींव डाली। इस वंश के सम्राट को 'चिन शिह हुआंग' की उपाधि से विभूषित किया गया। 118 ई.पू. में चिन शिह हुआंग के निधन के बाद शासन की बागडोर हान वंश ने संभाली; इसके बाद तांग वंश ने 960 ई. तक शासन किया, इसके बाद सुंग वंश ने और सुंग वंश के उपरांत 1644 तक मिग वंश का चीन में शासन रहा। 16वीं शताब्दी में चीन पर मंगोलों का आक्रमण हुआ जिसका लाभ उठाकर 1644 में मांचू वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया।

19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन एक समृद्ध देश था किन्तु राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं था। अतः यूरोपीय जातियों ने चीन में अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन चीन का प्रमुख विदेशी ग्राहक बन गया। चीन की चाय, रेशमी कपड़ों तथा मिट्टी के बर्तनों की यूरोप में बहुत माँग थी, जबकि चीन किसी भी यूरोपीय वस्तु को खरीदने में उत्सुक नहीं

था। अतः यूरोपीय व्यापारियों को चांदी और सोने में भुगतान करना पड़ता था । 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने भुगतान की समस्या का हल ढूँढ़ निकाला। उसने भारत से अफीम लेकर चीन में बेचना शुरू कर दिया। अफीम के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए चीनी सरकार ने ब्रिटिश जहाजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। फलस्वरूप, चीन तथा ब्रिटेन में युद्ध छिड़ गया जो 'अफीम युद्ध' (1841) के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में चीन की पराजय हुई और चीन को ब्रिटेन की अनेक शर्तें माननी पड़ी। 1894-95 में चीन का जापान से कोरिया के प्रश्न पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन की हार हुई और कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। 1892 में साम्राज्यवादी शक्तियों ने चीन को औपनिवेशिक प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। प्रत्येक साम्राज्यवादी देश को अपने प्रभाव क्षेत्र में पूंजी निवेश और संचार के विकास का लगभग एकाधिकार प्राप्त हो गया।

1911 में डॉ. सनयात सेन के नेतृत्व में क्रान्ति हुई, मांचू वंश के शासन का अंत हुआ और चीन को एक गणराज्य घोषित किया गया। डॉ. सनयात सेन और उनके अनुयायियों ने अपने आपको कोमिन्तांग पार्टी के रूप में संगठित किया, जो एक राष्ट्रीय दल था। 1925 में सनयात सेन के निधन के पश्चात् च्यांग कोई शेक कांमिन्तांग पार्टी के नेता बने। 1928 में च्यांग के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। इन्हीं दिनों साम्यवादी दल भी चीन में कार्य करने लग गया था। 1935 में माओत्से तुंग ने चीनी साम्यवादी दल का पूर्ण नेतृत्व प्राप्त कर लिया। उन्होंने कोमिन्तांग की शक्ति का मुकाबला करने के लिए खुले युद्ध के स्थान पर 'गुरिल्ला युद्ध पद्धति' अपनाने और कृषकों को चीन की प्रमुख क्रान्तिकारी शक्ति बनाने पर बल दिया। माओ ने सशस्त्र संघर्ष और संयुक्त मोर्चे की दुतरफा नीति अपनायी और 1937-45 के वर्षों में सफल साम्यवादी क्रान्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर ली।

1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब चीन वैधानिक रूप से च्यांग और उनके कोमिन्तांग दल के नियन्त्रण में था लेकिन देश की यथार्थ शक्ति साम्यवादियों के हाथों में आ गई थी। कोमिन्तांग शासन में एकता का अभाव था और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण यह जनसमर्थन खोता जा रहा था। 1949 में कोमिन्तांग शासन का पतन हो गया, च्यांग ने चीन की मुख्य भूमि छोड़कर फारमोसा टापू में शरण ली। साम्यवादी दल ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और 1 अक्टूबर, 1949 को माओ के नेतृत्व में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गई।

20.6 जनवादी चीन :सांविधानिक विकास

[Constitutional evolution in People's Republic of China]

1949 से 1954 तक जनवादी चीन का कोई औपचारिक संविधान नहीं था। देश पर 'राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन' द्वारा शासन किया गया।

जनवादी चीन का पहला संविधान 4 नवम्बर, 1954 को लागू किया गया। इस संविधान में 106 अनुच्छेद थे। इस संविधान के द्वारा 'लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद' सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक सदनात्मक विधान मण्डल, चेयरमैन तथा राज्य परिषद् का प्रावधान था। न्यायपालिका प्रशासन का अंग थी।

चूँकि 1954 का संविधान एक संक्रमणकालीन व्यवस्था थी, अतः 17 जनवरी, 1975 को नवीन संविधान लागू किया गया। इस संविधान में एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद थे। इस संविधान द्वारा गणराज्य के अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया।

5 मार्च, 1978 को चीन की पाँचवी कांग्रेस द्वारा नया संविधान स्वीकृत किया गया। यह संविधान 4 अध्यायों में विभाजित है और इसमें कुल 60 अनुच्छेद हैं। इस संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी चीन की स्थापना के उपरांत देश में हुई प्रजातांत्रिक क्रांति तथा समाजवादी क्रांति में उपलब्ध सफलताओं का उल्लेख किया गया है। इस संविधान में राष्ट्रपति का पद एकल नहीं रखा गया। उसकी कुछ शक्तियाँ तो संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन को दे दी गयीं और कुछ शक्तियाँ साम्यवादी दल के चेयरमैन को सौंपी गईं।

4 दिसम्बर, 1982 को जनवादी चीन की पाँचवी जनवादी काँग्रेस ने अपने पाँचवें सत्र में नया संविधान स्वीकृत किया। चीन में सन् 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद यह चौथा संविधान लागू किया गया है। इसमें फिर से राज्याध्यक्ष के पद की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो सन् 1976 में माओत्से तुंग के निधन के बाद समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि इस संविधान के मसौदेकी प्रतियाँ काफी पहले चीन में वितरित कर दी गयीं थीं और तभी से यह महसूस किया जा रहा था कि सम्भवतः नया संविधान लागू होने के बाद चीन की मूलभूत नीतियों में कुछ परिवर्तन लक्षित हो। जो नया संविधान लागू किया गया है उसमें और मूल मसौदे में काफी अन्तर है।

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 3,037 सदस्यों ने गुप्त मतदान प्रणाली संविधान के मसौदे में सुझाये गये संशोधनों को पारित किया। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि कुछ सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इससे यह तो स्पष्ट है कि कुछ लोग परिवर्तन के इस दौर के खिलाफ भी थे और मतदान में भाग न लेकर उन्होंने अपना विरोध प्रकट भी कर दिया था। संविधान के समौदे में जो परिवर्तन किये गये हैं उनसे यह संकेत मिलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अथवा राज्याध्यक्ष के मुकाबले चीन के केन्द्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के अधिकार कहीं अधिक होंगे। संविधान के मसौदे में सैन्य आयोग के

अध्यक्ष का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है और अब यह अनिश्चित काल तक इस आयोग का अध्यक्ष बना रहेगा और सेना का सर्वोच्च कमाण्डर भी होगा जबकि राज्याध्यक्ष प्रधानमंत्री केवल दो बार पाँच-पाँच वर्ष के लिए इस पद पर आसीन रह सकेंगे। इससे राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह अनुमान लगाना अनुचित नहीं है कि चीन में 42 लाख की विशाल सैन्य वाहिनी कम्युनिस्ट पार्टी से अधिक शक्तिशाली बन जाये तो आश्चर्य नहीं। राज्याध्यक्ष के पद पर माओ जैसा प्रभावशाली नेता प्रतिष्ठित होकर सेनाधिकारियों पर भी नियंत्रण करले, इस संबंध में फिलहाल केवल सम्भावनाएँ ही व्यक्त की जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन जैसा कम्युनिस्ट देश भी जनसंख्या विस्फोट से अब आतंकित हो उठा है और परिवार नियोजन को संविधान द्वारा चीन के हर दम्पति के लिए आवश्यक कर्तव्य घोषित कर दिया गया है। इससे यह साफ जाहिर है कि चीन भी अब कट्टरता छोड़कर राष्ट्रहित में संशोधनवादी नीति की ओर अग्रसर हो रहा है।

साम्यवादी क्रान्ति के बाद 1954 में चीन में संविधान लागू किया गया। उसके बाद चीन ने आर्थिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। माओ के निधन के बाद वहाँ तेजी से पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ने लगा। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई। पाश्चात्य देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये गये। नई आर्थिक नीति के कारण शहरों और गाँवों में लोगों की आय बढ़ी। नई सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति के लिए 1975 तथा 1978 में नए संविधानों की रचना की गई किन्तु 1975 तथा 1978 के संविधान संक्रमणकालीन सिद्ध हुए। इनका उद्देश्य एक स्वतंत्र और अपेक्षाकृत वृहत् औद्योगिक और आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना था। सन् 1982 में चीन ने एक महाशक्ति का रूप धारण कर लिया, किन्तु कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, तकनीकी के आधुनिकीकरण की समस्याएँ अभी भी बरकरार थी। अतः ऐसे संविधान की आवश्यकता महसूस की गयी जिससे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था विश्व में अग्रणी बन सके।

DE 1982 के संविधान द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वह यह है कि संविधान में बार-बार माओ की प्रशंसा करने की पुरानी शैली का परित्याग कर दिया गया और पूर्व संविधानों की भांति प्रस्तावना में 'सांस्कृतिक क्रान्ति' तक का उल्लेख नहीं किया गया। इनके स्थान पर नये संविधान में समाजवाद के चार बुनियादी सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, ये चार सिद्धान्त है- सर्वहारा की तानाशाही, मार्क्सवाद-लेनिनवाद, माओ की विचार पद्धति तथा चीनी साम्यवादी दल का नेतृत्व ।

1982 का चीनी संविधान अपने पूर्व संविधानों की तुलना में अनूठा है। इसमें राष्ट्रपति पद संबंधी प्रावधान है, जबकि 1975 एवं 1978 के संविधानों में ऐसे पद का उल्लेख ही नहीं था। इसी प्रकार 'केन्द्रीय सैनिक आयोग' जैसे निकाय का प्रावधान किया गया है। पूर्व संविधानों में ऐसा कोई निकाय नहीं था।

20.7 1982के चीनी संविधान की विशेषताएँ

(Salient Features of The Chinese Constitution of 1982)

पिछले संविधानों की तुलना में 1982 के संविधान का आकार काफी बड़ा है। इसमें 138 अनुच्छेद है। संविधान को पाँच भागों में बाँटा गया है- संविधान की प्रस्तावना तथा चार अन्य अध्याय । प्रस्तावना में कहा गया है कि "सभी राष्ट्र जातियों ने मिलकर चीन की संस्कृति को वैभवशाली बनाया है और क्रान्ति की गौरवपूर्ण विरासत को कायम रखा है।" प्रस्तावना में क्रान्ति के अग्रदूत डॉ सनयात सेन को स्मरण किया गया है क्योंकि 1911 में उनके नेतृत्व में राजशाही का तख्ता पलटकर गणतंत्र की स्थापना की गई। किन्तु उसके बाद भी साम्राज्यवाद एवं सामन्तवाद का अन्त नहीं हुआ। साम्यवादी पार्टी ने माओत्से तुंग के नेतृत्व में संघर्ष करके 1949 में शानदार विजय हासिल की। प्रस्तावना में कहा गया है कि "चीन की जनता 'जनवादी अधिनायक्तव' में विश्वास रखते हुए समाजवादी मार्ग पर चलती रहेगी और समाजवादी संस्थाओं को अनवरत सुदृढ़ करती रहेगी।"

संविधान के प्रथम अध्याय में कतिपय सामान्य सिद्धान्तों (General Principles) का विवेचन किया गया है, जैसे 'लोकतांत्रिक केन्द्रवाद' और यह सिद्धान्त कि सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक अंग जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं। इस अध्याय में यह अंकित किया गया है कि अर्थव्यवस्था, न्यायांग, प्रशासन और सेना का गठन समाजवादी मान्यताओं पर किया गया है।

द्वितीय अध्याय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का निरूपण करता है। अधिकारों की सूची से 'हड़ताल का अधिकार' हटा दिया गया है।

तृतीय अध्याय 'राज्य संरचना' का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें 'राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रपति, राज्य परिषद्, केन्द्रीय सैनिक आयोग, स्थानीय जन कांग्रेस, जन न्यायालय आदि प्रशासनिक और न्यायिक अंगों के कार्य, गठन आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नये संविधान द्वारा राष्ट्रपति का पद पुनः स्थापित किया गया है।'

चतुर्थ व अंतिम अध्याय राष्ट्रध्वज, राजचिन्ह और राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। चीन की राजधानी 'पेकिंग' का नया नाम 'बीजिंग' है। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधानों की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से नूतन है। प्रथम, इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का सार समाविष्ट किया गया है। इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। द्वितीय, इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के चार प्रमुख सिद्धान्तों सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा माओत्से तुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध कराया गया है। यह इस बात की गारण्टी है कि चीन का समाजवादी विकास सही और निश्चित मार्ग पर हो रहा है। तृतीय, यह संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ-साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर जोर देता है।

नये चीनी संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(1) संक्षिप्त संविधान- चीन का वर्तमान संविधान (1982) वस्तुतः एक संक्षिप्त संविधान है जिसमें 138 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है। 1954 के संविधान में 106 अनुच्छेदः 1975 के संविधान में मात्र 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना तथा 1978 के संविधान में एक प्रस्तावना और 60 अनुच्छेद थे। वर्तमान संविधान पाँच भागों में विभक्त है जिसमें एक प्रस्तावना और चार अध्याय हैं। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन तथा सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है।

(2) लिखित तथा निर्मित- नया संविधान, अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गयी एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है, अतः इसे लिखित होने के साथ-साथ निर्मित संविधान (Enacted Constitution) भी कह सकते हैं। संविधान का मसौदा अप्रैल, 1982 में प्रकाशित कर दिया गया था ताकि देश की जनता विस्तार से उस पर विचार-

विमर्श कर सके। देश व्यापी वाद-विवाद के आधार पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस ने करीब 100 संशोधनों पर विचार किया, जिनमें से 30 स्वीकार कर लिए गए। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धान्तों (General Principles) का वर्णन मिलता है। दूसरा अध्याय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्त्तव्यों (The Fundamental Rights and Duties of Citizens) का वर्णन करता है। तीसरा अध्याय, 'राज्य संरचना' (Structure of the State) अर्थात् सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों पर प्रकाश डालता है। चौथा अध्याय, राष्ट्रध्वज (National Flag), राज्य चिन्ह

(National Emblem) तथा राजधानी (The Capital of China) का ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

(3) अनम्य संविधान- यह एक अनम्य संविधान है। संविधान को अनम्य इसलिए कहा गया है कि उसमें संशोधन उतनी ही सुगमता से नहीं किया जा सकता है जितनी सुगमता से कोई साधारण कानून बनाया या मिटाया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति अथवा 115 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पर वह तभी मान्य होगा जबकि वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार चीन का 1982 का संविधान अनम्य (Rigid) यानी कठोर है।

(4) जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही- पिछले संविधानों में 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' (Dictatorship of the Proletariat) शब्द बंध का उल्लेख मिलता है जबकि 1982 का संविधान 'जनता के जनवादी अधिनायकत्व' (People's Democratic Dictatorship) की घोषणा करता है। 1982 के नये संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह घोषणा की गयी है, "जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहाँ श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री संबंध विद्यमान है।" जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बंटाने का पूरा अधिकार हासिल है। हर स्तर पर जन सभाओं (People's Congresses) यानी विधान मण्डलों का गठन किया गया है और उनमें ज्यादातर किसान मजदूर और साधारण वर्गों के लोग पाये जाते हैं, देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बढ़ गयी है, तथा लोगों को यह अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। 'लोकतांत्रिक तानाशाही' में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रतिक्रियावादी पूँजीपतियों पर नियंत्रण होता है। 'मजदूरों की तानाशाही' जमींदारों या पूँजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज्यादा अच्छी है।

(5) जनवादी गणतन्त्र - नये संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणतन्त्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अन्तर्गत जनता स्वयं करती है।

संविधान के अनुच्छेद 2 में शासन के गणतंत्रीय स्वरूप की तीन विशेषताएँ अंकित है - प्रथम, समस्त राजकीय सत्ता जनता के हाथों में केन्द्रित है, द्वितीय हर स्तर पर

जनसभाओं का गठन किया गया है; तृतीय, लोगों को राजकीय मामलों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।

(6) लोकतांत्रिक केन्द्रवाद- पूर्व में सोवियत संघ की ही भाँति चीन का नया संविधान भी लोकतन्त्र और 'केन्द्रवाद' की दुहाई देता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार "चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केन्द्रवाद सिद्धान्त को प्रयोग में लायेंगे, केन्द्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्ति वितवरण का सिद्धान्त यह है कि स्थानीय अधिकारी उत्साहपूर्वक अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते रहें, पर वे केन्द्रीय सत्ता के नेतृत्व या नियंत्रण में अवश्य रहें।" चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केन्द्रवाद का सिद्धान्त चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धान्त है। इसका तात्पर्य है 'लोकतंत्र का आधार केन्द्रीकरण और केन्द्रित पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त।' इसके अनुसार, चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। मन्त्रिमण्डल तथा उच्चतम जन न्यायालय 'राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस' अथवा उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करते हैं। प्रान्तों, काउण्टियों, जिलों, नगरों तथा कम्यूनों, में भी जनसभाओं का गठन किया गया है। ये सभाएँ एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और विश्राम के अधिकार उपलब्ध हैं, उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने तथा सुझाव देने का अधिकार है।

इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी केन्द्रवाद का तकाजा है कि निम्न स्तर के पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करें। सभी शासन संरचनाएँ केन्द्रीय सरकार के अधीन है और उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियन्त्रण में कार्य करना पड़ता है।

(7) बहुराष्ट्रीय राज्य- संविधान के अनुसार चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है जिसमें 56 जातियाँ निवास करती हैं। इन राष्ट्र जातियों को भाषा, लिपि, संस्कृति और खान-पान के क्षेत्र में थोड़ी-बहुत स्वायत्तता है। उनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए ही संविधान में प्रदेश, 'स्वायत्त प्रीफेक्ट,' तथा 'स्वायत्त काउन्टी' शब्दों का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुसार किसी भी राष्ट्र जाति के प्रति भेदभाव रखना या उस पर अत्याचार करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

(8) एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन

प्रणाली विद्यमान रही है। नये संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है एवं शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित हैं जैसा कि एकात्मक संविधानों में होता है। केन्द्रीय सरकार जब चाहें घटक इकाइयों को समाप्त कर सकती है और जब चाहे उनके अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। शासन की विभिन्न इकाइयाँ हैं- प्रान्त अथवा स्वायत्त प्रदेश, प्रत्येक प्रान्त अथवा स्वायत्त प्रदेश को प्रीफेक्टों अथवा स्वायत्त प्रीफेक्टों में बांटा गया है; उनके नीचे है काउन्टियाँ अथवा स्वायत्त काउन्टियाँ तथा प्रत्येक काउन्टी अथवा स्वायत्त काउन्टी के अन्तर्गत बहुत से जन कम्यून व कस्बे हैं।

(9) नागरिकों के मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य- नये संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 -56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का विर्णन किया गया है। इन अधिकारों को चार भागों में बाँटा गया जा सकता है।

(i) आर्थिक अधिकार नागरिकों को बहुत-से आर्थिक अधिकार दिये गये हैं जैसे, काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में यानी अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। नया संविधान 'काम के अधिकार' को कर्तव्य के रूप में भी देखता है। अनुच्छेद 42 के अनुसार "काम करना नागरिकों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी।"

(ii) राजनीतिक अधिकार नागरिकों को अनेक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं जैसे 18 वर्ष या

उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री-पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करा सकें। संविधान इस बात की स्वतन्त्रता देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामलों को उचित अधिकारियों तक पहुँचायें । यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारियों की वजह से कोई हानि पहुँचती है तो वह 'हरजाना प्राप्त करने का अधिकार रखता है।' राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य उन यूनिटों की निगरानी में कार्य करेंगे जिन्होंने उन्हें चुना है। इन यूनिटों को अपने प्रतिनिधि वापिस बुला लेने का अधिकार है।

(iii) सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार नागरिकों को अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिये गये हैं जैसे, शिक्षा का अधिकार तथा विज्ञान, साहित्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान एवं सृजन की स्वतंत्रता। संविधान में कहा गया है कि राज्य विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला, तकनीकी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देगा।

(iv) व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ भी दी गयी है जैसे, भाषण अभिव्यक्ति, सभा व प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता। अनुचित रूप में बंदी न बनाये जाने की गारंटी तथा पारिवारिक सुरक्षा की व्यवस्था। संविधान यह घोषणा करता है कि महिलाओं को पुरुषों के ही समान अधिकार उपलब्ध हैं।

संविधान में नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान व कानूनों का पालन करें, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें, मातृभूमि की रक्षा करें, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहें, करों का नियमानुसार भुगतान करें तथा आक्रमणों का प्रतिरोध करें। संक्षेप में, अन्य पिछले संविधानों की तुलना में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य काफी विशद हैं।

(10) समाजवादी अर्थ-व्यवस्था नये संविधान में चीन की अर्थ-व्यवस्था की भी चर्चा की गयी है। चीन में दो प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रबन्ध किया जाता है। सम्पूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अन्तर्गत अन उद्यम की आजादी देता है है किन्तु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थ-व्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन-सम्पदा, यातायात आदि समाजवादी राजकीय स्वामित्व और प्रबन्ध में संचालित होते हैं। राज्य भूमि की आवश्यकतानुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थ-व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में है। ग्रामीण कम्यून इसका उदाहरण है। चीन की अर्थ-व्यवस्था का प्रधान आधार जन-कम्यून है। 1982 में जन-कम्यूनों की संख्या 54.352 थी। प्रत्येक कम्यून आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। उसके सभी सदस्य सामूहिक रूप से खेती या अन्य धंधे करते हैं और अपने धंधों की व्यवस्था भी स्वयं करते हैं। प्रत्येक कम्यून को अपनी आय या बचत का 18 प्रतिशत भाग आयकर के रूप में देना होता है। संविधान का अनुच्छेद 6 यह घोषणा करता है कि "प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा और कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा।" अनुच्छेद 12 के अनुसार समाजवादी सम्पत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थ-व्यवस्था को नुकसान पहुँचाना आदि कार्यों को दण्डनीय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य नागरिकों के द्वारा कानून के अनुसार अर्जित व्यक्तिगत आय, बचत, मकान आदि की सुरक्षा प्रदान करता है।

(11) एक दलीय प्रणाली - नये संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गयी है। संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि पिछले तीस वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजयी यात्रा जारी रखी है एवं बड़ी सफलताएँ अर्जित की है।

चीन में कहने के लिए साम्यवादी पार्टी के अलावा आठ पार्टियाँ और है, पर उनका नेतृत्व साम्यवादी पार्टी ही करती है। जून 1985 में साम्यवादी पार्टी की सदस्य संख्या 4 करोड़ से अधिक थी। चीनी साम्यवादी पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार "चीनी सर्वहारा वर्ग के अग्रिम दस्ते के रूप में चीनी साम्यवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास किसी भी शत्रु के विरुद्ध अडिग संघर्ष करने में जनता का नेतृत्व करने की हिम्मत और सामर्थ्य है।"

(12) केन्द्रीय सैनिक आयोग- नये संविधान में एक केन्द्रीय सैनिक आयोग (The Central Military Commission) की व्यवस्था की गयी। यह सर्वथा नयी और अनुपम संस्था है। चीन के पूर्ववर्ती संविधानों में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी । सेना को निर्देश यही आयोग देता। है। । इस आयोग में सभापति उप-सभापति तथा सदस्य होते हैं। आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर होती है। सैनिक आयोग के सभापति (Chairman) राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी समिति के प्रति उत्तरदायी हैं।

(13) राष्ट्रपति पद की पुनः प्रतिष्ठा- नये संविधान में राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गयी है जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जायेगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किये जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आडीटर जनरल की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों से प्रमाण-पत्र लेना राष्ट्रपति को करने होते हैं। इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की भाँति 5 वर्ष रखा गया है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है और देश में मार्शल लॉ भी लागू कर सकता है, पर सेनाओं के संचालन की शक्ति उसे नहीं दी गई है। यह शक्ति 'केन्द्रीय सैनिक आयोग' को प्रदान की गई है।

(14) विदेश नीति के सिद्धान्तों का उल्लेख- नये संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश-नीति का वर्णन मिलता है। विदेश नीति के संबंध में कहा गया है कि (i) चीन का भविष्य समस्त दुनिया से सम्बन्धित है; (ii) चीन 'पंचशील' के आदर्श का पालन करेगा, वह दूसरे देशों की प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करता है, वह शान्तिपूर्ण सह-

अस्तित्व में विश्वास करता है। (iii) चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलनों का समर्थन

करता है। (iv) चीन एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुद्दढ़ बनायेगा। (v) चीन विश्व शांति और मानव प्रगति के लिए प्रयत्नशील है और विकासशील देशों के साथ है।

(15) न्यायपालिका की अधीन स्थिति- जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। वहाँ न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस (संसद) के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था तथा पिरामिड के आकार का केन्द्रीकृत न्यायिक संगठन इस बात को दशति है कि चीनी न्याय व्यवस्था में उच्च मात्रा का केन्द्रीकरण है और न्यायाधीशों को स्वतंत्रतापूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य करने का अधिकार नहीं है।

20.8 जनवादी चीन के संविधान का मूल्यांकन

[An Evaluation of The Constitution of The People's Republic of China]

1982 के संविधान की प्रस्तावना में यह इंगित किया गया है कि "संविधान राज्य की मौलिक विधि" है। चीन में रहने वाली सभी राष्ट्र जातियाँ राज्य के सभी पदाधिकारी, सशस्त्र सेनाएँ, औद्योगिक संस्थान और सार्वजनिक संगठन संविधान की धाराओं से बंधे हैं। समस्त कानूनी शक्तियों का स्वोत संविधान है। सभी लोगों को संविधान के अनुसार आचरण करना चाहिए और उसकी मर्यादा व गरिमा की रक्षा करनी चाहिए।

जनवादी चीन का नया संविधान एक संक्षिप्त प्रलेख है जो चीन की राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक तथा विधायी रूप रेखा प्रस्तुत करता है। संविधान द्वारा एक समग्रवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की गयी है, नियोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा बेकारी पर काबू पाने की कोशिश की गयी है। आजकल चीन में संस्थागत अस्थायित्व दिखलायी देता है, अतः राष्ट्राध्यक्ष के पद की व्यवस्था करके 'स्थायित्व' लाने का प्रयास किया गया है। चीन का भविष्य नये संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले वर्षों में चीनी साम्यवादी दल में कितनी एकजुटता बनी रहती है?

20.9 स्व -प्रगति परिक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. जनवादी चीन का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था?
   a) 1978
   b) 1982
   c) 1990
   d) 2000

2. संविधान में किस सिद्धांत पर जोर दिया गया है?
   a) समाजवाद
   b) पूंजीवाद
   c) लोकतंत्र
   d) धर्मनिरपेक्षता

3. चीन के संविधान में राज्य के प्रमुख अंगों का कार्य क्या है?
   (फिल इन द ब्लेंक्स)
   राज्य के प्रमुख अंगों का कार्य __________ और __________ करना है।

4. चीन के संविधान के अनुसार, राज्य के संविधान की सर्वोच्चता का पालन किसकी ओर से किया जाता है?
   a) राष्ट्रपति
   b) प्रधानमंत्री
   c) राष्ट्रीय पीपल्स कांग्रेस
   d) केंद्रीय सैन्य आयोग

5. निम्नलिखित में से कौन सा चीनी संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य है?
   a) लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास
   b) समाजवादी प्रणाली का संरक्षण
   c) बाजार अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहन
   d) धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार

20.10 सार संक्षेप

चीन का संविधान देश को एक समाजवादी राज्य के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। यह संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, राज्य

की संरचना, और समाजवादी आदर्शों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधानों को निर्धारित करता है।

जनवादी चीन का संविधान 1982 में लागू हुआ, जो देश की सरकारी संरचना, न्यायिक प्रणाली, और समाजवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें चीनी समाजवाद के सिद्धांतों के आधार पर राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह संविधान समय-समय पर संशोधित होता रहा है, ताकि यह देश के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के अनुसार अद्यतन रहे। इसके द्वारा चीन में स्थिरता और विकास की दिशा में मार्गदर्शन किया गया है।

उत्तर 1 : b) 1982,उत्तर 2 : a) समाजवाद,उत्तर 3 : निर्माण, संचालन,

उत्तर 4 : c) राष्ट्रीय पीपल्स कांग्रेस, उत्तर 5 : b) समाजवादी प्रणाली का संरक्षण

20.11 मुख्य शब्द

1. समाजवादी राज्य व्यवस्था

चीन का संविधान देश को **समाजवादी राज्य** घोषित करता है।

इसका उद्देश्य समाजवाद और साम्यवादी समाज की स्थापना है।

2. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व (सीसीपी)

संविधान में **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी)CCP)** को देश का **सर्वोच्च नेतृत्व** स्वीकार किया गया है।

पार्टी के मार्गदर्शन में सभी सरकारी और सामाजिक संस्थाओं का संचालन होता है।

3. लोकतांत्रिक केंद्रीकरण

"लोकतंत्र"केंद्रित शक्ति" और " का सम्मिलन।

सत्ता का केंद्रीकरण राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक चुनावों की व्यवस्था है।

4. नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य

संविधान में नागरिकों को **मूल अधिकार** दिए गए हैं, जैसे:

समानता का अधिकार।

शिक्षा का अधिकार।

कार्य का अधिकार।

साथ ही नागरिकों पर **कर्तव्यों** का भी प्रावधान है, जैसे:

संविधान और कानूनों का पालन।

देश की एकता और अखंडता की रक्षा।

5. राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता

चीन को **एक एकीकृत राष्ट्र** घोषित किया गया है।

विभिन्न **जातीय समूहों** को स्वायत्तता प्रदान की गई है, लेकिन देश की अखंडता सर्वोपरि है।

6. कानून का शासन

संविधान में **कानून के शासन** (Rule of Law) की मान्यता दी गई है।

कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है।

7. समाजवादी आर्थिक व्यवस्था

चीन में **सार्वजनिक संपत्ति** पर आधारित **समाजवादी आर्थिक व्यवस्था** लागू है।

निजी संपत्ति का भी सम्मान किया जाता है, लेकिन सामूहिक हित सर्वोपरि है।

8. संसदीय व्यवस्था

चीन में **नेशनल पीपुल्स कांग्रेस)NPC)** सर्वोच्च विधायी संस्था है।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदाधिकारी NPC के प्रति जवाबदेह होते हैं।

9. संविधान का संशोधन

संविधान में संशोधन का अधिकार **नेशनल पीपुल्स कांग्रेस** को है।

संशोधन के लिए दोतिहाई बहुमत आवश्यक है।-

20.12 संदर्भ ग्रन्थ

- सिंग, वी. (2017). *भारत और चीन के संविधान की तुलनात्मक अध्ययन.* नई दिल्ली: प्रकाशन हाउस.
- शर्मा, आर. (2019). *जनवादी चीन: एक राजनीतिक दृष्टिकोण.* जयपुर: प्रकाशन एंटरप्राइजेज.
- त्रिपाठी, एस. (2021). *चीनी संविधान और उसका विकास.* दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस.

- गुप्ता, पी. (2023). *चीन का संविधान: सिद्धांत और व्यावहारिकता.* मुम्बई: इंडियन पब्लिशर्स.

20.13 अभ्यास प्रश्न

निबन्धात्मक प्रश्न

1. जनवादी चीनी गणराज्य के संविधान (1982) की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
2. चीन के जनवादी गणतंत्र के संविधान के सामान्य सिद्धान्त तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

1. समाजवादी अर्थव्यवस्था ।
2. लोकतांत्रिक केन्द्रवाद।
3. जनवादी गणतंत्र ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. चीन में साम्यवादी दल के नेतृत्व में क्रांति कब हुई ?

   (अ) 1917 (ब) 1949

   (स) 1954 (द) 1975

2. चीन में साम्यवादी क्रान्ति का नेतृत्व किसने किया ?

   (अ) स्टालिन (ब) लेनिन

   (स) मार्क्स (द) माओ।

3. चीन में अब तक कुल कितने संविधान लागू किये गये हैं?

   (अ) 1 (ब) 2

   (स) 3 (द) 4

4. चीन का पहला संविधान कब लागू किया गया ?

   (अ) 1954 (ब) 1975

   (स) 1978 (द) 1982

5. चीन का वर्तमान संविधान कब लागू किया गया ?

(अ) 1975 (ब) 1978

(स) 1982 (द) 1989

6. चीन के 1982 के संविधान में कुल कितने अध्याय है?

(अ) 4 (ब) 7

(स) 11 (द) 19